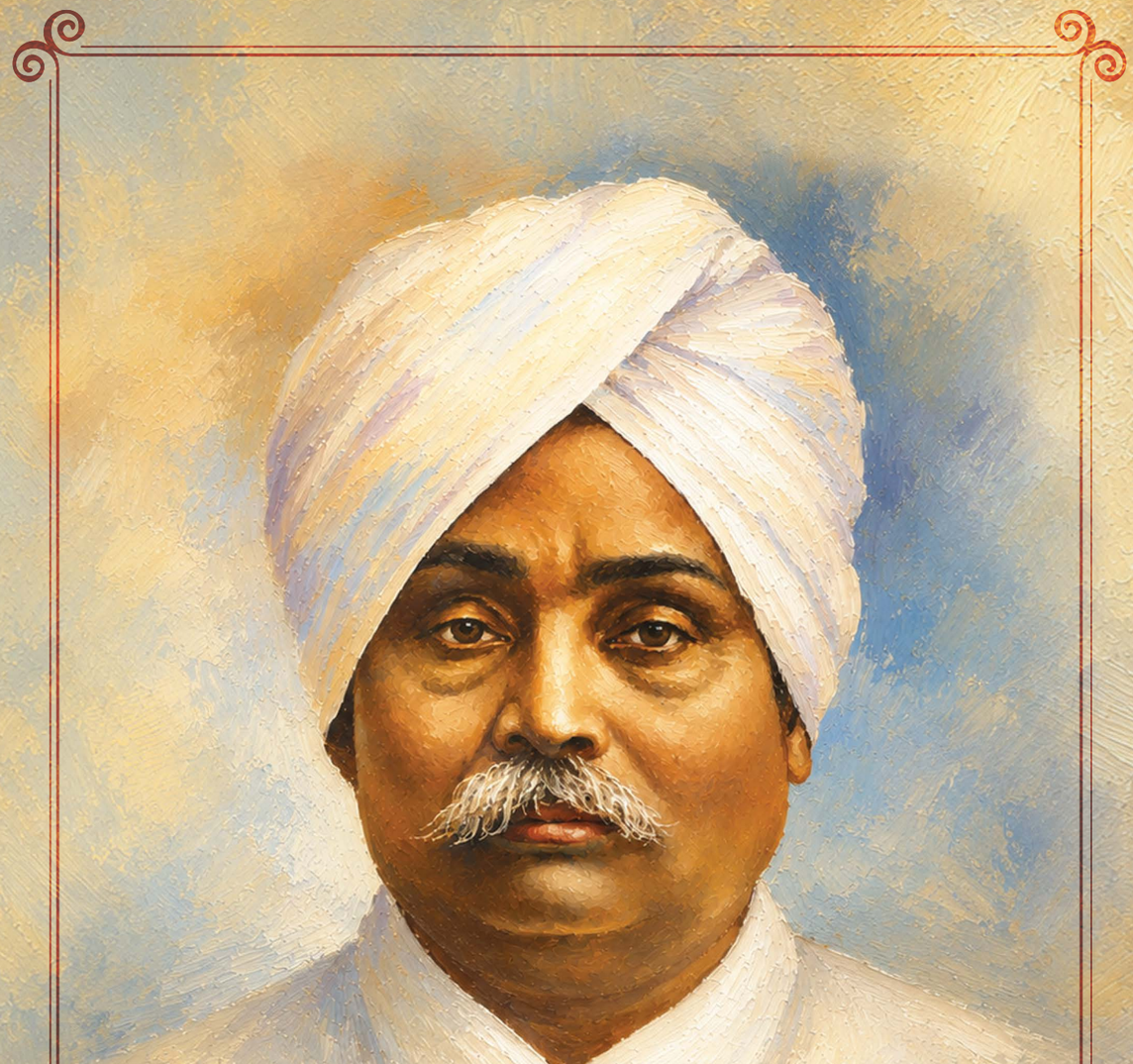
करोड़ो भारतीयों के सपने साकार करते हुए

विकसित भारत

की ओर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26





हमारे संस्थापक

लाला लाजपत राय

के विजन से प्रेरित

28 जनवरी, 1865 – 17 नवंबर, 1928

> समर्पण और निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा करें, आप जीवन का उद्देश्य स्वयं ही पा लेंगे।

एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के
बैंक के रूप में हम

विकसित भारत 2047 के

विजन के अनुरूप समावेशी विकास
और राष्ट्र निर्माण को गति दे रहे हैं।

पीएनबी कॉर्पोरेट कार्यालय



हमारा मिशन

ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के लिए मूल्य सृजन, कार्मिकों के लिए अवसर सृजन हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना तथा इस प्रकार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देना।

हमारा विजन

अपने ग्राहकों को ग्राहक–केंद्रित नवाचार के माध्यम से, अपने कार्मिकों को सशक्त बनाकर और सभी हितधारकों के जीवन को समृद्ध बनाकर, विश्वव्यापी विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार बनना।

हमारे मूल्य

ग्राहकों के हित में हम एक टीम के रूप में कार्य करेंगे।

हम कारोबार को गति देने हेतु नवाचार को अपनाएँगे।

हम निर्णय लेने में उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँगे।

हम सीखने तथा परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

हम विश्वास की संस्कृति विकसित करने हेतु नैतिक आचरण को अपनाएँगे





> “स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग है, स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना।”
>
> –महात्मा गांधी



54,703 डिलिवरी चैनल

10,324 शाखाएं

11,065 एटीएम

33,314 कारोबार प्रतिनिधि

के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितिः

दुबई, गिफ्ट सिटी (गांधी नगर)
यूके और भूटान
नेपाल में एक संयुक्त उद्यम बैंक
तथा म्यांमार और बांग्लादेश में
प्रतिनिधि कार्यालय।

वैश्विक सकल कारोबार

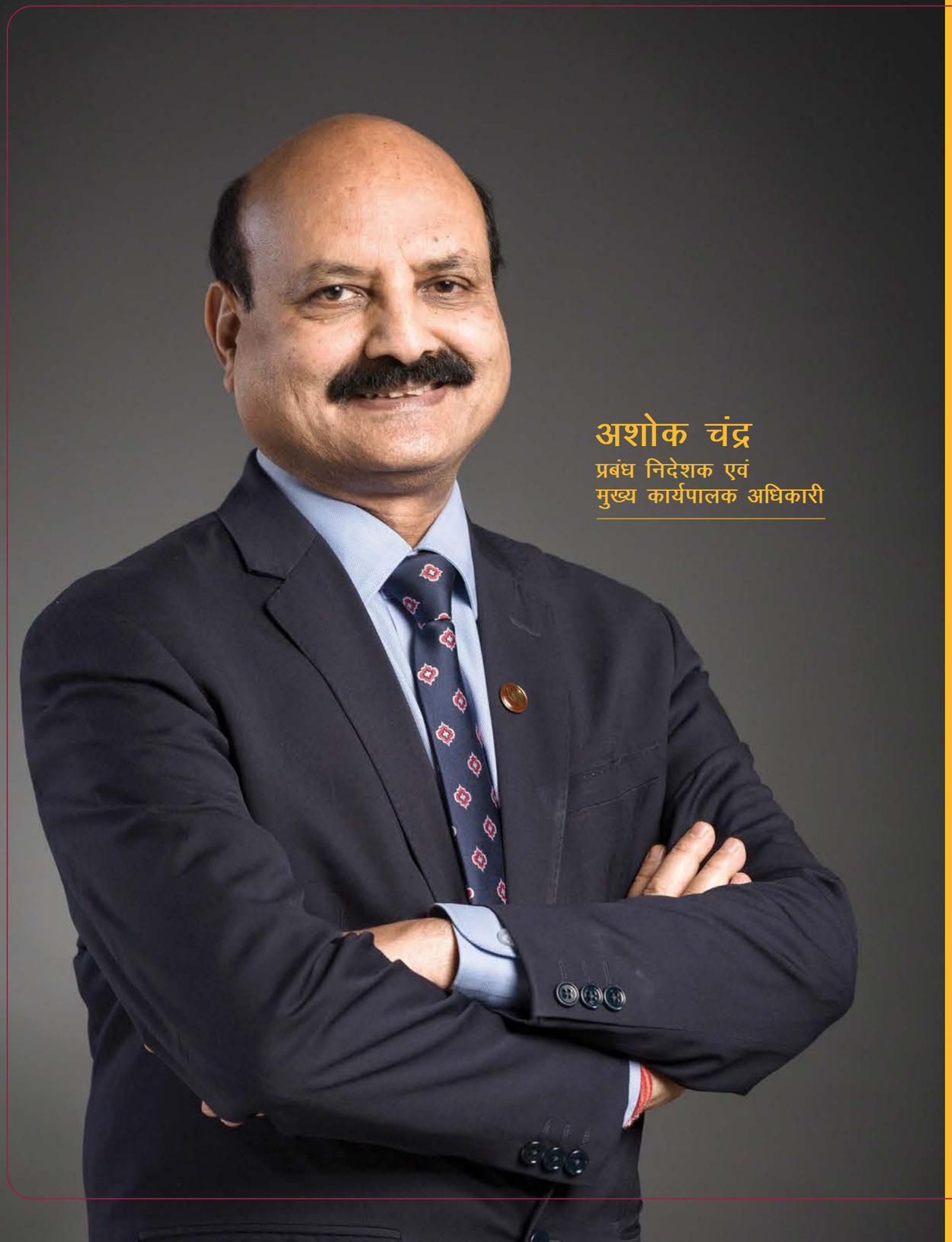
31 मार्च 2026 तक ₹29.70 लाख करोड़

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

कुल लेन–देन में डिजिटल लेन–देन की हिस्सेदारी लगभग **95%** रही।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

राष्ट्रीय लक्ष्य **40%** से अधिक
41.89% पर रही।



अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की डेस्क से

प्रिय सम्मानित हितधारको,

निदेशक मंडल एवं प्रबंधन टीम की ओर से, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह वर्ष बैंक की यात्रा में एक निर्णायक अध्याय रहा है, इस अवधि में हमने न केवल बदलते आर्थिक परिदृश्य का सामना किया है, बल्कि अधिक सशक्त, अधिक सक्रिय तथा पहले से अधिक उद्देश्यपूर्ण बनने के लिए सक्रिय रूप से अपनी रणनीतियों को नव स्वरूप प्रदान किया है।

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, बदलती कारोबार नीतियों तथा भू–राजनीतिक जटिलताओं के प्रभाव में संचालित रही। जहां विश्व ने लगभग 3.1 प्रतिशत अनुमानित वैश्विक जीडीपी वृद्धि के साथ एक मध्यम विस्तार देखा, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में यह गति असमान बनी रही । उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को अमेरिकी टैरिफ नीतियों से विपरीत परिस्थितियों तथा पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा लागत में उतार–चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद वैश्विक परिदृश्य सतर्क और लचीला रहा।

घरेलू स्तर पर, भारत ने स्वयं को विकास के वैश्विक इंजन के रूप में दृढ़ता से स्थापित कर लिया है। वाह्य अस्थिरताओं एवं अनिश्चितताओं के बावजूद, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था~7.6%[1] की प्रभावशाली वृद्धि वाली जीडीपी के साथ सकारात्मक बनी रही। इस प्रदर्शन को पूरे वर्ष के दौरान मज़बूत घरेलू उपभोग और आधारभूत संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के निरंतर निवेश से बल मिला। इस अनुकूल घरेलू वातावरण ने विकास के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया।

समावेशी आर्थिक कारकों द्वारा समर्थित मजबूत जीडीपी वृद्धि यह दर्शाती है कि देश अत्यधिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में परिवर्तित हो रहा है। आधारभूत संरचना तथा घरेलू मांग पर दिया गया विशेष बल न केवल वर्तमान में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा है, बल्कि वर्ष 2047 तक **"विकसित भारत" मिशन** की परिकल्पना के अंतर्गत भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा भी प्रशस्त कर रहा है। वर्ष 2027 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने के साथ ही, बैंक इस विकास यात्रा में अग्रिम पंक्ति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।

> **"नवाचार हमारा साधन है, किन्तु ग्राहक सेवा हमारा उद्देश्य है। हम मिलकर बैंकिंग के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।"**

[1]राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वितीय अनुमान के अनुसार।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अवलोकन[2]

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि, ऋणराशियों की वृद्धि की तुलना में कम रही, जहां जमाराशियां 13.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹262.30 लाख करोड़ रहीं वहीं ऋण विस्तार 16.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹213.61 लाख करोड़ का रहा। वर्ष के अंत में निधि संग्रहण में सुधार से ऋण विस्तार सुदृढ़ हुआ तथा ऋण–जमा अनुपात को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्राप्त हुई।

ऋण वृद्धि व्यापक आधार पर रही, जिसमें सेवा, व्यक्तिगत ऋण, कृषि तथा उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि क्षेत्र में 15.7 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (मुख्यतः एमएसएमई) में 15.0 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 19 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत ऋणों में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकिंग क्षेत्र ने रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ₹1.98 लाख करोड़ का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है।

आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसाकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक का न्यूनतम एनपीए स्तर दर्ज किया; 31 मार्च, 2026 तक सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.93 प्रतिशत और निवल एनपीए अनुपात घटकर 0.39 प्रतिशत रह गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के मुख्य बिन्दु

बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुश्री हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है; यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य बैंक की ब्रांड उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इस संपूर्ण वर्ष में, बैंक ने उत्पादों और सेवाओं में नवाचार, शाखाओं के वातावरण को बेहतर बनाने, ग्राहक सेवा के मानकों को उत्कृष्ट रखने तथा साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने पर अपना निरंतर ध्यान केंद्रित रखा। बैंक ने पहली बार उद्यमी बनने वालों को उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक 'स्टार्ट–अप ब्रांच' का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा, बैंक ने अपना प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड, 'पीएनबी Luxura' लॉन्च किया, जिसे विशेष रूप से उच्च–निवल मूल्य वाले ग्राहकों, विशिष्ट पेशेवरों और समृद्ध कारोबार स्वामियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया।

बैंक ने रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 13 "मेगा आउटरीच कार्यक्रम" आयोजित किए, जो कारोबारी विकास के प्रति उसके सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1800 से अधिक कैंप आयोजित किए गए, जिससे बैंक को 3.52 लाख लीड्स प्राप्त करने में सफलता मिली। डिजिटलीकरण की दिशा में लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, बैंक ने ₹1 लाख करोड़ के डिजिटल ऋणों की स्वीकृति का आंकड़ा पार कर लिया है; यह तीव्र और प्रौद्योगिकी–सक्षम ऋण समाधानों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, बैंक ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से "कोड अगेंस्ट मैलवेयर" विषय पर हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया, जो नवाचार और साइबर अपराधों की रोकथाम के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से समाधान तैयार करना था।

इसके साथ ही, बैंक अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को "bank.in" डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है, जिससे साइबर सुरक्षा बेहतर होगी, धोखाधड़ी की रोकथाम होगी, और हितधारकों के बीच अधिक विश्वास पैदा होगा।

प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड – पीएनबी Luxura का शुभारंभ किया।

रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 13 मेगा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए।

₹1 लाख करोड़ के डिजिटल स्वीकृतियों के आँकड़े को पार किया।

सतत विकास के क्षेत्र में, बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रथम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की, जो इसकी जलवायु/ईएसजी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन प्रमुख प्रयासों के साथ–साथ कई अन्य प्रयासों ने भी सामूहिक रूप से बैंक के सुदृढ़ वित्तीय और परिचालन कार्य प्रदर्शन में योगदान दिया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक का कार्य प्रदर्शन

कारोबार

बैंक के वैश्विक कारोबार में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई, बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹29.70 लाख करोड़ हो गया; जिसमें ₹12.59 लाख करोड़ वैश्विक अग्रिम और ₹17.11 लाख करोड़ वैश्विक जमा शामिल हैं। बैंक की चालू जमा राशि ₹79,294 करोड़ थी, जबकि बचत जमा राशि ₹5.30 लाख करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 के ₹5.74 लाख करोड़ की तुलना में, 31 मार्च, 2026 को कासा जमा ₹6.10 लाख करोड़ रहा। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार घरेलू कासा की हिस्सेदारी 37.0 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने सूक्ष्म स्तर पर विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया और ग्राहकों के सभी वर्गों यथा वेतनभोगी, रक्षाकर्मी, अवयस्क, युवा, किसान, महिला, पेंशनभोगी तथा वरिष्ठ नागरिक के लिए आकर्षक बचत खाता उत्पादों और नवोन्मेषी विशेषताओं के साथ नव स्वरूप देकर, लायबिलिटी उत्पादों के लिए रिटेल ग्राहकों पर विशेष ज़ोर दिया, ताकि ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत और आधुनिक बैंकिंग का अनुभव प्रदान किया जा सके।

सकल कारोबार - ₹29.70 लाख करोड़
चालू जमा राशि - ₹79,294 करोड़
बचत जमा राशि - ₹5.30 लाख करोड़
कासा जमा - ₹6.10 लाख करोड़

रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्र पर कार्यनीतिक बल

बैंक ने उच्च–प्रतिफल वाले रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्र पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, रैम अग्रिम ₹6.76 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जोकि 31 मार्च, 2025 के ₹6.03 लाख करोड़ की तुलना में 12.1 प्रतिशत की सुदृढ़ वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। 31 मार्च, 2026 को घरेलू अग्रिमों में रैम क्षेत्र का योगदान 56.6 प्रतिशत रहा। बैंक का रैम क्षेत्र पर निरंतर केन्द्रित प्रयास, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रिटेल अग्रिम (आईबीपीसी के अतिरिक्त) में वर्ष–दर–वर्ष 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 31 मार्च, 2025 के ₹2.13 लाख करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹2.52 लाख करोड़ हो गई। यह प्रदर्शन बैंक की रैम रणनीति के एक हिस्से के रूप में रिटेल ऋण को निरंतर प्राथमिकता दिए जाने की ओर रेखांकित करता है।

कृषि अग्रिम में 31 मार्च, 2025 के ₹1.81 लाख करोड़ की तुलना में, 31 मार्च, 2026 तक ₹2.00 लाख करोड़ की 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि ऋण पर बैंक का निरंतर ध्यान ग्रामीण आर्थिक विकास और समावेशी विकास को समर्थन देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एमएसएमई अग्रिम में ठोस वृद्धि देखी गई, जो 31 मार्च, 2025 तक ₹1.63 लाख करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 तक 19.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1.95 लाख करोड़ हो गई।

तीनों रैम क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया जो बैंक के केंद्रित और रणनीतिक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इस प्रदर्शन का आधार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर 'डिजी एमएसएमई प्राइम', 'गृह वाटिका, और आवास ऋण – टॉप अप जैसे नए उत्पादों का शुभारंभ था। आउटरीच कार्यक्रमों के अतिरिक्त, बैंक ने इस क्षेत्र में व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए लक्षित मार्केटिंग अभियान भी चलाए।

बैंक ने ऋण प्राप्ति को सुदृढ़ करने के लिए आवास, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) फाइनेंसिंग जैसे प्रमुख रिटेल सेगमेंट में टाई–अप किए हैं।इसके साथ ही, बैंक ने गुणवत्तापूर्ण लीड जेनरेशन के लिए विभिन्न तृतीय–पक्ष विक्रेताओं के साथ साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार किया है।

इन रणनीतिक पहलों ने रैम पोर्टफोलियो को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है, जिससे रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में विकास और प्रगति को गति देने के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान के रूप में बैंक की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है।

[2]आरबीआई द्वारा 31.03.2026 को जारी किए गए पाक्षिक आंकड़ों के अनुसार।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए **कुल आय** ₹1,47,017 करोड़ रही, जो 6.5 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025–26 में बैंक की ब्याज आय ₹1,28,223 करोड़ दर्ज की गई, जिसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में की गई कटौती के कारण वित्त वर्ष 2025–26 के लिए **निवल ब्याज आय (एनआईआई)** में 1.9 प्रतिशत की मामूली कमी देखी गई, जो ₹41,960 करोड़ रही। इसके अतिरिक्त, अन्य आय में 15.2 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई, जो ₹18,794 करोड़ हो गई।

वित्त वर्ष 2025–26 में **परिचालन व्यय** में 2.51 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जोकि स्थापना व्यय में 12.2 प्रतिशत की कटौती के कारण हुई ।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक ने अपने **परिचालन लाभ** में निरंतर सुधार दर्ज करते हुए ₹129,290 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज़ किया जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के ₹26,831 करोड़ की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। **निवल लाभ** में 1.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2024–25 के ₹16,630 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹16,904 करोड़ हो गया। यह लाभ इस तथ्य के बावजूद है कि बैंक पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में चला गया और उसे वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में 3324.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर भार का प्रावधान करना पड़ा।

निवल ब्याज आय - ₹1,47,017 करोड़
निवल ब्याज आय - ₹41,960 करोड़
परिचालन आय - ₹29,290 करोड़
निवल लाभ - ₹16,904 करोड़

अनुपात

वित्त वर्ष 2025–26 में **इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)** वित्त वर्ष 2024–25 में यह 19.33 प्रतिशत की तुलना में 15.67 प्रतिशत रहा; वहीं **आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)** वित्त वर्ष 2024–25 में यह 0.97 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2025–26 में 0.89 प्रतिशत दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए **घरेलू एनआईएम** 2.70 प्रतिशत और **वैश्विक एनआईएम** 2.57 प्रतिशत रहा।

इक्विटी पर प्रतिफल - 15.67 प्रतिशत
आस्ति पर प्रतिफल - 0.89 प्रतिशत

बैंक ने उत्पादकता मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2025–26 में कारोबार प्रति कर्मचारी बढ़कर ₹29.42 करोड़ और प्रति शाखा कारोबार बढ़कर ₹275.63 करोड़ हो गया। प्रति कर्मचारी निवल लाभ वित्त वर्ष 2024–25 के ₹17.29 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹17.47 लाख हो गया, जबकि प्रति शाखा निवल लाभ वित्त वर्ष 2024–25 के ₹163.19 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹163.70 लाख हो गया।

आस्ति गुणवत्ता में सुधार

पूरे वर्ष के दौरान, बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखी। इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में पूर्ण रूप से या कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में उल्लेखनीय कमी आई।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार **सकल एनपीए और निवल एनपीए** घटकर क्रमशः ₹37,124 करोड़ और ₹3,610 करोड़ तक रह गए, जो 31 मार्च, 2025 को ₹44,082 करोड़ और ₹4,291 करोड़ थे।

सकल एनपीए - ₹37,124 करोड़
निवल एनपीए - ₹3,610 करोड़

सकल एनपीए अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो 31 मार्च, 2025 के 3.95 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटकर 31 मार्च, 2026 को 2.95 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए अनुपात में भी सुधार हुआ और यह वर्ष–दर–वर्ष 11 आधार अंक घटकर 31 मार्च, 2026 को 0.29 प्रतिशत हो गया।

प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (तकनीकी राइट ऑफ सहित) और अधिक मजबूत हुआ, जो 31 मार्च, 2025 के 96.82 प्रतिशत की तुलना में 32 आधार अंक बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 97.14 प्रतिशत हो गया।

बैंक ने वसूली बढ़ाने और नए स्लिपेज को नियंत्रित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया, जिससे **निवल वसूली निवल स्लिपेज** से अधिक थी और आस्ति गुणवत्ता में सुधार की सकारात्मक दिशा बनी रही।

सुदृढ़ पूंजी के माध्यम से विकास में सहयोग

पूंजी व्यापार वृद्धि के लिए मुख्य सहायकों में से एक है, और आपके बैंक ने ऋण की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखी है। जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2025 को 17.01 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2026 को 17.74 प्रतिशत रहा। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार टियर 1 अनुपात 15.15 प्रतिशत और टियर 2 अनुपात 2.59 प्रतिशत रहा। 31 मार्च, 2026 को बैंक का चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 140.05 प्रतिशत रहा।

लाभांश

निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹3.00/– प्रति इक्विटी शेयर (जो प्रत्येक ₹2 के अंकित मूल्य का 150 प्रतिशत है) का लाभांश देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है; यह अनुशंसा आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मिलने वाली स्वीकृति के अधीन होगी।

प्रति इक्विटी शेयर ₹3/- लाभांश की अनुशंसा

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धियां और प्रमुख सरकारी योजनाएं

पिछले कुछ वर्षों में, बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, ई–पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन में योगदान देने के लिए विभिन्न प्रमुख सरकारी पहलों को लागू करने में अग्रणी रहा है, जिसके माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराया गया और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाया गया।

10,324 शाखाओं के मजबूत घरेलू शाखा नेटवर्क, डिजिटल विस्तार और प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ, बैंक ने परिचालन दक्षता में और अधिक सुधार किया है, जिससे देश के वित्तीय इकोसिस्टम को सुदृढ़ता मिली है और आर्थिक समानता एवं सामाजिक अधिकारिता के उद्देश्यों को समर्थन मिला है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण 31 मार्च, 2026 को ₹4.56 लाख करोड़ रहा। समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का हिस्सा 41.89 प्रतिशत था, जो निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य से 40.00 प्रतिशत अधिक है। **कृषि क्षेत्र को ऋण** 31 मार्च, 2026 तक ₹1.97 लाख करोड़ था, जो एएनबीसी का 18.09 प्रतिशत है, इस प्रकार 18.00 प्रतिशत का निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया गया।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ₹416 करोड़, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹525 करोड़, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ₹2,337 करोड़ और पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ₹24,703 करोड़ स्वीकृत किए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में, बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 92.74 लाख व्यक्तियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 351.05 लाख और अटल पेंशन योजना (एपीआई) के अंतर्गत 57.19 लाख को नामांकित किया।

ग्राहक सेवा में सुधार और शिकायत निवारण

बैंक अपनी सेवा वितरण और शिकायत निवारण प्रणालियों में निरंतर सुधार करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। बीते वर्ष में, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण हेतु कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी सेवा और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया, और क्यूआर–आधारित फीडबैक, एक नया कस्टमर रिलेशनशिप प्रबंधन प्रणाली (सीआरएम), रिलेशनशिप प्रबंधन कार्यक्रम, अनुकूलित खाता संख्या, लॉयल्टी रिवार्ड्स, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ)/कार्यपालक निदेशकों (ईडी) के साथ शिकायतकर्ताओं की मासिक बैठकें और लाइव एजेंट चैट सपोर्ट जैसी पहल शुरू कीं। इन प्रयासों से ग्राहकों की शिकायतों को कम करने में सफलता मिली है।

शिकायत निवारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) से सराहना प्राप्त हुई है। यह सम्मान ग्राहक सेवा में अनुकरणीय मानकों को बनाए रखने और समस्याओं का अत्यंत तत्परता के साथ समाधान करने के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है।

नवोन्मेष समाधानों के माध्यम से डिजिटल रूपान्तरण का विस्तार

वित्त वर्ष 2025–26 में, बैंक ने डिजिटलीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को उल्लेखनीय रूप से अपग्रेड किया, जो अब 350 से अधिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन संवर्द्धनों को विविध ग्राहक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से तैयार किया गया है, जिससे बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ, लचीली और उपयोगकर्ता के अनुकूल हों।

उल्लेखनीय पहलों में कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए जेन एआई–संचालित चैटबॉट्स के कार्यान्वयन के साथ दैनिक परिचालन और शिक्षण एवं विकास इकोसिस्टम में जेन एआई का एकीकरण शामिल है। बैंक ने कई नए डिजिटल सेवाएं, यथा एफडी/आरडी पर डिजिटल ऋण, पूर्व–अनुमोदित कारोबार ऋण, जीएसटी एक्सप्रेस, सूर्य घर, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तपोषण, ट्रैक्टर एक्सप्रेस, केसीसी नवीकरण और दोपहिया वाहन ऋण भी शुरू की हैं।

डिजिटल परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आज बैंक में **हर तीसरा ऋण डिजिटल मोड** के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है और डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी लगभग 95% तक पहुंच गई है और हमने डिजिटल ऋण स्वीकृतियों में ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा प्राप्त किया है।

बैंक में हर तीसरा ऋण डिजिटल मोड से स्वीकृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने अपनी मुख्य रणनीतिक पहलों में एडवांस्ड एनालिटिक्स को शामिल करके अपने व्यावसायिक वृद्धि को उल्लेखनीय गति प्रदान की है। इस डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर **"पोर्टफोलियो एंड रिलेशनशिप इंटेलिजेंस फॉर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग" (पीआरआईएसएम)** का शुभारंभ था, जो एक एकीकृत विश्लेषण केंद्र है जिसे विशेष, डेटा–आधारित मॉड्यूल के माध्यम से भूमिका–आधारित जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न सरकारी विभागों सहित हाई–प्रोफाइल संस्थागत ग्राहकों के लिए स्थानीयकृत, संस्था–विशिष्ट **एमआईएस डैशबोर्ड** विकसित किए हैं।

साथ ही, बैंक साइबर समस्याओं के प्रति सतर्क है और साइबर एवं डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिम की निगरानी के लिए कड़े उपाय लागू कर रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में, लक्षित पहलों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी समन्वित प्रयास किए गए।

सशक्त बैंक के लिए कार्मिकों को सशक्त बनाना

बैंक के **'प्रोजेक्ट उड़ान'** ने कार्यबल दक्षता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए एक **'क्षमता निर्माण ढांचा'** प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखी है, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2025–26 में, बैंक ने पारंपरिक कार्मिक प्रबंधन से आधुनिक, डेटा–आधारित **मानव पूंजी प्रबंधन** ढांचे में परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की।

बेहतर प्रदर्शन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने निष्पक्षता और अनुकूली लक्ष्य निर्धारण को एकीकृत कर **'डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम' (पीएमएस)** के दायरे का विस्तार किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक कार्मिक को अपनी भूमिका स्पष्ट हो और उसे अपने विकास से जुड़ी उपयोगी जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ने उपस्थिति को डिजिटल रूप देने के लिए **पीएनबी आगमन'** मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

बैंक ने समग्र कल्याण और समावेशन का भी ध्यान रखा है, और 'पीएनबी उद्भव' की शुरुआत की है, ताकि काम पर लौटने वाली महिला कार्मिकों को पुनः जॉइन करने पर खुशी और अपनापन महसूस हो। प्रधान कार्यालय में एक समर्पित **'विविधता प्रकोष्ठ'** की स्थापना ने महिला कर्मचारियों को सहयोग देने और एक ऐसे समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की ओर ध्यान केंद्रित करती है जहाँ हर किसी की बात सुनी जाती है और उसे महत्व दिया जाता है। बैंक ने महिला नेतृत्व क्षमता के विकास को गति देने के लिए **"उन्नति पथ"** की दिशा में भी कार्य किया है।

संरचनात्मक और रणनीतिक पुनर्गठन

अपने विविध ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, हमने अपने कारोबारी वर्टिकल्स और ऋण वितरण तंत्रों का व्यापक पुनर्गठन किया है। राष्ट्रीय 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के अनुरूप, हमने स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष योजना शुरू की और नई दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में अपनी पहली विशेष 'स्टार्टअप शाखा' का उद्घाटन किया। यह शाखा उद्यमियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विशेष बैंकिंग समाधानों के केंद्र के रूप में काम करती है।

प्रथम विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में किया गया था।

इसके अतिरिक्त, बैंक अधिक विस्तृत और विशेषज्ञ–संचालित ऋण संरचना की ओर अग्रसर हुआ है। आपके बैंक ने यह माना है कि आस्ति गुणवत्ता सर्वोपरि है और इसके लिए एनपीए प्रबंधन को **आस्ति वसूली निगरानी शाखाओं (एआरएमबी) तथा दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं** के बीच वितरित करके अपनी वसूली संरचना को नया रूप दिया है।

नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना

बैंक अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक नैतिकता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुकरणीय मानकों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक की अटूट प्रतिबद्धता उसके सुदृढ़ शासन ढांचे में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जो सांविधिक और विनियामक मानदंडों के अनुपालन, प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा उद्योग की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के पालन की गारंटी देता है। बैंक ने सम्पूर्ण संगठन में नैतिकता और अनुपालन की एक सशक्त संस्कृति भी विकसित की है, जो प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार व्यवहार और सुविचारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है।

इसके अलावा, बैंक अपने सभी हितधारकों–जिनमें ग्राहक, शेयरधारक, कर्मचारी, नियामक और व्यापक समुदाय शामिल हैं, के साथ मुक्त और पारदर्शी संवाद पर विशेष ज़ोर देता है; यह वित्तीय क्षेत्र के भीतर बैंक की स्थायी स्थिरता और प्रतिष्ठित साख के प्रति विश्वास को और भी सुदृढ़ करता है।

जोखिम समस्याओं का प्रबंधन

तेजी से होते डिजिटलीकरण के कारण बैंकों को साइबर खतरों, परिचालन संबंधी व्यवधानों और उन्नत धोखाधड़ी सहित बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चुनौतियों में उभरते नियमों के अनुरूप बने रहना, एनपीए को कम करना और डिजिटल भुगतानों को सुरक्षित करना शामिल है।

बैंक आईटी जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए एक सशक्त आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन संरचना द्वारा समर्थित जोखिम प्रबंधन पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन ढांचे इन क्षेत्रों में उभरते जोखिमों का समाधान करते हैं।

तृतीय–पक्ष जोखिम प्रबंधन नीति सेवा प्रदाता संबंधों की पूरी कार्यप्रणाली जैसे कि ऑनबोर्डिंग, मॉनिटरिंग और ऑफबोर्डिंग में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करती है ताकि हर स्तर पर जोखिम प्रबंधन किया जा सके।

बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन एवं परिचालन सुदृढ़ता नीति एक स्पष्ट अभिशासन संरचना के समर्थन से महत्वपूर्ण सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी की गारंटी देती है।

अपनी जलवायु रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए, बैंक ने उत्सर्जन गणना को स्वचालित करने, जलवायु जोखिम डैशबोर्ड तैयार करने और पोर्टफोलियो स्ट्रेस टेस्टिंग को निष्पादित करने के लिए एक विशेष नॉलेज पार्टनर को शामिल किया है। यह साझेदारी सतत वित्त के अवसरों को बढ़ावा देगी, नियामक ईएसजी रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करेगी और बैंक की नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में एक सूक्ष्म, डेटा–संचालित रोडमैप स्थापित करेगी।

पुरस्कार एवं सम्मान

मैं उन कुछ पुरस्कारों और सम्मानों का उल्लेख करना चाहूंगा जो बैंक को वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त हुए। मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बीएफ़एसआई द्वारा हमारी पीपल फर्स्ट संस्कृति को दर्शाते हुए बैंक को **'हैप्पी एम्प्लॉयर ब्रांड 2025'** के रूप में सम्मानित किया गया। बैंक को इंडस्ट्री एकेडेमिया कॉन्फ्रेंस 2026 में **'इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस अवार्ड'** से भी सम्मानित किया गया। बैंक को **विकसित भारत एंबेसडर ऑफ चेंज अवार्ड** (मोदीनॉमिक्स 3.0) के लिए क्लाइमेट फाइनेंस श्रेणी में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। बैंक को प्रशिक्षण पहलों और प्रथाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **गोल्डन पीकॉक** अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग (वित्तीय सेवाएं–बैंकिंग श्रेणी) भी प्राप्त हुआ।

बैंक को ईटी एड्ज द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक श्रेणी में **सर्वश्रेष्ठ बीएफ़एसआई ब्रांड्स 2026** में से एक के रूप में सम्मानित किया गया । राजकोषीय अनुशासन पर बैंक के

फोकस ने लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए **19वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में 'प्रथम स्थान'** प्राप्त करने में सहायता की, जो यह सिद्ध करता है कि बैंक की वृद्धि पैमाने–आधारित और दक्षता–संचालित दोनों से प्रेरित है।

प्रौद्योगिकी में, बैंक को तीसरे आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग अवार्ड्स 2025 में **एआई/एमएल कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक (विजेता)** और सर्वश्रेष्ठ बैंक (रनर अप) से सम्मानित किया गया। **'डिजिटल–फर्स्ट'** बैंक बनने की दिशा में बैंक की यात्रा ने इस वर्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जब आपके बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी के अंतर्गत **'डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2023–24' में प्रथम स्थान** प्राप्त किया। बैंक को **"परपेचुअल पाइपलाइन"** के लिए **स्कॉच गोल्ड विनर 2025–26** के रूप में भी पहचान मिली, जो बैंक का एंड–टू–एंड ऑटोमेटेड लीड क्यूरेशन इंजन है।

बैंक को कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ़) योजना में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और स्वीकृत व संवितरित एआईएफ ऋण खातों की जियो टैगिंग में पहला और एआईएफ ऋण संवितरण में दूसरा स्थान मिला।

भावी योजना

वित्त वर्ष 2026–27 में भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार मज़बूत बने रहने का अनुमान है, और जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ी कमी को दर्शाता है, फिर भी भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है। यह स्थिर कार्य प्रदर्शन बढ़ते भू–राजनीतिक तनावों, अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों और निरंतर मुद्रास्फीति के दबावों से भरे चुनौतीपूर्ण वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य के बीच विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस आर्थिक गति को मजबूत तुलन पत्र और स्वस्थ पूंजीकरण द्वारा समर्थित एक सुदृढ़ घरेलू बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग प्राप्त है; यह क्षेत्र ऋण विस्तार को चलाने और बाजार की उभरती वित्तीय आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।

बैंक **रैम अग्रिम, कासा जमा, डिजिटलीकरण, ग्राहक सेवा और मानव संसाधन** जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। बैंक अपने परिचालन विस्तार को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना हमारा निरंतर प्रयास होगा। अग्रणी बैंकिंग क्षेत्र की इकाई के रूप में, बैंक भारत की **विकसित भारत@2047** की यात्रा में अपना योगदान देगा।

इन कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के अतिरिक्त, बैंक अपने सभी परिचालनों में **नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों** को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैंक की मुख्य कारोबारी रणनीतियों में पर्यावरण, **सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी)** सिद्धांतों को एकीकृत करने पर भी बल दिया जाएगा, जिससे सभी हितधारकों के लिए जिम्मेदार विकास और सतत मूल्य सृजन सुनिश्चित हो सके।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति उनके विश्वास, निष्ठा और सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने बहुमूल्य ग्राहकों सहित हमारे सभी हितधारकों को बैंक में उनके अटूट विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं वर्ष के दौरान निरंतर सहयोग के लिए अपने सभी कार्मिकों को धन्यवाद देता हूँ।

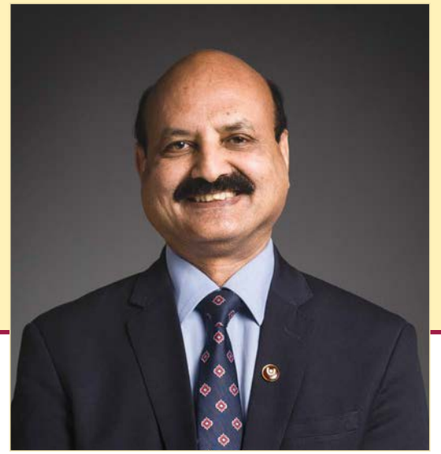
आपका

(अशोक चंद्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पुरस्कार एवं सम्मान



निदेशक मंडल



श्री अशोक चंद्र

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक



श्री एम. परमशिवम



श्री बिभु प्रसाद महापात्र



श्री डी. सुरेंद्रन



श्री अमित कुमार श्रीवास्तव

गैर–कार्यपालक निदेशक



श्री डी. आनंदन



डॉ. उमा शंकर



श्री अम्बरीष ओझा



श्रीमती वंदना भागवतुला

मुख्य महाप्रबंधक



श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव



श्री संजीवन नीखर



श्री बिनय कुमार गुप्ता



श्री फिरोज हसनैन



श्री सुनील कुमार गोयल



श्री संजय गुप्ता



श्री परवीन गोयल



डॉ. राजेश प्रसाद



श्री दीपांकर महापात्र



श्री एस. राजगुरू



श्री रमन ग्रोवर



श्री सुमेश कुमार



श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव



श्रीमती मौसमी मजूमदार



श्री संजीव कुमार घूपर



श्री मनीष अग्रवाल



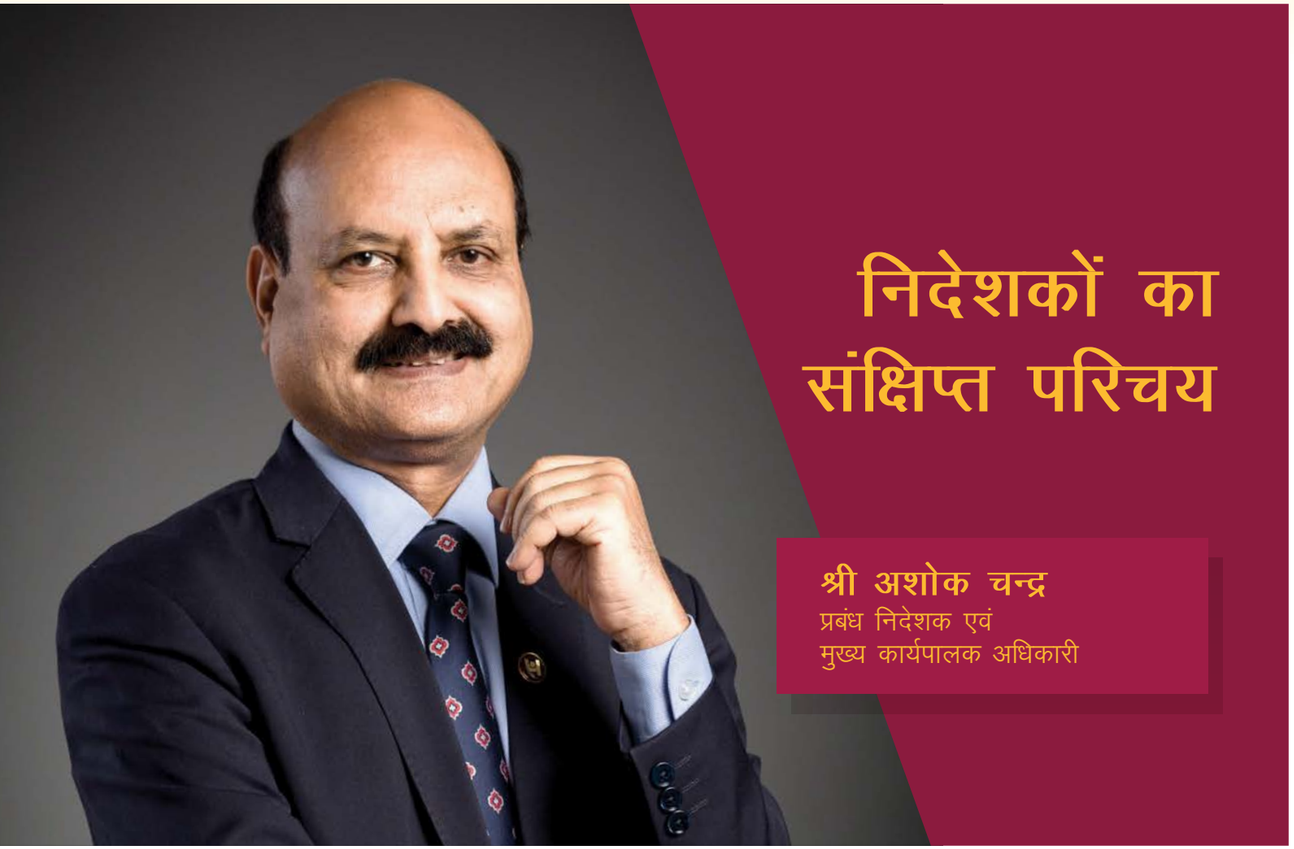
श्री सुधीर दलाल



श्री सुरिंदर पाल सिंह



श्री मृत्युंजय



निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री अशोक चन्द्र
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अशोक चन्द्र ने 16 जनवरी 2025 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तीन दशकों से अधिक के अपने बैंकिंग करियर में श्री चन्द्र ने बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों यथा डिजिटल बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रणनीति एवं कार्ययोजना, विपणन एवं जनसंपर्क, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, खुदरा आस्ति , कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र, स्वर्ण ऋण, देयता प्रबंधन, वसूली, विधिक एवं दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन तथा दुबई स्थित प्रतिनिधि कार्यालय के प्रमुख आदि का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक से की तथा कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के पश्चात वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक बने।

वे भुगतान प्रणाली एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर आईबीए की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही एचआर एवं आईआर आईबीए की स्थायी समिति के सदस्य हैं और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड में हैं, और एनआईबीएम, एमडीआई सोसाइटी गुड़गांव और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की गवर्निंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं।

श्री चंद्र अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं तथा उन्हें पूर्ववर्ती 'बैंक्स बोर्ड ब्यूरो' द्वारा तैयार किए गए और आईआईएम, बैंगलोर द्वारा संचालित 'लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम' में सहभागिता के लिए उनका चयन किया गया।



श्री एम. परमशिवम
कार्यपालक निदेशक

श्री एम. परमशिवम ने 1 दिसंबर 2022 को बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में वे कॉर्पोरेट ऋण, रैम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई एवं मिड–कॉर्पोरेट) ऋण, ट्रेजरी एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन के डोमेन कार्यपालक निदेशक के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं।

श्री परमशिवम ने केनरा बैंक में वर्ष 1990 में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और पिछले 32 वर्षों में उन्होंने वृहद शाखाओं, अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के प्राथमिकता ऋण प्रभाग में विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाओं का निर्वहन किया। आपको ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र, विदेशी मुद्रा एवं व्यापार वित्त, अनुपालन तथा शाखा बैंकिंग सहित बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

श्री परमशिवम कृषि स्नातक हैं और आईआईएम – बैंगलोर द्वारा संचालित लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम में सहभागिता कर चुके हैं।



श्री बिभु प्रसाद महापात्र
कार्यपालक निदेशक

श्री बिभु प्रसाद महापात्र ने वर्ष 1989 में पंजाब नैशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना बैंकिंग करियर प्रारंभ किया और साढ़े तीन दशकों से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 09 अक्टूबर 2023 को कार्यपालक निदेशक पद पर आसीन हुए। पिछले 36 वर्षों में पीएनबी के उतार–चढ़ाव के साक्षी रहे श्री महापात्र बैंकिंग के अनेक क्षेत्रों यथा ऋण एवं एमएसएमई, विदेशी मुद्रा एवं व्यापार वित्त, शाखा बैंकिंग, व्यवसाय प्रक्रिया, अनुपालन आदि में समृद्ध अनुभव एवं व्यापक ज्ञान रखते हैं।

वर्तमान में वे व्यवसाय अर्जन एवं संबंध प्रबंधन, परिचालन, ऋण समीक्षा एवं निगरानी, विधिक एवं दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, सरकारी कारोबार, जनसंपर्क, क्रेडिट कार्ड तथा वित्त एवं लेखा से संबंधित कार्यों का दायित्व संभाल रहे हैं।

वे राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी हैं तथा आईआईएम–बैंगलौर द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम में सहभागिता कर चुके हैं।



श्री डी. सुरेन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

श्री डी. सुरेन्द्रन ने वर्ष 1990 में केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया तथा उन्होंने रिटेल और एमएसएमई ऋण, प्राथमिकता ऋण, वसूली और शाखा बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में काम किया; साथ ही, वे कर्नाटक ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक तथा प्रधान कार्यालय में मानव संसाधन प्रमुख भी रहे, इसके पश्चात मार्च 2025 में उन्होंने पीएनबी में कार्यपालक निदेशक पद का पदभार ग्रहण किया।

वर्तमान में वे सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना, रणनीतिक प्रबंधन एवं आर्थिक अनुसंधान परामर्श, शाखा विस्तार, विश्लेषिकी उत्कृष्टता केंद्र, मानव संसाधन, केंद्रीकृत भुगतान एवं खरीद तथा बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग के डोमेन कार्यपालक निदेशक के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं।

श्री सुरेंद्रन कृषि में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी हैं तथा आईआईएम–बैंगलौर द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम में सहभागिता कर चुके हैं।



श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव ने बैंकिंग उद्योग में वर्ष 1994 में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अपने करियर की शुरुआत की। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पीएनबी में समामेलन के पश्चात वे पीएनबी परिवार का हिस्सा बन गए तथा नवंबर 2025 में पदोन्नति प्राप्त कर कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

विविध विषयों के गहन ज्ञान एवं बहुआयामी अनुभव के साथ श्री श्रीवास्तव ने ट्रेजरी प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, ऋण समीक्षा एवं निगरानी, अंचल प्रबंधक, शाखा बैंकिंग तथा समूह मुख्य जोखिम अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

वर्तमान में वे एकीकृत जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, लेन–देन निगरानी, साइबर एवं सूचना सुरक्षा, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, अनुपालन, राजभाषा तथा सामान्य सेवाएँ एवं प्रशासन के डोमेन कार्यपालक निदेशक के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं।

बीएचयू के पूर्व छात्र, श्री श्रीवास्तव के पास विज्ञान में मास्टर डिग्री और आईसीएफएआई से ट्रेजरी एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है; उन्होंने जीएआरपी (यूएसए) से सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिस्क (एससीआर) में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है, तथा वे एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर तथा फाइनेंशियल सर्विसेज़ में रिस्क विशेषज्ञ भी हैं।



श्री अम्बरीष ओझा
शेयरधारक निदेशक

श्री ओझा ने आईआईटी रुड़की (पूर्ववर्ती रुड़की विश्वविद्यालय) से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की है तथा उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, भुगतान एवं निपटान प्रणाली तथा व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त है।

उन्हें 35 वर्षों का अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर कार्य किया है।

उन्हें आईटी अवसंरचना, नेटवर्किंग एवं सुरक्षा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सप्लाई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 'बाय–नाउ पे–लेटर' आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण, ऋण प्रबंधन तथा केवाईसी के आधुनिक उपकरणों सहित क्रेडिट स्कोरिंग में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

श्री डी. आनंदन वर्ष 2000 बैच के सिक्किम कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

अपने वर्तमान दायित्व से पूर्व श्री डी. आनंदन सिक्किम सरकार में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आदि महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया तथा उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वे तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संयुक्त विकास आयुक्त तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक भी रह चुके हैं।

श्री आनंदन आईएएस एम.कॉम. तथा अर्हता प्राप्त लागत एवं प्रबंधन लेखाकार भी हैं।



श्री डी. आनंदन
आईएएस, भारत सरकार नामित निदेशक

श्रीमती भागवतुला बी.कॉम., चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफ़सीए) हैं तथा उन्होंने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (डीआईएसए) में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्हें लेखांकन, बैंकिंग, वित्त, लेखा परीक्षा, जोखिम एवं सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है।

उन्हें 25 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है, जिसके दौरान उन्होंने स्वतंत्र प्रैक्टिस की, एचडीएफसी बैंक लि. में कार्य किया तथा शक्ति पंप (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में कार्य किया। वह डॉ. एस. नटराजन के 'सुंदरम नटराजन ब्लाइंड फ्री इंडिया फाउंडेशन' की मानद सलाहकार हैं।



श्रीमती वंदना भागवतुला
शेयरधारक निदेशक



डॉ. उमा शंकर
आरबीआई नामित निदेशक

डॉ. उमा शंकर, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की क्षेत्रीय निदेशक को वर्ष 1993 में भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्त किया गया। उन्हें बैंकों एवं एनबीएफसी के पर्यवेक्षण, शहरी सहकारी बैंकों, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिंग लोकपाल के रूप में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

डॉ. शंकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा वाणिज्य में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूके से प्रबंधन, संगठन एवं प्रशासन विषय में एम.एससी. किया है। वे एक सीएआईआईबी एसोसिएट हैं।

उन्होंने "एगॉन ज़ेंडर और हार्वर्ड बिज़नेस पब्लिशिंग " द्वारा संचालित एफ़एसआईबी के 'निदेशक डेवलेपमेंट कार्यक्रम' पूर्ण किया तथा आईडीआरबीटी द्वारा बोर्ड सदस्यों हेतु आईटी एवं साइबर सुरक्षा में प्रमाणन भी प्राप्त किया है। उन्हें आईसीएफ़एआई विश्वविद्यालय से 'डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया– यह सम्मान उन्हें 'शहरी सहकारी बैंक – आईटी जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा प्रबंधन और वर्तमान विनियामक ढांचे का 360–डिग्री दृष्टिकोण' विषय पर लिखे उनके शोध–पत्र के लिए दिया गया।

निदेशक मंडल

सिटिगं (बाएं से दाएं)

डॉ. उमा शंकर

श्री अशोक चंद्र

श्रीमती वंदना भागवतुला

स्टैंडिंग (बाएं से दाएं)

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव

श्री एम. परमशिवम

श्री अम्बरीष ओझा

श्री बिभु प्रसाद महापात्र

श्री डी. आनंदन

श्री डी. सुरेंद्रन

मुख्य महाप्रबंधकगण

स्टैंडिंग (बाएं से दाएं)

श्रीमती मौसमी मजूमदार

श्री फिरोज हसनैन
श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव

श्री सुमेश कुमार
श्री सुनील कुमार गोयल
श्री एस. राजगुरू
श्री दीपांकर महापात्र
श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव
श्री संजीवन नीखर
श्री बिनय कुमार गुप्ता

श्री संजय गुप्ता
श्री परवीन गोयल
डॉ. राजेश प्रसाद
श्री रमन ग्रोवर
श्री मनीष अग्रवाल
श्री सुधीर दलाल
श्री सुरिंदर पाल सिंह
श्री मृत्युंजय
श्री संजीव कुमार धूपर

विषय सूची

नोटिस	30–61
निदेशकों की रिपोर्ट	62–97
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण	98–147
कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र	148–149
कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	150–200
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	201–207
निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र	208–209
कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	210–272
कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र	273–279
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	280–308
बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटीकरण	309
एकल वित्तीय विवरणियां	**310–416**
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	312–323
तुलन पत्र	324–325
लाभ एवं हानि लेखा	326–327
अनुसूचियां	328–339
प्रमुख लेखांकन नीतियां	340–354
लेखों के लिए टिप्पणियां	355–413
नकदी प्रवाह विवरण	414–416
समेकित वित्तीय विवरणियां	**418–477**
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	420–428
तुलन पत्र	429–430
लाभ एवं हानि लेखा	431–432
अनुसूचियां	433–441
प्रमुख लेखांकन नीतियां	442–457
लेखों के लिए टिप्पणियां	458–474
नकदी प्रवाह विवरण	475–477



विषय सूची

लेखापरीक्षक

उम्मेद जैन एंड कंपनी

एन. के. भार्गव एंड कंपनी

प्रेम गुप्ता एंड कंपनी

पी ए एंड एसोसिएट्स

निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे नई दिल्ली 110062
दूरभाषः 011-29961281/82/83,
ई–मेलः beetalrta@gmail.com

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

नोटिस



25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

महत्वपूर्ण तिथियां

25 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 20 जून , 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि	शनिवार, 13 जून , 2026
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शनिवार, 13 जून , 2026
बही बंद करने की तिथि	रविवार, 14 जून , 2026 से शनिवार 20 जून, 2026 (दोनों दिन सम्मिलित)
रिमोट ई–वोटिंग की अवधि	बुधवार, 17 जून, 2026 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सायं 05.00 बजे तक
लाभांश भुगतान तिथि	घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (इसके पश्चात"बैंक" के रूप में संदर्भित) के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक **शनिवार, 20 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।

साधारण कार्य

मद संख्या 1: 31 मार्च, 2026 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंक के ₹2/– अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयरों पर ₹3/– की दर से लाभांश घोषित करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 3: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ प्रकट एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेन–देन, प्रतिभूतियों के प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा तथा अन्य ऐसे लेन–देन हेतु महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकते हैं, पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 30 जनवरी 2026 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 (तत्पश्चात "सेबी सूचीबद्धता विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और समय समय पर यथा संशोधित ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, (तत्पश्चात 'लागू कानून के रूप में संदर्भित) बैंक की संबंधित पक्ष लेनदेन नीति के अनुसरण में तथा लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे तत्पश्चात "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिसमें लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल मानी जाएगी) को बैंक के शेयरधारकों से "पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ आगामी 25वीं वार्षिक आम बैठक से लेकर कैलेंडर वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 26वीं वार्षिक आम बैठक तक, सामान्य व्यवसाय के दौरान और निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर, एक ऐसी राशि के लिए जो ₹3,000 करोड़ + ₹40,000 करोड़ से ऊपर बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय के 2.5% या ₹5000 करोड़, जो भी कम हो, की महत्त्वपूर्ण सीमा से अधिक हो, परंतु बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय के अनुसार ₹10,000 करोड़ से अधिक न हो, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट किया गया है, के लिए प्रत्यक्ष प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी के एनसीडी निर्गमों के लिए प्रतिभूति व्यवस्थापक सेवाएँ और साथ ही ऐसे अन्य लेनदेन जिनका प्रकटन संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में किया जा सकता है, हेतु **सर्वसमावेशी अनुमोदन** प्रदान किया जाता है।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस

आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियो) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है।

मद संख्या 4: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पक्ष के महत्वपूर्ण लेन–देन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

श्संकल्प किया जाता है कि "संकल्प किया जाता है कि सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 30 जनवरी, 2026 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 (इसके पश्चात ''सेबी सूचीबद्धता विनियम'' के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और समय समय पर यथा संशोधित ऐसे अन्य लागू विधिक प्रावधानों, यदि कोई हो, (इसके पश्चात श्लागू कानून के रूप में संदर्भित) बैंक की संबंधित पक्ष लेन–देन नीति के अनुसरण में तथा लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ आगामी 25वीं वार्षिक आम बैठक से लेकर कैलेंडर वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 26वीं वार्षिक आम बैठक तक, व्यावसायिक गतिविधियों के क्रम में तथा स्वतंत्र व्यावसायिक आधार पर ऋण एवं अग्रिम, यथा सावधि ऋण, ऋण सीमा, ओवरड्राफ्ट आदि प्रदान करने संबंधी संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन–देन (चाहे वे व्यक्तिगत लेनदेन हों अथवा एक साथ लेन–देन अथवा लेनदेन की श्रृंखला के रूप में किए गए हों) में प्रवेश करने, उन्हें निष्पादित करने अथवाध्या जारी रखने हेतु, ₹ 3,000 करोड़ की भौतिकता सीमा से अधिक राशि के लिए ₹ 40,000 करोड़ से ऊपर बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 2.5% या ₹5000 करोड़, जो भी कम हो, बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय के अनुसार ₹7,100 करोड़ से अधिक न हो, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट किया गया है, बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात ष्बोर्डष् के रूप में संदर्भित, जो इस संकल्प के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति को शामिल करने के लिए माना जाएगा) एतदद्वारा **सर्वसम्मति से अनुमोदन** प्रदान किया जाता है।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

" **आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड** एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है।

मद संख्या 5: भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री डी आनंदन की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है** कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के परंतुक यथासंशोधित के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 6/2(**iii**)/2022–बीओ.आई दिनांक 24 जुलाई , 2025 के माध्यम से श्री डी आनंदन को बैंक के बैंक के भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि 24.07.2025 से अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतदद्वारा **अनुमोदित** किया जाता है।"

मद संख्या 6: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम के कार्यकाल विस्तार पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(**vi**)/2024–बीओ.आई दिनांक 15 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री एम. परमशिवम का बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल विस्तार, जो उनकी अधिसूचित अवधि की समाप्ति अर्थात 30 नवंबर, 2025 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा **अनुमोदित** की जाती है।"

मद संख्या 7 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अमित श्रीवास्तव की नियुक्ति पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(**i**)/2024–बीओ.आई दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से श्री अमित श्रीवास्तव की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष अर्थात 23 नवंबर, 2028 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2026

(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6517

टिप्पणियाँ :

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मई, 2020 और मई, 2022, दिसंबर, 2022, सितंबर 2023 तथा सितंबर 2024 में जारी अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर, 2025 के परिपत्र के माध्यम से कंपनियों/सूचीबद्ध संस्थाओं को एमसीए परिपत्र(त्रों) में प्रदत्त संरचना के अनुसार अगले आदेश तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठके) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 25वीं एजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई वोटिंग की सुविधा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जो शेयरधारकों के लिए 20 जून, 2026 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बैंक / एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली वीसी/ओएवीएम सुविधा, 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या अधिक शेयर रखने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में यथानिर्धारित मद सं. 3 से 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार शेयरधारक, अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, के विनियम 44(4) यथा संशोधित, के अनुसरण में, प्रॉक्सी फॉर्म भेजने की आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित होने वाली आम बैठकों पर लागू नहीं होगी। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए साधन एवं उपस्थिति पर्ची नोटिस के साथ संलग्न नहीं की जा रही है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवं/या ई–वोटिंग के माध्यम से किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले अर्थात मंगलवार, 16 जून, 2026 को कार्यदिवस समाप्ति से पूर्व अर्थात् सायं 5.00 बजे को या उससे पूर्व शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पश्चिमी विंग, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 4. सेक्टर 10. द्वारका, नई दिल्ली 110075 को जमा कर दी जाए या एक प्रति evoting@nsdl-com और hosd@pnb-bank-in को प्रेषित करते हुए **mail@csraginichokshi-com** पर ई–मेल द्वारा भेजी न गई हो।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. लाभांश का भुगतानः

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹3/– के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा 25 वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रदर्शित है:

क. लाभकारी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल / सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शुक्रवार, 1 3 जून, 2026 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं / या

ख. शनिवार, 13 जून, 2026 तक शेयरधारकों के रजिस्टर में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और मृत शेयरधारकों के विधिक वारिसो से प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

अंतिम लाभांश की पात्रता के लिए रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 13 जून, 2026 होगी।

लाभांश का भुगतान, इसकी घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अत, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें:

(i) उन डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट, जिसके साथ उनके डीमैट खाते है, यदि शेयर डीमैटरिलाइज्ड मोड में हैं. डीमैटरिलाइज्ड पार्टीसिपेट्स द्वारा अपेक्षित प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा करके, एवं

(ii) बैंक/बैंक के एसटीए के पास विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म – आईएसआर–1, आईएसआर–2, आईएसआर–3/एसएच–13 के साथ–साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, फोटो आईडी, पते के प्रमाण, रद्द चेक लीफ भेजकर, यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हो।

"सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसरण में, लाभांश का भुगतान केवल उन्हीं शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिनके बैंक खाते का विवरण अपडेट हैं।

भौतिक शेयरों के संबंध लाभांश के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारीः

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/38/13 (4) 2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/4298/2026 दिनांक 06 फरवरी, 2026 के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ, आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र के पैरा 20.1 में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उसी के क्रम में, पैरा 20.2 में पैन और केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

20.2. पैन और केवाईसी विवरण रहित फोलियाः वे प्रतिभूति धारक (कों) जिनके फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे:"

क. आरटीए से कोई भी शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए पैन और केवाईसी विवरण देना अनिवार्य है।

ख. ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और मास्टर परिपत्र के पैरा 20.1 में बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, तो आपको वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत निर्धारित फॉर्म होगा। (बैंक की वेबसाइट: www.pnb.bank.in पर लिंक https://pnb.bank.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html, के अंतर्गत उपलब्ध है, में बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करना है। यदि अभी तक नहीं किया गया है, ताकि आप निर्बाध सेवा अनुरोधों के साथ–साथ बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट का लाभ उठा सकें, भौतिक वारंट जारी करके किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए, आप अपनी भौतिक होल्डिंग को डीमटेरियलाइज भी कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठाया जा सके।"

स्रोत पर कर कटौती:

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। अतः बैंक में शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर, स्त्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती, जहां भी लागू हो, करनी होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक का संदर्भ ले सकते हैं।

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहां तक मतदान का संबंध है. उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान

I. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम में लेन–देन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेंगे। **ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शनिवार, 13 जून, 2026 है।**

II. **एजीएम के दौरान ई–वोटिंग :**

वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे किन्तु रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प (पों) पर अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु वे पुनः वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

III. **रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश:**

क) रिमोट ई–वोटिंग अवधि बुधवार, 17 जून 2026 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी एवं शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सायं 05.00 (आईएसटी) बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शनिवार, 13 जून, 2026 की कट ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

ख) रिमोट ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में 'दो चरण शामिल हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली में एक्सेस

क) **ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना।**

सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी / सीआईआर /पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के निबंधनों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों /डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी को अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का डीपी आईडी, 8 अंकों का क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई–मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा आईडीईएएस (**IDeAS**) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर 'लॉगिन' के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकन पर क्लिक करें जो **'IDeAS'** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वेल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **'Accessto e-Voting'** पर क्लिक करें एवं आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं मीटिंग के दौरान मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप IDeAS ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"Register Online for IDeAS Portal"** पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	4 एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले। ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल** के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे दिये गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"NSDL Speede"** भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं एवं लॉगिन आइकन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	2. सफल लॉगिन के बाद, Easi/ Easiest उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग प्रगति पर है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi / Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www-cdslindia.com पर उपलब्ध है एवं लॉगिन एवं छमू लेजमउ डलमेंप टैब पर क्लिक करें एवं फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या एवं पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज www.cdslindia.com का उपयोग कर सकता है। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई वोटिंग प्रगति पर है एवं सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा।
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉग इन करने पर, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोटः जो शेयरधारक यूजर आईडी / पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग–इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–21–09911 पर संपर्क कर सकते हैं

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग–इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से टाइप करके वेब ब्राउजर पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com खोलें।

2. ई–वोटिंग प्रणाली का मुख्य पेज खुलने के बाद, 'लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी. आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड / ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत है, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices-nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग–इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी हैः
क) शेयरधारकों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** होगा।
ख)सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा।
ग)भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार हैः

क. यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते है।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त

कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग. अपना 'प्रारम्भिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें ?

(i) यदि आपकी ई–मेल आई–डी आपके डीमैट खाते में या बैंक के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारम्भिक पासवर्ड' आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न अर्थात पीडीएफ़ फाइल खोलें। पीडीएफ़ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका प्रारम्भिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं , तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ई–मेल आईडी **पंजीकृत नहीं है** के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या "प्रारम्भिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं हुआ है या भूल गए हैं :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details@Password?" विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)

ख) Physical User Reset Password?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) अगर आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन , अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) शेयरधारक एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम एवं शर्तें" से सहमत पर टिक करें ।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा

9. लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा

चरण 2: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रोनिक रूप से भाग लेने और अपना वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आप शेयरधारक हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक 'सक्रिय' स्थिति में है।

2. पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वस्तुतः एजीएम में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि ई–वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्पो का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और 'सबमिट' पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. **एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।**

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रूटिनाइज़र को ई–मेल द्वारा mail@csraginichokshi.com पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई–वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।

2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details@Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।

3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबरः 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबन्धक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. तृतीय तल, नमन चेम्बर, प्लॉट सी–32 ,जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400051 को निर्दिष्ट ईमेल पते evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई–वोटिंग हेतु ई–मेल आईडी के पंजीकरण की पंजीकरण प्रक्रिया;

I. यदि शेयर भौतिक मोड में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की गई प्रति), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति ई–मेल द्वारा बैंक के आरटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें।

II. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को beetalrta@gmail.com ई–मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे **चरण 1 (क)** अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने और **ई–वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है**।

III. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl-com को अनुरोध कर सकते हैं।

IV. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

I. एजीएम के दिन ई वोटिंग की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।

II. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प(पों) पर अपना वोट नहीं डाले और ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

III. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

IV. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई–वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

I. शेयरधारक एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक **एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के एक्सेस** के लिए उपर्युक्त उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "मीटिंग में शामिल हों" मेन्यू में दिए गए "वीसी/ओएवीएम लिंक का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "**Join Meeting**" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी /ओएवीएम के लिए लिंक 'शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय पर भागदौड से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

II. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।

III. इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों के पास अच्छी गति के साथ इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।

IV. स्पीकर पंजीकरण

जो शेयरधारत वार्षिक आम बैठक के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध मे अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें स्वयं को 'स्पीकर' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना होगा। इसके लिए, कट–ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को इस निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध फॉर्म भरना होगा: https://vcnow.live/portal/event/pnb-speaker-registration

पंजीकरण खिड़की प्रक्रिया बुधवार, 10 जून, 2026 को प्रातः 10:00 बजे (आईएसटी) से सोमवार, 15 जून, 2026 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) तक खुली रहेगी, और इसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

केवल उन्हीं शेयरधारकों को स्पीकर के रूप में अधिकृत माना जाएगा, जिन्होने उपर्युक्त फॉर्म भरकर पंजीकरण कराया है।

कृपया ध्यान दें कि किसी अन्य माध्यम या फ़ॉर्म (ईमेल या पत्र संचार सहित) में स्पीकर पंजीकरण के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

V. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पूर्व प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण

जो शेयरधारक वार्षिक खातों/वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं या एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यों के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न ईमेल/पत्र के माध्यम से बैंक/आरटीए को भेजें। इन प्रश्नों का उतर बैठक के दौरान दिया जाएग या एजीएम के बाद बैकं द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

VI. संस्थागत निवेशकों से, जो बैंक के शेयरधारक हैं, अनुरोध किया जाता है कि वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहें।

8. संवीक्षक

बैंक द्वारा मेसर्स रागिनी चोक्शी एंड कंपनी (कंपनी सचिव) को, ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को कुल मतदान पर अपनी समेकित रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके पश्चात, बैंक परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर डालकर तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेंगे।

9. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि अपनी देय तिथि से 7 वर्षों तक अदत्त/अदावाकृत रहती है, तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B के अनुसार 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' (आईईपीएफ़) में अंतरित करना होगा। वित्त वर्ष 2015–16 तक की लाभांश की अदत्त/अदावाकृत राशि पहले ही आईईपीएफ़ में अंतरित की जा चुकी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 एवं निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा–परीक्षा, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 ("नियम") के संशोधित प्रावधानों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी में दिनांक 1 अगस्त 2025 से किए गए संशोधनों के अनुसरण में यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे समस्त शेयर–चाहे वे भौतिक रूप में धारित हों अथवा डिमेटरलाइज्ड रूप में–जिन पर सात लगातार वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक देय लाभांश का न तो भुगतान किया गया हो और न ही दावा किया गया हो, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

बैंक द्वारा उन चिन्हित शेयरधारकों को, जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए जाने हेतु देय थे, दिनांक 13 नंवबर 2025 को पत्र जारी किया गया। इसके उपरांत, दिनांक 14 नंवबर 2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। शेयरों के प्रस्तावित अंतरण संबंधी सूचना दिनांक 17 नंवबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित की गई।

इसके अतिरिक्त, समाचार–पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं का विवरण, शेयरों की संख्या एवं फोलियो नंबर सहित, सार्वजनिक संदर्भ हेतु बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया।

उक्त संशोधन के अनुसरण में, शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने संबंधी कॉर्पोरेट कार्रवाई दिनांक 19.03.2026 को पूर्ण हो गई।

जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ को अंतरित किए गए हैं उनकी सूची तथा बैंक के पास अदत्त/अदावाकृत लाभांश का वर्षवार विवरण बैंक की वेबसाइट https://pnb.bank.in/dividends.html पर उपलब्ध है।

जिन शेयरधारकों को वित्त वर्ष 22, 23, 24 एवं 25 के लिए, न तो लाभांश(शों) प्राप्त है/न ही दावा किया गया है, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र उक्त लाभांश का दावा प्रस्तुत करें। ताकि अदावाकृत लाभांश एवं शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किए जाने से बचा जा सके।

10. अन्य सूचना

क) एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और इससे पूर्ववर्ती परिपत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस शामिल है और जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और शैली आदि की जानकारी केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप और माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल आईडी बैंक के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

ख) शेयरधारक यह भी नोट करें कि वित्त वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर की वेबसाइट क्रमशः www.bseindiacom और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

ग) बैंक द्वारा अपनाई गई 'हरित पहल' के अनुरूप, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी बैंक के आरटीए के पास और डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवाएं।

घ) नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, शेयरधारक भौतिक शेयरों के लिए बैंक के आरटीए और डीमैटरियलाइज्ड शेयरों के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इन्हें अद्यतन करवा सकते हैं।

ड़) ऐसे शेयरधारक जिनके पास एक ही नाम से या समान क्रम में संयुक्त नामों से कई फोलियो में भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें एक एकल फोलियो में समेकित करने के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्र आरटीए को भेजें।

च) **भौतिक धारिता का डीमैटरियलाइजेशनः** यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, पारेषण और पक्षांतरण के सभी अनुरोधों पर केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में ही कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार, डीमैटरियलाइजेशन की विशेषताओं का लाभ उठाने और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक शेयरों को डीमैटरियलाइज (डीमैट) करवा लें। इस संबंध में सहायता के लिए शेयरधारक बैंक के शेयर विभाग या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

छ) शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात www.pnb.bank.in पर ''निवेशक जानकारी' (इन्वेस्टर इंफो) के अंतर्गत उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

- **मद संख्या 3:**

  सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए शेयरधारकों के साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे लेन–देन निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए हों। किसी संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन को तब 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा, यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए गए या पिछले लेन–देन के साथ मिलाकर किए गए लेन–देन निम्नलिखित सीमा से अधिक हो जाते हैं:

बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय	सीमा
(I) ₹20,000 करोड़ तक	बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 10%
(II) ₹20,000 करोड़ से अधिक व ₹40,000 करोड़ तक	₹2,000 करोड़ + ₹20,000 करोड़ से अधिक बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 5%
(III) ₹40,000 करोड़ से अधिक	₹3,000 करोड़ + ₹40,000 करोड़ से अधिक बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 2.5% या ₹5000 करोड़, जो भी कम हो।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, निम्नलिखित प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देनों के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है:–

विवरण	लेन देन के विवरण
संबंधित पक्ष का मूल विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम	मेसर्स पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
संबंधित पक्ष के निगमन का देश	भारत
संबंधित पक्ष के कारोबार की प्रकृति	एनबीएफ़सी (एनडीएसआई) – सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड आदि का प्राथमिक डीलर।
संबंधित पक्ष से संबंध और स्वामित्व	
बैंक और संबंधित पक्ष के बीच संबंध – जिसमें उनके हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्य) और निम्नलिखित शामिल हैं:	संबंध – सहायक हित की प्रकृति वित्तीय है, जिसमें बैंक प्रवर्तक के रूप में इक्विटी रखता है।
• संबंधित पक्ष में बैंक की शेयरधारिता।	दिनांक 31.03.2026 तक 74.07%
• जहाँ संबंधित पक्ष कोई साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व वाली संस्था या बिना शेयर पूंजी वाली कोई कॉर्पोरेट संस्था है, वहाँ बैंक द्वारा किया गया पूंजी योगदान (यदि कोई हो)।	लागू नहीं, क्योंकि संबंधित पक्ष एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
• बैंक में संबंधित पक्ष की शेयरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।	लागू नहीं
संबंधित पक्ष के साथ पिछले लेन–देन का विवरण	
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ बैंक द्वारा किए गए सभी लेन–देन की कुल राशि।	क्र.सं. / लेन–देन की प्रकृति / वित्तीय वर्ष 2025–2026 (₹ करोड़) 1. पीएनबी गिल्ट्स से प्रतिभूति खरीदी गई – 4,406.92 2. पीएनबी गिल्ट्स को प्रतिभूति बेची गई – 834.70
बैंक द्वारा संबंधित पक्ष के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में, उस तिमाही से ठीक पहले वाली तिमाही तक किए गए सभी लेन–देनों की कुल राशि, जिस तिमाही में अनुमोदन मांगा गया है।	क्र.सं. / लेन–देन की प्रकृति / वित्तीय वर्ष 2025–2026 (₹ करोड़) 1. पीएनबी गिल्ट्स से प्रतिभूति खरीदी गई – 4,406.92 2. पीएनबी गिल्ट्स को प्रतिभूति बेची गई – 834.70 *पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025–26 तक अद्यतन किया गया।*
किसी संबंधित पक्ष द्वारा, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए किसी लेन–देन या व्यवस्था के अंतर्गत अपने द्वारा ली गई किसी भी बाध्यता के संबंध में, की गई चूक, यदि कोई हो।	लागू नहीं.
प्रस्तावित लेन–देन की राशि	
शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावित लेन–देन की राशि।	₹ 10,000 करोड़

विवरण	लेन देन के विवरण
क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन–देन को प्रस्तावित लेन–देन के साथ मिलाकर देखने पर, प्रस्तावित लेन–देन एक महत्वपूर्ण आरपीटी बन जाएगा?	हाँ
प्रस्तावित लेन–देनों का मूल्य, तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक समेकित आय के प्रतिशत के रूप में।	6.69% बैंक का वार्षिक टर्नओवर (दिनांक 31.03.2026 तक समेकित): ₹1,49,463.30 करोड़।
प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य, सहायक कंपनी के तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (ऐसे लेन–देन के मामले में जिसमें सहायक कंपनी शामिल हो और जहाँ बैंक उस लेन–देन का पक्षकार न हो)	लागू नहीं.
प्रस्तावित लेन–देनों का मूल्य, संबंधित पक्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में	1.01%

विवरण	लेन देन के विवरण
संबंधित पक्ष का तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष का वित्तीय निष्पादन।	**विवरण** / **वित्तीय वर्ष 2025–2026 (₹करोड़)** टर्नओवर: 9,90,632.17 कर के बाद लाभ: 181.61 निवल मूल्य: 1696.44
प्रस्तावित लेन–देन का मूल विवरण	
विशिष्ट प्रकार का प्रस्तावित लेन–देन	प्रस्तावित लेन–देन में प्रत्यक्ष प्रतिभूति लेन–देन (बिक्री / खरीद) शामिल हैं।
प्रत्येक प्रकार के प्रस्तावित लेन–देन का विवरण	प्रत्यक्ष प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) लेन–देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी के एनसीडी निर्गमों के लिए प्रतिभूति व्यवस्थापक सेवाएँ और साथ ही ऐसे अन्य लेन–देन जिनका प्रकटन संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में किया जा सकता है।
प्रस्तावित लेन–देन की अवधि (अवधि वर्षों या महीनों की संख्या में निर्दिष्ट किया जाए)	25वीं एजीएम की तिथि से लेकर अगली एजीएम की तिथि तक, पंद्रह माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है?	हाँ
एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य। यदि प्रस्तावित लेन–देन एक से अधिक वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष–वार अनुमानित विवरण प्रदान करें।	₹ 10000.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित लेन–देन 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से अगली एजीएम तक, अधिकतम पंद्रह माह की अवधि के लिए किए जाएंगे। वर्ष–वार मात्रा (वॉल्यूम) का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये लेन–देन अवसर आधारित हैं और इनमें प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री शामिल है, जो वर्तमान बाजार स्थितियों पर निर्भर करती है।

विवरण	लेन देन के विवरण
स्पष्टीकरण दें कि क्यों प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन–देन सूचीबद्ध संस्था के हित में हैं।	बैंक अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान, बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर ट्रेडिंग / निवेश पोर्टफोलियो से लाभ को अनुकूलित करने के लिए प्रतिभूतियों (भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट्स आदि द्वारा जारी) की खरीद / बिक्री में लगा हुआ है और इसलिए यह लेन–देन बैंक के हित में है। इसके अतिरिक्त, पीएनबी गिल्ट्स ऋण बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है और एक प्राथमिक डीलर है। किए जाने वाले लेन–देन बाजार आधारित होंगे, ताकि पीएनबी बाजार के किसी अवसर को न चूके। साथ ही, ये लेन–देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हैं और निर्धारित मानदंडों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं, अतः ये बैंक के हित में हैं।
बैंक के उन प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस लेन–देन में हित निहित है।	शून्य
निदेशक / केएमपी का नाम	लागू नहीं
संबंधित पक्ष में निदेशक / केएमपी की शेयरधारिता, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष	लागू नहीं
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।	लागू नहीं

विवरण	लेन देन के विवरण
सपष्टीकरण दें कि प्रस्तावित लेन–देन सूचीबद्ध संस्था के हित में क्यों है, मूल्य निर्धारण का आधार, और आरपीटी के अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तें।	बैंक अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान, बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर ट्रेडिंग / निवेश पोर्टफोलियो से लाभ को अनुकूलित करने के लिए प्रतिभूतियों (भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट्स आदि द्वारा जारी) की खरीद / बिक्री करता है और इसलिए यह लेन–देन बैंक के हित में है। इसके अतिरिक्त, पीएनबी गिल्ट्स ऋण बाजार के प्रमुख संस्थानों में से एक है और एक प्राथमिक डीलर है। ये लेन–देन बाजार दरों पर किए जाएंगे, ताकि पीएनबी बाजार के किसी भी अवसर को न चूके। ये लेन–देन बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान, बाजार की प्रचलित दरों पर और निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। इन्हें बैंक की नीति और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादित किया जाएगा, और अन्य सभी महत्वपूर्ण शर्तें भी बैंक की नीति द्वारा शासित होंगी।

एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य ₹5000 करोड़ से अधिक होने वाला है (अर्थात 'महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन' की सीमा से ऊपर)। ये लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान निष्पादित किए जाएंगे।

बैंक और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में अपने शेयरधारिता / निदेशक पद (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके परिजन उपर्युक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने मुख्य वित्तीय अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है, जो इसकी पुष्टि करता है कि प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन–देन की शर्तें बैंक के हित में हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपर्युक्त महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन को अनुमोदित कर दिया है।

बोर्ड ने यह भी अनुशंसा की है कि मद संख्या 3 में प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए एजीएम में एक 'साधारण संकल्प' के रूप में प्रस्तुत किया जाए ।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष नोटिस की मद संख्या 3 के लिए साधारण संकल्प को अनुमोदित करने हेतु मतदान नहीं करेगा।

- **मद संख्या 4:**

  सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए शेयरधारकों के साधारण संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, भले ही वे लेन–देन निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए हों। किसी संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन को तब 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा, यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए गए या पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर किए गए लेन–देन निम्नलिखित सीमा से अधिक हो जाते हैं:

बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय	सीमा
(I) ₹20,000 करोड़ तक	बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 10%
(II) ₹20,000 करोड़ से अधिक व ₹40,000 करोड़ तक	₹2000 करोड़ + ₹20000 करोड़ से अधिक बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 5%
(III) ₹40,000 करोड़ से अधिक	₹3000 करोड़ + ₹40000 करोड़ से अधिक बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का 2.5% या ₹5000 करोड़ जो भी कम हो।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, निम्नलिखित प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगी जाती है:

विवरण	लेन–देन के विवरण
संबंधित पक्ष का मूल विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम	मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
संबंधित पक्ष के निगमन का देश	भारत
संबंधित पक्ष के कारोबार की प्रकृति	एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (जमा संग्रहक)
संबंधित पक्ष से संबंध और स्वामित्व	
बैंक और संबंधित पक्ष के बीच संबंध – जिसमें उनके हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्य) और निम्नलिखित शामिल हैं:	संबंध – सहयोगी हित की प्रकृति वित्तीय है, जिसमें बैंक प्रवर्तक के रूप में इक्विटी रखता है।
• संबंधित पक्ष में बैंक की शेयरधारिता।	दिनांक 31.03.2026 तक 28.04%
• जहाँ संबंधित पक्ष कोई साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व वाली संस्था या बिना शेयर पूंजी वाली कोई कॉर्पोरेट संस्था है, वहाँ बैंक द्वारा किया गया पूंजी योगदान (यदि कोई हो)।	लागू नहीं, क्योंकि संबंधित पक्ष एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
• बैंक में संबंधित पक्ष की शेयरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।	लागू नहीं

विवरण	लेन–देन के विवरण
संबंधित पक्ष के साथ पिछले लेन–देन का विवरण	
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ बैंक द्वारा किए गए सभी लेन–देन की कुल राशि।	क्र.सं. / लेन–देन की प्रकृति / वित्तीय वर्ष 2025–26 (₹ करोड़) 1. ओडी / डबल्यूसीडीएल / एफ़सीएल का नवीकरण' — 2,000.00 2. सावधि ऋण (नवीन) — 1,000.00 कुल — 3,000.00 **ओवरड्राफ्ट / कार्यशील पूंजीगत मांग ऋण / फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन*
बैंक द्वारा संबंधित पक्ष के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में, उस तिमाही से तात्कालिक पूर्व वाली तिमाही तक किए गए सभी लेन–देनों की कुल राशि, जिस तिमाही में अनुमोदन मांगा गया है।	क्र.सं. / लेन–देन की प्रकृति / वित्तीय वर्ष 2025–26 (₹ करोड़ 31.03 2026 तक 1. ओडी / डबल्यूसीडीएल / एफ़सीएल का नवीकरण* — 2,000.00 2. सावधि ऋण (नवीन) — 1,000.00 **ओवरड्राफ्ट / कार्यशील पूंजीगत मांग ऋण / फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन*
किसी संबंधित पक्ष द्वारा, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए किसी लेन–देन या व्यवस्था के अंतर्गत अपने द्वारा ली गई किसी भी बाध्यता के संबंध में, की गई चूक, यदि कोई हो।	शून्य
प्रस्तावित लेन–देन की राशि	

विवरण	लेन–देन के विवरण
शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावित लेन–देनों की राशि।	₹7,100 करोड़
क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन–देन को प्रस्तावित लेन–देन के साथ मिलाकर देखने पर, प्रस्तावित लेन–देन एक महत्वपूर्ण आरपीटी बन जाएगा?	हाँ
प्रस्तावित लेन–देनों का मूल्य, तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक समेकित आय के प्रतिशत के रूप में।	4.75% बैंक का वार्षिक टर्नओवर (31.03.2026 तक समेकित): ₹1,49,463.30 करोड़।
प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य, सहायक कंपनी के तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (ऐसे लेन–देन के मामले में जिसमें सहायक कंपनी शामिल हो और जहाँ बैंक उस लेन–देन का पक्षकार न हो)	लागू नहीं

विवरण	लेन–देन के विवरण
प्रस्तावित लेन–देनों का मूल्य, संबंधित पक्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में	83.48%
संबंधित पक्ष का तात्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष का वित्तीय निष्पादन।	**विवरण** / **वित्तीय वर्ष 2025–26 (₹ करोड़)** टर्नओवर: 8505.04 कर के बाद लाभ: 2291.24 निवल मूल्य: 19219.13
प्रस्तावित लेन–देन का मूल विवरण	
विशिष्ट प्रकार का प्रस्तावित लेन–देन	एचएफ़सी को उसके सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के भाग के रूप में स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट, कार्यशील पूंजीगत मांग ऋण और फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रत्येक प्रकार के प्रस्तावित लेन–देन का विवरण	इसके अतिरिक्त, एनएचबी और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आगे ऋण देने के लिए पीएनबी द्वारा सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।
प्रस्तावित लेन–देन की अवधि (अवधि वर्षों या महीनों की संख्या में निर्दिष्ट किया जाए)	प्रस्तावित लेन–देन 25वीं एजीएम की तिथि से अगली एजीएम तक, अधिकतम पंद्रह महीनों की अवधि के लिए किए जाएंगे। प्रस्तावित लेन–देन की अवधि स्वीकृत शर्तों के अनुसार और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की आवश्यकता के अनुसार होगी।
क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है?	हाँ

विवरण	लेन–देन के विवरण
एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य। यदि प्रस्तावित लेन–देन एक से अधिक वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष–वार अनुमानित विवरण प्रदान करें।	₹7,100 तक की राशि क्रेडिट सुविधाओं की अवधि एचएफ़सी को दी गई स्वीकृति की शर्तों के अनुसार होगी।
स्पष्टीकरण दें कि क्यों प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन–देन सूचीबद्ध संस्था के हित में हैं।	एनबीएफसी–एचएफसी (जैसे पीएनबीएचएफ़एल) को आगे ऋण देने के लिए दिया गया अग्रिम, एनएचबी / आरबीआई के मानदंडों के अनुसार है। ये लेन–देन बैंक के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हैं और निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं, इसलिए ये बैंक के हित में हैं।
बैंक के उन प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस लेन–देन में हित निहित है।	शून्य
निदेशक / केएमपी का नाम	लागू नहीं
संबंधित पक्ष में निदेशक / केएमपी की शेयरधारिता, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष	लागू नहीं

विवरण	लेन–देन के विवरण
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।	लागू नहीं
सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष से वसूले जाने वाली प्रस्तावित ब्याज दर।	ब्याज दरें प्रचलित बाज़ार दर पर आधारित होंगी या किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी।
परिपक्वता / देय तिथि भुगतान अनुसूची और शर्तें	भुगतान अनुसूची और परिपक्वता/देय तिथि, उधारकर्ताओं के साथ तय की गई शर्तों के अनुसार होगी।
क्या सुरक्षित या असुरक्षित? यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति और सुरक्षा कवरेज अनुपात	"लागू शर्तें, जिनमें नियम, ऋण का सुरक्षित या असुरक्षित होना, सुरक्षा का प्रकार आदि शामिल हैं, बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार और बैंक तथा उधारकर्ताओं के बीच आपसी सहमति के अनुसार होंगी। ये लेन–देन बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यापारिक व्यवहार के आधार पर किए जाएंगे।

विवरण	लेन–देन के विवरण
वह उद्देश्य जिसके लिए, इस लेन–देन के अनुसार, इन निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा इन निधियों का उपयोग किया जाएगा।	पीएनबीएचएफ़एल प्रत्यक्ष ऋण के साथ–साथ गृह ऋण सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों को ऋण देकर आवास गतिविधियों के वित्तपोषण में संलग्न है। कंपनी व्यक्तियों (निवासियों के साथ–साथ अनिवासियों) और कॉर्पोरेट निकायों को उनकी आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करती है। पीएनबीएचएफ़एल घरों/फ्लैटों के निर्माण, खरीद, मरम्मत और नवीकरण के लिए रिटेल आवसीय ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा, पीएनबीएचएफ़एल संपत्ति पर ऋण, व्यावसायिक संपत्ति पर ऋण और आवासीय प्लॉट की खरीद के लिए भी ऋण प्रदान करती है। होलसेल सेगमेंट में, पीएनबीएचएफ़एल बिल्डरों और डेवलपर्स को निर्माण वित्त और कॉर्पोरेट्स को लीज़ रेंटल डिस्काउंटिंग और व्यावसायिक सावधि ऋण प्रदान करती है।
संबंधित पक्ष की नवीनतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए: दिनांक 27.11.2025 को दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं और अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) के लिए AA+ (स्थिर)।
संबंधित पक्ष द्वारा बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से लिए गए ऋणों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान की गई चूक, यदि कोई हो, और वर्तमान चूक का मूल्य।	शून्य

विवरण	लेन–देन के विवरण
इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित का उल्लेख करें क) क्या संबंधित पक्ष के खाते को उसके किसी भी बैंकर द्वारा गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और क्या ऐसी स्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है; ख) क्या संबंधित पक्ष को उसके किसी भी बैंकर द्वारा "इरादतन चूककर्ता" घोषित किया गया है और क्या ऐसी स्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है; ग) क्या संबंधित पक्ष दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने या परिसमापन के लिए किसी आवेदन का सामना कर रहा है या इस प्रक्रिया से गुजर रहा है; घ) क्या संबंधित पक्ष (जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – एमएसएमई न हो) दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 29। के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त है।"	

विवरण	लेन–देन के विवरण
स्पष्टीकरण दें कि प्रस्तावित लेन–देन सूचीबद्ध संस्था के हित में क्यों है, मूल्य निर्धारण का आधार, और आरपीटी के अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तें।	एनबीएफ़सी–एचएफ़सी (पीएनबीएचएफ़एल) को आगे ऋण देने के लिए दिया गया अग्रिम एनएचबी/आरबीआई के मानदंडों के अनुसार अनुमत है। ये लेन–देन बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हैं और निर्धारित मानदंडों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं, इसलिए ये बैंक के हित में हैं। मूल्य निर्धारण का आधार बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यापारिक व्यवहार के आधार पर होगा। प्रस्तावित लेन–देन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य ₹5000 करोड़ से अधिक होने वाला है (अर्थात 'महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन' की सीमा से ऊपर)। ये लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान निष्पादित किए जाएंगे।

बैंक और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में अपने शेयरधारिता/निदेशक पद (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके परिजन उपर्युक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने मुख्य वित्तीय अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है, जो इसकी पुष्टि करता है कि प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन–देन की शर्तें बैंक के हित में हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपर्युक्त महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन को अपनी स्वीकृति दे दी है।

बोर्ड ने यह भी अनुशंसा की है कि मद संख्या 4 में प्रस्तावित महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए एजीएम में एक 'साधारण संकल्प' के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 5:**

  भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ़. सं. 6/2(iii)/2022–बीओ.आई. दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से श्री डी. आनंदन, आईएएस को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत , श्री पंकज शर्मा (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग) के स्थान पर 24 जुलाई, 2025 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

  सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

  अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर भारत सरकार नामित निदेशक के रूप में श्री डी. आनंदन को बैंक में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

  श्री डी. आनंदन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

  श्री डी. आनंदन को पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में दिनांक 24 जुलाई 2025 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

  श्री डी. आनंदन सिक्किम कैडर के वर्ष 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

  इस कार्यभार से पहले, श्री डी. आनंदन सिक्किम सरकार में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आदि विभागों के प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी सेवारत रहे। वे तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संयुक्त विकास आयुक्त और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत भारतीय रबर बोर्ड के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। उन्हें नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, दोनों में व्यापक अनुभव है।

  श्री डी. आनंदन एक सुशिक्षित लागत एवं प्रबंधन लेखाकार हैं तथा वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर भी हैं।

  सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

  क. श्री डी. आनंदन को वित्त और लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता और सक्षमता प्राप्त है।

  ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक–संबंध नहीं है

  ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य

  घ. श्री आनंदन पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक नहीं रहे हैं, उनके नामः शून्य

  ड. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिताः शून्य

  श्री डी. आनंदन की नियुक्ति का पारिश्रमिक एवं अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

  श्री डी. आनंदन के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

  बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

- **मद संख्या 6:**

  भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ़. सं. 4/6/2021–बीओ.आई. दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से श्री एम. परमशिवम को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत, 01 दिसंबर, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी

पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ़.सं. 4/4(vi)/2024– बीओ.आई. दिनांक 15 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री एम. परमशिवम के कार्यकाल को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, उनके अधिसूचित कार्यकाल की समाप्ति अर्थात 30 नवंबर, 2025 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति/विस्तार को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम के कार्यकाल विस्तार के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

श्री एम. परमशिवम का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री परमशिवम, एक कृषि स्नातक, ने केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में वर्ष 1990 में अपनी यात्रा शुरू की और बैंक में नेतृत्व भूमिकाओं सहित विभिन्न पदों पर 32 वर्षों तक सेवा दी है।

शाखा बैंकिंग, ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विदेशी मुद्रा और व्यापार वित्त, अनुपालन आदि के विविध कार्यक्षेत्रों में आपका अनुभव और योगदान व्यापक रहा है। प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक में प्राथमिकता प्राप्त ऋण विंग में विंग प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, नाबार्ड और कर्नाटक राज्य सरकार के समन्वयन में फ्रूट्स (FRUITS) पोर्टल शुरू किया गया था । ईज–3 मानदंडों के अनुसार पाँच कृषि ऋण केंद्रों की शुरुआत में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री एम. परमशिवम ने बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता की है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

क. श्री एम. परमशिवम को बैंकिंग और कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञता और योग्यता प्राप्त है।

ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक–संबंध नहीं है

ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य

घ. श्री एम. परमशिवम पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक नहीं रहे हैं, उनके नाम : शून्य

ड. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिताः 25 शेयर

श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति का पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री एम. परमशिवम को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके परिजनों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनके कार्यकाल विस्तारण के प्रस्ताव को शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

- **मद संख्या 7:**

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ संख्या. 4/4(i)/2024–बीओ.आई दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 24 नवंबर, 2025 से प्रभावी रूप से तीन वर्ष की अवधि अर्थात 23 नवंबर, 2028 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्तिधविस्तार को बैंक के शेयरधारकों की अगली आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अमित कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति की जाती है।

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

श्री श्रीवास्तव ने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत मार्च 1994 में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक अधिकारी के रूप में की थी और बैंक के विभिन्न वर्टिकल में अपनी सेवाएं दीं। पीएनबी के साथ ओबीसी के विलय के पश्चात, आपने कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पहले समूह मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभालने तक विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में कार्य करना जारी रखा। आपके पास 31 से अधिक वर्षों का समृद्ध और बहुआयामी बैंकिंग अनुभव है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में आपने विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है तथा आईसीएफएआई से ट्रेजरी एवं फॉरेक्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन्होने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता अर्जित की है, जिसमें जीएआरपी (यूएसए) से सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क (एससीआर) सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर तथा रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

क. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के पास बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता और योग्यता है।

ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य

घ. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव जिनमें पिछले तीन वर्षों में निदेशक रहे उन सूचीबद्ध इकाई के नामः शून्य

ड. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिताः 4400 शेयर

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति के पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त , बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार को किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने अनुशंसा की है कि उनके नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2026

(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F6517

अनुलग्नक

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती के निर्देश

बैंक को 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 ('अधिनियम 2025') के अनुसार अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर कर की कटौती करना आवश्यक है। कर की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुत एवं बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

क. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए, निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% की दर से लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

   अधिनियम 2025 की धारा 262 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है, उसके लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने की स्थिति में, आवंटित पैन को अमान्य/निष्क्रिय माना जाएगा और अधिनियम 2025 की धारा 397(2) के प्रावधानों के अनुसार 20% की दर से कर काटा जाएगा। बैंक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई कार्यक्षमता का उपयोग करेगा।

   देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक भी पूरी होती है:

   - एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश प्रति वर्ष ₹10,000 से अधिक नहीं है अथवा
   - शेयरधारक ने विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म संख्या 121 में घोषणा प्रदान की है (जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति भी शामिल हैं), जो कुछ शर्तों को पूरा करती है।

2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/निम्न दर के लिए पात्र होंगे:

क्र.सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़
क.	बीमा कंपनी	शून्य	• यह घोषणा कि वह अधिनियम 2025 की धारा 393(4) (तालिका: क्रम संख्या 10) के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है। • आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
ख.	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10(23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	• यह स्व–घोषणा कि वे अधिनियम 2025 की धारा 11 की अनुसूची VII (तालिका: क्रम संख्या 20 या 21) में निर्दिष्ट हैं। • प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि। • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।
ग.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत श्रेणी – I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	स्व–घोषणा कि उनकी आय अधिनियम 2025 की धारा 11 की अनुसूची V (तालिका: क्रम संख्या 1) के अंतर्गत कर–मुक्त है और वे सेबी विनियमों के अंतर्गत श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित हैं। • सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति। • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।
घ.	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	• घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत कवर हो। • अधिनियम 2025 या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य। • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।
ड.	सभी निवासी शेयरधारक	आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	• अधिनियम 2025 की धारा 395(1) के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति (बैंक के TAN DELP3704D में जारी)

बी) अनिवासी शेयरधारक

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों, अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए, देय लाभांश की राशि पर अधिनियम 2025 की धारा 196D के अंतर्गत 20% की दर से, या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू दोहरे कराधान निवारण समझौते (टैक्स ट्रीटी) में दी गई दर से, जो भी कम हो, टीडीएस (TDS) लागू होगा।"

2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम 2025 की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार, लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किसी भी लागू कर संधि में दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

3. यदि अधिनियम 2025 की धारा 395(1) के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

   अधिनियम 2025 की धारा 159 के अनुसरण में, अनिवासी शेयरधारकों के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारकों को बैंक की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

   1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व–सत्यापित प्रति; यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व–घोषणा प्रस्तुत करें।
   2. जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त कर निवास प्रमाण–पत्र (वित्त वर्ष 2026–27 के लिए) की स्व–सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत

किया जाता है,के, तो उक्त टीआरसी को ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टिल) की प्रति प्रदान करनी होगी।

3. अधिनियम 2025 की धारा 159(1) और 159(2) के अंतर्गत फॉर्म 41 इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवश्यक है

क. कर वर्ष 2026–27 के दौरान शेयरधारक अपने निवास वाले देश के कर निवासी हैं और बने रहेंगे;

ख. अनिवासी संबंधित कर संधि के अंतर्गत लाभ का दावा करने के पात्र हैं;

ग. लाभांश आय प्राप्त करने वाले अनिवासी, बैंक में रखे गए शेयरों के लाभार्थी हैं;

घ. लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से संबंधित या प्रभावी रूप से जुड़ी नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए घरेलू विधि/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

1. उपर्युक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में ,जहाँ भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालाँकि, यदि टीडीएस दरें डीटीएए अनुसार लागू होती है, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।

2. डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ई–मेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण बैंक या बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरीज/बैंक के आरटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकार्ड तिथि अर्थात् 13 जून, 2026 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. वेबसाइट: www.pnb.bank.in से फॉर्म/घोषणाएं डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम 2025 से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे **दिनांक 13.06.2026 को या उससे पहले उन पर लागू दस्तावेज़ beetalrta@gmail.com/ hosd@pnb.bank.in पर प्रदान/प्रस्तुत करें।**

4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा बैंक/आरटीए को प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो उन पर लागू होते हैं, और जिन्हें अधिनियम 2025 के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया गया है। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।"

5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई भी संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि आवश्यक विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उच्च दर से कर कटौती की जाती है, जैसा कि ऊपर टेबल संख्या 2 में उल्लिखित हैं, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का विकल्प, यदि पात्र हो, तो उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के आरटीए को beetalrta@gmail.com / hosd@pnb.bank.in पर प्रेषित किए जाने चाहिए।

7. शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी को किसी भी गलत अर्थात् त्रुटि या चूक से उत्पन्न किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने और किसी भी कार्यवाही में बैंक को सहयोग प्रदान करेंगे।

8. बैंक आयकर अनुपालन का पता लगाने के लिए आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर निर्भर करेगा, जिसके लिए अधिनियम 2025 की धारा 397(2) के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

9. ऐसे मामले में जहां शेयर क्लियरिंग सदस्य/मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों के पास हैं और बैंक द्वारा लाभकारी शेयरधारकों के पैन में टीडीएस लगाया जाना है, तो मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों और लाभकारी शेयरधारकों को नियम 37BA के अनुसार एक घोषणा प्रदान करनी होगी और इसे 13.06.2026 तक आरटीए को सूचित किया जाना चाहिए।

10. यह भी ध्यान दिया जाए कि यदि आपके द्वारा उपर्युक्त विवरण/दस्तावेज प्राप्त न होने के अभाव में उक्त लाभांश पर उच्च दर से कर काटा जाता है, तो शेयरधारक के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने और पात्र होने पर उचित रिफंड का दावा करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

11. शेयरधारक फॉर्म 168 में टीडीएस का क्रेडिट देख सकेंगे जहाँ पैन उपलब्ध हो, जिसे उनके ई–फाइलिंग खाते https://incometaxindiaefiling.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अस्वीकरण

इस संचार को पंजाब नैशनल बैंक की सलाह के रूप में न माना जाए। शेयरधारकों को कर संबंधी सलाह किसी कर पेशेवर से लेनी चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट



विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय हितधारकों,

पूरी टीम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में सतत व्यावसायिक वृद्धि, उत्कृष्ट आस्ति गुणवत्ता और वर्धित लाभप्रदता का वर्ष रहा है।

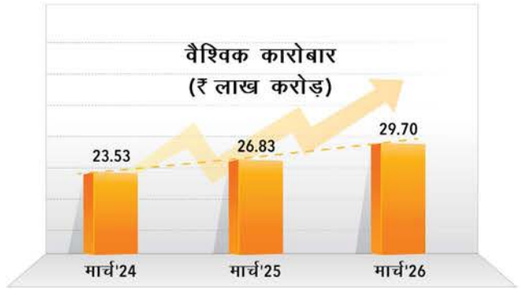
पीएनबी एक नजर में

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पैरामीटर	वित्तीय वर्ष '23	वित्तीय वर्ष '24	वित्तीय वर्ष '25	वित्तीय वर्ष '26
1	शेयर पूंजी	2,202	2,202	2,299	2,299
2	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	97,653	1,04,274	1,25,064	1,40,351
3	वैश्विक कारोबार	21,65,844	23,53,038	26,83,260	29,69,685
4	वैश्विक जमाराशियां	12,81,163	13,69,713	15,66,623	17,11,126
5	वैश्विक अग्रिम	8,84,681	9,83,325	11,16,637	12,58,559
6	निवल अग्रिम	8,30,834	9,34,430	10,77,475	12,25,292
7	निवेश (निवल)	3,95,996	4,20,318	4,97,311	4,94,112
8	कुल आस्तियां	14,61,831	15,61,835	18,18,171	19,85,892
9	शाखाएं (सं.)–घरेलू	10,076	10,136	10,189	10,324
10	एटीएम नेटवर्क (सं.)	12,898	12,131	11,822	11,065
11	कारोबार प्रतिनिधि (सं.)	24,227	33,614	33,349	33,314
12	कुल कर्मचारी (पीटीएस के अतिरिक्त)– (सं.)	97,574	95,789	96,211	96,738
13	परिचालन लाभ	22,529	24,931	26,831	29,290
14	कुल प्रावधान	20,021	16,687	10,201	12,386
15	निवल लाभ	2,507	8,245	16,630	16,904
16	कारोबार/कर्मचारी (₹करोड़ में)	21.64	23.84	26.86	29.42
17	जमाराशि की वैश्विक लागत (%)	4.10	4.91	5.23	5.16
18	अग्रिम पर वैश्विक प्रतिफल (%)	7.16	8.28	8.34	7.80
19	निवेश पर वैश्विक प्रतिफल (%)	6.57	6.78	6.99	6.87
20	वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.06	3.09	2.93	2.57
21	अस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.18	0.54	0.97	0.89
22	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%)	3.94	11.66	19.33	15.67
23	आय अनुपात की लागत (%)	51.69	53.37	54.59	51.79
24	सकल एनपीए (%)	8.74	5.73	3.95	2.95
25	निवल एनपीए (%)	2.72	0.73	0.40	0.29
26	पीसीआर : (टीडब्लूओ सहित)	86.90	95.39	96.82	97.14
27	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	15.50	15.97	17.01	17.74
28	टियर 1 अनुपात (%)	12.69	13.17	14.05	15.15

प्रमुख वित्तीय स्थिति

क. कारोबार स्थिति

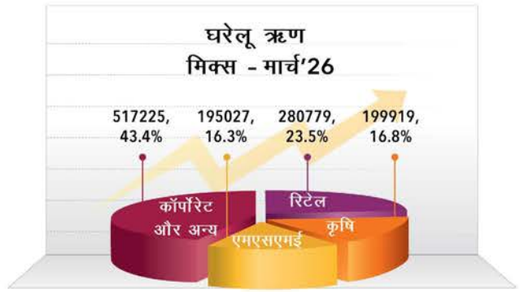


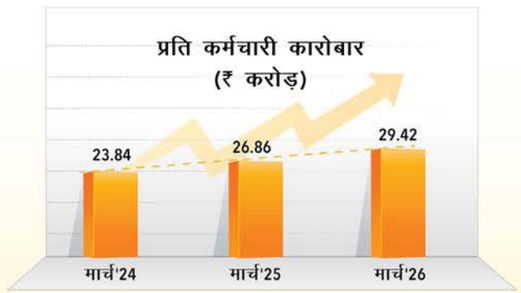


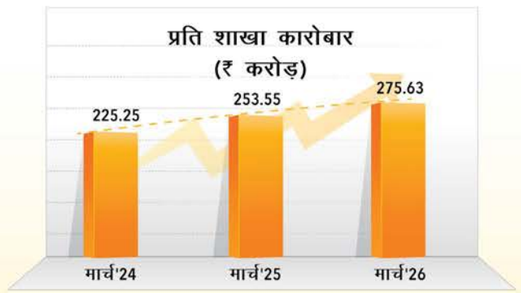




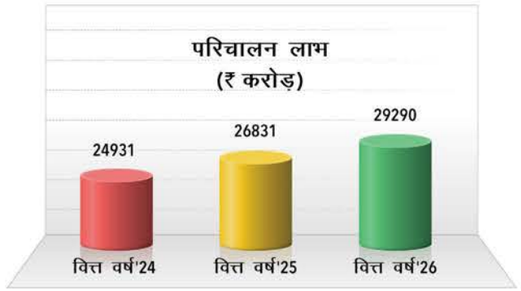


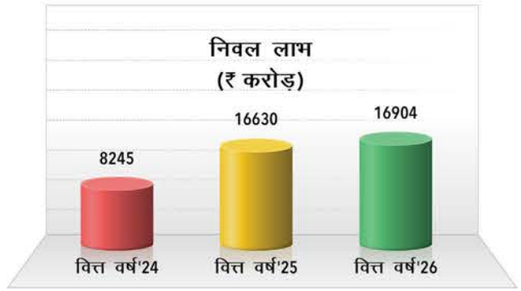


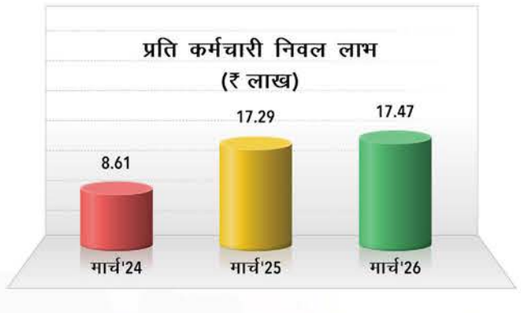


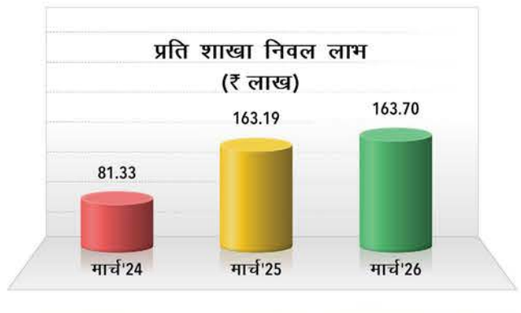


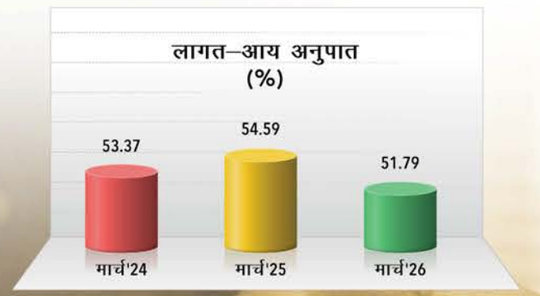
ख. लाभप्रदता



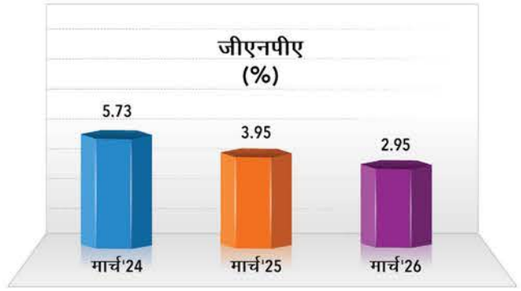


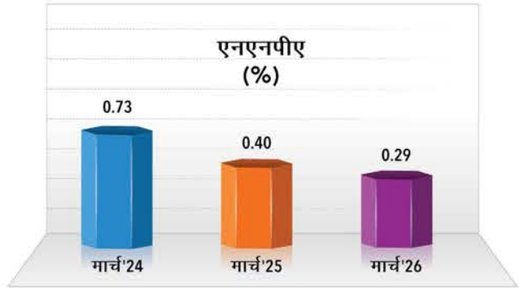


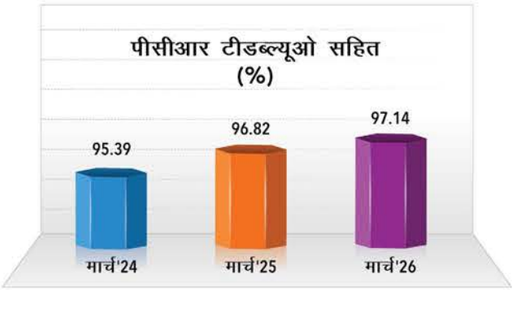




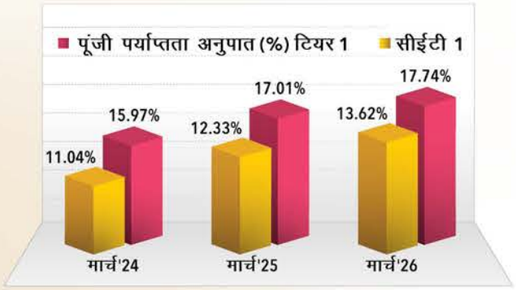
ग. आस्ति गुणवत्ता

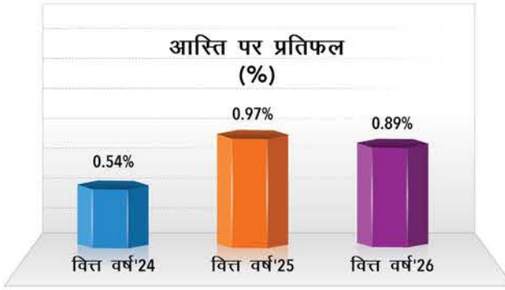


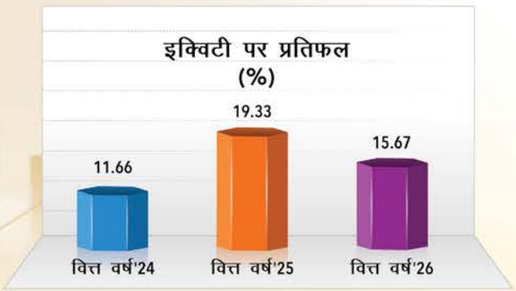


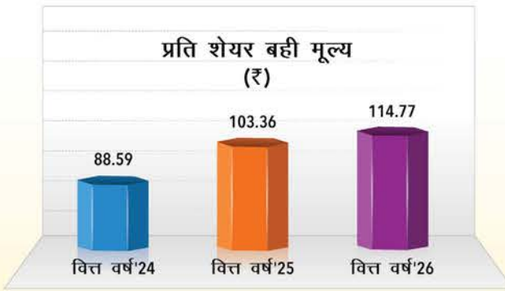


घ. पूंजी पर्याप्तता और प्रमुख अनुपात









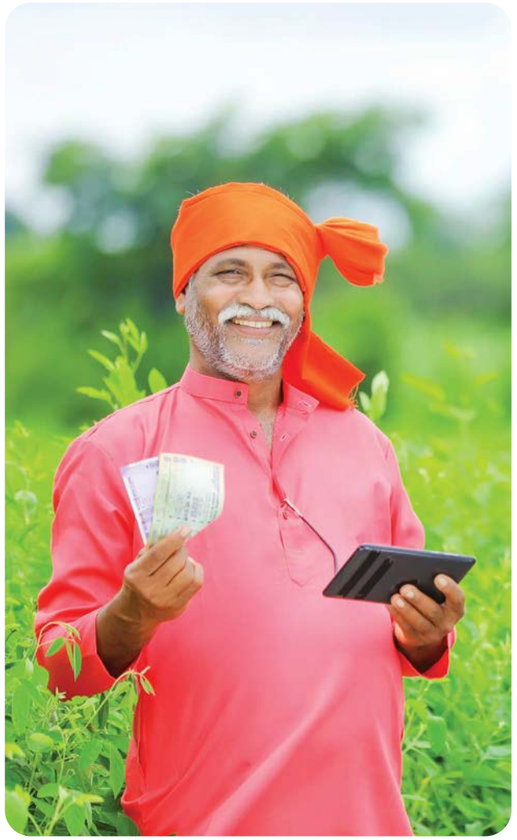
निदेशक रिपोर्ट
2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपने बैंक के वित्तीय एवं परिचालन संबंधी प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व, आइए हम उन वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थितियों पर चर्चा करें जिन्होंने इस प्रदर्शन का आधार तैयार किया।

मध्य पूर्व में भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन एवं उच्च ऋण स्तरों से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, वित्तीय वर्ष 2025–26 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.1 प्रतिशत (आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 के अनुसार) तक रहने का अनुमान है। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के ~7.6 प्रतिशत के अनुमान के साथ, भारत के वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस विस्तार को सुदृढ़ उपभोक्ता व्यय, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के बढ़ते स्तर, सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत सहयोग, दक्षता एवं उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से जारी संरचनात्मक सुधारों एवं कम ब्याज दरों तथा पर्याप्त तरलता एवं अनुकूल वित्तीय स्थितियों से बल प्राप्त हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में ऋण में 16.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जमा में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, कुल जमा राशि ₹262.30 लाख करोड़ रही, जबकि बैंकिंग क्षेत्र का ऋण (क्रेडिट) ₹213.61 लाख करोड़ था। 31 मार्च, 2026 तक निवेश भी 4.7 प्रतिशत बढ़कर ₹71.4 लाख करोड़ पहुँच गया । यह वृद्धि मुख्य रूप से **एमएसएमई** एवं **खुदरा** खंडों, विशेष रूप से **स्वर्ण ऋण** एवं वाहन ऋण द्वारा समर्थित रही । हमारे बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सराहनीय वृद्धि दर्ज की।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने ₹29.70 लाख करोड़ का कारोबार पार कर लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹2.87 लाख करोड़ की मात्रात्मक वृद्धि दर्शाता है। सकल अग्रिमों में 12.7 प्रतिशत की दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें घरेलू अग्रिमों ने 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, वैश्विक अग्रिम ₹12.59 लाख करोड़ रहा, जबकि वैश्विक जमा राशि ₹17.11 लाख करोड़ रहा।



बैंक ने वर्ष के दौरान **खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम)** क्षेत्रों पर रणनीतिक ध्यान बनाए रखना जारी रखा और इस क्षेत्र ने 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

खुदरा खंड के अंतर्गत, आवास ऋण, वाहन ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण में वार्षिक आधार पर क्रमशः 11.6 प्रतिशत, 35.1 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

बैंक ने **आस्ति गुणवत्ता** में सुधार दर्शाया हैं। यह उपलब्धि सुदृढ़ वसूली एवं बेहतर हामीदारी मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप संभव हुआ । बैंक का सकल एनपीए प्रतिशत, 31 मार्च 2025 को 3.95 प्रतिशत था, जो घटकर 31 मार्च 2026 को 2.95 प्रतिशत हो गया। निवल एनपीए प्रतिशत भी 31 मार्च, 2025 के 0.40 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2026 को 0.29 प्रतिशत रह गया। तकनीकी राइट ऑफ (टी.डबल्यू. ओ.) सहित बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2025 के 96.82 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च, 2026 को 97.14 प्रतिशत हो गया।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, बैंक ने अत्याधुनिक उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं पोर्टलों को प्रस्तुत कर डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इन सुधारों ने **ग्राहक अनुभव** और **परिचालन दक्षता** में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे बैंक, बैंकिंग उद्योग के भीतर डिजिटल रूपांतरण में एक अग्रणी इकाई के रूप में स्थापित हुआ है।

बैंक नें मानव संसाधन प्रथाओं को अपनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। डिजिटल विकास के अलावा, मानव संसाधन परिवर्तन के अंतर्गत भी विकास कार्य निरंतर प्राथमिकताओं में रहा और उड़ान परियोजना क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के साथ विकसित हुई।

"इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2026 (वित्त वर्ष 2025–26) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, इसके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

31 मार्च, 2026 तक वित्तीय प्रदर्शन

1. कारोबार वृद्धि

क. **वैश्विक कारोबार** 31 मार्च, 2025 को ₹26,83,260 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹29,69,685 करोड़ रहा, जिसमे वर्ष दर वर्ष 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ख. **वैश्विक जमाराशि** 31 मार्च, 2025 को ₹15,66,623 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹17,11,126 करोड़ हो गई, जिसमे वर्ष दर वर्ष 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ग. **कासा जमा राशि** 31 मार्च, 2025 को ₹5,73,543 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹6,09,615 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

i. **चालू जमा राशि** 31 मार्च, 2026 तक ₹ 79,294 करोड़ रही।

ii. **बचत जमा राशि** 31 मार्च, 2026 तक ₹ 5,30,321 करोड़ रही।

घ. 31 मार्च, 2026 को **कासा हिस्सेदारी** 37.0 प्रतिशत रहा।

ड. **वैश्विक अग्रिम** 31 मार्च, 2025 को ₹ 11,16,637 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2026 को ₹12,58,559 करोड़ रहे, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

च. **खुदरा अग्रिम** 31 मार्च, 2025 को ₹ 2,13,037 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2026 को ₹ 2,51,729 करोड़ रहे, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

छ. **कृषि अग्रिम** 31 मार्च, 2025 को ₹1,80,625 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹1,99,919 करोड़ रहे, जिसमे वर्ष दर वर्ष 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

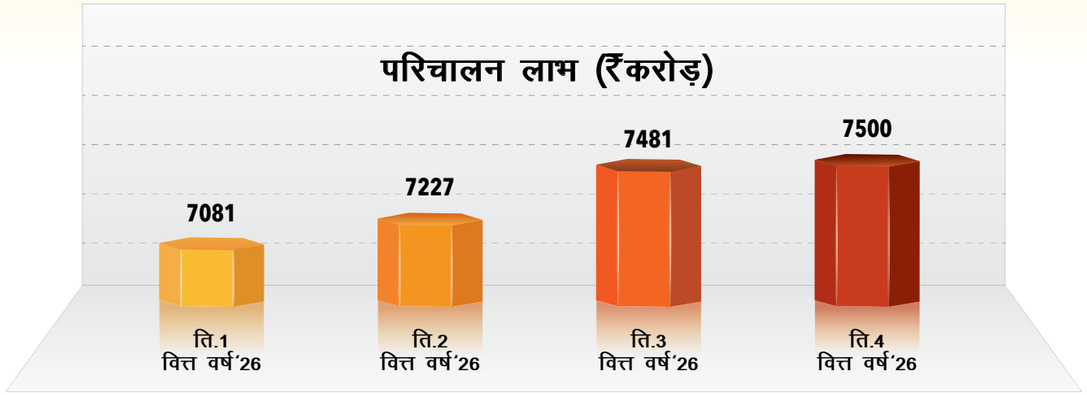
ज. **एमएसएमई अग्रिम** 31 मार्च, 2025 को ₹1,62,693 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹1,95,027 करोड़ हो गया, जिसमे 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

झ. **खुदरा कृषि एमएसएमई (रैम) अग्रिम** 31 मार्च, 2025 को ₹6,02,682 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को ₹6,75,725 करोड़ रही, जो वर्ष दर वर्ष 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ञ. घरेलू अग्रिमों के संबंध में **रैम की हिस्सेदारी** 31 मार्च, 2025 को 56.5 की तुलना मे 31 मार्च, 2026 को 56.6 प्रतिशत रही ।

2. लाभप्रदता

क. **निवल ब्याज आय** वित्तीय वर्ष 2024–25 के ₹42,782 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹41,960



करोड़ रही। यह इस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में की गई कटौती के कारण था।

ख. बैंक का **परिचालन लाभ** वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹26,831 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹29,290 करोड़ रहा, जो 9.2 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की सभी तिमाहियों में बैंक का परिचालन लाभ ₹7,000 करोड़ से अधिक रहा और वित्तीय वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही में परिचालन लाभ ₹7,500 करोड़ तक पहुंच गया।

ग. बैंक का **निवल लाभ** वित्तीय वर्ष 2024–25 के ₹16,630 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹16,904 करोड़ रहा।

3. आस्ति गुणवत्ता

क. बैंक का **सकल एनपीए** 31 मार्च, 2025 के ₹ 44,082 करोड़ के स्तर से सुधर कर 31 मार्च, 2026 तक ₹ 37,124 करोड़ रहा ।

ख. **सकल एनपीए %** 31 मार्च, 2025 को 3.95 प्रतिशत के स्तर से 100 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 2.95 प्रतिशत पर आ गया।

ग. बैंक का **निवल एनपीए** 31 मार्च, 2025 को ₹ 4291 करोड़ के उच्चतम स्तर से सुधरकर 31 मार्च, 2026 को ₹ 3610 करोड़ तक पहुंच गया।

घ. **निवल एनपीए %** 31 मार्च, 2025 को 0.40 प्रतिशत के स्तर से 11 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 0.29 प्रतिशत हो गया

ड. **टीडब्लूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** 31 मार्च, 2025 को 96.82 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च, 2026 तक 32 बीपीएस बढ़कर 97.14 प्रतिशत हो गया।

च. **टीडब्ल्यूओ को छोड़कर प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** 31 मार्च, 2025 को 90.27 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च, 2026 तक 1 बीपीएस बढ़कर 90.28 प्रतिशत हो गया।

स्लिपेज अनुपात में सुधार देखा गया और यह वित्तीय वर्ष 2024–25 के 0.73 प्रतिशत से सुधरकर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 0.60 प्रतिशत हो गया।

4. प्रमुख अनुपात (वैश्विक)

क. **निवल ब्याज मार्जिन** वित्त वर्ष 2025–26 में 2.57 प्रतिशत रहा।

ख. **जमा की लागत** वित्त वर्ष 2025–26 में 5.16 प्रतिशत रही।

ग. **अग्रिम पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2025–26 में 7.80 प्रतिशत रहा।

घ. **निवेश पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2025–26 में 6.87 प्रतिशत रहा।

ड. **आस्तियों पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2025–26 में 0.89 प्रतिशत रहा।

5. पूंजीगत स्थिति

जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) और लाभप्रदता में सुधार के साथ, वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि हुई है।

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2026 तक 73 बीपीएस की वृद्धि के साथ 17.74 प्रतिशत पर पहुंच गया, जिसमें कॉमन इक्विटी टियर–1 (सीईटी–1) 13.62 प्रतिशत और एटी–1 (एटी–1) पूंजी 1.53 प्रतिशत रही।

II.. परिचालन प्रमुख अंश

1. **ब्रांड छवि:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर और महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम की कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर के साथ साझेदारी करके अपनी ब्रांड पहचान को बढ़ाया है, ब्रांड एंबेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ बैंक की एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है।

2. **मीटिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन:** बैंक ने बैठक प्रबंधन समाधान (मीटिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन) के माध्यम से एजेंडा नोट्स का डिजिटल प्रवाह शुरू किया, जिससे यह पूर्ण रूप से कागज रहित (पेपरलेस) बैठकों को सुगम बनाता हैं।

3. **आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन:** आईएसओ 9001:2015 मानक का उद्देश्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन लगातार ग्राहकों, वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

बैंक के विभिन्न विभागों को आईएसओ 9001:2015 का आईएसओ प्रमाणन प्रदान किया गया, जैसे कि बोर्ड और समन्वय प्रभाग, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभाग (स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट डिवीजन), डिजिटल बैंकिंग और परिवर्तन प्रभाग, वित्त और लेखा प्रभाग, कार्यनीति प्रबंधन और आर्थिक परामर्श प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और व्यापार वित्त प्रभाग, मानव संसाधन और प्रशिक्षण प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग और अनुपालन ।

4. **साइबर सुरक्षा:** बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर "कोड अगेंस्ट मैलवेयर" थीम पर हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया था, जो नवाचार और रोकथाम के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से समाधान तैयार करना था। बैंक एक एकीकृत डेटा लेख द्वारा संचालित नेक्स्ट जेनरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (एनजीएसओसी) को लागू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं।



भारतीय क्रिकेटर और ओडीआई महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम की कप्तान, **सुश्री हरमनप्रीत कौर** को बैंक का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया।

5. **सततता रिपोर्टिंग:** बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रारम्भिक सतत विकास रिपोर्ट (इनागुरल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट) 2025 प्रकाशित की है, जो इसकी जलवायु/ईएसजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक ने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन के लिए वित्त वर्ष 2031 का शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है, और स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 उत्सर्जन के लिए वर्ष 2060 का शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है।

6. प्रमुख डिजिटल पहलें और उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2025–26 में, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए डिजिटलीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। बैंक ने अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं एवं इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाया है, जिसके अंतर्गत अब 350 से अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इन सुधारों का उद्देश्य ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को पूरा करना है, जिससे बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुगम, परिवर्तनशील एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके।

ग्राहक सुविधा हेतु डिजिटल ऋण प्रक्रिया:

ग्राहक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पीएनबी ने कई नवीन डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं का शुभारंभ किया हैं। इन पहलों का उद्देश्य ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे ग्राहक डिजिटल चैनलों के माध्यम से कुशलतापूर्वक एवं सुरक्षित रूप से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

क. **डिजी सारथी (दुपहिया वाहन ऋण):** पात्र ग्राहकों के लिए दुपहिया वाहन ऋण हेतु पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया आरंभ की गई।

ख. **ट्रैक्टर एक्सप्रेस:** ट्रैक्टर की लागत का 70% तक ऋण और छमाही पुनर्भुगतान अवधि की सुविधा के साथ किसानों के लिए एक डिजिटल ट्रैक्टर ऋण यात्रा शुरू की गई।

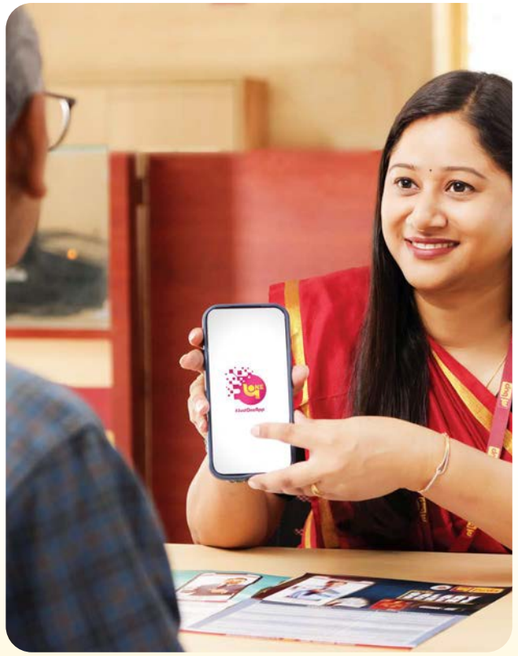
ग. **डिजी डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** डेयरी किसानों की सहायता हेतु एक पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक का साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। बैंक साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने, धोखाधड़ी को रोकने और अटूट विश्वास बनाने के उद्देश्य से अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को **"bank.in"** डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला **पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी)** बन गया है।

घ. **उन्नत केसीसी (केसीसी) समीक्षा, नवीकरण एवं आहरण शक्ति में वृद्धि:** ₹10.00 लाख तक की संशोधित सीमाओं के साथ डिजिटल प्रक्रिया।

ङ. **पीएम स्वनिधि 2.0:** पुनर्गठित योजना के अंतर्गत डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं संस्वीकृति प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।

च. **डिजी सूर्य घर:** पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऋण सहायता प्रदान करने हेतु एक डिजिटल ऋण प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया ।



छ. **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी):** स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने और बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए औपचारिक ऋण संपर्क में तेजी लाने के उद्देश्य से एक सम्पूर्ण निर्बाध, डिजिटल इकोसिस्टम शुरू किया गया।

ज. **ई–एलएएस:** प्रतिभूतियों के प्रति तत्काल ऋण (एलएएस) हेतु एक पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया लाइव की गई।

झ. **डिजी श्रेष्ठ:** "लखपति दीदी" पहल के अंतर्गत महिला उद्यमियों हेतु एक डिजिटल ऋण प्रक्रिया लाइव की गई।

वॉट्सऐप बैंकिंग

तकनीकी–प्रेमी (टेक–सैवी) ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत अब 90 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो सभी बैंकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्ष के दौरान, वॉट्सऐप बैंकिंग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण नई कार्यक्षमताओं का शुभारंभ किया गया हैं:

क. वॉट्सऐप बैंकिंग के माध्यम से केवाईसी अद्यतन

ख. ऋण खाता सारांश और खाता विवरण

ग. डेबिट कार्ड संबंधित सेवाएं और ग्राहक फीडबैक संग्रह

घ. बहुभाषी सहायता का विस्तार

जनरेटिव एआई पहल

नवाचार एवं भविष्योन्मुखी बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने **जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहलों** का शुभारंभ किया हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क. एआई संचालित **ग्राहक चैटबॉट "पिहू"** का शुभारंभ, जो डिजिटल माध्यमों पर जानकारी और चुनिंदा सेवा–आधारित प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

ख. **क्रेडिट नोट तैयार करने एवं विक्रय बिक्री सहायता हेतु जनरेटिव एआई आधारित टूल** का कार्यान्वयन।

ग. परिपत्रों एवं नीतिगत जानकारी तक तत्काल पहुंच हेतु **एआई सक्षम कार्मिक चैटबॉट "राही"** का शुभारंभ ।

घ. ग्राहक ऑनबोर्डिंग, सेवा वितरण एवं परिचालन दक्षता में सुधार हेतु उन्नत एआई उपयोग मामलों का शुभारंभ।

7. अनुपालन संस्कृति

क. अनुपालन समपूर्ण संगठन का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अनुपालन कार्यप्रणाली की गतिविधियों का प्रबंधन प्रधान कार्यालय में समर्पित अधिकारियों, अंचल कार्यालयों में अंचल अनुपालन अधिकारियों और मंडल कार्यालयों में मंडल अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

ख. **पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक:** अनुपालन कार्यप्रणाली ने डेटा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप डेटा की सुदृढ़ अखंडता, अनुशासित अनुपालन पद्धतियों एवं नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के संदर्भ में आरबीआई के पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

ग. **बैंक की पर्यवेक्षी रेटिंग** में निरंतर सुधार मुख्य रूप से इसकी सक्रिय और निवारक अनुपालन संस्कृति के कारण है, जो जोखिमों की शीघ्र पहचान और उनके समाधान पर जोर देती है। इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए,



बैंक ने नियामक और आंतरिक दिशानिर्देशों का नियमित अनुपालन मूल्यांकन, सशक्त निगरानी प्रणाली आदि जैसी कई पहलें शुरू की हैं।

8. प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन

क. **स्टार्टअप शाखाः** स्टार्टअप इंडिया पहल के समर्थन में, बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित योजना शुरू की और अगस्त 2025 में भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप शाखा खोली, जो उद्यमियों के लिए अनुकूलित बैंकिंग समाधान प्रदान करती है।



ख. **केंद्रीकृत ऋण गारंटी सेल (सीसीजीसी):** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीटीजीसी) एवं अन्य योजनाओं सहित ऋण गारंटी के सभी पहलुओं का केंद्रीय रूप से प्रबंधन हेतु प्रधान कार्यालय में एमएसएमई एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग के अंतर्गत केंद्रीकृत ऋण गारंटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

ग. **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सेल (ई–सेल):** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं के संचालन हेतु प्रधान कार्यालय के एमएसएमई एवं मध्य कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

घ. **वृहत कॉर्पोरेट ऋण (एलसीसी) प्रभागः** ₹300 करोड़ से अधिक के एक्सपोज़र सीमा वाले वृहत कॉर्पोरेट ग्राहकों और ₹600 करोड़ से अधिक के समूह एक्सपोजर वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर वृहत कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग का गठन किया गया है ।

ङ. **मध्यम कॉर्पोरेट ऋण (एमसीसी) प्रभागः** ₹300 करोड़ तक के एक्सपोज़र वाले मध्यम कॉर्पोरेट खंड के ग्राहकों, जिसमें ₹600 करोड़ तक का समूह एक्सपोज़र सम्मिलित है, की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग में से मध्यम कॉर्पोरेट ऋण (एमसीसी) खंड को पृथक किया गया है, और इसे प्रधान कार्यालय, एमएसएमई और एमसीसी प्रभाग के साथ संरेखित किया गया है।

च. **सीएमएस एवं एफएससीएम विपणन खंडः** लक्षित विपणन और लीड जेनरेशन के लिए 15 चिन्हित ग्राहक अधिग्रहण केंद्रों (सीएसी)/एकीकृत ग्राहक अधिग्रहण केंद्रों (आई–सीएसी) में एक समर्पित नगद प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस) और वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (एफएससीएम) विपणन खंड स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र स्तर के विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करना और उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में सीएमएस और एफएससीएम लीड्स की बेहतर सोर्सिंग और सर्विसिंग की सुविधा प्रदान करना है।

छ. **ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी) के साथ सरकारी कारोबार वर्टिकल (जीबीवी) का एक खंड के रूप में पुनर्संरेखणः** संसाधनों के प्रभावी एवं इष्टतम उपयोग तथा फील्ड स्तर पर बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, सरकारी कारोबार वर्टिकल (जीबीवी) का सरकारी कारोबार खंड के रूप में ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी) के साथ पुनर्संरेखण किया गया है।

ज. **व्यापार वित्त प्रकोष्ठः** अंतर्देशीय व्यापार वित्त (आईएलसी एवं आईएलजी) कार्य को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (आईबीडी) के साथ संरेखित किया गया है, एवं आईबीडी का नाम परिवर्तित कर अब अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं व्यापार वित्त प्रभाग (आईबीएफ़टीडी) कर दिया गया है।

झ. **अंचल कार्यालयों एवं मंडलों का पुनर्गठनः** हैदराबाद अंचल का पुनर्गठन करते हुए एक नए बेंगलुरु अंचल एवं एक नए मण्डल मंगलुरु (बेंगलुरु एवं हुबली मंडलों से शाखाओं को पृथक करके) का निर्माण, भोपाल अंचल का पुनर्गठन करते हुए एक नए मण्डल कटनी (भोपाल एवं जबलपुर मंडलों से गठित) का निर्माण, तथा रायपुर अंचल का पुनर्गठन करते हुए एक नए मण्डल हजारीबाग (बोकारो एवं रांची मंडलों से पृथक कर) का गठन किया गया है।

ञ. **आस्ति वसूली निगरानी शाखाएं (एआरएमबी) एवं तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाएंः** नवीन संरचना के अंतर्गत, सामान्य बैंकिंग शाखाएं ₹20 लाख से कम के निधि –आधारित बकाया वाले एनपीए खातों का प्रबंधन करती हैं; एआरएमबी ₹20 लाख से ₹25 करोड़ तक के एनपीए खातों का प्रबंधन कर रही हैं, जिनमें डीआरटी/डीआरएटी में दायर खाते (₹25 करोड़ तक, किन्तु एनसीएलटी मामलों के अतिरिक्त) सम्मिलित हैं; और एसएएम शाखाएं ₹25 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों सहित एनसीएलटी में स्वीकृत सभी खातों का प्रबंधन कर रही हैं।

ट. **जनसंपर्क एवं क्रेडिट कार्ड प्रभाग (पीआर एवं सीसीडी)** की स्थापना प्रधान कार्यालय में क्रेडिट कार्ड परिचालन, कॉर्पोरेट संचार, सोशल मीडिया एवं (वेबसाइट सहित) डिजिटल मार्केटिंग हेतु की गई ।

9. परियोजना उड़ान– मानव संसाधन परिवर्तन

बैंक ने अपनी नीतिगत दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ बेहतर सामंजस्य हेतु मानव संसाधन प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं भूमिकाओं को नीतिगत रूप से पुनर्गठित एवं अनुकूलित करने के उद्देश्य से **"उड़ान"** नामक एक व्यापक मानव संसाधन परिवर्तन पहल का शुभारंभ किया है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने इस परिवर्तन अजेंडा के अंतर्गत नवाचारों की एक श्रृंखला के माध्यम से मानव पूंजी को सुदृढ़ करने एवं संस्थागत प्रभावशीलता संवर्धन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। बैंक के डिजिटल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) ढांचे में सुधार किया गया, जिसमें **ग्राहक सेवा, आचरण जोखिम एवं अनुपालन** जैसे नए मापदंडों को सम्मिलित किया गया है, जिससे निष्पादन मूल्यांकन में निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुदृढ़ हुई है।

क. **निष्पादन प्रबंधन ढांचे का पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरणः**

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने अपनी कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए है, जिनका उद्देश्य प्रदर्शन मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही बढ़ाना है।

ख. **क्षमता मूल्यांकन एवं संरचित कौशल विकासः**

परियोजना "उड़ान" के अंतर्गत, बैंक ने विभिन्न संवर्गों

एवं कार्यात्मक क्षेत्रों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक कौशल मूल्यांकन अभ्यास किया। इस डेटा–संचालित दृष्टिकोण ने कौशल अंतरालों की पहचान करने एवं क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाया। इन नवाचारों ने भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के विकास में सहायता की और पूरे संगठन में भूमिका–विशिष्ट विशेषज्ञता को सुदृढ़ किया।

ग. **अधिगम प्रभावशीलता का सुदृढ़ीकरण एवं निरंतर विकासः**

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने संरचित प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन तंत्र को अपनाकर अपने अधिगम शासन संरचना को सुदृढ़ किया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन विभिन्न पहलुओं पर किया गया, जिसमें प्रतिभागियों का फीडबैक, अधिगम के परिणाम, व्यवहारिक परिवर्तन एव प्रदर्शन संकेतकों के साथ संबद्धता सम्मिलित है, जिससे अधिगम की पहलों में निरंतर सुधार एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई।

घ. **नेतृत्व विकास एवं संस्थागत सहयोगः**

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने वरिष्ठ एवं फीडर–स्तर के अधिकारियों हेतु संरचित विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नेतृत्व क्षमताओं के सुदृढीकरण में निवेश निरंतर बनाए रखा। स्केल V एवं उससे ऊपर के अधिकारियों हेतु **नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) 3.0** का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्चतर उत्तरदायित्वों के अनुरूप कार्यनीति, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व क्षमताओं में वृद्धि करना था। इसके अतिरिक्त, एलडीपी 2.0 के प्रतिभागियों हेतु एक पुनश्चर्या कार्यक्रम, **'उड़ान एलीवेट 2.0'** आयोजित किया गया, जिसने प्रमुख अधिगमों को सुदृढ़ किया और निरंतर नेतृत्व विकास में सहायता प्रदान की।

ड. **समावेशिता, विविधता और सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करनाः**

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने संरचित सशक्तीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशिता और विविधता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। **'उन्नति पथ' पहल** को एक बैंक–व्यापी कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना था; इसमें आत्मविश्वास निर्माण, नेतृत्व के लिए तत्परता और करियर में प्रगति पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त, दिव्यांग अधिकारियों की क्षमता–वृद्धि, आत्मविश्वास–निर्माण और करियर–प्रगति में सहायता हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

च. **शैक्षणिक सहभागिता एवं बाह्य विशेषज्ञताः**

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने बाह्य विशेषज्ञों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय सहभागिता के माध्यम से अपने शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को सुदृढ़ किया। अनुभवी पेशेवर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नवाचरों से जुड़े थे, जिन्होंने व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और समकालीन दृष्टिकोण प्रदान किए, जिससे समग्र अधिगम तंत्र और भी समृद्ध हुआ।

छ. **विश्लेषण संचालित एवं डिजिटल मानव संसाधन नवाचारः**

बैंक ने एक समर्पित विश्लेषण कार्यक्षमता की स्थापना के माध्यम से अपनी 'पीपल्स एनालिटिक्स' क्षमताओं को सुदृढ़ किया। इस पहल ने मानव संसाधन डेटा के संरचित विश्लेषण, श्रमबल संबन्धित उपयोगी जानकारियाँ एकत्रित करने एवं संगठन के विभिन्न स्तरों पर सुविज्ञ निर्णय क्षमता में सक्षम बनाया ।

III. रेटिंग

रेटिंग एजेंसियां	रेटिंग
मूडीज	Baa3/P-3/ Stable
फिच	BBB-/F3/Stable
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च (आईएनडी आरए)–दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग	IND AAA/Stable

IV. लाभांश

बैंक के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹2 प्रति अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹3 की दर से (150 प्रतिशत) के लाभांश की अनुशंसा की है, जो बैंक के 25वें वार्षिक आम बैठक शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

IV. आस्ति गुणवत्ता

आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना बैंक की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है। विभिन्न तरीकों के माध्यम से वसूली और उन्नयन की स्थिति नीचे दी गई है:

1. **वसूली और अपग्रेडेशनः** वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल वसूली ₹15,501 करोड़ रही। इसमें से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल नकद वसूली ₹11,990 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बट्टा–खाते वाले खातों में वसूली और अभिलिखित ब्याज ₹7,740 करोड़ रहा।

2. **एनसीएलटी और लिक्विडेशन सेलः** यह सेल विशेष रूप से एनपीए खातों के पुनर्गठन/समाधान और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मामलों में वसूली से निपटने के लिए बनाया गया था। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत एनपीए खातों में ₹1,868 करोड़ की वसूली की गई।

3. **मेगा ई–नीलामीः** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, ई–बिक्रय पोर्टल पर 9,681 संपत्तियां अपलोड की गईं। इनमें से 1,620 संपत्तियों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

4. **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)/नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) को संपत्तियों की बिक्रीः** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, कुल ₹1,038 करोड़ के बिक्री मूल्य पर 7 खाते एनएआरसीएल (एनएआरसीएल) को बेचे गए, जिसमें से नकद हिस्सा ₹156 करोड़ और सुरक्षा रसीद हिस्सा ₹882.18 करोड़ है।

   इसी अवधि के दौरान, नकद आधार पर ₹410 करोड़ के कुल बिक्री मूल्य पर 13 खाते एआरसी को बेचे गए।

5. **खंडवार एनपीएः**

क. **खुदरा खंड मेंः** जीएनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2025 को 1.28 प्रतिशत से 55 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 0.73 प्रतिशत हो गया है।

ख. **कृषि खंड मेंः** जीएनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2025 को 10.97 प्रतिशत से 190 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 9.07 प्रतिशत हो गया है।

ग. **एमएसएमई खंड मेंः** जीएनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2025 को 11.65 प्रतिशत से 319 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 8.46 प्रतिशत हो गया है।

6. **उद्योगवार एनपीएः** सभी उद्योगों में जीएनपीए प्रतिशत में गिरावट देखी गई है, जो 31 मार्च, 2025 को 4.10 प्रतिशत से 142 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2026 को 2.68% हो गया है।

7. **वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलेंः**

क. **वर्टिकल पुनर्गठनः** केंद्रित एनपीए वसूली प्रबंधन के लिए आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाऐं (एआरएमबी) और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाओं की स्थापना के साथ वसूली वर्टिकल को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी एनपीए मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर मुकदमा प्रबंधन प्रकोष्ठ (लिटिगेशन मैनेजमेंट सेल) का गठन किया गया है।

ख. **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी):** परिसमापक के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने तथा दीर्घकाल से लंबित मामलों में वसूली हेतु निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनसीएलटी निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

ग. **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी):** भौतिक कब्जे के अंतर्गत बंधक संपत्तियों के प्रतिशत को दोगुना करने के लिए जिला अधिकारी (डीएम) के पास आवेदित मामलों की केंद्रित निगरानी के माध्यम से बंधक संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।

घ. **डीआरटीः** डीआरटी आदेश (डिक्री) वाले खातों के लिए विशेष अभियान।

ड. लोक अदालतों में सक्रिय भागीदारी और उन छोटे मामलों का समय पर निष्पादन जहां सामान्य समाधान नहीं मिल पा रहा है।

8. **इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान की गई विभिन्न डिजिटल पहलें इस प्रकार हैंः**

क. एजेंसियों के शुरू से अंत तक ऑनबोर्डिंग और प्रबंधन के लिए समर्थ पोर्टल पर आउटसोर्सिंग एजेंसी मॉड्यूल को स्वचालित किया गया।

ख. कारोबार प्रतिनिधियों और वसूली एजेंसियों का एक केंद्रीकृत रिपॉजिटरी बनाया गया और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोग किया गया।

ग. समर्थ पोर्टल की मदद से बीसी एजेंटों और वसूली एजेंटों (वसूली एजेंसियों के माध्यम से) को एनपीए खातों का आवंटन किया गया, जिसके अंतर्गत बार–बार उचित खाता आवंटन संदेश भेजे गए।

घ. तृतीय पक्ष के सहयोग और तकनीकी प्रगति के साथ कृषि और एमएसएमई में छोटे खंड के एनपीए को लक्षित करते हुए एक्सप्रेस ओटीएस/विशेष ओटीएस।

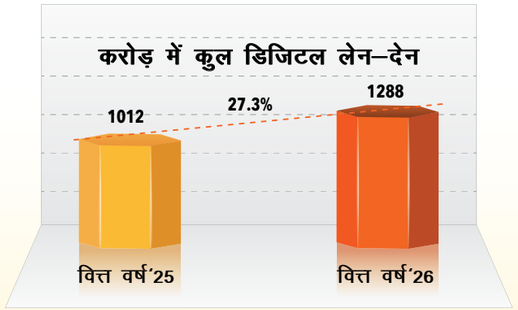
ड. सभी ओटीएस प्रस्तावों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है, जिसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया, कार्योत्तर जांच (पोस्ट फैक्टो स्क्रूटनी), सफलता/विफलता अंकन और राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है।

च. समयबद्ध प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जे और संपत्ति की नीलामी के लिए समर्थ पोर्टल पर सरफेसी मॉड्यूल का लाभ उठाना।

छ. एनपीए संपत्तियों की बिक्री के लिए उन्नत एकीकरण जैसे केवाईसी, पेमेंट गेटवे, बैंक–सत्यापित संपत्ति टाइटल आदि के साथ नए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म 'बैंकनेट' का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना है।

VI. बढ़ता डिजिटलीकरण

बैंकिंग सेवाओं के साथ अत्याधुनिक तकनीक के एकीकरण ने बैंकिंग परिचालन को परिवर्तित किया है। मोबाइल ऐप



और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों का लाभ उठाकर, बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा और निर्बाध अनुभव प्रदान कर रहा है।

हमारे पिछले खंड में उल्लिखित विभिन्न प्रमुख डिजिटल पहलों के अलावा, बैंक ने ग्राहकों को सहजता और सुविधा के साथ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी डिजिटल सुविधाओं को अपग्रेड किया, विभिन्न नई सुविधाएँ पेश कीं और दैनिक बैंकिंग परिचालन में नए डिजिटल उत्पादों को जोड़ा। ये पहलें निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

1. **अनुकूलित खाता संख्या सुविधा:** कासा ग्राहकों के लिए अनुकूलित खाता संख्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो ग्राहकों को महत्वपूर्ण तारीखों, भाग्यशाली अंकों (लकी नंबर्स) या परिचित पैटर्नों के आधार पर अपनी पसंद का बचत या चालू खाता नंबर चुनने की सुविधा देती है।

2. **आईबीएस और एमबीएस में मल्टीकरेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड का डिजिटलीकरण:** वर्तमान में, इस उत्पाद की सेवाएं ग्राहकों को केवल शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ईएएसई 7.0 (ईज़ 7.0) कार्यसूची के हिस्से के रूप में, 2 जनवरी, 2026 से बैंक ने एमसीडब्ल्यूटीसी का डिजिटलीकरण किया है, अर्थात अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समाधान के माध्यम से एमसीडब्ल्यूटीसी जारी करने, लोडिंग, बैलेंस पूछताछ और नई मुद्राएं जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

3. **मल्टीकरेंसी वर्ल्ड ट्रैवल प्रीपेड कार्ड में 6 नई मुद्राओं को जोड़ना और अन्य बदलाव:** पीएनबी मल्टी–करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड (एमसीडबल्यूटीसी) अब विस्तारित मुद्रा कवरेज के साथ लाइव है। ग्राहक अब शाखाओं में 12 मुद्राओं यूएसडी, ईयूआर, जीबीपी, एईडी, एसजीडी, जेपीवाई, एचकेडी, एसईके, एयूडी, एनजेडडी, सीएचएफ़ और सीएडी में कार्ड जारी करवा सकते हैं, लोड कर सकते हैं और नए वॉलेट जोड़ सकते हैं, साथ ही, घर बैठे रिटेल आईबीएस का उपयोग करके 6 मुद्राओं यूएसडी, , जीबीपी, ईयूआर, सीएडी, एईडी, और एसजीडी में भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

4. **भारत–नेपाल प्रेषण योजना के तहत बदलाव:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान इन प्रेषण सुविधाओं में कई परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि गैर–एडी शाखाओं के लिए उद्देश्य कोड का प्रतिबंध, नेपाल में रेमिटेंस पहुँचने पर रेमिटर को एसएमएस भेजना, रेमिटेंस वापस होने की स्थिति में रेमिटर को एसएमएस भेजना , मोबाइल नंबर में 10 अंकों की वैधता जांच करना , सीबीएस में पेंडिंग/पेड/वापसी के संदर्भ मेन स्थिति अद्यतन करना, एएमएल–एपीआई एकीकरण, भारत–नेपाल पोर्टल में नई खुली शाखाओं का अद्यतन , और नकद के रूप में भुगतान मोड चुने जाने पर पॉप–अप दिखना।

5. **आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी) का कार्यान्वयन:** यूआईडीएआई के आधार डेटा वॉल्ट दिशानिर्देशों के अनुपालन में आधार नंबरों और संबंधित पहचानकर्ताओं को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वॉल्ट के बाहर किसी भी एप्लिकेशन में कोई भी स्पष्ट आधार नंबर संग्रहीत या उपयोग न किया जाए, पीएनबी और प्रायोजित आरआरबी में आधार डेटा वॉल्ट लागू किया गया है।

6. शाखाओं/क्षेत्रीय संग्रहण केंद्रों (आरसीसी) में बाह्य नच (एनएसीएच) और अधिदेश प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से **भौतिक बाह्य अधिदेश पंजीकरण सुविधा** प्रारंभ की जाए, ताकि शाखा कार्यालय में उपलब्ध किसी भी स्कैनर का उपयोग करके सीधे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस– एनएसीएच) बाह्य अधिदेश प्रबंधन पोर्टल के भीतर ही अधिदेश स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

7. **इनलैंड ट्रेड्स बिल मॉड्यूल के लिए ट्रेड्स अधिकृत प्लेटफार्मों के साथ सीबीएस का एपीआई एकीकरण:** ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एमएसएमई विक्रेताओं के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण और फैक्टिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य खरीदारों के विरुद्ध कई वित्तपोषकों के माध्यम से काम करता है (लाभ)।

8. **पंजाब ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक में बीसी केंद्रों पर सावधि जमा (एफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) खाता खोलना:** बैंक ने पंजाब ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक में कारोबार प्रतिनिधि केंद्रों पर एफडी और आरडी खाता खोलने की सुविधा शुरू की है।

9. **एनआरई/एनआरओ खातों में नच (एनएसीएच) पद्धति पंजीकरण में ई–मैंडेट:** एनआरई/एनआरओ खातों में मैंडेट पंजीकरण की अनुमति देने के लिए ई–मैंडेट एप्लिकेशन में अनुकूलन किया गया है।

10. **बीसी एजेंटों का डिजिटल ऑनबोर्डिंग:** मौजूदा केबीएस समाधान में बीसी ऑनबोर्डिंग पद्धति का विकास किया गया है जो एक शाखा रहित बैंकिंग मॉडल की सुविधा प्रदान करता है। यह बैंकों को स्थानीय दुकानदारों और व्यक्तियों को कुछ ही मिनटों में प्रमाणित बैंकिंग संपर्क केंद्र में बदलने की क्षमता देता है।

11. **बीएएसई–आरआरबी:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारत आधार सीडिंग इनेबलर (बीएएसई) का कार्यान्वयन। बेस (बीएएसई) एनपीसीआई द्वारा आरआरबी के लिए शुरू किया गया एक स्वयं सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म है; बेस (बीएएसई) ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए आधार से जोड़ने के प्रबंधन के तरीके को आधुनिक बनाता है, जिससे भौतिक रूप से शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

VII. विश्लेषिकी उत्कृष्टता केंद्र (एसीओई)

विश्लेषिकी उत्कृष्टता केंद्र (एसीओई) एक रणनीतिक वर्टिकल है जो उन्नत डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग, एमआईएस सहायता और एआई/एमएल आधारित समाधानों के माध्यम से बैंक की डेटा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। डिजिटल परिवर्तन और डेटा–आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया का नेतृत्व करते हुए, एसीओई नवाचार, विश्लेषण और विनियामक अनुपालन के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है। अपने मूल विश्लेषणात्मक कार्यों के अतिरिक्त, यह इकाई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का प्रबंधन करती है और उच्च–स्तरीय डेटा प्रस्तुतीकरण की निगरानी करती है, जिनमें शामिल हैं:

- **क्रेडिट ब्यूरो और रजिस्ट्रियां:** ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी) मॉड्यूल (ब्यूरो वन), भारतीय

प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसई) और नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ।

- **नियामक ढांचा:** जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, विकेंद्रीकृत/केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस), और अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम।
- **आंतरिक प्लेटफॉर्म:** पीएनबी 360 डैशबोर्ड, एंटरप्राइज–वाइड डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्लू) और डिजिटल यात्रा फनल।

1. **नई पहल:** विश्लेषिकी उत्कृष्टता केंद्र प्रभाग ने महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के परिवर्तन के माध्यम से बैंक के 'डिजिटल–फर्स्ट' एजेंडे का नेतृत्व किया:

- **ईडीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण:** पुराने आईआईएएस सिस्टम (आईबीएम इंटीग्रेटेड एनालिटिक्स सिस्टम) से आईबीएम पावर 10 (आईबीएम पी10) प्लेटफॉर्म पर एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) के माइग्रेशन को सफलतापूर्वक किया गया। इस जटिल परिवर्तन में 39,794 तालिकाओं में लगभग 332 टीबी डेटा शामिल था, जो क्लाउड–रेडी और कंटेनरीकृत आधार स्थापित करता है। नई संरचना में 256–बिट एन्क्रिप्शन शामिल है, जो भविष्य की एआई–आधारित आवश्यकताओं के लिए उद्योग–अग्रणी सुरक्षा मानक और स्केलेबिलिटी (विस्तार क्षमता) सुनिश्चित करता है।
- **अनुकूलित संस्थागत डैशबोर्ड:** विभिन्न सरकारी विभागों सहित उच्च–स्तरीय संस्थागत ग्राहकों के लिए स्थानीयकृत और इकाई–विशिष्ट **एमआईएस डैशबोर्ड** विकसित किए गए। ये डैशबोर्ड कल्याणकारी निधि प्रवाह और परियोजना वित्तपोषण की वास्तविक समय में ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

2. **लॉन्च किए गए नए उत्पाद:** प्रधान कार्यालय से फील्ड स्तर तक डेटा अंतर्दृष्टि के लोकतंत्रीकरण के लिए उन्नत विश्लेषण उत्पाद लागू किए गए:

क. **पीएनबी प्रिज्म पोर्टल: "पोर्टफोलियो एंड रिलेशनशिप इंटेलिजेंस फॉर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग (प्रिज़्म)"**, जो एक एकीकृत एनालिटिक्स हब है, लॉन्च किया गया। यह **फिनटच 360+** (लीड प्रबंधन), **बिजनेस@पिनकोड** (हाइपर–लोकल डिस्कवरी), और **परपेचुअल पाइपलाइन** जैसे विशेष मॉड्यूल के माध्यम से भूमिका–आधारित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

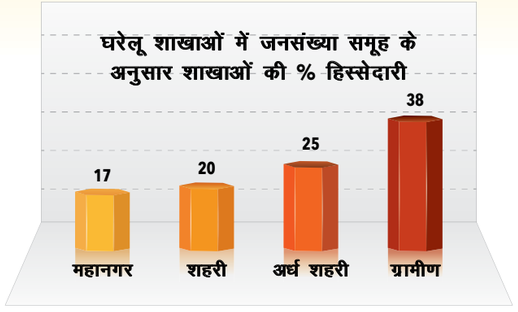
ख. **डीटीएस/डीएससी मॉडल: भारत का पहला इन–हाउस,** डेटा–संचालित **डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन स्कोर (डीटीएस)/डिजिटल स्कोरिंग कार्ड (डीएससी)** ढांचा प्रस्तुत किया गया। लेन–देन व्यवहार के आधार पर ग्राहकों को स्टार रेटिंग में वर्गीकृत करके, यह मॉडल शाखाओं को हाइपर–पर्सनलाइज्ड रिटेंशन और क्रॉस–सेल रणनीतियों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने में सशक्त बनाता है।

ग. **एआई/एमएल चर्न मॉडल:** बचत और चालू खातों के लिए उच्च–सटीकता (95%+ सटीकता प्राप्ति) वाले **एक्सजीबूस्ट–आधारित एट्रिशन मॉडल** शुरू किया गया। ये मॉडल सक्रिय रूप से शुरूआती चेतावनी संकेत प्रदान करते हैं, जिससे फील्ड अधिकारी ग्राहकों के पलायन को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होते हैं।

घ. **लेन–देन संक्रामक/संसर्ग जोखिम प्रबंधन:** उच्च मूल्य वाले एनपीए खातों की मैपिंग करने के लिए **नेटवर्कएक्स ग्राफ विश्लेषण** का उपयोग करके एक पायलट रन शुरू किया गया। अलग–अलग डिफॉल्ट के बजाय परस्पर जुड़े दबावग्रस्त समूहों को चिह्नित करके, बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक परिष्कृत और नेटवर्क–आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।

VIII. शाखा नेटवर्क

1. **घरेलू:** दिनांक 31 मार्च 2026 तक घरेलू शाखाओं की संख्या 10,324 थी। जनसंख्या–समूह के अनुसार शाखाएँ और उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी सहित विवरण निम्नानुसार है:



2. **अंतर्राष्ट्रीय:** दिनांक 31 मार्च, 2026 तक, बैंक की उपस्थिति 7 देशों में है, जिसमें दुबई में 1 शाखा, गिफ्ट सिटी गुजरात में 1 शाखा (बैंक के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को पूरा करती है), 2 सहायक कंपनियां (लंदन–यूके और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल), 2 प्रतिनिधि कार्यालय (म्यांमार और बांग्लादेश)।

IX. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

दिनांक 31 मार्च, 2026 तक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में विदेशी मुद्रा कारोबार (टीएफ़सी) को संभालने के लिए अधिकृत 264 प्राधिकृत डीलर (एडी) शाखाएँ और 4 व्यापार वित्त केंद्र कार्यरत हैं, जो सभी आवक प्रेषणों के लिए कारोबार लेन–देन और अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा के केंद्रीकृत संचालन के लिए विशेषीकृत है।

विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के नकदीकरण की सुविधा के लिए बैंक के पास इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 विनिमय ब्यूरो है।

1. **घरेलू कारोबार**

बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,41,709 करोड़ (निर्यात और आयात एक साथ) का विदेशी मुद्रा कारोबार दर्ज किया।

समग्र रूप से बैंक के आवक धन– प्रेषणों के प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने ₹80,550 करोड़ का धन– प्रेषण कारोबार का संचालन किया।

एनआरई धन– प्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने 7 विनिमय गृहों (गल्फ में 4, सिंगापुर, यूके और सेशेल्स प्रत्येक में 1) के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) की है।

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के अंतर्गत रिया मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रेषण व्यवस्था भी की है।

एनआरआई कारोबार को बढ़ाने, शिकायतों के समाधान और एनआरआई ग्राहकों के लिए सहायता डेस्क हेतु एक विशेष एनआरआई सेल स्थापित है।

2. **विदेशी कारोबार**

31 मार्च, 2026 तक बैंक का विदेशी कारोबार ₹1,27,676 करोड़ रहा, जो कि 20.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ डीआईएफसी दुबई और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मध्यम/दीर्घकालिक आस्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

बैंक की दोनों अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भारतीय और विदेशी ग्राहकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (एफसीटीएल) और व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान कर रही हैं।

3. **नई पहल**

क. **आईआईबीएक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गिफ्ट सिटी द्वारा स्वर्ण का आयात:** बैंक 01 दिसंबर, 2025 से ट्रेडिंग एवं क्लियरिंग सदस्य के रूप में आईबीयू गिफ्ट सिटी में स्वर्ण आयात की सुविधा के लिए **इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड** के साथ जुड़ गया है।

ख. **ट्रेड फाइनेंस रिडिफाइंड पोर्टल के माध्यम से भौतिक प्रति जमा किए बिना निर्यात दस्तावेजों के प्रबंधन की सुविधा:** ग्राहकों को एक ऐसी सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें निर्यात दस्तावेजों के सीधे प्रेषण के मामले में, दस्तावेजों की भौतिक प्रति जमा करने से छूट दी गई है। इसी तरह, **भौतिक दस्तावेज जमा किए बिना** आयात दस्तावेजों और अन्य प्रेषणों के प्रसंस्करण के लिए भी सुविधा शुरू की गई है।

ग. **बैंकों द्वारा ₹10.00 करोड़ तक के संपार्श्विक–मुक्त निर्यात ऋण वितरण** का समर्थन करने के लिए ईसीजीसी के डब्ल्यूटी एवं ईसीआईबी उत्पाद के अंतर्गत नया संपार्श्विक–मुक्त कवर प्रस्तुत किया गया है।

घ. बैंक ने **विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए)** भी खोले हैं, जिनमें से 9 म्यांमार में और 2 बांग्लादेश में हैं।

ड. **मल्टी–करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड:** बैंक ने प्रतिस्पर्धी विनिमय मार्जिन पर मल्टी–करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड का नवीनीकरण किया है, जो एक ही कार्ड पर कई विदेशी मुद्राओं को लोड करने की विशिष्ट सुविधा प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में यह कार्ड **12 विदेशी मुद्राओं (एईडी, एयूडी सीएडी, सीएचएफ, यूरो, जीबीपी, एचकेडी, जेपीवाई, एसईके, एसजीडी, एनजेडओ, यूएसडी)** में प्रदान करता है। इस पर दिया जाने वाला विनिमय मार्जिन उद्योग में सबसे प्रतिस्पर्धी दरों में से एक है।

च. **एमसीडब्ल्यूटीसी का डिजिटलीकरण: दिनांक 02 जनवरी, 2026** को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लाइव किया गया, जिसमें ग्राहक कार्ड जारी करने, कार्ड लोड करने और करेंसी वॉलेट जोड़ने के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं।

छ. विदेशी मुद्रा परिचालन और अनिवासी भारतीय कारोबार के संबंध में शिकायतों के सीधे समाधान हेतु प्रधान कार्यालय में समर्पित ईमेल आईडी eximcust@pnb.bank.in और nri@pnb.bank.in बनाई गई हैं।

ज. **अंतर्देशीय व्यापार वित्त का केंद्रीकरण:** बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क में अंतर्देशीय साख पत्र के केंद्रीकरण को सफलतापूर्वक लागू किया है।

X. एजेंसी कारोबार

1. **जीवन बीमा:** बैंक निम्नलिखित जीवन बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत जीवन बीमा कारोबार करता है:

क. पीएनबी मेटलाईफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई)

ख. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, कमीशन से प्राप्त से आय ₹358.45 करोड़ के बजट के विरूद्ध ₹333.60 करोड़ रही।

2. **गैर–जीवन बीमा:** बैंक निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत गैर–जीवन बीमा कारोबार का आग्रह करता है:

क. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल),

ख. बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (बीजीआईएल),

ग. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस),

घ. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल)

ड. स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल)।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, कमीशन से प्राप्त आय वित्त वर्ष 2024–25 के ₹113.86 करोड़ के बजट की तुलना में ₹94.49 करोड़ है ।

3. **म्यूचुअल फंड:** बैंक भारत में म्यूचुअल फंड एसोशिएसन (एएमएफआई) के पास एआरएन कोड–8418 के साथ एक म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में पंजीकृत है। बैंक निम्नलिखित आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरक है:

क. मेसर्स सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख. मेसर्स निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

ग. मेसर्स यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

घ. मेसर्स आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ड. मेसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

च. मेसर्स डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

छ. मेसर्स फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश और रोबो–सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (फिजडम) के साथ साझेदारी की है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कमीशन से प्राप्त आय ₹12.38 करोड़ रही जोकि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान यह ₹11.27 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

4. **डिपॉजिटरी सेवाएँ:** एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल की डीमैट सेवाएं प्रदान करता है और चार ट्रेडिंग चैनल प्रतिभागियों के साथ गठजोड़ प्रदान करता है जैसे

क. एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड,

ख. जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,

ग. आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड और

घ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

31 मार्च, 2026 तक बैंक के पास कुल 2.22 लाख डीमैट खाते और 0.97 लाख ट्रेडिंग खाते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में डिपॉजिटरी सेवाओं से अर्जित आय ₹6.35 करोड़ है।

5. **अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (एसबीए) और लाभांश भुगतान कार्य:** बैंक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और शाखाओं के माध्यम से एएसबीए सुविधा प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024 –25 में 528 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 –26 के दौरान 603 मामलों का निस्तारण किया गया । वित्त वर्ष 2025 –26 में एएसबीए के माध्यम से अवरुद्ध राशि ₹77,946 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2024 –25 में ₹73,726 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2025––26 के दौरान, एएसबीए व्यवसाय से ₹1.51 करोड़ की आय अर्जित की गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में सूचीबद्ध कंपनियों के 29 लाभांश भुगतान कार्य का निस्तारण किया। बैंक के पास बैंकर टू एन इश्यू, डिबेंचर ट्रस्टी और मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है।

6. **नई पहल**

क. **डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की एकल यात्रा:** इस कार्यप्रणाली में पीएनबी के साथ डीमैट खाता और ट्रेडिंग चौनल पार्टनर के साथ ट्रेडिंग निर्बाध खाते खोले जाएँगे । यह कार्यक्षमता इंटरनेट बैंकिंग सेवाए (आईबीएस) और मोबाइल बैंकिंग सेवाए (एमबीएस) दोनों में मेसर्स आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड, मेसर्स एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड और मेसर्स जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ उपलब्ध है।

ख. **लियन एवं ट्रेड कार्यक्षमता:** इस सुविधा में, ग्राहक अपने लिंक किए गए बचत खाते में निधियों को लियन के अंतर्गत रख सकते हैं और उनके द्वारा अवरुद्ध की गई राशि तक बिना किसी परेशानी के ट्रेडिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्रय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड की गई राशि बाजार बंद होने के समय के बाद उनके लिंक किए गए खाते से डेबिट कर दी जाती है। यह सुविधा अब सभी चार ट्रेडिंग भागीदारों–मैसर्स आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड, मैसर्स एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और मैसर्स जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ उपलब्ध है।

ग. **व्हाट्सएप पर डीमैट विवरण देखना:** इस सुविधा के माध्यम से, ग्राहक अपनी डीमैट संबंधी जानकारी जैसे कि लेन–देन का विवरण, होल्डिंग विवरण, बिलिंग स्टेटमेंट, बिलिंग चालान विवरण और बकाया शुल्क आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के माध्यम से सीधे 'डिलिवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप' (डीआईएस) खो जाने की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

घ. **नवीकृत एएसबीए सेवाएँ:** बैंक ने आवेदनों को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एएसबीए का उन्नत संस्करण प्रस्तुत किया

है। संशोधित एस्बा सेवाओं की मुख्य विशेषताएं हैं–ग्राहक डिजिटल प्लेटफॉर्म (मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से डीमैट खातों को लिंक कर सकते हैं, देख सकते हैं या हटा सकते हैं।

इसमें आवेदनों को देखने, संशोधित करने या रद्द करने की सुविधा उपलब्ध है। यह उन्नत संस्करण ग्राहकों को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) और अन्य मामलों के लिए आवेदन करते समय अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा।

XI. सरकारी कारोबार

केंद्र और राज्यों से लाभार्थियों तक निधि अंतरण को सुगम बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, बैंक ने एक विशेष सरकारी कारोबार विभाग (जीबीडी) की स्थापना की है। यह पेंशन प्रसंस्करण और संवितरण, सरकारी लघु बचत योजनाएँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह तथा करेंसी चेस्ट संचालन सहित विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक नौ केंद्र सरकार के विभागों के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में कार्य करता है, और उनकी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अपने सहयोग को लगातार सुदृढ़ कर रहा है।

सरकारी कारोबार के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:

1. बैंक लगभग 6.09 लाख पेंशनभोगियों अर्थात केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार को पेंशन वितरित कर रहा है।
2. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पेंशनभोगियों के टीडीएस की कटौती अब केंद्रीकृत कर दी गई है।
3. **वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान** सक्रिय विपणन के माध्यम से **49,918 से अधिक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), 71,110 सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) और 1,03,021 वरिष्ठ नागरिक बचत खाते** खोले गए।
4. **सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि खाता के लिए ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा** को डिजिटल चैनलों के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे सहज, कागज रहित और ग्राहक–अनुकूल ऑनबोर्डिंग की सुविधा मिलती है।
5. ग्राहक शिकायतों को कम करने के लिए सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) में पीपीएफ और एसएसए जमा लेनदेन सत्यापन के दौरान चेकर द्वारा **एसएसए और पीपीएफ खाता संख्या** और राशि के सत्यापन के लिए **अतिरिक्त जांच** लागू की गई है।
6. विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण और उनके साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन करों का संग्रह। 19 राज्यों में वैट का संग्रह किया जा रहा है।
7. अखिल भारतीय आधार पर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यमों से **करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का संग्रह** किया जा रहा है। बैंक केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों के प्रमुख संग्रहकर्ताओं में से एक है।
8. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):** सभी शाखाओं में एनपीएस लेनदेन की सुविधा सक्षम है। एनपीएस पंजीकरण और योगदान (कंट्रीब्यूशन) के लिए ऑनलाइन सुविधाएं वेबसाइट (https://www.pnb.bank.in/nps.html) के साथ–साथ पीएनबी वन ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2026 तक जुड़े एनपीएस ग्राहकों की कुल संख्या **1,50,506** है। बैंक कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत 27 कोरपोरेट्स को एनपीएस सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।
9. **एनपीएस वात्सल्य:** सभी अवयस्क नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित और प्रशासित एक बचत सह पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसमें न्यूनतम योगदान ₹1000/– है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
10. एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत पंजीकरण और उसके बाद योगदान की सुविधा सीबीएस में दिनांक 25 अगस्त, 2025 से शुरू कर दी गई है।
11. **मुद्रा तिजोरी:** पूरे भारत में 254 मुद्रा तिजोरियों की निगरानी की जाती हैं, जिससे ₹2.00 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹2.69 करोड़ की वार्षिक आय प्राप्त हुई।
12. मुद्रा तिजोरी का वार्षिक निरीक्षण अब आंतरिक लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएएमएस) पोर्टल के माध्यम से स्वचालित कर दिया गया है।
13. पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रा तिजोरी से संबंधित दंडों में लगभग 44% की कमी आई है।

XII. कोष परिचालन

31 मार्च, 2026 को बैंक का सकल निवेश ₹4,88,441 करोड़ था। बैंक के कोष (ट्रेजरी) ने वित्त वर्ष 2024–25 में ₹35,014 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025–26 में ₹38,301 करोड़ की आय अर्जित की।

1. **प्रणाली तरलता का अवलोकन:** वित्त वर्ष 2025–26 में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता में उल्लेखनीय विस्तार देखा गया, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने औसतन ₹1.89 लाख करोड़ का दैनिक अधिशेष अवशोषित किया, जो वित्त वर्ष 2024–25 में दर्ज ₹0.03 लाख करोड़ की मामूली राशि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। प्रणालीगत तरलता में यह महत्वपूर्ण सुधार केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए नपे–तुले हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के माध्यम से संभव हुआ, जिसमें खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, यूएसडी/आईएनआर क्रय–विक्रय स्वैप, और दीर्घकालिक परिवर्तित रेपो परिचालन (वीआरआर) का रणनीतिक उपयोग शामिल था। इन सक्रिय उपायों को मूल रूप से व्यापक वित्तीय प्रणाली में संचयी 125 आधार अंक की नीतिगत रेपो दर कटौती के निर्बाध संचरण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था।
2. **स्थिर आय (एसएलआर/एनएसएलआर):** 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 31 मार्च, 2025 को 6.58 प्रतिशत से 46 बीपीएस बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 7.04 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2025–26 की पहली छमाही में, आरबीआई द्वारा दर में कटौती के अनुरूप 10 वर्षीय बेंचमार्क के प्रक्षेपवक्र में काफी हद तक गिरावट देखी गई, जबकि दूसरी छमाही में कटौती चक्र के अंत की प्रत्याशा, मुद्रा दबाव और आपूर्ति पक्ष के दबाव के कारण प्रतिफल पर दबाव डाला गया।

10 वर्षीय एएए (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वित्तीय संस्थान (एफआई), बैंक) 31 मार्च, 2025 को 7.10 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 7.65 प्रतिशत हो गया, जो एफआईआई गतिविधियों और तरलता घाटे के चरणों के कारण हुआ।

हाल ही में भू–राजनीतिक उथल–पुथल ने वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चूंकि आपूर्ति जटिलताओं से होने वाले मुद्रास्फीति के दूसरे दौर के प्रभाव अभी सामने आने शेष हैं, इसलिए विनियामक मुद्रास्फीति–विकास की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले आगामी आंकड़ों पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं।

3. **इक्विटी और म्यूचुअल फंड:** वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, भारतीय इक्विटी बाजार में काफी अस्थिरता देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेंचमार्क निफ्टी50 इंडेक्स 5.05 प्रतिशत की निरपेक्ष गिरावट दर्ज करते हुए वित्त वर्ष के अंत में 22,331.40 पर बंद हुआ। बाजार का प्रक्षेपवक्र सुदृढ़ घरेलू उत्प्रेरकों और गंभीर बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लगातार चले खींचतान से निर्धारित हुआ था। घरेलू मोर्चे पर, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, अनुकूल घरेलू मुद्रास्फीति परिवेश और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर युक्तिकरण जैसे संरचनात्मक सुधारों से निवेशकों का उत्साह बढ़ा, जिससे कॉर्पोरेट दक्षता में सुधार हुआ।

हालांकि, ये लाभ वैश्विक भू–राजनीतिक परिदृश्य के बिगड़ने से क्रमानुगत समाप्त हो गए, विशेष रूप से ईरान–अमेरिका और इज़राइल संघर्षों के बढ़ने के कारण, जिससे ऊर्जा लागत में भारी उछाल आया और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका के आक्रामक व्यापार शुल्कों से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितता ने वैश्विक निवेशकों के बीच "जोखिम से बचने" की भावना पैदा की, जिससे निरंतर पूंजी निकासी हुई जो घरेलू मजबूती पर भारी पड़ी और वर्ष के अंत तक सूचकांक को नकारात्मक दायरे में धकेल दिया।

4. **विदेशी मुद्रा:** भारतीय रुपया वित्त वर्ष 2025–26 के अंत में 94.83 पर रहा, जिसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10.96 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

आरबीआई ने विकास को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2025–26 में अधिक उदार रुख अपनाया, जिसके अंतर्गत रेपो दर में 125 आधार अंक (घटाकर 5.25 प्रतिशत) और सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती की गई। यह विस्तारवादी नीति, हालांकि घरेलू विकास के लिए अच्छी थी, लेकिन इसने अमेरिका के साथ ब्याज दर के अंतर को कम कर दिया, जिससे कैरी–ट्रेड निवेशकों के लिए रुपया कम आकर्षक हो गया।

वित्त वर्ष 2025–26 में भारतीय रुपये की गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल की उच्च वैश्विक कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू–राजनीतिक तनावों के कारण हुई, जिससे चालू खाता घाटा (सीएडी) काफी बढ़ गया। इस बाहरी दबाव को मजबूत अमेरिकी डॉलर और घरेलू इक्विटी से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर निकासी ने और बढ़ा दिया, जो वैश्विक स्तर पर "जोखिम से बचने" की भावना के कारण शुरू हुई थी। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों के घटते अंतर और अस्थायी व्यापार शुल्क की अनिश्चितताओं ने अतिरिक्त दबाव डाला, जिससे मुद्रा की गिरावट की गति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़ा।

XIII. ग्राहक सेवा

आधुनिक बैंकिंग में ग्राहक सेवा एक बहु–आयामी अनुभव में परिवर्तित हो गई है जो विश्वास और निष्ठा निर्माण पर केंद्रित है। यह बैंकों को उनके ग्राहकों से जोड़ती है, जिससे उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन करते समय सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करने में सहायता मिलती है। प्रभावी ग्राहक सेवा एक बैंक के लिए ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने और प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके महत्व को पहचानते हुए, बैंक त्वरित और कुशल ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देता है। इसे प्राप्त करने के लिए, इसने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक शिकायत निवारण नीति स्थापित की है, जो ग्राहकों के मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती प्राप्त होती है और वे शिकायत पर नज़र भी रख सकते हैं। विभिन्न चैनल जिनके माध्यम से ग्राहक की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे निम्नानुसार हैं:

- संपर्क केंद्र (टोल फ्री/टोल नंबर)
- इंटरनेट बैंकिंग सेवा/मोबाइल बैंकिंग ऐप/कॉर्पोरेट वेबसाइट
- care@pnb.bank.in पर ईमेल
- एमडी एवं सीईओ/अध्यक्ष/वित्त मंत्रालय/आरबीआई आदि
- जन शिकायत विभाग जैसे कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)/एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम)।
- फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया
- डाक
- शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायतें

ग्राहक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए शिकायत संदर्भ संख्या के साथ सिस्टम द्वारा शिकायतकर्ता को एक पावती एसएमएस/ई–मेल भेजा जाता है।
- सभी अस्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत शिकायतों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लोकपाल को प्रेषित किया जाता है।
- शिकायत के समाधान से संतुष्ट न होने पर सीआरएम में शिकायत समाप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर शिकायत को "फिर से खोलने" का विकल्प प्रदान किया जाता है।
- विभिन्न स्रोतों के माध्यम से दर्ज की गई सभी ग्राहक शिकायतें प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त होती हैं और केवल प्रधान कार्यालय स्तर पर ही निपटाई जाती हैं।

सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में **ग्राहक सेवा समितियां** ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच करती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझावों की गहन जांच करती हैं। ये समितियां माह में एक बार बैठती हैं जिसमें कर्मचारी और आमंत्रित ग्राहक सेवा–संबंधी मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करते हैं।

फील्ड कर्मचारियों के बीच बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अतिमहत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए शाखाओं में मासिक अंतराल पर एक पूर्व निर्धारित तिथि और विषय पर **विषय आधारित बैठकें** आयोजित की जा रही हैं।

बैंक ने अपने ग्राहकों को दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24X7X365 आधार पर टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और नोएडा में **अत्याधुनिक प्राथमिक संपर्क केंद्र** स्थापित किए हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को 13 भाषाओं में टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो द्वितीयक संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

ग्राहक सेवा अभिकर्ताओं (सीएसए) के लिए कॉल सेंटर में **नियमित प्रशिक्षण सत्र** आयोजित किए जाते हैं ताकि वे ग्राहकों की कॉल को उचित रूप से संभाल सकें और ग्राहकों को उत्पादों/सेवाओं के बारे में मांगी गई जानकारी के संबंध में सही/नवीनतम जानकारी प्रदान कर उनकी सूक्ष्म समस्याओं का समाधान कर सकें।

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने मुख्य **ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ)** को नामित किया है, जो अंचल कार्यालयों में उप महाप्रबंधक और मंडल कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं, जिनसे ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। सीसीईओ के संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

एक मासिक पत्रिका **"ग्राहक बोलता है"** प्रकाशित की जाती है जिसमें ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई चुनिंदा शिकायतों और शिकायतकर्ताओं को प्रदान की गई कार्रवाई/समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। बैंक के अधिकारियों की सेवा की सराहना करने वाले ग्राहकों द्वारा जारी प्रशंसा पत्र भी पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं।

बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रतिक्रिया के आधार पर उचित उपाय करता है।

वित्तीय वर्ष 2025 –26 के दौरान, कुल 12,86,162 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,11,664 शिकायतों का समाधान शिकायत प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर किया गया था। इसलिए, इन्हें शिकायतों के रूप में नहीं माना गया है। अतः, वित्तीय वर्ष 2025 –26 के दौरान प्राप्त कुल रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या 5,74,498 है। वित्तीय वर्ष 2025 –26 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	संख्या*
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	28,855
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5,74,498
वर्ष के दौरान निपटाई गए शिकायतों की संख्या	5,96,022
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	7,331

** उन शिकायतों को छोड़कर जिनका प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर निपटान कर दिया गया।*

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए की गई पहल

1. शिकायत निवारण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक द्वारा मासिक अंतराल पर यादृच्छिक आधार पर चुने गए शिकायतकर्ताओं के साथ नियमित चर्चा की जाती है।
2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देशों के अनुपालन में ग्राहकों को आने वाली कॉल की प्रकृति को सरलता से पहचानने में सहायता करने और स्पैम और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, बैंक ने विशेष रूप से **सभी प्रचार वॉयस कॉल के लिए '140xx' श्रृंखला और कॉल सेंटरों के माध्यम से सभी लेनदेन और सेवा वॉयस कॉल के लिए '160xx'** श्रृंखला शुरू की है।

3. गैर–डिजिटल शिकायतों के लिए मई 25 से **ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान में नया शिकायत मॉड्यूल** लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राहक प्रतिधारण, ग्राहक मूल्य निर्माण और प्रभावी शिकायत निवारण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण तैयार करना है।

4. **शाखा क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहक की प्रतिक्रिया** प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता विकसित की गई है। यह नई कार्यक्षमता ग्राहकों को शाखा में प्राप्त विभिन्न सेवाओं के संबंध में आसान प्रतिक्रिया प्रदान करने का अधिकार देती है।

5. बैंक ने गोपनीय दौरे के माध्यम से शाखाओं में ग्राहक सेवा का स्तर बढ़ाने के लिए **बाह्य एजेंसी (मेसर्स डेटावाइज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)** को सम्मिलित किया।

6. ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों को वेबसाइट, व्हाट्सएप, एमबीएस और आईबीएस के माध्यम से लाइव एजेंट के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

XIV. राजभाषा का कार्यान्वयन

पंजाब नैशनल बैंक राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने में अग्रणी रहा है। बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के साथ–साथ राजभाषा पर संसदीय समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में रेखांकित अधिकांश लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

बैंक को "क" क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2024–25 के साथ वर्ष 2025–26 के लिए भी वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा "प्रथम" पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, बैंक की गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" को "क" क्षेत्र में वर्ष 2025–26 के लिए को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से "प्रथम" पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक देश के विभिन्न भागों में स्थित 27 नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) का संयोजक है। वर्ष 2024–25 हेतु गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से दिल्ली बैंक नराकास को "नराकास राजभाषा सम्मान" तथा 24 नराकासों को "नराकास प्रोत्साहन सम्मान" प्राप्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक के विभिन्न अंचल/मंडल कार्यालयों तथा बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकासों को गृह मंत्रालय से 19 क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुए तथा इसके अतिरिक्त बैंक के विभिन्न कार्यालयों/कर्मचारियों को भी विभिन्न सरकारी संस्थानों से कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम की मदों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई और प्रगति

क. बैंक के पास राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है, जो प्रधान कार्यालय में स्थापित राजभाषा विभाग की देखरेख में भलीभाँति कार्य कर रहा है। सभी अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों में राजभाषा विभाग स्थापित है, जो अपने कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और शाखाओं में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा नीति को लागू करते हैं।

ख. बैंक में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय शील्ड योजना, अन्य प्रोत्साहन योजनाओं और राजभाषा प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विजेता कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

ग. बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका **"पीएनबी प्रतिभा"** तथा अंचल कार्यालयों द्वारा अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं एवं मण्डल कार्यालयों द्वारा अर्धवार्षिक हिंदी ई–पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर स्थापित राजभाषा पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

घ. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक द्वारा मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए) के अंतर्गत कुल 10 हिंदी पुस्तकें पुरस्कृत की गईं।

ङ. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी, 2026 को अगरतला में आयोजित **क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन** एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बैंक की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दौरा भी किया गया।

2. राजभाषा समितियां एवं उनकी बैठकें

क. प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर आयोजित की गईं।

ख. पीएनबी देश भर में 27 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक का दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी संगोष्ठियां आदि आयोजित की गई।

ग. बैंक के सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

3. बाह्य निरीक्षण/राजभाषा संगोष्ठी/सम्मेलन

क. प्रधान कार्यालय द्वारा लखनऊ में कार्यपालक निदेशक श्री अमित कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सम्मलेन में विशिष्ट वक्ता प्रो. डॉ. रविकांत, लखनऊ विश्वविद्यालय ने राजभाषा अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। राजभाषा वार्षिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी कार्यालयों की गहन मॉनिटरिंग की गई।

ख. प्रधान कार्यालय द्वारा श्रीमती मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव–राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विशिष्ट आतिथ्य में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को अखिल भारतीय **"नराकास अध्यक्ष सम्मेलन"** का आयोजन किया गया।

ग. बैंक में दिनांक 14 सितंबर, 2025 से 13 अक्तूबर, 2025 तक हिन्दी माह उत्साहपूर्वक मनाया गया। दिनांक 15 अक्तूबर, 2025 को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा शीर्ष कार्यपालकों द्वारा लाला लाजपत राय शील्ड 2024–25 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

घ. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा अंचल कार्यालय, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता एवं अमृतसर तथा मंडल कार्यालय, बेंगलुरु, टिहरी, ग्वालियर, नोएडा, दक्षिणी दिल्ली, उज्जैन, भोपाल एवं उत्तर 24 परगना के निरीक्षण के दौरान राजभाषा में बैंक के कार्य की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2026 को प्रधान कार्यालय, द्वारका , नई दिल्ली का निरीक्षण किया गया जिसमें बैंक में श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन की प्रशंसा की गई।

ङ. विश्व हिन्दी दिवस, 2026 के उपलक्ष्य में माननीय एमडी एवं सीईओ, श्री अशोक चंद्र की अध्यक्षता में दिनांक 14 जनवरी, 2026 को **"कवि सम्मेलन एवं राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह"** का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य कवि श्री अरुण जैमिनी तथा श्री चिराग जैन को आमंत्रित किया गया।

4. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति

क. बैंक द्वारा राजभाषा अधिकारियों के लिए **पीएनबी आरंभ ऐप** के राजभाषा मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रधान कार्यालय/अंचल/मंडल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण की डिजिटल निगरानी की जाती है तथा राजभाषा गतिविधियों को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है।

ख. हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान, प्रवीणता आदि का ऑनलाइन रोस्टर तैयार करने हेतु एचआरएमएस में **'हिंदी ज्ञान का स्तर'** नामक एक मॉडयूल बनाया गया है।

ग. नवीनतम बैंकिंग विषयों पर प्रतिदिन हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पॉडकास्ट जारी किया जाता है।

घ. बैंक की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है तथा मूल रूप से हिंदी में खुलती है।

ड. एटीएम में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की सुविधा उपलब्ध है।

च. ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भाषा (हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा) में एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।

छ. बैंक की सभी शाखाओं, मंडल एवं अंचल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के प्रभागों द्वारा तिमाही एवं वार्षिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से **'राजभाषा वेब पोर्टल'** पर प्रस्तुत की जा रही है।

ज. **द्विभाषी सॉफ्टवेयर लिंग्वाफाई** के माध्यम से सीबीएस (फिनेकल) तथा एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सभी कंप्यूटरों पर कार्य करने के लिए द्विभाषी हिन्दी यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध है।

झ. मोबाइल बैंकिंग ऐप **'पीएनबी वन'** हिंदी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नए रूप में क्रियान्वित किया गया है।

ञ. व्हाट्सएप बैंकिंग हिंदी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

ट. बैंक के ई–लर्निंग पोर्टल पीएनबी यूनिव पर कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिसके आधार पर कर्मचारियों को **कार्यनिष्पादन निगरानी प्रणाली (पीएमएस)** में अंक प्रदान किए जाते हैं।

ठ. ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक के विभिन्न उत्पादों से संबंधित फॉर्म हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

ड. बैंक आवेदन पत्र और ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित स्वीकृति पत्र द्विभाषी रूप से बैंक के ऋण पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

ढ. बैंक की **इंटरनेट बैंकिंग सेवा** (रिटेल) 09 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगू, मलयालम, अंग्रेजी) में उपलब्ध है।

5. हिंदी के प्रयोग के संबंध में विशेष गतिविधियां एवं कार्यक्रम

क. मूल हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी माह के दौरान बैंक के स्टाफ सदस्यों हेतु अखिल भारतीय स्तर पर **"ईएसजी एकीकरण: भारत में सतत बैंकिंग का भविष्य"** विषय पर आलेख लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

ख. माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2025 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर **"राजभाषा वार्षिकी"** का विमोचन किया गया, जिसमें राजभाषा अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु राजभाषा संबंधी कार्यों का माह–वार कैलेंडर दिया गया है।

ग. कंप्यूटर एवं अनुवाद टूल **"भारती–बहु भाषी अनुवाद सारथी"** पर हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं, यूनिकोड प्रशिक्षण एवं डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों एवं प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा स्टाफ सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

घ. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राजभाषा अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए **"राजभाषा भूषण"** शील्ड योजना शुरू की गई है।

ड. विभिन्न मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों से पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों को सम्मानित करने के लिए **"राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान योजना"** लागू की गई।

च. **हिंदी और भारतीय भाषाएं, हिंदी ई–टूल्स, बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा राजभाषा हिंदी के विकास का इतिहास और संभावनाएं** जैसे विषयों पर विभिन्न अखिल भारतीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं।

6. परिपत्रों/प्रपत्रों/अन्य दस्तावेजों की द्विभाषी स्थिति

क. ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

ख. हिंदी में कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न विभागों से संबंधित दैनिक पत्रों/कार्यालय नोट का **"मानक प्रारूप"** बैंक के ई–पोर्टल पर उपलब्ध है।

ग. बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार और प्रोत्साहन अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया गया।

XV. पीएनबी की सहायक कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. घरेलू

क. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड: वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹310.95 करोड़ के कर–पूर्व लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 241.59 करोड़ का कर–पूर्व लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कर–पूर्व लाभ ₹181.62 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान यह ₹233.03 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2026 को इसकी पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 52.68 प्रतिशत के साथ पूंजी पर्याप्तता मजबूत बनी हुई है, जो प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए 15 प्रतिशत के न्यूनतम नियामक से काफी अधिक है।

ख. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीआईएसएल): दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹11.82 करोड़ की परिचालन (शुल्क–आधारित) आय और ₹15.47 करोड़ की कुल आय दर्ज की दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शुल्क–आधारित आय ₹10.20 करोड़ और ₹13.72 करोड़ की कुल आय दर्ज की। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ ₹6.33 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान यह ₹7.86 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, कंपनी के कॉर्पोरेट सलाहकार कार्यक्षेत्र ने ऋण सिंडिकेशन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस वर्ष ने प्रमुख ऋण समाधान जनादेशों के सफल निष्पादन के साथ, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन और कंपनी के ऋण समाधान (स्विस चैलेंज) व्यवहार में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया। इन साख पत्रों के अब मजबूती से स्थापित होने के साथ, कंपनी वित्त वर्ष 2026–27 में इस व्यावसायिक क्षेत्र में ग्रोथ ट्राजेक्ट्री की सकारात्मक उम्मीद करती है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, कंपनी के मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल के राजस्व में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण आईपीओ सूचीबद्ध कार्यों का स्थगन और सेबी से अनुमोदन मिलने में होने वाला विलंब था। भविष्य में, कंपनी ने अनुभवी पेशेवरों को शामिल करके अपनी मर्चेंट बैंकिंग टीम को मजबूत किया है और उनके पास अधिदेशों की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार है। इन रणनीतिक सुधारों के साथ, मर्चेंट बैंकिंग कार्यक्षेत्र आने वाली अवधियों में निरंतर विकास और बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।

वित्त वर्ष 2025–26 में ट्रस्टीशिप क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। ट्रस्टीशिप सेवाओं के राजस्व में वर्ष–दर–वर्ष 43 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई, जो उद्योग के सामान्य मानकों से काफी बेहतर है। यह वृद्धि नए 'प्रतिभूति ट्रस्टी' और 'डिबेंचर ट्रस्टी' अधिदेश के जुड़ने, लेन–देन की बढ़ती संख्या और शुल्क प्राप्ति में सुधार के कारण हुई है। यह विकास व्यापार की सुदृढ़ गति को दर्शाता है और मध्यम अवधि में एक सशक्त सीएजीआर के लिए कारोबार को अनुकूल स्थिति में लाता है।

भविष्य को देखते हुए, कंपनी रणनीतिक रूप से एन्युटी बिजनेस को विकसित करने का इरादा रखती है, ताकि लचीलापन लाया जा सके, निरंतर

नकदी प्रवाह सुनिश्चित की जा सके और हमारे वर्तमान पोर्टफोलियो कारोबार मिश्रण में मौजूद अस्थिरता को कम किया जा सके।

ग. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल):** पंजाब नैशनल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबीसीएसएल, 7 दिसंबर, 2020 को आरबीआई की मंजूरी के बाद 16 मार्च, 2021 को निगमित की गई थी। शुरुआत में पीएनबी के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए गैर–वित्तीय सहायता सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पीएनबीसीएसएल को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 13 जनवरी, 2023 को आरबीआई से मंजूरी मिली। इसमें अब सोर्सिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रचार, विज्ञापन, और जमा (चालू और बचत खाते) और खुदरा ऋण उत्पाद (आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण) शामिल हैं। आगे, आरबीआई ने दिनांक 5 दिसंबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से अतिरिक्त गैर–वित्तीय सहायता सेवाओं के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें कारोबार ऋण (एमएसएमई ऋण सहित), कृषि उत्पाद (फसल ऋण, केसीसी आदि), कारोबार प्रतिनिधि गतिविधि, डेटा प्रविष्टि संचालन, जनशक्ति समर्थन सेवाएं, ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस के लिए नियामक पोर्टल समर्थन और खुदरा, एमएसएमई, कृषि एवं कारोबार ऋण के लिए बैंक के सूचीबद्ध वसूली एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

1,500 से अधिक कर्मचारियों के साथ 130 से अधिक स्थानों पर कार्य करते हुए, पीएनबीसीएसएल ने ₹3,036 करोड़ से अधिक के आवास ऋण (150 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ), ₹1989 करोड़ से अधिक के वाहन ऋण (223 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ), ₹351 करोड़ से अधिक शिक्षा ऋण (2571 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ), ₹111 करोड़ से अधिक के लैप और 2,40,803 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं (161 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ), 3,67,531 से अधिक कासा खातों का प्रबंधन किया (575 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ) (33,391 चालू खाते और 3,34,140 बचत खाते)।

पीएनबीसीएसएल ने अपनी लाभप्रदता ट्राजेक्ट्री को बनाए रखा, ₹6.80 करोड़ के कर के बाद शुद्ध लाभ प्राप्त किया, जो बैंक की सफलता में इसके निरंतर योगदान को दर्शाता है।

पीएनबीसीएसएल उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और व्यापक ग्राहक आधार की सेवा के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. अंतरराष्ट्रीय

क. **पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड (पीएनबीआईएल):** पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड को दिनांक 13 अप्रैल 2006 को यू.के. में शुरु किया गया था एवं इंग्लैंड और वेल्स में कंपनी हाउस के साथ पंजीकृत किया गया था। "बैंक को यू. के. में बैंकिंग कारोबार को संचालित करने के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी(पीआरए) द्वारा अधिकृत है और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफ़सीए) तथा प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा विनियमित है।

व्यावसायिक प्रदर्शन: 31 मार्च, 2026 तक पीएनबीआईएल ने एक चुनौतीपूर्ण परिचालन परिवेश के बावजूद मजबूत बैलेंस शीट विकास और निरंतर लाभप्रदता का प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है।

कुल जमा राशि 31 मार्च, 2025 के ₹7,688 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹11,033 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर 43.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल अग्रिम में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई, जो दिनांक 31 मार्च, 2025 के ₹8,333 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹11,310 करोड़ हो गया, जो वर्ष–दर–वर्ष 35.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, बैंक ने भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (आईजीएएपी) के अंतर्गत ₹105.31 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अंतर्गत ₹25.93 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो बेहतर परिचालन प्रदर्शन और प्रूडेंशियल वित्तीय प्रबंधन को रेखांकित करता है।

ख **डुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल):** डुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थिम्पू, भूटान में है। इसने 27 जनवरी, 2010 को भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपना परिचालन आरंभ किया, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम दोनों घटक शामिल हैं वर्तमान में, बैंक की देश भर में 9 शाखाएँ और 30 एटीएम हैं।

- 31 मार्च, 2025 को ₹2828 करोड़ के मुकाबले डीपीएनबीएल की **कुल जमा राशि** 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गई, अर्थात इसमें 8.06 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।
- 31 मार्च, 2025 को ₹2,103 करोड़ के मुकाबले डीपीएनबीएल की **कुल अग्रिम राशि** 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर ₹2,364 करोड़ हो गई, अर्थात इसमें 12.60 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- **शुद्ध लाभ** 31 मार्च, 2025 के ₹30.41 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹58.67 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2026 तक बैंक की प्रदत्त पूंजी ₹168 करोड़ है।।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बैंक द्वारा प्रायोजित 8 आरआरबी हैं, जिनके नाम हैं बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी), पटना, हरियाणा ग्रामीण बैंक (एचजीबी), रोहतक; हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी); मंडी; पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी), कपूरथला; असम ग्रामीण बैंक (एजीबी), गुवाहाटी; वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक (डब्ल्यूबीजीबी), बरहामपुर; त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (टीजीबी), अगरतला और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी), इंफाल। ये 8 आरआरबी 8 राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में 5150 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 170 जिलों को कवर करते हुए कार्य कर रहे हैं।

- 31 मार्च 2026 तक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का **कुल कारोबार** ₹2,71,259 करोड़ दर्ज किया गया, जो वर्ष–दर–वर्ष 8.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- 31 मार्च 2026 तक आरआरबी की **जमा राशि** ₹1,65,685 करोड़ है। सकल जमाराशि में 7.32 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- 31 मार्च 2026 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का **अग्रिम** भुगतान 11.41 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि के साथ ₹1,05,574 करोड़ हो गया।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआरबी के लिए 9 प्रतिशत की सीआरएआर की नियामक आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। एचपीजीबी को छोड़कर आरआरबी ने टीजीबी (28.58 प्रतिशत), पीजीबी (15. 89 प्रतिशत), एचजीबी (15.64 प्रतिशत), डब्ल्यूबीजीबी (14.45 प्रतिशत), एजीबी (10.31 प्रतिशत), एमआरबी (9.79 प्रतिशत) और एचपीजीबी (7.10 प्रतिशत) के साथ विनियामक आवश्यकता के अतिरिक्त सीआरएआर बनाए रखा। एचपीजीबी का सीआरएआर विनियामक आवश्यकता से कम 7.10 फीसदी है।

31 मार्च, 2026 को प्रायोजित आरआरबी का समेकित शुद्ध लाभ ₹1815 करोड़ था (जिसमें एचपीजीबी का ₹14. 94 करोड़ का शुद्ध घाटा शामिल है)। 31 मार्च, 2026 को सभी आरआरबी का समेकित परिचालन लाभ ₹3585 करोड़ रहा।

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार, आरआरबी में से एक, हरियाणा ग्रामीण बैंक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए पात्र है।

आरआरबी ने 31 मार्च, 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)/मुद्रा के तहत संचयी रूप से ₹7,199 करोड़ वितरित किए हैं, जो कि वितरण के लिए निर्धारित ₹9,500 करोड़ के लक्षित बजट का 75.77 प्रतिशत है।

XVI. पुरस्कार एवं सम्मान

बैंक के उत्कृष्ट प्रयासों और नवाचारों को व्यापक रूप से सम्मान प्रदान किया गया हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों से सम्मान अर्जित किए गए हैं। ये उपलब्धियाँ कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्राप्त किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार नीचे दिए गए हैं:

प्रौद्योगिकी:

1. 106वें स्कॉच अवार्ड्स 2026 में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस (बीएफ़एसआई) श्रेणी में दैनिक लीड क्यूरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क – "परपेचुअल पाइपलाइन" के लिए स्कॉच गोल्ड विनर 2025–26।
2. 21वां आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2026, फिनटेक एवं डीपीआई एडॉप्शन में उप–विजेता और वित्तीय समावेशन में विशेष उल्लेख।
3. 103वें स्कॉच अवार्ड्स 2025 में इनोवेटिव पीएनबी वन बिज़ कॉर्पोरेट बैंकिंग ऐप के लिए बीएफएसआई श्रेणी में रजत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
4. कैपिटालैंड और श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा एक्सप्रेस कंप्यूटर के साथ साझेदारी में डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिकीकरण में उत्कृष्टता हेतु जूरी च्वाइस अवार्ड–डेटा सेंटर श्रेणी।
5. इंफोसिस फिनैकल इनोवेशन अवार्ड्स 2025 में दो प्लेटिनम और एक गोल्ड श्रेणी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
6. मुंबई में आयोजित चौथे आईबीए सीआईएसओ समिट 2025 में बड़े बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत तीन पुरस्कारों से सम्मानित:

i. साइबर सुरक्षा टीम ऑफ द ईयर – विजेता

ii. साइबर इंसीडेंट रिस्पांस मैच्योरिटी – विजेता

iii. साइबर सुरक्षा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर – उप–विजेता

7. डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2023–24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया।
8. फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2025 में: चैनल इनोवेशन प्लेटिनम विजेता – सीसीपीएस (केंद्रीकृत कमीशन भुगतान प्रणाली)।
9. आईबीईएक्स इंडिया बीएफ़एसआई टेक अवार्ड्स 2026: 'टेक–ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड' – रजत ।
10. हिताची वंतारा द्वारा 'सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर' श्रेणी में डेटा इनोवेशन अवार्ड्स 2026

कृषि:

11. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ़) योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान:

- एआईएफ ऋण स्वीकृति और संवितरण के लिए जियो टैगिंग में प्रथम
- एआईएफ़ ऋण संवितरण में द्वितीय।

कर्मचारी / प्रशिक्षण एवं विकास:

12. वित्तीय क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिए गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार।
13. हैप्पी एम्प्लॉयर ब्रांड 2025 के रूप में सम्मानित, जो हमारी 'पीपुल फर्स्ट' संस्कृति को दर्शाता है।
14. इंडस्ट्री एकेडेमिया कॉन्फ्रेंस (आईएसी) 2026 में संस्थागत उत्कृष्टता पुरस्कार।

ईज (ईएएसई) 7.0 पुरस्कार:

15. ईज 7.0 सुधारों की थीम पर कई पोजीशन हासिल कीं:

- प्रभावी जोखिम / धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रहण एवं वसूली (विजेता)
- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता (उप–विजेता)
- नए ज़माने की तकनीकी और दूसरी अग्रिम क्षमताओं को अपनाने हेतु (द्वितीय उप–विजेता)

विविध

16. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा "क" क्षेत्र में राजभाषा में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
17. .तृतीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग अवार्ड्स 2025 में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए:

i. एआई / एमएल कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक – विजेता

ii. सर्वश्रेष्ठ बैंक – उप–विजेता

18. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 19वें नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट 2024 में बीएफ़एसआई श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।



19. ईटी एज द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक श्रेणी में 'बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2026' में से एक के रूप में सम्मानित।

XVII. बैंक की भावी कारोबार योजना

बैंक ने **डिजिटल–प्रथम** और **ग्राहक सेवा–उन्मुख** बैंक बनने की नई प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रवेश किया है। बैंक की विकास रणनीति डिजिटल पैमाने, पहुंच के विस्तार, समावेशी विकास के साथ–साथ उभरते व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता को बढ़ाने पर मजबूती से टिकी हुई है।

खुदरा, कृषि और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित रखना वित्तीय वर्ष 2026–27 में भी बैंक को आगे ले जाना जारी रखेगा। रैम पर पर्याप्त जोर देकर, बैंक न केवल तुलनपत्र की वृद्धि का ध्यान रख रहा है, अपितु एक विकसित भारत के स्तंभों को सक्रिय रूप से ईंधन भी दे रहा है। बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को आवश्यक धन प्रदान करना जारी रखने की योजना बना रहा है।

बैंक का एक अन्य केंद्रित क्षेत्र **कासा जमा** बना हुआ है, जहाँ बैंक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके लिए, बैंक को 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के ग्राहक वर्ग को आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का निरंतर अपग्रेडेशन / संशोधन और नवाचार इस दिशा में हमारे प्रयासों में सहायता करेगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखें और साथ ही नए ग्राहकों को भी अपने बैंकिंग दायरे में लाएँ।

बैंक वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (एफ़एससीएम), नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) और **क्रेडिट कार्ड** जैसे क्षेत्रों के माध्यम से व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए भी तत्पर रहेगा, जो बैंक के व्यावसायिक विकास की संभावनाओं को बेहतर बनाएगा। यह शुल्क आय में वृद्धि और लाभप्रदता की दिशा में भी सहायता प्रदान करेगा।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में, पीएनबी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के नवाचारों और उन्नयन पर जोर देकर एक **डिजिटल–प्रथम संस्थान** बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। बैंक जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना में निवेश करके अपने निगरानी तंत्र को उन्नत करने पर ध्यान देना जारी रखेगा। यह हमारे बैंक को आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और **संसाधन आवंटन** को अनुकूलित करके **परिचालन दक्षता को प्राथमिकता** देने में भी मदद करेगा।

ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हमारा प्राथमिक विशिष्टता कारक बनी रहेगी। बैंक अपने परिचालन में **जेनएआई और उन्नत विश्लेषण** को सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है, साथ ही एक नए रूप में तैयार ग्राहक संबंध प्रबंधन (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट) प्लेटफॉर्म को भी लागू कर रहा है। वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और ग्राहकों की बदलती उम्मीदों पर लगातार खरा उतरने के लिए बैंक **टर्न अराउंड टाइम** को अनुकूलित कर रहा है और **शाखाओं के भीतर के वातावरण** को बेहतर बना रहा है।

बैंक के पास 1,00,000 से अधिक कर्मचारियों का एक विशाल कार्यबल है, जो अब तक हुए सभी परिवर्तनों के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन रहा है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में, बैंक निरंतर कौशल उन्नयन, पारदर्शी प्रदर्शन मूल्यांकन और समावेशी कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से अपने मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। बैंक एक **प्रेरित और सशक्त टीम** को तैयार करना सुनिश्चित करेगा जो पीएनबी को वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार के रूप में आगे ले जाने के लिए तैयार हो।

विकसित भारत@2047 की दृष्टि के अनुरूप, बैंक अपने सभी हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के साथ–साथ नवाचार और उत्कृष्टता के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजना में रेखांकित डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक–केंद्रित रणनीतियों का लाभ उठाते हुए, पीएनबी का लक्ष्य उभरते व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाना और बैंकिंग उद्योग में अपने नेतृत्व को और सुदृढ़ करना है।

XVIII. निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. श्री जतिंदर सिंह बजाज ने दिनांक 05.06.2025 को दिए गए अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 06.06.2025 को शेयरधारक निदेशक का पद रिक्त कर दिया।
2. श्री पंकज शर्मा ने दिनांक 24.07.2025 को भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
3. श्री डी. आनंदन को दिनांक 24.07.2025 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. श्रीमती वंदना भागवतुला को दिनांक 29.08.2025 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित माना गया।
5. श्री कल्याण कुमार ने दिनांक 30.09.2025 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर कार्यपालक निदेशक का पद रिक्त कर दिया।
6. श्री केजी अनंतकृष्णन, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक सह गैर–कार्यपालक अध्यक्ष ने दिनांक 06.11.2025 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
7. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 24.11.2025 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

XIX. निदेशक मंडल का प्रदर्शन मूल्यांकन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बोर्ड और बोर्ड की समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन मैसर्स डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) द्वारा किया गया था (जिन्हें प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) के माध्यम से ऑनबोर्ड किया गया था)। मैसर्स डेलॉयट द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को बोर्ड ने 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान स्वीकार कर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार, 100–अंकीय प्रभावशीलता पैमाने पर बोर्ड का समग्र प्रभावशीलता सूचकांक 85.72 था, जिसमें बोर्ड की गतिशीलता ने सबसे अधिक (अर्थात 89.44) स्कोर किया और बोर्ड के परिचालन (बोर्ड ऑपरेशंस) ने मामूली रूप से कम (83.84) स्कोर किया। बोर्ड के गठन और संरचना ने 85.32 का स्कोर किया, जबकि बोर्ड की अभिशासन उत्तरदायित्वों ने 85.00 का स्कोर किया।

XX. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित के संबंध में टिप्पणियां की हैं: (i) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई), (एफ), (जी) और (एच) के तहत बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रिक्त पद। (ii) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1) का गैर–अनुपालन, जिसमें निदेशक मंडल का गठन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता शामिल है।(iii) वार्षिक रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों का प्रकटीकरण न करना।

XXI. निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

1. महत्वपूर्ण विसंगतियाँ यदि कोई हो, से संबन्धित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया हैं;
2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया;
3. उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
4. भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई थी, और;
5. ये लेखा–जोखा **'गोइंग कंसर्न'** के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

XXII. आभार

निदेशक मंडल शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, शुभचिंतकों और अन्य हितधारकों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल भारत सरकार (जीओआई) को उसके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं। जो बैंक के प्रभावी कामकाज में सहायक रहा है। बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उसके नियामक निरीक्षण और मूल्यवान दिशा–निर्देश के लिए, साथ ही प्रतिभूति विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को उनके मार्गदर्शन और निरीक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने पूरे वर्ष वित्तीय अखंडता और शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया है।

बोर्ड सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की भी सराहना करता है तथा भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी निरंतर भागीदारी की अपेक्षा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण





प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

I. उद्योग संरचना एवं विकास

वैश्विक अर्थव्यवस्था

पिछले 5–6 वर्षों में निरंतर झटकों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ी है। 2025 में व्यापार शुल्क (टैरिफ), विखंडन तथा भू–राजनीतिक तनावों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने और 3.4 प्रतिशत[1] की वार्षिक वृद्धि दर्ज करके सुदृढ़ता प्रदर्शित की जो पूर्व के अनुमान 3.2 प्रतिशत से अधिक था । जहाँ एक ओर कमजोर बाह्य मांग और ऊर्जा की उच्च लागत के कारण वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र संघर्षरत रहा, वहीं सेवा क्षेत्र वैश्विक विकास का प्रमुख आधार बना रहा। जिसे महामारी के बाद की यात्राओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं के तीव्र विस्तार से सुदृढ़ता मिली।

वैश्विक आर्थिक सुधार को फरवरी 2026 में एक और झटका लगा क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और पश्चिम एशिया में संघर्ष फैल गया। इस घटनाक्रम ने गहरी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है तथा होर्मुज जलसंधि की नाकाबंदी के कारण वैश्विक व्यापार मार्गों एवं ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किया है। परिणामस्वरूप ऊर्जा कीमतों और माल ढुलाई लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

इस भू–राजनीतिक अस्थिरता का सबसे तात्कालिक प्रभाव वैश्विक "मुद्रास्फीति" प्रक्रिया के ठहराव के रूप में सामने आया है । कई वर्षों तक केंद्रीय बैंकों द्वारा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों के बाद, आईएमएफ़ ने चेतावनी दी है कि युद्ध ने मुद्रास्फीति के दबाव की एक नई लहर उत्पन्न कर दी है, जिसके **परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में वैश्विक शीर्ष मुद्रास्फीति दर बढ़कर 4.4 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है।** जो पूर्व के अनुमानों से 3.8 प्रतिशत है इसका मुख्य कारण ऊर्जा कीमतों में अनुमानित 19 प्रतिशत की वृद्धि माना जा रहा है। आईएमएफ के अनुसार, यदि संघर्ष और अधिक बढ़ता है, विशेषकर यदि यह होर्मुज जलडमरूमध्य या मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना को खतरे में डालता है, तो विश्व को आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण विश्व अर्थव्यवस्था एक बार पुनः मुद्रास्फीतिजनित मंदी के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में, केंद्रीय बैंकों को संभवतः एक विस्तारित अवधि के लिए उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जिससे बढ़ती जीवनयापन लागत से पहले से ही जूझ रहे परिवारों और व्यवसायों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

जारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि घटकर 3.1 प्रतिशत रह जाएगी तथा वर्ष 2027 में मामूली सुधार के साथ 3.2 प्रतिशत तक पहुँच सकती है,** परंतु वर्ष 2025 में दर्ज 3.4 प्रतिशत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की तुलना में काफी धीमी होगी।

इन दबावों के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थितियाँ लगातार अधिक असमान होती जा रही हैं। उभरते बाजार और विकासशील विकासशील राष्ट्र इस बढ़ती अस्थिरता का सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे हैं।, इन क्षेत्रों के लिए विकास के अनुमानों को **2025 के 4.4 प्रतिशत से घटाकर 2026 में 3.9 प्रतिशत कर दिया गया है।**

इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अपेक्षाकृत बेहतर लचीलापन प्रदर्शित किया है तथा वहाँ 2.3 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान बनाए रखा गया है, यद्यपि वहाँ भी मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तर पर लाने की प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक धीमी रहने की संभावना है। यूरो क्षेत्र अभी भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, जहाँ ऊँची ऊर्जा लागत तथा केवल 1.1 प्रतिशत की सीमित विकास दर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। इस असमान परिदृश्य के बीच, भारत एक उल्लेखनीय अपवाद के रूप में उभरा है, जिसने अपने क्षेत्रीय समकक्ष देशों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से अधिक सुदृढ़ता बनाए रखी है।

भू–राजनीतिक तनावों के अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख कारकों में विभिन्न देशों द्वारा संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को अपनाना, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ता सार्वजनिक ऋण तथा पर्यावरणीय एवं जनसांख्यिकीय दबावों में वृद्धि शामिल हैं।

आगे बढ़ते हुए, इन वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित नीति निर्माण प्रक्रिया तथा मज़बूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

अनिश्चितताओं एवं अस्थिरता से घिरे वैश्विक परिदृश्य के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़ता और संघर्षशीलता की प्रेरक गाथा बनी हुई है। जहाँ अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ रेटिंग में गिरावट तथा मंदी की आशंकाओं का सामना कर रही हैं, वहीं भारत मजबूत घरेलू कारकों एवं रणनीतिक व्यापारिक पुनर्गठन के बल पर विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

भारत ने गत वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26)[2] में 7.6 प्रतिशत की प्रभावशाली विकास दर दर्ज करते हुए मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2026–27 में प्रवेश किया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026–27 के लिए, प्रमुख संगठनों ने वैश्विक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वानुमानों को थोड़ा कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आईएमएफ और विश्व बैंक ने इसे क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

कई आंतरिक कारक जैसे मजबूत निजी उपभोग, जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड), सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में तेजी, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, भारत का डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना और निजी निवेश में उछाल, भारत के आर्थिक प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए **''विकास चालक''** के रूप में कार्य कर रहे हैं। उच्च घरेलू मांग के माध्यम से मजबूत घरेलू उपभोग अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। मजबूत कृषि प्रदर्शन और शहरी मांग में सुधार के समर्थन से बढ़ती ग्रामीण आय उपभोग के आधार को व्यापक बना रही है। सितंबर 2025 में माल और सेवा कर के युक्तिकरण और केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित आयकर राहत ने, कम मुद्रास्फीति (महंगाई) और ब्याज दरों के साथ मिलकर उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा दिया।

भारत के कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की है, जिसने मुख्य रूप से संबद्ध क्षेत्रों द्वारा संचालित एक स्थिर विकास पथ बनाए हुए है। हालाँकि पारंपरिक खाद्यान्न उत्पादन में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है, परंतु अब पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी सहित उच्च–मूल्य वाले खंड परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं। ये संबद्ध उद्योग ग्रामीण आय के अवसरों को बढ़ाने और कृषि परिवारों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में केंद्रीय बन गए हैं।

सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी, व्यावसायिक सेवाएं और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) एक प्रमुख विकास इंजन बने हुए हैं। डिजिटलीकरण, एआई संचालित समाधानों और वैश्विक आउटसोर्सिंग द्वारा प्रवृत्तियों के समर्थन से सेवा निर्यात का तेजी से विस्तार हो रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र को सरकार की विभिन्न पहलों यथा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (चीन+1 रणनीति) से बढ़ावा मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा के क्षेत्र में स्वयं को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से स्थापित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट 2026–27 में की गई घोषणाएं अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्कों में भारी कमी (50 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत होना) से एक महत्वपूर्ण अनुकूल स्थिति सामने आई है। इसने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्राथमिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है, जिससे माल ढुलाई की उच्च लागत

[1] *आईएमएफ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, अप्रैल, 2026 के अनुसार*

[2] *एनएसओ, एमओएसपीआई के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार*

के बावजूद व्यापारिक निर्यात को बढ़ावा मिला है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026–27 ₹40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 की शुरुआत और ₹10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति पहल जैसे बड़े आवंटनों के माध्यम से हाई–टेक घरेलू विनिर्माण को तेजी से बढ़ावा देता है इसके साथ ही, यह बजट ₹10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड तथा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के माध्यम से इनवॉइस डिस्काउंटिंग के विस्तार द्वारा छोटे व्यवसायों के औपचारिकीकरण और नकदी प्रवाह को प्राथमिकता देता है। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को व्यवस्थित रूप से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत करने और ऋण–से–जीडीपी अनुपात (डेट–टू–जीडीपी रेशियो) को कम करके 55.6 प्रतिशत पर लाकर इस वृहद विकासात्मक अभियान को प्रबंधित करके, यह बजट दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और निजी निवेश को बढ़ावा देता है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, मुद्रास्फीति कम रही और लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यम लक्ष्य से नीचे बनी रही, यहाँ तक कि कुछ महीनों में यह भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रतिशत के निचले सहनशीलता बैंड(सीमा) से भी नीचे गिर गई। अक्टूबर 2025 में, मुद्रास्फीति 0.25 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर थी। अपस्फीतिकारी की यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में भारी सुधार), ईंधन की लागत के अनुकूल दृष्टिकोण और सरकार द्वारा घोषित जीएसटी राहत उपायों से प्रेरित थी।

मार्च 2026 तक, खाद्य कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। आरबीआई को वर्तमान वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के औसतन 4.6 प्रतिशत रहने की आशंका है। उर्जा की बढ़ती कीमतों और दक्षिण–पश्चिम मानसून पर 'अल–नीनो' की स्थितियों का संभावित प्रभाव आगामी महीनों में मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा सकता है।

वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का व्यापार परिदृश्य मध्यम रहा। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कुल निर्यात 860.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह 825.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 4.22 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स के साथ–साथ सेवा क्षेत्र निर्यात के प्रमुख विकास चालक बने रहे।

इसी अवधि के दौरान कुल आयात 919.92 बिलियन डॉलर से बढ़कर 979.40 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें 6.47 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कीमती धातुओं (सोना और चांदी) और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात में उछाल के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़कर 119.30 बिलियन डॉलर हो गया।

वर्तमान वित्त वर्ष में, यदि संघर्ष जारी रहता है, तो प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान और माल ढुलाई एवं बीमा लागत में वृद्धि से व्यापारिक निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

जहाँ एक ओर आर्थिक विकास के इंजन भारत के विकास को गति दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रगति को कई स्तरों पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत का आर्थिक विकास मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वैश्विक विकास की धीमी गति, निर्यात की कमजोर मांग और व्यापार विखंडन के प्रति भारत संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यह निर्यात की गति को प्रभावित करेगा।

एक प्रमुख ऊर्जा आयातक के रूप में, भारत मध्य पूर्व में उत्पन्न होने वाले मूल्य झटकों, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी और ऊर्जा आधारभूत संरचना को होने वाली क्षति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कच्चे तेल की कीमतें (ब्रेंट/डब्ल्यूटीआई क्रूड) 86–113 डॉलर प्रति बैरल की सीमा में बनी हुई हैं, जो राजकोषीय घाटे और घरेलू व्यय योग्य आय के लिए सीधा खतरा है ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई एवं बीमा लागत के साथ–साथ आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से जुड़ी उच्च इनपुट लागत डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए प्रमुख इनपुट की उपलब्धता को बाधित कर सकती है, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। खाड़ी क्षेत्र भारत के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य और विप्रेषण का प्रमुख स्रोत है। तेल की बढ़ती कीमतों, अल्पकालिक पूंजी बहिर्वाह और डॉलर के मजबूत होने के संयुक्त प्रभावों के कारण रुपया दबाव में है, जो पूंजी प्रवाह और आयात लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

घरेलू परिदृश्य में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें खंडित जोत, सिंचाई और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तक सीमित पहुंच, सीमित मशीनीकरण और निवेश के साथ–साथ विभिन्न फसलों और क्षेत्रों में स्थिर पैदावार शामिल है। ये मुद्दे उत्पादकता में सुधार और किसानों की आय को लगातार बाधित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए अनुमानित 'अल–नीनो' की स्थितियाँ दक्षिण–पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने का कारण बन सकती हैं, जो खाद्य उत्पादन और ग्रामीण आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

घरेलू स्तर पर, रोजगार सृजन एक अन्य प्रमुख चुनौती है जिसका सामना अर्थव्यवस्था कर रही है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के कारण। यह चिंता बढ़ रही है कि एआई, जीडीपी वृद्धि को रोजगार वृद्धि से अलग कर देगा। एआई कंपनियों को कर्मचारियों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि किए बिना अपने परिचालन को बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने की अनुमति देता है। एक ऐसे राष्ट्र के लिए जहाँ प्रतिवर्ष लाखों युवा श्रमबल में शामिल हो रहे हैं, यह एक ऐसा जोखिम उत्पन्न करता है जहाँ अर्थव्यवस्था तो बढ़ती है, परंतु उपलब्ध "गुणवत्तापूर्ण" नौकरियों की संख्या स्थिर रहती है।

वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत का आर्थिक दृष्टिकोण "सतर्क आशावाद" का है। राष्ट्र ने उथल–पुथल में विश्व के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने बड़े घरेलू बाजार और बदलते वैश्विक व्यापार गठबंधनों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। हालांकि "युद्ध–प्रेरित" ऊर्जा अवरोध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान वास्तविक जोखिम हैं, परंतु भारत की मजबूत घरेलू मांग, वित्तीय प्रणाली और विनिर्माण गति यह संकेत देती है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्राथमिक उज्ज्वल बिंदु बना रहेगा। इस वर्ष नीति निर्माताओं के लिए चुनौती मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि "एआई–संचालित" उत्पादकता उछाल का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महसूस किया जाए।

संक्षेप में, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है: सुधारों, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी पर केंद्रित सही नीतिगत मिश्रण के साथ, इसमें आने वाले दशक में एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की क्षमता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का आउटलुक

वित्त वर्ष 2026–27 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र देश के गतिशील आर्थिक विकास पथ के एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्षों के आक्रामक डी–लीवरेजिंग और विनियामक सख्ती के बाद, इस क्षेत्र ने **"गोल्डिलॉक्स"** चरण में प्रवेश किया है, जो तनावग्रस्त आस्तियों के ऐतिहासिक रूप से निचले स्तरों के साथ मजबूत ऋण मांग को संतुलित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2025–26 में जमा राशि की वृद्धि 13.47 प्रतिशत रही, जो मई 2024[3] के बाद सबसे तेज गति है,

क्योंकि वित्तीय बाजारों में अशांत दौर के बाद परिवारों और संस्थानों ने अपने धन को सुरक्षित विकल्पों की ओर स्थानांतरित किया। इक्विटी (शेयर बाजार) में भारी गिरावट, सोने और चांदी में अस्थिरता, और कई म्यूचुअल फंड श्रेणियों में घाटे ने निवेशकों को बैंक जमा और बॉन्ड की तुलनात्मक स्थिरता की ओर धकेला। सुरक्षा की ओर इस झुकाव ने प्रणालीगत तरलता को बढ़ाया और कुल जमा राशि को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, जो 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर ₹262 लाख करोड़ हो गई।

[3] भा.रि.बैंक के पाक्षिक डाटा प्रकाशन 31.03.2026 के अनुसार

ऋण वृद्धि भी वित्त वर्ष 2025–26[3] में बढ़कर 16.08 प्रतिशत (₹213 लाख करोड़) हो गई, जो जून 2024 के बाद सबसे मजबूत है, जिसका मुख्य कारण ऋण लेने के पैटर्न में आया निर्णायक बदलाव है। यील्ड (ल्पमसक) में वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी उधारी महंगी होने से, बड़े कॉरपोरेट्स ने घरेलू और अपतटीय दोनों पूंजी–बाजार निर्गमों को धीमा या स्थगित कर दिया, और इसके स्थान पर बैंकों की ओर रुख किया। खुदरा खंडों, विशेष रूप से गोल्ड लोन और वाहन ऋण में मजबूत मांग से इस बदलाव को और बल मिला, जो पूरे वर्ष सक्रिय रहे।

खुदरा खंड, विशेष रूप से स्वर्ण ऋण और वाहन ऋण में मजबूत पकड़ से इस परिवर्तन को अधिक बल मिला है, जिसमें अधिकांश बैंकों ने इस खंड में दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की है। अर्थव्यवस्था के निरंतर औपचारिकीकरण और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को अधिक विश्वास के साथ ऋण देने में सक्षम बनाया है, जो ऋण वृद्धि में लगातार दहाई अंक की बढ़त दर्शा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्षों की शिथिलता के बाद, निजी पूंजीगत व्यय में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा व डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में ऋण की मांग विशेष रूप से मजबूत है।

वित्त वर्ष 2025–26 में, **भारतीय बैंकिंग क्षेत्र रिकॉर्ड–उच्च ऋण–जमा (सीडी) अनुपात से जूझता रहा, जो मार्च 2026[4] तक 83 प्रतिशत के सर्वकालिक शिखर पर पहुँच गया।** यह वृद्धि एक निरंतर विचलन से प्रेरित है, जहाँ 13.5 से 14.5 प्रतिशत के मध्य रहने वाली मजबूत ऋण वृद्धि ने लगभग 10–11 प्रतिशत की सुस्त जमा वृद्धि को लगातार पीछे छोड़ दिया है। चूंकि परिवार अपनी बचत को उच्च–प्रतिफल वाले इक्विटी बाजारों और म्यूचुअल फंड की ओर मोड़ रहे हैं, बैंक संरचनात्मक तरलता की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें महंगे जमा प्रमाणपत्रों और अल्पकालिक बाजार उधारी के माध्यम से वित्त पोषण के अंतर को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह 'फंडिंग स्ट्रेस' भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक प्राथमिक विनियामक चिंता बन गया है, क्योंकि बढ़ा हुआ सीडी अनुपात न केवल बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन को कम करता है, अपितु ऋणदाताओं की ऋण देने और भारत के व्यापक आर्थिक विस्तार को समर्थन देने की क्षमता को भी सीमित करता है।

लाभप्रदता के मानक चक्रीय उच्च स्तर पर हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसमें पहली बार त्रैमासिक शुद्ध लाभ ₹1.00 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। शुद्ध लाभ में वर्ष–दर–वर्ष 10.6 प्रतिशत और क्रमिक रूप से 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे अन्य आय में दो अंकों की वृद्धि, अनुकूल आस्ति गुणवत्ता के बीच थोड़े बेहतर मार्जिन और निरंतर ऋण विस्तार से समर्थन मिला।

संभवतः इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि परिसंपत्तियों की दशक भर की उच्च गुणवत्ता है। **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर–निष्पादित आस्ति अनुपात दिसंबर 2025 में गिरकर दिसंबर 2025[5] 1.89 प्रतिशत रह गया, जो अब तक का सबसे कम है।** बैंकों ने उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बनाए रखा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे संभावित झटकों के विरुद्ध अच्छी तरह से सुरक्षित हैं।

पूंजी पर्याप्तता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, **दिसंबर 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 'जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात(सीआरएआर)' 16.91 प्रतिशत रहा**, जो नियामकीय आवश्यकताओं से पर्याप्त रूप से अधिक है और भविष्य में ऋण विस्तार के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।"

एक महत्वपूर्ण बदलाव के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 से रेपो रेट में 125 आधार अंकों की कटौती की, जिससे यह 2026 की शुरुआत तक यह 5.25 प्रतिशत हो गया। हालांकि इसने ऋण लेने की प्रक्रिया को गति दी है, परंतु इसने बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव डाला है। यद्यपि इसने ऋण लेने की प्रक्रिया को गति दी है, परंतु इसने बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव डाला है। क्योंकि रेपो दर से जुड़े ऋणों की कीमतें तुरंत परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि जमा की कीमतें उनकी परिपक्वता के साथ धीरे–धीरे समय के साथ परिवर्तित होती हैं ।

बैंक वर्तमान में एक "डिपॉजिट वॉर" का सामना कर रहे हैं, जहाँ जमा वृद्धि की गति कभी–कभी ऋण विस्तार से पीछे रह गई है। जिससे ऋणदाताओं को जमा पर प्रतिस्पर्धी दरें जारी रखने के लिए दबाव पड़ रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान में डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और वित्तीय गहनता के कारण एक संरचनात्मक "टेक–लिफ्ट" के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना (यूपीआई, आधार अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क) का तीव्रता से अपनाने से बैंकिंग मॉडलों को नया आकार मिल रहा है, जिससे लागत दक्षता सक्षम हो रही है और वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि एक मुख्य परिचालन उपकरण बन गया है, जिसका व्यापक रूप से ऋण अंडरराइटिंग और ऋण देने, ग्राहक अधिग्रहण, साइबर खतरों का पता लगाने, धोखाधड़ी की रोकथाम, जोखिम और अनुपालन आदि के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, **"सतत वित्त"** मुख्यधारा में आ गया है, जहाँ बैंकों ने नवीकरणीय ऊर्जा को वर्ष 2026–27 के लिए उच्चतम विकास क्षमता वाले खंड के रूप में पहचाना है।



तथापि वित्त वर्ष 2026–27 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश कर रहा है, किन्तु आगामी वर्ष में इसे उभरती हुई संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के एक जटिल परिदृश्य से निपटना होगा। एक प्रमुख संरचनात्मक समस्या ऋण और जमा का बेमेल होना है, क्योंकि जमा संग्रह की गति ऋण वृद्धि की तुलना में धीमी बनी हुई है। परिणामस्वरूप, इसने बैंकों को रेपो दर में हुई कटौतियों का लाभ प्रभावी ढंग से जमा दरों तक पहुंचाने से रोका है। संभावित अल–नीनो स्थितियां कृषि उत्पादन और आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे कृषि ऋण पोर्टफोलियो पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित खुदरा ऋण के बढ़ते जोखिम ने आरबीआई को नियामक सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया है।

निष्कर्षतः, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण **संरचनात्मक रूप से सकारात्मक** बना हुआ है, जिसकी विशेषता सुदृढ़ तुलन पत्र, निरंतर ऋण मांग और बेहतर लाभप्रदता है। फिर भी, तरलता के दबाव का प्रबंधन करना, तेजी से बढ़ती खुदरा ऋण वृद्धि के मध्य अंडरराइटिंग अनुशासन बनाए रखना और वैश्विक व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटना इस गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार, यह क्षेत्र कैलिब्रेटेड विस्तार प्रदर्शित कर रहा है और इसे भारत के व्यापक आर्थिक विकास पथ के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थापित कर रहा है।

II. अवसर

जैसे–जैसे भारत विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, बैंकिंग क्षेत्र से कुशल ऋण मध्यस्थता, पूंजी निर्माण, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी–आधारित परिवर्तन के माध्यम से आर्थिक विकास के अगले चरण का समर्थन करने में एक निर्णायक भूमिका निभाने की अपेक्षा है। एक मजबूत घरेलू मांग आधार, बढ़ते आधारभूत संरचना के निवेश, नीतिगत निरंतरता और एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के साथ, वित्त वर्ष 2026–27 में भारतीय बैंक विकास की गति को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

[3] भा.रि.बैंक के पाक्षिक डाटा प्रकाशन 31.03.2026 के अनुसार
[4] भा.रि.बैंक के पाक्षिक डाटा प्रकाशन 15.03.2026 के अनुसार
[5] आरबीआई गवर्नर के अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति पर भाषण।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत की आर्थिक गतिविधि सुदृढ़ बनी रही। विकास को विनिर्माण, सेवाओं, निजी उपभोग और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय द्वारा समर्थन मिला। वस्तु एवं सेवा कर युक्तिकरण, आयकर में राहत, कैलिब्रेटेड मौद्रिक सहजता और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता सहायता, जिसमें नकद आरक्षित अनुपात में कटौती और अन्य तरलता संचालन शामिल हैं, जैसे उपायों ने ऋण विस्तार और व्यावसायिक गतिविधि के लिए एक सहायक वातावरण तैयार किया।

केंद्रीय बजट 2026–27 से आधारभूत संरचना निर्माण, एमएसएमई विकास, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर निरंतर जोर देने के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करने की संभावना है। ₹12.2 लाख करोड़ के बढ़े हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय परिव्यय, राज्यों को ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण, नए फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा और शहरी विकास पहल से परियोजना वित्त, कार्यशील पूंजी ऋण और सहायक क्षेत्र के ऋण में महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी फंड की स्थापना ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने से पूंजी के उपयोग को अनुकूलित करते हुए लंबी अवधि की परियोजनाओं में बैंकों की भागीदारी में सुधार हो सकता है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान अच्छी ऋण वृद्धि बनी रही। मार्च 2026 के समापन तक, बैंक ऋण में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर–खाद्य ऋण के क्षेत्रवार वितरण में, कृषि क्षेत्र के ऋण में 15.7 प्रतिशत और उद्योग क्षेत्र के ऋण में 15.0 प्रतिशत[6] की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋणों ने क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत की मजबूत वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की।

बैंक ऋण विस्तार का विस्तार लगातार खुदरा, सेवा और एमएसएमई ऋणों से प्रेरित रहा है। बेहतर व्यावसायिक धारणा, निरंतर बुनियादी ढांचा व्यय और निजी निवेश में पुनरुद्धार से भविष्य में कॉर्पोरेट ऋण की मांग को समर्थन मिलने की संभावना है। लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीकॉम, सड़क, रेलवे, वेयरहाउसिंगऔर विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में ऋण के सार्थक अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

एमएसएमई क्षेत्र बैंकिंग उद्योग के लिए एक प्रमुख विकास इंजन बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के



बैंकों ने एमएसएमई के लिए 'डिजिटल फुटप्रिंट' पर आधारित प्रौद्योगिकी–सक्षम ऋण मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किए हैं, जो तेज, वस्तुनिष्ठ और स्वचालित मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाते हैं। बजट में की गई घोषणाएँ, जैसे कि ₹10,000 करोड़ का लघु माध्यम उद्योग विकास निधि, 'आत्मनिर्भर भारत फंड' को अतिरिक्त सहायता, माध्यम एवं लघु उद्योगों से खरीद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' का अनिवार्य उपयोग, 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट' (सीजीटीएमएसई) समर्थित इनवॉइस डिस्काउंटिंग, एवं 'गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस' का ट्रेड्स के साथ एकीकरण, इन सभी से छोटे व्यवसायों की चलनिधि, औपचारिकता एवं ऋण–पात्रता में सुधार होने की आशा है। इन उपायों से कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण एवं संपार्श्विक–मुक्त ऋण में तेजी आने की संभावना है, साथ ही इनसे आस्ति गुणवत्ता के रुझानों को भी समर्थन प्राप्त होगा ।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बैंकों को निरंतर महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहें हैं। जलाशयों, सिंचाई, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुधन मूल्य श्रृंखलाओं, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण एवं उच्च–मूल्य वाली फसलों पर नीतिगत रूप से ध्यान दिये जाने से ग्रामीण ऋण की मांग बढ़ने की संभावना है। तथापि, वित्त वर्ष 2026–27 में 'एल नीनो' मौसम चक्र की संभावना के कारण कुछ क्षेत्रों में मानसून की स्थिति असमान रह सकती है, जिससे फसल की पैदावार, कृषि आय और अल्पावधि पुनर्भुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती डिजिटल पहुंच एवं विश्लेषण–आधारित ऋण मॉडल उन भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ कम उपलब्ध हैं।

खुदरा ऋण के ऋण वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बने रहने की संभावना है। शहरीकरण, बढ़ती आय, बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप और आकांक्षात्मक उपभोग प्रवृत्तियों से आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा वित्त और व्यक्तिगत बैंकिंग उत्पादों की मांग को सहयोग मिलने की संभावना है। संशोधित बेसल मानकों के अंतर्गत प्राइम रेजिडेंशियल मॉर्टगेज, रिटेल, एमएसएमई जोखिम और कॉर्पोरेट एसएमई हेतु प्रस्तावित निम्न जोखिम भार से ऋण विस्तार को और अधिक बल मिल सकता है।

भारत का डिजिटल भुगतान पारितंत्र विश्व के सबसे सशक्त तंत्रों में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (यूपीआई) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में तत्काल डिजिटल भुगतान में अब भारत की हिस्सेदारी[7] लगभग 49 प्रतिशत है। मार्च 2026 में यूपीआई द्वारा 22 बिलियन से अधिक लेन–देन किए गए, जो इस मंच के विस्तार, सुविधा एवं विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। यूपीआई की स्वीकार्यता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है और यह कई देशों में परिचालन में है, जबकि अन्य देशों के साथ लिंकेज प्रक्रियाधीन है।

बैंकिंग क्षेत्र मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कागज रहित ऋण वितरण मॉडल के माध्यम से तीव्र डिजिटल परिवर्तन का गवाह रहा है। डिजिटलीकरण ग्राहकों की सुविधा में सुधार कर रहा है, टर्नअराउंड टाइम को कम कर रहा है, जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ कर रहा है और शहरी एवं ग्रामीण बाजारों में बैंकिंग सेवाओं के लागत–कुशल वितरण को सक्षम बना रहा है। जैसे–जैसे वित्तीय सेवाएं डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समाहित होती जा रही हैं, मजबूत तकनीकी क्षमताओं वाले बैंकों द्वारा बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने की संभावना है।

डिजिटल परिवर्तन का अगला चरण प्रस्तावित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के माध्यम से भी संचालित हो रहा है, जिससे ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के डेटा तक वास्तविक समय में डिजिटल पहुंच मिलने और छोटे किसानों, व्यापारियों एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए तेजी से ऋण मूल्यांकन सक्षम होने की उम्मीद है। यह पहल दस्तावेज़ीकरण की बाधाओं और टर्नअराउंड समय को कम करके ऋण वितरण दक्षता और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण सुधार कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के नीतिगत और नियामक उपाय विकास–उन्मुख सुधार कार्यसूची को दर्शाते हैं। जोखिम–आधारित जमा बीमा प्रीमियम ढांचा, अप्रैल 2027 से अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान , संशोधित बेसल III मानदंड, शेयरों और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) वित्तपोषण पर विस्तारित ऋण सीमा, और विलय एवं अधिग्रहण के वित्तपोषण से संबंधित प्रस्तावों जैसी प्रमुख पहलों से पूंजी दक्षता में सुधार, लचीलापन मजबूत होने और बैंकों के लिए ऋण देने के नए अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

III. चुनौतियाँ

मजबूत घरेलू बुनियादी ढांचे के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों से उत्पन्न जोखिमों का सामना कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव ने नई अनिश्चितता पैदा की है,

[6] *मार्च 2026 के लिए आरबीआई के बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण आंकड़ों के अनुसार*

[7] *वित्त मंत्रालय के डाटा के अनुसार*

जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत, आपूर्ति में बाधा, वैश्विक बाजारों में उतार–चढ़ाव और प्रेषण के प्रवाह पर दबाव जैसे कई माध्यमों से भारत को प्रभावित कर सकती है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है, और पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक रहने वाले व्यवधान से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो सकती है। ऊर्जा की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति (महंगाई), राजकोषीय संतुलन और चालू खाता घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इनपुट लागत में वृद्धि से विमानन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, रसायन, सिरेमिक, धातु और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों के लाभ में कमी आ सकती है।

भारतीय रुपया वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग 9 प्रतिशत गिर गया और विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह के कारण ₹1.53 लाख करोड़[8], अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित निवेश मांग और उच्च वैश्विक जोखिमों से बचने के कारण न्यूनतम निम्न स्तर से गिर रहा है। रुपये की कमजोरी से आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है, हेजिंग की लागत में वृद्धि होती है, व्यापार वित्त प्रभावित होता है और विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाले कर्जदारों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा, यह ईंधन, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित इनपुट की लागत को भी बढ़ा सकता है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न हो सकता है।

बैंकिंग प्रणाली के लिए जमा राशि जुटाना एक संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। हाल के वर्षों में जमा वृद्धि ऋण विस्तार से पीछे रही है, जिससे दायित्व प्रबंधन लगातार जटिल हो रहा है। कम लागत वाले बचत और चालू खाता जमा के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र रहने की संभावना है क्योंकि परिवार अपनी बचत को म्यूचुअल फंड, इक्विटी और बीमा उत्पादों जैसे उच्च यील्ड वाले खंड में निवेश कर रहे हैं। थोक जमा पर बढ़ती निर्भरता फंडिंग लागत को और बढ़ा सकती है, और मार्जिन के अतिरिक्त दबाव को बढ़ा सकती है।

यद्यपि आस्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, फिर भी असुरक्षित खुदरा ऋण, माइक्रोफाइनेंस, व्यापारिक व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों और लागत वृद्धि या आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं का सामना करने वाले एमएसएमई जैसे कुछ क्षेत्रों में जोखिम बने हुए हैं। सीमित वित्तीय बफर वाले छोटे उधारकर्ता आर्थिक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

साइबर सुरक्षा बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैर–वित्तीय जोखिमों में से एक बनी हुई है। तीव्र डिजिटलीकरण, मोबाइल बैंकिंग में वृद्धि, एपीआई –आधारित एकीकरण, क्लाउड को अपनाना और तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता ने खतरों की सीमा को काफी बढ़ा दिया है। बैंकों को एआई–आधारित धोखाधड़ी, फिशिंग हमलों, रैनसमवेयर, क्रेडेंशियल चोरी, मैलवेयर घुसपैठ और ग्राहकों एवं कर्मचारियों को लक्षित करने वाले परिष्कृत सोशल इंजीनियरिंग अभियानों का सामना करना पड़ रहा है।

रियल–टाइम डिजिटल भुगतान और ओमनीचैनल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते पैमाने से सेवा में व्यवधान, डेटा लीक, भुगतान धोखाधड़ी और प्रतिष्ठित नुकसान से संबंधित जोखिमों को भी बढ़ा दिया हैं। महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करने वाली साइबर घटनाएं परिचालन ठप होने, नियामक दंड, ग्राहकों की कमी और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती हैं।

साथ ही, ग्राहक सहमति, डेटा गोपनीयता, लचीलापन परीक्षण और घटना रिपोर्टिंग के संबंध में विकसित होती नियामक अपेक्षाओं के लिए शासन, नियंत्रण, कुशल जनशक्ति और उन्नत निगरानी क्षमताओं में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। जैसे–जैसे साइबर हमलावर अधिक संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम होते जा रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए साइबर सुरक्षा की तैयारी एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी।

IV. आउटलुक

घरेलू खपत, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे पर खर्च, विनिर्माण विस्तार और बढ़ते निजी निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2026–27 में भारत की जीडीपी वृद्धि वैश्विक स्तर पर उच्चतम रहने की उम्मीद है। हालांकि भू–राजनीतिक अनिश्चितताएं एक जोखिम बनी हुई हैं, लेकिन अंतर्निहित घरेलू व्यापक आर्थिक वातावरण बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल आधार प्रदान कर रहा है।

रिटेल, आवास, कृषि, एमएसएमई और चुनिंदा कॉर्पोरेट ऋणों के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2026–27 में ऋण वृद्धि 12–13 प्रतिशत की सीमा रहने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क, मजबूत जमा फ्रैंचाइज़ी, विश्वसनीय ग्राहक संबंधों और बेहतर होती तकनीकी क्षमताओं के कारण इस गति का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

जमा संग्रहण एक प्रमुख रणनीतिक केंदित क्षेत्र बना रहेगा। बैंकों से अपेक्षा है कि वे कासा पैठ को गहरा करेंगे, डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाएंगे और फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाएंगे। आरबीआई द्वारा सीआरआर समायोजन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और अन्य उपकरणों के माध्यम से किये जाने वाला नपे–तुले तरलता प्रबंधन बाजार की स्थितियों को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायक होगा।

बाहरी अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धी जमा मूल्य निर्धारण के कारण निकट भविष्य में मार्जिन एक सीमित दायरे में रह सकता है। हालांकि, परिचालन दक्षता, प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादकता लाभ, शुल्क आय में वृद्धि और ट्रेजरी अवसर लाभप्रदता को समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में नियामक अनुपालन में सुधार एक उल्लेखनीय सकारात्मक रुझान रहा है। वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई द्वारा लगाया गया मौद्रिक दंड वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान लगभग 37 प्रतिशत घटकर लगभग ₹19.8 करोड़ रह गया, जो मजबूत शासन मानकों, केवाईसी मानदंडों के बेहतर पालन, बेहतर परिचालन नियंत्रण और बढ़ती नियामक अनुशासन को दर्शाता है। यह दीर्घकालिक संस्थागत विश्वसनीयता और जोखिम संस्कृति के लिए एक शुभ संकेत है।

साइबर सुरक्षा और भविष्य के लिए तैयार तकनीक इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता वाले विषय बने रहने की उम्मीद है। बैंकों द्वारा उन्नत सुरक्षा संचालन केंद्रों , थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, निरंतर भेद्यता मूल्यांकन और एआई–सक्षम धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों के माध्यम से उद्यम–व्यापी साइबर लचीलेपन को मजबूत करना जारी रखने की संभावना है। जैसे–जैसे डिजिटल लेनदेन का विस्तार होगा, मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों, क्वांटम–प्रतिरोधी सुरक्षा ढांचे और वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं में निवेश के तेज होने की संभावना है।

साइबर अभ्यास, हैकथॉन, प्रतिभा विकास पहल और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से उद्योग के भीतर सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे डिजिटल विश्वास, आत्मनिर्भरता और 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी सुरक्षा समाधानों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मजबूत घरेलू बुनियादी सिद्धांतों, सहायक सुधारों, लचीले संस्थानों और तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र राष्ट्र के आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख चालक बने रहने की उम्मीद है और 2030 तक देश की इसके ट्रिलियन आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

V. खंड–वार या उत्पाद–वार कार्य–प्रदर्शन

बैंक के प्रमुख व्यावसायिक खंडों के प्रदर्शन का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1. संसाधन जुटाना

31 मार्च, 2026 तक कुल जमा ₹17,11,126 करोड़ रही। 31 मार्च, 2026 तक **कासा जमा** ₹6,09,615 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2025 को यह ₹5,73,543 करोड़ रहा।

i. 31 मार्च, 2026 तक **चालू जमा** ₹79,294 करोड़ रहा।

ii. 31 मार्च, 2026 तक **बचत जमा** ₹5,30,321 करोड़ रहा।

[8] *वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एनएसडीएल के डाटा के अनुसार*

मार्च 2026 के अंत में कुल घरेलू जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी 37.00 प्रतिशत रहा।

वित्त वर्ष 2025–26 में जमा राशि जुटाने हेतु की गई पहलः

क) **"पीएनबी किसान बचत खाता योजना" की शुरुआत**

किसानों को सशक्त बनाने और समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, पंजाब नैशनल बैंक ने "पीएनबी किसान बचत खाता योजना" प्रारंभ की है। यह विशिष्ट बचत खाता कृषि समुदाय की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो वित्तीय सेवाओं तक सहज पहुंच सुनिश्चित करता है और किसानों में बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है। सुविधाजनक सुविधाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पेशकश के साथ, इस खाते का उद्देश्य किसानों को सुरक्षित बचत विकल्प प्रदान करना और उन्हें आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं में भाग लेने में सक्षम बनाना है।

ख) **7 बचत खाता योजनाओं का नवीकरण**

बैंक ने ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत और आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए सभी ग्राहक वर्गों जैसे–**वेतनभोगी, रक्षा कर्मी, अवयस्क, युवा, किसान, महिलाएं, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों** के लिए आकर्षक एवं अभिनव विशेषताओं के साथ अपने बचत खाता उत्पादों का नवीकरण किया है। व्यापक बीमा कवर, लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स और अन्य स्वास्थ्य–केंद्रित लाभों जैसे मूल्य–वर्धित लाभों को एकीकृत करके उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है।

न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंड शुल्क को समाप्त करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर छात्रों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, सभी वर्गों के लिए अधिक समावेशिता सुनिश्चित की गई है। इन सुधारों के माध्यम से कुशल और ग्राहक–केंद्रित वित्तीय समाधान प्रदान करके दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ग) **अनुकूलित खाता संख्या की सुविधा**

बचत और चालू खातों के लिए बैंक द्वारा 'अनुकूलित खाता संख्या सुविधा' शुरू की गई है ताकि व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके। यह पहल ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक पहचान के अनुरूप एक विशिष्ट और सरलता से याद रहने वाली खाता संख्या का चयन करने में सक्षम बनाती है। पारंपरिक खाता संख्या निर्माण की पद्धति से हटकर, बैंक एक ऐसा अनुकूलित समाधान प्रदान कर रहा है जो व्यवसायों के लिए ब्रांड रिकॉल (पहचान) और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को बढ़ाता है।

घ) **जमा ग्राहकों के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड्स का कार्यान्वयन**

दीर्घकालिक वित्तीय जुड़ाव को बढ़ावा देने और ग्राहकों के भरोसे को पुरस्कृत करने के लिए, पीएनबी ने जमा ग्राहकों के लिए 'लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम' शुरू किया है। यह योजना नियमित बैंकिंग गतिविधियों और खाते में अच्छा बैलेंस बनाए रखने पर पुरस्कार देकर मूल्य–वर्धित लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ग्राहक विभिन्न डिजिटल और रिटेल लेनदेन के माध्यम से अंक (पॉइंट्स) अर्जित कर सकते हैं, जिन्हें बाद में जीवनशैली से जुड़े लाभों और मर्चेंट ऑफर्स के लिए भुनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि पीएनबी के साथ बैंकिंग सुरक्षित होने के साथ–साथ फायदेमंद भी हो।

ङ) **"स्मार्ट जीआईजी बचत खाता" का शुभारंभ**

लचीले कार्यबल के बढ़ते चलन को देखते हुए, विशेष रूप से फ्रीलांसरों और जीआईजी वर्कर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएनबी स्मार्ट जीआईजी बचत खाता' पेश किया गया है। यह विशेष खाता उतार–चढ़ाव वाली आय वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जैसे कि लचीली ऋण सुविधाएं और बीमा सुरक्षा। खाता प्रबंधन को सरल बनाकर और डिजिटल–फर्स्ट सुविधाएं प्रदान करके, पीएनबी का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के इस उभरते वर्ग को कुशल और सहायक बैंकिंग विकल्पों के साथ सशक्त बनाना है।

च) **जनसंपर्क प्रबंधक कार्यक्रम**

उच्च–मूल्य वाले ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसंपर्क प्रबंधक कार्यक्रम शुरू किया गया है। शुरुआत में विशिष्ट अंचलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम को अब देश भर में विस्तारित किया जा रहा है। इस पहल को वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर (वीआरएम) मॉडल द्वारा और समर्थन दिया गया है, जो केंद्रीकृत संचार और जुड़ाव के माध्यम से हमारी पहुंच को बढ़ाता है। सेवा और ग्राहक प्रतिधारण के अलावा, यह कार्यक्रम कासा , ऋण और तृतीय पक्ष उत्पाद पोर्टफोलियो में वृद्धि लाने के लिए बनाया गया है।

छ) **संस्थागत गठजोड़ और अनुकूलित वेतन खाते**

वेतन खातों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार **सैलरी सेविंग योजना** को विशेष सुविधाओं के साथ अनुकूलित किया गया है। रणनीतिक गठबंधन व्यवस्थाओं के माध्यम से, बैंक ने केंद्र सरकार, रेलवे, भारतीय सेना और झारखंड व उत्तराखंड की राज्य सरकारों सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की है। बैंक के बढ़ते पोर्टफोलियो में कोल इंडिया लिमिटेड, बीएसएनएल, सीआरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, एमईसीएल और कई अन्य प्रमुख संगठन भी शामिल हैं।

2. ऋण परिनियोजन और वितरण

31 मार्च 2026 तक बैंक का सकल घरेलू अग्रिम ₹11,92,950 करोड़ रहा, जिसमें वार्षिक आधार पर 11.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

स्वीकृतियों का एक प्रमुख हिस्सा बाह्य रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर वाले रेटिंग के लिए नए कॉर्पोरेट स्वीकृतियाँ की।

बैंक का सीडी अनुपात 31 मार्च 2025 के 71.30 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च 2026 को 73.55 प्रतिशत हो गया।

कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्यों के लिए बैंक की दो–स्तरीय संगठनात्मक संरचना एक विशिष्ट ऋण वितरण ढांचे के रूप में कार्य करती है है, जो सुसंगत एवं जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित क्रेडिट डेस्क से सुसज्जित है।

यह संरचना तीन स्तंभों को सुधार कर अर्थात कृग्राहक संतुष्टि, समय पर वितरण और उचित ऋण प्रथाओं को सुदृढ़ करके ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह दो–स्तरीय ढांचा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 2 अति–वृहद कॉर्पोरेट शाखाओं और 13 वृहद कॉर्पोरेट शाखाओं के माध्यम से समर्थित है।

इस संरचना को तीन मुख्य स्तंभों–अर्थात् ग्राहक संतुष्टि, समय पर डिलीवरी और निष्पक्ष ऋण प्रथाओं–को सुदृढ़ करके ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

बाह्य रेटिंग 'ए' या उससे ऊपर वाले नए कॉर्पोरेट ऋणों की स्वीकृति, कुल स्वीकृतियों का एक प्रमुख हिस्सा रही।

3. रिटेल ऋण

हमारे बैंक के रिटेल आस्ति कारोबार ने वर्ष–दर–वर्ष स्थिर और मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इस मजबूत गति को आर्थिक स्थिति में सुधार, उभरते मध्यम वर्ग, बढ़ते शहरीकरण, उच्च प्रायोज्य आय और उत्पादों के प्रसार को सुगम बनाने वाले तकनीकी नवाचारों द्वारा संचालित है। मैक्रो स्तर पर, प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य ने इस वृद्धि को और और गति मिली है। इस बीच सूक्ष्म स्तर पर, उत्पाद विभेदीकरण, विपणन रणनीतियाँ, रिटेल ऋणों के लिए डिजिटल चैनल, विशिष्ट वर्टिकल और क्रॉस–सेलिंग के अवसरों जैसी पहलों ने रिटेल पोर्टफोलियो के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से, उन्नत क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों के कारण ऋण चूक का स्तर नियंत्रण में रहा है और इसमें गिरावट आई है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक का कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹2,80,779 करोड़ हो गया, जिसमें 8.30 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर ₹2,51,729 करोड़ हो गया, जो 18.20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रमुख खंड–वार वृद्धि:

i. आवास ऋण: ₹1,02,657 करोड़ से बढ़कर ₹1,17,053 करोड़ हुए (वार्षिक वृद्धि: 14.02 प्रतिशत)।

ii. वाहन ऋण: ₹25,996 करोड़ से बढ़कर ₹35,182 करोड़ हुए (वार्षिक वृद्धि: 34.0 प्रतिशत)।

iii. बंधक ऋण: ₹16,292 करोड़ से बढ़कर ₹18,144 करोड़ हुए (वार्षिक वृद्धि: 11.36 प्रतिशत)।

वित्त वर्ष 2025–26 में शुरू की गईं नई पहलें

बैंक ने अपने रिटेल क्रेडिट (खुदरा ऋण) व्यवसाय को सुदृढ़ और विस्तारित करने के लिए कई पहल की हैं:

- **पीएनबी डिजी जर्नी:** व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण, डिजी गोल्ड, रूफटॉप सौर ऋण, एफडीआर/सावधि पर ई–ओडी/डीएल, प्रतिभूतियों पर ऋण, दुपहिया वाहन ऋण और मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए डिजिटल टॉप–अप ऋण जैसी डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार।
- **शिक्षा ऋण नीति में आशोधन:** प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 'क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट' से जुड़े नोडल अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, साथ ही आक्रामक मार्केटिंग और कैंपस आउटरीच।
- **रूफटॉप सोलर सिस्टम हेतु ऋण (पीएम सूर्य घर योजना):** ऋण स्वीकृति और संवितरण में तिमाही–दर–तिमाही निरंतर वृद्धि; अप्रैल 2025 में डिजी सूर्य घर डिजिटल उत्पाद का शुभारंभ।
- **पीएम सूर्य घर ऋण अभियान – 2025 (पहली तिमाही):** बैंक ने "पीएम सूर्य घर ऋण अभियान – वर्ष 2025" में शुरू किया जिसके अंतर्गत ₹17,251 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹7,074 करोड़ (41 प्रतिशत प्रगति) हासिल किए गए।



- **मासिक/तिमाही आउटरीच कार्यक्रम:** सभी क्षेत्रों में नियमित ग्राहक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे हजारों लीड्स और महत्वपूर्ण ऋण स्वीकृतियां प्राप्त हुईं।
- **उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता:** रिटेल आस्ति उत्पादों में आकर्षक उत्पाद सुविधाओं और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की निरंतर पेशकश।
- **केंद्रित अभियान:** रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण का अंश बढ़ाने के लिए लक्षित अभियान और ग्राहक आउटरिच कार्यक्रमों को अपनाना।
- **मजबूत साझेदारी:** कार डीलरों, होम बिल्डर्स, मार्केटिंग एसोसिएट (एमए), मार्केटिंग कंसल्टेंट (एमसी), रिटेल ऋण काउंसलर (आरएलसी) के साथ टाई–अप बढ़ाया गया, तथा संपत्ति खोज पोर्टलों के उपयोग नें गुणवत्तापूर्ण रिटेल ऋण लीड्स का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया है।
- **ग्राहक अधिग्रहण केंद्र (सीएसी):** रिटेल ऋण लीड प्राप्त करने तथा कॉर्पोरेट संस्थानों और गृह निर्माण कर्ताओं के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए देश भर में 57 समर्पित सीएसी स्थापित किए गए हैं।
- **सरकार–संरेखित पहल:** भारत सरकार के प्रायोजन के अंतर्गत किफायती आवास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम सूर्यघर योजना और क्रेडिट जोखिम गारंटी गृह ऋण योजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ।
- **युवा–केंद्रित उत्पाद:** आकांक्षी युवा वर्ग (18–35 वर्ष आयु वर्ग) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएनबी युवा घर, पीएनबी युवा वाहन और पीएनबी युवा सहयोग की शुरूआत।

नए उत्पाद और योजनाएं

- **ऋण जोखिम गारंटी आवास ऋण योजना:** यह योजना शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में ईडबल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों के अंतर्गत कम आय वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। भारत सरकार की "विकसित भारत @ 2047" पहल के अंतर्गत शुरू की गई क्रेडिट रिस्क गारंटी होम लोन योजना का उद्देश्य उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए ऋण की पहुंच बढ़ाना है; जिसमें आय के नियमित स्रोत वाले वे गिग वर्कर्स भी शामिल हैं जिनके पास न्यूनतम या कोई दस्तावेजी आय प्रमाण नहीं है। यह योजना ग्राहकों की डिजिटल बैंकिंग और आर्थिक गतिविधियों के फुटप्रिंट्स का लाभ उठाकर क्रेडिट तक पहुँच को सुगम बनाती है।
- **पीनबी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना:** झारखंड के छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षा ऋण योजना शुरू की गई है। 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' (जीएससीसी) झारखंड सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है; इस सहायता के लिए बैंक को उचित गारंटी भी दी जाती है। यह योजना पात्र छात्रों को देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों–जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, एक्सएलआरआई, बिट्स, एनआईडी, आईआईएस और अन्य में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, डॉक्टरेट/पोस्ट–डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों को उचित नियमों और शर्तों के अंतर्गत, किफायती वित्तीय सहायता के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है।
- **प्रतिभूतियों पर त्वरित ऋण – म्यूचुअल फंड:** म्यूचुअल फंड धारित त्वरित ऋण सुविधा।
- **सीआरएम पोर्टल के माध्यम से बिल्डर और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्वीकृति:** डिजिटल रूप से परियोजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया गया है। बिल्डरों/डेवलपर्स और उनके निर्माणाधीन परियोजनाओं (एएचपी) के अनुमोदन के लिए एक लीड ट्रैकिंग तंत्र को अब सीआरएम में अनुकूलित किया गया है और इसे भी प्रारंभ कर दिया गया है।
- **संशोधित दिशा निर्देश:** संपत्ति ऋण के लिए सीमा को संशोधित किया गया है और इसे अधिकतम ₹2500.00 लाख तक बढ़ाया गया है, मौजूदा गृह ऋण उधारकर्ताओं को टॉप–अप ऋण को संशोधित किया गया है और ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण के लिए अधिकतम ₹50.00 लाख तक और सावधि ऋण के रूप में ऋण के लिए ₹250.00 लाख तक बढ़ाया गया है, और डिजी होम लोन और डिजी कार लोन में डिजिटल यात्रा को सुचारू और ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन किए गए है।

4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

सामाजिक बैंकिंग के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कराते हैं, बैंक ने इस वर्ष सभी प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान **4.4 प्रतिशत** की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस क्षेत्र को वित्त प्रदान करके बैंक के इस विकास में प्रमुख योगदान प्रदान किया है।

तिमाही औसत आधार पर 31 मार्च, 2026 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि और उप–क्षेत्रों की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि ₹करोड़ में)

उत्कृष्ट स्थिति	लाभार्थियों की संख्या (अंकों में)	31.03.2026 (राशि)*	पीएसएल लक्ष्य	समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की उपलब्धि प्रतिशत
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	77,67,085	4,55,428	40.00%	41.89%
जिसमें से:				
कृषि क्षेत्र को ऋण	54,31,568	1,96,683	18.00%	18.09%
छोटे और सीमांत किसानों को ऋण	48,81,408	1,14,487	10.00%	10.53%
सूक्ष्म उद्यमों को ऋण	14,95,308	1,05,464	7.50%	9.70%
कमजोर वर्गों को ऋण	57,42,137	1,49,172	12.00%	13.72%
गैर–कॉर्पोरेट किसान	53,82,590	1,52,719	14.00%	14.05%

** पीएसएलसी सहित*

वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ

i. मार्च 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ₹4,55,428 करोड़ का ऋण दिया गया। एएनबीसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 40.00 प्रतिशत की तुलना में 41.89 प्रतिशत है।

ii. मार्च 2026 तक कृषि क्षेत्र को ₹1,96,683 करोड़ का ऋण दिया गया। एएनबीसी को कृषि अग्रिम का प्रतिशत निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 18.00 प्रतिशत की तुलना में 18.09 प्रतिशत है।

iii. मार्च 2026 के अनुसार लघु/सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को दिए गए ऋण ₹1,14,487 करोड़ प्रदान किए गए। एसएफ/एमएफ किसानों को एएनबीसी को दिए गए अग्रिम का 10.53 प्रतिशत है, जबकि निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 10.00 प्रतिशत है।

iv. 2026 मार्च के अनुसार सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को ₹1,05,464 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया। सूक्ष्म (पीएस) उद्यमों को एएनबीसी के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 7.50 प्रतिशत की तुलना में अग्रिम का प्रतिशत 9.70 प्रतिशत है।

v. मार्च 2026 तक कमजोर वर्ग को दिया गया अग्रिम ₹1,49,172 करोड़ था। यह उपलब्धि एएनबीसी के 12.00 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 13.72 प्रतिशत है।

vi. मार्च 2026 तक गैर–कॉर्पोरेट किसानों को दिया गया अग्रिम ₹ 1,52,719 करोड़ रुपये था। यह उपलब्धि एएनबीसी के 14.00 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 14.05 प्रतिशत है।

भारत सरकार समय–समय पर किसानों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। केसीसी संतृप्ति अभियान फरवरी 2020 में प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) जैसी योजनाओं ने कृषि ऋण और पूर्व और कटाई के बाद प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को लक्षित करने और वित्तपोषण में सहायता प्रदान किया है। चूंकि ये सभी योजनाएं कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा हैं, इसलिए इन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता की है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पीएम–कुसुम आदि जैसे विभिन्न अन्य कार्यक्रम भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं।

किसानों को मूल्य समर्थन के माध्यम से प्रतिफल की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और बाजार के आधारभूत संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से , सरकार **कृषि अवसंरचना निधि** के माध्यम से आधारभूत संरचना की सुविधाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 85,683 करोड़ की कुल स्वीकृति के साथ 1,96,570 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया, जिनमें से पीएनबी ने 31 मार्च, 2026 तक ₹9,919 करोड़ की 6,237 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।

बैंक ने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. **स्वर्ण आभूषणों/गहनों के प्रति कृषि ऋण:** प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक अलग स्वर्ण ऋण वर्टिकल की स्थापना। बैंक ने अपने स्वर्ण ऋण उत्पादों में विविधता लाई। इसके अतिरिक्त, बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए अधिकृत शाखाओं की संख्या में वृद्धि की।

बैंक विज्ञापन और प्रचार पर और कुछ प्रतिष्ठित एनबीएफसी के साथ सह–ऋण पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा।

ii. **एसएचजी वित्तपोषण पर ध्यान:** वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए, बैंक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों एग्री–फिनटेक और एग्रीगेटर्स के साथ अपने टाई–अप का लाभ उठाएगा। यह साझेदारी इकोसिस्टम नए ऋण लिंकेज का विस्तार करने, पात्र स्वयं सहायता समूहों को टॉप–अप ऋण प्रदान करने और श्लखपति दीदीश पहल के अंतर्गत लाभार्थियों को तीव्र रूप से वित्तपोषित करने पर केंद्रित है। इस संपूर्ण विकास पाइपलाइन को कुशल एसएचजी वित्तपोषण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक डिजिटल यात्रा द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है।

iii. **कृषि अवसंरचना एवं सम्बद्ध गतिविधियां:** हमारी कृषि ऋण रणनीति चावल, दाल और खाद्य तेल मिलों तथा कोल्ड स्टोरेज जैसी कृषि–प्रसंस्करण अवसंरचना के वित्तपोषण पर केंद्रित है, जबकि कृषि यंत्रीकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर्स और पशुपालन मियादी ऋण को आक्रामक रूप से लक्षित किया जा रहा है। इस विकास को गति देने के लिए, बैंक कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफथ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है और इनके अंतर्गत ऋण आवंटन को प्राथमिकता दे रहा है।

iv. **क्लस्टर बिजनेस के अंतर्गत बेहतर वित्तपोषण:** बैंक के पास वर्तमान में 39 सक्रिय क्लस्टर हैं और इनकी संख्या निरंतर रूप से बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 34 मत्स्य पालन क्लस्टर इस समय विशेष केन्द्रित क्षेत्र हैं।

v. **नई शुरू की गई डिजिटल प्रक्रियाओं/अन्य उत्पादों का लाभ उठाना:** वेयरहाउस रसीद (डबल्यूएचआर)/ई–परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (ई–एनडबल्यूआर), कोल्ड चेन स्टोरेज, पीएम–कुसुम (पीएम–कुसुम) और किसान समृद्धि योजना (केएसवाई) जैसे उच्च–प्रभाव वाले उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण बाजारों में बाधारहित डिजिटल लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, इस पोर्टफोलियो विस्तार को विशेष रूप से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म–डिजी श्रेष्ठ, ट्रैक्टर एक्सप्रेस एवं 'गृह वाटिका' की शुरुआत के माध्यम से किया जा रहा है।

vi. **अन्य पहल:** बैंक त्रिकोणीय दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहा हैरू प्रथम, कृषि मशीनरी निर्माताओं के साथ सहयोग करना और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा ऋण पहुंच में सुधार के लिए स्थानीय डीलरों के साथ बैंक के नोडल/कृषि अधिकारियों की मैपिंग करनाय द्वितीय, बड़े पैमाने पर लीड जेनरेट करने के लिए स्थानीयकृत कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजनय एवं तृतीय, सभी ऋण संवितरण वर्टिकल्स (पीएनबी ऋण पॉइंट्स, मध्यम–कॉर्पोरेट केंद्र एवं सामान्य बैंकिंग शाखाएं) में ऋण और संवितरण की कड़ाई से एंड–टू–एंड निगरानी लागू करना।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र का आधार है और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक है जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।

31 मार्च 2026 के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया ऋण ₹1,95,027 करोड़ रहा। जिसमें वार्षिक आधार पर 19.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिया गया अग्रिम ₹1,61,311 करोड़ रही, जिसमें सूक्ष्म क्षेत्र में बकाया राशि ₹1,01,413 करोड़ है।

मुद्रा: बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत वित्त वर्ष वर्ष 2024––25 में ₹21,236 करोड़ के संवितरण की तुलना में 2025––26 में ₹24,553 करोड़ का संवितरण किया।

योजनावार प्रदर्शन:

1. प्रमुख योजना

क) नकदी प्रवाह आधारित ऋण (सीएफएल) योजनाएं:

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	31.03.25 के अनुसार स्वीकृति		31.03.26 के अनुसार स्वीकृति		वर्ष दर वर्ष	कुल बकाया	एनपीए	प्रतिशत एनपीए
	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
जीएसटी एक्सप्रेस	17,348	12,318	18,152	18,033	46%	11,473	85	0.74%
पीएनबी ट्रेड ग्रोथ	12,853	4,925	26,066	11,658	137%	8,906	36	0.40%

ख) परियोजना आधारित ऋण योजनाएं:

योजना का नाम	31.03.25 के अनुसार स्वीकृति		31.03.26 के अनुसार स्वीकृति		वर्ष दर वर्ष	कुल बकाया	एनपीए	प्रतिशत एनपीए
	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
एमएसएमई प्राइम प्लस	39,594	61,875	50,767	86,465	40%	60,605	784	1.29%
पीएनबी संपत्ति	6,715	10,174	7,806	14,292	40%	10,597	60	0.57%

ग) डिजिटल ऋण योजना:

योजना का नाम	31.03.25 के अनुसार स्वीकृति		31.03.26 के अनुसार स्वीकृति		वर्ष दर वर्ष	कुल बकाया	एनपीए	प्रतिशत एनपीए
	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
ई–जीएसटी एक्सप्रेस	1,025	276	1,410	414	50%	285	1.89	0.66%
डीजी एमएसएमई ऋण	15,328	934	57,689	3,472	272%	2,117	7.40	0.35%
ई–विश्वकर्मा	21,152	207	28,721	281	36%	114	44.19	38.76%
ई–पीएम स्वानिधि	8,15,604	1,208	8,26,845	1,225	1%	270	42.61	15.78%
कुल	**8,53,109**	**2,625**	**9,14,665**	**5,392**	**105%**	**2,786**	**96.09**	**3.45%**

2. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ:

क. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कार्य प्रदर्शन:

वर्ग	वित्त वर्ष 24–25		वित्त वर्ष 25–26		वर्ष दर वर्ष	कुल बकाया	एनपीए	एनपीएप्रतिशत
	स्वीकृत	संवितरण	स्वीकृत	संवितरण				
शिशु	435	431	430	428	-1%	950	477	50.00%
किशोर	7,114	6,987	9,109	8,991	22%	13,227	3,492	26.40%
तरूण	13,739	13,706	14,748	14,720	7%	20,512	2,818	14.00%
तरुण प्लस	117	111	416	415	73%	248	0.85	0.34%
कुल	**21,405**	**21,236**	**24,703**	**24,553**	**14%**	**34,937**	**6,788**	**19.42%**

ख. अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

योजना का नाम	31.03.25 के अनुसार स्वीकृति		31.03.26 के अनुसार स्वीकृति		वर्ष दर वर्ष	कुल बकाया	एनपीए	प्रतिशत एनपीए
	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
पीएम स्वनिधि	7,20,261	992	8,10,355	1197	20.69%	254	49.39	19.43%
पीएम विश्वकर्मा	37,689	365	42,821	416	18.78%	137	54.9	40.14%

3. टीआरईडीएस योजना का कार्य प्रदर्शन: टीआरईडीएस कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। बैंक टीआरईडीएस के तीनों प्लेटफॉर्मों अर्थात आरएक्सआईएल, M1xchange और ए.टीआरईडीएस का उपयोग करता है।

के अनुसार स्थिति	स्वीकृत खाते	बकाया राशि
31.03.2025	3,358	1,629
31.03.2026	10,456	5,524

मौजूदा एमएसएमई योजनाओं में प्रदर्शन

क्र.सं.	स्वीकृति	वास्तविक		वर्ष दर वर्ष वृद्धि%
		मार्च'25	मार्च '26	
1	एमएसएमई प्राइम प्लस योजना	21,015	28,191	34.15%
2	पीएनबी ग्रोथ प्लस योजना	3,867	6,263	61.96%
3	सौर ऊर्जा वित्त योजना	255	402	57.65%
4	जीएसटी एक्स्प्रेस योजना	3,239	3,750	15.78%
5	संपत्ति योजना	4,282	5,431	26.83%
6	क्लस्टर वित्तपोषण के अंतर्गत स्वीकृति	4325	6,160	42.43%

वित्तीय वर्ष 2025 –26 में बैंक द्वारा अपनाई गई पहल

वित्तीय वर्ष 2025––26 के दौरान, बैंक ने एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लक्षित रणनीतियों की एक श्रृंखला लागू की । इन पहलों में आउटरीच कार्यक्रमों को मजबूत करना, ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, तेजी से ऋण स्वीकृति/संवितरण हेतु डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करना और गुणवत्तापूर्ण लीड जनरेशन के लिए विभिन्न तृतीय–पक्ष विक्रेताओं के साथ साझेदारी का विस्तार करना शामिल था। ये समन्वित प्रयास ऋण की पहुँच को बेहतर बनाने , निस्तारण समय को कम करने तथा एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि एवं सुदृढ़ता को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए थे।

क. डिजिटल यात्रा को सुदृढ़ करने हेतु पहलः

डिजिटल यात्राओं ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मॉडल को लागू कर ऋण वितरण प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जिसके माध्यम से पात्र उधारकर्ता मात्र 10 मिनट में डिजिटल रूप से ऋण सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब



उधारकर्ता पोर्टल पर जाकर मूल केवाईसी, व्यवसाय संबंधी विवरण तथा जीएसटी संबंधी जानकारी दर्ज करता है। इसके पश्चात प्रणाली जीएसटी एवं आधार के एपीआई के माध्यम से स्वचालित क्रॉस–वैलिडेशन करती है तथा सीआईसी एवं जीएसटी पोर्टलों से आवश्यक डेटा प्राप्त करती है। उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए बिजनेस रूल इंजन (बीआरई) डेटा का विश्लेषण करता है तथा तत्क्षण सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करता है।

ख. नई योजना "डिजी एमएसएमई प्राइम" का शुभारंभ":

बैंक ने 'पीएनबी एमएसएमई प्राइम प्लस' योजना और 'ई–जीएसटी एक्सप्रेस' योजना की विशेषताओं को समाहित करते हुए 'डिजी एमएसएमई प्राइम' नामक एक नई योजना शुरू की है। यह उन्नत 'डिजी एमएसएमई प्राइम' ढांचा ₹10.00 लाख से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक की ऋण राशियों के लिए एक मानकीकृत ऋण मॉडल के रूप में कार्य करेगा। यह योजना एमएसएमई के लिए व्यापक पात्रता, ऋण मूल्यांकन में बेहतर सटीकता और अधिक समावेशी डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम सुनिश्चित करती है।

ग. "निर्यात ऋण हेतु संपार्श्विक सहायता" का कार्यान्वयनः

बैंक ने भारत सरकार की "निर्यात ऋण हेतु संपार्श्विक सहायता" नामक विशेष ऋण गारंटी योजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम – निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को संस्थागत निर्यात ऋण उपलब्ध कराना है।

घ. ई–जीएसटी योजना का पुनर्गठन और पुनर्संरेखणः

ई–जीएसटी एक्सप्रेस योजना नियमित रिटर्न दाखिल करने वाले जीएसटी–पंजीकृत संस्थाओं को वित्तपोषण प्रदान करती है, जिसकी ऋण सीमाओं का मूल्यांकन जीएसटी रिटर्न डेटा के आधार पर किया जाता है। शुरुआत में इसकी अधिकतम ऋण सीमा ₹1.00 करोड़ निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर ₹5.00 करोड़ कर दिया गया है। इस संशोधन से योजना के प्रति रुझान बढ़ा है, जिससे इस योजना के अंतर्गत बड़े मूल्य के ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ड. एमएसएमई क्लस्टर आधारित आउटरीच कार्यक्रमः

एक रणनीतिक पहल के रूप में, प्रभाग द्वारा नए व्यवसायिक अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से "एमएसएमई क्लस्टर आधारित आउटरीच कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है। यह पहल भौगोलिक रूप से केंद्रित समान उद्योगों एवं कारीगरों के समूहों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगी, जिससे सामूहिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि तथा साझा अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा।

च. पीएनबी ग्रोथ प्लस योजना का आरंभः

वर्तमान बाजार परिदृश्य में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मौजूदा 'पीएनबी ट्रेड ग्रोथ योजना' का पुनर्गठन कर इसे 'पीएनबी ग्रोथ प्लस योजना' का नाम दिया गया है। इन परिवर्तनों में वित्त की सीमा को ₹1.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹2.00 करोड़ करना, युवा एवं महिला उद्यमियों को ब्याज दर में रियायत देना, तथा जेड प्रमाणित एमएसएमई इकाइयों को ब्याज दर/प्रसंस्करण शुल्क में रियायत प्रदान करना शामिल है।



छ. पीएनबी सम्पत्ति योजना में आशोधनः

फील्ड कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पीएनबी सम्पत्ति योजना में संशोधन किए गए हैं। इनमें ऋण–मूल्य अनुपात में शिथिलता तथा पात्र संपत्ति संबंधी प्रतिबंधों में लचीलापन शामिल है, जिन्हें बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएचसीएसी द्वारा अनुमत किया जा सकता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य योजना के अंतर्गत ग्राहक समावेशन का विस्तार करना तथा कार्य निष्पादन समय को कम करना है।

6. वित्तीय समावेशन (एफआई)

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पहल करने में अग्रणी रहा है। बैंक 2012 से कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप–सेवा क्षेत्र (एसएसए) और गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू कर रहा है। एसएसए कुछ गांवों का समूह है जो बैंक की एक आधार शाखा से जुड़ा हुआ है।

वित्तीय समावेशन की कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

क. बैंक ने पूरे भारत में बी.सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन पहलों को लागू किया है। पात्र खाताधारकों (आयु वर्ग 18–65) को पीएमजेडीवाई खातों में ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है।

ख. बी.सी. स्थानों पर बायोमेट्रिक आधारित ई–केवाईसी खाता खोलना और आधार अद्यतन।

ग. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (एसएसएस), अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएँ, बी.सी. स्थानों, शाखाओं, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2025 तक सक्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) की प्रगति निम्नानुसार है:

i. **पीएमजेजेबीवाईः** 92.74 लाख ग्राहक नामांकित।

ii. **पीएमएसबीवाईः** 351.05 लाख ग्राहक नामांकित।

iii. **एपीवाईः** 57.19 लाख ग्राहक नामांकित।

31 मार्च, 2026 तक बैंक के पास 33,314 बीसी एजेंट/बैंक मित्र हैं, जो बैंक की आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण, अर्द्ध–शहरी, शहरी एवं महानगरीय केन्द्रों में आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। बीसी एजेंट/बैंक मित्र बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु पीएएक्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में कियोस्क बैंकिंग समाधान (केबीएस) के माध्यम से बीसी केन्द्रों पर ई–केवाईसी खाता खोलना, नकद जमा, नकद निकासी, निधि अंतरण, केवाईसी अद्यतन, चेक संग्रहण, ऋण अनुरोध प्रारंभ करना, पीएनबी वन ऑनबोर्डिंग आदि विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध हैं।

वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने के लिए, बैंक अपने प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करता है।

क. **किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों जिनमें जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी का रखरखाव, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पापड़ बनाना, सॉफ्ट टॉय बनाना, कटिंग, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल हैं, में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के कौशल विकास हेतु सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए मोबाइल वैन और एलईडी से सुसज्जित किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इन केंद्रों में 1,10,061 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। जिनमें से 52,439 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से, किसान प्रशिक्षण केंद्रों ने 5,08,710 महिलाओं सहित 20,42,240 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इसके पहल के अंतर्गत ₹1,294.71 लाख व्यय किए।

ख. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** भारत में 78 आरसेटी (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहलें) संचालित हैं, जो स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इन केंद्रों में 69,798 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 61,022 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित हैं और 56,769 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 7,51,746 है, जिनमें से 4,12,623 गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से थे और 5,23,350 महिलाएं थीं। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से अब तक कुल 5,27,399 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इसके अंतर्गत ₹6,175.36 लाख व्यय किए।

ग. **वित्तीय साक्षरता केंद्रः** बैंक के 163 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं। इन केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लक्षित समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। 1 अप्रैल, 2025 से 1 मार्च, 2026 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनार/कार्यक्रम/शिविरों की कुल संख्या 10,810 है और इन कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों की संख्या 4,17,254 रही ।



वित्तीय प्रशिक्षण केंद्र, विदिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम



आरएसईटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रम



आरएसईटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रम

VI. जोखिम और चिंताएँ

जोखिम बैंक के व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। बैंक को ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम जैसे बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है और इन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए बैंक ने उपाय, नीतियाँ, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू की हैं। बैंक के पास प्रतिष्ठा जोखिम, रणनीतिक जोखिम, आईटी जोखिम, साइबर जोखिम, अनुपालन जोखिम, ईएसजी जोखिम, जलवायु जोखिम, आचरण जोखिम और अन्य अवशिष्ट जोखिमों जैसे महत्वपूर्ण जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक विश्वसनीय आंतरिक नियंत्रण परिवेश भी है। बैंक के निदेशक मंडल ने रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करने के लिए बोर्ड की विभिन्न उप–समितियों और/या कार्यात्मक समितियों का गठन किया है।

1) ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचा है तथा उसने एक व्यापक जोखिम स्कोरिंग/रेटिंग प्रणाली विकसित की है, जो निरंतर रूप से ऋण निर्णय लेने के लिए प्रतिपक्षकारों के विभिन्न जोखिम कारकों का एकल संकेतक के रूप में कार्य करती है।

बैंक के पास उधारकर्ताओं के जोखिम आकलन हेतु इन–हाउस ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल उपलब्ध हैं तथा रिटेल ऋण, एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र अग्रिमों के लिए भी स्कोरिंग मॉडल विकसित एवं लागू किए गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई ऋण योजनाओं की विशिष्टताओं को समुचित रूप से सम्मिलित किया जा सके।

क्रेडिट रेटिंग एवं स्कोरिंग मॉडलों के परिणामों को निर्णय प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिसमें ऋण स्वीकृति, मूल्य निर्धारण, ऋण स्वीकृति शक्तियां, लेखा परीक्षा, समीक्षा तथा ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी शामिल हैं। प्रभावी एवं एकरूप ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करने वाली अनेक नीतियां लागू की हैं।

बैंक ने ई–नवीकरण योजना आरम्भ की है, जो एक विशिष्ट जोखिम सीमा तक कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के नवीकरण के हेतु एक स्वचालित/स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) तंत्र है।

बैंक अपने ऋण जोखिम रेटिंग एवं स्कोरिंग मॉडलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर उनका सत्यापन का अभ्यास करता है। इन मॉडल्स की मजबूती का परीक्षण करने के लिए माइग्रेशन एवं डिफॉल्ट दर विश्लेषण भी करता है।

प्रक्रियाओं के स्वचालन तथा अनुपालन में वृद्धि के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बैंक ने विभिन्न ग्राहक वर्गों को लक्षित करते हुए अनेक डिजिटल रिटेल ऋण उत्पाद प्रारंभ किए हैं। ये उत्पाद नियम–आधारित एवं प्रणाली–संचालित प्रक्रिया तथा स्वीकृति प्रणाली पर आधारित हैं, जो पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः एंड–टू–एंड प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। इन उत्पादों से संबंधित जोखिमों का आकलन करने हेतु पृथक स्कोरकार्ड भी विकसित किए गए हैं।

बैंक ने क्रेडिट इंटेलिजेंस एवं सपोर्ट विभाग (सीआईएएसडी) के अंतर्गत एक पृथक इंडस्ट्री रिसर्च डेस्क स्थापित किया है, जो विभिन्न उद्योगों का आंतरिक जोखिम आकलन करता है तथा 160 से अधिक उद्योगों के लिए गणना किए गए उद्योग जोखिम स्कोर के आधार पर उद्योग परिदृश्य तैयार करता है। इस आकलन अभ्यास के परिणामों को "इंडस्ट्री हैंडआउट" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कार्यपालक सारांश और प्रमुख उद्योग जोखिम मापदंडों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान विभिन्न उद्योगों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समाहित करते हुए तिमाही रुझानों को 'अप', 'स्टेबल' एवं 'डाउन' जैसी श्रेणियों में बाँटकर भी प्रस्तुत किया जाता है।

ये प्रक्रियाएँ ऋण के त्वरित एवं सटीक वितरण तथा निगरानी सुनिश्चित करने, मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता लाने तथा डेटा के प्रभावी संग्रहण एवं उसके विश्लेषण को सुगम बनाने में सहायक हैं।

2) बाजार जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधनः

बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक संरचना स्थापित की है, जो ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम जैसे जोखिमों के व्यापक प्रबंधन की निगरानी करती है साथ ही, एक स्वस्थ और तरल निवेश पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए जोखिमों के मापन एवं निगरानी की कार्यप्रणालियों को लागू करती है। निवेश नीति में इन जोखिमों के मापन, निगरानी एवं नियंत्रण हेतु सुदृढ़ कार्यप्रणालियाँ सम्मिलित हैं।

यह नीति इन जोखिमों के मापन, निगरानी और नियंत्रण के लिए सुदृढ़ कार्यप्रणालियों को शामिल करती है।

कोषागार परिचालन हेतु एक स्वतंत्र मिड ऑफिस पहले से कार्यरत है, जिसकी रिपोर्टिंग लाइन समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) को प्रस्तुत की जाती है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फ्रंट ऑफिस कोषागार परिचालन से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा एक कार्यात्मक समिति के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया गया है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन की समग्र रूपरेखा की निगरानी करती है। समिति जोखिमों और स्वीकृत नियामक तथा आंतरिक सीमाओं के पालन की समीक्षा करती है, जिससे बाज़ार जोखिम का विवेकपूर्ण और सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

मिड ऑफिस निवेश पोर्टफोलियो के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु वीएआर, स्ट्रेस टेस्टिंग तथा संवेदनशीलता विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से विभिन्न जोखिम स्थितियों की निगरानी करता है जिसमें मोड़ीफ़ाइड –ड्यूरेशन, पीवी01, एक्सपोजर सीमा आदि शामिल हैं।

विदेशी परिचालनों के लिए भी वीएआर, एनओओपी, एजीएल, इंटरबैंक निवेश सीमा, एक्सपोजर सीमा आदि जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी मिड ऑफिस द्वारा की जाती है। निगरानी को अधिक सुदृढ़ एवं प्रणाली आधारित बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों/सीमाओं को फिनैकल ट्रेजरी एप्लीकेशन में एकीकृत एवं स्वचालित किया गया है, जिससे बाजार जोखिम की बेहतर निगरानी एवं प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में एक्सपोजर की जोखिम के प्रभाव को समाहित करने हेतु प्रभावी जोखिम–आधारित प्राइसिंग के लिए मूल्य निर्धारण संरचना में कंट्री रिस्क प्रीमियम को शामिल किया गया है।

3) परिचालन जोखिम प्रबंधन एवं आईटी जोखिम

बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु सुव्यवस्थित अभिशासन संरचना तथा नीतियां/ढांचे स्थापित किए गए हैं। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति गठित है।

बैंक विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपकरणों जैसे आंतरिक/बाह्य परिचालन जोखिम हानि डेटा, घटनाएं/निकट चूक घटनाएं जोखिम एवं नियंत्रण स्व–मूल्यांकन सर्वेक्षण (आरसीएसए सरवेज़), जोखिम संकेतक (आरआई)/मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआईज), धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम का आकलन तथा परिदृश्य विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी तथा नवीकरण/नियंत्रण करता है।

बैंक ने नए उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया/गतिविधि/प्रणाली की स्वीकृति तथा वर्तमान व्यवस्थाओं में संशोधन हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है, जिसमें अंतर्निहित एवं अवशिष्ट जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

बैंक ने व्यापक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) तथा परिचालन प्रत्यास्थता (ओआर) नीति भी स्थापित की है, जिसमें व्यवधान की स्थिति में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान एवं अभिशासन संरचना का उल्लेख किया गया

है। इसके अतिरिक्त, बैंक के सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों हेतु बीसीपी दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, ताकि अप्रत्याशित व्यवधान से उत्पन्न व्यावसायिक जोखिम को कम किया जा सके तथा बैंक की वित्तीय स्थिति, ग्राहक सेवा, परिचालन, प्रतिष्ठा एवं विधिक/नियामकीय आवश्यकताओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का शमन किया जा सके। बैंक की परिचालन प्रत्यास्थता का संचालन/समीक्षण व्यवसाय निरंतरता एवं परिचालन प्रत्यास्थता (बीकोर) समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है।

बैंक के पास एक एसएएस ऑनलाइन परिचालन जोखिम समाधान है, जो डेटा कैप्चरिंग के विभिन्न पहलुओं–जैसे कि हानि डेटा, जोखिम और नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए), घटना रिपोर्टिंग आदि की निगरानी करता है; साथ ही, पूरे बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी उपलब्ध है।

बैंक ने आईटी एवं सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित किया है, जिसके माध्यम से आईटी जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी तथा न्यूनीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक में एआई एवं एमएल से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन हेतु एआई एवं एमएल अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन ढांचा भी लागू है। आंतरिक निगरानी को सक्षम बनाने तथा प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक घटनाओं के उन्नयन हेतु एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया है। बैंक विभिन्न गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के आवधिक जोखिम आकलन तथा जोखिम संकेतक/मुख्य जोखिम संकेतक (आरआईज/केआरआईज) के माध्यम से आईटी जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण/नवीकरण कर रहा है।

बैंक ने घटना रिपोर्टिंग प्रणाली भी प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत बैंक का कोई भी कर्मचारी किसी उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया/गतिविधि/प्रणाली में देखी गई कमियों अथवा किसी निकट घटना चूक की रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट की गई घटनाओं के निस्तारण हेतु एक शिकायत निवारण तंत्र भी निर्धारित किया गया है।

बैंक ने एक व्यापक "तृतीय–पक्ष जोखिम प्रबंधन नीति" स्थापित की है, जो सभी तृतीय–पक्ष सेवा प्रदाता व्यवस्थाओं की निगरानी हेतु एक सुदृढ़ अभिशासन संरचना प्रदान करती है। यह नीति संपूर्ण जीवनचक्र (ऑनबोर्डिंग, सतत निगरानी एवं ऑफबोर्डिंग) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, ताकि संलग्नता की पूरी अवधि के दौरान जोखिमों की पहचान, आकलन एवं न्यूनीकरण सुनिश्चित किया जा सके। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि जोखिमों का नियमित रूप से आकलन किया जाए तथा सेवाओं/तृतीय–पक्ष व्यवस्थाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल एवं उनकी महत्वपूर्णता के अनुरूप प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए, जिससे परिचालनिक लचीलापन, नियामकीय अनुपालन तथा ग्राहकों का विश्वास सुदृढ़ हो सके।

4) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) एवं तनाव परीक्षण

बैंक के पास एक सुदृढ़ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। आईसीएएपी दस्तावेज़ को अर्धवार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आईसीएएपी के अंतर्गत सामान्य तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन, नियामकीय ढांचे के पिलर–I एवं पिलर–II के अनुरूप जोखिमों का आकलन तथा बैंक के समक्ष विद्यमान विभिन्न जोखिमों का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। बैंक उन सभी महत्वपूर्ण पिलर–II जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करता है, जिनके प्रति वह संवेदनशील है, तथा आवश्यकता अनुसार इन जोखिमों के समाधान हेतु उपयुक्त पूंजी आवंटन सुनिश्चित करता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण आईसीएएपी दस्तावेज़ में दिया गया है, जिसे बैंक एवं समूह स्तर पर एकल तथा समेकित आधार पर तैयार किया जाता है।

बैंक ने प्रतिकूल किन्तु संभावित परिस्थितियों में कमजोरियों की पहचान करने तथा पूंजी/तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु एक व्यापक तनाव परीक्षण नीति भी लागू की है। तनाव परीक्षण नियमित रूप से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, सांद्रता जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, आईआरआरबीएबी, तरलता जोखिम, देश जोखिम, समूह जोखिम, पेंशन दायित्व जोखिम आदि पर किए जाते हैं। तनाव परीक्षण अभ्यास से प्राप्त प्रभावों का उपयोग बैंक की पूंजी नियोजन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है। तरलता तनाव परिस्थितियों में निधि आवश्यकताओं का उपयोग आकस्मिक निधि योजना के उद्देश्यों के निर्धारण में भी किया जाता है।

5) जोखिम वहन की क्षमता रूपरेखा

बैंक के पास जोखिम वहन की क्षमता के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह रूपरेखा बैंक के भीतर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन और निगरानी तंत्र के साथ–साथ जोखिम वहन करने की क्षमता का विवरण निर्धारित करता है। जोखिम उठाने की क्षमता को विभिन्न प्रमुख जोखिम मापदंडों के साथ–साथ प्रत्येक पैरामीटर के लिए जोखिम सीमा और जोखिम सीमा स्तर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। वास्तविक जोखिम स्तरों की नियमित आधार पर अनुमोदित सीमाओं के विरूद्ध निगरानी की जाती है।

6) जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति

एक सुदृढ़ जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति हमारे परिचालन का मूल आधार है और यह हमारे कारोबार की सुरक्षा एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। इस संस्कृति का निरंतर आकलन करने एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु, बैंक जोखिम एवं अनुपालन कार्यप्रणालियों के प्रति जागरूकता एवं भागीदारी का मूल्यांकन करने हेतु नियमित रूप से कार्मिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। इन सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, और किसी भी कमी के निराकरण तथा हमारे दृष्टिकोण को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। हमारे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और हमारे जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप निर्मित प्रोत्साहन/दंडात्मक ढांचा, हमारे जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

एक समर्पित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, एक सुदृढ़ जोखिम एवं अनुपालन ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का आधार है। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रत्येक वर्ष 2 मई को जोखिम एवं अनुपालन जागरूकता दिवस मनाता है, जो उत्तरदायित्व और सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति हमारे समर्पण को और अधिक सुदृढ़ करता है।

यह अग्रसक्रिय दृष्टिकोण न केवल जोखिमों का शमन करता है, अपितु ग्राहकों के भरोसे को भी प्रगाढ़ करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को पारदर्शिता एवं जवाबदेही के आधार पर निर्मित एक सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाओं का अनुभव प्राप्त हो।

7) समूह जोखिम

समूह स्तर पर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह के हिस्से के रूप में बैंक के जोखिमों का प्रबंधन करना और बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल पर अन्य समूह संस्थाओं के संभावित प्रभाव का आकलन करना है। बैंक के पास समूह जोखिम प्रबंधन ढांचा/संरचना है जो पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है, जो शीर्ष पर समूह जोखिम नीति से शुरू होकर जोखिम क्षमता, अभिशासन, प्रक्रियाओं और जोखिम रिपोर्टिंग के माध्यम से आगे बढ़ती है। बैंक ने समूह जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (जेवी) का समूह जोखिम मूल्यांकन, समेकित स्तर पर सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के दबाव परीक्षण का प्रभाव, समूह तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर), विवेकपूर्ण सीमा और आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) के माध्यम से

चलनिधि जोखिम प्रबंधन सहित सभी समूह संस्थाओं का बैंक के पास एक मजबूत समूह जोखिम दृष्टिकोण है । इसके अलावा आईसीएएपी समूह होने वाले विभिन्न जोखिमों (पिलर I और पिलर II दोनों) का आकलन करने, इन जोखिमों को कम करने और इन जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक रूप से गणना किए गए स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है।

ज) जलवायु जोखिम

जलवायु–संबंधी जोखिम उन संभावित चुनौतियों को संदर्भित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन या इसके प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों, उनके संबन्धित प्रभाव और आर्थिक और वित्तीय परिणामों से उत्पन्न हो सकते हैं। ये जोखिम मुख्य रूप से दो चैनलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं– भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम।

भौतिक जोखिम में खराब मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता, जलवायु में दीर्घकालिक क्रमिक बदलाव और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के क्षरण जैसे अप्रत्यक्ष प्रभावों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक लागत और वित्तीय हानि शामिल है। दूसरी ओर, संक्रमण जोखिम, निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, जिसमें नीति, कानूनी रूपरेखा, प्रौद्योगिकी और बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन शामिल हैं।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रयासों को गति देने के लिए, बैंक ने एक समर्पित जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसका काम चार रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संरचित योजना को लागू करना है: नेट ज़ीरो महत्वाकांक्षा, जोखिम प्रबंधन, परिचालन एकीकरण और जलवायु जोखिम प्रशासन। स्थिरता पहलों की निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक स्थिरता और लचीलापन समिति का भी गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने हरित जमा नीति अपनाई है। बैंक ने स्थायी वित्तपोषण उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा के साथ हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए एक वित्तपोषण ढांचा भी स्थापित किया है, जिसकी बाह्य समीक्षा की गई है।

बैंक ने जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अंतर्निहित आस्तियों की कमजोरियों के आकलन के लिए संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का एक व्यापक भौतिक जोखिम मूल्यांकन किया गया है। इसके समानांतर, उधारकर्ताओं का स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन सहित उनके कार्बन उत्सर्जन डेटा को एकत्रित करके संक्रमण जोखिम मूल्यांकन किया गया है।

बैंक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत जीएचजी प्रोटोकॉल के आधार पर एक मजबूत हरित गृह गैस (जीएचजी) मापन ढांचे को लागू करने के साथ, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ) मानकों के लिए साझेदारी के अनुरूप वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना के लिए एक पद्धति भी तैयार की है। इसके अलावा, बैंक नवंबर 2024 से पीसीएएफ का हस्ताक्षरकर्ता है। साथ ही, जलवायु जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए, एक गुणात्मक जलवायु जोखिम रणनीति तैयार की गई है।

वैश्विक मानकों के अनुरूप, बैंक ने एक समर्पित जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति प्रस्तुत की है, जिसमें टास्क फोर्स द्वारा जलवायु–संबंधित फाइनेंशियल डिस्क्लोजर (टीसीएफडी) पर रेखांकित चार स्तंभों – प्रशासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन, तथा मीट्रिक्स एवं लक्ष्यों को शामिल किया गया है ।

अपनी उधारकर्ता समर्थन रणनीति के एक भाग के रूप में, बैंक ने उनके डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ग्राहक सहभागिता दृष्टिकोण भी विकसित किया है। इस पहल के पहले चरण में, बैंक ने उधारकर्ताओं को जलवायु संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझाने और कार्यान्वयन योग्य स्थिरता उपायों को अपनाने में मदद के लिए ऋण अधिकारियों को व्यावहारिक उपकरणों एवं अंतर्दृष्टि के साथ तैयार करने हेतु एक ग्राहक सहभागिता पुस्तिका जारी की है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2031 के लक्ष्य के साथ स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करने के रोडमैप के साथ एक कार्बन तटस्थता योजना का मसौदा तैयार किया है ।

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपनी पहली स्थिरता रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है, जो इसकी जलवायु/ईएसजी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक ने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन के लिए वित्तीय वर्ष 2031 को नेट ज़ीरो (शुद्ध शून्य) लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है, और स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 उत्सर्जन के लिए वर्ष 2060 को शुद्ध ज़ीरो लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है।

बैंक संगठन के सभी स्तरों पर जलवायु जोखिम से निपटने की क्षमता निर्माण में निवेश करना जारी रखे हुए है।

बैंक, तकनीकी भागीदार के रूप मे कम कार्बन तकनीकी के सहयोग से, ऋण जोखिम निर्धारण में जलवायु जोखिम को सम्मिलित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक सैंडबॉक्स पहल में प्रतिभागिता कर रहा है;

बैंक आवास ऋण पोर्टफोलियो पर विशेष ध्यान देने के साथ, ऋण जोखिम मूल्यांकन में जलवायु जोखिम को एकीकृत करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक सैंडबॉक्स पहल में प्रतिभागिता कर रहा है;

साथ ही, बैंक ने उत्सर्जन गणना एवं इसके स्वचालन, जलवायु–संबंधी डैशबोर्ड हेतु टूल कार्यान्वयन, जलवायु जोखिम मूल्यांकन एवं प्रतिबल परीक्षण, सतत वित्त के अवसरों की खोज, बैंक की धरणीयता रिपोर्ट तैयार करने, समग्र ईएसजी रिपोर्टिंग एवं बैंक के नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में एक सूक्ष्म कार्ययोजना विकसित करने के लिए परामर्श सहायता हेतु नॉलेज पार्टनर को अपने साथ जोड़ा है।

इन प्रगतियों के बावजूद, बैंक को लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत–विशेष डेटा की सीमित उपलब्धता, हरित गतिविधियों के लिए एक मानकीकृत भारतीय वर्गीकरण की अनुपस्थिति और उभरते हरित क्षेत्रों की व्यावसायिक व्यवहार्यता और रिटर्न क्षमता के बारे में अपर्याप्त साक्ष्य शामिल हैं। फिर भी, बैंक अपने जलवायु जोखिम प्रबंधन एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विनियामक दिशानिर्देश

बैंक ने बासेल III मानदंडों के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

बैंक ने नियामक से अनुमोदन के अधीन ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए आरडब्ल्यूए/पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की भी योजना बनाई है। बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई को फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड (एफआईआरबी) के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए की गणना और रिपोर्ट कर रहा है। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) अपनाने के लिए एक औपचारिक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैंक तिमाही आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–109 के अनुसार अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना कर रहा है जिसके परिणाम छमाही आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आरबीआई को प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक वेंडर–आधारित समाधान के माध्यम से संपूर्ण ईसीएल गणना और रिपोर्ट को स्वचालित करने की प्रक्रिया में है।

बैंक ने ऋण निर्णय सक्षमता हेतु पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) ढांचा विकसित किया है जो बैंक को ऋण प्रस्ताव के लिए पूंजी पर रिटर्न की तुलना करने के लिए एकल पैमाना प्रदान करता है । यह ढांचा यह आकलन करने में मदद करता है कि क्या व्यवसाय प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न रिटर्न जोखिम के अनुरूप है, जिससे शेयरधारक की इक्विटी का मूल्य अधिकतम हो सके।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान की गई नई पहलें निम्नानुसार हैं: –

1. परिचालन जोखिम और सूचन एवं प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन

क. एआई और एमएल अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन बैंक के भीतर एआई एवं जेन एआई के उपयोग से संबन्धित विभिन्न जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें प्रबंधित करने का एक संरचित दृष्टिकोण है। यह एआई एवं एमएल की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए जोखिमों को समझने, उन्हें प्राथमिकता देने और उसे कम करने का एक व्यवस्थित माध्यम प्रदान करता है।

ख. सूचना एवं प्रौद्योगिकी जोखिम स्कोरकार्ड का पुनर्गठन संरचना: सूचना एवं प्रौद्योगिकी जोखिम स्कोरकार्ड को पूर्णरूपेण नवीनीकृत किया गया है। इसका विस्तार समस्त एप्लीकेशन्स एवं सूचना आस्तियों तक विस्तारित कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं अत्यंत आवश्यक एप्लीकेशन्स पर विशेष बल दिया गया है।

ग. आरआई/केआरआई संबंधित आईटी एवं साइबर सुरक्षा की पहचान और समीक्षा आईटी एवं सूचना सुरक्षा जोखिम का निरीक्षण, निगरानी और अवलोकन हेतु किया जाता है।

घ. नवीन अथवा अद्यतित किए गए उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने या उन्हें अनुमोदित करने से पूर्व आईटी जोखिमों का आकलन करने हेतु, एक मानक 'जोखिम आकलन समिति' (आरएसी) तंत्र का शुभारंभ किया गया है।

ड. मूल्यांकन हेतु जाँच–सूची को तैयार करके, यूएटी के जोखिम पक्ष की मंजूरी की मौजूदा प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है। इस जांच–सूची उत्पादोंध्प्रक्रियाओंध्प्रण ाालियों की व्यापक मूल्यांकन को सरल करती है ताकि उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, और इसके परिणामस्वरूप सक्रिय परिचालन परिवेश में त्रुटियाँ होने की संभावना को कम किया जा सके।

2. ऋण जोखिम

क. बैंक, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (इसीएल) फ्रेमवर्क को लागू करने में प्रक्रियारत है।

ख. मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार के संशोधित आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार, आरडब्ल्यूए का विकास प्रक्रियाधीन है।

3. नीति

क. अग्रणी क्षेत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा एवं बिजली पारेषण), हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव तथा लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के वित्तपोषण हेतु नए दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं।

4. एएलएम

क. बैंक ने सामान्य और विभिन्न तनाव परिदृश्यों के अंतर्गत चलनिधि स्थिति की पहचान, माप, निगरानी, पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए आंतरिक चलनिधि पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के व्यापक ढांचे को अपनाया है।

ख. ओएफएसएए परियोजना के अंतर्गत तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) रिपोर्ट का स्वचालन

5. बाजार जोखिम

क. नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप सटीकता, निरंतरता एवं तत्काल गणना सुनिश्चित करने हेतु, सिस्टम में पूंजीगत प्रभार की संगणना को पूर्ण रूप से स्वचालित कर दिया गया है।

ख. निवेश पोर्टफोलियो की तत्काल ट्रैकिंग को सक्षम करने हेतु, ईडीडब्ल्यू के भीतर 'निवेश पोर्टफोलियो डैशबोर्ड' विकसित और स्वचालित किया गया है।

ग. विभिन्न देशों के प्रति एक्सपोज़र की तत्काल आधार पर ट्रैकिंग करने के लिए, ईडीडब्ल्यू में 'कंट्री रिस्क एक्सपोज़र डैशबोर्ड' भी विकसित किया गया है।

6. समूह जोखिम

क. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफ़सीएस लिमिटेड (IIBX) में 'ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य' के रूप में कार्यरत शाखा कार्यालय : आईबीयू गिफ्ट सिटी के लिए जोखिम प्रबंधन संरचना ।

ख. समूह संस्थाओं हेतु नई नीतियों/ढांचे अर्थात – नवीन उत्पाद अनुमोदन, घटना प्रतिक्रिया ढांचा, जलवायु जोखिम एवं पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) जोखिम का निर्माण किया गया है। ये नीतियां/ढांचे समूह संस्थाओं के लिए अपने संबंधित स्तर पर नीतियां/ढांचा तैयार करने हेतु एक व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें उनके संचालन क्षेत्र, कारोबार की प्रकृति और संगठनात्मक संरचना को ध्यान में रखा गया है।

ग. समूह संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक इन–हाउस घटना रिपोर्टिंग पोर्टल।

VII. साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)

बैंक एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देता है, जिसकी देखरेख समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (जीसीआईएसओ) द्वारा की जाती है और समर्पित साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग (सीआईएसडी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह प्रभाग साइबर सुरक्षा के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है, नियंत्रण कार्यान्वयन और तैनाती से लेकर निरंतर निगरानी तक, साइबर खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध हमारे आईटी के बुनियादी ढांचे की प्रभावी रूप से सुरक्षा करता है।

अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बैंक अपने साइबर सुरक्षा घटकों को अद्यतन करता रहता है। इन प्रयासों को एक समर्पित साइबर सुरक्षा अनुपालन टीम द्वारा पूरक बनाया जाता है, जो विनियामक आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करती है। अटैक सरफेस मैनेजमेंट कार्यक्रम सार्वजनिक–प्रयोग वाले अनुप्रयोगों में कमजोरियों की निरंतर पहचान और उपचार प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंक कमजोर विन्यासों की पहचान करने एवं साइबर सुदृढ़ता में सुधार हेतु एसएसएल स्कैनिंग टूल का उपयोग करके एसएसएल/टीएलएस आकलनों के माध्यम से सार्वजनिक आस्तियों की सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर रहा है।

प्रमुख पहलों में विभिन्न थ्रेट इंटेलिजेंस फीड को एक थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में एकत्रित करना और सक्रिय खतरा पूर्वानुमान और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए इसे नेक्स्ट–जेनेरेशन सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) के साथ एकीकृत करना शामिल है। नेक्स्ट–जेन एसओसी एक उन्नत सुरक्षा ढांचा है जो साइबर खतरों का रियल टाइम में सक्रिय रूप से पता लगाने, विश्लेषण करने और प्रतिक्रिया देने के लिए स्वचालन, एआई और एकीकृत तकनीक का उपयोग करता है। यह चेतावनी की ध्वनि को कम करके, घटना प्रतिक्रिया को तीव्र करके और संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करके पारंपरिक एसओसी की क्षमताओं में सुधार करता है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जोखिम कार्य द्वारा रक्षा की एक स्वतंत्र दूसरी पंक्ति प्रदान की जाती है, जो संतुलित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के भीतर आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम द्वारा आगे स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया जाता है।

दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी 'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' नीति के अंतर्गत, पीएनबी द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अब पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक (बीजीबीबी, पीबीजीबी एवं यूबीकेजीबी का विलय) और बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी और यूबीजीबी का विलय) सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं का बैंक के बुनियादी ढांचे के साथ साइबर सुरक्षा एकीकरण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। संघीय वित्तीय संस्थान परीक्षा परिषद (एफएआईईसी) के साइबर सुरक्षा आकलन टूल (सिएटी) से अनुकूलित वित्तीय सेवा क्षेत्र समन्वय परिषद (एफएसएससीसी) साइबर सुरक्षा आकलन मॉडल के

आधार पर, व्यक्तिगत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की साइबर सुरक्षा जोखिम स्थिति का एक व्यापक आकलन किया गया।

बैंक प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीसीबी) साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2026 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस पहल को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफ़एस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का सहयोग प्राप्त है। इस कार्यक्रम का प्रस्तावित विषय "क्वांटम–प्रूफ सिस्टम" है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागी छात्रों द्वारा एक सॉफ्टवेयर स्कैनर विकसित करना है, ताकि क्वांटम प्रूफ साइफर (क्यूपीसी) की कार्यान्वयन का सत्यापन किया जा सके और सार्वजनिक आस्तियों (वेब सर्वर, एपीआई, सिस्टम) के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक बिल ऑफ मैटेरियल (सीबीओएम) इन्वेंट्री तैयार की जा सके। यह पहल भारत सरकार के "विकसित भारत और आत्मनिर्भरता" के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

VIII. भौतिक सुरक्षा

बैंक के पास सुस्थापित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रधान कार्यालय और फील्ड स्तर पर कार्यरत सुरक्षा संगठन को अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सौंपे गए हैं ।

सुरक्षा विभाग विभिन्न निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें भौतिक सुरक्षा नीति और अग्नि सुरक्षा नीति के रूप में समेकित किया जाता है। सुरक्षा विभाग बैंक की आस्ति की भौतिक सुरक्षा, इसकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और इसके कर्मचारियों/ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

बैंक की सभी शाखाओं को नवीनतम सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जिसमें 90 दिनों की रिकॉर्डिंग के साथ क्लोज़्ड–सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) प्रणाली, बर्गलर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो डायलर, पैसिव इंफ्रारेड (पीआईआर) सेंसर, लाइट सेंसर, पोर्टेबल अग्निशामक, मॉड्यूलर अग्निशामक आदि शामिल है। इसके अलावा, लॉकर सुविधा वाली शाखाओं को अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों और हार्ड डिस्क से सुदृढ़ किया गया है, जिसमें 180 दिनों तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संग्रहीत करने का प्रावधान है ।

बैंक के पास सभी शाखाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है, जो उनकी भौतिक सुरक्षा जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार उच्च जोखिम, माध्यम जोखिम और कम जोखिम वाली शाखाओं में वर्गीकृत है तथा उच्च जोखिम वाली शाखाओं में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का प्रावधान है।

सर्वर रूम, डी. आर. साइट्स जैसे महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए दो स्तरीय भौतिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रारम्भिक अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली, स्थायी अग्निशमन प्रणाली, सर्वर रूम में स्वच्छ गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली और विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

अनुकूलित नक़द वाहन किराए पर लेने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रत्येक अंचल में पर्याप्त संख्या में अनुकूलित नक़द वाहन किराए पर लिए जाते हैं, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग सिस्टम, अग्निशामक यंत्र एवं सीसीटीवी सिस्टम से युक्त होते हैं। नक़द वाहनों के आवागमन को करेंसी चेस्ट स्तर पर नियंत्रित किया जाता है।

किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए, बैंक के पास एक सुस्थापित कारोबार निरंतरता एवं आकस्मिकता योजना (गैर–आईटी)' है। शाखा स्तर तक के कार्यालयों में आग लगने की घटना, भूकंप, आतंकवादी हमले आदि जैसी किसी भी प्रकार की आकस्मिकता के मामले में तत्काल कार्यवाही हेतु 'आपातकालीन प्रतिक्रिया दल' (ईआरटी) उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण केंद्रों में सुरक्षा एवं अग्नि बचाव वीडियो के माध्यम से बैंक कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। ईसके अतिरिक्त, प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों पर सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा हेतु प्रदर्शन बोर्ड लगाए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक के अग्नि सुरक्षा अधिकारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सभी प्रशासनिक कार्यालयों में वर्ष में एक बार और शाखाओं/अन्य कार्यालयों के दौरे के समय अग्नि शमन एवं निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

अंचल एवं मंडल कार्यालयों मे सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक समर्पित टीम को तैनात किया जाता है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी शाखाओं मे भौतिक सुरक्षा उपायों की लेखा परीक्षा सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव करना और भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के संबंध मे पुलिस/राज्य अधिकारियों के साथ संपर्क करना है। वे भौतिक सुरक्षा/बचाव, अग्नि सुरक्षा और नकदी के आवाजाही से संबंधित सभी मामलों मे संबंधित अंचल प्रमुख / मंडल प्रमुख के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 में बैंक द्वारा शुरू की गई नवीन पहलें

i. बैंक की आपदा सुदृढ़ता में सुधार के लिए एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ/ डीडीएमए अधिकारियों के साथ आपदा मॉक ड्रिल (गैर–आईटी) आयोजित किए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2025 को एनडीआरएफ/ डीडीएमए के समन्वय से प्रधान कार्यालय, द्वारका भवन में एक आपदा रिकवरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक की आपदा सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए ऐसे अधिकारियों की सहायता से वर्ष में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

IX. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

क) आंतरिक लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 9003 शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआइए) की गई। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 1527 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती/कन्करेंट के अंतर्गत शामिल किया गया, जिनमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल अग्रिमों का 72.35 प्रतिशत और जमा का 37.15 प्रतिशत था।

163 कार्यालयों/इकाइयों में सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा आयोजित की गई। 267 पात्र शाखाओं/कार्यालयों अर्थात् अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं और ट्रेड फाइनेंस केंद्रों में फेमा लेखापरीक्षा आयोजित की गई। सभी शाखाओं का राजस्व लेखापरीक्षा की गई ।

ख) ऑफसाइट निगरानी

शाखाओं/कार्यालयों की ऑफसाइट निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स टीम बनाई है, जिसका नाम ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट है। ओएसयू नियमित आधार पर डेटा डंप विश्लेषण कर रही है और और पहचाने गए परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार का सुझाव दे रही है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, टीम ने 245 अध्ययन किए तथा 177 सिस्टम–स्तरीय संवर्द्धन की अनुशंसा की, जिनमें से 61 संवर्द्धन को पहले ही लागू किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, सीआईएसएपी पोर्टल में ओएसयू मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, परिणामस्वरूप प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) जेनरेशन में सुधार हुआ है और विभिन्न प्रभागों के मध्य संचार में सुधार हुआ है। अध्ययनों का वर्गीकरण उनकी गंभीरता स्तरों अर्थात् – उच्च, मध्यम और निम्न के आधार पर किया जा रहा है।

ग) प्रशासनिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निर्धारित की है ।

लेखापरीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले तरीकों आदि सहित प्रशासनिक कार्यालयों के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों मे निहित जोखिम धारणाओं को है ।

प्रधान कार्यालय के सभी प्रभागों (सतर्कता प्रभाग को छोडकर), अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, घरेलू एवं विदेशी सहायक कंपनियों की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। कम जोखिम श्रेणी वाले कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रशासनिक कार्यालयों की

लेखापरीक्षा भी वार्षिक आधार पर की जाएगी, जबकि कम जोखिम श्रेणी वाले कार्यालयों की लेखा परीक्षा दो वर्ष में एक बार की जाएगी। निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रभाग की तीन वर्ष में एक बार बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 247 प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई जिसमें 138 मंडल कार्यालय, 22 अंचल कार्यालय, 22 अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय, 14 एसटीसी/एएलआई, 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 37 प्रधान कार्यालय के प्रभाग, 3 घरेलू सहायक कंपनियां, 2 विदेशी सहायक कंपनियां और 1 आंतरिक लोकपाल कार्यालय शामिल है।

घ) ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, सभी घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों के कुल 5173 ऋण खातों की ऋण लेखापरीक्षा की गई। ऋण लेखा परीक्षा एवं समीक्षा नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, ऋण लेखापरीक्षा का दायरा 31 मार्च 2025 तक बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का 66.63 प्रतिशत रहा, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और हमारे बैंक की नीति के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम 30 से 40 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। बैंक ऑनलाइन ऋण लेखापरीक्षा मॉड्यूल के माध्यम से ऋण लेखापरीक्षा कर रहा है, जो ऋण लेखापरीक्षा की बेहतर निगरानी के लिए एक पारदर्शी, प्रभावी, सटीक और समय की बचत करने वाला साधन है।

ङ) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)

सभी शाखाओं और कार्यालयों में आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति को अपनाया है। इस नीति में केवाईसी अद्यतन, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी और सीकेवाईसी जैसे प्रमुख मानक शामिल हैं, और इसे अक्षरशः एवं मूल भाव के साथ लागू किया गया है।

खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने के लिए, बैंक ने कासा बैक ऑफिस स्थापित किए गए हैं, जबकि ग्राहकों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, संभावित धन शोधन के लिए लेनदेन की निगरानी करने, एएमएल अलर्ट जनरेट करने और वैश्विक प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध ग्राहकों की जांच करने के लिए एक एएमएल प्रणाली कार्यरत है।

कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, शाखा कर्मचारियों हेतु पीएनबी यूनिव पर एक ऑनलाइन आधारभूत केवाईसी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है, और बैंक प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवाईसी/एएमएल अनुपालन पर एक समर्पित सत्र शामिल है।

ग्राहक के केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, एसएमएस, व्हाट्सएप,एटीएम और बीसी के माध्यम से सुगम केवाईसी अद्यतन सुविधा भी आरंभ की गई है।

च) केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर):

खाता आधारित संबंध स्थापित करने के प्रयोजन हेतु, अद्यतन/आवधिक अद्यतन या ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए, बैंक ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता की मांग करेगा या यदि उपलब्ध हो, तो सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचानकर्ता को पुनः प्राप्त करेगा और उस केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और ग्राहक को उस केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक को ऑनबोर्ड करते समय, सीकेवाईसीआर संख्या का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी खाता खोलने वाले चैनलों पर सीकेवाईसीआर खोज और डाउनलोड सुविधा को लागू किया गया है।

इसके अतिरिक्त सीकेवाईसीआर को बढ़ावा देने के लिए, सीकेवाईसीआर संख्या को खाता विवरण, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, पीएनबी वन, कॉर्पोरेट वेबसाइट और अन्य ग्राहक इंटरफ़ेस आदि पर प्रदर्शित किया जाता है।

छ) डेटा गवर्नेंस और डीक्यूआई:

पीएसबी में डेटा गुणवत्ता सुधार के लिए आईबीए ईज़ (ईएएसई) संचालन समिति की अनुशंसा के संदर्भ में, बैंक ने एक सुदृढ़ डेटा गुणवत्ता कार्यक्रम के लिए अपनाए जाने वाले एक एकीकृत ढांचे को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

डेटा गवर्नेंस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस नई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- मुख्य डेटा प्रबंधन अधिकारी (सीडीएमओ) – बैंक में डेटा गुणवत्ता और ग्राहक डेटा गोपनीयता की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
- प्रधान कार्यालय डेटा गवर्नेंस समिति (एचओडीजीसी) – समग्र डेटा गवर्नेंस पहल को प्रायोजित करने वाली सर्वोच्च संस्था, बैंक में डेटा से संबंधित निर्देशों और निर्णयों की स्थापना।
- प्रभाग/वर्टिकल डेटा गवर्नेंस समिति (डीडीजीसी) – डेटा गवर्नेंस नीति और एचओडीजीसी निर्देश के अनुसार डेटा गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन।
- अंचल कार्यालय डेटा गवर्नेंस समिति (जेडओडीजीसी) – डेटा गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन तथा निगरानी
- मंडल कार्यालय डेटा गवर्नेंस समिति (सीओडीजीसी) – डेटा गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन तथा निगरानी
- विभिन्न स्तरों पर डेटा गवर्नेंस अधिकारी (डीजीओ) अर्थात प्रधान कार्यालय प्रभाग, अंचल कार्यालय, मंडल कार्यालय और शाखाएं। डीजीओ संबंधित स्तर पर किसी भी डेटा गवर्नेंस गतिविधि के लिए एकमात्र संपर्क सूत्र (एसपीओसी) है।

आईबीए उप–समिति की अनुशंसा के अनुसार, डेटा गुणवत्ता सुधार हेतु डैशबोर्ड के माध्यम से सभी 25 डीक्यूआई मापदंड लागू किए गए हैं। डैशबोर्ड प्रधान कार्यालय के सभी प्रभागों, अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और शाखाओं में सुधार और निगरानी के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 1 सितंबर 2025 से डैशबोर्ड में 5 नए डीक्यूआई मापदंड जोड़े गए हैं।

ज) डेटा गोपनीयता:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अनुपालन में, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने डेटा गोपनीयता ढांचे को सुदृढ़ किया है। इस हेतु की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मंडल द्वारा को आयोजित बैठक में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति को अनुमोदित किया गया था।
2. डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण बैंक में डेटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) नियुक्त किया गया है।
3. डेटा प्रत्ययी (फिड्यूशियरी) के रूप में बैंक के विनियामक दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और इसके नियमों के प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए सभी प्रभागों, प्रौद्योगिकी प्रणालियों और परिचालन प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए, एक व्यापक बैंक–व्यापी अंतर मूल्यांकन किया गया था।
4. मूल्यांकन ने प्रमुख अनुपालन अंतराल की पहचान करने और एक विस्तृत सुधार रोडमैप विकसित करने की सुविधा प्रदान की, जिसे वर्तमान में सम्पूर्ण बैंक में लागू किया जा रहा है।

यह सक्रिय पहल डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए बैंक की प्रतिबद्ध ता को रेखांकित करती है, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का वैध प्रसंस्करण, डेटा स्वामी के अधिकारों का प्रभावी प्रबंधन, उचित सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन और मजबूत डेटा सुरक्षा शासन की स्थापना शामिल है, जिससे ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा होती है और डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में नियामक अनुपालन को सुदृढ़ किया जाता है।

i) सतर्कता

सतर्कता एक मौलिक प्रबंधन कार्य है जो संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में दक्षता को बढ़ावा देती है, अनैतिक गतिविधियों को रोकती है, एक प्रभावी संगठनात्मक प्रबंधन के निर्माण के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करती है।

पंजाब नैशनल बैंक में, हम अपने सभी कार्यों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं। हमारा सतर्कता विभाग नैतिकता और अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करने, संभावित जोखिमों को पहचानने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के प्रति प्रतिबद्ध है। हम नियामक दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करते हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया/तैयार किया गया है कि बैंक सदैव सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ कार्य करे।

निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से प्राप्त दक्षता, प्रभावी निगरानी तंत्र और मामलों पर पर्यवेक्षी निरीक्षण के कारण, बैंक वित्त वर्ष (2025–2026) के दौरान पंजीकृत 537 मामलों में से 499 मामलों, अर्थात 92.92 प्रतिशत का निपटान करने में सक्षम रहा है।

बैंक ने सतर्कता प्रशासन की दक्षता में सुधार हेतु **"पीएनबी विजिल"** पत्रिका का प्रकाशन जैसी विभिन्न पहलें शुरू की हैं। सतर्कता विभाग नियमित रूप से बैंक के उत्पादों, परिपत्रों, परिचालन दिशानिर्देशों, सतर्कता परामर्श और सामान्य बैंकिंग जागरूकता पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र/सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिनमें सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई और सतर्कता संबंधी मामलों पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक सतर्कता प्रशासन और अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और नवीन विचारों का उपयोग कर रहा है। वित्त वर्ष 2025–2026 में, बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियों पर कार्य किया:

क. पोर्टल को एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यू) के साथ एकीकृत करके शाखा के कारोबार डेटा/निरीक्षण रेटिंग का निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने के लिए **निवारक सतर्कता निगरानी समिति (पीवीएमसी) पोर्टल** का नवीनीकरण और रूपांतरण तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली (बीएएस) के माध्यम से समिति सदस्यों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन, ताकि समिति के सदस्य बैठक के कार्यवृत्त को संपूर्ण हृदय से प्रमाणित कर सकें।

इसके अतिरिक्त, पोर्टल को अधिक असरदार/प्रभावी बनाने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी के शाखा दौरे की पुष्टि करने और उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को बंद करने की कार्यक्षमता को उसमें सक्रिय किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखाओं (आईएसबी) और केंद्रीकृत पीएनबी ऋण केंद्र सहित अन्य वर्टिकल को भी पीवीएमसी पोर्टल की अधिकारिता में लाया गया है।

ख. संवेदनशील पदों की पहचान और कर्मचारियों की छुट्टी/अनुपस्थिति के दौरान उनकी सीबीएस उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय करने से संबंधित प्रणालीगत सुधारों को हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित, सभी 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू किया गया है।

ग. पंजाब नैशनल बैंक द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"** विषय के साथ **सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)** 2025 मनाया गया, जिसमें कार्यशालाओं/वॉकथॉन/सेमिनार/ सार्वजनिक सभाओं, नुक्कड़ नाटकों, निवारक सतर्कता गतिविधियों, सीएसआर पहलों, रक्तदान शिविरों और अन्य आउटरीच कार्यक्रमों आदि के माध्यम से लगभग 7.22 करोड़ जनसाधारण के मध्य पहुँच बनाई। जो गत वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.90 करोड़ था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 के मुख्य बिंदु:

i. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 4,709 यूनिट से अधिक रक्त दान किया गया।

ii. ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कुल 8,773 "ग्राम सभाएं" आयोजित की गईं, जिनमें 1,66,170 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iii. स्टाफ सदस्यों हेतु निवारक सतर्कता पर तीन प्रश्नोत्तरियां आयोजित की गई, जिनमें कुल 1,77,062 स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

iv. सम्पूर्ण भारत में 1,970 विद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

v. लगभग 20,000 कारोबार प्रतिनिधियों को ऑनलाइन सतर्कता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

vi. कुल 25,980 कर्मचारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर "तनाव प्रबंधन" पाठ्यक्रम पूर्ण किया।

vii. कुल 11,847 कर्मचारियों को मुख्य प्रशिक्षकों द्वारा जांच एवं रिपोर्ट, चार्जशीट तैयार करना तथा सीटीई श्रेणी के गहन परीक्षण आयोजित करने पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निवारक सतर्कता विषयों पर भी विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

viii. सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अग्रगामी अवधि अर्थात, माननीय केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निवारक सतर्कता पर दिनांक 18.08.2025 से 17.11.2025 तक की अवधि के लिए शुरू किए गए तिमाही अभियान के दौरान, हमारे बैंक में एचआरडी, डीएसी, अग्रिम, परिचालन, वैकल्पिक वितरण चैनल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 16 प्रणालीगत सुधारों की पहचान की गई और उन्हें लागू किया गया।

X. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

बैंक यह मानता है कि वर्तमान और संभावित ग्राहकों के साथ स्थायी विश्वास स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। इस प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में पूर्ण निष्ठा के साथ लागू करता है।

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान, बैंक को सूचना के अधिकार से संबंधित 7,014 आवेदन प्राप्त हुए।

XI. ईज़ प्रदर्शन

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) पहल, 2018 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधारों का एक आधार स्तंभ बन गई है। अपने आठ संस्करणों के दौरान, ईज़ ने ईज़ 1.0 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उत्तरदायी और जिम्मेदार संस्थान, ईज़ 2.0 में स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग, ईज़ 3.0 में स्मार्ट तकनीक–सक्षम बैंकिंग, ईज़ 4.0 में तकनीक–सक्षम सरल और सहयोगात्मक बैंकिंग, ईज़ 5.0 में उन्नत डिजिटल और डेटा–संचालित बैंकिंग, ईज़ 6.0 में ग्राहक–अनुकूल आधुनिक बैंकिंग, और ईज़ 7.0 में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बैंकिंग तक क्रमिक रूप से रूपांतरित किया है। अपने वर्तमान संस्करण, ईज़ 8.0 को यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रतिस्पर्धी, लचीले और ग्राहक–केंद्रित बने रहें, एक भविष्योन्मुखी ढांचे के रूप में तैयार किया गया है जो चार विषयों पर आधारित है: – जोखिम और लचीलापन, नवाचार, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, और उत्कृष्टता।

बैंक ने ईज़ एजेंडा के अंतर्गत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें बैंक ने ईज़ 5.0 में तीसरी रैंक, ईज़ 6.0 में दूसरी और ईज़ 7.0 में चौथी रैंक प्राप्त की है।

बैंक ने ईज़ 8.0 पहल के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति की है। दिसंबर तिमाही के दौरान, बैंक ने 12 सार्वजनिक

क्षेत्र के बैंकों के बीच दूसरी रैंक हासिल की, जिसमें जोखिम और लचीलापन में प्रथम और उत्कृष्टता में तीसरी रैंक प्राप्त हुई, जो आधाररेखा से इसके स्कोर में 134 प्रतिशत का सुधार दर्शाती है। यह प्रदर्शन उन विभिन्न पहलों द्वारा समर्थित है जो ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता, समावेशिता, स्थिरता और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देती हैं

प्रमुख उपलब्धियों में– ग्राहक–केंद्रित उपाय जैसे फीडबैक संग्रह के लिए एक समर्पित ग्राहक अनुभव केंद्र और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए वैश्लेषिकी का उपयोग, शाखा और डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्राप्त विभिन्न सेवाओं के फीडबैक को प्रसंस्कृत करने के लिए नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) और ग्राहक संतुष्टि (सीएसएटी) ढांचे की स्थापना, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी सेवाएं और मोबाइल बैंकिंग ऐप में यूपीआई चक्र जैसे डिजिटल नवाचारों की शुरुआत शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओआरएमएस टूल में अतिरिक्त सुविधाओं के साथ परिचालन लचीलेपन को सुदृढ़ किया गया है।

परिचालन व्यय पर नज़र रखने और सूक्ष्म स्तर पर उनके आवंटन के लिए एक केंद्रीकृत 'लागत संरचना' डैशबोर्ड तैयार किया गया है। बैंक में दिव्यांगजन सुलभ केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही शारीरिक रूप से अक्षम ग्राहकों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बैंक में एक 'एक्सेसिबिलिटी सेल' का गठन किया गया है। इसके अलावा, ब्रेल–सक्षम कार्ड जारी किए गए हैं और विविध भाषाई क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के लिए एटीएम और वेबसाइट जैसे एप्लिकेशन और कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस और नॉलेज सेंटर जैसे एप्लिकेशन को डब्ल्यूसीएजी 2.2 के सुगमता मानकों के अनुरूप बनाया गया है। स्थायित्व पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और भवन प्रबंधन प्रणाली को लागू करने जैसे कदम उठाए गए हैं। क्लस्टर–आधारित कृषि वित्तपोषण में – मौजूदा क्लस्टरों में मूल्य श्रृंखला के साथ–साथ नए क्लस्टरों की पहचान की गई है और डैशबोर्ड के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, एम्प्लॉई हैप्पीनेस इंडेक्स (ईएचआई) जैसे ढांचे, भावनात्मक कल्याण मूल्यांकन और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारी संबंधों को और मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों के लिए आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 21001:2018 मानकों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर ली है। साथ ही, बैंक ने अपने कर्मचारियों और अन्य संस्थानों के प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तरीय संस्थानों के सहयोग से एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया है।

उपर्युक्त सभी पहल ईज़ सुधार एजेंडा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। वर्ष 2018 से बैंक ने निरंतर स्वयं को ईज़ प्राथमिकताओं के अनुरूप ढाला है, जिससे ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि ईज़ सुधार एजेंडा के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनाए रखे।

XII. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन (एचआर)/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में भौतिक विकास

मानव संसाधन प्रबंधन

कुल कर्मचारियों की संख्या: मार्च 2025 और मार्च 2026 के लिए सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों सहित पीएनबी कर्मचारियों की संख्या की निम्न तालिका में प्रदान की गई है।

संवर्ग–वार कर्मचारियों की संख्या

संवर्ग	31.03.2025		31.03.2026	
	संख्या	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	संख्या	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
अधिकारी	53,137	51.72%	54,614	52.93%
लिपिक	28,013	27.26%	28,129	27.26%
अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित)	21,596	21.02%	20,441	19.81%
कुल	1,02,746	100.00%	1,03,184	100%

आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण नीति का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, मानदंडों के अनुसार बैंक ने आरक्षण रोस्टर बनाए रखने, पृथक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बैंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

(संख्या में)

संवर्ग	मार्च, 2025 (31.03.2025)				मार्च, 2026 (31.03.2026)			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	बैंचमार्क दिव्यांग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वग	बैंचमार्क दिव्यांग
अधिकारी	10,517	4,049	14,266	1,546	10,718	4,140	15,256	1,501
लिपिक	5,572	1,568	7,782	884	5,560	1,571	8,035	869
अधीनस्थ कर्मचारी	8,361	1,515	5,471	495	8,004	1,476	5,197	491
कुल	**24,450**	**7,132**	**27,519**	**2,925**	**24,282**	**7,187**	**28,488**	**2,861**

कर्मचारियों का आयु विवरण

विगत कुछ वर्षों में कर्मचारियों की औसत में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में संवर्ग–वार औसत आयु का विवरण निम्नानुसार है:

(औसत आयु वर्षों में)

औसत आयु	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	समग्र
मार्च 2022	39.24	38.28	38.03	38.71
मार्च 2023	39.23	38.40	36.86	38.46
मार्च 2024	39.28	38.67	37.45	38.70
मार्च 2025	39.12	38.70	38.17	38.81
मार्च 2026	38.58	38.31	38.44	38.48

वित्तीय वर्ष 2025–26 में शुरू की गई नई पहलें निम्नलिखित हैं:

क) मानव संसाधन के लिए डिजिटलीकरण पहलें:

- मोबाइल उपस्थिति एप्लिकेशन – पीएनबी आगमन की शुरुआत:– मोबाइल उपस्थिति एप्लिकेशन – 'पीएनबी आगमन' की शुरुआत की गई है। यह ऐप कार्यालय परिसर के भीतर उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल संबंधित कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित कर्मचारियों द्वारा ही उपस्थिती चिन्हित की जा सके। यह एप्लिकेशन पूरी तरह से एचआरएमएस से एकीकृत है, और एचआरएमएस में पंजीकृत मोबाइल नंबर वाले कर्मचारी ही इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

- एचआरएमएस के माध्यम से स्टाफ क्लीन ओडी सीमा में कटौती: कर्मचारी अब एचआरएमएस के माध्यम से अपनी मौजूदा 'स्टाफ क्लीन ओडी/डीएल' सीमा को कम करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अद्यतन सीमा नई दस्तावेजीकरण के बाद प्रणाली में दिखने लगेगी। यह दस्तावेज एचआरएमएस से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे मूल शाखा में जमा करना होगा जहाँ ऋण लेने वाले कर्मचारी का खाता है, जिसके बाद एचआरएमएस में कम की गई सीमा को संसाधित किया जाएगा।

- बैंक फ्लैट आवंटन का डिजिटलीकरण।

- कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं (जैसे – सफाई/क्लींजिंग, बिजनेस परिधान, ब्रीफकेस, स्टेशनरी व्यय, बिजली बिल, ईंधन, टेलीफोन बिल और मनोरंजन भत्ता) की प्रतिपूर्ति अब सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से की जाएगी।

- कर्मचारी ऋणों में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कर्मचारी आवास ऋण योजना के आवेदनों को एचआरएमएस के माध्यम से संसाधित करने हेतु सिस्टम–संचालित प्रणाली को अपनाने और लागू करने का निर्णय लिया गया है।''

ख) एनपीएस लचीलेपन के माध्यम से कर्मचारियों का सशक्तीकरण:

- कर्मचारी कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पंजाब नैशनल बैंक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक महत्वपूर्ण संवर्धन की शुरुआत की है। 1 नवंबर 2025 से प्रभावी, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के पास अपने पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) को चुनने का विकल्प होगा। इसके साथ ही, उन्हें अपने रिटर्न को बेहतर बनाने के लिए एक्टिव चॉइस (इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और एआईएफ में स्व–निर्देशित आवंटन) या ऑटो चॉइस (आयु–आधारित लाइफ साइकिल फंड) या बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड को अपनाने की सुविधा भी मिलेगी:

ग) अधिकारियों और लिपिकों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण का केंद्रीयकरण: समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत एकरूपता, पारदर्शिता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को प्रधान कार्यालय में केंद्रीय स्तर पर निष्पादित किया जाए।

नई स्टाफ कल्याण योजनाएं:

क. पीएनबी उद्भव – मातृत्व अवकाश के बाद महिला कर्मचारियों का स्वागत:

मातृत्व अवकाश के पश्चात पुनः कार्यभार ग्रहण करने वाली महिला कर्मचारियों के संकोच को दूर करने तथा उन्हें कार्यस्थल पर सुखद एवं आत्मीय अनुभूति कराने के उद्देश्य से बैंक द्वारा एक नवीन पहल–'पीएनबी उद्भव' की शुरुआत की गई है। कार्य पर पुनः आनेवाली माता को नोडल अधिकारी/ईआरजी सदस्य द्वारा 'पीएनबी स्पर्श' (मातृत्व अवकाश के बाद महिला कर्मचारियों हेतु बैंक की टेलीकंसल्टिंग सुविधा) के विषय में जानकारी दी जाती है, तथा उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी आशंकाएं एवं संशय दूर हो सकें और वे कार्यस्थल पर अपने दायित्वों का निर्वहन सुगमतापूर्वक पुनः प्रारंभ कर सकें।

ख. पीएनबी अर्पण: 'पीएनबी अर्पण' नामक एक नवीन पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।

ग. वरिष्ठ पदों पर महिला कर्मचारी – पंचवर्षीय रोडमैप: अपने व्यावसायिक करियर में आगे बढ़ने की इच्छुक महिला कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन के माध्यम से एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा वरिष्ठ पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय रोडमैप तैयार किया गया है।

घ. बैंक की महिला कर्मचारियों को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति: इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक निवारक उपायों को प्रोत्साहित करना, महिला स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बढ़ाना तथा सर्वाइकल कैंसर के उपचार से जुड़े दीर्घकालिक जोखिम एवं वित्तीय भार को कम करना है, जिससे कर्मचारी कल्याण और एक सहायक व स्वास्थ्य–सचेत कार्यस्थल के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

ङ. कर्मचारियों की एक बालिका के प्रथम विद्यालय प्रवेश व्यय की प्रतिपूर्ति: कर्मचारियों की एक बेटी के औपचारिक विद्यालय में प्रथम बार प्रवेश पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि बालिका शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की आधारशिला है।

च. पीएनबी संपर्क – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों हेतु शिकायत निवारण पोर्टल: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 'पीएनबी संपर्क' नामक एक नवीन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है।

औद्योगिक संबंध

बैंक में कामगार संघों एवं अधिकारी संघों के साथ औद्योगिक संबंध निरंतर सौहार्दपूर्ण बने रहे। संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों का त्वरित निवारण करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान मंडल, अंचल तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर उनके प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रत्यक्ष बैठकें आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण गतिविधियां

तेजी से बदलते और प्रौद्योगिकी–संचालित बैंकिंग परिवेश में, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक की प्रशिक्षण संरचना को सोच–समझकर तैयार किया गया था, ताकि यह लचीली होने के साथ–साथ संगठनात्मक प्राथमिकताओं के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ी रहे। प्रशिक्षण कैलेंडर में जॉब फैमिली और भूमिका–आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया, जिसे प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से संरचित हस्तक्षेपों के रूप में प्रदान किया गया। इसका मुख्य ध्यान कार्यात्मक विशेषज्ञता, नेतृत्व क्षमता और ग्राहक–केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने पर रहा। विशेष रूप से, इस वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने 90.56 प्रतिशत कर्मचारियों का

भौतिक रूप में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जो व्यापक कौशल विकास और व्यावहारिक शिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संस्था ने लक्षित विकास पहलों को प्राथमिकता दी है, जिसमें समर्पित पदोन्नति–पूर्व प्रशिक्षण शामिल हैं। ये पहल संवर्ग की प्रगति और नेतृत्व की तैयारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं। इन पहलों ने यह सुनिश्चित किया कि उच्च पदों पर आसीन होने वाले कर्मचारी बदलते वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से पूरी तरह सुसज्जित हों।

पीएनबी में, एक सुदृढ़ मानव संसाधन संरचना एक सशक्त क्षमता–निर्माण सुनिश्चित करता है, जिसमें क्लासरूम प्रशिक्षण, ई–लर्निंग, मेंटरिंग और अनुभवात्मक शिक्षण का एकीकरण शामिल है। नए कर्मचारियों के लिए आगमन कार्यक्रमों से लेकर मौजूदा कर्मचारियों के निरंतर कौशल उन्नयन तक, सभी शिक्षण कार्य व्यक्तिगत कैरियर प्रगति और बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हैं। वर्ष के दौरान नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने से नेतृत्व पाइपलाइनों को और मजबूती मिली, कार्यबल की क्षमताओं में वृद्धि हुई और प्रतिभा को निखारने तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता और सशक्त हुई।

क. ग्रूमिंग योजनाएँ

- **पीएनबी उड़ान के अंतर्गत नेतृत्व विकास कार्यक्रम** – पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए **"उड़ान एलीवेट"** शीर्षक से एक पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों की व्यवहार संबंधी दक्षताओं में 65 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार देखा गया। इसके अलावा, प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत, नेतृत्व विकास कार्यक्रम **"इग्नाइटिंग पोटेंशियल" (प्रतिभा को निखारना)** को स्केल IV अधिकारियों तक बढ़ाया गया। तीन दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन कार्यात्मक दक्षताओं और दूसरे व तीसरे दिन व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रभावोन्मुख कार्यप्रणाली और ग्राहक–केंद्रितता पर जोर दिया गया।
- **ऊर्जा (URJA) कार्यक्रम:** मई–जून 2025 के दौरान आयोजित इस व्यापक पहल के अंतर्गत 24,436 ग्राहक सेवा सहयोगियों (सीएसए) को शामिल किया गया। संवादात्मक और अभ्यास–उन्मुख सत्रों के माध्यम से, इस कार्यक्रम ने सेवा गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और ग्राहक जुड़ाव को मुख्य रूप से मजबूत किया।
- **कासा बैंक ऑफिस और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण:** कासा परिचालन में प्रक्रिया दक्षता, अनुपालन और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रयासों ने टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार, ग्राहक शिकायतों में कमी और निर्बाध लेनदेन प्रबंधन में योगदान दिया।
- **स्ट्रैटेजिक एज पहल:** नेतृत्व की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, पदोन्नति हेतु अनिवार्य विकास कार्यक्रमों को एक पूर्व–शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो वरिष्ठ अधिकारियों को बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है।
- **कार्यकारी विकास और विदेशी अनुभव:** वरिष्ठ कार्यपालकों को उनकी भूमिका और प्रदर्शन के आधार पर विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमुख घरेलू संस्थानों जैसे आईआईएम, आईएसबी, एमडीआई, एएससीआई और आईडीबीआरटी के लिए नामांकित किया जाता है, जिससे उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का व्यापक अनुभव प्राप्त हो।
- **भाषाई प्रशिक्षण कार्यक्रम:** गैर–भाषी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सहायता के लिए भाषाई प्रशिक्षण शुरू किया गया, जो व्यावहारिक संचार कौशल और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर केंद्रित है, जिससे ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल सहयोग में सुधार हुआ है।
- **प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस:** बैंक ने सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को कम करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के 29 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को पैनल में शामिल किया। ये विशेषज्ञ नेतृत्व, नवाचार और उभरते बैंकिंग रुझानों पर विशेष मॉड्यूल में योगदान दे रहे हैं।
- **पीएनबी मंथन – केस स्टडी प्रतियोगिता:** भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सहयोग से आयोजित इस पहल ने कर्मचारियों के बीच विश्लेषणात्मक सोच, नवाचार और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा दिया।
- **क्रॉस बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वित्त वर्ष 25–26 के दौरान, ज्ञान के आदान–प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विभिन्न संस्थानों के परिचालन ढांचे के प्रति अनुभव बढ़ाने के लिए क्रॉस बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।
- **उन्नति पथ:** महिला सम्मेलन – महिला अधिकारियों के लिए एक लक्षित पहल आयोजित की गई, जिसमें 6,358 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **कर्मचारी शिक्षण डैशबोर्ड:** प्रोफाइल, लर्निंग हिस्ट्री और कौशल मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए एक नया 'कर्मचारी शिक्षण डैशबोर्ड' का शुभारंभ किया गया।
- **एआर/वीआर–आधारित शिक्षण:** बैंक ने सिमुलेशन–आधारित प्रशिक्षण और आगामी एआर/वीआर एकीकरण के माध्यम से इमर्सिव लर्निंग (अनुभवात्मक शिक्षा) की दिशा में कदम उठाए हैं, जिससे अनुभवात्मक, जोखिम मुक्त शिक्षण और बेहतर निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार होगा।

ख. ज्ञान समर्थक

I. पीएनबी नॉलेज सेंटर:

- **राही चैटबॉट** बैंक के रिपॉजिटरी में उपलब्ध परिपत्रों और दिशा–निर्देशों के आधार पर स्टाफ सदस्यों को त्वरित और सहज ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है।
- प्रत्येक महीने के चतुर्थ शनिवार को बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों और घटनाक्रमों पर आयोजित होने वाले **मासिक वेबिनार की रिकॉर्डिंग** भी नॉलेज सेंटर के 'नॉलेज रिपॉजिटरी' पर अपलोड की जा रही है।

  इसके अतिरिक्त, विभिन्न डिजिटल उत्पादों पर **ग्राहकों की जागरूकता के लिए डीआईवाई वीडियो** हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- **पीएनबी यूनिव**– हमारा बैंक स्व–शिक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएनबी यूनिव का व्यापक रूप से लाभ उठा रहा है। पीएनबी यूनिव पर विभिन्न कार्यात्मक दक्षताओं पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। पीएनबी यूनिव पर पाठ्यक्रम आबंटन संबंधित अधिकारियों के निर्धारित 'जॉब–फैमिली' के अनुरूप है। 31.03.2026 तक नॉलेज सेंटर में 212 पाठ्यक्रम अपलोड किए जा चुके हैं।

  इसके अतिरिक्त, **कर्मचारियों के जीवन चक्र के अनुरूप निम्नलिखित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:**

- बैंक के सभी संवर्गों और स्तरों के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति से लेकर संवर्ग परिवर्तन, भूमिका परिवर्तन और कौशल उन्नयन तक के कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- पहली बार मंडल प्रमुखों और पहली बार शाखा प्रमुखों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि वे नई भूमिकाओं को सहजता से आत्मसात कर सकें ।
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए 'सेकंड इनिंग्स' कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में ढलने में सहायता मिल सके।

- मांग आधारित कार्यक्रम जैसे जलवायु जोखिम और स्थिरता, सतर्कता, साइबर सुरक्षा, सरफेसी प्रावधान, जोखिम रेटिंग, डीएमएस आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **विविधता, समानता और समावेशन पहल**, जिसमें बैंक भर की सभी महिला अधिकारियों के लिए समर्पित महिला सम्मेलन और दिव्यांग अधिकारियों के लिए कार्यक्रम शामिल थे।
- सबेटिकल या मातृत्व अवकाश के पश्चात कार्यग्रहण करने वाली महिलाओं के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया गया ताकि वे व्यवस्था में पुनः सुचारू रूप से शामिल हो सकें और नई नीतियों व उत्पादों के बारे में खुद को अपडेट कर सकें।
- समग्र विकास के लिए समय प्रबंधन, कार्य–जीवन संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और प्रेरणा जैसे आवश्यक विषयों पर अतिरिक्त सत्र आयोजित किए गए।
- **बाह्य प्रशिक्षण** – आईटी, आईबीसी, साइबर सुरक्षा, एआई, स्वचालन और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ, बैंकिंग में कौशल की आवश्यकताएं लगातार विकसित हो रही हैं। इसे संबोधित करने के लिए, दिनांक 31.03.2026 तक 3122 कर्मचारियों को एनआईबीएम, आईडीआरबीटी, सीएबी (आरबीआई), आईआईबीएफ जैसे प्रमुख संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- कक्षा से परे क्षमता निर्माण – बैंक अपने कर्मचारियों के ज्ञान के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता को पहचानते हुए, अनुमोदित योजना के अनुसार विशिष्ट उच्च/पेशेवर योग्यता प्राप्त करने पर स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशेष योग्यता प्राप्त करने /विशिष्ट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अनुमोदित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्तिगत शिक्षण डैशबोर्ड प्रस्तुत किया गया था, जो प्रत्येक कर्मचारी की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत पाठ्यक्रम सुझाव प्रदान करता है।

भावी योजना

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण एक **"स्थिर किन्तु अपेक्षा से कम प्रभावशाली"** सुधार की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि दुनिया अभी भी भू–राजनीतिक संघर्षों और बदलती व्यापार नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों से जूझ रही है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ रहा है और विकास दर महामारी–पूर्व के औसत से कम रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंकों के सामने विकास पर प्रभाव को कम करते हुए मुद्रास्फीति को स्थिर करने का कठिन कार्य है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में मौजूदा अस्थिरता के कारण, 'सेफ–हेवन' अर्थात सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। वैश्विक परिदृश्य के लिए प्राथमिक जोखिम संघर्षों का दीर्घीकरण और उनका भौगोलिक विस्तार होना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था से उम्मीद है कि वह मजबूत व्यापक–आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के दम पर वर्तमान वर्ष में मजबूत विकास दर बनाए रखेगी। मजबूत घरेलू उपभोग, निवेश और सरकार के सार्वजनिक व्यय व बुनियादी ढांचे के विस्तार से भारत की विकास गति को समर्थन मिल रहा है।

कृषि क्षेत्र की संभावनाएं एक विरोधाभासी परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। जबकि यह क्षेत्र मौलिक रूप से स्थिर है, विकसित होते अल–नीनो और इसके परिणामस्वरूप 'सामान्य से कम' मानसून के पूर्वानुमान ने निकट अवधि की उत्पादकता पर अनिश्चितता के बादल छाये हुए हैं। हालांकि, इस जोखिम को बागवानी और प्रौद्योगिकी–संचालित खेती की ओर संरचनात्मक परिवर्तन के माध्यम से कम किया जा रहा है; यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसे कृषि आय को पारंपरिक जलवायु निर्भरता से सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के उल्लेखनीय रूप से मजबूत बने रहने की उम्मीद है। यह क्षेत्र वर्तमान में केंद्रीय बजट 2026–27 में अंतिम रूप दिए गए आक्रामक सरकारी हस्तक्षेपों और रणनीतिक सहायता ढांचों का लाभ उठा रहा है, जिसने भारत को एक 'वैश्विक उत्पादन विकल्प' के रूप में स्थापित करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को प्राथमिकता दी है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का शक्ति–केंद्र बना हुआ है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र एक "कम लागत वाले बैक ऑफिस" से एक उच्च–मूल्य वाले "वैश्विक नवाचार केंद्र" के रूप में मौलिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय बजट 2026–27 और डिजिटल परिवर्तन की लहर से प्रेरित यह क्षेत्र, भारत के परिपक्व डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए व्यापक अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा भू–राजनीतिक संघर्षों के कारण बहुस्तरीय जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है, जहाँ बाहरी झटके उच्च इनपुट लागत और आपूर्ति बाधाओं के माध्यम से विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर रहे हैं, भले ही घरेलू मांग इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है।

इस बढ़ते अनिश्चित वैश्विक परिवेश में, भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता घरेलू बुनियादी सिद्धांतों की मजबूती पर निर्भर करेगा। इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, दक्षता प्राप्त करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही, उभरती वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने और विकास को समर्थन देने के लिए तैयारी, नीतिगत समन्वय और घरेलू क्षमता विकास पर जोर देना महत्वपूर्ण बना रहेगा।

वित्त वर्ष 2026–27 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति सुदृढ़ रहने की उम्मीद है। बैंक कम एनपीए, मजबूत लाभप्रदता और पर्याप्त पूंजी बफर के साथ वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। खुदरा, एमएसएमई और चुनिंदा कॉर्पोरेट मांग से ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है। जमा वृद्धि में सुधार की संभावना है, हालांकि यह ऋण वृद्धि से पीछे बनी रहेगी।

बैंक परिष्कृत और अत्यधिक व्यक्तिगत उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना जारी रखेंगे। **अकाउंट एग्रीगेटर (एए)** इकोसिस्टम और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके, बैंक अब "गारंटी–आधारित ऋण" से "नकदी प्रवाह–आधारित ऋण" की ओर बढ़ रहे हैं। यह व्यवस्था पहले से कम सेवा प्राप्त एमएसएमई के वास्तविक समय में ऋण मूल्यांकन की अनुमति देती है। पारंपरिक बैंकिंग ऐप को **एंबेडेड फाइनेंस और 'बैंकिंग एज ए सर्विस' (बीएएएस)** मॉडल द्वारा पूरक किया जा रहा है। इसके अलावा, बैंक फिनटेक कंपनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ करके उनके तालमेल का लाभ उठा रहे हैं।

सतत वित्त एक सीमित ईएसजी आवश्यकता से हटकर एक मुख्यधारा की आस्ति श्रेणी में परिवर्तित हो रहा है। बैंक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इकोसिस्टम और जलवायु–अनुकूल बुनियादी ढांचे (क्लाइमेट–रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए तरजीही ब्याज दरों की पेशकश करते हुए अपने ग्रीन पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों में रणनीतिक बदलावों ने बैंकों को विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) तथा रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) व इनविट्स में अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अनुमति दी है।

चालू खाता और बचत खाता (कासा) अनुपात का गिरना बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह कम लागत वाली, स्थिर जमा राशि से अधिक महंगे फंडिंग स्रोतों की ओर बदलाव का संकेत देता है, जिससे शुद्ध ब्याज मार्जिन

(एनआईएम) कम हो जाता है। इसके अलावा, भू–राजनीतिक अनिश्चितताएं ऋण पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती हैं जिससे स्लिपेज बढ़ सकते हैं, जिसके कारण सकल एनपीए में मामूली वृद्धि हो सकती है, हालांकि इसके नियंत्रण में रहने की अपेक्षा है।

सतत उत्पाद नवाचार और अनुकूलन के माध्यम से, बैंक युवा वर्ग की उभरती आकांक्षाओं को पूर्ण करना जारी रखेगा और उन्हें आवास, वाहनों तथा शिक्षा के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित ऋण समाधान प्रदान कर सशक्त बनाएगा।

एमएसएमई इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए, बैंक स्वचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रेडिक्टिव कैश–फ्लो फाइनेंसिंग मॉडल के माध्यम से ऋण तक निर्बाध और समय पर पहुंच सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

अपनी कम लागत वाली जमा राशि का स्थायी रूप से विस्तार करने और फंड की कुल लागत में सुधार करने के लिए, बैंक अपने विशेष, खंड–केंद्रित (सेगमेंट–फोकस्ड) कासा उत्पादों को तीव्रता से लागू कर रहा है। भविष्य में, हमारी रणनीति ' सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण' (वन–साइज–फिट्स–ऑल) से हटकर, विशिष्ट और उच्च–मूल्य वाले ग्राहक पारिस्थितिकी प्रणालियों (इकोसिस्टम) को लक्षित करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत महिलाओं, किसानों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड (विशेष) बचत खाते और तकनीक–प्रेमी युवाओं के लिए डिजिटल–फर्स्ट वेरिएंट पेश किए जाएंगे।

इसके साथ ही, हमारे चालू खाता वेरिएंट एमएसएमई खुदरा व्यापारियों और संस्थागत ग्राहकों की विशिष्ट लेन–देन प्रणाली और नकदी–प्रबंधन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन विशेष उत्पाद पेशकशों को समर्पित रिलेशनशिप–संचालित सेल्स टीमों और बेहतर डिजिटल ऑनबोर्डिंग यात्राओं के साथ जोड़कर, बैंक प्राथमिक बैंकिंग संबंधों को गहरा करने, नए ग्राहकों को बैंक से जोड़ने में तेजी लाने और सतत कासा वृद्धि में उच्च गति लाने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है।

बैंक की दीर्घकालिक सफलता हमारे ग्राहकों के विश्वास और संतुष्टि पर आधारित है। भविष्य में, हम विशिष्ट फ्रंटलाइन प्रशिक्षण में भारी निवेश करके अपने ग्राहक सेवा ढांचे को मजबूत करना जारी रखेंगे, जिससे हमारी टीमें अधिक तत्परता के साथ व्यक्तिगत वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगी।

पूर्ण समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने ग्राहक सेवा चैनलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं ताकि टेक–सेवी मिलेनियल्स और डिजिटल रूप से उभरते ग्रामीण वर्गों, दोनों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जा सके। अपने ग्राहक फीडबैक तंत्र में सुधार करके और शिकायत निवारण कार्यप्रवाह को सरल बनाकर, बैंक सामान्य लेन–देन को गहन और मूल्य–संचालित संबंधों में बदलने के लिए समर्पित है, जो हमारे ग्राहकों की वित्तीय यात्रा के हर चरण में उनका समर्थन करते हैं।

इन प्राथमिकताओं के साथ, बैंक का लक्ष्य अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और मजबूत तथा स्थिर लाभप्रदता बनाए रखना है।

अपनी **''विकसित भारत के लिए बैंकिंग''** पहलों के माध्यम से, पीएनबी यह सुनिश्चित करता है कि उसकी वृद्धि न केवल तीव्र हो, अपितु वित्तीय अनुशासन पर आधारित भी होय जिससे यह ग्रामीण समावेशन और कॉर्पोरेट विस्तार–दोनों के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ बन जाता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण

सेबी (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) में यथानिर्धारित संबंधित वर्ष के दौरान जैसा लागू है, हमने 31 मार्च,2026 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन के निबंधनों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई उनकी कार्यपद्धतियों तथा उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे अभिमत की अभिव्यक्ति की है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी जानकारी के अनुसार और हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, उपर्यक्त सेबी विनियमों में यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन इस सीमा में किया है कि इससे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन न हो :

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई), 9(3)(एफ़) और 9(3)(जी) के अंतर्गत एक–एक निदेशक और धारा 9(3)(एच) के अंतर्गत चार निदेशकों का पद रिक्त था।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसरण में, निदेशक मंडल में दिनांक 06.06. 2025 से 28.08.2025 तक एवं दिनांक 24.11.2025 से न्यूनतम पचास प्रतिशत गैर–कार्यपालक निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.04.2025 से 28.08.2025 तक एक स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त रहा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, दिनांक 01.04.2025 से 28.08.2025 तक, जहाँ अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक हैं, एक–तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता, तथा दिनांक 07.11.2025 से 31.03.2026 तक,जहाँ बोर्ड में कोई नियमित गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं न्यूनतम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका।
- समीक्षा अवधि के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 18(1), 19, एवं 21 के अनुसरण में, निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति दिनांक 11.06.2025 से 28.08.2025 तक, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति दिनांक 11.06.2025 से 29.08.2025 तक व दिनांक 07.11.2025 से आज की तिथि तक, तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 11.06.2025 से 28.08.2025 तक क्रियाशील नहीं थी। हालाँकि, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए तथा आरबीआई के निर्देश पत्र दिनांक 02.06.2025 के अंतर्गत उपर्युक्त समयावधि के दौरान इन समिति(यों) द्वारा विचार किए जाने वाली कार्यसूची को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक बैंक के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की अन्य समितियों की अध्यक्षता भी कर रहे हैं।

उपयोग पर प्रतिबंधः यह प्रमाणपत्र केवल बैंक के केवल सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण–पत्र दिखाया जाना है या जिसके हाथों में यह हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, के लिए हम किसी भी दायित्व या विधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं। इस प्रमाण–पत्र की तिथि के पश्चात होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाण–पत्र को अपडेट करने का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

कृते उम्मेद जैन एंड के.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 119250W

सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
(एम सं. 137970)
यूडीआईएनः 26137970PUPOON1202

कृते प्रेम गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएनः 000425N

सनदी लेखाकार राजन उप्पल
भागीदार
(एम सं. 097379)
यूडीआईएनः 26097379JUWBNW1023

कृते एन. के. भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000429N

सनदी लेखाकार एन. के. भार्गव
भागीदार
(सदस्य सं. 080624)
यूडीआईएनः 26080624ANBIVZ4076

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएनः 313085E

सनदी लेखाकार ब्रज नन्दा दास
भागीदार
(एम सं. 062142)
यूडीआईएनः 26062142AZLNZJ4041

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05 मई, 2026

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है ताकि संगठन की कार्यक्षमता और सतत विकास को बेहतर बनाया जा सके । बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व से प्रेरित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक का कॉर्पोरेट ढांचा, परिचालन तथा प्रकटीकरण तंत्र भलीभाँति इस सिद्धांत के अनुरूप है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत स्थापित, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अधीन कार्य करता है। एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, बैंक सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि ये प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, निर्देशों आदि के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी न हों।

बैंक का निदेशक मंडल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा व्यापक स्तर पर समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

2. निदेशक मंडल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

2.1 दिनांक 31.03.2026 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता प्रदर्शित करने वाला चार्ट/मैट्रिक्स उनकी नियुक्त तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि के साथ निम्नवत दी गई है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मण्डल की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/ निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता (पीएनबी के अतिरिक्त)	31.03.2026 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
1	अशोक चंद्र	16.01.2025	एमए (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी	एमडी एवं सीईओ	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग, अर्थशास्त्र	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 2. सतर्कता और गैर –सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – अध्यक्ष 4. निदेशकों की पदोन्नति समिति – अध्यक्ष 5. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – अध्यक्ष	शून्य	शून्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मण्डल की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/ निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता (पीएनबी के अतिरिक्त)	31.03.2026 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
							6. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – अध्यक्ष 7. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव दृ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – अध्यक्ष 8. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति – अध्यक्ष 9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – अध्यक्ष 10. पूंजी जुटाव समिति – अध्यक्ष 11. कारोबार समीक्षा समिति – अध्यक्ष 12. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य 13. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य 14. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति – सदस्य 15. हितधारक संबंध समिति – सदस्य		
2	एम. परमशिवम	01.12.2022	बी.एस.सी (कृषि)	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव	बैंकिंग, कृषि	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य 2. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य 3. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य 4. कारोबार समीक्षा समिति– सदस्य	शून्य	25

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मण्डल की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/ निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता (पीएनबी के अतिरिक्त)	31.03. 2026 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
3	बिभु प्रसाद महापात्र	09.10.2023	एम.ए. (राजनीति विज्ञान), सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव	बैंकिंग	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य 2. हितधारक संबंध समिति – सदस्य 3. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – सदस्य 4. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – सदस्य 5. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य 6. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य 7. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य	शून्य	6350
4	डी सुरेन्द्रन	24.03.2025	एमएससी. (कृषि), सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव	बैंकिंग, कृषि	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य 2. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति – सदस्य 3. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति – सदस्य 4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – सदस्य 5. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – सदस्य 7. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य 8. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य	1	शून्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	बैंक के निदेशक मण्डल की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/ निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता (पीएनबी के अतिरिक्त)	31.03. 2026 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
5	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025	एमएससी, पीआरएम, ट्रेजरी एवं फोरेक्स प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव	बैंकिंग जोखिम प्रबंधन	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य 2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य 3. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति – सदस्य 4. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य 5. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति – सदस्य 6. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – सदस्य 7. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव दृ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य	शून्य	4400
6	डी. आनंदन	24.07.2025	आईएएस, एम. कॉम. सीएमए	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	प्रशासन में 26 वर्षों का अनुभव	वित्त लोक प्रशासन	1. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति – अध्यक्ष 2. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति – सदस्य 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति – सदस्य 4. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – सदस्य	शून्य	शून्य
7	डॉ. उमा शंकर	14.07.2023	बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर, एमएससी. बी.कॉम. (ऑनर्स) पीएचडी	आरबीआई नामित निदेशक	केंद्रीय बैंकर के रूप में बैंकों के पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण आदि को कवर करने का 32 वर्षों से अधिक का अनुभव।	केंद्रीय बैंकर	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य 2. बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति – सदस्य 3. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति – सदस्य 4. निदेशकों की पदोन्नति समिति – सदस्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मण्डल की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अतिरिक्त)	31.03.2026 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
8	अम्बरीष ओझा	12.09.2024	बी.टेक.	शेयरधारक निदेशक	विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जोखिम प्रबंधन	1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 2. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य 4. वसूली में प्रगति की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति – सदस्य 5. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव दृ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य 6. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति – सदस्य 7. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य	शून्य	100
9	वंदना भागवतुला	29.08.2025	बी. कॉम, एफसीए, डी. आई.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	विभिन्न संगठनों में लेखांकन, बैंकिंग, वित्त और लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, वित्त, लेखांकन, लेखा–परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – अध्यक्ष 2. हितधारक संबंध समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य 4. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति – सदस्य 5. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य 6. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – सदस्य 7. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति – सदस्य 8. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – सदस्य 9. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य	शून्य	1000

नोटः वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम	निदेशक की श्रेणी	नियुक्ति/सेवा समापन की तिथि	कारण
1.	श्री जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक	06.06.2025	05.06.2025 को त्यागपत्र दिया गया
2.	श्री पंकज शर्मा	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.07.2025	कार्यकाल की समाप्ति
3.	श्री डी. आनंदन	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	24.07.2025	नियुक्ति
4.	श्रीमती वंदना भागवतुला	शेयरधारक निदेशक	29.08.2025	निर्वाचित
5.	श्री कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	30.09.2025	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के एमडी एवं सीईओ पद पर पदोन्नति
6.	श्री के. जी. अनंतकृष्णन	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक सह गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	06.11.2025	कार्यकाल की समाप्ति
7.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	24.11.2025	नियुक्ति

बैंक पुष्टि करता है कि निदेशकों में से कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

बैंक अपने गैर–कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट https://pnb.bank.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html (बिंदु एम) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के विचार में, स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) में निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

बोर्ड की कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ("मंत्रालय") के पत्र संख्या एफ. सं. 12/1/2014–बीओए दिनांक 18.08.2015 के अनुरूप, मात्रात्मक तथा गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित एक मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग करके पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है; साथ ही, 'बेहतर पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता' (ईएएसई) के अंतर्गत पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए अंकों के भारांक पर भी विचार करती है। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में विशेष रूप से कारोबार वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, लाभप्रदता, जोखिम, अनुपालन और लेखा–परीक्षा तंत्र, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता और मानव संसाधन पहलें शामिल हैं।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशक नहीं रहे बोर्ड के सदस्यों का विवरण ऊपर बिंदु 2.1 में किया गया है।

2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में

निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम, जिसमें निदेशक बोर्ड के सदस्य हैं	अन्य सूचीबद्ध संस्था में बोर्ड/समिति का नाम, जिसमें निदेशक अध्यक्ष/सदस्य हैं		अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एम. परमशिवम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	बोर्ड	अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक
4.	डी सुरेंद्रन	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	जोखिम प्रबंधन समिति नामांकन और पारिश्रमिक समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति हितधारक संबंध समिति	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य	गैर–कार्यपालक
5.	अमित कुमार श्रीवास्तव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	डी आनंदन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	डॉ. उमा शंकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	अम्बरीष ओझा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	वंदना भागवतुला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	08.04.2025	10	10
2.	30.04.2025	10	8
3.	07.05.2025	10	8
4.	16-17.05.2025	10	10
5.	30.05.2025	10	9
6.	27.06.2025	9	9
7.	22.07.2025	9	8
8.	29.07.2025	9	9
9.	30.07.2025	9	9
10.	12.08.2025	9	8

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
11.	28.08.2025	9	8
12.	29.08.2025	10	9
13.	24.09.2025	10	9
14.	18.10.2025	9	9
15.	06.11.2025	9	9
16.	01.12.2025	9	9
17.	08.01.2026	9	9
18.	19.01.2026	9	9
19.	25.02.2026	9	8
20.	25.03.2026	9	8

2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	के.जी. अनंतकृष्णन	15	15	जी हाँ
2.	अशोक चंद्र	20	20	जी हाँ
3.	कल्याण कुमार	13	13	जी नहीं
4.	एम. परमशिवम	20	18	जी नहीं
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	20	18	जी हाँ
6.	डी. सुरेन्द्रन	20	19	जी हाँ
7.	अमित कुमार श्रीवास्तव	5	4	लागू नही
8.	पंकज शर्मा	7	6	जी नहीं
9.	डी. आनंदन	13	11	लागू नही
10.	डॉ. उमा शंकर	20	19	जी नहीं
11.	जतिंदर सिंह बजाज	5	3	लागू नही
12.	अम्बरीष ओझा	20	20	जी हाँ
13.	वंदना भागवतुला	9	9	लागू नही

नोट: 1. लागू नहीं यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान निदेशक नही थे।

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त/नामित किए गए निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है:

i. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव ने 24 नवंबर, 2025 को पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री श्रीवास्तव ने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत मार्च 1994 में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अधिकारी के रूप में की थी। अपने शानदार करियर में, आपने बैंक के विभिन्न वर्टिकल्स में सेवाएँ प्रदान कीं हैं। आपके पास 31 वर्षों से अधिक का समृद्ध और बहुआयामी बैंकिंग अनुभव है।

अपने करियर के दौरान, आपने शाखा बैंकिंग, कोष प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और ऋण समीक्षा एवं निगरानी, पीएनबी के पूर्ववर्ती अंचल प्रबन्धक सहित कई महत्वपूर्ण परिचालन और नेतृत्वपरक पदों पर कार्य किया है। कार्यपालक निदेशक पद पर पदोन्नत होने से पूर्व पिछला कार्यभार पीएनबी के समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) के रूप में था।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में आपने विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है तथा आईसीएफएआई से ट्रेज़री एवं फॉरेक्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। आपने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता अर्जित की है, जिसमें जीएआरपी (यूएसए) से सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क (एससीआर) सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर तथा रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है।

ii. श्री डी. आनंदन, आईएएस, भारत सरकार के नामित निदेशक

श्री डी. आनंदन को 24 जुलाई, 2025 से पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री डी. आनंदन सिक्किम कैडर के वर्ष 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

इस कार्यभार से पहले, श्री डी. आनंदन सिक्किम सरकार में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आदि विभागों के प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी सेवारत रहे। वे तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संयुक्त विकास आयुक्त और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत भारतीय रबर बोर्ड के अध्यक्ष

एवं कार्यकारी निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। उन्हें नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, दोनों में व्यापक अनुभव है।

श्री डी. आनंदन एक सुशिक्षित लागत एवं प्रबंधन लेखाकार हैं तथा वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर भी हैं।

iii. श्रीमती वंदना भागवतुला, शेयरधारक निदेशक

श्रीमती वंदना भागवतुला को दिनांक 29 अगस्त, 2025 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित माना गया है।

श्रीमती भागवतुला ने वाणिज्य में वाणिज्य में स्नातक, सनदी लेखाकार (एफ़सीए) हैं वे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (डीआईएसए) में डिप्लोमा धारक भी है। उन्हें लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त तथा लेखा परीक्षा, जोखिम एवं सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान/अनुभव है।

आपको 25 वर्षों का अनुभव है और आपने विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ कार्यपालक पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में, आप डॉ. एस. नटराजन के 'सुंदरम नटराजन ब्लाइंड फ्री इंडिया फाउंडेशन' की मानद सलाहकार हैं।

आप मार्च 2025 से 6 दिसंबर, 2025 तक 'शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड' में गैर–कार्यपालक स्वतंत्र महिला निदेशक रही। वह मई 2022 से सितंबर 2022 तक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में अनुपालन उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रही । इससे पहले, वह नंवबर 2019 से मई 2022 तक 'अनेजा एसोसिएट्स' में निदेशक रही, जहाँ आप बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों हेतु उत्तरदायी थीं।

अपने करियर के आरंभ में, वह 'वीबी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स', मुंबई की प्रोप्राइटर थीं। उनके उत्तरदायित्वों में लेखा परीक्षा, कर नियोजन, समुचित सावधानी तथा अन्य सम्बद्ध मामले सम्मिलित थे।

3. बोर्ड की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की 19 समितियों का गठन किया है।

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) अधिसूचना, 2025 दिनांक 28.11.2025, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्राचार एफ़. नंबर 16/11/2015–बीओ. आई दिनांक 17.06.2016 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, विनियम 2015 के 18 के अनुसार किया गया है।

समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- बैंक के समग्र निरीक्षण और लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना, वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, लेखांकन नीतियों की समीक्षा करना, व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना, बैंक के अनुपालन कार्य, आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों/चिंताओं के अनुपालन की देखरेख करना।
- आरबीआई के पत्र संख्या डीबीएस.एआरएस.बीसी. सं.4/08.91.020/2010–11 दिनांक 10.11.2010 के अनुसार एसीबी समीक्षा कैलेंडर के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्टों का अध्ययन तथा उन पर विचार–विमर्श करना।।
- डीएफएस पत्र एफ.सं.7/22/2013–बीओए दिनांक 05.03.2015 के अनुसार, एसीबी बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) द्वारा स्वीकृत एकमुश्त निपटान, गैर–निष्पादित आस्तियों(एनपीए) आदि की समीक्षा।
- आरबीआई की अधिसूचना संख्या DoS.CO.PPG./SEC.04/11.01.005/2020–21 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार, वरिष्ठ प्रबंधन (जिसमें एमडी एवं सीईओ/डब्ल्यूटीडी शामिल हैं) की उपस्थिति के बिना, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आंतरिक ऑडिट प्रमुख के साथ बैठक करना।
- आरबीआई (RBI) की अधिसूचना संख्या DoS.CO.PPG./SEC.02/11.01.005/2020–21 दिनांक 11.09.2020 के अनुसार, वरिष्ठ प्रबंधन (जिसमें एमडी और सीईओ शामिल हैं) की उपस्थिति के बिना, तिमाही आधार पर मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ बैठक करना।

सेबी एलओडीआर के विनियम 18(3) के संदर्भ में अनुसूची की धारा में निर्दिष्ट समीक्षा करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ई) के अनुसार, बैंक के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अम्बरीष ओझा	01.04-2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक,सदस्य (दिनांक 01.04.2025–29.08.2025 तक अध्यक्ष)
2.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक (दिनांक 29.08.2025 से अध्यक्ष)
3.	डॉ. उमा शंकर	01.04.2025-31.03.2026	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
4.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण, ऑडिट समिति 11.06.2025 से 29.08.2025 तक क्रियाशील रही।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	21.04.2025	3	3
2.	07.05.2025	3	3
3.	19.05.2025	3	3
4.	15.09.2025	3	3
5.	17.10.2025	3	3
6.	18.10.2025	3	3
7.	03.12.2025	3	3
8.	19.01.2026	3	3
9.	23.01.2026	3	3
10.	12.02.2026	3	3
11.	11.03.2026	3	3
12.	24.03.2026	3	3

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. उमा शंकर	12	12
2.	जतिंदर सिंह बजाज	3	3
3.	अम्बरीष ओझा	12	12
4.	वंदना भागवतुला	9	9

3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

इस समिति का गठन आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) अधिसूचना, 2025 दिनांक 28.11.2025 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार किया गया है।

समिति के मुख्य कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है, आरएमसीबी निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) आरएमसीबी एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगा जिसमें क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम आदि सहित बैंक के विभिन्न जोखिम शामिल होंगे। इसके अलावा, दिनांक 07.11.2023 को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति में साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों सहित आईटी से संबंधित जोखिम शामिल होंगे, और आरएमसीबी बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के परामर्श से समय–समय पर समीक्षा करेगा और कम से कम वार्षिक आधार पर इसे अद्यतन करेगा।

(ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), विचार–विमर्श की प्रभावी ढंग से निगरानी करना।

(iii) बैंक के जोखिम क्षमता ढांचे के अनुपालन की समय–समय पर समीक्षा करना और स्वीकृत जोखिम क्षमता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करना।

(iv) पूरे बैंक में उद्यम जोखिम प्रबंधन क्षमता को बढ़ावा देना, जिसमें आईटी से संबंधित उद्यम जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता के विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

(v) उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन की स्थापना और उसकी निगरानी।

(vi) प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) और रेड फ्लैग्ड अकाउंट (आरएफए) के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की देखरेख करना।

(vii) आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – कॉर्पोरेट गवर्नेंस) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार, एमडी एवं सीईओ की उपस्थिति के बिना, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ बैठक करना।

(viii) विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और ऐसे अन्य कार्यों को कवर करने वाली जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करना, जो सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा सौंपे (प्रत्यायोजित किए) जा सकते हैं।

(ix) सेबी एलओडीआर की अनुसूची II के भाग घ में निर्धारित उत्तरदायित्वों का प्रबंधन करना।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती.)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, (दिनांक 29.08.2025 से अध्यक्ष तथा दिनांक 01.04.2025 से 29.08.2025 तक सदस्य)
3.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

बोर्ड द्वारा समितियों के पुनर्गठन पर, बैंक के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 11.06.2025 से 28.08.2025 तक क्रियाशील नही थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	20.05.2025	4	4
2.	11.09.2025	4	4
3.	15.11.2025	4	4
4.	07.01.2026	4	4
5.	23.02.2026	4	4
6.	24.03.2026	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	6	6
2.	एम. परमशिवम	3	3
3.	अमित कुमार श्रीवास्तव	3	3
4.	जतिंदर सिंह बजाज	1	1
5.	अम्बरीष ओझा	6	6
6.	वंदना भागवतुला	5	5

3.3. हितधारकों की संबंध समिति

संक्षिप्त विवरण और संदर्भ की शर्तें:

समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार किया गया है।

समिति का गठन विशेष रूप से शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों के हित के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 (4) के संदर्भ में, हितधारक संबंध समिति की भूमिका अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूची II के अनुसार, समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का निवारण करना, जिसमें शेयरों के अंतरण / प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।

(iv) अदत्त लाभांश की मात्रा को कम करने तथा बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक सूचनाओं की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

(v) प्रभार सृजन, ब्याज / मूलधन का भुगतान, प्रतिभूति कवर के रखरखाव और किसी भी अन्य अनुबंध से संबंधित डिबेंचर धारकों की शिकायतों का समाधान करना।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	अवधि	निदेशक की श्रेणी
1.	अम्बरीष ओझा*	01.04.2025-29.08.2025	शेयरधारक निदेशक, (दिनांक 29.08.2025 तक अध्यक्ष)
2.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक दिनांक 29.08.2025 से अध्यक्ष
3.	अशोक चन्द्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4.	कल्याण कुमार*	01.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.10.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठक का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	18.07.2025	3	3
2.	17.10.2025	3	3
3.	25.02.2026	3	3

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अम्बरीष ओझा	1	1
2.	वंदना भागवतुला	2	2
3.	अशोक चंद्र	3	3
4.	कल्याण कुमार	1	1
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	2

वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या – 43

उन शिकायतों की संख्या जिनका शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप निपटान नहीं किया गया – शून्य

दिनांक 31.03.2026 को लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री बिक्रमजित सोम, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

3.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 एवं सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार किया गया है।

समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

i) आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार, समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप–धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से हस्ताक्षरित घोषणाओं में प्रदान की गई जानकारी की जांच करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इन निर्देशों के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए अथवा नहीं।

ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19(4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका अनुसूची–II के भाग घ में विनिर्दिष्ट होगी।

दिनांक 31.03.2026 के अनुसार समिति क्रियाशील नही थी।

वर्ष के दौरान संरचना में परिवर्तन:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	अवधि	निदेशक की श्रेणी
1.	जतिन्दर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-07.11.2025	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष (दिनांक 29.08.2025 से तथा दिनांक 01.04.2025 से 29.08.2025 तक सदस्य)
3.	के.जी. अनंतकृष्णन*	01.04.2025-06.11.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
4.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-07.11.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

बोर्ड द्वारा समिति के पुनर्गठन पर, बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 11.06.2025 से समिति क्रियाशील नही थी। समिति दिनांक 29.08 .2025 से क्रियाशील हो गई। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण समिति दिनांक 07.11 .2025 से पुनः क्रियाशील नही थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठक का विवरण:

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि समिति निष्क्रिय थी, बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2025 में कार्यसूची प्रस्तुत की गई समिति द्वारा कार्यसूची पर किया गया और अनुमोदित किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या F.No.6/20/2019 BO.I दिनांक 30.08.2019 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:

क) व्यावसायिक एवं नैतिक आचरण का पालन:

क्र. सं.	विशेषता
1	विधि, नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना
2	बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना
3	उचित एवं समुचित सावधानी, कौशल, परिश्रम तथा स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग
4	प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों के टकराव से बचाव
5	स्वयं या परिजनों, भागीदारों या सहयोगियों को अनुचित लाभ या लाभ से बचना
6	व्यावसायिक गोपनीय सूचना और अप्रकाशित बाजार संवेदनशील जानकारी सहित सूचना की गोपनीयता बनाए रखना

ख) योगदान:

क्र. सं.	विशेषता
1	सभी बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना
2	जहां आवश्यक हो वहां उचित स्पष्टीकरण या जानकारी के प्रवर्धन की मांग करना
3	बैठकों और टिप्पणियों में बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन
4	बैंक के मामलों के बेहतर निर्णय लेने और प्रबंधन के लिए रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान
5	बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर प्रतिक्रिया की समयबद्धता

3.5 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है।

योजना के खंड 13(3) के अनुसार, एमसीबी बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण स्वीकृति और ऋण समझौता/राइट–ऑफ (बट्टे खाते में डालना) प्रस्तावों की शक्तियाँ शामिल होंगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित (सौंपी) की जाएँगी।

इसके अतिरिक्त, समिति बोर्ड की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में पूंजीगत और राजस्व व्यय को स्वीकृति प्रदान करती है।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार*	01.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	एम. परमशिवम	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	डी. सुरेंद्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	अमित कुमार श्रीवास्तव	26.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7.	डॉ. उमा शंकर	01.04.2025-31.03.2026	आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 29

बैठकों की तिथियाँ

24.04.2025	18.07.2025	19.09.2025	10.12.2025	07.02.2026
30.04.2025	28.07.2025	25.09.2025	16.12.2025	19.02.2026
19.05.2025	05.08.2025	17.10.2025	24.12.2025	11.03.2026
31.05.2025	12.08.2025	28.10.2025	08.01.2026	24.03.2026
16.06.2025	28.08.2025	15.11.2025	13.01.2026	30.03.2026
25.06.2025	11.09.2025	03.12.2025	23.01.2026	-

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	29	29
2.	कल्याण कुमार	14	12
3.	एम. परमशिवम	29	25
4.	बिभु प्रसाद महापात्र	29	26
5.	डी. सुरेंद्रन	29	28
6.	अमित कुमार श्रीवास्तव	12	10
7.	डॉ. उमा शंकर	29	29

3.6 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (प्र.का.ऋ.अ.स– III)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की अधिसूचना संख्या 13/1/2006 दिनांक 05.12.2011 और डीएफएस अधिसूचना एफ.नं. 4/4/2015–बीओ.आई.(पीटी) दिनांक 30.10.2015 के अनुसार किया गया है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 13/1/2006–बीओ.आई दिनांक 31.01.2012 के अनुसार, बोर्ड ने ऋण स्वीकृति तथा ऋण समझौता/बट्टे खातों के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में ऋण अनुमोदन समिति को शक्तियां सौंपी गई हैं।

समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना के अनुसार, ऋण अनुमोद समिति ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार करेगी:

जिन बैंकों का शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिम के 6.% से कम है	शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिम का 6% और उससे अधिक
₹ दस लाख करोड़ से अधिक कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले में ₹ 800 करोड़ तक;	₹ तीन लाख करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाले श्रेणी 'ए' बैंकों के मामले में ₹ 400 करोड़ तक।

शुद्ध एनपीए, शुद्ध अग्रिम और कुल कारोबार की गणना बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार की जाएगी और अभिव्यक्ति "कुल कारोबार" का अर्थ बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिम और कुल जमा का योग है।

पिछले घोषित परिणामों के अनुसार, बैंक का कुल कारोबार ₹10 लाख करोड़ से अधिक है और शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिमों के 6% से कम है। इसलिए, पीएनबी में प्र.का.ऋ.अ.स – III की स्वीकृति शक्ति प्रति उधारकर्ता ₹800 करोड़ की कुल प्रतिबद्धता है।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार*	01.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	एम. परमशिवम	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	डी. सुरेंद्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	अमित कुमार श्रीवास्तव	26.11.2025-31.03.2026	सदस्य
7.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक ऋण प्रभारी	01.04.2025-31.03.2026	सदस्य
8.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक वित्त प्रभारी	01.04.2025-31.03.2026	सदस्य
9.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन के प्रभारी	01.04.2025-31.03.2026	डमउइमत

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 48

बैठकों की तिथियाँ:

05.04.2025	26.06.2025	11.09.2025	29.11.2025	07.02.2026
11.04.2025	04.07.2025	20.09.2025	06.12.2025	18.02.2026
21.04.2025	08.07.2025	26.09.2025	12.12.2025	27.02.2026
01.05.2025	15.07.2025	04.10.2025	18.12.2025	07.03.2026
08.05.2025	23.07.2025	10.10.2025	23.12.2025	13.03.2026
15.05.2025	02.08.2025	16.10.2025	31.12.2025	18.03.2026
26.05.2025	11.08.2025	23.10.2025	06.01.2026	26.03.2026
04.06.2025	21.08.2025	01.11.2025	13.01.2026	30.03.2026
10.06.2025	27.08.2025	11.11.2025	21.01.2026	-
18.06.2025	03.09.2025	20.11.2025	30.01.2026	-

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की स्थिति:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	48	48
2.	कल्याण कुमार	23	20
3.	एम. परमशिवम	48	41
4.	बिभु प्रसाद महापात्र	48	35
5.	डी. सुरेंद्रन	48	41
6.	अमित कुमार श्रीवास्तव	18	15

3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.नं.7/112/2012–बीओए दिनांक 21.11.2012 और एफ.नं.7/2/2015–वसूली दिनांक 01.01.2016 के अनुसार किया गया है।

समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है

(i) बैंक की तनावग्रस्त आस्तियों विशेषकर बड़े एनपीए खातों की निगरानी करना।

(ii) एनपीए प्रबंधन में सुधार लाने हेतु विधियों एवं रणनीतियों की समीक्षा तथा वसूली में तेजी लाने हेतु विभिन्न टूलों के प्रभावी उपयोग।

(iii) विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी करना।

(iv) डीआरटी/डीआरएटी में लंबित मामलों/आरसी की स्थिति की समीक्षा करना।

(v) ऋण निगरानी तंत्र और अनियमित/कमजोर खातों की स्थिति तथा एनपीए की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	एम. परमशिवम*	01.04.2025-24.11.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियाँ:

20.05.2025	13.08.2025	16.12.2025	24.02.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	4	4
2.	एम. परमशिवम	2	2
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	4	3
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	2	1
5.	अम्बरीष ओझा	4	4

3.8 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुसार, बैंक अपनी बोर्ड–अनुमोदित नीति के आधार पर कई समीक्षा समितियों का गठन कर सकते हैं। बैंक की नीति के अनुसार, समिति एक निश्चित सीमा से कम की ऋण सुविधाओं के संबंध में, ₹ 50.00 करोड़ से अधिक की बकाया राशि वाले एनपीए खातों में इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, समीक्षा समिति एनपीए उधारकर्ता/उनके गारंटर/प्रवर्तक (प्रमोटर)/निदेशक/ऐसे व्यक्तियों को जो इकाई के कार्यों के प्रबंधन के प्रभारी और उत्तरदायी हैं, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। तथापि, यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है या यदि व्यक्तिगत सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं होता है, तो समीक्षा समिति लिखित अभ्यावेदन (यदि कोई हो) सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों या सामग्री का आकलन करने के पश्चात, पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी तथा निर्णय लेगी।

समीक्षा समिति एक सकारण आदेश पारित करेगी तथा इसकी सूचना संबंधित इरादतन को संप्रेषित की जाएगी।

31.03.2026 तक समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	के.जी. अनंतकृष्णन*	11.06.2025-29.08.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
4.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

दिनांक 11.06.2025 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथिया

21.04.2025	28.08.2025	01.12.2025	25.03.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	1	1
2.	अशोक चंद्र	4	4
3.	जतिंदर सिंह बजाज	1	1
4.	अम्बरीष ओझा	4	4
5.	वंदना भागवतुला	2	2

3.9 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भा.रि.बैंक के 'वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन' दिनांक 15 जुलाई, 2024 तथा डीएफएस अधिसूचना एफ. सं. 4/4/2015–बीओ.आई (पीटी) दिनांक 30.10.2015 पर मास्टर निदेशों के अनुसार किया गया।

समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(i) बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना;

(ii) मूल कारण विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करना तथा आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय का सुझाव देना। ऐसी समीक्षाओं की कवरेज और आवधिकता बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(iii) 180 दिनों से अधिक समय तक रेड–फ्लैग स्थिति में रहने वाले मामलों को पर्याप्त तर्क/औचित्य के साथ समीक्षा के लिए समिति को रिपोर्ट किया जाएगा।

नोट: एक रेड–फ्लैग्ड खाता वह होता है जहाँ एक या अधिक ईडब्ल्यूएस संकेतकों की उपस्थिति से धोखाधड़ी की गतिविधि का संदेह उत्पन्न होता है, जो संभावित धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से गहन जांच के लिए सतर्क/प्रेरित करता है और बैंकों द्वारा निवारक उपाय शुरू करने का संकेत देता है।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	के. जी. अनंतकृष्णन*	01.04-2025-06.11.2025	गैर–कार्यपालक चेयरमैन, अध्यक्ष
2.	डी. आनंदन	28.07.2025-31.03.2026	भारत सरकार के नामित निदेशक, दिनांक 07.11.2025 से अध्यक्ष

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
3.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4.	एम. परमशिवम*	01.04.2025-24.11.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार के नामित निदेशक, सदस्य
7.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8.	वंदना भागवतुला	07.11.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

दिनांक 11.06.2025 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियाँ:

20.05.2025	29.08.2025	01.12.2025	25.02.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	2	2
2.	अशोक चंद्र	4	4
3.	एम. परमशिवम	2	2
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	2	2
5.	पंकज शर्मा	1	1
6.	डी. आनंदन	3	2
7.	जतिंदर सिंह बजाज	1	1
8.	वंदना भागवतुला	2	2

3.10 बोर्ड की आई.टी. कार्यनीति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दिनांक 07.11.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहलों में आईटी गवर्नेंस भी शामिल हो। साथ ही, यह आईटी और आईटी सुरक्षा की कार्यनीति स्थिति पर सलाह देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेशों की समीक्षा करने का कार्य करेगी।

समिति को अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया लागू की है;

(ii) आईटी रणनीति में मार्गदर्शन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति बैंक के कारोबारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक की समग्र रणनीति के अनुरूप हो;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही, प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ावा देती है; पर्याप्त कुशल संसाधनों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; और संगठन में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों और सौंपे गए (प्रत्यायोजित) उत्तरदायित्वों को बनाए रखना।

(iv) सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने हेतु प्रक्रियाएं लागू की हैं;

(v) सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित), साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहनता, खतरे का वातावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और इनका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है; और

(vi) बैंक की कारोबार निरंतरता योजना और आपदा सुधार प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

31.03.2026 तक समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	के. जी. अनंतकृष्णन*	01.04.2025-29.08.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4.	एम. परमशिवम*	01.04.2025-24.11.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	डी. सुरेन्द्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8.	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)	01.04.2025-31.03.2026	आमंत्रित

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 7

बैठकों की तिथियाँ:

20.05.2025	27.06.2025	18.07.2025	13.08.2025
25.09.2025	16.12.2025	24.02.2026	-

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	4	4
2.	अशोक चंद्र	7	7
3.	एम. परमशिवम	5	3
4.	डी. सुरेन्द्रन	7	7
5.	अमित कुमार श्रीवास्तव	2	1
6.	अम्बरीष ओझा	7	7
7.	वंदना भागवतुला	3	3

3.11 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय

इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार किया गया है, ताकि बैंक नीतियों को तैयार कर सके और बैंक में ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के दृष्टिकोण से उनके अनुपालन के स्तर का आंतरिक रूप से आकलन कर सके।

i) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, दृष्टांत स्वरूप निम्नलिखित की निगरानी और समीक्षा करती है:

- एक व्यापक जमा नीति तैयार करना,
- जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके दावों का निपटान,
- मांग और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों का अनुमोदन,

- जमाकर्ता की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और ऐसी सेवाओं का त्री–वर्षीय लेखापरीक्षण

ii) समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अन्य मामले की जाँच करती है।

iii) बैंक में ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति है, जिसमें विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होता है, यह प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को गति देने और प्रासंगिक प्रतिपुष्टि एकत्र करने के लिए एक सूक्ष्म स्तर की कार्यपालक समिति के रूप में कार्य करती है। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति निचली समितियों की पहलों की समीक्षा करती है और उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास में दोनों एक–दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

iv) स्थायी समिति अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य–निष्पादन पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को समय–समय पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट सौंपेगी।
इसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन क्षेत्रों का विवरण होगा जिनकी समीक्षा की गई और उन प्रक्रियाओं/प्रथाओं की जानकारी होगी जिन्हें पहचाना गया और सरल बनाया गया या नया शुरू किया गया।

v) शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां स्थायी ग्राहक सेवा समिति को अपनी तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जिससे यह समिति उन रिपोर्टों की जांच करने और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को आवश्यक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रासंगिक फीडबैक प्रदान करने में सक्षम होती है।

vi) समिति समय–समय पर बैंक द्वारा शाखाओं के प्रवेश द्वार (जहां भी संभव हो) और सभी एटीएम में रैंप उपलब्ध कराने की गई प्रगति की निगरानी करेगी, ताकि दिव्यांगजन/व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सकें और अपना बैंकिंग कार्य कर सकें।

vii) बैंक, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को उपयुक्त अंतराल पर, निरंतर आधार पर, मृतक जमाकर्ताओं / लॉकर–किरायेदारों / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु खातों के जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या और निर्धारित अवधि से अधिक लंबित दावों का विवरण, उनके कारणों सहित रिपोर्ट करेगा।

इसके अतिरिक्त, भा.रि.बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2026 दिनांक 14.01.2026 के अनुसार:

i) बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, वर्ष में कम से कम एक बार, प्राप्त शिकायतों की मात्रा और जटिलता को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किए जाने वाले आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल की संख्या निर्धारित करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल को बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान की समीक्षा करते समय निष्पक्षता, साम्यता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

ii) ऐसी दुर्लभ स्थिति में जब आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल दोनों अवकाश पर हों या अनुपस्थित हों, बैंक बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के अनुमोदन से, एक माह तक की अवधि के लिए महाप्रबंधक स्तर के अपने किसी सेवारत अधिकारी को आं.लो. के रूप में नामित कर सकता है।

iii) आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल को उनके अनुबंधित कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के अनुमोदन के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

iv) बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल को दिए जाने वाले परिलब्धियों, सुविधाओं और लाभों की संरचना निर्धारित करेगी। यह संरचना बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल के स्थान और पद को ध्यान में रखते हुए उचित होनी चाहिए, साथ ही यह आवश्यक विशेषज्ञता वाले अनुभवी व्यक्तियों को आकर्षित करने में सक्षम होनी चाहिए।

v) आंतरिक लोकपाल प्रशासनिक रूप से बैंक के सक्षम प्राधिकारी (जो निर्देशों की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित है) को रिपोर्ट करेगा, और कार्यात्मक रूप से बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को रिपोर्ट करेगा।

vi) जबकि आंतारिक लोकपाल किसी भी या सभी शिकायतों पर निर्णय ले सकता है, उप–आंतरिक लोकपाल की शिकायतों पर निर्णय लेने की शक्ति को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति द्वारा अनुमोदित नीति के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है।

vii) आंतारिक लोकपाल अपनी गतिविधियों पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को समय–समय पर रिपोर्ट (शिकायतों के विश्लेषण सहित) प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट अधिमानतः तिमाही अंतराल पर होनी चाहिए, परंतु छमाही से कम नहीं होनी चाहिए।

viii) वे सभी मामले जिनमें आंतारिक लोकपाल / उप–आंतरिक लोकपाल के निर्णय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, उन्हें समीक्षा के लिए बैंक के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ix) आरबीआई लोकपाल द्वारा निर्णीत शिकायतों पर विचार करना तथा बैंक में ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं में आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष सुधार करना।

x) आंतरिक लोकपाल/उप–आंतरिक लोकपाल के कार्य– निष्पादन का आकलन करते समय, समिति लंबित समीक्षा, समाधानों की एकरूपता और आंतरिक लोकपाल एवं आरबीआई लोकपाल के आदेशों के बीच के अंतर का विश्लेषण करती है।

31.03.2026 तक समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	डी. सुरेन्द्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	वंदना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, आमंत्रित (दिनांक 01.04.2025–29.08.2025 तक सदस्य)

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियाँ:

20.05.2025	13.08.2025	28.10.2025	23.02.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	4	4
2.	बिभु प्रसाद महापात्र	4	3
3.	डी. सुरेन्द्रन	4	3
4.	अम्बरीष ओझा	2	2
5.	वंदना भागवतुला	2	2

3.12 सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति

संक्षिप्त विवरण और संदर्भ की शर्तें:

समिति का गठन आर्थिक मामलों के विभाग – बैंकिंग प्रभाग – सतर्कता अनुभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.10.1990 के अनुसार सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों, विभागीय जांचों की समीक्षा तथा अनुशासनात्मक जांच के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए किया गया है।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	एम. परमशिवम*	01.04.2025-24.11.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	डी. सुरेन्द्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार के नामित निदेशक, सदस्य
6.	डी. आनंदन	28.07.2025-31.03.2026	भारत सरकार के नामित निदेशक, सदस्य
7.	डॉ. उमा शंकर	01.04.2025-31.03.2026	भा.रि.बैंक के नामित निदेशक, सदस्य

वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियाँ

19.05.2025	**29.08.2025**	**03.12.2025**	**25.02.2026**

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	4	4
2.	एम. परमशिवम	2	2
3.	डी. सुरेंद्रन	4	4
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	2	2
5.	पंकज शर्मा	1	1
6.	डी. आनंदन	3	2
7.	डॉ. उमा शंकर	4	4

3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्र संख्या एफसं.4/3/1/2012–आईआर दिनांक 01.02.2023 के अनुसरण में इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति स्केल VI (उप महाप्रबंधक) एवं स्केल VII (महाप्रबंधक) में अधिकारियों की पदोन्नति हेतु चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
3.	डी. आनंदन	28.07.2025-31.03.2026	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
4.	डॉ. उमा शंकर	01.04.2025-31.03.2026	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
5.	दो स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञ	01.04.2025-31.03.2026	सदस्य

वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठकों की तिथियाँ

09.02.2026	**10.02.2026**	**11.02.2026**

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	3	3
2.	पंकज शर्मा	0	0
3.	डी. आनंदन	3	3
4.	डॉ. उमा शंकर	3	3

3.14 अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VIII के अधिकारियों तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में या उन मामलों में जहाँ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VI/VII के अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, यह समिति शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VI/VII के अधिकारियों के लिए समीक्षा प्राधिकारी है।

दिनांक 31.03.2026 को समिति निष्क्रिय थी।

वर्ष के दौरान संरचना में हुए परिवर्तन:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	के जी अनंतकृष्णन*	11.06.2025-06.11.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष
3.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
4.	डी. आनंदन	28.07.2025-07.11.2025	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य

वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त

समिति का पुनर्गठन दिनांक 11.06.2025 को किया गया था और यह दिनांक 07.11.2025 से निष्क्रिय हो गई।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

इस समिति का गठन वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफसं.9/18/2009–आईआर दिनांक 21.10.2011 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मामलों पर गठित खंडेलवाल समिति की अनुशंसाओं को लागू करने हेतु किया गया है।

खंडेलवाल समिति की अनुशंसाओं और सरकार के अनुमोदन के अनुसार, यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(i) कार्यनीति तथा व्यावसायिक योजनाओं के साथ जोड़ते हुए, 5 वर्षों की समय सीमा के लिए प्रत्येक वर्ष विस्तृत और व्यवस्थित श्रमबल नियोजन अभ्यास की समीक्षा करना।

(ii) बाह्य विशेषज्ञों यदि आवश्यक हो, की सलाह की सहायता से श्रमबल नियोजन को संस्थागत बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

(iii) महत्वपूर्ण पदों और उत्तराधिकार नियोजना की प्रणाली की समीक्षा करना ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण पद को रिजर्व में तीन संभावित उत्तराधिकारियों द्वारा समर्थित किया जा सके।

(iv) मानव संसाधन के अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलें ।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार संरचना:

वर्ष के दौरान संरचना में हुए परिवर्तन:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	डी. सुरेंद्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार नामित निदेशक, सदस्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
4.	डी. आनंदन	28.07.2025-31.03.2026	भारत सरकार नामित निदेशक, सदस्य
5.	अम्बरीष ओझा*	01.04.2025-29.08.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
6.	वन्दना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
7.	आर. आनंद	01.04.2025-31.03.2026	बाह्य विशेषज्ञ, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 10

बैठकों की तिथियाँ

21.04.2025	19.05.2025	25.06.2025	29.07.2025	28.08.2025
24.09.2025	06.11.2025	07.01.2026	25.02.2026	24.03.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	10	10
2.	डी. सुरेंद्रन	10	10
3.	पंकज शर्मा	3	1
4.	डी. आनंदन	7	6
5.	अम्बरीष ओझा	5	5
6.	वन्दना भागवतुला	5	5

3.16 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 16/11/2012–बीओ–आई दिनांक 03.04.2012 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है, यह समिति विभिन्न कंपनियों, जिनमें वे विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल हैं जिनमें बैंक एक शेयरधारक है, के शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु विभिन्न उम्मीदवारों की अर्हता, अनुभव, प्रोफ़ाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करने तथा उम्मीदवारों को समर्थन देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए गठित की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामले में, विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता के संदर्भ में संस्था की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी विशेष संस्था के लिए नाम से विशिष्ट प्राधिकरण वाले व्यक्तियों को ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र सं	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार*	02.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	एम. परमशिवम	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	अमित कुमार श्रीवास्तव	24.11.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
6.	अम्बरीष ओझा	01.04.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.17 प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एफ. सं. 9/5/2009–आईआर दिनांक 30.08.2019, दिनांक 14.11.2019, के अनुसार समिति का गठन आश्वासन कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, कार्यपालक निदेशकों और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिकॉर्डिंग के लिए रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में किया गया है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 06.02.2023 से यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की एपीएआर की रिकॉर्डिंग के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी, समीक्षा प्राधिकारी और स्वीकृति प्राधिकारी;

ख. कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) दर्ज करने के लिए समीक्षा प्राधिकारी और स्वीकृति प्राधिकारी; तथा

ग. आश्वासन कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिकॉर्डिंग के लिए स्वीकृति प्राधिकारी।

वित्तीय सेवाएँ विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 14.11.2019 से यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क. महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबंधक एवं कार्यपालक अधिकारी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) स्थापित करना; और

ख. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक उपलब्धि और मात्रात्मक केपीआई को बैंक के बोर्ड के समक्ष इसके निर्णय हेतु प्रस्तावित करना।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार यह समिति दिनांक 07.11.2025 से क्रियाशील नहीं थी।

वर्ष के दौरान संरचना में हुए परिवर्तन:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	के जी अनंतकृष्णन*	01.04.2025-06.11.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
2.	पंकज शर्मा*	01.04.2025-24.07.2025	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
3.	डी. आनंदन	28.07.2025-07.11.2025	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
4.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5.	अम्बरीष ओझा	11.06.2025-07.11.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठकों की तिथियाँ

29.07.2025	12.08.2025	24.09.2025

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के जी अनंतकृष्णन	3	3
2.	पंकज शर्मा	0	0
3.	डी. आनंदन	3	3
4.	जतिंदर सिंह बजाज	0	0
5.	अम्बरीष ओझा	3	3

3.18 कारोबार समीक्षा समिति

योजना के खंड 14 के अनुसार बोर्ड द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, जो बोर्ड को निदेशकों या निदेशकों एवं अन्य व्यक्तियों के संयोजन से बनी ऐसी अन्य समितियाँ गठित करने हेतु अधिकृत करता है जिन्हें वह उचित समझे। बैंक के सभी वर्टिकल के अंतर्गत कारोबार की प्रगति एवं उसके अनुकूलन की समीक्षा करने तथा उस पर सलाह देने के लिए बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 19.03.2020 में 'कारोबार समीक्षा समिति' का गठन किया गया था।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	के जी अनंतकृष्णन*	11.06.2025-06.11.2025	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
2.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
3.	कल्याण कुमार*	01.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	24.10.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	डी. सुरेंद्रन	02.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8.	अम्बरीष ओझा	07.11.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियाँ

30.05.2025	28.08.2025	06.11.2025	12.02.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के जी अनंतकृष्णन	2	2
2.	अशोक चंद्र	4	4
3.	कल्याण कुमार	2	1
4.	एम. परमशिवम	2	1
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	4	2
6.	डी. सुरेंद्रन	4	4
7.	जतिंदर सिंह बजाज	1	1
8.	अम्बरीष ओझा	1	1

3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

योजना के खंड 14 के अनुसार बोर्ड द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, जो बोर्ड को निदेशकों या निदेशकों एवं अन्य व्यक्तियों के संयोजन से बनी ऐसी अन्य समितियाँ गठित करने हेतु अधिकृत करता है जिन्हें वह उचित समझे। बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 09.07.2020 में 'पूँजी जुटाने वाली समिति का गठन किया गया था।

समिति की भूमिका एवं कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

(i) पूँजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेना, जिसमें इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आवंटन तक सीमित न रहते हुए, निर्गम के प्रकार, अनुपात, समय और मूल्य निर्धारण, आवश्यकतानुसार अग्रणी प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों की नियुक्ति एवं इक्विटी शेयरों के ऐसे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेना सम्मिलित है। साथ ही, ऐसी एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाओं/करार आदि को निष्पादित करना, उन स्टॉक एक्सचेंजों में जारी इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध कराना जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, एवं उपर्युक्त समस्त गतिविधियों को संचालित करने हेतु अधिकारियों को अधिकृत करना।

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए 'पूँजी योजना', 'पूँजी नियोजन समिति' की अनुशंसा के पश्चात 'पूँजी जुटाने वाली समिति' के माध्यम से बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा 'पूँजी नियोजन समिति' के कार्यवृत्त 'पूँजी जुटाने वाली समिति' के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	कार्यकाल	निदेशक की श्रेणी
1.	अशोक चंद्र	01.04.2025-31.03.2026	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार*	01.04.2025-30.09.2025	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	01.10.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	डी. सुरेंद्रन	01.04.2025-31.03.2026	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	जतिंदर सिंह बजाज*	01.04.2025-06.06.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
6.	अम्बरीष ओझा*	11.06.2025-28.08.2025	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
7.	वन्दना भागवतुला	29.08.2025-31.03.2026	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

**वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त*

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तिथि	25.03.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिती की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अशोक चंद्र	1	1
2.	कल्याण कुमार	0	0
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	1	1
4.	डी. सुरेंद्रन	1	0
5.	जतिंदर सिंह बजाज	0	0
6.	अम्बरीष ओझा	0	0
7.	वंदना भागवतुला	1	1

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	भुगतान किया गया पारिश्रमिक (₹)	बकाया वेतन निर्धारण/डीए बकाया (₹)	पीएफ का अंशदान (₹)	चिकित्सा (₹)	'प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन' (₹)
1.	अशोक चंद्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	4328539.99	84640.26	268000.00	130668.36	451695.48
2.	एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	4193330.00	1057540.00	266900.00	247444.59	2150400.00
3.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक	4175276.00	962477.42	265720.00	136242.99	2150400.00
4.	डी. सुरेंद्रन	कार्यपालक निदेशक	4241036.38	0.00	268800.00	213814.30	46245.16

क्र. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	भुगतान किया गया पारिश्रमिक (₹)	बकाया वेतन निर्धारण/डीए बकाया (₹)	पीएफ का अंशदान (₹)	चिकित्सा (₹)	'प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन' (₹)
5.	अमित कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	1498261.34	0.00	89600.00	56704.00	0.00
6.	अतुल कुमार गोयल	पूर्व – एमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.00	0.00	0.00	0.00	1615680.00
7.	कल्याण कुमार^	पूर्व – कार्यपालक निदेशक	2314208.34	47306.46	122316.65	56533.02	1953600.00
8.	बिनोद कुमार	पूर्व – कार्यपालक निदेशक	0.00	953741.88	0.00	0.00	1699509.67

इसमे सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल है

^दिनांक 30.09.2025 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एव मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में पदोन्नति के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया।

सेवा अनुबंध और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार हैं। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है।

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर–कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। देय शुल्क निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक	प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए देय शुल्क (₹) दिनांक 27.10.2025 तक	प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए देय शुल्क
(क)	बोर्ड	70,000/–	90,000/–
(ख)	बोर्ड की समिति	35,000/–	45,000/–
(ग)	बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए	20,000/– (उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त)	10,000/– (उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त)
(ड)	बोर्ड समितियों की बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000/– (उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त)	5,000/– (उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त)

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक के लिए प्रदत्त शुल्क :

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹) में
1.	के. जी. अनंतकृष्णन#	18,40,000/-
2.	जतिंदर सिंह बजाज*	4,65,000/-
3.	अम्बरीष ओझा	33,95,000/-
4.	वंदना भागवतुला	21,50,000/-

#दिनांक 06.11.2025 को कार्यकाल पूर्ण होने पर निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त।

****दिनांक 06.06.2025 से त्यागपत्र के पश्चात निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त।***

नोट: भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

5. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण :

क. दिनांक 31.03.2026 के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण:

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	राघवेन्द्र कुमार	मुख्य सतर्कता अधिकारी	प्रधान कार्यालय
2.	प्रवीण गोयल	अंचल प्रबंधक–मुख्य महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, दिल्ली
3.	दीपक कुमार श्रीवास्तव	अंचल प्रबंधक–मुख्य महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, मुंबई
4.	मृत्युंजय	अंचल प्रबंधक–मुख्य महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, लखनऊ
5.	बिनय कुमार गुप्ता	अंचल प्रबंधक–मुख्य महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, कोलकाता
6.	सुनील कुमार गोयल	मुख्य महाप्रबंधक	डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
7.	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक	सामान्य सेवाएँ एवं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
8.	संजय गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक	निरिक्षण एवं लेखापरीक्षा प्रभाग
9.	मौसमी मजूमदार	मुख्य महाप्रबंधक	ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग
10.	संजीव कुमार धूपर	मुख्य महाप्रबंधक	कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र तथा वित्तीय समावेशन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
11.	संजीवन निखर	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी– मुख्य महाप्रबंधक	अनुपालन प्रभाग एवं लेन–देन निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय
12.	फ़िरोज़ हसनैन	मुख्य महाप्रबंधक	एमएसएमई एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, प्रधान कार्यालय
13.	रमन ग्रोवर	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य महाप्रबंधक	वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय
14.	सुरिंदर पाल सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	बीए एण्ड आरएम, प्रधान कार्यालय
15.	सुधीर दलाल	मुख्य महाप्रबंधक	बीए एण्ड आरएम, प्रधान कार्यालय
16.	डॉ. राजेश प्रसाद	मुख्य महाप्रबंधक	सामान्य बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय
17.	मनीष अग्रवाल	मुख्य महाप्रबंधक	आईटी प्रभाग, प्रधान कार्यालय
18.	एस. राजागुरु	मुख्य महाप्रबंधक	सस्त्रा प्रभाग, प्रधान कार्यालय
19.	दीपांकर महापात्र	मुख्य महाप्रबंधक	कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, प्रधान कार्यालय
20.	सुमेश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक	मानव संसाधन विकास प्रभाग, प्रधान कार्यालय
21.	प्रताप केसरी मलिक	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी– महाप्रबंधक	एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
22.	परमेश कुमार	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, लुधियाना
23.	संजीव कुमार	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, दुर्गापुर
24.	पी महेंद्र	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, चेन्नई
25.	नाथू राम बंजारा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, पटना
26.	कुलदीप सिंह राणा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, मेरठ
27.	आशीष कुमार चतुर्वेदी	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, रायपुर
28.	अमृताभ आनंद	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, अमृतसर
29.	अनुपम	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, देहरादून
30.	विनीश कुमार चावला	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, अहमदाबाद

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	तैनाती स्थल
31.	ललित तनेजा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, चंडीगढ़
32.	राजेश कुमार	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, शिमला
33.	भूषण शर्मा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, भुवनेश्वर
34.	राजेश भौमिक	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, जयपुर
35.	जतिंदर मनकोटिया	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, भोपाल
36.	देबाशीष गंगोपाध्याय	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, गुवाहाटी
37.	वंदना पाण्डेय	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, हैदराबाद
38.	दीपक सिंह	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, वाराणसी
39.	देबार्चन साहू	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, आगरा
40.	संजीव कुमार दुबे	महाप्रबंधक	केन्द्रीकृत खरीद और साझेदारी प्रभाग
41.	अश्विनी कुमार पाण्डेय	महाप्रबंधक	साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग
42.	बिक्रमजित सोम	कंपनी सचिव	बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय
43.	नितिल पांड्या	महाप्रबंधक	जीबीएमडी, प्रधान कार्यालय
44.	प्रमोद कुमार दुबे	महाप्रबंधक	मिशन परिवर्तन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
45.	संतोष कुमार	महाप्रबंधक	कोष प्रभाग, प्रधान कार्यालय
46.	अजय कुमार सिंह	महाप्रबंधक	एसएमईएडी, प्रधान कार्यालय

ख. वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन का विवरण:

क्र.सं.	कार्यपालक का नाम (श्री/श्रीमती)	पिछला कार्यभार	नया कार्यभार	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
1.	देबार्चन साहू	महाप्रबंधक – जीएसएडी	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय आगरा	01.04.2025
2.	विनीश कुमार चावला	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय मुंबई पश्चिमी	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय अहमदाबाद	01.04.2025
3.	कुलदीप सिंह राणा	महाप्रबंधक, कृषि प्रभाग, प्रधान कार्यालय	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय मेरठ	01.04.2025
4.	जतिंदर मनकोटिया	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय भटिंडा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय भोपाल	01.04.2025
5.	नाथू राम बंजारा	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय इटावा	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय पटना	01.04.2025
6.	भूषण शर्मा	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय पानीपत	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय भुवनेश्वर	01.04.2025
7.	अनुपम	महाप्रबंधक, मानव संसाधन विकास प्रभाग, प्रधान कार्यालय	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय देहरादून	01.04.2025
8.	विनय कुमार	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय बरेली	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय गुवाहाटी	01.04.2025
9.	संजीव कुमार	मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय होशियारपुर	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय दुर्गापुर	01.04.2025
10.	राजेश कुमार	महाप्रबंधक, लेन–देन एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय शिमला	01.04.2025
11.	फिरोज हसनैन	अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय मुंबई	मुख्य महाप्रबंधक, एमएसएमई प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.04.2025
12.	एस राजागुरु	महाप्रबंधक, एलसीबी, मुंबई	महाप्रबंधक, सस्त्र प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.04.2025
13.	डॉ. राजेश प्रसाद	अंचल प्रबंधक – अंचल कार्यालय चंडीगढ़	महाप्रबंधक, जीबीडी, प्रधान कार्यालय	01.04.2025
14.	दीपांकर महापात्रा	अंचल प्रबंधक – अंचल कार्यालय अहमदाबाद	महाप्रबंधक – कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.04.2025
15.	प्रमोद कुमार दुबे	डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	महाप्रबंधक. मिशन परिवर्तन, प्रधान कार्यालय	01.04.2025
16.	बिक्रमजित सोम	अंचल प्रबंधक – अंचल कार्यालय मेरठ	महाप्रबंधक – बोर्ड सचिव और कंपनी सचिव	30.04.2025
17.	ललित तनेजा	महाप्रबंधक, एमएसएमई एवं एमसीसी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय चंडीगढ़	09.04.2025
18.	बिनय कुमार गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक, बीए एंड आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक – अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय कोलकाता	30.08.2025
19.	दिलीप कुमार जैन	सीएफओ, मुख्य महाप्रबंधक, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय	31.08.2025 को सेवानिवृत्त	
20.	दीपक कुमार श्रीवास्तव	अंचल प्रबंधक – मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय हैदराबाद	अंचल प्रबंधक – मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय मुंबई	01.09.2025

क्र.सं.	कार्यपालक का नाम (श्री/श्रीमती)	पिछला कार्यभार	नया कार्यभार	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
21.	सुमेश कुमार	महाप्रबंधक –एचआरडी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक –एचआरडी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.09.2025
22.	रमन ग्रोवर	महाप्रबंधक, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य महाप्रबंधक, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.09.2025
23.	मौसमी मजूमदार	महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक, ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.11.2025
24.	मनीष अग्रवाल	महाप्रबंधक, आईटी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक, आईटी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	25.11.2025
25.	सुधीर दलाल	महाप्रबंधक, बीए एंड आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	सीजीएम, बीए एंड आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	25.11.2025
26.	वंदना पाण्डेय	महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय हैदराबाद	अंचल प्रबंधक– अंचल कार्यालय, हैदराबाद	26.11.2025
27.	प्रताप केशरी मल्लिक	महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (जीसीआरओ)	01.12.2025
28.	सुरिंदर पाल सिंह	महाप्रबंधक, बीए एंड आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक, बीए एंड आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.12.2025
29.	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक, सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी) सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	01.01.2026
30.	मृत्युंजय	महाप्रबंधक – अंचल कार्यालय, अंचल कार्यालय लखनऊ	मुख्य महाप्रबंधक – अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय लखनऊ	01.02.2026
31.	देबाशीष गंगोपाध्याय	अध्यक्ष (स्केल VII) आरआरबी असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	अंचल प्रबंधक – महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय गुवाहाटी	02.03.2026
32.	संजीव कुमार धूपर	चेयरमैन (स्केल VII) आरआरबी हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	मुख्य महाप्रबंधक–कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र तथा वित्तीय समावेशन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	05.03.2026

6. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन

क्र.सं.	गैर–अनिवार्य अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
क.	**बोर्ड** – एक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय के रखरखाव करने के लिए पात्र हो सकता है।	श्री केजी अनंतकृष्णन को 07.11.2022 को बैंक के बोर्ड में गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 06.11.2025 को उनकी कार्यकाल अवधि पूरी होने पर समाप्त हो गया। 31.03.2026 तक, बैंक के बोर्ड में गैर–कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त था।
ख.	**शेयरधारक के अधिकार** – पिछले छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध–वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	तिमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और बैंक की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं। सेबी के दिशा–निर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एजीएम से पहले शेयरधारकों को भेजी जाती है।
ग.	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत (तों)**– सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा अभीमत के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है।	31.03.2026 को समाप्त वार्षिक वित्तीय विवरण निर्विवाद हैं। महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूचियों में दी गई हैं, जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं।
घ.	**गैर–कार्यपालक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग पद**– सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष (क) गैर–कार्यपालक निदेशक; तथा (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "संबंधी" शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं हैं।	दिनांक 31.03.2026 के अनुसार गैर–कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति प्रतीक्षारत है।
ङ.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** – आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है।	मुख्य महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की रिपोर्ट करते हैं।

7. कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रकटीकरण

विनियम	शीर्षक / संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17	निदेशक मंडल	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार, निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य गैर–कार्यपालक निदेशक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक है, वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और जहाँ सूचीबद्ध इकाई का कोई नियमित गैर–कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष नहीं है, वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार बैंक बोर्ड में गैर–कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 06.11.2025 को पूरा हो गया है। दिनांक 31.03.2026 तक, बैंक के बोर्ड में 9 निदेशक थे, जिनमें 5 पूर्णकालिक निदेशक और 4 गैर–कार्यपालक निदेशक (2 स्वतंत्र निदेशकों सहित) शामिल थे, जबकि बोर्ड में 7 पद रिक्त थे। बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970' के अंतर्गत किया गया है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) को 'राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970' के साथ पठित के अनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, शेयरधारक निदेशकों के अतिरिक्त जिन्हें केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुना जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की समितियों का गठन और दायरा मौजूदा आरबीआई / सेबी / भारत सरकार और अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है, जैसा कि ऊपर दी गई रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक बताया गया है।
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण समिति दिनांक 31.03.2026 तक क्रियाशील नहीं थी ।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
22	सतर्कता तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पक्षों का लेनदेन	अनुपालन किया गया
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
24क	सचिवीय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व	अनुपालन किया गया
27	अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (बी) से (आई)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

8. आम सभा की बैठकें

शेयरधारकों की पिछले तिन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है:

बैठक का प्रकार	दिन, तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
22वीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 30 जून, 2023 प्रातः 11.00 बजे	यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना गया था।	• 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते पर परिचर्चा, अनुमोदन करना एवं अपनाना। • वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। • एकमुश्त प्रत्यक्ष प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा अरेंजर सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बांड / डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद / बिक्री के लिए सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किया जा सकता है। • पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। • पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना।

बैठक का प्रकार	दिन, तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
			• बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना। • बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना। • बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक और गैर– कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के रूप में श्री के.जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। (विशेष संकल्प) • कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। (विशेष संकल्प)
23वीं वार्षिक आम बैठक	शनिवार, 29 जून 2024 , प्रातः 11.00 बजे	यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना गया था।	• 31 मार्च 2024 तक बैंक की ऑडिट की गई तुलन पत्र , 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते , खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना। • वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। • एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स व्यवस्थाकर्ता/निर्गमकर्ताओं में से एक हो सकता है, के लिए सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बांड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किया जा सकता है।

बैठक का प्रकार	दिन, तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
			• पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। • पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • डुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना।
24वीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार, 27 जून, 2025 प्रातः 11.00 बजे	यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना गया था।	• 31 मार्च 2025 तक बैंक की ऑडिट की गई तुलन पत्र , 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते , खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना। • वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। • एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स व्यवस्थाकर्ता/निर्गमकर्ताओं में से एक हो सकता है, के लिए सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बांड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किया जा सकता है।

बैठक का प्रकार	दिन, तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
			• पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। • बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना। • बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री डी सुरेंद्रन कुमार की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। • सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वित्तीय वर्ष 2025 –26 से वित्तीय वर्ष 2029–30 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स का सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

डाक मतपत्र – बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार नहीं किया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार करने का प्रस्ताव नहीं है।

9. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V {सी(10)} के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

9.1 वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन–देन नहीं हुआ, जिससे बैंक के हितों का संभावित टकराव होने की संभावना हो।

9.2 पक्ष लेन–देन का प्रकटीकरण 31.03.2026 तक तुलन पत्र के लेखा नोट्स (अनुसूची 18 में) में किया गया है। संबंधित पक्ष लेन–देन पर नीति बैंक की वेबसाइट https://www.pnb.bank.in@Policies.html पर उपलब्ध है। बैंक में यह प्रामाणिक प्रथा है कि निदेशक बोर्ड और बोर्ड की अन्य समितियों के एजेंडे पर खुद को अलग रखते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

9.3 विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा बैंक पर लगाए गए दंड का विवरण निम्नानुसार है:

2023-24	शून्य
2024-25	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 50(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड बैठक की सूचना प्रस्तुत न करने के लिए बीएसई लिमिटेड द्वारा ₹ 5000 (जीएसटी अतिरिक्त) का जुर्माना लगाया गया है।
2025-26	शून्य

9.4 बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है तथा किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

9.5 विवेकाधीन और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति क्रमशः बिंदु 6 और 7 में विस्तृत रूप से दी गई है।

9.6 बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और रिपोर्ट के अंत में इसकी पुष्टि करने वाला एक प्रमाणपत्र दिया गया है।

9.7 महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति' और 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' बैंक की वेबसाइट https://www.pnb.bank.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

9.8 कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ शून्य हैं।

9.9 हमने मेसर्स रागिनी चोक्शी एंड कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

9.10 यह पुष्टि की गई है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

9.11 बैंक और उसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:

क्रमांक	संस्था का नाम	राशि (₹लाख में)
1.	पंजाब नैशनल बैंक	4768.83
2.	पीएनबी (इंटरनैशनल) लिमिटेड	831.75
3.	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	4.77
4.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	2.17
5.	पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड.	3.00
6.	पीएनबी गिल्ट्स	40.00

9.12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क.	वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	20

ख.	वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	17
ग.	वित्त वर्ष 2025–26 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या पोष अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार टीएटी के भीतर)	3 (वैधानिक निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी)

9.13 यह पुष्टि की जाती है कि बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमनों की अनुसूची V के उप–पैरा (2) से (10) के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है।

9.14 वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया।

9.15 वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बैंक द्वारा वरीयता आवंटन या अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयरों के निर्गमन के माध्यम से कोई धनराशि नहीं थी जैसा कि विनियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

9.16 इसके अतिरिक्त यह भी पुष्टि की जाती है कि:

(i) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

(ii) कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

(iii) बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnb.bank.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html पर उपलब्ध है।

9.17 वर्ष के दौरान, शेयरधारक निदेशक श्री जतिंदर सिंह बजाज ने दिनांक 13.05.2025 और 02.06.2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रों के अनुसार दिनांक 05.06.2025 को अपने त्यागपत्र के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवारत कर्मचारियों को पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े होने के कारण, मास्टर निर्देश–भारतीय रिजर्व बैंक ('पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित' मानदंड) निर्देश, 2019 दिनांक 02 अगस्त, 2019 के पैरा 4.3 (iv) (बी) के संदर्भ में शेयरधारक निदेशक के रूप में पीएसबी के बोर्ड में बने रहने से अयोग्य घोषित कर दिया गया और दिनांक 06.06.2025 से बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

श्री जतिंदर सिंह बजाज ने भी पुष्टि की कि ऊपर दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं थे।

9.18 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के अंतर्गत प्रकट किए गए कुछ प्रकार के समझौतों के संबंध में प्रकटीकरण, जो बैंक पर बाध्यकारी हैं: शून्य

10. बैंक की चार घरेलू सहायक कंपनियाँ हैं:

बैंक की चार घरेलू सहायक कंपनियाँ हैं; यथा

1. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.
2. पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड.
3. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड.
4. पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड*

*पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और उसकी पूंजी समाप्त हो गई है तथा परिसमापक समापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनियाँ हैं, यथा

i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके

ii) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

बैंक की कोई मटेरियल सहायक कंपनी नहीं है।

11. संचार माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) को प्रसार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वित्तीय परिणाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी हितधारकों को सूचित किए जाते हैं।

शेयरधारकों के संचार/नोटिस और वित्तीय परिणाम आदि व्यापक रूप से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों जैसे जनसत्ता, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी) में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां बैंक की वेबसाइट (www.pnb.bank.in) के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी डाली जाती हैं ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना भी शामिल है, सेबी परिपत्र दिनांक 13.05.2022, 05.01.2023 और 07.10.2023 के अनुसार शेयरधारकों को केवल ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11.07.2023 के साथ पठित था और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया था।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिन्होंने सेबी परिपत्रों दिनांक 13.05.2022, 05.01.2023, 07.10.2023 और 03.10.2024 के अनुसार अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है, जो सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 30.01.2026 के साथ पठित होगा।

12. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

12.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक:

वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है :

दिन,तिथि और समय	शनिवार 20 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे
स्थान	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से (जैसा कि एजीएम नोटिस में यथा विस्तृत है)

12.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च , 2026 तक
31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक	05 मई, 2026
25 वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय	शनिवार 20 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे
रिकॉर्ड तिथि	शनिवार 13 जून, 2026
बहीखाता बंद करने की तिथि	रविवार, 14 जून, 2026 से शनिवार, 20 जून, 2026 तक
ई–वोटिंग के लिए कट–आफॅ तिथि	शनिवार 13 जून, 2026
ई–वोटिंग अवधि	वार्षिक आम बैठक नोटिस के अनुसार

12.3 लाभांश का विवरण –वित्त वर्ष 2025–26

(i) **लाभांश:** बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, ₹ 2/– अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 3/– (150%) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है।

(ii) **लाभांश वितरण नीति:** – बैंक की आरबीआई/भारत सरकार / सेबी के दिशा–निर्देशों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक लाभांश वितरण नीति है, जो बैंक की वेबसाइट https://pnb.bank.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

लाभांश का भुगतान निर्धारित समय सीमा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

12.4 स्टॉक एक्स्चंजों का सूचीकरण:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीकरण की आरंभिक तिथि
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई	पीएनबी	24.04.2002
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई	532461	25.04.2002

12.5 सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आज की तिथि तक एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

12.6 बही बंदी करने की तिथियाँ और रिमोट ई वोटिंग के लिए कट ऑफ तिथि –एजीएम नोटिस में दिये गए विवरण के अनुसार

12.7 प्रति शेयर डेटा:

	2023-24	2024-25	2025-26
अंकित मूल्य (₹)	2/-	2/-	2/-
31 मार्च को समापन मूल्य –एनएसई (₹)	124.40*	96.13^	100.56#
प्रति शेयर आय (₹)	7.49	14.77	14.71
₹ 2/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर लाभांश	1.50	2.90	3.00
लाभांश (₹)	75%	145%	150%
बही मूल्य (₹)	67.75	84.83	102.95
लाभांश भुगतान (निवल लाभ का %)	20.03%	20.04%	20.40% लाभांश भुगतान (समायोजन के उपरांत निवल लाभ का %) 21.81% है।

****दिनांक 28.03.2024 के अनुसार, ^ दिनांक 28.03.2025 के अनुसार, #दिनांक 30.03.2026 के अनुसार***

$किसी भी अपवादात्मक और/या असाधारण लाभ/आय को छोड़कर, अथवा यदि सांविधिक लेखा परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत हो जो निवल लाभ के अधिक दर्शाए जाने का संकेत देता हो (जिसमें 'विषय पर बल' भी सम्मिलित है), स्तर–3 वित्तीय लिखतों (डेरिवेटिव्स सहित) के उचित मूल्यांकन पर निवल अवास्तविक लाभ, अतिरिक्त प्रावधान की वापसी, और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों और प्रतिभूति रसीदों के अंतरण से उत्पन्न अवास्तविक लाभ (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) दिशानिर्देश, 2025 में प्रावधानित है)

12.8 मामले के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, मामले के सेबी पंजीकृत पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट है जो 01.01.2013 से बैंक का आरटीए है। आरटीए का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (यूनिट: पीएनबी)
'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली 110062
दूरभाष. नंबर 011–29961281/82/83,
फैक्स: 011–29961284
ई–मेल: beetalrta@gmail.com

12.9 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

(i) संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध तब तक संसाधित नहीं किए जाएँगे जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न रखा जाए। इसके अलावा, भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। इस प्रकार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैट रूप में परिवर्तित करें।

(ii) भौतिक शेयरों का हस्तांतरण या स्थानांतरण लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया ।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण डिपॉजिटरीज अर्थात नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है , जिसमें बैंक की कोई भागीदारी नहीं होती है।

(iv) शेयरधारकों से अमूर्त रूप मे रखे गए शेयरों के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले मे रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सीधे सूचित करने का आनुरोध किया जाता है।

(v) सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप मे बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते के विवरण, नामांकन आदि को अद्यतन करने के लिए बैंक ने पत्राचार भेजा है।

12.10 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपॉज़िटरी सहभागी या आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास पंजीकृत करवा ले ताकि वे रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें ।

12.11 पीएनबी अदावी शेयर (उचंत) खाते:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

		आईपीओ (2002)		एफपीओ(2005)		समामेलन (2020)# के अनुसरण मे दावा किए गए शेयर		कुल	
क्र. सं.	विवरण	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	वर्ष के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2025 को प्रारम्भिक (अंकित मूल्य ₹. 2– प्रत्येक)	**58**	**33500**	**351**	**59975**	**54**	**1323**	**463**	**94798**
2	वर्ष के दौरान शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर हस्तांतरित किए गए	-	-	1	395	-	-	1	395
4	वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2025 (1–3) को बकाया	**58**	**33500**	**350**	**59580**	**54**	**1323**	**462**	**94403**

#ये शेयर पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे अदावी शेयरों से संबंधित हैं और 01.04.2020 को दोनों बैंकों के पंजाब नैशनल बैंक में समामेलन के बाद पीएनबी द्वारा जारी किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि वास्तविक स्वामी उक्त शेयरों पर दावा नहीं करता।

12.12 दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार शेयर धारिता एवं वितरण स्वरूप:

i) शेयर धारिता स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	इक्विटी शेयर धारित प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	70.08
एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी	6.59
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियाँ	9.42
म्यूचुअल फंड	6.53
घरेलू कंपनियाँ/ट्रस्ट	0.57
भारतीय जनता/निवासी व्यक्ति/एचयूएफ	6.80
क्लियरिंग सदस्य	0.01
कुल	100.00

ii) 31.03.2026 तक शेयरधारकों की संख्या 22,78,921

iii) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) 2/-

iv) वितरण स्वरूपः

शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	(₹) के अंकित मूल्य की शेयरधारिता	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि (₹ में)	कुल का प्रतिशत
2227617	97.75	5000 तक	386710827	773421654	3.36
31553	1.38	5001 से 10000	111671906	223343812	0.97
11442	0.50	10001 से 20000	83386862	166773724	0.73
2909	0.13	20001 से 30000	35927668	71855336	0.31
1561	0.07	30001 से 40000	27624885	55249770	0.24
812	0.04	40001 से 50000	18584153	37168306	0.16
1474	0.06	50001 से 100000	52149318	104298636	0.46
1553	0.07	100001 एवं ऊपर	10776887649	21553775298	93.77
2278921	**100.00**		**11492943268**		**100.00**

v) दिनांक 31.03.2026 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति :

शहर का नाम	इलेक्ट्रोनिक				भौतिक रूप में				कुल			
	धारक	%*	शेयर	%*	धारक	%*	शेयर	%*	धारक	%*	शेयर	%*
अहमदाबाद	51377	2.27	26028541	0.23	308	2.29	49036	1.03	51685	2.27	26077577	0.23
बैंगलोर	55010	2.43	27755172	0.24	300	2.23	104488	2.19	55310	2.43	27859660	0.24
चेन्नई	40621	1.79	22313731	0.19	485	3.61	279533	5.87	41106	1.80	22593264	0.20
दिल्ली	139990	6.18	8153678417	70.97	1441	10.73	470469	9.88	141431	6.21	8154148886	70.95
हैदराबाद	36484	1.61	17663330	0.15	269	2.00	108995	2.29	36753	1.61	17772325	0.15
कोलकाता	65331	2.88	39166609	0.34	573	4.27	182312	3.83	65904	2.89	39348921	0.34
मुंबई	137289	6.06	2680150309	23.33	1140	8.49	320210	6.72	138429	6.07	2680470519	23.32
एनसीआर (अन्य)	69180	3.05	55547041	0.48	302	2.25	99815	2.10	69482	3.05	55646856	0.48
अन्य	1670205	73.72	465876687	4.06	8616	64.13	3148573	66.10	1678821	73.67	469025260	4.08
कुल	**2265487**	**100.00**	**11488179837**	**100.00**	**13434**	**100**	**4763431**	**100.00**	**2278921**	**100.00**	**11492943268**	**100.00**

**निकटतम दशमलव तक पूर्णांकित*

vi) दिनांक 31.03.2026 तक शेयरधारकों द्वारा भौतिक एवं डीमैट रूप में धारित शेयरों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	**भौतिक रूप में**	**13434**	**4763431**	**0.04**
2.	**डीमैट रूप में**	**2265487**	**11488179837**	**99.96**
i)	एनएसडीएल	610089	2988526190	26.00
ii)	सीडीएसएल	1655398	8499653647	73.96
	कुल (1+2)	**2278921**	**11492943268**	**100**

12.13 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है और दिनांक 31.03.2025 तक कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

12.14 कमोडिटी मूल्य जोखिम शून्य हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों के संबंध में:

- बैंक के पास मिड ऑफिस, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी) द्वारा तैयार विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों/बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो कि विभिन्न सीमाओं जैसे हानि सीमा को घटा कर/लाभ सीमा को जोड़कर (डीलर/मुद्रा आधारित), ओवरनाइट/फॉरवर्ड ओपन पोजीशन इत्यादि को निर्धारित करके संभावित भावी नुकसान को परिभाषित करती है। डे लाइट ओपन पोजीशन लिमिट को निर्धारित करके इंट्राडे ओपन पोजीशन से जुड़े विनिमय जोखिम का समाधान भी किया जाता है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम का समाधान आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा किया जाता है और मिड ऑफिस, आईआरएमडी द्वारा तय और निगरानी की जाती है।
- सभी मर्चेन्ट (निर्यात/आयात/आवक प्रेषण/जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन को ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर अंतरबैंक बाजार में ओटीसी डेरिवेटिव्स (स्वैप और फॉरवर्ड) के माध्यम से रक्षित किए जाते है।
- एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, क्योंकि उसी मुद्रा मे निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएँ मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती है और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप मे इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ़ और सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से दैनिक गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखा जाता है, जिसे निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

12.15 प्लांट का स्थानः लागू नहीं

12.16 इक्विटी संबंधी मामलों मे पत्राचार हेतु पताः

कंपनी सचिव
पंजाब नैशनल बैंक
शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग,
5वां तल मंजिल, पश्चिम विंग, प्लॉट नं.4, सेक्टर–10,
द्वारका, नई दिल्ली – 110075
दूरभाष नं. 011– 28044857
ई–मेलः hosd/pnb.bank.in

12.17 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली :

बैंक शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन पूछताछ/परिवाद/शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in
पर निवेशक जानकारी –> अन्य –> ऑनलाइन शेयरधारक प्रश्न/अनुरोध/शिकायत के अंतर्गत दिए गए पोर्टल के माध्यम से अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

12.18 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्टः

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु, बैंक ने मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स (प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली) को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

12.19 डिबेंचर न्यास (सों): बैंक द्वारा जारी बांड के लिए निम्नलिखित डिबेंचर न्यासी हैं:

1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड:
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल,
सर पी एम रोड, फोर्ट,
मुंबई – 400 001.
टेली: (91) (22) 40807000
ईमेल आईडी: itsl@idbitrustee.com
वेबसाइट: www.idbitrustee.com

2. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:
मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल ,
122 दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट,
मुंबई– 400020
टेली: (91) (22) 4302 5555 / 5556
ईमेल आईडी: corporate@sbicaptrustee.com
वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com

3. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड:
रूबी, द्वितीय तल, एस डब्लू,
29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
मुंबई– 400028
टेली: (91) (22) 6230 0451
ईमेल आईडी:
debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

12.20 संशोधनों के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:

ए. बैंक की क्रेडिट रेटिंग:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज	Baa3/P-3/Stable
फिच रेटिंग	BBB&/F3/Stable

बी. वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान सभी घरेलू ऋण लिखत (सावधि जमा के अलावा) के लिए बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग का विवरण:

क्र. सं.	लिखत	शृंखला	आईएसआईएन (ISIN)	केयर (CARE)	आईसीआरए (ICRA)	इंडिया रेटिंग्स (INDIA RATINGS)	ब्रिकवर्क (Brickwork)	क्रिसिल (CRISIL)
				08.12.2025	05.12.2025	11.12.2025	15.12.2025	12.12.2025
1	एटी–1	शृंखला XII	INE160A08183*	AA+/Stable		AA+/Stable	AA+/Stable	
2	एटी–1	शृंखला XIII	INE160A08209		AA+/Stable	AA+/Stable		AA+/Stable
3	एटी–1	शृंखला XIV	INE160A08217			AA+/Stable		AA+/Stable
4	एटी–1	शृंखला XV	INE160A08225			AA+/Stable		AA+/Stable
5	एटी–1	शृंखला XVI	INE160A08233		AA+/Stable	AA+/Stable		
6	एटी–1	शृंखला XVII	INE160A08258	AA+/Stable		AA+/Stable		
7	एटी–1	शृंखला XVIII	INE160A08266	AA+/Stable		AA+/Stable		
8	एटी–1	शृंखला XIX	INE160A08282	AA+/Stable		AA+/Stable		
9	एटी–1	शृंखला XX	INE160A08290	AA+/Stable	AA+/Stable			AA+/Stable
10	एटी–1	शृंखला XXI	INE160A08308		AA+/Stable			AA+/Stable
11	टीयर II बासेल III	शृंखला XIX	INE160A08092*	AAA/Stable		AAA/Stable		
12	टीयर II बासेल III	शृंखला XX	INE160A08142			AAA/Stable		AAA/Stable
13	टीयर II बासेल III	शृंखला XXI	INE160A08159*			AAA/Stable		AAA/Stable
14	टीयर II बासेल III	शृंखला XXII	INE160A08167*			AAA/Stable		AAA/Stable
15	टीयर II बासेल III	शृंखला XXIII	INE160A08175			AAA/Stable		AAA/Stable
16	टीयर II बासेल III	शृंखला XVI	INE141A08035*	AAA/Stable	AAA/Stable			
17	टीयर II बासेल III	शृंखला XXIV	INE160A08191			AAA/Stable		AAA/Stable
18	टीयर II बासेल III	शृंखला XXV	INE160A08241	AAA/Stable		AAA/Stable		
19	टीयर II बासेल III	शृंखला XXVI	INE160A08274	AAA/Stable		AAA/Stable		
20	टीयर II बासेल III	शृंखला XXVII	INE160A08316			AAA/Stable		AAA/Stable
21	दीर्घावधि बॉन्ड	शृंखला 3	INE160A08324			AAA/Stable		AAA/Stable
22	जमा प्रमाणपत्र			A1+	A1+	A1+		A1+

***सूचना:**

1. ***ISIN INE160A08183** वाले बॉन्ड को **CARE AA+/Stable, INDIA AA+/Stable, Brickwork AA+/Stable**, रेटिंग दी गई थी कॉल विकल्प का प्रयोग दिनांक 22.01.2026 को किया गया।*
2. ***ISIN INE160A08092** वाले बॉन्ड को **CARE AAA/Stable, INDIA AAA/Stable**, रेटिंग दी गई थी जो दिनांक 05.02.2026 को परिपक्व हुए।*
3. ***ISIN INE160A08159** वाले बॉन्ड को **INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable** रेटिंग दी गई थी, कॉल ऑप्शन का प्रयोग दिनांक 29.07.2025 को किया गया।*
4. ***ISIN INE160A08167** वाले बॉन्ड को **INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable** रेटिंग दी गई थी, कॉल ऑप्शन का प्रयोग दिनांक 14.10.2025 को किया गया।*
5. ***ISIN INE141A08035** वाले बॉन्ड को **ICRA AAA/Stable, CARE AAA/Stable**, रेटिंग दी गई थी, जो दिनांक 26.10.2025 को परिपक्व हुए।*

कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2026

(अशोक चंद्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

घोषणा

(सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार)

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट https://pnb.bank.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26(3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05 मई, 2026

(अशोक चंद्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में)

प्रति,
सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालयः प्लॉट सं. 4,सेक्टर10,
द्वारका, नई दिल्ली –110075

हमने पंजाब नैशनल बैंक (जिसे इसके पश्चात"बैंक" कहा गया है) द्वारा, लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट सिद्धांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया हैद्य सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया है कि इससे हमें कॉरपोरेट आचारों/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन तथा बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन– व्यवस्था है, जो इस तरीके से और यहॉ की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैः

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अपतटीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश इस प्रकार हैः–

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन(इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

एफ़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों(नॉन कन्वर्टिवल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम(इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता(लिस्टिंग)) विनियम, 2021

जी) ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में कंपनी अधिनियम से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; (जिस सीमा तक लागू हो)

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता(डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा के दौरान बैंक पर लागू नही);

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय–बैक)) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं है);

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम; 2018

के) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार), विनियम, 1994;

एल) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी), विनियम, 1993;

vi. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और परीक्षण–जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, बैंक ने निम्नलिखित लागू विधियों का अनुपालन किया है:

ए) पूंजी बाजार मध्यस्थों,मर्चेन्ट बैंकरों,निर्गमन बैंकर डिबेंचर ट्रस्टियों पर यथालागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;

सी) बैंककारी कम्पनी
(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

डी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949;

ई) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970;

एफ़) पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000;

जी) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

एच) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की जांच भी की है:

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक – (जहां लागू हो, जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है)।

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध ता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 – लागू सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

I. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मण्डल में बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक शामिल होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (डों) के अंतर्गत कामगार हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, हालांकि, बैंक के बोर्ड में उक्त पद रिक्त है।

II. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मण्डल में बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक शामिल होगा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम ,1974 की धारा 2 के खंड के अंतर्गत कामगार नहीं हैं, जिसे रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना हो, हालांकि, बैंक के बोर्ड में उक्त पद रिक्त है। ।

III. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मण्डल में एक निदेशक शामिल होगा जो पंद्रह वर्षों से चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना हो, हालांकि, बैंक के बोर्ड में उक्त पद रिक्त है।

IV. धारा 9(3)(एच) के प्रावधानों के अनुसरण में, खंड (i) के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा छह से अधिक निदेशकों को नामित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 9(3)(i) के अंतर्गत, जहां जारी की गई पूंजी कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है, परंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने में से दो निदेशक का चयन किया जाएगा। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 06.06.2025 से 28.08.2025 तक, शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले एक निदेशक का पद रिक्त रहा तथा वित्त वर्ष 2025–2026 के आरंभ से ही केंद्र सरकार द्वारा भरे जाने वाले 3 पद रिक्त थे। दिनांक 07.11.2025 से ऐसे 4 पद रिक्त थे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भरा जाना है।

V. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के अनुसरण में, निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए तथा निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य गैर–कार्यपालक निदेशक होने चाहिए। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 06.06.2025 से 28.08.2025 तक एवं दिनांक 24.11.2025 से, निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत सदस्य गैर–कार्यपालक निदेशक नहीं हैं।

VI. सेबी एलओडीआर 17(1)(ए) के परंतुक के अनुसरण में, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में 01.04 .2025 से 28.08 .2025 तक एक स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था।

VII. सेबी एलओडीआर 2015, के विनियम 17(1)(बी) के अनुसरण में, जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक है, वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और जहाँ सूचीबद्ध संस्था के पास कोई नियमित गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, वहाँ निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल के अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक थे और दिनांक 01.04.2025 से 28.08.2025 तक बोर्ड में कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। इसके बाद, दिनांक 07.11.2025 से, बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक थे और बोर्ड में दिनांक 07.11.2025 से 31.03.2026 तक कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

VIII. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, यदि कोई सूचीबद्ध संस्था किसी भी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कारण इस विनियम के उप–विनियम (1), विनियम 18 के उप–विनियम (1), विनियम 19 के उप–विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप–विनियम (2) या (2ए) अथवा विनियम 21 के उप–विनियम (2) या (3) के अंतर्गत आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली रिक्ति को सूचीबद्ध संस्था द्वारा उस तिथि से पहले भरा जाएगा जिस तिथि को ऐसा पद रिक्त हुआ है। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त रहने के कारण, इसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल और उसकी विभिन्न बोर्ड–स्तरीय समितियों के गठन के अनुपालन में चूक हुई। ऐसी रिक्तियों को उस तिथि को या उससे पहले नहीं भरा गया था, जिस तिथि को ऐसे पद रिक्त हुए थे।

IX. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) के अनुसरण में, प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था एक योग्य और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी और लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 06.06.2025 से 28.08.2025 तक सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड की ऑडिट समिति क्रियाशील नही थी। लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संख्या घटकर तीन से कम हो गई थी और लेखापरीक्षा समिति की शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वहन निदेशक मंडल द्वारा किया गया था।

X. सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(सी) और दिनांक 26.04.2021 के आरबीआई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी परिपत्र आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021–22 के

अनुसरण में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्त प्रबंधन विशेषज्ञता होनी चाहिए। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 01.04.2025 से 28.08.2025 तक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिसके पास लेखांकन या संबंधित वित्त प्रबंधन विशेषज्ञता हो।

XI. दिनांक 26.04.2021 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021–22/24 डीओआर .जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021–22 के अनुसरण में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 01.04.2025 से लेकर आज तक बोर्ड की ऑडिट समिति की बैठकों की अध्यक्षता उन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई, जिन्होंने बोर्ड की अन्य समितियों की भी अध्यक्षता की थी।

XII. सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसरण में, निदेशक मंडल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर. जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 के माध्यम से परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड केवल तीन सदस्यों के कोरम के साथ गैर–कार्यपालक निदेशकों को मिलाकर एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करेगा, और जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 06.06.2025 से 29.08.2025 तक और दिनांक 07.11.2025 से बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति क्रियाशील नही थी।

XIII. सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 19(3ए) के अनुसरण में, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की वित्त वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।

XIV. सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 21 के अनुसरण में, निदेशक मंडल एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें न्यूनतम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से अधिकांश निदेशक मंडल के सदस्य होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना चाहिए। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 11.06.2025 से 28.08.2025 तक सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति क्रियाशील नही थी, जिसके परिणामस्वरूप सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 21(1), 21(2) और 21(3) के अनुपालन नहीं हुआ है।

XV. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 के अनुसरण में, बोर्ड गैर–कार्यपालक निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2025–2026 में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों के रूप में गैर–कार्यपालक निदेशकों का बहुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025–2026 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की अध्यक्षता ऐसे स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई, जिन्होंने बोर्ड की अन्य समितियों की भी अध्यक्षता की हो।

XVI. सेबी एलओडीआर, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैरा ए विनियम 30 r/w के अनुसरण में, क्षेत्रीय नियामक या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा लगाए गए एक लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने या दंड, और अन्य प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा लगाए गए दस लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने या दंड का प्रकटीकरण चौबीस घंटे के भीतर किया जाएगा। हालाँकि, यह पाया गया है कि सेफेमा (SAFEMA) के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मौद्रिक दंड लगाने से संबंधित आदेश दिनांक 13.11.2025 की सूचना 24 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को नहीं दी गई थी। बैंक ने इसकी सूचना दिनांक 06.12.2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी। इस विलंब के कारण को दिनांक 08.12.2025 को स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए थे।

XVII. सेबी एलओडीआर, 2015 की अनुसूची V के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य–प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों का प्रकटीकरण होना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य–प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो कि सेबी एलओडीआर, 2015 की अनुसूची V का गैर–अनुपालन है।

हम आगे सूचित करते हैं कि बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और अन्य लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में प्रदत्त बैंक पर लागू कॉरपोरेट अभिशासन एवं बोर्ड की संरचनासे संबन्धित प्रावधानों के अंतर्गत गठित है।

बैंक के बोर्ड में नौ (9) निदेशक हैं, जिनमें पाँच (5) कार्यपालक निदेशक और चार (4) गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल हैं; इन गैर–कार्यपालक निदेशकों में दो (2) नामित निदेशक और दो (2) गैर–कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक हैं।

जैसा की ऊपर वर्णित है बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी एलओडीआर 2015 और आरबीआई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी परिपत्र के अंतर्गत यथा अपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में निर्दिष्ट निदेशकों की गैर–नियुक्ति/नामांकन की आवश्यक संख्या को **छोड़कर** बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन उपर्युक्त विधि के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए जाते हैं, बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड का निर्णय सर्वसम्मति के माध्यम से किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया जाता है ।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपान की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग) से जुड़ी कमियों के लिए, प्रत्येक पर ₹3,35,000 (लागू अतिरिक्त जीएसटी) का दंड लगाया है। यह दंड सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी–पीओडी1/पी/सीआईआर/2023/24, दिनांक 06.02.2023 के अनुसार लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने दंड में छूट के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक की सहायक कंपनी अर्थात 'पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड' पर एएमसी रेपो क्लीयरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) द्वारा ₹17,25,771.68 का मौद्रिक दंड लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, की सदस्य समिति और गवर्निंग बोर्ड ने समीक्षा की है तथा कंपनी पर लगाए गए दंड को माफ करने के अनुरोध को अनुमोदित कर दिया है।

हमने इस रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाइयों/लगाए गए दंड पर विचार नहीं किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित विधि, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं, जिनका बैंक के कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है:

1. **बैंक ने निम्नलिखित प्रतिभूतियों को भुनाया:**

क्र. सं.	संक्षिप्त विवरण	परिपक्वता / भुनाने की तिथि	राशि
1.	बैंक ने 7.25% बेसल III अनुपालित टियर II बॉण्ड शृंखला XXI को भुनाया है।	29/07/2025	₹ 994 करोड़
2.	बैंक ने 7.25% बेसल III टियर–II बॉण्ड शृंखला XXII को भुनाया है।	14/10/2025	₹ 1500 करोड़
3.	बैंक ने 8.34% बेसल III टियर–II बॉण्ड भुनाया है।	24/10/2025	₹ 1000 करोड़
4.	बैंक ने 8.60% बेसल III अतिरिक्त टियर–I बॉण्ड शृंखला XII को भुनाया है।	22/01/2026	₹ 495 करोड़
5.	बैंक ने 8.65% बेसल III टियर–II बॉण्ड शृंखला XIX को भुनाया है।	05/02/2026	₹1500 करोड़

2. बैंक ने मेसर्स एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के एनपीए खाते में ₹ 1240.94 करोड़ और मेसर्स एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के एनपीए खाते में ₹ 1193.06 करोड़ की उधारकर्ता धोखाधड़ी की रिपोर्ट आरबीआई को दी। माननीय एनसीएलटी द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत उपर्युक्त कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया था

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 2725 / 2022

कंपनी सचिव श्वेता जैन
एफ़सीएस सं.: 7152
सी.पी.सं.: 27503

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026
यूडीआईएन: F007152H000240242

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक–ए'

प्रति
सदस्य,
पंजाब नैशनल बैंक,

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरादायित्व इन सचिवीय अभिलेखों जो लेखापरीक्षा हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण पर आधारित हैं, पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, जो हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्त अभिलेखों और खाता बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्व में बताई गई टिप्पणियों / अवलोकन / कमियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन की पुष्टि प्राप्त की है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरादायित्व है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी और यह अभिमत देने के लिए थी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद है या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

7. लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण–जिनमें आंतरिक, वित्त और परिचालन नियंत्रण शामिल हैं–एक ऐसा अपरिहार्य जोखिम बना रहता है कि कुछ गलत बयान या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन पकड़ में न आएं; भले ही ऑडिट की योजना ठीक से बनाई गई हो और उसे 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' (ICSI) द्वारा निर्धारित 'सेक्रेटेरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स' के अनुसार ही किया गया हो।

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 2725 / 2022

कंपनी सचिव श्वेता जैन
एफ़सीएस सं.: 7152
सी.पी.सं.: 27503

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल, 2026
यूडीआईएन: F007152H000240242

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

प्रति,
सदस्यगण
पंजाब नैशनल बैंक

हमने पंजाब नैशनल बैंक (जिसे इसके पश्चात 'बैंक' कहा जाएगा), जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, दिल्ली, भारत में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जिसे हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा जैसा आवश्यक समझा जाए पोर्टल (www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) सत्यापन तथा बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के आधार पर, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशकों में से बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान सं. (डीआईएन)	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अशोक चंद्र	09322823	16-01-2025
2.	श्री एम. परमशिवम	08997088	01-12-2022
3.	श्री बिभु प्रसाद महापात्र	08756848	09-10-2023
4.	श्री डी. सुरेन्द्रन	10174317	24-03-2025
5.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	08099846	24-11-2025
6.	श्री डी. आनंदन	----	24-07-2025
7.	डॉ. उमा शंकर	----	14-07-2023
8.	श्री अम्बरीष ओझा	07008756	12-09-2024
9.	श्रीमती वंदना भागवतुला	08352752	29-08-2025
10.	श्री जतिंदर सिंह बजाज [1]	----	06-10-2023
11.	श्री पंकज शर्मा [2]	----	11-04-2022
12.	श्री कल्याण कुमार [3]	09631251	21-10-2021
13.	श्री कुमारपुरम गोपालकृष्णन अनंतकृष्णन [4]	00019325	07-11-2022

1 06 जून, 2025 से जतिंदर सिंह बजाज, का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त;

2 24 जुलाई, 2025 से पंकज शर्मा का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

3 30 सितंबर, 2025 से कल्याण कुमार का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त;

4 06 नवंबर, 2025 से कुमारपुरम गोपालकृष्णन अनंतकृष्णन का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता/बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सत्यापन के आधार पर इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कार्य किया है।

कृते रागिनी चोक्शी एंड कं.
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या : 92897

दिनांक : 28 अप्रैल, 2026
स्थानः मुबई

रागिनी चोक्शी
(पार्टनर)
एम. सं.: 2390
सीओपी सं.: **1436**
यूडीआईएनः एफ002390एच000216483
पीआर सं.: 4166/2023

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट



कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग ए संस्था का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है, जिसमें उसके उत्पाद और प्रस्ताव, परिचालन क्षेत्र, संबंधित पक्ष, कर्मचारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल और पारदर्शिता सम्मिलित है।

अनुभाग बी संस्था से संबंधित प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण का विवरण देता है, जो एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूलभूत तत्वों को अपनाने हेतु लागू की गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

अनुभाग सी संस्थाओं को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों में सिद्धांतों और मूलभूत तत्वों के एकीकरण के प्रदर्शन को वर्णित करने में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। यह जानकारी एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांतों से जुड़ी है और इसे "अनिवार्य" और "नेतृत्व" संकेतकों में वर्गीकृत किया गया है।

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1. **सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है, इसलिए सीआईएन की आवश्यकता सहित कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। एमसीए पोर्टल पर आईईपीएफ़ फॉर्म भरने के सीमित उद्देश्य के लिए बैंक के पास सीआईएन – 'PUNB' है।
2. **सूचीबद्ध संस्था का नाम:** पंजाब नैशनल बैंक
3. **स्थापना का वर्ष:** 1895 में स्थापित और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत 1970 में राष्ट्रीयकृत।
4. **पंजीकृत कार्यालय का पता:** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली –110075
5. **कॉर्पोरेट कार्यालय का पता:** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
6. **ई–मेल:** care@pnb.bank.in
7. **टेलीफोन:** 011–28044835
8. **वेबसाइट:** www.pnb.bank.in
9. **वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है:** वित्त वर्ष 2025–26
10. **स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं:** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
11. **प्रदत्त पूंजी:** ₹ 2298.59 करोड़
12. **बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण:**

    नाम: श्री सुनील कुमार गोयल

    पद: मुख्य महामहाप्रबंधक, डेटा विश्लेषिकी एवं कार्यनीति नवाचार प्रभाग

    टेलीफोन नंबर: 011–28044835

    ईमेल आईडी: esgcell@pnb.bank.in
13. **रिपोर्टिंग सीमा: क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और उन सभी इकाइयों के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं) किए गए हैं?** – इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों विदेशी शाखाओं सहित में बैंक के अखिल भारतीय परिचालन पर केंद्रित हैं।
14. **आकलन अथवा आश्वासन प्रदाता का नाम:** मेसर्स उम्मेद जैन एंड कंपनी (केन्द्रीय सांविधिक लेखाकार)
15. **प्राप्त आकलन अथवा आश्वासन का प्रकार:** बीआरएसआर कोर संकेतक – उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (जो कुल कारोबार का 90% है):

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का %
1.	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ	बैंक समस्त बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें विभिन्न प्रकार की जमा राशि जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा आदि स्वीकार करना और ऋण वित्तपोषण सम्मिलित है। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:	
		(i) रिटेल बैंकिंग: इसमें वे ऋणकर्ता खाते शामिल हैं जिनकी ऋण सीमा ₹ 7.50 करोड़ से कम है।	29.73
		(ii) कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग: इसमें उन ऋणकर्ताओं की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं जिनकी ऋण सीमा ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक है।	38.20
		(iii) कोष: इसमें संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो, विदेशी मुद्रा अनुबंधों और डेरिवेटिव अनुबंध आदि शामिल है। राजस्व के अंतर्गत मुख्य रूप से ट्रेडिंग संचालन से प्राप्त शुल्क और लाभ या हानि, तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज/लाभांश आय शामिल होती है।	29.40
		(iv) अन्य बैंकिंग परिचालन: वे खंड जो ऊपर (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें इस प्राथमिक खंड के तहत वर्गीकृत किया गया है।	2.67

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (जो संस्था के कुल टर्नओवर का 90% हैं):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में योगदान का %
1.	जमा, अग्रिम (कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, रिटेल ऋण, कॉर्पोरेट ऋण), कोष उत्पाद और तृतीय–पक्ष सेवाएँ	64191	100%

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या, जहाँ संस्था के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	744 जिलों में 10324 शाखाएं, 11065 एटीएम, 1058 अन्य कार्यालय, 4 प्र.का. भवन हैं	22,451
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं*	शाखाएँ: दुबई और गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद	02

** एक वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण, यह खंड लागू नहीं है।*

19. संस्था द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय	28 राज्य – 7 केन्द्रशासित प्रदेश (लक्षद्वीप को छोड़कर)
अंतर्राष्ट्रीय	1

ख. संस्था के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का क्या योगदान है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

एक वित्तीय सेवा संस्थान के रूप में, बैंक विभिन्न खंडों में फैले एक विविध एवं विस्तृत ग्राहक आधार को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। इसका बैंकिंग परिचालन प्रत्येक खंड की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए उत्पादों एवं सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स, किसानों, सरकारी संस्थाओं, स्टार्ट–अप्स, एमएसएमई एवं अन्य घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बैंक के ग्राहक विभिन्न उद्योगों और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों के एक विस्तृत दायरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समावेशी विकास एवं 'डिजिटल–फर्स्ट' दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवा वितरण में सुधार करके ग्राहक–केंद्रित बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है।

बैंक व्यक्तिगत और संयुक्त खाताधारकों, अनिवासी व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, सोसायटियों, ट्रस्टों, संघों, कंपनियों, एमएसएमई, सरकारी निकायों और बड़े कॉरपोरेट्स सहित विभिन्न ग्राहक श्रेणियों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। 31 मार्च 2026 के अनुसार, बैंक अपने विस्तृत शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 18.53 करोड़ से अधिक ग्राहकों को गर्व के साथ सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)*	103184	77036	74.66 %	26148	25.34 %
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ङ)**	9	7	77.77%	2	22.22%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	103193	77043	74.66%	26150	25.34%
कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)					
6.	**कुल कर्मचारी (च + छ)**					

** तीनों कैडर, अर्थात् अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ–कर्मचरियों को क्रमांक 1 पर शामिल किया गया है।*

***सीआईएसडी में, ग्राहक सेवा केंद्र एवं अन्य कार्यालय*

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
		(क)	सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	3236	2657	82.11%	579	17.89%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ङ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)**	3236	2657	82.11 %	579	17.89 %
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)					
6.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ)**					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल* (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	9	2	22.22 %
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	7	0	लागू नहीं

** केएमपी – क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; ख) कार्यपालक निदेशक; ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी; और घ) कंपनी सचिव*
नोटः– यह स्थिति 31.03.2026 के अनुसार है।

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटन)

	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25			वित्त वर्ष 2023–24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.15%	4.14%	4.15%	3.27%	3.20%	3.26%	3.92%	2.86%	3.66%
स्थायी कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

** टर्नओवर दर की गणना करते समय सभी प्रकार की सेवा समाप्तियों (जैसे त्यागपत्र, मृत्यु, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन आदि) पर विचार किया गया है । यह निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है: (वित्तीय वर्ष में संस्था से त्यागपत्र देने वाले व्यक्तियों की संख्या X 100) / संबंधित श्रेणी में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या)*

V. होल्डिंग, सहायक कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (क) होल्डिंग / सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग / सहायक कंपनियाँ / सहयोगी कंपनियाँ / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक कंपनियाँ/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम इंगित करें	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	सहायक कंपनी	100.00	नहीं
2	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	सहायक कंपनी	100.00	हाँ
3	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	74.07	हाँ
4	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	28.04	हाँ
5	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	30.00	हाँ
6	पीएनबी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके	सहायक कंपनी	100.00	नहीं
7	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	सहायक कंपनी	51.00	नहीं
8	जेएससी टेंगरी बैंक*	सहयोगी	41.64	लागू नहीं
9	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.02	नहीं
10	असम ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
11	बिहार ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
12	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
13	पंजाब ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
14	हरियाणा ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
15	मणिपुर ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
16	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
17	पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं

** लाइसेंस 18.09.2020 से रद्द कर दिया गया है और यह परिसमापन की प्रक्रिया में है।*

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है:

नहीं, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर के प्रावधान पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं हैं। तथापि, बैंक एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी संस्था के रूप में व्यापक समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, अतः सीएसआर पर बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। विभिन्न सामुदायिक विकास एवं सामाजिक कल्याण पहलों के माध्यम से, बैंक समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने तथा बड़े पैमाने पर समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

(ii) टर्नओवर (रु. में) – 1,47,017.16 करोड़

(iii) निवल मूल्य (रु. में) – 1,18,317.14 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) से संबंधित शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण प्रणाली लागू है (हाँ/नहीं) (अगर हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक दें)	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में निपटान हेत लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में निपटान हेत लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	www.pnb.bank.in	–					
निवेशक (शेयरधारकों के अतिरिक्त)	www.pnb.bank.in	शून्य					
शेयरधारक*	हाँ, विवरण बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर 'Investor Corner' में दिए गए हैं: https://www.pnb.bank.in@basic&information.html	43	0	शून्य	47	0	शून्य
कर्मचारी और कामगार	हाँ – आंतरिक "पीएनबी समाधान" एचआरएमएस के माध्यम से (एचआर मामलों से संबंधित शिकायतें)	3496	शून्य	-	3661	121	-
	संपर्क पोर्टल (एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन/अल्पसंख्यक कर्मचारियों के मानव संसाधन मामलों से संबंधित शिकायतें)	119	शून्य				
ग्राहक	हाँ, नीति कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnb.bank.in पर, 'Customer Care - Policies' टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।	सीजीआरएमएस 78,740 सीआरएम– 4,95,758 कुल–5,74,498	7,331	उन शिकायतों को छोड़कर, जिनका समाधान प्राप्ति के T+1 दिनों के भीतर कर दिया गया था।	सीजीआरएमएस 1,04,520 सीआरएम– 10,25,675 कुल– 11,39,830	28,855	उन शिकायतों को छोड़कर, जिनका समाधान प्राप्ति के T+1 दिनों के भीतर कर दिया गया था।
मूल्य श्रृंखला साझेदार	–						
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	शून्य						

**बॉन्डधारकों से प्राप्त शिकायतों सहित।*

26. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी मामलों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित उन महत्वपूर्ण, ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें, जिनसे आपके व्यवसाय को कोई जोखिम या अवसर प्राप्त हो सकता है; साथ ही, उन्हें पहचानने का कारण, जोखिम को अपनाने या कम करने का उपाय, और इसके वित्तीय प्रभावों की जानकारी भी नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार दें।

क्र सं.	चिन्हित महत्वपूर्ण समस्या	इंगित करें कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम की स्थिति में, उसे अपनाने या कम करने का उपाय	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएँ)
1.	जलवायु जोखिम	जोखिम और अवसर	जोखिम: भौतिक जोखिम – जलवायु से जुड़ी घटनाएँ, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, जंगल की आग, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकती हैं, कामकाज में रुकावट डाल सकती हैं, और ऋण लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता पर असर डाल सकती हैं। इससे ऋण चूककर्ता बढ़ सकते हैं, परिसंपत्ति का मूल्य कम हो सकता है, और बीमा की लागत बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, भौतिक जोखिम बैंक के आधारभूत संरचना पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे कामकाज में रुकावट आ सकती है और वसूली और परिवर्तन हेतु लागत बढ़ सकती है। ट्रांज़िशन जोखिम – कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव, जो सख़्त पर्यावरण नियमों, बदलते बाज़ार की रुचि, और ज़्यादा कार्बन वाले उद्योगों को धीरे–धीरे बंद करने से प्रेरित है। इससे फसी हुई परिसंपत्तियों से वित्तीय नुकसान हो सकता है, नियमों के पालन की लागत बढ़ सकती है, और जीवाश्म ईंधन पर आधारित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की माँग में कमी आ सकती है। **अवसर** • हरित बॉन्ड, हरित ऋण, और सततता से जुड़े वित्तपोषण जैसे उत्पाद के ज़रिए हरित वित्तपोषण। • जैसे–जैसे सरकारें और उद्योग कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हरित वित्तपोषण में खुद को लीडर के तौर पर स्थापित करने से पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशक और उपभोक्ता आकर्षित हो सकते हैं, जिससे बाज़ार में स्थिति और ब्रांड की प्रतिष्ठा बेहतर हो सकती है। • ऊर्जा–कुशल इमारतों में निवेश करके, कार्बन उत्सर्जन कम करके, और बैंक परिसर के भीतर सततता से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देकर बैंक के अपने कामकाज को हरित बनाना। इससे बैंक की सततता से जुड़ी साख बढ़ सकती है और संभावित रूप से लंबे समय में कामकाज की लागत कम हो सकती है।	नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन करें, पोर्टफोलियो और खाता स्तर पर जोखिम की स्थिति का आकलन करें, और जोखिम प्रबंधन योजना तथा आधारभूत संरचना की सुदृढ़ता विकसित करें। जोखिम कम करने के लिए अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग रणनीतियाँ अपनाई जाएँगी: 1. हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना। 2. भूरे क्षेत्रों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाना। 3. जिन क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करना मुश्किल है, उनमें दक्षता बढ़ाने पर ज़ोर देना। अपने पोर्टफोलियो को सतत प्रथाओं और हरित वित्त पहलों के अनुरूप बनाएँ।	नकारात्मक: भौतिक संपत्तियों को नुकसान और कामकाज में रुकावट के कारण वित्तीय नुकसान। फसी हुई परिसंपत्तियों, ऋण चुकाने में ज़्यादा चूक, और नियामक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय नुकसान। इससे बाज़ार में होने वाले अचानक बदलावों का जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ सख़्त पर्यावरण नीतियों के हिसाब से खुद को ढालती हैं। सकारात्मक: जलवायु–रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की मांग को पूरा करना, जिससे बैंकों के लिए वित्तपोषण के नए अवसर मिलते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और सतत परियोजनाओं में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना। सकारात्मक: बैंक के सतत वित्तपोषण पोर्टफोलियो में वृद्धि। बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं में सक्रिय सततता उपायों को अंगीकार करना, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ऊर्जा दक्षता तथा प्रभावी अपशिष्ट एवं अपशिष्ट–जल प्रबंधन शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है तथा परिचालन लागत का अनुकूलन सुनिश्चित हुआ है।
2.	सामाजिक: सतत वित्त	अवसर	नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और सतत कृषि के उभरते बाज़ारों में विकास की प्रबल संभावनाएँ हैं।	लागू नहीं	सतत वित्त बैंक को नए उभरते बाजारों में प्रवेश करने और अपने जोखिम पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सहायता करेगा।
3.	गवर्नेंस: डेटा गोपनीयता	जोखिम	विस्तृत गोपनीय वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच होने के कारण, बैंक साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों का लगातार निशाना बना रहता है।	बैंक एक मज़बूत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देता है, जिसकी देखरेख ग्रुप चीफ़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ़िसर करते हैं और जिसे समर्पित साइबर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रभाग लागू करता है। यह डिवीज़न साइबर सुरक्षा के पूरे जीवनचक्र को संभालता हैकृकंट्रोल लागू करने और डिप्लॉयमेंट से लेकर लगातार मॉनिटरिंग तककृऔर हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कई तरह के साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखता है। अपनी सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए, बैंक अपने साइबर सुरक्षा घटकों को लगातार अपग्रेड करता रहता है। इन प्रयासों को एक समर्पित साइबर सुरक्षा कंप्लायंस टीम का भी साथ मिलता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि रेगुलेटरी निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन किया जाए।	डेटा में सेंध या डेटा का नुकसान, ग्राहकों के भरोसे को कम कर सकता है और अंततः व्यापार में नुकसान का कारण बन सकता है।
4.	सामाजिक: वित्तीय समावेशन	अवसर	यह बैंकों को उन क्षेत्रों तक पहुँचने में सक्षम बनाता है जहाँ वे पहले नहीं पहुँच पाए थे, और साथ ही व्यक्तियों तथा छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाकर सामाजिक एवं न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देते हुए अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।	लागू नहीं	बढ़ी हुई बाजार प्रतिष्ठा, कासा जमा, क्रॉस–सेलिंग राजस्व

क्र सं.	चिन्हित महत्वपूर्ण समस्या	इंगित करें कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम की स्थिति में, उसे अपनाने या कम करने का उपाय	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएँ)
5.	सामाजिकः वित्तीय समावेशन	जोखिम	अल्प आय वाले ग्राहक पुनर्भुगतान क्षमता के बिना कई संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। वित्तीय जागरूकता के अभाव के कारण, ग्राहक फिशिंग आदि सहित साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं।	अनुकूलित क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन, सीआईआर जांच, और उत्तरदायी ऋण मानदंड। वित्तीय साक्षरता अभियान, लेनदेन अलर्ट, और मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय।	उच्च एनपीए और प्रावधान धोखाधड़ी से होने वाली क्षति, क्षतिपूर्ति भुगतान, और प्रतिष्ठा की क्षति।
6.	सामाजिकः ग्राहक–केंद्रितता	अवसर	ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से बैंक की, ग्राहकों के साथ स्थायी और परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने की क्षमता मज़बूत होती है।	लागू नहीं	ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ने से ग्राहक–धारण दर बढ़ती है, नए ग्राहक मिलते हैं और राजस्व में निरंतर वृद्धि होती है।
7.	सामाजिक – मानवीय पूंजी जोखिम और सामाजिक पूंजी जोखिम	जोखिम एवं अवसर	मानव पूंजी जोखिम कार्यबल के प्रभावी प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों से उत्पन्न होते हैं, जो परिचालन दक्षता, कर्मचारियों के मनोबल, प्रतिभा प्रतिधारण और समग्र संगठनात्मक स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक पूंजी जोखिम ग्राहकों और अन्य बाहरी हितधारकों के साथ बैंक के संबंधों से संबंधित हैं; ग्राहकों के अधिकारों और सेवा मानकों को बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप विश्वास की कमी, विनियामक कार्रवाई और प्रतिष्ठा को क्षति हो सकती है।	बैंक मानव पूंजी को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने और कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, यह हितधारकों के संबंधों को मजबूत करने के लिए ग्राहक सेवा को बढ़ाने, फीडबैक एकत्र करने और उत्पादों एवं सेवाओं में निरंतर सुधार करने पर जोर देता है।	सकारात्मकः अनुपस्थिति में कमी, कर्मचारी उत्पादकता में सुधार, ग्राहकों की विश्वसनीयता में वृद्धि, और राजस्व में वृद्धि। नकारात्मकः कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ी लागतें
8.	गवर्नेंसः नियामक अनुपालन	अवसर	नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने से बैंकों को कानून के दायरे में रहकर काम करने में मदद मिलती है, और इस प्रकार वे अपने हितधारकों के साथ विश्वास स्थापित कर पाते हैं।	लागू नहीं	नियामक उपायों का पालन करने से बैंकों को बेहतर कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने तथा अत्यधिक जोखिम उठाने और वित्तीय अस्थिरता की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी।

अनुभाग बीः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य कारोबारों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

क्र. सं .	सिद्धांत विवरण
पी 1	कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित तथा अभिशासित करना चाहिए।
पी 2	कारोबारों को वस्तुओं और सेवाओं को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए ।
पी 3	कारोबारों को अपने मूल्य शृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।
पी 4	कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पी 5	कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी 6	कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।
पी 7	कारोबारों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।
पी 8	कारोबारों को समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
पी 9	कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है ? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो सिद्धांत 1, 2, 3: डेटा गवर्नेंस नीति, अपने ग्राहक को जानिए संबंधी नीति, सिद्धांत 3, 5: समान अवसर नीति सिद्धांत 4: ग्राहक शिकायत निवारण नीति सिद्धांत 5: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी नीति सिद्धांत 6: जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति, ईएसजी नीति सिद्धांत 7, 8: उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण दिशानिर्देश, बैंक की हरित, सामाजिक एवं सततता संबद्ध गतिविधियों / परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण ढांचा। सिद्धांत 9: ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक शिकायत निवारण नीति, ग्राहक मुआवजा नीति। ये नीतियां बैंक की वेबसाइट https://pnb-bank-in/Home-aspx. पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ नीतियां आंतरिक नीतियां हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	जी हां, नीतियों को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया गया है।								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/नहीं)	नहीं								

क्र. सं.	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000|OHSAS|ISO|BIS) के नाम आपके निकाय द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	• बैंक ने निम्नलिखित प्रभाग/विभाग के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त किया है: सिद्धांत 1: अनुपालन, वित्त एवं लेखा, बोर्ड और समन्वय। सिद्धांत 3: मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण सिद्धांत 4: दवावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और व्यापार वित्त सिद्धान्त 6: एकीकृत जोखिम प्रबंधन, सिद्धान्त 8: कार्यनीति प्रबंधन एवं आर्थिक परामर्श सिद्धान्त 9: डिजिटल बैंकिंग एवं ट्रांसफोर्मेशन • बैंक ने निम्नलिखित के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त किया है: सिद्धांत 2: सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा।								
5. परिभाषित समय सीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हो।	वर्ष 2060 तक नेट ज़ीरो (स्कोप 1, 2, 3 उत्सर्जन) प्राप्त करने का लक्ष्य, पर्यावरणीय सततता के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वित्तीय वर्ष 2031 के लक्ष्य वर्ष के साथ स्कोप 1 और 2 हेतु नेट ज़ीरो का लक्ष्य निर्धारित है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्य के विरुद्ध इकाई का कार्य–निष्पादन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	बैंक एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध है। यह शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्य का सृजन करते हुए अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। सततता को बैंक की रणनीति में शामिल किया गया है, और इसके प्रदर्शन की समय–समय पर सततता और सुदृढ़ता (सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलिएंस) समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।								
अभिशासन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण									
7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट हेतु उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य, जिसमें पर्यावरण, ईएसजी संबंधी चुनौतियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को रेखांकित किया गया हो (सूचीबद्ध संस्था को इस प्रकटीकरण को प्रस्तुत करने की छूट है)।	पंजाब नैशनल बैंक में, ईएसजी एक विनियामक अनिवार्यता से बढ़कर अब हमारी कॉर्पोरेट रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बन गया है। ईएसजी एकीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी रणनीतिक उन्नति का निरंतर मार्गदर्शन कर रहें है। पारंपरिक जोखिम प्रबंधन से आगे बढ़ते हुए, हम अपने मुख्य ऋण एवं निवेश ढांचों में सततता मानदंडों को सम्मिलित कर रहे हैं। अपनी रणनीतियों को डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों एवं समावेशी विकास के साथ संरेखित कर, हम एक मूल्य–आधारित और सतत बैंकिंग ढांचे की ओर अग्रसर हैं। पारदर्शिता एवं नैतिक अभिशासन पर हमारा विशेष ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि हमारी निवेश तथा ऋण संबंधी गतिविधियाँ एक सुदृढ़, समावेशी एवं न्यायसंगत भविष्य के निर्माण में योगदान करें । व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग ढांचे के माध्यम से, हम जवाबदेही को मजबूत करते हैं और गवर्नेंस तथा पर्यावरणीय स्थायित्व के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं। हमारे लिए, जिम्मेदार बैंकिंग कोई विकल्प नहीं है, अपितु यह व्यावसायिक निर्णयों का वह आधार है जो मार्गदर्शन करता है तथा कम–कार्बन वाले सतत पोषणीय भविष्य में हमारे योगदान का समर्थन करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने हरित वित्तपोषण, सतत संसाधन प्रबंधन एवं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 'पलाश 3.0' के अंतर्गत अपनी पर्यावरणीय पहलों को सुदृढ़ किया। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जैव–अपघटनीय क्रेडिट कार्ड, एवं हरित आवास ऋण सहित हरित उत्पादों जैसी पहलों के माध्यम से परिलक्षित होती है। बैंक ने राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, 2060 तक नेट ज़ीरो (शुद्ध शून्य) उत्सर्जन हासिल करने का एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सामाजिक पटल पर, बैंक समावेशी विकास एवं सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। 'पीएनबी संपर्क' जैसी पहलें निरंतर प्रसार (आउटरीच) तथा सुलभता को सुदृढ़ बना रही हैं, वहीं ब्रेल क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए हमारी समावेशी प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। उन्नति पथ' कार्यक्रम के साथ–साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर को बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया जाना, महिला सशक्तिकरण एवं प्रगतिशील मूल्यों के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। बैंक 'पीएनबी खेल उत्सव' एवं 'ताल तरंग' जैसी पहलों के माध्यम से कार्मिक सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। 'पीएनबी स्पर्श' जैसी पहलों के माध्यम से कार्मिकों के कल्याण को और सुदृढ़ किया जाता है, जो पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहयोग की सुलभता प्रदान करती हैं।								

क्र. सं.	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
हम किसान प्रशिक्षण केंद्रों, एफएलसी, आरएसईटीआई एवं ग्रामीण विकास केंद्रों सहित किसानों, स्वयं सहायता समूहों तथा एमएसएमई हेतु वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से स्व–रोजगार और ग्रामीण विकास को निरंतर बढ़ावा दे रहें हैं। स्वयं सहायता समूहों हेतु हमारा सतत वित्तपोषण जमीनी स्तर पर उद्यमिता को सुदृढ़ बनाता है तथा सामाजिक उत्थान में सहायक है। गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, बैंक पारदर्शिता, नैतिक आचार–व्यवहार एवं उत्तरदायित्व के उच्चतम मानदंडों का अनुपालन निरंतर सुनिश्चित कर रहा है। सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, सशक्त अनुपालन तंत्र तथा संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर क्षमता संवर्धन सभी स्तरों पर गवर्नेंस पद्धति को बल प्रदान करते हैं। जलवायु जोखिम, नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित वित्तपोषण पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्मिकों को बदलती सततता प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं 'साइबर रन' जैसी पहलें जागरूकता बढ़ाने तथा संगठनात्मक सहभागिता को सुदृढ़ करने में सहायक हैं। बैंक के प्रयासों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बीएफएसआई ब्रांड्स–ईटी एज, सरकारी योजनाओं को लागू करने में सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए सीआईएमएस एमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक श्रेणी के पुरस्कार शामिल हैं।बैंक को फिनटेक, डीपीआई अंगीकरण एवं डिजिटल वित्तीय समावेशन हेतु 21वें आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड तथा इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस अवार्ड, कार्यबल विकास एवं ज्ञान एकीकरण में उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए, सततता हमारी रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बनी रहेगी, जो जिम्मेदार विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबल प्रदान करने एवं सभी हितधारकों हेतु दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करने के साथ–साथ, हम अपने परिचालन को सततता नेतृत्व, सामाजिक समावेशिता तथा सुदृढ़ गवर्नेंस पद्धति के अनुरूप संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।								
8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री डी.सुरेन्द्रन कार्यपालक निदेशक (डीआईएन संख्या. 10174317)								
9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ। सततता संबंधी मामलों का संचालन सततता एवं सुदृढ़ता समिति (एसएआरसी) द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति (बोर्ड की उप–समिति) को भी विशिष्ट सततता संबंधी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व सौंपी गई हैं।								
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:									

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी?									आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ कोई अन्य – कृपया बताएं)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बैंक बोर्ड नीतियों की समीक्षा करता है और समीक्षा के पश्चात आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।									वार्षिक								
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	बैंक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन, लागू विनियमों का अनुपालन कर रहा है।									वार्षिक								

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	**पी** 1	**पी** 2	**पी** 3	**पी** 4	**पी** 5	**पी** 6	**पी** 7	**पी** 8	**पी** 9
	पी 7– बैंक की हरित, सामाजिक एवं सततता से संबन्धित गतिविधियों / परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण संरचना की केयर एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाह्य समीक्षा की गई है।								

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:									
प्रश्न	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी 9**
संस्था अपने कारोबार के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

अनुभाग सी: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाई के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रुप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रुप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणीके व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	26	समस्त • मौद्रिक नीति संरचना और वित्त • बैंकिंग में एआई और जनरेटिव एआई, बैंक का परिचालन लचीलापन, बोर्ड सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रम, बैंकिंग की पुनर्कल्पना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और जलवायु परिवर्तन • बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी के शीर्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनुपालन और जोखिम पर कार्यक्रम, • वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड सदस्यों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर संगोष्ठी, • साइबर–सक्षम धोखाधड़ी और मनी म्यूल खातों पर बैंकों के साथ कार्यशाला, • वंचित बहुसंख्यकों तक वित्तीय पहुँच बनाना • शीर्ष टीम सक्रियण।	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	10	सिद्धांत 1, 3, 6, 7, • रणनीतिक बढ़त– जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का नेतृत्व भविष्य की सोच से मिलता है • नेतृत्व विकास कार्यक्रम, • बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं एनबीएफसी के मुख्य वित्तीय अधिकारियों का सम्मेलन, एफआईबीएसी 2025, • बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के नेतृत्व के लिए 'बैंकिंग की पुनर्कल्पना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और जलवायु परिवर्तन' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। • बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए प्रस्तावित ईसीएल विनियमों का सरलीकरण • अपेक्षित क्रेडिट क्षति क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	100%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	3403 (ऑनलाइन: 266 भौतिक: 3108 हाइब्रिड: 29)	समस्त • कार्यस्थल पर नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का कार्यक्रम, • आधारभूत केवाईसी, साइबर सुरक्षा जागरूकता,धोखाधड़ी की रोकथाम और म्यूल खाते, I4C, निवारक सतर्कता, जोखिम और अनुपालन संस्कृति, POSH और लैंगिक विविधता, • ईएसजी/जलवायु जोखिम/सतत वित्त, ग्राहक सेवा और आंतरिक/आरबीआई लोकपाल योजनाएँ, डीपीडीपी अधिनियम 2023, पीसीआईडीएसएस • दिव्यांगता जागरूकता और समावेशिता के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना, समानता और विविधता (दिव्यांगजन), • अग्नि सुरक्षा जागरूकता, • संवर्धित उचित सावधानी और थ्रेशहोल्ड सीमा, • पलाश 3.0, • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, • व्हिसल ब्लोअर नीति, • बैंक के विज़न, मिशन और मूल्यों के बारे में जागरूकता	86.36%
कामगार कर्मचारी	लागू नहीं		

**केएमपी पद के अंतर्गत सीएफओ और सीएस पर विचार करते हुए।*

2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/ केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने / दंड / सजा / अधिनिर्णय / यौगिक शुल्क / निपटान राशि का विवरण। (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):

	मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**नियामक/प्रवर्तन/ एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम**	**राशि (भारतीय रुपये में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है? (हां/ नहीं)**
दंड/जुर्माना*	शून्य				
समझौता	शून्य				
चक्रवृद्धि शुल्क	शून्य				

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन/ एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/ नहीं)
गैर– मौद्रिक**					
कारावास	शून्य				
सज़ा					

**सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट महत्व के आधार पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।*
*** स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं के महत्व (मैटेरियलिटी) को निर्धारित करने संबंधी बैंक की नीति के अनुसार, वर्ष 2025–26 में स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।*

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदी अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियाँ/ न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक के पास निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से अनैतिक व्यवहारों, भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और धन की हेराफेरी की जाँच करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह निवेशक और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने और संगठन की दक्षता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित व्यवहारों को सुनिश्चित करना और बैंक के हितों की रक्षा करना और सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। यह नीति https://www.pnb.bank.in/whistle.blower.policy.html. वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त बैंक के पास कोई अन्य चैनल भी है जिनके माध्यम से ग्राहक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की घटनाओं की रिपोर्ट जैसे बैंक का ऑन–लाइन शिकायत निवारण पोर्टल सेंट्रलाइज्ड ग्रिवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (CGRMS), संपर्क केंद्र, ईमेल care@pnb.bank.in पर कर सकते हैं।

5. निदेशकों / केएमपी / कर्मचारियों /श्रमिकों की संख्या जिनके विरूद्ध रिश्वतखोरी / भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2025–26		वित्त वर्ष 2024–25	
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

उपर्युक्त तालिका 5 और 6 में यथा–उल्लेखित ऐसा कोई मामला नहीं है।

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/ सेवाओं की लागत):

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
देय खातों के दिनों की संख्या	55 दिन	54 दिन

देय खातों के दिनों की संख्या की गणना इस प्रकार की जाती है: देय व्यय / परिचालन व्यय (जैसे– मूल्यह्रास एवं वेतन) 365*

9. कारोबार का खुलापन

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	मेट्रिक	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
खरीदारी का संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक	लागू नहीं	
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है।		
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी		
बिक्री का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को की गई बिक्री		
	ख. डीलरों / वितरक की संख्या जिनकी बिक्री की जाती है।		
	ग. डीलरों / वितरकों को की गई कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों / वितरकों को बिक्री		
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/ कुल खरीद)	0.00%	0.00%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/ कुल बिक्री)*	0.78%	0.51%
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	0.70%	0.92%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	0.92%	0.00%

**इसमें ऋण समनुदेशन पर प्राप्त ब्याज एवं अन्य शुल्क, रॉयल्टी, प्राप्त किराया, कमीशन, प्राप्त लाभांश आदि सम्मिलित हैं।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमः

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
–		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हां, बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने की प्रक्रियाएं बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता में शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में पुष्टि निदेशकों से ज्वाइनिंग के समय और उसके बाद वार्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है।

सिद्धांत 2: कारोबार को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हो

अनिवार्य संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास एवं पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	शून्य
पूंजीगत व्यय	0.39%*	शून्य	वित्त वर्ष 2025–26: सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण का समर्थन करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होता है। यह पहल हितधारकों के बीच स्थिरता के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देती है और अप्रत्यक्ष हरित रोजगार के अवसरों का समर्थन करती है, जो भारत में राष्ट्रीय जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।

**वित्तीय वर्ष 2025–26 में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना के लिए ₹ 4.63 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2025–26 में बैंक के ₹ 1180 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय का 0.39% है। इस % में सॉफ्टवेयर खरीद से संबंधित व्यय शामिल नहीं है। बैंक के देश भर में फैले 65 भवनों को कवर करने वाली कुल 1504 किलोवाट सौर क्षमता स्थापना की परियोजना वित्तीय वर्ष 2024–25 में शुरू की गई थी और वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूरी हुई। इस परियोजना में 31.03.2026 तक परियोजना लागत के 70% हिस्से का भुगतान कर दिया गया है।*

2. क. क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)

चूंकि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, इसलिए परिचालन के लिए कागज को छोड़कर सामग्री की खरीद महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यालय के लिए अन्य खरीद के लिए, बैंक के पास एक खरीद नीति है जिसमें स्थिरता सोर्सिंग दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, जैसे ऐसी इकाइयों की स्टार रेटिंग के लिए न्यूनतम सीमा की खरीद, ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए न्यूनतम मानक।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये ?

इन इनपुट को वर्तमान में हमारी रिपोर्टिंग में मात्राबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमा स्वीकार करना और वित्तपोषण प्रदान करना शामिल है। बैंक के मुख्य कारोबार संचालन की तुलना में स्थायी साधनों के माध्यम से प्राप्त इनपुट का अनुपात न्यूनतम रहता है। फिर भी, बैंक अपने खरीद दिशानिर्देशों के अनुपालन में वस्तुओं का स्रोत बनाता है, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों द्वारा परिचालित नीति सामान्य वित्तीय नियम शामिल होते हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, रिसाइक्लिंग और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक के उत्पादों/सेवाओं में प्लास्टिक या किसी अन्य खतरनाक और गैर–खतरनाक सामग्रियों का महत्वपूर्ण उपयोग शामिल नहीं है। इसलिए, प्लास्टिक और अन्य खतरनाक कचरे के मामले में जीवनकाल के अंत (एंड ऑफ लाइफ) में उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण एवं निपटान लागू नहीं होता है। यद्यपि, बैंक के ई–कचरे के मामले में, सीपीसीबी/दिल्ली एसपीसीबी के माध्यम से ई–कचरा स्क्रैप डीलरों द्वारा निपटान किया जाता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करें।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बैंक की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) संचालित किया है ? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवाओं का नाम	कुल कारोबार का % योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) यदि हां तो वेब–लिंक प्रदान करें।
लागू नहीं, क्योकि बैंक विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते है, जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से जिसकी पहचान की गई है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ–साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद का नाम/सेवा	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) (मूल्य के अनुसार) में उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री का उल्लेख करें	उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
लागू नहीं, क्योकि बैंक विनिर्माण गातिविधियों में संलग्न नहीं हैं		

4. उत्पादों की उपयोग क्षमता की समाप्ति पर बेकार उत्पाद से तैयार माल और पैकेजिंग, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटाए गए उत्पाद की मात्रा (मीट्रिक टन में):

	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित ढंग से नष्ट किया गया	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित ढंग से नष्ट किया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	बैंक के उत्पाद/सेवाएं प्रयोग के बाद अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता हैं; इसलिए बैंक द्वारा ऐसे किसी अपशिष्ट पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है।					
ई–कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं	

सिद्धांत 3 कारोबारों को अपने मूल्य शृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का वितरणः

वर्ग	कुल (क)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं*	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
	स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	77036	77036	100	77036	100	0	0	77036	100	77036	100
महिला	26148	26148	100	26148	100	26148	100	0	0	26148	100
कुल	103184	103184	100	103184	100	26148	25.34	77036	74.66	103184	100
	स्थायी कर्मचारी के अतिरिक्त										
पुरुष	7	शून्य									
महिला	2										
कुल	9										

** बैंक ऑन–साइट शिशुगृहों के माध्यम से डे केयर सुविधाएं प्रदान करता है, जो वर्तमान में द्वारका (दिल्ली), गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, पंचकूला और भीकाजी कामा (दिल्ली) में संचालित हैं।*

इन केंद्रों पर नियुक्त कार्मिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अन्य कार्मिक ऑफ–साइट तथा निजी बाल देखभाल सुविधाओं हेतु उनके द्वारा किए गए व्यय/सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

ख. कार्मिकों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरणः

वर्ग	कुल (क)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या ख	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
	स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
	स्थायी कर्मचारी के अतिरिक्त										
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण के हेतु किए गए उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	संबंधित श्रेणी में जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.33%	0.29%

2. चालू वित्तीय वर्ष और गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	0.13%	लागू नहीं	हाँ *	0.16%	लागू नहीं	हाँ *
ग्रेच्युटी	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य–पेंशन	17.10%	लागू नहीं	हाँ *	19.34%	लागू नहीं	हाँ *
अन्य–एनपीएस	82.77 %	लागू नहीं	हाँ	80.50%	लागू नहीं	हाँ

** बैंक के स्वयं के पीएफ और पेंशन ट्रस्ट में कटौती एवं जमा*

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ है? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे है।

- बैंक सुनिश्चित करता है कि रैंप सुविधा एवं दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं के माध्यम से उसके सभी कार्यालय एवं शाखाएं दिव्यांगजनों (कार्मिक/ग्राहक) के लिए पहुँच योग्य हों । बैंक के अपने भवनों के निर्माण और लीज़ के आधार पर परिसर किराए पर लेने के दौरान इसका ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में तीन शाखाओं में सीढ़ीदार लिफ्ट/प्लेटफ़ॉर्म लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं।
- दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के दिशा–निर्देश बैंक द्वारा लीज़ परिसर किराए पर लेने की नीति में शामिल किए गए है। इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार को नियमित आधार पर इसके अनुपालन की सूचना भी दी जाती है।
- इसके अलावा, बैंक दिव्यांगजनों को डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी भी प्रदान करता है।
- दिनांक 31.03.2026, तक बैंक के कुल 11065 एटीएम में से 10,583 एटीएम (अर्थात 95.64% एटीएम) तथा बैंक की कुल 10,324 शाखाओं में से 8,877 शाखाओं (अर्थात 85.98% शाखाएं) में रैम्प की सुविधा है। शेष शाखाओं (14.02%) और एटीएम (4.36%) के लिए रैंप सुविधा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा, दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए कुल 1249 शाखाओं में टैक्टाइल गाइडिंग पाथ (स्पर्श मार्ग) भी प्रदान किया गया है। जहां लीज़ पर किराए पर लिए गए परिसरों में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहाँ अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की गई है।
- साथ ही, बैंक दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तः दृष्टि नाम से ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है।. इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में बिंदु अंकित हैं, जिससे ग्राहकों को बैंक और उनके कार्ड की पहचान करने में सहायता मिलेगी। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएं हैं, पीएनबी एटीएम मानक कीपैड से लैस हैं, जिनमें संख्यात्मक कुंजियों पर उभरे हुए निशान हैं और इसके उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए "एंटर," "कैंसल," और "क्लियर" जैसी संचालन कुंजियाँ हैं।

4. क्या इकाई के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, बैंक के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है। समान अवसर का अर्थ है कि सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर न्यायोचित, निष्पक्ष और सभी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए समान पहुंच का अनुभव हो।यह एक समावेशी कार्य के वातावरण को बढ़ावा देता है जो अपने कर्मचारियों की विविध, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है और स्वीकार करता है। पंजाब नैशनल बैंक एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है और जहां हर कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। वर्तमान नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य वातावरण समावेशी हो और विकलांग लोगों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो।

समान अवसर नीति पंजाब नैशनल बैंक की भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू होगी और इसमें बैंक में कार्यरत सभी दिव्यांग व्यक्तियों तथा अपनी सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। यह नीति रोजगार के सभी पहलुओं पर लागू होती है जो भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य की स्थिति, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाएं और भत्ते, स्थानांतरण और तैनाती से लेकर अलगाव आदि तक होती है। इस नीति को हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.pnb.bank.in/ पर ग्राहक देखा जा सकता है।

5. स्थायी कर्मचारियों और पितृत्व अवकाश लेने वाले कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर*	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	99.81 %	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	99.59 %	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	99.72 %	लागू नहीं	लागू नहीं

** उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मातृत्व/पितृत्व अवकाश वित्त वर्ष 2024–25 में समाप्त हो गया और वित्त वर्ष 2025–26 31.03.2026 तक) में उन्होंने (त्यागपत्र) किसी भी कारण से बैंक छोड़ दिया है।*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, बैंक के कर्मचारियों के सामने आने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए बैंक के पास 'पीएनबी समाधान' नामक एक औपचारिक मंच है, जिसके लिए एचआरएमएस में एक कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि वे एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें। एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन मामलों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने हेतु पीएनबी संपर्क पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हाँ, वे संबंधित विभाग को अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

वर्ग	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा है (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	103184	99820	96.74%	102746	100360	97.68%
पुरुष	77036	74360	96.52%	77204	75306	97.54%
महिला	26148	25460	97.37%	25542	25054	98.09%
कुल स्थायी कामगार	लागू नहीं					
पुरुष						
महिला						

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण विवरण:

वर्ग	कुल (क)	वित्त वर्ष 2025–26				कुल (घ)	वित्त वर्ष 2024–25			
		स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर			स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (च)	% (च/क)
कर्मचारी										
पुरुष	77036	66645	86.51	69935	90.78	77204	28658	37.11	48139	62.35
महिला	26148	22476	85.95	23199	88.72	25542	7015	27.46	12995	50.87
कुल	103184	89121	86.37	93134	90.26	102746	35673	34.72	61134	59.50
कामगार										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	77204	77204	100%	77359	77359	100%
महिला	25542	25542	100%	24990	24990	100%
कुल	102746	102746	100%	102349	102349	100%
कामगार						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

समस्त कार्मिकों (अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग) के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन/समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, आँकड़ों को पुनर्गठित किया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया गया था। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2024–25 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पहले केवल अधिकारियों का डेटा प्रदान किया गया था। अब, समस्त कार्मिकों के लिए संशोधित डेटा प्रस्तुत किया गया है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्षेत्र क्या है?

हां, मानक मानदंडों के अनुसार, बैंक ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

बैंक की सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है। जोखिम/खतरों की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए अच्छी तरह से परिभाषित जांच सूची और निरीक्षण/लेखा परीक्षा के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, किसी भी घटना की स्थिति में, यदि घटना के दौरान सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच में कोई गैप पाया जाता है तो गैप का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने तथा इकाई द्वारा नियमित एवं गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन–सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है?

बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा तथा नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए एक संरचित और सक्रिय दृष्टिकोण का पालन करता बैंक के सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है।

- बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित रूप से सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है।
- सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारियों द्वारा विभिन्न अग्नि संबंधी जोखिमों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक/शाखा कार्यालयों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही है। सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारी शाखाओं के अपने अनिवार्य दौरों के दौरान शाखा कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा और अग्नि संबंधी जोखिमों के बारे में भी जानकारी देते हैं
- शाखाओं/कार्यालयों का नियमित विद्युत ऑडिट सक्रिय कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत स्थापना के कारण आग के खतरों की संभावना कम होती है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है, और बिजली बिलों में लागत बचत होती है।

  इसके अलावा, किसी भी घटना के मामले में, यदि सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा घटना की जांच के दौरान कोई गैप पाया जाता है तो गैप का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएं है? (हाँ/नहीं)

लागू नहीं

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है?(हाँ/नहीं)

हाँ, बैंक के पास अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना । इसके अलावा, कर्मचारियों को अपना और अपने पति/पत्नी के स्वास्थ्य का समय पर उचित ध्यान रखने में सहायता करने के लिए, बैंक के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों (35 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के) (उनके पति/पत्नी सहित) को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

बैंक ने केंद्रीय स्तर पर 2 अनुभवी मनोवैज्ञानिकों/वेलनेस टेली–परामर्शदाताओं अर्थात एक मनोवैज्ञानिक मातृत्व अवकाश के पश्चात काम पर लौटने वाली महिला कर्मचारियों को परामर्श प्रदान करने के लिए तथा एक मनोवैज्ञानिक सभी कर्मचारियों के लिए को नियुक्त किया है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेनसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति काम के घंटे)	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

**संविदा कार्यबल सहित*

- चूंकि बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है और निर्माण स्थलों पर कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए बैंक में कम करते समय मृत्यु या चोट लगने की घटनाएं बहुत कम होती है।
- इसके अलावा, बैंक को ऐसे आंकड़ें रखने की आवश्यकता नहीं है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

- बैंक मानता है कि सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उसकी सफलता और विकास का अभिन्न अंग है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी प्रमुख जोखिमों में परिसर, शाखा, प्रशासनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा और एटीएम सुरक्षा, करेंसी चेस्ट और पारगमन में नकदी की सुरक्षा, परिसर की विद्युत सुरक्षा आदि शामिल है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अग्नि सुरक्षा नीति, शारीरिक सुरक्षा नीति आदि जैसी विभिन्न नीतियां बनाई है।
- बैंक अग्नि सुरक्षा उपकरण और सीसीटीवी निगरानी स्थापित करके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करता है। बैंक की नीति दिसानिर्देशों के अनुसार अग्निशमन अधिकारियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा आयोजित करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, बैंक ने स्वतंत्र लेखापरीक्षकों से नियमित अंतराल पर अपने सभी परिसरों का विद्युतीय ऑडिट कराने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश बनाए हैं।
- भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य नकदी हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
- स्वस्थ कार्यस्थल के लिए बैंक ने बैंक के मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र आदि प्रमुख भवनों में जिम सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं स्थापित की हैं। कार्यालय परिसर में बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए, बैंक के परिसर उचित वेंटिलेशन सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

  इसके अलावा, बैंक के पास शाखा परिवेश के संबंध में एक नीति है, जिसमे अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य परिस्थितियां	शून्य					
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाएं	100% शाखाओं का विद्युतीय लेखापरीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से 2 वर्ष की अवधि में एक बार कराया जाता है।
कार्य परिस्थितियां	सभी शाखाओं के वातावरण का मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जाता है तथा मूल्यांकन से प्राप्त टिप्पणियों के समाधान के लिए बैंक के आंतरिक पोर्टल के माध्यम से उपाय किए जाते हैं।

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में, बैंक नियमित रूप से जोखिमों का आकलन करता है और सुरक्षा संबंधी घटनाओं एवं उभरती चिंताओं के समाधान के लिए सुधारात्मक और निवारक उपाय लागू करता है। तथापि, भौतिक जोखिम के मामले में बैंकिंग क्षेत्र सामान्यतया एक कम जोखिम वाला उद्योग है, फिर भी बैंक कर्मचारियों के कल्याण, कार्यस्थल की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों से संबंधित परिचालन जोखिमों की पहचान करने में सतर्क रहता है।

बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को आग जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी, अग्निशामक उपकरणों के संचालन आदि के बारे में जानकारी देता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक के कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं और ऐसी कोई घटना न घटे सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नही) (ख) कामगारों (हां/नही) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

हां, बैंक मृतक कर्मचारी के परिजनें को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करता है। मृतक कर्मचारी के

जीवनसाथी/आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जाती है। कर्मचारी के सेवांत लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।**

लागू नहीं

3. **ऐसे कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट/ बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया:**

	प्रभावित कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है	
	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगार	लागू नहीं			

4. **क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार प्रदान करने और आजीविका के समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

हाँ, सेवानिवृत्त होने वाले समस्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के अंतिम माह में ट्रांज़िशन असिस्टेंस ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में सेवानिवृत्त होने वाले 1,113 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में सेवानिवृत्ति के प्रबंधन के साथ–साथ बैंक में और बैंक के बाहर उपलब्ध अवसरों पर भी सत्र शामिल थे।

5. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाएं	शून्य
कार्य परिस्थितियां	

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 4: कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हितधारकों की पहचान करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

हितधारकों की पहचान बैंक द्वारा संबंधों, अंतःक्रियाओं और कारोबार के प्रदर्शन, बैंक संचालन और कारोबार पर पड़ने वाले उनके मूल्य संवर्धन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर की गई है। एक बैंक एक परस्पर जुड़े हुए विश्व में काम करता है और इसके हितधारकों पर इसकी गतिविधियों के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।

हमारे बैंक के प्रमुख हितधारक समूहों में मुख्य रूप से शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, भारत सरकार, नियामक और समुदाय शामिल हैं। बैंक का कार्य हितधारकों को सहायता करना और बैंक के संचालन और प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में हितधारकों को शामिल करना है। हितधारकों के समूहों के साथ नियमित चर्चा की जाती है ताकि उनकी अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें कुशल तरीके प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

पीएनबी अपने सभी हितधारकों को असाधारण बैंकिंग सेवाएं और रिटर्न प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ व्यवसाय की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/तिमाही/अन्य–कृपया उल्लेख करें)	कारोबार के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित कारोबार का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें	तिमाही, आवश्यकता के आधार पर	• लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के लिए अनुमोदन • लाभांश की घोषणा • इक्विटी पूंजी जुटाना • निवेशकों/विश्लेषकों आदि के साथ बातचीत आम बैठकों के दौरान उठाए गए प्रश्नों/चिंताओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।
कार्मिक	हाँ, कर्मचारियों का निम्नलिखित समूह : विशेष योग्यता वाले कर्मचारी	आंतरिक संचार जैसे ईमेल और परिपत्र, वेबिनार, टाउनहॉल बैठकें, क्षेत्रीय प्रबंधकों के सम्मेलन, समाधान पोर्टल, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संबोधन, समाचार पत्र और प्रकाशन	नियमित	कर्मचारियों की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें संबोधित करना, साथ ही कर्मचारियों को प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराना। इसके अतिरिक्त यह कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों का उचित तरीके से समाधान करने का भी प्रयास करता है।
ग्राहक	हाँ, विशेष रूप से ग्राहकों के निम्नलिखित समूह : वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्यता वाले नागरिक	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, वेबसाइट	दैनिक/निरंतर	बेहतर सेवाएँ और विपणन
सरकार	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	आवश्यकता के आधार पर	बैंक का प्रदर्शन, दिशा–निर्देशों का अनुपालन
विनियामक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें, ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी	आवश्यकता के आधार पर	बैंक का प्रदर्शन. दिशा–निर्देशों का अनुपालन

नेतृत्व संकेतक

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।**

बैंक ग्राहक प्रतिक्रिया, कर्मचारी सर्वेक्षण, विक्रेता बैठकें और सीएसआर परामर्श जैसे संरचित तंत्रों के माध्यम से समय–समय पर हितधारक सहभागिता आयोजित करता है। इन सहभागिता आयोजनों से प्राप्त तथ्यों को संबंधित फंक्शनल टीमों द्वारा संकलित किया जाता है और तिमाही ईएसजी / सीएसआर अपडेट और जोखिम रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाता है। कर्मचारी कल्याण, जलवायु–संबंधी जोखिम और सामाजिक प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों की समीक्षा बोर्ड या संबंधित समितियों (जैसे, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति) द्वारा रणनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए की जाती है।

- आम बैठकों में शेयरधारकों के साथ कार्यसूची मदों जैसे लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति, लाभांश की घोषणा, इक्विटी पूंजी जुटाना, शेयरधारक निदेशक का चुनाव आदि पर चर्चा भी की जाती है, जिसमें बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सहित बैंक के निदेशक मौजूद होते हैं और शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को रिकॉर्ड में लिया जाता है।
- विनियामकों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मान्यता देते हुए, बैंक बैठकों, सम्मेलनों और लिखित संचार संरचित ढ़ांचा के माध्यम से संवाद स्थापित करता है। ये चर्चाएं नए शुरू किए गए विनियमों, अनुपालन आवश्यकताओं और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में व्यापक मुद्दों पर खुली बातचीत को बढ़ावा देती है। विनियामक प्राधिकरणों (जैसे, आरबीआई,सेबी) के साथ महत्वपूर्ण बैठकों या चर्चाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है, और निगरानी और निर्देश के लिए प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- बैंक अपने कर्मचारियों के साथ खुला संवाद बनाए रखता है और कर्मचारी सर्वेक्षण, 'टाउन हॉल मीटिंग, संचार पोर्टल और ईमेल जैसे कई चौनलों के माध्यम से फीडबैक को प्रोत्साहित करता है। सभी सुझावों और चिंताओं का उचित संगठनात्मक स्तरों पर दस्तावेजीकरण और चर्चा की जाती है। जहाँ भी संभव हो, प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती है, जिससे निरंतर सुधार और समावेशिता की संस्कृति में योगदान मिलता है।
- बैंक अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी समझता है और विभिन्न चैनलों पर ऋण में आसानी के लिए ग्राहकों की पसंद को पूरा करने के लिए नए उत्पाद पेश करता है। बैंक शाखाओं के दौरे, सर्वेक्षण, क्यूआर फीडबैक सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों और अन्य मामलों के बारे में ग्राहकों से चर्चा करता है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

हाँ, पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है। बैंक अपने हितधारकों के लिए सबसे प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान करने और नीतियों और कार्यक्रमों के नियमित अपडेट के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए निरंतर आधार पर अपने प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ता है।

इस संरचित सहभागिता के माध्यम से बैंक संभावित ईएसजी जोखिमों औरावसरोन का आकलन करने में भी सक्षम रहा है, जिससे बैंक उत्तरदायी रणनीतियों को विकसित करने में सक्षम हुआ है, जो नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं और सकारात्मक परिणामों को बढ़ाते हैं।

हितधारकों के इनपुट के आधार पर, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं के समर्थन के लिए हरित वित्तपोषण योजना समाधान प्रस्तुत किए।

वंचित समुदायों से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन पहल को बढ़ावा मिला, जिसमें सरलीकृत डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ और वित्तीय साक्षारता कार्यक्रम शामिल है।

कर्मचारियों के फीडबैक से बैंक की समान अवसर नीति को मजबूत बनाने तथा अधिक समावेशी और विस्तृत कार्यस्थल को बढ़ावा देने में मदद मिली।

3. **कमजोर/ वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ संबद्धता के उदाहरणों का विवरण दें ।**

- बैंक समाज के वंचित, बैंकिंग सेवाओं से रहित और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों की मदद करता है जिससे वे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। इन वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू की है।
- बैंक लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालयध्शाखाएं दिव्यांगजनों (कार्मिकों तथा ग्राहकों को दोनों को बिना किसी और सुविधा) के लिए सुलभ हो इसके लिए रैंप सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अनुकूल आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही, बैंक दृष्टीबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तःदृष्टि नामक ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में डॉट्स उभरे हुए हैं, जिससे ग्राहक बैंक और अपने कार्ड की पहचान कर सकते हैं। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएँ हैं, पीएनबी एटीएम अपने उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए संख्यात्मक कुंजियों और परिचालन कुंजियों जैसे कि 'एंटर', 'कैंसल' और 'क्लियर' पर उभरे हुए चिह्नों सहित मानक कीपैड के साथ है।
- बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग आदि हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस प्रयोजन पर 1294.71 लाख रुपये व्यय किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तत्वावधान में 78 आरसेटी और भारत में 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी पहल) संचालित हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उपक्रम और रोज़गार शुरू करने हेतु कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इन केंद्रों में 69,798 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 57,120 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के हैं और 56,914 महिलाएं थीं। हमारे आरसेटी समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- बैंक के पास 163 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जो वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर कई सेमिनार/कार्यक्रम/शिविर आयोजित करते हैं। एफएलसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं।

सिद्धांत 5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	कुल (क)	शामिल किए गए कार्मिकों / कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	शामिल कार्मिक कामगार की सं. (घ)	% (घ/ग)
कार्मिक						
स्थायी	103184	89121	86.37	102746	35673	34.72
स्थायी के अतिरिक्त	–					
कुल कार्मिक	103184	89121	86.37	102746	35673	34.72
कामगार						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अतिरिक्त						
कुल कार्मिक						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025–26					वित्त वर्ष 2024–25				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं.(ङ)	% (ङ/घ)	सं.(च)	% (च/घ)
कार्मिक										
स्थायी	103184	शून्य	शून्य	103184	100 %	102746	शून्य	शून्य	102476	100 %
पुरुष	77036	शून्य	शून्य	77036	100 %	77204	शून्य	शून्य	77204	100 %
महिला	26148	शून्य	शून्य	26148	100 %	25542	शून्य	शून्य	25542	100 %
स्थायी के अतिरिक्त	9	शून्य	शून्य	9	100 %	लागू नहीं				
पुरुष	7	शून्य	शून्य	7	100 %					
महिला	2	शून्य	शून्य	2	100 %					
कामगार										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अतिरिक्त										
पुरुष										
महिला										

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी

	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन /मजदूरी	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन /मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*	3	रु 18,40,000/-	1	रु 21,50,000
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक%	7	रु 41,55,116^	-	-
निदेशक मण्डल और केएमपी के अतिरिक्त अन्य कार्मिक	77,036	रु 12,55,289^	26,148	रु 11,36,363^
कामगार	लागू नहीं			

**औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी की गणना वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए सिटिंग फीस के आधार पर की गई है। 31.03.2026 तक, बैंक के निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।*

 # केएमपी में शामिल हैं – क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; ख) कार्यपालक निदेशक; ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा घ) कंपनी सचिव

^ मार्च 2026 तक बेसिक और डीए के आधार पर

ख. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा महिलाओं को दिये गए कुल वेतन के प्रतिशत के रूप मे सकल वेतन:

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	24.09%	22.63%

4. **क्या आपके पास कारोबार द्वारा मानवाधिकारों को प्रभावित करने या इसके कारण उत्पन्न या इससे जनित मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई केन्द्रित बिन्दु (व्यक्तिगत/समिति) (हां/नहीं)– मानव संसाधन विकास**

हां, प्रधान कार्यालय–मानव संसाधन विकास (आरक्षण प्रकोष्ठ) में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है।

5. **मानवाधिकार मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें**

बैंक के पास कार्मिकों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल "समाधान" है, जहाँ मानवाधिकार संबंधी शिकायतों सहित सभी शिकायतें की जा सकती हैं। बैंक के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण,"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक बेहतर स्थापित नीति है। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के इरादातन या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। बैंक बाल या जबरन श्रम के सभी रूपों पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाता है।

बैंक ने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचने के लिए समान अवसर नीति भी स्थापित की है।

यह भारत में स्थित पंजाब नैशनल बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू है और बैंक में सभी विकलांग व्यक्तियों को शामिल करेगी और जो अपनी सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान विकलांग हुए हैं। यह नीति रोजगार के सभी चरणों पर लागू होती है जो भर्ती एवम् प्रशिक्षण, कार्य स्थितयों, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाओं और स्थानांतरण और पदस्थापन से लेकर सेवामुक्ति आदि तक होती है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025–26			वित्त वर्ष 2024–25		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष की समाप्ति लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष की समाप्ति लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़	20	2	पॉश (POSH) के अनुसार आईसीसी जांच समय सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन है	24	6	
कार्यस्थल पर भेदभाव (विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राप्त)	39*	0		32*	0	
बाल श्रम	शून्य					
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य					
वेतन	शून्य					
अन्य मानवाधिकार संबंधी मामले	शून्य					

**कैलेंडर वर्ष*

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	20	24
पॉश (POSH) पर महिला कर्मचारियों/ कामगारों की शिकायतों का प्रतिशत	0.07%	0.09%

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
पॉश (POSH) पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	5	9

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कार्मिकों के हितों की रक्षा करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बैंक के कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु एक औपचारिक मंच "पीएनबी समाधान" उपलब्ध है तथा सभी कार्मिकों को एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायतें/ समस्याएं दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एचआरएमएस में एक सुविधा प्रदान की गई है। पीएनबी समाधान में सेवारत कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है, जिनका उनके काम पर असर पड़ता है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महाप्रबंधक के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, मंडल कार्यालय और अंचल कार्यालय स्तर पर भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रत्येक मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में आरक्षण सेल की स्थापना की गई है।
- मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर गौर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ित कार्मिक या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए। सकत गोपनीयता बनाए रखी जाती है, और शिकायतों का विवरण केवल आंतरिक समिति (आईएसी) के पास प्रकट होता है, जो निवारण के लिए उचित कदम उठाती है।
- इसके अतिरिक्त, बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अलग–अलग प्रावधान है, जो गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं और किसी भी गलत आचरण के खुलासे के बदले में कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। जांच अधिकारी को व्हिसल ब्लोअर की पहचान नहीं बताई जाती है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हां, बैंक मानवाधिकारों को कायम रखने की प्रथा का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए न्यूनतम मजदूरी, कामगारों का बीमा, कामगारों की सुरक्षा आदि के अनुपालन को अनुबंध का हिस्सा बनाया गया है।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या संवैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	लागू नहीं
जबरन/अनैच्छिक श्रम	लागू नहीं
यौन उत्पीडन	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	लागू नहीं
अन्य, कृपया उल्लेख करें	लागू नहीं

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकारों की शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

ऐसी कोई मानवाधिकार शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया की समीक्षा, संशोधन या कार्यान्वयन किया गया हो। हालाँकि, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसकी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ मौलिक मानवाधिकारों का सख्ती से पालन

करें, जैसा कि मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है। यह प्रतिबद्धता इसके संचालन के हर पहलू में दिखाई देती है, जो नैतिक और जिम्मेदार आचरण के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्मिकों को नैतिक व्यवहार, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और अपने सभी व्यावसायिक लेन–देन में ईमानदारी के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी जाँच के दायरे और कवरेज का विवरण।**

बैंक ने सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कोई भेदभाव न करने की नीति लागू की है। बैंक बोर्ड के समक्ष सभी गतिविधियाँ और निर्णय समुचित सावधानी के साथ करना सुनिश्चित करता है।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

बैंक दिव्यांग आगंतुकों की सभी कार्यालयों/शाखाओं में सुविधाजनक एवं बाधा रहित पहुंच बनाने के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित कर रहा है। स्थायी रैंप उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि, जिन मामलों में पट्टे पर लिए गए परिसरों में स्थायी रैंप संभव नहीं है, वहां अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है। हाल ही में तीन शाखाओं में स्टेयर लिफ्ट/प्लेटफॉर्म लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं। दिनांक 31.03.2026 तक, कुल 11,065 एटीएम में से 10,583 एटीएम (अर्थात् 95.64% एटीएम) और बैंक की कुल 10,324 शाखाओं में से 8,877 शाखाओं (अर्थात् 85.98% शाखाएँ) में रैंप की सुविधा है। शेष शाखाओं (14.02%) और एटीएम (4.36%) जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए 1249 शाखाओं में स्पर्शनीय मार्ग भी उपलब्ध कराया गया है।

बैंक विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के बैंकर गाइड का अनुगमन करता है। बैंक बिना किसी भेदभाव के दृष्टिबाधित सहित दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. **श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन विवरण:**

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीडन	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बल श्रम	
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	
अन्य, कृपया उल्लेख करें	

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में दिये गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में, कुल ऊर्जा उपभोग (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

मानदंड	वित्त वर्ष 2025–26 (गीगा जूल)	वित्त वर्ष 2024–25 (गीगा जूल)
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (क)*	2,555	1,036
कुल ईंधन उपभोग (ख)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग (ग)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	2,555	1,036
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (घ)#	8,32,043	8,62,117
कुल ईंधन उपभोग (ङ)#	2,61,966	2,62,236##
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग (च)	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)	10,96,564	11,24,353
कुल ऊर्जा उपभोग (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**10,96,564**	**11,25,389**
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा उपभोग / परिचालन से राजस्व लाख रुपये में)	0.07	0.08
क्रय शक्ति समता (पीपीपी*) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता** (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा उपभोग / संचालन से राजस्व) (लाख रुपये में)	1.52	1.65
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा उपभोग / पूर्णकालिक कर्मचारी)	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	10.62	11.01

*नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? – हां, **SEBI** दिशानिर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **BRSR** कोर हेतु बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक – मेसर्स उम्मेद जैन एंड कंपनी द्वारा उचित आश्वासन किया गया है*

** अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के स्वामित्व वाले भवनों में से प्रधान कार्यालय के 2 बड़े भवनों (द्वारका और गुरुग्राम भवन) तथा अन्य 47 भवनों (कुल 65 भवनों में से) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खपत के आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः इसमें बैंक के एटीएम और अन्य शेष भवनों पर स्थापित सौर संयंत्रों (सोलर प्लांट्स) से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है।*

*** पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए: 20.2 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2023) और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए: 20.42 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2024) है। वेबलिंक: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP\name-desc=false*

#प्रस्तुत अनवीकरणीय ऊर्जा के आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर बैंक की समस्त शाखाओं/कार्यालयों से संबंधित हैं।

##सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों में ईंधन की खपत की गणना की पद्धति में परिवर्तन के कारण ईंधन खपत की राशि की पुनर्गणना की गई है। विस्तृत विश्लेषण पर यह पाया गया कि मात्रा–आधारित डेटा की तुलना में व्यय–आधारित डेटा अधिक सटीक और विश्वसनीय था, अतः अब बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए गणना व्यय–आधारित डेटा से की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेनसेट में ईंधन की खपत की कोई पुनर्गणना नहीं की गई है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी दें, यदि कोई हो तो।

हमारे बैंक की पहचान नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में नहीं है, अतः यह लागू नहीं है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

मापदंड	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1,83,087	2,39,403
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) तृतीय पक्ष जल	10,28,741	9,94,275
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
जल निकासी का कुल आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	12,11,828	12,33,678
जल उपभोग का कुल आयतन (किलोलीटर में)	**12,11,828**	**12,33,678**
प्रति रुपया कारोबार पर जल की गहनता (कुल जल खपत/₹ लाख में परिचालन से राजस्व)	0.08	0.09
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपए कारोबार पर जल की गहनता (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व पीपीपी* के लिए समायोजित) (₹ लाख)	1.68	1.80
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की गहनता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल की गहनता (वैकल्पिक) (कुल जल खपत/पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या)	11.74	12.01

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच/आश्वासन किया गया है? (Y/N) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। हाँ, SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए BRSR Core हेतु बैंक के वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर –M/s Ummed Jain – Co- द्वारा 'उचित आश्वासन' (Reasonable Assurance) प्रदान किया गया है।

** पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए: 20.2 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2023) और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए: 20.42 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2024) है। वेबलिंक: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP\name-desc=false*

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2025–26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2024–25 (गत वित्त वर्ष)
गंतव्य और जल–शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)	बैंक औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं करता है। हालाँकि, उत्पादित सीवेज के लिए, बैंक ने हमारे कुछ बड़े कार्यालय परिसरों में सीवेज जल–शोधित संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करके सक्रिय कदम उठाए हैं। बैंक के अधिकांश कार्यालय देश भर में फैली शाखाएँ हैं, जहाँ सीवेज को स्थानीय दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्सरित किया जाता है, अर्थात् नगरपालिका या अन्य निकायों को निस्सरित किया जाता है, जहाँ नगर पालिकाओं में उपयुक्त उपचार किया जाता है। इसलिए, इसे बैंक की रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया गया है।	
(i) सतही जल		
– कोई जल शोधन नहीं		
– जल शोधन के साथ – कृपया जल शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
– कोई जल शोधन नहीं		
– जल शोधन के साथ – कृपया जल शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल		
– कोई जल शोधन नहीं		
– जल शोधन के साथ – कृपया जल शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्ष को भेजा गया		
– कोई जल शोधन नहीं		
– जल शोधन के साथ – कृपया जल शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई जल शोधन नहीं		
– जल शोधन के साथ – कृपया जल शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

नोट: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है, यदि कोई हो तो उल्लेख करें ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम। नहीं

5. क्या इकाई ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

बैंक के प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख इमारतों जैसे कि पीएनबी प्रगति टावर्स बीकेसी, मुंबई और गुरुग्राम में पीएनबी बिल्डिंग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इस प्रकार, इन इमारतों में बागवानी और शौचालय फ्लश के लिए एसटीपी से शोधित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, बैंक की 8 इमारतों जैसे कि प्रधान कार्यलय, द्वारका, दिल्ली, बीकेसी मुंबई, देहारादून प्रशिक्षण केन्द्रों एएलआई दिल्ली, एएलआई लखनऊ 1, एसटीसी लखनऊ 1, एसटीसी फरीदाबाद और एसटीसी लुधियाना में वर्षा जल संचयन प्रणाली भी लागू की गई है।

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
NOx	लागू नहीं		
SOx			
पर्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
संकटजनक वायु			
प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें			

नोटः क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है, यदि कोई हो तो उल्लेख करें ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम। लागू नहीं

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	10,075	10,194#
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	1,64,328	1,74,100
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य /राजस्व लाख ₹ में	0.01	0.01
क्रय शक्ति समता (PPP) हेतु समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता" (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / संचालन से राजस्व समायोजित किया गया पीपीपी)	पीपीपी के लिए समायोजित राजस्व (लाख रुपए)/आय के प्रति इकाई मीट्रिक टन CO2 समतुल्य	0.24	0.27
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक को चुना जा सकता है	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य /पूर्णकालिक कर्मचारी	1.69	1.79

नोटः कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच/आश्वासन किया गया है? (Y/N) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। हाँ, SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए BRSR Core हेतु बैंक के वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर – मेसर्स उम्मैद जैन एण्ड कंपनी द्वारा 'उचित आश्वासन' प्रदान किया गया है।

** पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिएः 20.2 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2023) और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिएः 20.42 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2024) है। वेबलिंकः https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP\name-desc=false*

सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की गणना की पद्धति में परिवर्तन के कारण 'स्कोप 1' उत्सर्जन की पुनर्गणना की गई है। विस्तृत विश्लेषण पर यह पाया गया कि मात्रा–आधारित डेटा की तुलना में व्यय–आधारित डेटा अधिक सटीक और विश्वसनीय है, अतः बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अब यह गणना व्यय–आधारित डेटा से की गई है, जबकि पहले यह गणना मात्रा–आधारित डेटा से की जाती थी।

#बैंक के स्कोप 1 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का उद्गम संगठन के स्वामित्व या नियंत्रण वाले प्रत्यक्ष स्रोतों से होता है। इनमें सम्मिलित हैं: (i) बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों में ईंधन का दहन; (ii) एयर कंडीशनिंग (एसी) और एचवीएसी प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट रिसाव से होने वाला फ्यूजिटीव उत्सर्जन; तथा (iii) नियमित फायर ड्रिल और सुरक्षा प्रदर्शनों के दौरान अग्निशामक यंत्रों के उपयोग से होने वाला CO2 उत्सर्जन। खपत किए गए ईंधन के लीटर की गणना करने के लिए ईंधन पर हुए व्यय के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारकः संस्करण 1, 2015 से लिया गया है। रेफ्रिजरेंट के जीडब्ल्यूपी कारक (उत्सर्जन को CO2 समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए) को जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की पांचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट 2014 से लिया गया है। रेफ्रिजरेंट के रिसाव और पुनर्भरण से होने वाले उत्सर्जन की गणना बैंक के प्रधान कार्यालय भवन और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए की गई है।

बैंक स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का उद्गम उसकी शाखाओं, कार्यालयों, डेटा केंद्रों तथा अन्य परिसरों के संचालन के लिए क्रय की गई बिजली की खपत से होता है। ये बाहरी ऊर्जा प्रदाताओं से क्रय की गई बिजली के उत्पादन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन हैं। खपत की गई बिजली की यूनिटों की गणना करने के लिए बिजली पर हुए व्यय के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रति यूनिट बिजली का उत्सर्जन कारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट 'भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए CO2 आधारभूत डेटाबेस, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका – दिसंबर 2024 का संस्करण 20.0 एवं नवंबर 2025 का संस्करण 21.0' से लिया गया है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

बैंक ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं और भविष्य के लिए योजना बनाई गई है, नीचे दी गई हैं:

क) जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत को कम करके जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक के स्वामित्व वाले भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है:

- बैंक परिसर में कुल स्थापित सौर क्षमता निम्नानुसार 3382 किलोवाट–पीक (KWp) है:
  - ✓ बैंक भवनों में 1228 किलोवाट–पीक (KWp) क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
  - ✓ संपूर्ण भारत में बैंक के स्वामित्व वाले विभिन्न मौजूदा भवनों में 1504 किलोवाट–पीक (KWp) की सौर ऊर्जा परियोजना वित्तीय वर्ष 2024–25 में शुरू की गई और वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण हो गई है।
  - ✓ वित्तीय वर्ष 2025–26 की अंतिम तिमाही में 182 शाखाओं (पट्टे पर लिए गए परिसर) में 650 किलोवाट–पीक (KWp) की सौर क्षमता स्थापित की गई है।
- बैंक की निर्माणाधीन बड़ी भवन परियोजनाओं में 583 किलोवाट–पीक (KWp) के सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारका और गुरुग्राम भवन में सौर क्षमता के संवर्धन (295 किलोवाट से बढ़ाकर 1403 किलोवाट तक) का कार्य अब शुरू कर दिया गया है।
- शेष शाखाओं में सौर ऊर्जा स्थापना का कार्य छत के अधिकारों की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए 5 स्टार एसी, वीआरएफ एसी, लाइट फिक्सर, पंखे आदि जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों की स्थापना और इस प्रकार जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करना।

ग) डीजल जेनसेट्स के स्थान पर प्रधान कार्यालय द्वारका भवन में प्राकृतिक गैस आधारित जेनसेट्स (2 Nos x 1000 केवीए) की स्थापना।

घ) बैंक अपने कार्यपालकों हेतु आई.सी. वाहनों के स्थान पर हाइब्रिड/ईवी अपनाने की योजना बना रहा है। दिनांक 31.03.2026 तक, अखिल भारतीय स्तर पर बैंक के कुल 1219 वाहनों के फ्लीट 12 ई–कारों का क्रय किया है एवं 201 माइल्ड हाइब्रिड कारें हैं।

ङ) बैंक ने ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। बैंक ने साइकिल से आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में साइकिल स्टैंड स्थापित किया है।

च) पूरे भारत में शाखाओं में डीजी सेट को हरित समाधान से बदलने के एक हिस्से के रूप में, ओपेक्स मॉडल पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के आधार पर सोलर हाइब्रिड यूपीएस सिस्टम की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें एक शाखा में 8.5 किलोवाट क्षमता की सोलर यूपीएस प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद, अन्य शाखाओं में इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इससे डीजी सेट में डीजल की खपत में कमी करके उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी।

छ) बैंक में स्थापित किए जा रहे सभी नए एसी और एसी संयंत्र, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए कम जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट गैस का उपयोग कर रहे हैं।

ज) बैंक की शाखाओं में एलईडी ग्लो साइन बोर्ड की स्थापना, जिसमें टाइमर सुविधा है।

झ) द्वारका, नई दिल्ली में स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय भवन फाइव स्टार जीआरआईएचए रेटेड भवन है। बैंक ग्रीन बिल्डिंग निर्माण की योजना बना रहा है।

ञ) बैंक ने एलटी कनेक्शन वाले अपने कार्यालयों हेतु वितरण कंपनियों (DISCOM) द्वारा प्रदत्त 'ग्रीन टैरिफ' विकल्प (जिसमें ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा है) का चयन प्रारम्भ कर दिया है, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत में कमी आई है। प्रथम चरण में, बैंक के महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में स्थित परिसरों में ग्रीन टैरिफ अपनाया जा रहा है। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक के कुल 113 कार्यालयों में वितरण कंपनियों के ग्रीन टैरिफ विकल्प के माध्यम से हरित शक्ति प्राप्त की जा रही है।

ट) बैंक ओपन एक्सेस सौर ऊर्जा प्राप्त करने का विकल्प तलाश रहा है, जिसमें 100 किलोवाट और उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले अपने बड़े कार्यालयों के लिए विद्युत क्रय समझौता सीधे विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ किया जाएगा, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत कम होगी।

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)*	5.46 MT	6.03 MT
ई– अपशिष्ट (ख)#	21.63 MT	1.1 MT
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	लागू नहीं	
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	बैंक के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार जो अनुबंध अवार्ड को नियंत्रित करते हैं, ठेकेदार निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, मौजूदा नगरपालिका और स्थानीय प्राधिकरण दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन करते हैं।	
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	बैटरी की जीवन अवधि समाप्त हो जाने पर, नई बैटरी खरीदते समय बाय–बैक ऑफर के तहत उन्हें बेच दिया जाता है। इसलिए, बैटरी कचरे का निपटान/पुनर्चक्रण सीधे हमारे द्वारा नहीं किया जाता है और इसीलिए इसका कोई मात्रात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है।	
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	लागू नहीं	
अन्य संकटजनक अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया उल्लेख करें (छ)	लागू नहीं	
अन्य गैर–संकटजनक अपशिष्ट जनरेट किए गए (ज)#। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। संरचना के अनुसार ब्रेक–अप(अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार)	16.44 MT	17.61 MT
कुल (क + ख + ग + घ + ङ + च + छ + ज)	43.53 MT	24.74 MT
प्रति रुपया टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/ परिचालन से राजस्व) (लाख रुपए)	0.0000029	0.0000017

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता** (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/ परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित) (लाख रुपए)	0.0000604	0.0000361
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	–	–
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	0.0004218	0.0002407
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	लागू नहीं	
(ii) पुनः उपयोग		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	हमारे यहां अपशिष्ट उत्पादन न्यूनतम है, जिसके परिणामस्वरूप उसे जलाने या लैंडफिलिंग की आवश्यकता नहीं है।	
(ii) लैंडफिलिंग		
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। हाँ, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए BRSR Core हेतु बैंक के वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर – उम्मेद जैन एण्ड कंपनी द्वारा 'उचित आश्वासन' प्रदान किया गया है।

**बैंक में प्लास्टिक अपशिष्ट मुख्य रूप से पानी की बोतलों जैसे उत्पादों की खपत के कारण उत्पन्न होता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसके सभी शाखाओं/कार्यालयों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, और बैंक अखिल भारतीय स्तर पर इसकी गणना करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ दिए गए प्लास्टिक अपशिष्ट का डेटा केवल बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारका भवन का है।*

*** पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए: 20.2 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2023) और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए: 20.42 रुपये/यूएस डॉलर (वर्ष 2024) है। वेबलिंक: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP\name-desc=false*

 # ई–कचरे का निपटान पंजीकृत ई–कचरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है।

##अन्य नुकसान रहित अपशिष्ट प्रधान कार्यालय द्वारका भवन के सूखे अपशिष्ट से संबंधित है, जिसमें कार्डबोर्ड, टिशू पेपर, कागज का अपशिष्ट आदि शामिल हैं।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

बैंक कचरे के उत्पादन को कम करने और जितना संभव हो सके उसे पुनर्चक्रित करने का प्रयास करता है। हमारे कचरे में मुख्य रूप से भोजन, अपशिष्ट, कागज़ और ई–अपशिष्ट शामिल है।

- **प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी:** हमने प्लास्टिक दस्तावेज़ फ़ोल्डरों की खरीद कम कर दी है और अपने कार्मिकों को अपने कार्यालयों में कांच की बोतलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग कम किया जा सके। हमारी सभी सुविधाओं में सूखे और गीले अपशिष्ट को एकत्रित करने और निपटाने के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अपशिष्ट बैग का उपयोग किया जाता है।
- **कागज़ और छपाई के उपभोग को कम करना:** हमने कागज़ की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने हेतु मज़बूत उपाय लागू किए हैं। कार्यालयों में कागज़ के उपयोग को और कम करना एक सतत गतिविधि है।
- **ई–अपशिष्ट प्रबंधन:** हमारे ई– अपशिष्ट में मोटे तौर पर कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, यूपीएस, बैटरी आदि शामिल हैं। ऐसे सभी ई–अपशिष्ट का निपटान पंजीकृत ई–अपशिष्ट विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है ।
- **सीवेज उपचार:** बैंक ने प्रधान कार्यालय द्वारका भवन

सहित अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप जल दक्षता में सुधार हुआ है और बागवानी तथा केंद्रीय एसी संयंत्र में आंतरिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जा रहा है।

11. यदि संस्था का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बैंक की कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

क्र. सं.	परिचालन/ कार्यालय का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/ स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण क्या है?
लागू नहीं			

12. चालू वित्त वर्ष में, प्रयोज्य विधियों के आधार पर संस्था द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए हैं (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

13. क्या संस्था भारत में प्रयोज्य पर्यावरणीय विधि/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

बैंक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

क्र. सं.	उस विधि/ विनियम/ दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
लागू नहीं				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निस्सरण (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/ संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम – लागू नहीं

(ii) परिचालन की प्रकृति – लागू नहीं

(iii) जल निकासी, उपभोग और निस्सरण निम्नलिखित प्रारूप में:

मापदंड	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष से प्राप्त जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता (जल उपभोग / टर्नओवर)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में – कोई शोधन नहीं – शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	
(ii) भूजल में – कोई शोधन नहीं – शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में – कोई शोधन नहीं – शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्ष को भेजा गया – कोई शोधन नहीं – शोधन सहित– कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य – कोई शोधन नहीं – शोधन सहित – कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

नोट: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है, यदि कोई हो तो उल्लेख करें ? (हाँ/नहीं) – नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
श्रेणी 1– क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य MtCO2e	530.00	417.00##
श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ (स्कोप 1 और स्कोप 2 में शामिल नहीं)		8,902.17	8,717.75
श्रेणी 5 – परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट – (ई– अपशिष्ट एवं कागज़ अपशिष्ट)		107.71	94.82
श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा		6954.00	12,070.00
श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन		90,134.00	80,084.00
श्रेणी 15– निवेश (वित्तपोषित उत्सर्जन)		6,60,45,993.00	6,38,39,069.00
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		6,61,52,620.88	6,39,40,506.32
टर्नओवर* के प्रति रुपया पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		4.50	4.63
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है, यदि कोई हो तो उल्लेख करें ? (हाँ/नहीं) – नहीं

#क्रय किए गए कागज के कारण वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए होने वाले उत्सर्जन की पुनर्गणना, 'द एनवायर्नमेंटल पेपर नेटवर्क पेपर कैलकुलेटर' के संस्करण में हुए अपग्रेडेशन (संस्करण 4.1, जो c.environmentalpaper.org पर उपलब्ध है) के कारण की गई है।

***स्कोप 3 – श्रेणी 1**: क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं: इस श्रेणी के अंतर्गत आंतरिक उपभोग के लिए क्रय किए गए ए4 कागज़ से जुड़ा ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन सम्मिलित है। उत्सर्जन का यह आकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान क्रय किए गए ए4 कागज़ की मात्रा के आधार पर तैयार किया गया है। कागज़ के क्रय से होने वाले अनुमानित उत्सर्जन की गणना करने के लिए पर्यावरण संबंधी कागज नेटवर्क की कागज गणना (संस्करण 4.1, जो c-environmentalpaper.org पर उपलब्ध है) का उपयोग किया गया है। इस उत्सर्जन गणना के अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय प्रभागों तथा 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए क्रय किए गए ए4 कागज़ को सम्मिलित किया गया है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 3**: ईंधन और ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन जो स्कोप 1 या स्कोप 2 में सम्मिलित नहीं हैं: उत्सर्जन का आकलन करने के लिए किराए पर लिए गए डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों में होने वाली ईंधन की खपत का उपयोग किया गया है। खपत किए गए ईंधन के लीटर की गणना करने के लिए ईंधन पर हुए व्यय के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक: संस्करण 1, 2015 से लिया गया है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 5**: परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट: उत्सर्जन का आकलन करने के लिए कागज़ अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट की मात्रा का उपयोग किया गया है। उत्सर्जन कारक यूएसईपीए की वेबसाइट से लिए गए हैं। इस उत्सर्जन गणना के अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय प्रभागों तथा 14 प्रशिक्षण केंद्रों से उत्सर्जित कागज़ अपशिष्ट को सम्मिलित किया गया है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 6** – व्यावसायिक यात्रा: व्यावसायिक यात्रा से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का अनुमान बैंक के आंतरिक यात्रा डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों – अर्थात् हवाई, रेल, बस, कार, दोपहिया और जल परिवहन दृ द्वारा तय की गई दूरी (किलोमीटर में) पर विचार किया गया है। यात्रा–संबंधी उत्सर्जन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्सर्जन कारक निम्नानुसार हैं:*

i. सड़क और रेल परिवहन: उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम – भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन संस्करण 1.0 (2015) के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक पर आधारित है।

ii. वायु और जल परिवहन: उत्सर्जन कारक जीएचजी प्रोटोकॉल– क्रॉस–सेक्टर टूल्स (13 मार्च 2024) से उत्सर्जन कारक प्राप्त किए गए हैं।

***स्कोप 3 – श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन**: इस श्रेणी में कर्मचारियों द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्यस्थलों पर आवागमन से होने वाली ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन शामिल हैं। उत्सर्जन अनुमान साधन–वार आवागमन पद्धति और तय की गई दूरी को दर्ज के लिए आयोजित एक प्राथमिक सम्पूर्ण–बैंक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।*

उत्सर्जन कारकों के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया है

i. सड़क और रेल परिवहन: भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015)।

ii. मेट्रो रेल: उत्सर्जन कारक ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) से प्राप्त किए गए हैं।

***स्कोप 3 – श्रेणी 15: वित्तपोषित उत्सर्जन**: बैंक ने वित्तीय उद्योग के लिए पार्टनरशिप फॉर कार्बन एकाउंटिंग फाइनेंशियल (पीसीएएफ) के वैश्विक जीएचजी लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक का उपयोग करते हुए अपने स्कोप 3 – श्रेणी 15 (वित्तपोषित उत्सर्जन) का अनुमान लगाया है, जो इसके शुद्ध अग्रिम और निवेश पोर्टफोलियो के 87% को कवर करता है। बैंक के पोर्टफोलियो को पीसीएएफ द्वारा निर्धारित आस्ति श्रेणियों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है।बैंक के वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना करने के लिए निवेश प्राप्तकर्ता और उधारकर्ता कंपनियों के बीआरएसआर फाइलिंग से प्राप्त उत्सर्जन डेटा का उपयोग किया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की पुनर्गणना निम्नलिखित कारणों से की गई है:*

i. अद्यतित उत्सर्जन डेटा का उपयोग: बीआरएसआर वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना में उपयोग किए गए स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन डेटा, उद्योग उत्सर्जन तीव्रता (बीआरएसआर प्रकटीकरण से प्राप्त कंपनी–स्तरीय स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन पर आधारित है) के साथ, वित्त वर्ष 2024 के बीआरएसआर डेटा से लिए गए थे, क्योंकि उस समय वित्त वर्ष 2025 का डेटा उपलब्ध नहीं था। बैंक के बीआरएसआर वित्त वर्ष 2025–26 के प्रकटीकरण हेतु, वित्त वर्ष 2025 के अद्यतित स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन डेटा और संशोधित उद्योग उत्सर्जन तीव्रताओं का उपयोग करते हुए वित्तपोषित उत्सर्जन की पुनर्गणना की गई है।

ii. एक वर्ष का डेटा अंतराल: उत्सर्जन डेटा में लगातार एक वर्ष का अंतराल बना हुआ है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2026 का वित्तपोषित उत्सर्जन वित्त वर्ष 2025 के बीआरएसआर प्रकटीकरण डेटा पर आधारित होगा।

iii. वित्तपोषित उत्सर्जन, जिसकी गणना उधारकर्ता द्वारा अपने बीआरएसआर में बताए गए स्कोप 3 उत्सर्जन का उपयोग करके की गई है, जो इस प्रकार है: 2024–25 के लिए 71,30,424 MTCO2e, और 2025–26 के लिए 44,96,390 MTCO2e

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

बैंक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करता है, और इस तरह जैव विविधता पर हमारा कोई सीधा प्रभाव नहीं

पड़ता। हालाँकि, बैंक की नई इमारतों का निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व, जैव विविधता पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, संबंधित स्थानीय वैधानिक प्राधिकरणों जैसेः पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण, वन विभाग, खनन विभाग आदि से सभी आवश्यक अनुमतियाँ/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं;

4. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निस्सरण / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ–साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो तो, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1	सौर ऊर्जा	स्थापित क्षमता (कुल 3382 KWp): • बैंक के विभिन्न भवनों में पहले से ही 1228 KWp के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। • सम्पूर्ण भारत में बैंक के स्वामित्व वाले विभिन्न मौजूदा भवनों में 1504 KWp की सौर ऊर्जा परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू की गई है और वित्त वर्ष 2025–26 में पूर्ण कर दी जाएगी। • वित्त वर्ष 2025–26 की अंतिम तिमाही में 182 शाखाओं में 650 KWp की सौर क्षमता स्थापित की गई है। **स्थापना कार्य प्रगति पर:** • बैंक की नई निर्माणाधीन वृहद भवन परियोजनाओं में 583 KWp के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। • बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारका और गुरुग्राम स्थित भवनों में सौर ऊर्जा क्षमता (295 KW से बढ़ाकर 1403 KW तक) में वृद्धि का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।	इस पहल को लागू करने से, बैंक ने जीवाश्म ईंधन से निर्मित ऊर्जा की अपनी खपत कम कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी आई है।
2	हरित भवन	• प्रधान कार्यालय द्वारका भवन को जीआरआईएचए (GRIHA) से 'हरित प्रमाणपत्र' प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, बैंक की 5 अन्य इमारतों के लिए भी 'हरित भवन प्रमाणपत्र' की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें गुरुग्राम प्रधान कार्यालय भवन, गुरुग्राम डेटा सेंटर भवन, देहरादून के भवन तथा दिल्ली के सिविल लाइंस और रोहतक स्थित आवासीय क्वार्टर शामिल हैं।	इस पहल के माध्यम से, बैंक ने ऊर्जा, जल और अन्य संसाधनों के कुशल उपयोग में योगदान दिया है।
3	ऊर्जा बचत के उपाय	बैंक ने ऊर्जा बचत के लिए बीईई स्टार रेटेड उपकरणों, एलईडी फिक्स्चर, ऑक्यूपेंसी सेंसर और एलईडी ग्लो साइन बोर्ड लगाना, तथा अपने सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना, जैसे उपाय अपनाए हैं।	इस पहल के माध्यम से, बैंक ने ऊर्जा की बचत की है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
4	विद्युत लेखा परीक्षा	बैंक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों की विद्युत लेखा परीक्षा करता है।	शाखाओं/कार्यालयों की नियमित विद्युत लेखा परीक्षा इसलिए की जाती है ताकि पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जा सकें; जिसके परिमाणस्वरुप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कारण आग लगने का खतरा कम हो जाता है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है, और बिजली के बिलों में बचत होती है।
5	सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)	बैंक ने प्रधान कार्यालय द्वारका भवन सहित अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं।	इस पहल के परिणामस्वरूप जल–दक्षता बढ़ी है, और बागवानी तथा केन्द्रीय एसी प्लांट में आंतरिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जा रहा है।
6	वर्षा जल संचयन प्रणाली	बैंक ने अपने 8 भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है।	इस पहल के माध्यम से, बैंक भूजल भंडारों को पुनः भरने में योगदान दे रहा है।

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है?

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता प्रबंधन तथा परिचालन लचीलापन नीति है जिसमें आईटी, गैर–आईटी और मानव संसाधन संबंधी गतिविधियों सहित बैंक के सभी कारोबारी कार्य शामिल हैं। यह नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रभावी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना की स्थापना, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित शासन संरचनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, आपदा निवारण योजना, महामारी प्रतिक्रिया के साथ–साथ परीक्षण, प्रशिक्षण, बैकअप, वैकल्पिक स्थान और रिकवरी व्यवस्थाओं का प्रावधान शामिल है, जो बैंक को आपदा से निपटने और उससे उबरने में सक्षम बनाते हैं और संचालन की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। इस दस्तावेज़ की समय–समय पर समीक्षा और इसकी प्रभावशीलता के लिए लेखा परीक्षा की जाती है ।

6. संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले, पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

विनियामक अधिदेशों के अनुरूप, बैंक अपने महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला भागीदारों के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यवस्थित रूप से आकलन करेगा तथा सुव्यवस्थित सुधारात्मक और शमन उपाय करेगा।

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

विनियामक अधिदेशों के अनुरूप, बैंक अपने महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला भागीदारों के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यवस्थित रूप से आकलन करेगा तथा सुव्यवस्थित सुधारात्मक और शमन उपाय करेगा।

8. कितने हरित क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:

क. सूचीबद्ध संस्था द्वारा : शून्य

ख. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा" : लागू नहीं

सिद्धांत 7– कारोबार, जब वे सार्वजनिक और विनियामक नीतियों को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसे उत्तरदायी और पारदर्शी पद्धति से किए जाएं।

अनिवार्य संकेतक

1.क) व्यापार एवं उद्योग मंडलों / संघों से संबद्धता की संख्या।

व्यापार और उद्योग मडलों/संघों के साथ बैंक की 8 संबद्धताएं हैं।

ख) शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/ संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/ संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
2	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी)	अंतर्राष्ट्रीय
3	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	राष्ट्रीय
4	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
5	प्रगति, सद्भाव और विकास वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय
6	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
7	सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी परिषद (स्कोप)	राष्ट्रीय
8	पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल (पीसीएएफ)	अंतर्राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति स्थिति का विवरण:

क्र. सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
लागू नहीं					

नोट:– देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते, बैंक बैंकिंग विनियमों, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र के संधारणीय विकास से संबंधित नीतियों को आकार देने में नीति निर्माताओं और उद्योग संघों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एवं आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का %	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

बैंक आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की शिकायतों को प्रभावी ढ़ंग से संबोधित करते हुए उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। शिकायत निवारण के लिए, ग्राहक और समुदायों के पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने के लिए निम्नलिखित चैनल हैं:

- बैंक के पास केंद्रीकृत शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) नामक एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है, जो बैंक का आंतरिक पोर्टल है। सीजीआरएमएस पर ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह अपनी शिकायत का सीजीआरएमएस वेब लिंक ट्रेक कर सकता है। https://www.pnb.bank.in/hi/Lodge-Complaint.html

शिकायते प्राप्त करने एवं उनके समाधान के लिए अन्य कार्य प्रणाली

- संपर्क केंद्र (टोल फ्री) बैंक का ग्राहक सेवा नंबर – 18001800 और 18002021
- इंटरनेट बैंकिंग सेवा / मोबाइल बैंकिंग ऐप / कॉर्पोरेट वेबसाइट।
- ईमेल करें care@pnb.bank.in
- एमडी एवं सीईओ/अध्यक्ष/वित्त मंत्रालय/आरबीआई आदि।
- लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम)/आईएनजीआरएएम।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
- डाक।
- शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायत करना।

बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट में इनपुट का मूल्य):

	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
एमएसएमई/ लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	10.56% (₹296.50 करोड़)^	20% (₹252.73 करोड़)
सीधे भारत के भीतर से	100% (₹2806.40 करोड़)*	100% (₹1267.03 करोड़)*

एमएसई खरीद केवल GeM के माध्यम से की गई खरीद के लिए उपलब्ध है। अतः उपर्युक्त आंकड़े केवल GeM के माध्यम से बैंक की खरीद के लिए हैं।

^इस वर्ष एमएसई खरीद प्रतिशत में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण एक गैर–एमएसई विक्रेता को सात वर्षों के लिए एटीएम संचालन एवं प्रबंधन सेवाओं के लिए दिया गया ₹1,409 करोड़ का एकल उच्च–मूल्य का अनुबंध है। इस अनुबंध ने खरीद में कुल एमएसई हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

*****यह आंकड़ा एमएसई से प्राप्त सामग्री (अर्थात GeM के माध्यम से कुल खरीद) सहित है।*

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का प्रकटीकरण कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2025–26	वित्त वर्ष 2024–25
ग्रामीण	22.49 %	23.12%
अर्ध–शहरी	18.92 %	18.93%
शहरी	35.27 %	34.86%
महानगर	23.32 %	23.10%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	व्यय की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1-	झारखंड	बोकारो	5,78,000
2-	बिहार	गया	4,93,000
3-	उत्तराखंड	हरिद्वार	17,44,000
4-	बिहार	मुजफ्फरपुर	1,85,000
5-	बिहार	पूर्णिया	4,30,000
6-	झारखंड	रांची	5,90,000
7-	आंध्र प्रदेश	विजाग	6,28,000

3. क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके अंतर्गत आप उपेक्षित/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हां बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति है जो मोटे तौर पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रसारित सामान्य वित्तीय नियमों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यम के माध्यम से अधिमान्य खरीद के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश भी शामिल हैं। स्टार्ट–अप को बैंक की खरीद के लिए निविदा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ छूट की भी अनुमती है। दिशा–निर्देशों के तहत, एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई से खरीद के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इसके अलावा बैंक की खरीद नीति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति भी शामिल है ।

ख) आप किन उपेक्षित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्टार्ट–अप।

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमाराशि स्वीकार करना और का प्रावधान शामिल है। बैंक के मुख्य व्यवसाय संचालन की तुलना में हाशिए पर रहने वाले/कमजोर समूह के माध्यम से प्राप्त इनपुट का अनुपात न्यूनतम रहता है। इसके अलावा, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार छोटे/एमएसई उत्पादकों को खरीद में प्राथमिकता दी जाती है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान

बैंक सामाजिक कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सीएसआर गतिविधियां चलाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि जाति, पंथ आदि की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को समान रूप से इसका लाभ मिले।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी सीएसआर नीति में सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत तथा समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी अन्य ऐसे कोष में योगदान देने का प्रावधान किया है। उपर्युक्त निधियों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 25–26 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या*	कमजोर और उपेक्षित समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत*
1	पहाड़पुर, बदरपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा में स्थित एसएलएस मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल में आवश्यक बुकशेल्फ़ और फर्नीचर के लिए एसएलएस ट्रस्ट को सीएसआर के तहत अनुमोदन	300	75
2	विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए एसएलएस ट्रस्ट को सीएसआर के तहत अनुमोदन	300	75
3	नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध साइक्लोथॉन आयोजित करने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सीएसआर के तहत अनुमोदन	100000	55
4	विभिन्न चिकित्सा मशीनें खरीदने के लिए श्री सत्य साईं संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च को सीएसआर के तहत अनुमोदन	100000	45
5	राज्य की सहायतार्थ उत्तरकाशी में राहत उपायों हेतु आपदा प्रबंधन कोष उत्तराखंड को सीएसआर के तहत अनुमोदन	20000	35
6	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 एनजीओ और दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों को सीएसआर के तहत सहायता	100	50
7	250 वंचित महिलाओं की आजीविका सहायता के लिए सिलाई मशीनों के वितरण हेतु तमिलनाडु सेवा फाउंडेशन, चेन्नई को सीएसआर के तहत अनुमोदन	250	70
8	250 वंचित महिलाओं की आजीविका सहायता के लिए सिलाई मशीनों के वितरण हेतु प्रेरणा हेल्पलाइन फाउंडेशन (पीएचएफ), चेन्नई को सीएसआर के तहत अनुमोदन	250	70

क्र. सं.	विषय	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या*	कमजोर और उपेक्षित समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत*
9	राज्य के पुनर्वास या पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राहत उपाय के रूप में आपदा राहत कोष हिमाचल प्रदेश को सीएसआर के तहत अनुमोदन	25000	20
10	राज्य में पुनर्वास या पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राहत उपाय के रूप में आपदा राहत कोष पंजाब को सीएसआर के तहत अनुमोदन	25000	20
11	दिल्ली सरकार के स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरों को सशक्त बनाने के लिए 'प्रोजेक्ट चेतना 2.0* हेतु सच्ची सहेली को सीएसआर के तहत अनुमोदन	1000	30
12	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में कलेक्ट्रेट के नवीनीकरण के लिए सीएसआर के तहत अनुमोदन	500	10
13	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 'द न्यू लर्निंग हाइट्सः स्पेशल स्कूल एंड रेमेडियल सेंटर' को सीएसआर के तहत अनुमोदन, क्योंकि यह स्कूल विभिन्न विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है।	20	10
14	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पोषण, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और एक सुरक्षित एवं देखभाल वाले माहौल में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए रामकृष्ण शारदा मिशन को सीएसआर के तहत अनुमोदन	500	30
15	समाज के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ को सीएसआर के तहत अनुमोदन	100000	40
16	लावारिस मृत व्यक्तियों के शवों को सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार स्थल तक पहुँचाने के लिए एक शव वाहन प्रदान करने हेतु रुचिका सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को सीएसआर के तहत अनुमोदन	50	10
17	गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1 एनजीओ और दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों को सीएसआर के तहत सहायता	100	10
18	बुनियादी ढांचे के उन्नयन (मेज और कुर्सियों) के लिए एसएलएस ट्रस्ट को सीएसआर के तहत सहायता।	300	75
19	ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में स्टील की रेलिंग लगाने के लिए सीएसआर के तहत सहायता।	500	25
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पोषण, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और एक सुरक्षित एवं देखभाल वाले माहौल में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए रामकृष्ण शारदा मिशन को सीएसआर के तहत अनुमोदन	100	10
21	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) को सीएसआर के तहत सहायता।	100	10
22	100 छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम पीएनबी राइजिंग स्टार्स हेतु युवा अनस्टॉपेबल को सीएसआर के तहत सहायता।	100	15
23	रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए पीआरसी मोहाली को सीएसआर के तहत सहायता।	1000	15
24	130 हैप्पीनेस किट के वितरण हेतु इस्कॉन को सीएसआर के तहत सहायता।	130	25
25	महिलाओं के गर्भाशय सर्वाइकल और स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग परियोजना के लिए कैंसर अवेयरनेस प्रिवेंशन (सीएपीईडी) को सीएसआर के तहत सहायता।	10000	25
26	100 छात्रों के अध्ययन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को सीएसआर के तहत सहायता।	100	80
27	स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 2 छात्रवृत्तियों की वित्तीय सहायता के लिए सीएसआर के तहत अनुमोदन	2	0
28	इग्नू को बैटरी चालित गोल्फ कार्ट प्रदान करने हेतु सीएसआर के तहत सहायता।	1000	15

**अनुमानित आंकड़े*

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

क. **व्यापक ग्राहक शिकायत पंजीकरण ढांचा:** ग्राहकों को शिकायत के पंजीकरण के लिए कई संपर्क माध्यम प्रदान किए गए हैं, जिसमें बैंक का शिकायत प्रबंधन पोर्टल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, संपर्क केंद्र, टोल फ्री नम्बर ई–मेल, आधिकारिक वेबसाइट और देश भर की सभी शाखाएं/कार्यालय हैं। प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई को सरल बनाने के लिए एक विशिष्ट ट्रैकिंग संदर्भ के माध्यम से पावती भेजी जाती है और उसे निर्धारित किया जाता है।

ख. **एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली:** बैंक ग्राहकों की शिकायतों के एकीकृत निपटान और एंड–टू–एंड निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली संचालित करता है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर समेकित किया जाता है, जिससे प्रभावी समाधान और रिपोर्टिंग के लिए शिकायत के प्रकार, सेवा क्षेत्र और गंभीरता के आधार पर उनका वर्गीकरण करना संभव हो पाता है।

ग. **केंद्रीकृत समाधान और विशेषज्ञ समीक्षा:** विस्तृत जांच की आवश्यकता वाली ग्राहकों की शिकायतों को प्रधान कार्यालय की नामित टीमों के पास भेजा जाता है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह केंद्रीकृत समीक्षा ढांचा निरंतर मूल्यांकन, उचित सुधारात्मक कार्रवाई और आवश्यक ड्यू डिलिजेंस के पश्चात शिकायत को बंद करने में सहायता करता है।

घ. **शिकायतों का समयबद्ध निपटान:** बैंक विनियामक दिशानिर्देशों और आंतरिक सेवा मानकों के तहत निर्धारित समय–सीमा में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिकायतों के निपटान समय का पालन और शिकायतकर्ताओं के साथ त्वरित संवाद सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणालियाँ लागू हैं

ङ. **शिकायतों के पुनर्विचार का प्रावधान:** जो ग्राहक प्रदान किए गए समाधान से अभी तक संतुष्ट नहीं हैं,

वे निर्धारित एस्केलेशन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायतों पर पुनर्विचार करने या उन्हें फिर से खोलने का अनुरोध कर सकते हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रबन्धन एवम् पूर्ण निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों की नए सिरे से समीक्षा की जाती है।

च. **मूल कारण की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई:** बैंक नियमित रूप से प्रासंगिक कारोबार और परिचालन इकाइयों के परामर्श से शिकायतों के क्रमानुसार मूल कारण का विश्लेषण करता है। इन निष्कर्षों के आधार पर, शिकायतों की पुनरावृत्ति को कम करने और सेवा वितरण मानकों में सुधार के लिए सुधारात्मक और निवारक उपाय लागू किए जाते हैं।

छ. **शिकायत निगरानी, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता:** मार्गदर्शन और निरीक्षण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड–स्तरीय समितियों के समक्ष ग्राहकों की शिकायतों का आवधिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। पारदर्शिता प्रथाओं के अनुरूप, शिकायत से संबंधित प्रमुख जानकारी बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट की जाती है और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

ज. **ग्राहक–केंद्रित सेवा उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता:** बैंक प्रौद्योगिकी–संचालित निगरानी, संरचित एस्केलेशन तंत्र, आवधिक समीक्षाओं और ग्राहक फीडबैक विश्लेषण के माध्यम से अपने शिकायत निवारण तंत्र को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का निष्पक्ष, कुशल और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है, ग्राहक सेवा मानकों में निरंतर सुधार को बढ़ावा देना है।

झ. **ग्राहक सेवा समितियाँ** समस्त शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों में प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जाँच करती हैं तथा ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्राप्त फीडबैक/सुझावों का आलोचनात्मक परीक्षण करती हैं। इन समितियों की बैठक माह में एक बार होती है, जिसमें कार्मिक और ग्राहक सीधे सेवा–संबंधी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं।

ञ. **विषय–आधारित बैठकें** बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में फील्ड कार्मिकों में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शाखाओं में पूर्व–निर्धारित तिथि और विषयों पर मासिक अंतराल पर आयोजित की जा रही हैं।

ट. शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु बैंक ने अंचल कार्यालय स्तर पर उप महाप्रबंधक तथा मंडल कार्यालय स्तर पर मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी(सीसीईओ) जो मुख्य प्रबंधक के पद से कम रैंक का न हो, को नामित किया है, जिससे कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है।

ठ. शाखा क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने की कार्यप्रणाली विकसित की गई है। यह नई कार्यप्रणाली ग्राहकों को शाखा में प्राप्त विभिन्न सेवाओं के बारे में बाधरहित फीडबैक प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है।

ड. बैंक ने आकस्मिक दौरों के माध्यम से शाखाओं में बेहतर ग्राहक सेवा हेतु एक बाहरी एजेंसी (मेसर्स डेटावाइज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को शामिल किया है।

ढ़. ग्राहक अनुभव को और बेहतर करने हेतू ग्राहकों को वेबसाइट, व्हाट्सएप, एमबीएस तथा आईबीएस के माध्यम से लाइव एजेंट के साथ चौट करने की सुविधा प्रदान की गई है।

ण. बैंक का टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर –
18001800 और 18002021
शिकायत दर्ज करें –
https://www.pnb.bank.in/hi/Lodge-Complaint.html

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025–26		टिप्पणी	वित्त वर्ष 2024–25		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति*	5,74,498	7,331	शून्य	11,39,830	28,855	शून्य
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	लागू नहीं					
अनुचित व्यापार प्रथाएं	लागू नहीं					
अन्य	-	-	-	-	-	-

** पोर्टल पर शिकायतों की श्रेणी निर्धारित प्रारूप में नहीं रखी जाती है। हालाँकि, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:*

शिकायत का आधार, (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है।
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2025–26 (वर्तमान अवधि)					
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,806	2,11,282	-44.92	1,288	49
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	3,386	1,67,970	-58.44	1,147	113
खाता खोलना/ खाते के परिचालन में कठिनाई	254	16,981	-27.41	29	1
ऋण एवं अग्रिम	364	9,009	-16.07	61	3
बिना किसी पूर्व सूचना के/ अत्यधिक प्रभार/पुरोबंधात्मक प्रभार	148	5,515	-22.72	12	0
अन्य	22,897	1,63,741	-47.32	4,794	1,282
कुल	**28,855**	**5,74,498**	**-49.60**	**7,331**	**1,448**

शिकायत का आधार, (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है।
वित्त वर्ष 2024–25 (पिछली अवधि)					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	12,262	4,04,168	-17.46	3,386	589
एटीएम/डेबिट कार्ड	5,054	3,83,578	21.04	1,806	195
खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई	458	23,394	8.40	254	21
ऋण एवं अग्रिम	332	10,734	24.90	364	50
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	225	7,444	-48.77	107	4
अन्य	14,020	3,10,512	11.32	22,938	8,175
कुल	**32,351**	**11,39,830**	**0.85**	**28,855**	**9,034**

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

विवरण	संख्या	वापस मंगाए जाने का कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापस मंगाना		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित "समूह साइबर सुरक्षा नीति" है। यह आरबीआई के निर्धारित दिशा–निर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार साइबर सुरक्षा के बारे में प्रबंधन के विचारों और स्थिति को घोषित करने वाले संक्षिप्त और व्यावहारिक बयान शामिल हैं।

ग्राहकों के लिए साइबर धोखाधड़ी और खतरों से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वेब लिंक– https://www.pnb.bank.in/advisories-html

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उत्पाद रिकॉल की घटनाओं की पुनरावृत्ति या उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई/दण्ड।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, साइबर संबंधी मामलों के कारण बैंक में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहकों के लिए जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

i. हमारे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए एनसीएसएएम 2025 के दौरान दो समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) में सूचनात्मक विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

ii. एनसीएसएएम के आरंभ को चिह्नित करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर बल देने हेतु प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की डेस्क से पीएनबी डोमेन की सभी मेल आईडी और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज सभी ग्राहकों की मेल आईडी पर एक संदेश प्रेषित किया गया था।

iii. ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा प्रथाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो चैनलों पर रेडियो जिंगल्स/संदेशों का प्रसारण किया गया है।

iv. बैंक के सभी सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी सामग्री प्रकाशित की जा रही है।

v. बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा सामग्री से संबंधित कई स्टैंडी, पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है।

vi. प्रचलित धोखाधड़ी और बैंक की नवीनतम साइबर सुरक्षा नीतियों पर स्टाफ के ज्ञानवर्द्धन के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को नियमित रूप से मेल प्रेषित किए जाते हैं।

vii. साइबर सुरक्षा जागरूकता पर साप्ताहिक पॉडकास्ट श्रृंखला, जो पीएनबी नॉलेज सेंटर के माध्यम से सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

viii. बैंक हित में कर्मचारियों हेतु डिजिटल जानकारी साइबर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी अपलोड की जाती हैं।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या – शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत – शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, – शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां से इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnb.bank.in), इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और संपर्क केंद्र।

उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.pnb.bank.in) पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने और उनसे जुड़े रहने के लिए विभिन्न स्थानीय माध्यमों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। विभिन्न सोशल मीडिया/डिजिटल प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- मोबाइल एप्लीकेशन – "पीएनबी वन"
- फेसबुक: facebook@pnbindia
- इंस्टाग्राम: instagram@pnbindia
- X (ट्विटर) हैंडल – @pnbindia
- व्हाट्सएप – +91 9264092640
- कॉल सेंटर – 1800 1800 1800 2021

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी ग्राहकों को विभिन्न चैनलों जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnb.bank.in), एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दी जाती है।

बैंक के पास 163 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं, जो वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर कई सेमिनार/कार्यक्रम/शिविर आयोजित करते हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा आयोजित

कार्यक्रमों के लक्षित समूह कृषक, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं।

सक्रिय ग्राहकों को समय–समय पर संदेश भेजे जाते हैं ताकि उन्हें केवाईसी आदि जमा करने के लिए फर्जी कॉल और भ्रामक कॉल के बारे में जानकारी दी जा सके। फर्जी कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन–हाउस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो समय–समय पर ग्राहकों को जो ग्राहक सेवाएँ प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट भेजे जाते हैं।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।**

बैंक द्वारा सेवाओं के बंद होने (आउटेज) के संबंध में नियमित आधार पर जानकारी प्रसारित की जाती है तथा सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधानध्बंद होने की स्थिति में ग्राहकों को एसएमएस, वेबसाइट नोटिस, शाखा सूचना पट्ट आदि के माध्यम से सूचित किया जाता है

4. **क्या संस्था स्थानीय विधियों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

बैंक ग्राहकों और जनसाधारण के लाभ के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करके और शाखाओं में प्रदर्शित व्यापक नोटिस बोर्डों के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी की पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने और सम्पूर्ण संगठन में अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं: –

- शाखाओं, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशनों सहित विभिन्न माध्यमों से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच की सुगमता।
- बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता पर ग्राहकों का फीडबैक।
- समग्र ग्राहक संतुष्टि का स्तर और उत्पादों, सेवाओं एवं वितरण माध्यमों में सुधार के लिए सुझाव।

संक्षिप्ताक्षर

एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीओडी	निदेशक मंडल
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीएफओ	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सीजीआरएमएस	केंद्र सरकार संसाधन प्रबंधन प्रणाली
सीआईएमएस एमई	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चौंबर
सीआईएन	कॉर्पोरेट पहचान संख्या
सीआईआर	क्रेडिट सूचना रिपोर्ट
सीआईएसडी	साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग
सीओ2	कार्बन डाइऑक्साइड
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीजीआरएएम	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएस	कंपनी सचिव
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीए	महंगाई भत्ता
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीजी	डीजल जनरेटर
डीआईएन	निदेशक पहचान केंद्र
डीआईएससीओएम	वितरण कंपनी
डीपीडीपी	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक संरचना
ईसीएल	अनुमानित ऋण हानि
ईआईए	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
ईपीआर	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन
ईएसआई	कर्मचारी राज्य बीमा
ई.वी	इलेक्ट्रिक वाहन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफआई	वित्तीय संस्थाएं
एफआईबीएसी	वित्तीय संस्थान बेंचमार्किंग और अंशांकन
एफएलसी	वित्तीय साक्षरता केंद्र
जीसीआईएसओ	समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
जीईएम	गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस
जीएचजी	ग्रीनहाउस गैसें
जी जे	गीगा जूल
जीओआई	भारत सरकार
जीआरआईएचए	एकीकृत आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग
जीडब्ल्यूपी	वैश्विक तापन क्षमता
एचएफसी	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन

एचओ	प्रधान कार्यालय
एचआरडी	मानव संसाधन विभाग
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एचवीएसी	तापन, वातन एवं वातानुकूलन
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईईपीएफ	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
इनग्राम	एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
केएमपी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
किलोवॉट	किलोवाट पीक
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलसीए	जीवन चक्र आकलन
एलटीआईएफआर	कार्य–अवधि हानि चोट आवृत्ति दर
एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमटी	मीट्रिक टन
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीएसएएम	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनजीआरबीसी	उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
एनपीएस	नई पेंशन प्रणाली
ओएचएसएएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला
पीसीआईडीएसएस	भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक
पीएफ	भविष्य निधि
पीएफसी	परफ्लोरोकार्बन
पॉश	यौन उत्तमीदन की रोकथाम
पीपीपी	क्रय शक्ति समता
च्ठक	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरपीटी	संबद्ध पक्ष लेनदेन
आरसेटी	ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
सार्क	सततता एवं सुदृढ़ता समिति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएलएस	विशेष तरलता योजनाएं
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसटीसी	कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र
एसटीपी	सीवेज उपचार संयंत्र
यूएसईपीए	यूनाइटेड स्टेट्स पर्यावरण संरक्षण एजेंसी
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेशों



स्वतंत्र प्रेक्टिसनरों की उचित आश्वासन रिपोर्ट

निदेशक मंडल पंजाब नैशनल बैंक,

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) में स्थिरता प्रकटीकरण पर आश्वासन रिपोर्ट फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की सामूहिक रूप से चिन्हित स्थिरता सूचना' (आईएसआई) कहा जाता है,

अभिमत

हमने 15 अप्रैल 2026 के अनुबंध के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक के लिए एक उचित युक्त आश्वासन का कार्य निष्पादित करने का वचन दिया है जो कि बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 17ए) से संबन्धित नीचे सूचीबद्ध बैंक की स्थिरता प्रकटीकरण ('चिन्हित स्थिरता सूचना') सेबी द्वारा 30 जनवरी 2026 तथा 28 मार्च 2025 के परिपत्रों द्वारा अधिसूचित के संबंध में है । यह स्थिरता सूचना 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए बैंक के बीआरएसआर में शामिल है। यह कार्य आश्वासन प्रेक्टिसनरों, पर्यावरण और सामाजिक पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा संचालित किया गया था।

आश्वासन के अधीन चिन्हित स्थिरता सूचना (आईएसआई)	आश्वासन के अधीन अवधि	रिपोर्टिंग मानदंड
बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 17ए) को सेबी परिपत्र संख्या एचओ 49/14/14(7)2025–सीएफडी–पीओडी2/I/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026, तथा सेबी/एचओ सीएफडी–पीओडी–1/सीआईआर/2025/42 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है। (अनुलग्नक 'क' का संदर्भ लें)	1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्याएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) में यथा संशोधित । • सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शन नोट। • बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक सेबी परिपत्र संख्या सेबीध्एचओध्सीएफडी– पीओडी 1/डी/सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अनुसार। • विश्व संसाधन संस्थान (WRI)/सतत विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (डबल्यूबीसीएसडी) ग्रीनहाउस गैस (जीएचडी) प्रोटोकॉल (एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक) • स्टैण्डर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट (SSAE) 3000, "एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इन्फोर्मेशन जो "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है । • स्टॉक एक्सचेंजों के तत्वावधान में तथा सेबी के परामर्श से, ASSOCHAM, CII एवं FICCI से मिलकर बने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (ISF) द्वारा बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों हेतु जारी उद्योग मानक।

हमारा उचित आश्वासन का कार्य 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में था, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, केवल सूचना प्रदान करना तथा हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

चिन्हित स्थिरता सूचना के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन स्थिरता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चयन अथवा स्थापित करने के लिए उतरदायी है, लागू विधि और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, रिपोर्टिंग से संबन्धित स्थिरता की सूचना, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री, तैयारी और मानदंडों के अनुसार चिन्हित स्थिरता सूचना की प्रस्तुति । इस उत्तदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव और चिन्हित स्थिरता सूचना का प्रमाण शामिल है, जो धोखाध ाड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है। ।

अंतर्निहित सीमाएं

बैंक की बीआरएसआर सूचना तैयार करने के लिए प्रबंधन को मानदंड स्थापित करने या उसकी व्याख्या करने, शामिल की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता का निर्धारण, तथा रिपोर्ट की गई सूचना को प्रभावित करने वाले अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है।

कुछ राशि और बीआरएसआर मेट्रिक्स का मापन, जिनमें से कुछ अनुमान हैं, पर्याप्त अंतर्निहित माप उदाहरण के लिए जीएचजी उत्सर्जन, वाटर फुटप्रिंट , एनर्जी फुटप्रिंट अनिश्चितता के अधीन हैं, । हमारा अभिमत धनिष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना राशि और मेट्रिक्स में अनिश्चितता को कम नहीं करता है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा किया है और इस आश्वासन के कार्य का संचालन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

फर्म गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ''ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण'' को लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करती है।

चिन्हित स्थिरता सूचना (आईएसआई) के लिए हमारा उत्तदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित स्थिरता सूचना के आधार पर, हमारे द्वारा एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी स्थिरता आश्वासन जुड़ाव (SSAE) 3000, 'स्थिरता सूचना पर आश्वासन जुड़ाव' के मानक के अनुसार अपना कार्य संचालित किया था। इस मानक के अनुसार हमें उचित या सीमित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना बनाने जो कि सहमत आश्वासन के स्तर पर निर्भर करता है को निष्पादित करने की आवश्यकता है,

उचित आश्वासन कार्यों में पूछताछ, निरीक्षण, अवलोकन और पुनः निष्पादन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। इसमें चिन्हित स्थिरता सूचना में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गईं प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आध ारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नीतियों की रिपोर्टिंग करना, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था।

कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को करने में, हमने:

1. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों और बीआरएसआर कोर के लिए सेबी परिपत्र के अनुसार विषय वस्तु एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) और बैंक के सलाहकार और उनकी टीम के लिए उत्तरदायी बैंक के प्रबंधन के प्रासंगिक कर्मियों का साक्षात्कार लिया।
2. रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं, कार्यालयों और अन्य स्थानों (अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को छोड़कर) के लिए समेकन की जाँच की।
3. टर्नओवर आधारित गहन संकेतकों के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की कुल आय पर भरोसा किया।
4. नमूना शाखाओं, कार्यालयों और कवर किए गए अन्य स्थानों पर चिह्नित स्थिरता संकेतकों के प्रतिद्रर्श आधार पर पर्याप्त परीक्षण किया गया है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को दर्ज किए गए अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया था, एकत्र किया गया और रिपोर्ट किया गया था। इसमें नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित रिकॉर्ड का आकलन और परीक्षण करना शामिल था।
5. एक्सट्रपलेशन के लिए प्रतिदर्श शाखाओं के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता का आकलन किया।
6. अनुमानित वार्षिक डेटा पर पहुंचने के लिए नमूना शाखाओं के लिए डेटा के एक्सट्रपलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
7. डेटा विश्लेषण के लिए बैंक और उसके सलाहकार द्व ारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता थ्रेसहोल्ड की उपयुक्तता का आकलन किया।
8. ऐतिहासिक डेटा में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया।

अपवाद:

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नही है और इसलिए हम उस पर निष्कर्ष व्यक्त नही करते हैं:

- आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित लोगों के अलावा बैंक के परिचालन।
- बीआरएसआर के पहलू और चिन्हित स्थिरता सूचना के अतिरिक्त डेटाध्सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी अर्थात 1अप्रैल 2025 तक 31 मार्च 2026.
- ऐसे कथन जो बैंक द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।
- रिपोर्ट में व्यक्त रणनीति और अन्य संबंधित लिंकेज
- रिपोर्ट को विशेष रूप से उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ मैप करना
- हमने व्यक्तिगत रूप से किसी भी संचालित सुविधा पर स्रोत डेटा सत्यापन नहीं किया ।

उचित आश्वासन अभिमत

हमारे अभिमत में, 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग में चिन्हित स्थिरता जानकारी, उचित आश्वासन के अधीन, सभी भौतिक मामलों में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं (एलओडीआर) और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) / सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद (डब्ल्यूबीसीएसडी) ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) प्रोटोकॉल (एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक) (संशोधित) के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार तैयार की गई है।

उपयोग प्रतिबंध

हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है, ताकि बैंक की स्थिरता प्रदर्शन और गतिविधियों पर रिपोर्ट करने में बैंक की सहायता की जा सके । तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेय का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारे प्रदेय के पते के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य ,के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है । जिसे हमारे प्रदेय दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नं. 119250W
सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
एम. नं. 137970
यूडीआईएनः 26137970BHSSNE9808

दिनांकः 22 मई, 2026
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध क – बीआरएसआर (कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट) मूल विशेषताएँ	
बीआरएसआर कोर संकेतक	**आश्वासन का प्रकार**
सिद्धांत 1: व्यवसायों को स्वयं, सत्यनिष्ठा के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए, और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह हो।	
विशेषता 9: व्यवसाय की पारदर्शिता	यथोचित
प्रश्न 8: देय खातों के दिनों की संख्याः (देय खाते* 365) / खरीदी गई वस्तुओं / सेवाओं की लागत)	
प्रश्न 9: ट्रेडिंग हाउसों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ क्रय और विक्रय के संकेंद्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ अग्रिम और निवेश का विवरणः	
क्रय का संकेंद्रण	
विक्रय का संकेंद्रण	
संबंधित पक्ष लेनदेन का हिस्साः	
क. क्रय मेंः (संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद / कुल खरीद)	
ख. विक्रय मेंः (संबंधित पक्षों को की गई बिक्री / कुल बिक्री)	
ग. ऋण और अग्रिम मेंः (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	
घः निवेश (पक्षों के संबंध में निवेशध्कुल निवेश)	
सिद्धांत 3: कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।	
विशेषता 5: कर्मचारियों के कल्याण एवं सुरक्षा को बढ़ाना	यथोचित
प्रश्न 1 (ग): कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर–स्थायी दोनों सहित) के कल्याण के उपायों पर किया गया व्ययः	
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर की गई लागत	
प्रश्न 11: कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरणः	
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति–घंटे कार्य के आधार पर)	
कुल दर्ज करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	
मृतकों की संख्या	
कार्यस्थल पर गंभीर चोट या स्वास्थ्य खराब होना (मौत के मामलों को छोड़कर)	
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।	
विशेषताएँ 6: व्यवसाय में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देना	यथोचित
प्रश्न 3 (ख): इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरीः	
प्रश्न 7: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत दर्ज की गई शिकायतें	
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	
महिला कर्मचारियों / श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पॉश के तहत शिकायतें	
पुष्टि की गई पॉश शिकायतें	

अनुबंध क – बीआरएसआर (कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट) मूल विशेषताएँ	
बीआरएसआर कोर संकेतक	**आश्वासन का प्रकार**
सिद्धान्त 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए।	
विशेषता 1: हरित– गृह (जीएचजी) फुटप्रिंट	
प्रश्न 7: हरित–गृह गैस उत्सर्जन का विवरण (स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन) और उसकी तीव्रता:	यथोचित
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति करोड़ रुपये का टर्नओवर	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) हेतु समायोजित, टर्नओवर के प्रति करोड़ रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
विशेषता 2: जल फुटप्रिंट	
प्रश्न 3: जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण:	यथोचित
स्रोत के अनुसार जल निकासी (किलोलीटर में)	
कुल जल निकासी की मात्रा (किलोलीटर में)	
कुल जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर में)	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल–सघनता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) हेतु समायोजित, प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर जल–सघनता	
भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मापदंड के संदर्भ में जल–सघनता	
प्रश्न 4: निस्तारित जल से संबंधित विवरण:	
गंतव्य एवं जल शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)	
कुल निस्तारित जल की मात्रा (किलोलीटर में)	
विशेषता 3: ऊर्जा फूटप्रिंट	
प्रश्न 1: कुल ऊर्जा खपत (जूल या उसके गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:	यथोचित
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा	
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा	
टर्नओवर के प्रति करोड़ रुपये पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा उपभोग/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) हेतु समायोजित प्रति करोड़ रुपये टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	

अनुबंध क – बीआरएसआर (कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट) मूल विशेषताएँ	
बीआरएसआर कोर संकेतक	**आश्वासन का प्रकार**
विशेषता 4: चक्रीयता को अपनाना – संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	
प्रश्न 9: संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें।:	यथोचित
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से प्राप्त राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) हेतु समायोजित, प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर अपशिष्ट की तीव्रता	
भौतिक उत्पादन / किसी अन्य प्रासंगिक मापदंड के संदर्भ में अपशिष्ट की तीव्रता	
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि के प्रकार के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना	
प्रश्न 4: आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के सापेक्ष इनपुट):	यथोचित
क. एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त।	
ख. सीधे भारत के घरेलू बाजार	
प्रश्न 5: छोटे शहरों में रोजगार सृजन– कुल मजदूरी लागत के: के रूप में छोटे शहरों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी/गैर–स्थायी/अनुबंध आधारित) को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण	
सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए	
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवहार में निष्पक्षता	
प्रश्न 7: डेटा उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:	यथोचित
क. डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या	
ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघन का प्रतिशत	
ग. डेटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो	

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट





वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2025–26 के लिए

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

वसुधैव कुटुम्बकम्

(संपूर्ण विश्व एक परिवार है)

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पंजाब नैशनल बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह रिपोर्ट समावेशी विकास, सामुदायिक उन्नति और सतत प्रथाओं के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका को भी सुदृढ़ करती है।

पंजाब नैशनल बैंक में, सीएसआर हमारे संस्थागत लोकाचार में गहराई से समाहित है। हम इसे समाज के समग्र कल्याण में योगदान देते हुए, अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को संतुलित करते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से कार्य करने हेतु एक रणनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं। हमारी पहल समुदायों के लिए दीर्घकालिक एवं सतत मूल्य सृजित करने के लिए तैयार की गई हैं, जो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और मापने योग्य समावेशी परिणाम प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, हमारी सीएसआर पहलें एक केंद्रित और व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित रहीं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अपनी व्यापक अखिल भारतीय उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारे पहुँच विविध भौगोलिक क्षेत्रों, विशेष रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों तक बने।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साथ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण

शिक्षा और कौशल विकास हमारी सीएसआर रणनीति के आधार स्तंभ बने हुए हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना स्थायी सामाजिक–आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए आवश्यक है।

हमारे किसान प्रशिक्षण केंद्रों(एफटीसी) तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों(आरसेटी) के माध्यम से, हमने वर्ष के दौरान 1.79 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इन कार्यक्रमों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों, उद्यमिता विकास, वोकेशनल ट्रेड्स तथा डिजिटल साक्षरता सहित विभिन्न गतिविधियों के व्यापक शृंखला को शामिल किया गया। लाभार्थियों के एक बड़े



हिस्से में महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति शामिल थे, जो समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

इसके अतिरिक्त, हमारे वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) ने 10,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे किसानों, स्वयं सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों और लघु उद्यमियों सहित 4 लाख से अधिक व्यक्तियों तक पहुँच सुनिश्चित हुई। इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय जागरूकता, जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

हमने 'पीएनबी राइजिंग स्टार्स' जैसी पहलों के माध्यम से मेधावी छात्रों को सहयोग देना भी जारी रखा, तथा उन्हें निरंतर शैक्षिक सहायता प्रदान की गई ताकि वे अपनी अकादमिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।

स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करना

स्वास्थ्य देखभाल निरंतर हमारे सीएसआर प्रयासों का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है। यह मानते हैं कि स्वस्थ आबादी राष्ट्रीय विकास का आधार हैं, पीएनबी स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता बढ़ाने और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान, हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सा उपकरणों के वितरण और दिव्यांगजन के लिए पुनर्वास सहायता सहित प्रभावशाली स्वास्थ्य पहलों की एक श्रृंखला का सहयोग किया। हमने कैंसर स्क्रीनिंग, मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और किशोर स्वास्थ्य शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विश्वसनीय संगठनों के साथ साझेदारी की।

महिलाओं और वंचित समुदायों तक पहुँचने पर विशेष बल दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ उन लोगों के लिए सुलभ हों जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य आउटरीच और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, हम एक स्वस्थ, अधिक समावेशी एवं सुदृढ़ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।

सामुदायिक सुदृढ़ता, राहत एवं समावेशी आउटरीच

पीएनबी आपदा के समय समुदायों का सहयोग करने तथा व्यापक सामाजिक कल्याण पहलों में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहा।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, हमने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास और बहाली में सहयोग मिला। 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' में हमारा योगदान पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति हमारे सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हमने सामुदायिक और धार्मिक संस्थानों को भी ऐसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर सहायता प्रदान की, जो विशेष रूप से तीर्थयात्रियों और स्थानीय समुदायों के लिए सार्वजनिक सुविधा और सुलभता को बढ़ाते हैं। ये पहलें न केवल संकट के समय बल्कि दैनिक सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी समाज के साथ खड़े रहने के हमारे संकल्प को दोहराती है, जिससे अधिक समावेशिता, सामंजस्य और सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना

पर्यावरणीय उत्तरदायित्व हमारे सीएसआर कार्यसूची का एक अभिन्न अंग बनी हुई है।

वर्ष के दौरान, हमने पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलें कीं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान, वर्षा जल संचयन पर जागरूकता अभियान और बुनियादी ढांचे के विकास में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल था। इन प्रयासों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य समुदायों में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना और एक हरित एवं अधिक स्थिर भविष्य में योगदान देना है।

खेल और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना

पीएनबी को खेलों, विशेष रूप से हॉकी के साथ अपने दीर्घकालिक जुड़ाव पर गर्व है, जिसका भारत की खेल विरासत में एक विशेष स्थान है।



'पीएनबी जूनियर हॉकी अकादमी' की स्थापना 18 अप्रैल 2002 को हुई थी। यह युवा प्रतिभाओं को निखारने और हॉकी में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल रही । खेल को आगे बढ़ाने और उन्नत करने के स्पष्ट विजन के साथ, अकादमी का नवीकरण किया गया तथा 6 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन हुआ, जो हमारी खेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है।

हमारी सीनियर हॉकी टीम ने वर्ष के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया, जिसमें 'पद्म श्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट जीतना शामिल है। हमें अपने उन खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को पहचान एवं सम्मान दिलाया। हमारे दो खिलाड़ी, श्री सुखजीत सिंह और श्री अभिषेक, जो दोनों ही ओलंपियन हैं, भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने ' पुरुष हॉकी एशिया कप



2025' में स्वर्ण पदक जीता। श्री अभिषेक को 2025 एशिया कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' से सम्मानित किया गया, जबकि श्री सुखजीत सिंह को हॉकी इंडिया द्वारा 'हॉकी इंडिया धनराज पिल्लै अवार्ड ऑफ द ईयर 2025' प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और एथलीटों के समर्थन में निरंतर निवेश के माध्यम से, हम प्रतिभाओं को निखारने और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्वयंसेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना

पीएनबी के सीएसआर प्रयासों की एक प्रमुख शक्ति हमारे कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी में निहित है। विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे स्टाफ सदस्यों ने निरंतर सामुदायिक कल्याण पहलों में अपना योगदान दिया है, जो सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक सुदृढ़ संस्कृति को प्रदर्शित करता है।

पीएनबी प्रेरणा ने भी इन प्रयासों विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और शैक्षिक सहायता जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी निरंतर सहभागिता हमारी सीएसआर पहलों के मानवीय आयाम को रेखांकित करती है और समाज को वापस कुछ लौटाने की हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

संधारणीयता का सामूहिक पथ

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी यात्रा का अवलोकन करते हुए, हम एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सीएसआर पहलें एक स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित है जिसका उदेश्य समुदायों में समावेशी, सतत और दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करना द्वारा निर्देशित हैं।

हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों के अटूट समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। हम सब मिलकर सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत, सुदृढ़ और स्थिर भविष्य बनाने की दिशा में कार्य करना जारी रखेंगे।

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

पीएनबी सीएसआर रिपोर्ट 2025–26

1. पंजाब नैशनल बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण

पंजाब नैशनल बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संवहनीय ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्ध ता के रूप में देखता है, जबकि इसके हितधारकों जैसे निवेशकों, ग्राहकों, कार्मिकों, कारोबार भागीदारों, स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और समाज के हितों को मान्यता दी जाती है और समाज के जीवन की गुणवत्ता में योगदान दिया जाता है। इस रणनीति के केंद्र में जीवंत समुदायों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता निहित है। हमारे निवेश के माध्यम से यह प्रतिबद्धता संस्थानों और कार्यक्रमों में जीवंत होती है, ताकि सामुदायिक विकास को स्थायी रूप से सहयोग और बढ़ाया जा सके। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक की सीएसआर गतिविधियों का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक आपदा राहत, कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रमों में सुधार करने तथा अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर केन्द्रित था।

2. बैंक अपनी सीएसआर रणनीति के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करता है:

2.1 संवहनीयता

पीएनबी का उद्देश्य ऐसे बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनना है जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभ हो।

संवहनीयता हमारेहमारे मूल कारोबार में और उससे परे पीएनबी की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार होने में विश्वास रखते हैं।



भारतीय भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम), युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, उनके आश्रितों और दिव्यांग कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान

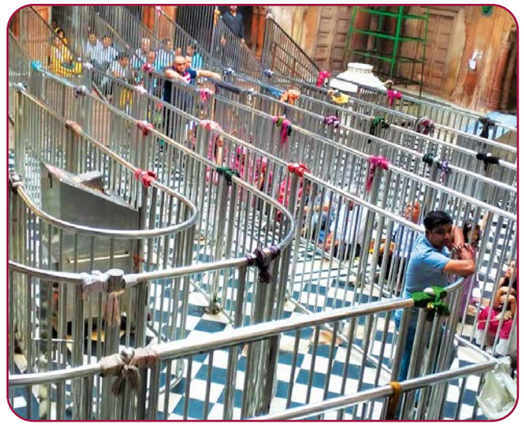


पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी(एसजीपीसी) को एक वातानुकूलित बस दान/भेंट की है।





पंजाब नैशनल बैंक ने 100 छात्र/छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए 'पीएनबी राइजिंग स्टार्स' के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 'युवा अनस्टॉपेबल' संस्था को सीएसआर सहयोग दिया है।





वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में स्टील रेलिंग लगवाने हेतु सीएसआर सहयोग।

2.2 कॉर्पोरेट स्वयंसेवा

हमारी सीएसआर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य "समाज को वापस देना" है। सीएसआर के संबंध में हम अपने कार्मिकों को जो संदेश देते हैं वह यह है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव हमारी भावी पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए, हम स्टाफ सदस्यों तथा स्थानीय लोगों की सक्रिय की भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियाँ कर रहे हैं।



पंजाब नैशनल बैंक ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों, धराली और हर्षिल में राहत कार्यों के लिए ₹ 1 करोड़ का योगदान दिया।

2.3 सामाजिक निवेश

एक सामाजिक रूप से जिम्मदार संगठन के रूप में, हम किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, वित्तीय साक्षरता हेतु केंद्रों पीएनबी प्रेरणा तथा अन्य पहलों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं। हम वंचित समुदायों को बेरोजगारी तथा निर्धनता दूर करने एवं शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपना भविष्य संवारने में सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश के रूप में माना जाता है।

क. **किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों जिनमें जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी का रखरखाव, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पापड़ बनाना, सॉफ्ट टॉय बनाना, कटिंग, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल हैं, में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के कौशल विकास हेतु सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए मोबाइल वैन और एलईडी से सुसज्जित किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इन केंद्रों में 1,10,061 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। जिनमें से 52,439 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से, किसान प्रशिक्षण केंद्रों ने 20,42,240 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 5,08,710 महिलाएं थीं। बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इसके अंतर्गत ₹ 1294.71 लाख व्यय किए।



ज्ञान साझा करने, कौशल विकास एवं सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।

ख. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** भारत में 78 आरसेटी (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहलें) संचालित हैं, जो स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इन केंद्रों में 69,798 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 61,022 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित हैं और 56,769 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 7,51,746 है, जिनमें से 4,12,623 गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से थे और 5,23,350 महिलाएं थीं। हमारे आरसेटी समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से अब तक कुल 5,27,399 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इसके अंतर्गत ₹ 6,175.36 लाख व्यय किए।



आरसेटी कौशल विकास पहल – विभिन्न आरसेटी कार्यक्रमों के तहत व्यावसायिक और उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थी, जो व्यक्तियों को स्वरोजगार और सतत आजीविका के अवसरों के लिए कौशल और ज्ञान से सशक्त बना रहे हैं।

ग. **वित्तीय साक्षरता केंद्र:** बैंक के 168 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं। इन केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लक्षित समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। 1 अप्रैल, 2025 से 1 मार्च, 2026 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनार/कार्यक्रम/शिविरों की कुल संख्या 10,810 है और इन कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों की संख्या 4,17,254 रही ।





वित्तीय जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं उत्तरदायी बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना।

2.4 स्वास्थ्य

हम इस अवधारणा का दृढ़ता से समर्थन करते हैं कि स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ मन और शरीर राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसालिए, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो इस तरह के संवर्द्धन को सुविधाजनक बनाते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने जन सामान्य के कल्याण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियाँ आरंभ की हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सफलतापूर्वक 'रुचिका सोशल सर्विसेज' को हर्से वैन प्रदान करना और समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता हेतु अन्य गतिविधियाँ जैसे कल्याणकारी कार्य किए हैं।





"पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 'सतर्कता रू हमारी साझा जिम्मेदारी' विषय पर 27 अक्टूबर से 02 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत अखिल भारतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित इस पहल की गरिमामयी उपस्थिति में श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ, श्री डी. सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक तथा श्री राघवेंद्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। मानवता एवं संवेदनशीलता के साथ समाज सेवा की भावना को सुदृढ़ करते हुए, ये शिविर पीएनबी की एक सतर्क एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन के रूप में प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं।"





"दिल्ली सरकार के विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता एवं जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु 'प्रोजेक्ट चेतना 2.0' के अंतर्गत सच्ची सहेली को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहयोग।"







पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र (पीआरसी), मोहाली में पुनर्वास सहायता एवं कल्याणकारी गतिविधियों हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहयोग।



गोरखनाथ अस्पताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में व्हीलचेयर एवं चिकित्सा उपकरणों का वितरण।



मुंबई अंचल के मुंबई सिटी मण्डल में एनसीबी द्वारा 'नशा मुक्त भारत साइक्लोथॉन' का आयोजन किया गया।

2.5 हरित पहल

पंजाब नैशनल बैंक अपने राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति समर्पित है। यह बैंक की सीएसआर रणनीति का एक मुख्य स्तंभ है, जिसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का सामना करना है। ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में स्वदेशी पौधों के रोपण पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक न केवल कार्बन संचय में योगदान देता है, अपितु स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सामुदायिक आजीविका का भी समर्थन करता है।



वृक्षारोपण अभियान – श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

2.6 शिक्षा

बैंक समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी सीएसआर गतिविधियों को जारी रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है और युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य निर्माण में सहायक है ।





देश के भविष्य निर्माण हेतु भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अध्ययनरत 100 वंचित जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहयोग।



सीएसआर के अंतर्गत गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विद्यालय में खेल किट का वितरण।



राझी प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश में खेल किट, कैरी बैग एवं खाद्य पैकेटों का वितरण किया गया।



उत्तर प्रदेश में आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा वंचित विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं पानी की बोतलों का वितरण किया गया।"



विद्यालयी बच्चों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विजयवाड़ा के एक विद्यालय में 2 मेज एवं 22 दीवार पंखों का वितरण किया गया।

2.7 खेलों को प्रोत्साहन:

पीएनबी भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। उत्कृष्टता की संस्कृति को विकसित करके और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा प्रदान करके, बैंक अपनी सीनियर टीम और जूनियर अकादमी के माध्यम से देश के खेल परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

1. पीएनबी सीनियर हॉकी टीम

अप्रैल 2004 में अपनी स्थापना के बाद से, पीएनबी सीनियर हॉकी टीम घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली टीम के रूप में उभरी है। वर्तमान में, टीम में **25 विशिष्ट खिलाड़ी** शामिल हैं, जिनमें से सभी बैंक के समर्पित कर्मचारी हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व:** टीम में **9 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी** हैं जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
- **विशिष्ट उपलब्धियां:** हमारे दो उत्कृष्ट खिलाड़ी, **श्री सुखजीत सिंह (ओलंपियन) और श्री अभिषेक (ओलंपियन)** निरंतर रूप से भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के राजगीर में आयोजित **पुरुष हॉकी एशिया कप 2025** में **स्वर्ण पदक** जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

व्यक्तिगत सम्मान (2025):

- **श्री अभिषेक:** 2025 एशिया कप में "प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट" के रूप में सम्मानित किया गया।

- **श्री सुखजीत सिंहः** प्रतिष्ठित **"हॉकी इंडिया धनराज पिल्लै अवार्ड ऑफ द ईयर 2025"** से सम्मानित किया गया।

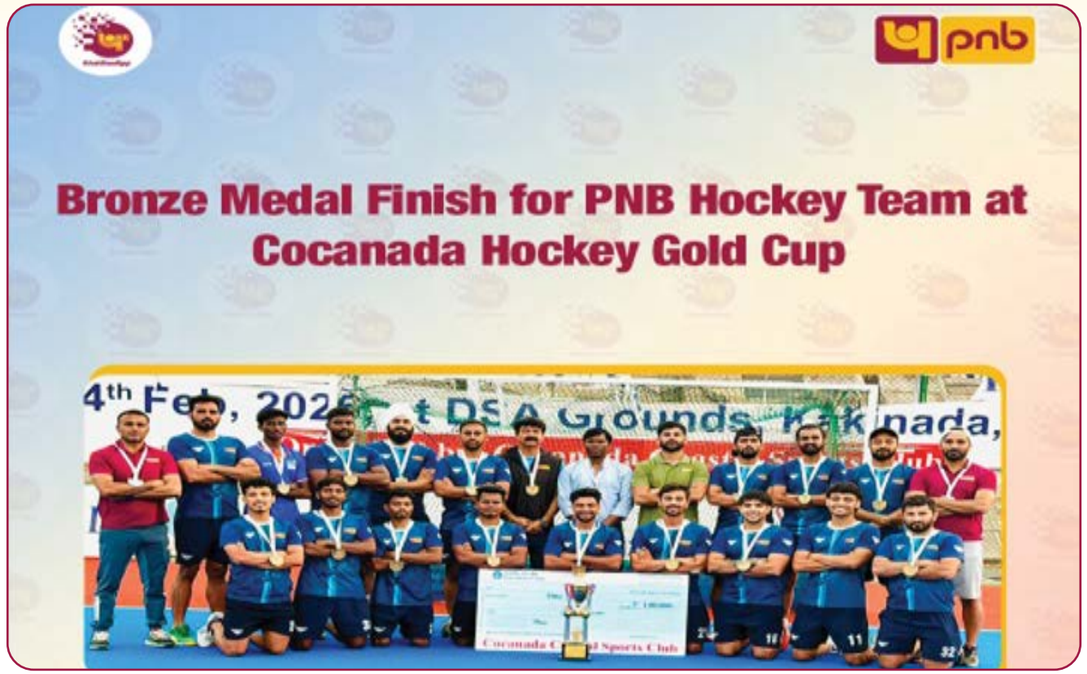
आधारभूत ढांचा और सहायता

बैंक अपने खिलाड़ियों के लिए एक व्यापक पेशेवर इको सिस्टम प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:

- पूर्ण लॉजिस्टिक्स सहयोग, खेल किट और आहार भत्ते।
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, आहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट तक पहुंच।
- पेशेवर स्तर के एस्ट्रोटर्फ मैदान और व्यापक बीमा कवरेज।

इस वित्त वर्ष 25–26 में पीएनबी सीनियर हॉकी टीम ने जिन हॉकी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	टूर्नामेंट की अवधि	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप	पीएनबी हॉकी टीम की स्थिति
1.	23/05/2025-01/06/2025	14वां अखिल भारतीय लक्ष्मी अम्माल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट – कोविलपट्टी, तमिलनाडु	तृतीय स्थान
2.	20/09/2025- 30/09/2025	43वां अखिल भारतीय के. डी. सिंह बाबू मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट – लखनऊ	लीग चरण
3.	30/09/2025 -10/10/2025	5वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर–विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप – जमशेदपुर, झारखंड	लीग चरण
4.	01/11/2025 -08/11/2025	35वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट – शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली	सेमी फाइनलिस्ट
5.	08/11/2025 -16/11/2025	126वां अखिल भारतीय बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट – कोलकाता	लीग चरण
6.	04/02/2026 -14/02/2026	पहला कोकानडा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट – काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	तृतीय स्थान
7.	17/02/2026- 24/02/2026	पद्म श्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट – वाराणसी	लीग चरण
8.	20/03/2026 -22/03/2026	भुलत्थ हॉकी कप – जालंधर, पंजाब	लीग चरण





श्री सुखजीत सिंह को हॉकी इंडिया द्वारा 'हॉकी इंडिया धनराज पिल्लै अवॉर्ड ऑफ द ईयर 2025' से सम्मानित किया गया।

2. **पीएनबी जूनियर हॉकी अकादमी**

18 अप्रैल, 2002 को स्थापित, पीएनबी जूनियर हॉकी अकादमी जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए समर्पित एक प्रमुख पहल है। अकादमी का व्यापक रूप से नवीकरण किया गया तथा हमारे **माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अशोक चंद्र द्वारा 6 जनवरी, 2026 को अकादमी का औपचारिक पुनः उद्घाटन किया गया,** जो युवा विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक नए अध्याय का प्रतीक है।

अकादमी की मुख्य विशेषताएं:

- **प्रतिभा पूलः** वर्तमान में एक संरचित, उच्च–प्रदर्शन वाले वातावरण में **15 प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों** को तैयार किया जा रहा है।
- **समग्र कल्याणः** आवासीय छात्रावास की सुविधा और वैज्ञानिक रूप से संतुलित पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।
- **पेशेवर मार्गदर्शनः** कुशल कोच, एक समर्पित आहार विशेषज्ञ, एक अनुभवी डॉक्टर और एक पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट की टीम तैनात की गई हैं।
- **वित्तीय सहायताः** प्रशिक्षार्थियों को उनके कल्याण के लिए ₹ 2,500/– का मासिक वजीफा (स्टाइपेंड) मिलता है।
- **लोजीस्टिकः** खिलाड़ियों को स्टेडियम में दैनिक अनुशासित अभ्यास सत्रों में भाग लेने के लिए व्यापक परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।



हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अशोक चंद्र द्वारा 6 जनवरी 2026 को हॉकी अकादमी का उद्घाटन।

इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से, पंजाब नैशनल बैंक अपने खेल उत्कृष्टता की विरासत का निर्माण करना जारी रखे हुए है, जो युवा एथलीटों को वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सशक्त बनाता है।

2.8 अन्य सीएसआर पहल

क. **पीएनबी प्रेरणा,** बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के पति/पत्नी के साथ–साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संघ है, जो बैंक की सीएसआर गतिविधियों का संचालन करने/बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का समर्थन करना है।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर पीएनबी प्रेरणा की अध्यक्ष सुश्री रजनीगंधा, उपाध्यक्ष सुश्री सुमति, सुश्री अनीता महापात्र, सुश्री लावण्या एवं सुश्री रुचि श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली में सर्वाइकल और स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के लिए कैंसर अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ट्रस्ट (सीएपीईडी) को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहयोग प्रदान करते हुए।



पीएनबी प्रेरणा की अध्यक्ष सुश्री रजनीगंधा एवं उपाध्यक्ष सुश्री अनीता महापात्र द्वारा सामुदायिक कल्याण पहलों के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु 'द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन' को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वित्तीय सहायता प्रदान की गई।



पीएनबी प्रेरणा की अध्यक्ष सुश्री रजनीगंधा, उपाध्यक्ष सुश्री अनीता महापात्र एवं सुश्री रुचि श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय के आधारभूत विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों हेतु जीएसकेवी मटियाला, नई दिल्ली को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहायता चेक प्रदान किया गया।

ख. सीएसआर के अंतर्गत अन्य कल्याणकारी गतिविधियां



पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, मुंबई द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत इस्कॉन द्वारा संचालित 'फूड फॉर लाइफ' अभियान को सहयोग प्रदान किया गया। इस अभियान के अंतर्गत ठाणे जिले के वाडा क्षेत्र के जरूरतमंद ग्रामीण लाभान्वित हुए।



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के अंतर्गत आगरा के अंचल प्रबंधक द्वारा रनकता स्थित सूर कुटी में रूम हीटर एवं भोजन थालियों का वितरण किया गया।





हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित कमांडेंट, चौथी आईआरबी जंगल बेरी को बेंचों का दान किया गया।



हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में काउंटर टेबल एवं ओवन की स्थापना।



गोरखनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश में वॉटर कूलर की स्थापना।



उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय बेनती के जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित प्राथमिक विद्यालय, मखदूमपुर के जरूरतमंद विद्यार्थियों को पानी की बोतलों का वितरण किया गया।



प्री–प्राइमरी स्कूल, मनकौटी, मलिहाबाद के जरूरतमंद छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।



प्राथमिक विद्यालय, चंदवारा के जरूरतमंद विद्यार्थियों को खेल सामग्री प्रदान की गई।



डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू तथा एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ मिलकर 'पीएनबी हाफ मैराथन दिल्ली 2025 - #PNBCyberRun, को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य फिटनेस, साइबर जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।



एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ 'पीएनबी हाफ मैराथन दिल्ली 2025 - #PNBCyberRun, के दौरान उत्साही धावकों के साथ यादगार क्षण साझा किए। यह आयोजन फिटनेस, टीम भावना एवं साइबर जागरूकता को समर्पित रहा।

स्तम्भ 3: दिनांक 31.03.2026 के लिए बासेल III के अंतर्गत प्रकटीकरण

(समेकित)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III (समेकित आधार और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूंजी, एनपीए और उधोगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाईट पर अलग से प्रदर्शित किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईटः www.pnb.bank.in > Regulatory Disclosures > Basel III Disclosures > Financial year 2025–2026 देखें।

(वेब लिंकः https://www.pnb.bank.in/Basel-III-Disclosures.html)

इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित हैः

क्र. सं.	तालिकायें	विवरण
1.	तालिका DF – 1	प्रयोज्यता का दायरा
2.	तालिका DF – 2	पूंजी पर्याप्तता
3.	तालिका DF – 3	ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटीकरण
4.	तालिका DF – 4	ऋण जोखिमः मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
5.	तालिका DF – 5	ऋण जोखिम न्यूनीकरणः – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
6.	तालिका DF – 6	प्रतिभूतिकरण एकस्पोजरः मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण –
7.	तालिका DF – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
8.	तालिका DF – 8	परिचालनगत जोखिम
9.	तालिका DF – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
10.	तालिका DF – 10	प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण
11.	तालिका DF – 11	पूंजी की सरंचना
12.	तालिका DF – 12	पूंजी की सरंचना – मिलान सम्बन्धी अपेक्षायें
13.	तालिका DF – 13	विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषतायें
14.	तालिका DF – 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें एवं निबन्धन
15.	तालिका DF – 15	पारिश्रमिक हेतु प्रकटीकरण आवश्यकताएँ
16.	तालिका DF – 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही की स्थिति के लिए प्रकटीकरण
17.	तालिका DF – 17	लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर माप की संक्षिप्त तुलना
18.	तालिका DF – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेटस

विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

एकल वित्तीय विवरणियां



लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

प्रति,

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए
एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2026 को पंजाब नैशनल बैंक (बैंक), के एकल वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र, एकल लाभ और हानि लेखा और एकल नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण, लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें प्रधान कार्यालय, 22 अंचल कार्यालयों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं:

   i. 20 शाखाएँ, ट्रेजरी विभाग, क्रेडिट कार्ड विभाग और अन्य 39 कार्यालय हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए।

   ii. 2042 भारतीय शाखाएँ और अन्य कार्यालय सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए।

   iii. 1 विदेशी शाखा स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।

   iv. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई शाखाओं का चयन किया गया। तुलनपत्र, लाभ–हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में 9312 शाखाओं से प्राप्त रिटर्न भी शामिल हैं, जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन गैर–लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम राशि का 25.01%, जमाराशि का 56.92%, ब्याज आय का 19.32% और ब्याज व्यय का 52.50% भाग है।

2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

   क. टिप्पणियों सहित् पठित, एकल तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके,

   ख. टिप्पणियों सहित पठित, एकल लाभ और हानि लेखा, सही लाभशेष दर्शाता है, तथा

   ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र है. और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं. वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिमों का वर्गीकरण, आय मान्यता, तथा गैर–निष्पादित अग्रिमों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान करना (लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम, बैंक की कुल आस्तियों का 61.70 प्रतिशत हैं। अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है। विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है। अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत हो सकता है, और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	अग्रिमों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आस्तियों के वर्गीकरण और उनके प्रावधानों के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आईआरएसी मानदंडों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों व प्रक्रियाओं की नमूना आधार पर समझ शामिल थी, और हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया: अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की नमूना जांच के आधार पर जांच की गई, ताकि मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके तथा इन अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में बैंक और आरबीआई निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न लेखापरीक्षाओं की टिप्पणियों के अनुपालन का पता लगाया जा सके। • तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक की पहचान करने और इसके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। • हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, हमने अग्रिम खातों के दस्तावेजीकरण, परिचालन/निष्पादन और निगरानी की समीक्षा की है, ताकि किसी भी अग्रिम खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, जिसमें आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन में नमूना आधार पर वर्गीकरण की जांच शामिल है। इसके लिए हमने अन्य वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है, जिनके साथ हमने विनिर्दिष्ट पत्राचार भी किया है। • 'एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। तदनुसार, हमने एनपीए की पहचान और आय के अनुरूप प्रतिवर्तन तथा प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। • बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे निगरानी तंत्रों के अस्तित्व और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए क्रेडिट लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, नियामक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की गई।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन, तथा गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान करना (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ ले) निवेश, बैंक की कुल आस्तियों का 24.88 प्रतिशत हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों /निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। नमूने का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल थीं। • हमने एनपीआई की पहचान, और आय के तदनुरूपी व्युत्क्रम और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। • हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेशों के वर्गीकरण के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का आकलन और मूल्यांकन किया है। • हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान की पुनर्गणना की।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलनः आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण। नियामकों आदि का अन्य नियामक अनुपालन भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं:– • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा प्रविष्टि को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
	• बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर तैयार की गई रिपोर्टों की समीक्षा करना। • सीबीएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसएएससीएल एप्लीकेशन (आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा भी शामिल है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ (लेखांकन नीति संख्या 12 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 का संदर्भ लें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। । बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा गया, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय /कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहेः–** • लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसे तैयार कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों; • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; • विभिन्न कर प्राधिकरियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है। • महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

अन्य मामले

5. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2042 शाखाओं और अन्य कार्यालयों, 1 विदेशी शाखा और 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी' में स्थित 1 'इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट' के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया है। इन शाखाओं/सूचनाओं के वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 तक ₹4,34,083.95 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹28,363.22 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं, अन्य कार्यालय और विदेशी शाखाएं 31 मार्च, 2026 तक बैंक के कुल अग्रिम का 28.22%, जमा का 34.96% और गैर–निष्पादित आस्तियों का 27.09% कवर करती हैं, और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व का 19. 29% हिस्सा कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई

गई है। शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और खुलासों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट शामिल हैं (लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं और न ही देंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमारे लिए उस मामले की सूचना उन लोगों को देना आवश्यक है जो शासन के लिए जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानक जहां तक लागू हों, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करना; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि ऐसे एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ये निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि का एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। प्रचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानको (एसएएस) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो।

धोखाधड़ी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सृजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से इसे सही विवरणी माना जाता है, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है। लेखामानको के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हमः

- एकल वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी विवरण में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है. तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, इसके लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वास्तविकता वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों का वह पैमना है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और

(ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं. लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पहचानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं। हम अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जिन्हें तार्किक रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी साझा करते हैं।

अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रदान करते हैं, जब तक कि विधि या नियम उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करते हों या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि तार्किक रूप से ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकत्ताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 8 से 9 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन रहते हुऐ, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है:
- बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और
- बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त लिखतों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व पर पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020, जो आरबीआई द्वारा पूर्ववर्ती जारी पत्र दिनांक 19 मई 2020 के साथ पठित है, की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- हमारे अभिमत में. उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।
- वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है. अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।
- खातों के रखरखाव और उससे संबन्धित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
- वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक का में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं।
- इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा अनिरीक्षित शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;
- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और
- हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 119250W

सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 137970)
यूडीआईएनः 26137970JHIIND4442

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000425N

सनदी लेखाकार राजन उप्पल
भागीदार
(सदस्य सं. 097379)
यूडीआईएनः 26097379YOYDKH7175

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000429N

सनदी लेखाकार एनके भार्गव
भागीदार
(सदस्य सं. 080624)
यूडीआईएनः 26080624ODHZIH9090

कृते पीए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 313085E

सनदी लेखाकार ब्रज नन्दा दास
भागीदार
(सदस्य सं. 062142)
यूडीआईएनः 26062142PNPGTD8131

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः मई 05, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध 'ए'

(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पत्र डीओएस. एआरजी सं. 6270/08 91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथासंशोधित) ('आरबीआई संचार) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

अभिमत

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वितीय विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2026 तक की पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण ों के आधार पर एवं नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। 31 मार्च, 2026 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह निष्कर्ष भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ' द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट ' में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्व ारा स्थापित मानदंडों पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव जो बैंक की नीतियों के पालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उसका पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथोपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे ? और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं ?

हमारी लेखापरीक्षा में वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन

करना कि भौतिक कमी मौजूद है और मूल्यांकन किये गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और भाव का परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने सबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकरणानुसार किए जा रहे हैं, तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिभाव शामिल हैं त्रुटि या घोखाधड़ी के हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 2044 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों / शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोटों पर आधारित है।

इन मामले के संबंध में हमारा अभिमत बदला नहीं है।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 119250W

सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 137970)
यूडीआईएनः 26137970JHIIND4442

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000425N

सनदी लेखाकार राजन उप्पल
भागीदार
(सदस्य सं. 097379)
यूडीआईएनः 26097379YOYDKH7175

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000429N

सनदी लेखाकार एनके भार्गव
भागीदार
(सदस्य सं. 080624)
यूडीआईएनः 26080624ODHZIH9090

कृते पीए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 313085E

सनदी लेखाकार ब्रज नन्दा दास
भागीदार
(सदस्य सं. 062142)
यूडीआईएनः 26062142PNPGTD8131

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः मई 05, 2026

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च 2026 के अनुसार एकल तुलन पत्र

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

विवरण	अनुसूची	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	2298,58,87	2298,58,87
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	140351,15,16	125063,65,73
जमाराशियाँ	3	1711126,33,12	1566623,28,30
उधार	4	82314,32,43	83776,71,52
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	49802,07,85	40408,48,71
कुल		**1985892,47,43**	**1818170,73,13**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	6	60855,52,03	64304,60,79
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	7	101091,54,93	84415,23,38
निवेश	8	494111,83,99	497311,25,22
अग्रिम	9	1225292,29,84	1077474,57,19
अचल आस्तियां	10	15576,77,04	13053,38,67
अन्य आस्तियां	11	88964,49,60	81611,67,88
कुल		**1985892,47,43**	**1818170,73,13**
आकस्मिक देयताएं	12	487587,72,81	652244,40,02
वसूली के लिए बिल		35566,15,62	39512,92,10
प्रमुख लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		
उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं			

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव	डी. सुरेन्द्रन	विभु प्रसाद महापात्र	एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला	अंबरीष ओझा	उमा शंकर	डी. आनंदन
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी	कृते एनके भार्गव एंड केपनी	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी	कृते पीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 119250W	एफ़आरएन : 000429N	एफ़आरएन : 000425N	एफ़आरएन : 313085E
सनदी लेखाकार अखिल जैन	सनदी लेखाकार एनके भार्गव	सनदी लेखाकार राजन उप्पल	सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 137970)	(सदस्य सं. 080624)	(सदस्य सं. 097379)	(सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि खाता

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	अनुसूची	31.03.2026 को समाप्त अवधि	31.03.2025 को समाप्त अवधि
I	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	128223,19,25	121760,72,70
	अन्य आय	14	18793,96,66	16309,37,13
	कुल		**147017,15,91**	**138070,09,83**
II	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	86263,41,64	78978,55,72
	परिचालन खर्च	16	31464,11,07	32260,87,15
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		12385,64,25	10200,46,84
	कुल		**130113,16,96**	**121439,89,71**
III	**लाभ**			
	अवधि के लिए निवल लाभ		**16903,98,95**	**16630,20,12**
	लाभ और हानि खाते में शेष राशि		**1,64,40**	**80,81**
IV	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण		4225,99,73	4157,55,03
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण		1598,53,80	474,19,86
	निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण		830,19,20	1049,66,29
	आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण		925,00,00	1700,00,00
	प्रस्तावित लाभांश		3447,88,30	3332,95,35
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		5876,00,00	5915,00,00
	लाभ और हानि खाते में शेष राशि		202,32	164,40
	कुल		**16905,63,35**	**16631,00,93**
	प्रति शेयर आय (₹) (मूल/डायल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)		**14.71**	**14.77**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	18		
	उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ व हानि लेखों का एक अभिन्न अंग हैं			

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव	डी. सुरेन्द्रन	विभु प्रसाद महापात्र	एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला	अंबरीष ओझा	उमा शंकर	डी. आनंदन
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 119250W	कृते एनके भार्गव एंड केपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 000429N	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 000425N	कृते पीए एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 313085E
सनदी लेखाकार अखिल जैन भागीदार (सदस्य सं. 137970)	सनदी लेखाकार एनके भार्गव भागीदार (सदस्य सं. 080624)	सनदी लेखाकार राजन उप्पल भागीदार (सदस्य सं. 097379)	सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास भागीदार (सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक – एकल लेखों की अनुसूचियां

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
अनुसूची 1 – पूंजी		
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 के इक्विटी शेयर (गत वर्ष ₹ 2 के 1500,00,00,000 के इक्विटी शेयर)	**3000,00,00**	**3000,00,00**
जारी एवं अभिदत्त		
प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर)	**2298,58,87**	**2298,58,87**
प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर)	**2298,58,87**	**2298,58,87**
उपर्युक्त में प्रत्येक ₹ 2 के केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 805,41,25,685 (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) शामिल हैं,		
कुल	**2298,58,87**	**2298,58,87**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
I	**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष**				
	सांविधिक आरक्षित निधियां				
	प्रारंभिक शेष	21996,98,80		17839,43,77	
	अवधि के दौरान वृद्धि	0		0	
	जोड़ें: लाभ व हानि विनियोग खाते से अंतरित	4225,99,73		4157,55,03	
	वर्ष के दौरान कटौती	0		0	
		----------	**26222,98,53**	----------	**21996,98,80**
II	**पूंजीगत आरक्षित निधियां**				
क)	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां**				
	प्रारंभिक शेष	8308,43,19		8305,62,99	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल)	2232,95,08		103,12,50	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	0		0	
	घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों से अंतरित (निवल)	178,04,60		100,32,30	
		----------	**10363,33,67**	----------	**8308,43,19**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
ख)	**अन्य**				
	(₹ 9268.29 करोड़ के समामेलन आरक्षित निधि सहित)				
	प्रारंभिक शेष	17148,50,09		16673,84,36	
	जोड़ें: लाभ–हानि विनियोग खाते से अंतरित	1598,53,80		474,19,86	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	0		45,87	
		----------	**18747,03,89**	----------	**17148,50,09**
III	शेयर प्रीमियम				
	प्रारंभिक शेष	50903,36,93		46012,18,78	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	0		4891,18,15	
		----------	**50903,36,93**	----------	**50903,36,93**
IV	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां				
क)	**निवेश आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	0		386,34,51	
	घटाएं: निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित	0		386,34,51	
		----------	**0**	----------	**0**
ख)	**निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	3313,36,00		1877,35,20	
	जोड़ें: निवेश आरक्षित निधि से अंतरित	0		386,34,51	
	अवधि के दौरान वृद्धि	0		0	
	जोड़ें: लाभ व हानि विनियोग खाते से अंतरित	830,19,20		1049,66,29	
	घटाएं: लाभ व हानि विनियोग खाते से अंतरित	0		0	
		----------	**4143,55,20**	----------	**3313,36,00**
ग)	**विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	257,93,32		238,88,44	
	जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि	126,07,16		21,26,87	
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौती	4,82,64		2,21,99	
		----------	**379,17,84**	----------	**257,93,32**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
घ)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	5715,78,00		4015,78,00	
	अन्य आरक्षित निधियों से अंतरित	0		0	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	925,00,00		1700,00,00	
		---	**6640,78,00**	---	**5715,78,00**
ड़)	**अन्य आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	17038,10,31		8924,10,17	
	जोड़ें: निवेश पोर्टफोलियो के परिवर्तन का प्रभाव	0		2098,67,84	
	जोड़ें: लाभ एवं हानि विनियोग खाते से अंतरित	5876,00,00		5915,00,00	
	जोड़ें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से अंतरित (निवल)	178,04,60		100,32,30	
	घटाएं: अवरुद्ध खातों के लिए भुगतान	0		0	
		---	**23092,14,91**	---	**17038,10,31**
च)	**एएफएस – आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	379,54,69		0	
	जोड़ें निवेश पोर्टफोलियो के परिवर्तन का प्रभाव	0		-46,30,50	
	जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि / (कटौती) (कर प्रभाव सहित निवल)	-522,80,82		425,85,19	
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौती	0		0	
		---	**-143,26,13**	---	**379,54,69**
V	**लाभ और हानि खाते में शेष राशि**				
	प्रारम्भिक शेष	1,64,40		80,81	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	16903,98,95		16630,20,12	
	घटाएं: लाभ और हानि विवरणी के अनुसार विनियोजन	16903,61,03		16629,36,53	
		---	**2,02,32**	---	**1,64,40**
	कुल (I, II, III, IV और V)		**140351,15,16**		**125063,65,73**
	अनुसूची 3 – जमाराशियाँ				
क) I	**मांग जमाराशियाँ**				
	(i) बैंकों से	3277,93,02		3448,35,21	
	(ii) अन्य से	76019,64,55		71665,16,36	
		---	**79297,57,57**	---	**75113,51,57**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
II	**बचत बैंक जमाराशियाँ**		**530321,26,84**		**498429,41,22**
III	**सावधि जमाराशियाँ**				
	(i) बैंकों से	120287,95,50		95890,89,09	
	(ii) अन्य से	981219,53,21		897189,46,42	
		---	**1101507,48,71**	---	**993080,35,51**
	कुल (I, II और III)		**1711126,33,12**		**1566623,28,30**
ख)	(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		1649059,79,99		1511335,50,28
	(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		62066,53,13		55287,78,02
	कुल		**1711126,33,12**		**1566623,28,30**
	कुल जमाराशियों में से, वह जमाराशियाँ जिसके विरुद्ध ग्रहणाधिकार अंकित किया गया ह		**92618,61,58**		**75664,12,66**
	अनुसूची 4 – उधार				
ए.	**भारत में उधार राशियाँ**				
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक से		17152,00,00		28673,00,00
	(ख) अन्य बैंकों से		54		59,60
	(ग) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से		11478,07,32		6501,54,80
	(घ) अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड				
	(i) टियर–I बॉण्ड (स्थायी ऋण लिखत)	14197,00,00		14692,00,00	
	(ii) अपर टियर–II बॉण्ड	0		0	
	(iii) टियर II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण	15009,00,00		20003,00,00	
	(iv) दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड	2950,00,00		2950,00,00	
		---	**32156,00,00**	---	**37645,00,00**
II-	**भारत के बाहर उधार राशियाँ**		21528,24,57		10956,57,12
	कुल (I और II)		**82314,32,43**		**83776,71,52**
	उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां		24837,49,54		35539,62,77
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान				
ए.	देय बिल		3067,85,55		4378,02,44
II	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)		53,18,55		76,88,89

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
III	उपचित ब्याज	3775,86,33		4468,76,39	
IV	आस्थगित कर देयता (निवल)	0		0	
V	अन्य (प्रावधानों सहित)	42905,17,42		31484,80,99	
	कुल	**49802,07,85**		**40408,48,71**	
	अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष				
I-	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	3450,32,23		3211,99,65	
II	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि				
	(क) चालू खाते में	44611,19,80		59401,61,14	
	(ख) अन्य खातों में	12794,00,00		1691,00,00	
	कुल (I और II)	**60855,52,03**		**64304,60,79**	
	अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि				
I	**भारत में**				
	(i) बैंकों में शेष राशि				
	(क) चालू खातों में	2,64,98		847,97,83	
	(ख) अन्य जमा खातों में	28444,28,45		19628,57,11	
		----------	**28446,93,43**	----------	**20476,54,94**
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि				
	(क) बैंकों के पास	0		0	
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास	11959,05,01	**11959,05,01**	16247,76,82	**16247,76,82**
		----------		----------	
	कुल (i और ii)		**40405,98,44**		**36724,31,76**
II-	भारत से बाहर				
	(i) बैंकों के पास शेष राशियाँ				
	(क) चालू खातों में	13116,32,77		12646,16,62	
	(ख) अन्य जमा खातों में	47569,23,72		35044,75,00	
		----------	**60685,56,49**	----------	**47690,91,62**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**0**	**0**
	कुल (i और ii)	**60685,56,49**	**47690,91,62**
	कुल योग (I और II)	**101091,54,93**	**84415,23,38**
	अनुसूची 8 – निवेश		
I	**भारत में निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	406218,54,20	419628,18,67
	(ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0	0
	(iii) शेयर	10044,26,90	7195,86,03
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	46960,35,44	38406,40,91
	(v) सहायक और/या संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थाओं सहित)	2701,51,30	2113,61,46
	(vi) अन्य म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण–पत्र आदि।	17866,57,79	18145,03,80
	कुल	**483791,25,63**	**485489,10,87**
II	भारत से बाहर निवेश		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	7959,15,08	9305,49,19
	(ii) विदेश में सहायक और/या संयुक्त उद्यम	1821,99,21	1819,61,98
	(iii) अन्य	539,44,07	697,03,18
	कुल	**10320,58,36**	**11822,14,35**
	कुल योग (I और II)	**494111,83,99**	**497311,25,22**
III	भारत में निवेश		
	(i) निवेश का सकल मूल्य	486390,07,92	490113,43,95
	(ii) घटाएं: मूल्यह्रास तथा हानि के लिए प्रावधानों का कुल योग	2598,82,29	4624,33,08
	(iii) निवल निवेश (देखें उपर्युक्त I)	**483791,25,63**	**485489,10,87**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
IV	भारत से बाहर निवेश		
	(i) निवेश का सकल मूल्य	10992,31,47	12562,80,68
	(ii) घटाएं: मूल्यह्रास तथा हानि के लिए प्रावधानों का कुल योग	671,73,11	740,66,33
	(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II देखें)	**10320,58,36**	**11822,14,35**
	कुल योग (III और IV)	**494111,83,99**	**497311,25,22**
	अनुसूची 9 – अग्रिम		
क	(i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	9364,74,36	5985,23,92
	(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	496614,27,90	448069,66,32
	(iii) मियादी ऋण	719313,27,58	623419,66,95
	कुल	**1225292,29,84**	**1077474,57,19**
ख	(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर दिए गये अग्रिम सहित)	918823,89,23	810835,54,43
	(ii) बैंक/सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत	20404,86,80	25370,91,91
	(iii) अप्रतिभूत	286063,53,81	241268,10,85
	कुल	**1225292,29,84**	**1077474,57,19**
ग I	भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता क्षेत्र	375029,51,00	293804,35,31
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	211302,00,48	189063,19,28
	(iii) बैंक	1045,76,15	0
	(iv) अन्य	572305,88,95	544018,04,75
	कुल	**1159683,16,58**	**1026885,59,34**
ग II	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	29196,73,89	26197,45,61
	(ii) अन्य से प्राप्य		
	(क) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1175,69,58	1740,73,92
	(ख) सामूहिक ऋण	6929,67,59	5520,37,59
	(ग) अन्य	28307,02,20	17130,40,73
	कुल	**65609,13,26**	**50588,97,85**
	कुल योग (ग I और ग II)	**1225292,29,84**	**1077474,57,19**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
	अनुसूची 10 – अचल आस्तियां				
क	**मूर्त आस्तियां**				
I	**परिसर**				
	गत वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	11313,45,11		12214,74,13	
	जोड़ें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में वृद्धि (निवल)	2232,95,08		103,12,50	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	145,92,82		226,38,08	
		---		---	
		13692,33,01		**12544,24,71**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	385,97,38		1230,79,60	
	घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	0		0	
		---		---	
		13306,35,63		**11313,45,11**	
	घटाएं: तिथि तक मूल्यहास (पूर्नमूल्यांकित राशि सहित)	770,91,95	**12535,43,68**	947,07,41	**10366,37,70**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)**				
	गत वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	10260,32,05		10704,74,55	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	1033,93,19		1088,23,57	
		---		---	
		11294,25,24		**11792,98,12**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	1654,22,66		1532,66,07	
		---		---	
		9640,02,58		**10260,32,05**	
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास	7141,39,25		7931,59,97	
		---	**2498,63,33**	---	**2328,72,08**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
III	**पट्टे वाली आस्तियां**				
	गत वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत पर	25,23,86		25,23,86	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन	0		0	
		25,23,86		**25,23,86**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	0		0	
		25,23,86		**25,23,86**	
	घटाएं: अब तक का परिशोधन / पट्टा समायोजन	25,23,86		25,23,86	
			0		**0**
	कुल (I, II और III)		**15034,07,01**		**12695,09,78**
ख	**अमूर्त आस्तियां**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	गत वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत पर	1644,75,00		1368,44,43	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	396,46,25		276,30,57	
		2041,21,25		**1644,75,00**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	0		0	
		2041,21,25		**1644,75,00**	
	घटाएं: आज तक परिशोधित	1498,51,22		1286,46,11	
	कुल		**542,70,03**		**358,28,89**
	कुल योग (क और ख)		**15576,77,04**		**13053,38,67**
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां				
I	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)		0		0
II	उपचित ब्याज		20018,77,84		18524,26,63
III	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर		7267,22,06		9366,73,06

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प	5,91,22	6,37,41
V	दावों के निपटान से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियां	24,66,57	24,66,57
VI	आस्थगित कर आस्ति (निवल)	13047,39,44	20939,60,17
VII	अन्य	48600,52,47	32750,04,04
	प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण ₹ 25253,13,09 हजार (नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी आदि के साथ जमाराशियां शामिल हैं। (गत वर्ष ₹ 21400,43,62 हजार)		
		88964,49,60	**81611,67,88**
	अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
I	(i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	860,29,16	846,87,84
	(ii) अपील, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर और ब्याज कर मांग।	11619,34,32	12017,79,06
II	आंशिक रुप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	176,25,63	179,59,82
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	370129,08,88	550400,94,12
IV	ग्राहकों की ओर से प्रदान की गयी गारंटियां :		
	(क) भारत में	72693,44,89	60593,27,47
	(ख) भारत के बाहर	3952,69,31	3753,13,48
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	20788,15,36	17886,98,57
VI	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है	7368,45,26	6565,79,66
	कुल	**487587,72,81**	**652244,40,02**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त अवधि		31.03.2025 को समाप्त अवधि	
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज				
I	अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट		88761,58,57		86100,95,08
II	निवेश पर आय		33125,77,27		30700,55,00
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज		4257,77,78		3465,85,69
IV	अन्य		2078,05,63		1493,36,93
	कुल		**128223,19,25**		**121760,72,70**
	अनुसूची 14 – अन्य आय				
I	कमीशन, विनिमय और दलाली		4619,12,25		4573,96,92
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ	4972,87,71		2845,00,50	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	216,05,70		77,85,85	
		---	4756,82,01	---	2767,14,65
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	1363,62,01		1602,40,77	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	1579,37,07		446,35,65	
		---	-215,75,06	---	1156,05,12
IV	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	7,44,12		4,42,32	
	घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	25,02		36,31	
		---	7,19,10	---	4,06,01
V	विनिमय लेन–देन पर लाभ	4287,49,52		437,30,23	
	घटाएं: विनिमय लेन–देन पर हानि	3653,18,14		46,91,00	
		---	634,31,38	---	390,39,23
VI	विदेश/भारत में सहायक कंपनियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय		91,84,84		40,70,00
VII	विविध आय		8900,42,14		7377,05,20
	(बट्टे खाते में डाले गए खातों से हुई वसूली ₹ 5930,66,55 हजार सहित; गत वर्ष ₹ 4925,87,83 हजार)				
	कुल		**18793,96,66**		**16309,37,13**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त अवधि	31.03.2025 को समाप्त अवधि
	अनुसूची 15 – व्ययित ब्याज		
I	जमाराशियों पर ब्याज	81747,23,27	74136,24,13
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर –बैंक उधारों पर ब्याज	1459,17,42	1601,45,41
III	अन्य	3057,00,95	3240,86,18
	कुल	**86263,41,64**	**78978,55,72**
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	18747,02,59	21357,72,09
II	किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	1438,58,54	1391,73,78
III	मुद्रण और लेखन सामग्री	163,92,81	171,24,75
IV	विज्ञापन और प्रचार	145,86,47	123,81,43
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1271,68,29	947,57,49
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	2,47,87	2,68,63
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	63,38,14	54,85,82
VIII	विधि प्रभार	107,78,11	112,01,76
IX	पोस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष आदि	314,83,77	329,67,66
X	मरम्मत और रखरखाव	1073,23,81	866,98,54
XI	बीमा	2177,24,72	1899,16,77
XII	अन्य व्यय	5958,05,95	5003,38,43
	कुल	**31464,11,07**	**32260,87,15**

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, जिनमें लागू संविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) और ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अन्यत्र विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया है।

वित्तीय विवरणियों को उपार्जित अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा यह लेखांकन नीतियों के अनुसार तथा निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो।

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में किए गए विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात / कार्यान्वित हुए है।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 आय और व्यय (पैरा 3.2 और 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को शामिल करते हुए गैर–अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी कार्यालयों के मामले में संबन्धित देशों के विनियामकों (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का माध्यम इस प्रकार है :

(क) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन (वसूली कार्रवाई के विधि/स्थिति/चरण पर विचार किए बिना) निम्न प्राथमिकता के क्रम में विनियमित किया जाएगा :

i. वसूली के लिए किया गया व्यय / फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए);

ii. इसके बाद ब्याज अनियमितताओं / उपार्जित ब्याज के लिए;

iii. प्रमुख अनियमितताएँ अर्थात खाते में एनपीए बकाया

iv. दंडात्मक प्रभार

ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एकाधिक खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर, सिस्टम उसी खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक प्रभार के लिए वसूली को विनियोजित कर देता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष वसूली राशि यदि हो, को उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक प्रभार के लिए विनियोजित कर दिया जाता है।

(ख) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते, समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से राईट ऑफ़ (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/सीजीएफएमयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, व्यय/वसूली के लिए किए गए फुटकर खर्च (पहले ज्ञापन बकाया में दर्ज), ब्याज और दंडात्मक प्रभार के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

(ग) वाद दायर / डिक्री वाले खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:

i. संबन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिन्दु (क) में उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त में किसी भी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा निहित शक्तियों के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है ।

3.4 एनपीए की बिक्री को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत जैसा निर्धारित है, लेखांकित किया जाता है ।

3.5 कमीशन (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूचुअल फंड कारोबार, साख पात्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), समूह संस्थाओं से रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) और इसी प्रकार की अन्य आय, जैसे कि प्रबंधन सेवा समझौता (एमएसए) के अंतर्गत प्राप्य शुल्क, विदेशी मुद्रा, लॉकर किराया, 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया व्युत्पन्न पर आय और म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड तथा अन्य ऐसे पूल/समेकित निवेश निधि की इकाइयों से आय को वसूली तथा बीमा दावों के निपटान पर लेखंकित किया जाता है। अतिदेय अंतर्देशीय बिलों पर ब्याज को वसूली पर लेखांकित किया जाता हैं और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज उसके क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर और उसके पश्चात वसूली पर लेखांकित किया जाता हैं।

3.6 वाद दाखिल खातों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किए जाते हैं और इनकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड (वापसी) पर ब्याज से होने वाली आय को सबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गयी आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित पट्टे का भुगतान पट्टे की अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस19 (पट्टे) के अनुसार लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्ड पर बकाया रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

3.10 मियादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गयी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 बैंक कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों के लिए उपचय आधार पर लाभांश आय को मान्यता देता है, बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो। एएफएस के अंतर्गत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को भी लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

4 निवेश:

4.1 जैसे ही समझौता हो जाता है (चाहे निपटान हुआ हो या नहीं) आवश्यक वाउचर पास कर दिए जाते हैं। इक्विटी समझौते के लिए, समझौते के दिन लेनदेन वाउचर पास किए जाते हैं और अन्य समझौतों के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर समझौते के दिन पास किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियों में लेनदेन वाउचर निपटान के दिन ही पास किए जाते हैं।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट निवेश को छह श्रेणियों में

वर्गीकृत किया गया है । (फॉर्म ए–अनुसूची 8 – निवेश)

4.3 संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (निजी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कम्पनियों के अतिरिक्त) को तीन श्रेणियों अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पूर्व या उस समय तय की जाती है।

(क) एचटीएमः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

i. परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदागत नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; तथा

ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') होता है।

(ख) एएफएसः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

i. किसी ऐसे उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति जो संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और प्रतिभूतियों का विक्रय दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और

ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

iii. इक्विटी शेयर जहां, प्रारंभिक मान्यता पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।

iv. एएफएस प्रतिभूतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां बैंक का प्रयोजन परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले विक्रय के संबंध में लचीला है।

(ग) एफवीटीपीएलः जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

i. इक्विटी शेयर, (क) सहायक कंपनियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (ख) एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी शेयरों के अतिरिक्त।

ii. म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।

iii. प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

iv. बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार–चढ़ाव से जुड़ा होता है।

एचएफटीः एफवीटीपीएल के अंतर्गत ही एचएफटी नामक अलग उप–श्रेणी बनाई गई है और इसमें निम्नलिखित सभी उपकरण शामिल हैं –

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों से लाभ उठाना;
- मध्यस्थता लाभ को लॉक करना; या
- उपर्युक्त लिखतों से उत्पन्न होने वाला प्रतिरक्षा जोखिम।
- ऐसे लिखतों जो बैंकिंग बही में सकल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे।
- कोई वित्तीय लिखतों, जिसे बेचने या प्रतिरक्षा के विरुद्ध पूर्णतः कोई कानूनी बाधा न हो।

4.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशः

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है।

4.5 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के मामले में, लेखांकन विधि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:"

क्र. सं.	से	में	लेखांकन विधि
क.	एचटीएम	एएफएस	संशोधित वहन मूल्य, पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस–रिजर्व माना जाता है।
ख.		एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (iii): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
ग.	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस –रिजर्व में पहले से मान्य संचयी लाभ/हानि को वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य पर पहुँचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
घ.		एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। एएफएस रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को वापस ले लिया गया है और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (iii): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।
ङ.	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली वहन राशि यथावत रहती है।
च.		एएफएस	

पुनर्वर्गीकरण तिथि से पुनर्वर्गीकरण को भावी रूप से लागू किया जाता है और पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकटीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है, यदि मामला जारी रहता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में

(क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

(ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज अर्थात खंडित अवधि का ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है और उसे अर्जित ब्याज के रूप में गिना जाता है, अपितु देय के रूप में नहीं।

(ग) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

(घ) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न बताएँ कि उचित मूल्य, अर्जन लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। अन्य मामलों में, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

- जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी भी 1 दिवस की लाभ/हानि को अनुसूची 14: उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- स्तर 3 निवेश से उत्पन्न किसी भी 1 दिवस की हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।
- स्तर 3 निवेशों से होने वाले किसी भी पहले दिवस के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण साधनों के मामले में, 1 दिवस के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत लिखतों के लिए सबसे प्रारंभिक मांग तिथि) तक स्ट्रैट–लाइन के आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि सूची से इतर इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति को सूचीबद्ध या अमान्य नहीं किया जाता।

4.7 आरबीआई/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

I. परिपक्वता तक धारितः

एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है तथा प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर अंकित नहीं किया जाता है।

II. एएफएसः

एएफएस में धारित प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत धारित सभी कार्य–निष्पादित निवेशों, वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना (जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर आदि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को समेकित किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

III. एफवीटीपीएलः

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है। उपर्युक्त में से, एफवीटीपीएल में एचएफटी उप–श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और एफवीटीपीएल के अंतर्गत अन्य प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

IV. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशः

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं। सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का मूल्यांकन तिमाही आधार पर और यदि आवश्यक हो, तो अधिक बार किया जाता है। हानि के मामले में, निवेश का मूल्यांकन एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जा रहा है और हानि के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते से किया जाता है। यदि हानि में कमी आती है, तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से इसे रिवर्स किया जा सकता है।

V. परिशोधन/अभिवृद्धिः

एचटीएम/एएफएस/एफवीटीपीएल/सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद 11 'निवेशों पर आय' के तहत अनुसूची 8: 'निवेश' मे एक प्रति–प्रविष्टि के साथ दर्शाया जाता हैं। निवेश के परिशोधन और अभिवृद्धि के लिए, बैंक 'स्ट्रेट लाइन पद्ध ति' का पालन जारी रखता है।

निवेश का उचित मूल्यः

उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरण में निरंतरता और तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए, निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों अर्थात स्तर 1, स्तर 2, और स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन्हें बैंक मापन की तिथि पर प्राप्त कर सकता है। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से स्तर 1 इनपुट पर आधारित है और जिसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट शामिल नहीं है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन में प्रयुक्त इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो आस्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित है और जिसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं है।

स्तर 3: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन में प्रयुक्त इनपुट गैर–अवलोकनीय इनपुट हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें स्तर 3 का इनपुट महत्वपूर्ण होता है।

निवेश की प्रारंभिक पहचान और आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है:

(क)	उद्धृत प्रतिभूतियां	उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य हैं। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित है।
(ख)	गैर–उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां	(i) ट्रेजरी बिलों का मूल्यनिर्धारण वहन लागत पर किया जाता है। (ii) गैर–उद्धृत केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाता है। (iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाता है, तथा उन्हें एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है।
(ग)	गैर–उद्धृत गैर–एसएलआर प्रतिभूतियां	गैर–उद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन, एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप लागू करके किया जाता है।
(घ)	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बॉण्ड	(i) उदय बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। (ii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार गारंटीकृत बॉण्डों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। (iii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्डों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। (iv) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्डों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।
(ङ)	विशेष प्रतिभूति	भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है, का मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक पर किया जाता है।
(च)	जीरो कूपन बॉण्ड (जेडसीबी)	बाजार मूल्य के अभाव में, जेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर जेडसीबी को अंकित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जाती है।
(छ)	अधिमान शेयर	उद्धृतः यदि मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर कारोबार किया जाता है, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं लिया जाता है जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था। गैर–उद्धृतः एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप के साथ वाईटीएम आधार पर, ऐसे वरीयता शेयरों के मोचन मूल्य की अधिकतम सीमा के अधीन।

(ज)	इक्विटी शेयर	इक्विटी शेयर जिन्हें इलिक्विड के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उसके उचित मूल्य को ब्रेक–अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) माना जाता है और इसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र से पता लगाया जाता है। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹1 होता है।
(झ)	म्यूचूअल फंड यूनिट (एमएफ यूनिट)	(क) गैर–उद्धृत एमएफ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है। (ख) लॉक–इन अवधि संबंधी निधि के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक–इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाता है।
(ञ)	सीडी/ सीपी	जमा प्रमाणन या वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।
(ट)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें (एसआर) और अन्य लिखतों	एआरसी (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीदें) / अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकन समय–समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाता है, जो ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है। यदि बैंक एआरसी द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में उनके द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करता है, तो बैंक, अंतरण या वसूली होने तक, अंतरण के समय अंतरित संकटग्रस्त ऋण के एनएवी और एनबीवी के आधार पर एसआर के प्रतिदेय मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर, निवेश को निरंतर आधार पर बही में रखता है।
		यदि अन्तरणकर्ता (बैंक) द्वारा उसके द्व ारा अंतरित ऋणों पर जारी एस.आर. में किया गया निवेश, अंतरित आस्ति पर जारी सभी एस.आर. का 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अन्तरणकर्ता की बही में एस.आर. का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम होगा: i) ऐसे साधनों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी); और ii) एसआर का अंकित मूल्य, यदि ऋण बैंक बहियों में जारी रहे तो लागू कल्पित प्रावधान दर से कम हो जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके तिमाही आधार पर किया जाता है। हालांकि, सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन ₹1 पर किया जाता है।
(ठ)	वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश	यदि उद्धृत किया गया हो तो बाजार मूल्य के अनुसार। एआईएफ के गैर–उद्धृत लिखतों का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाता है। जहां एआईएफ अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, वहां उसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाता है।
(ड)	जोखिम पूंजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर
(ढ़)	अन्य निवेश	वहन लागत घटा कर मूल्य में कमी

4.8 जब मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे लिखतों को प्रारंभिक मान्यता के समय एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे उपकरणों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान ही होता है और प्रावधान प्रासंगिक मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं।

4.9 निवेश की बिक्री/परिपक्वता पर लेखांकन विधि:

I. एचटीएम:

एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा रही है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि करों को घटाकर और वैधानिक आरक्षित राशि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि होगी।

II. एएफएस:

(क) प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर होने वाली कोई भी लाभ या हानि एएफएस–रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतारित कर दी जाती है।

(ख) एएफएस श्रेणी में ऋण लिखतों की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस–रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतारित कर दिया जाता है और अनुसूची 14 – अन्य आय के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

III. एफवीटीपीएल:

बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एचएफटी प्रतिभूतियों सहित लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीधे मान्यता दी जाती है।

IV. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम:

किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/लाभप्रदता को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में स्वीकृति दी जाती है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि कर को घटाकर निवल होगी और राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अन्य सभी दिशानिर्देशों और अन्य अनुगामी दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों का अनुपालन किया गया है।

4.10 बायबैक व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय प्रतिभूतियों का लेखांकन मूल लागत पर किया जाता है।

4.11 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण आय गैर–निर्धारण के अधीन है । एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ और हानि को घटाने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है।

एक संस्था द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में या इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। तथापि, एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां तदनुरूपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बॉण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर के रूप में किया जाता है:–

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; तथा

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके अग्रणीत मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से निर्धारित किसी भी प्रावधान को रिवर्स दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित निर्धारण फिर से शुरू हो जाएगा।

किसी कंपनी के गैर–उद्धृत शेयरों में निवेश के मामले में, जिनका मूल्य नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के

कारण ₹1 प्रति कंपनी है, उन इक्विटी शेयरों की गणना एनपीआई के रूप में की जाती है। लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों के लिए प्रावधान निम्नानुसार प्रबंधित किए जाते हैं :

- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी लाभ होता है, तो इन लाभों की राशि तक एएफएस–रिजर्व प्रभारित कर आवश्यक प्रावधान सृजित किया जा सकता है।
- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी घाटा होता है, तो इन घाटे को एएफएस–रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4.12 रेपो या रिवर्स रेपो लेन–देन के अंतर्गत पुनर्खरीद या पुनर्विक्रय समझौते के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत प्रतिभूति शामिल हैं, को उधार या उधारी के रूप में दर्ज किया जाएगा। रेपो समझौते के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत रहेंगी, जबकि रिवर्स रेपो समझौते के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित लागतों और राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय या आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

4.13 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन–देन व्यापार या प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किए गए हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अदला–बदली की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है:

<u>प्रतिरक्षा अदला–बदली</u>

ब्याज दर अदला–बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोडकर जो वित्तीय विवरणी मे बाजार मूल्य अथवा लागत मे से कम कीमत पर लिया जाता है ।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदला बदली की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयताओं की शेष अवधि में से जो भी कम हो, पर माना जाता है।

<u>व्यापारिक अदला–बदली</u>

व्यापारिक अदला बदली को लेन–देन को वित्तीय विवरणियों में दर्ज किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है । व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए लेन–देन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है

4.14 <u>विदेशी मुद्रा विकल्प:</u>

अन्य बैंक के साथ बैक–टू–बैक अनुबंध के रूप मे बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है तथा परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ और हानि लेखे में अंतरित किया गया है ।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान:

5.1 अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

(क) अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) अग्रिमों को विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्यहास के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित किया गया है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के मानक, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया गया हैं।

विदेशी शाखाओं में रखे गए ऋण और अग्रिम, जिन्हें वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक हैं, उन्हें मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप मे माना गया है:

(क) एआरसी मे अंतरण लेन–देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी में हस्तांतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें हस्तांतरण हुआ है।जब हस्तांतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है ।

दूसरी ओर, जब हस्तांतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर देंगे और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि और / या एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) / अन्य प्रतिभूतियों का मोचन या हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित हैं, जिस सीमा तक प्राप्त नकदी आस्ति के एनबीवी से अधिक है।

RBI/DOR/2025-26/159 DOR-STR-REC-No-78/21-04-048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के संबंध में एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से, ऐसे एसआर के मूल्यांकन से संबंधित विवेकपूर्ण व्यवहार इस प्रकार है कि यदि किसी ऋण को शुद्ध बही मूल्य (एनबिवी) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं, तो हस्तांतरण के वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है । हालांकि, एसआर के रूप में गैर–नकद घटक को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

(ख) एआरसी के अतिरिक्त अन्य हस्तांतरियों को हस्तांतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंड:

i. जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरियों को हस्तांतरित करता है, तो सम्पूर्ण हस्तांतरण राशि प्राप्त होने पर उसे बहीखातों से हटा दिया जाता है।

ii. यदि एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरियों को हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय शुद्ध एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है जिसमें हस्तांतरण हुआ है।

iii. यदि हस्तांतरण के समय विक्रय मूल्य एनबीवी से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स किया गया है।

(ग) ज्ञापन देय राशि से अधिक प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को आनुपातिक रूप से ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/ सावधि ऋण पर आय ब्याज, आदि।

यदि अतिरिक्त राशि को बाद में, उदाहरण के लिए डी.आर.टी./न्यायालय के आदेश या किसी अन्य घटना के कारण वापस किया जाना है, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी मद को डेबिट किया जाएगा।

5.4 <u>पुनः संरचित आस्तियां:</u>

अग्रिमों के पुनःसंरचना/पुनः निर्धारण के मामले मे, समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। पुनःसंरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के

दिशा–निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है, जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रूपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक को कुल जोखिम के 5% पर अनुमानित रूप से की जाती है।

5.5 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल एनपीए की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि तथा प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अब आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

5.7 देशीय जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, किसी देश के एक्सपोजर (अपने देश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च मध्यम, उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। प्रत्येक देश के मामले में, यदि बैंक का देशीय जोखिम (निवल) कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशीय जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

5.8 भारतीय कंपनियों की सहायक कंपनियों के अनुषंगियों के सभी जोखिम का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्तियों के विरुद्ध 2% का अतिरिक्त प्रावधान (देशीय जोखिम प्रावधान के अतिरिक्त जो सभी विदेशी जोखिमों पर लागू है) किया गया है, ताकि संरचना की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विभिन्न मध्यस्थ संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनीतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक जोखिम हो सकता है। (आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2015.16/279 डीबीआर. आईबीडी.बीसी संख्या 68/23.37.001/2015–16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

5.9 अस्थायी प्रावधान:

अस्थायी प्रावधान के निर्माण और उपयोग के लिए बैंक की अपनी नीति है। इस प्रकार बनाए गए अस्थायी प्रावधान का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ बैंक बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जा सकता है। अस्थायी प्रावधान को अग्रिमों से इस सीमा तक घटाया जाता है कि इसे टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

6.1 उन परिसरों के अतिरिक्त, जिनका पुनर्मूल्यांकन बैंक की नीति के अनुसार अर्थात प्रत्येक तीन वर्ष मे, हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विवरण परंपरागत लागत में से, जहां भी लागू हो, संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दिया गया हैं। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से घटा दिया जाता है और सामान्य आरक्षित निधि में जमा किया गया।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गई व्यवसायिक फीस जैसे सभी व्यय शामिल हैं। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती व्यय/यों केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों से या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यह्रास

क. आस्तियों (भूमि सहित, जहां मूल्य पृथक नहीं किया जा सकता) पर मूल्यह्रास आस्ति की प्रत्याशित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है । कम्प्यूटरों को छोडकर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

ख. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

विवरण'	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
भूमि	**शून्य**
निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहां भूमि की लागत अलग की गई है और कुल लागत पर जहां भूमि लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता है	2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा पद्धति या शेष अवधि जो भी कम हो)
स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित भूमि, जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया हो	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख किया गया हो	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्रीहोल्ड भूमि तथा पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2.50%
पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसरों के अतिरिक्त अचल आस्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर्स–स्टील के सामान	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर–लकड़ी के सामान	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली, रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर कारें और साइकिलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड, आदि सर्वर, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के साथ)	33.33%
सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य भाग वाले सॉफ्टवेयर को छोड़कर)	33.33%
एक्सर्साइज़ साइकल	10.00%
₹25,000/– से कम राशि वाली कार्यालय की अचल संपत्तियाँ तथा/या जिनका उपयोगी जीवन अधिग्रहण की तिथि से 12 माह से कम है, को व्यय के रूप में माना जाता है (स्टाफ तथा ₹1,500/– से कम लागत वाली मदों के अतिरिक्त, जिन्हे अलग से प्रयोग किया जा सकता है) । ₹1,500/– से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति की खरीद का वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है। ₹25,000/– तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।	

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यह्रास की दर उस दिन से प्रदान की जाती है जिस दिन आस्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में, उस तारीख तक जब उन्हें बेचा/निपटान किया जाता है।

घ. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है। निर्माण लागत का मूल्यह्रास तभी किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है।जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता हैं , वहाँ मूल्यहास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती हैं।

ङ. पट्टाधारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की सम्पूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्ष(वर्षों) में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय निर्धारित की गई आस्तियों के शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता

आस्तियों की रख–रखाव लागत को आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है। एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रख–रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है । वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण मे, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व मे छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि मे संशोधित रख–रखाव लागत पर किया जाता है । पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाई या रिवर्स की जाती है। हालाँकि, रिवर्सल के बाद वहन मूल्य उस वहन मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हो तो सामान्य मूल्यहास प्रभारित करके विद्यमान होगा ।

दावा पूर्ति मे प्राप्त गैर–बैंकिंग आस्तियों के संबंध में यदि कोई अपसामान्यता होती है, तो तत्काल उसे लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है तथा गैर–बैंकिंग आस्तियों के अग्रणीत मूल्य को समायोजित किया जाता है।

8. रोजगार लाभः

भविष्य निधिः

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

उपदानः

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

पेंशनः

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

बैंक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक मे कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित कर रहा है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ–साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते को 14% के अंशदान के साथ योजना मे योगदान करते हैं। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, ये अंशदान रखे जाते हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मानता है, जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दी जाती है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियांः

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ (पीएल – सेवानिवृत्ति) और बीमारी छुट्टी (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी सहित) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। अर्जित अवकाश (पीएल – सेवानिवृत्ति) की योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त, अन्य अर्जित छुट्टी (पीएल) नकदीकरण का भुगतान सीधे बैंक व्यय खाते से किया जा रहा है।

अन्य कर्मचारी लाभः

अन्य कर्मचारी लाभ, जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), रजत जयंती पुरस्कार इत्यादि, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

विदेशी शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लाभ संबंधित देश में प्रचलित कानून के अनुसार लेखांकित किए गए है।

कर्मचारी लाभों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' है।

9. विदेशी मुद्रा से संबन्धित लेनदेनों का परिवर्तन एवं शेष

विदेशी विनिमय मे शामिल लेनदेन लेखामानक 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखांकित किए जाते है।

9.1 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों अन्य दायित्वों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, तुलन–पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर भारतीय रुपया समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे परंपरागत दर पर रखा जाता है, से इतर गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि को प्रभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

9.3 बकाया विदेशी विनिमय स्पॉट और वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तन पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है।

तुलन पत्र की तिथि पर बकाया फंडिंग स्वैप भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ पुनर्मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के दायरे से बाहर है। वायदा विनिमय अनुबंध के आरंभ में मिलने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध के अंत में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय मदों का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रभावी विनिमय दर पर किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुये, आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते मे लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

9.5 विदेशी शाखाएँ/ अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ:

(i) विदेशी शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाई के परिचालन को 'गैर समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) समाकलित विदेशी परिचालनों और गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन लेखामानक –11 द्वारा मे दिये गए निर्धारण के अनुसार किया जाता है।

(iii) गैर– समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि के परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय उतार–चढ़ाव को विनिमय उतार–चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय, वर्तमान कर की कुल राशि एवं बैंक द्वारा किया गया आस्थगित कर व्यय है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 – मे क्रमशः विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए आय पर करों के लिए लेखांकन किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल होता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान मे रखते हुये तय की जाती है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना मे कर दरों और कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र की तिथि मे अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव लाभ और हानि खाते में दिखता है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आकलित किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी वसूली उचित/वस्तुतः निश्चित मानी गई है।

11. प्रति शेयर आय:

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। आधारभूत प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर हासित आय उस संभावित कमजोर क्षमता को दर्शाती है जो तब हो सकती है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या उन्हें परिवर्तित किया गया। प्रति शेयर हासित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया हासित संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप उसका कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावना हो कि दायित्व निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता है तथा दायित्व की विश्वसनीय राशि का अनुमान लगाया जा सकता हो।

मुद्रा के संदर्भ मे, आकस्मिक देयता एक संभावित देयता है, जो किसी अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के आधार पर प्रकट हो भी सकता है और नहीं भी, उसे आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले हालांकि बैंक के खिलाफ दायर किए गए हैं, लेकिन उन मामलों में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

13. बुलियन लेनदेन :

बैंक अपने ग्राहकों को, विक्रय के लिए प्रेषण आधार पर बहुमूल्य मेटल बार सहित बुलियन का आयात करता है। आयात विशेषतः बैक–टू–बैक आधार पर होता है और ग्राहक द्वारा आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित मूल्य के आधार पर कीमत दी जाती है। बैंक ऐसे बुलियन लेनदेन पर शुल्क अर्जित करता है।

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण जमा भी स्वीकार करता है और उस पर ऋण भी देता है, जिसे प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज व्यय/आय के रूप में वर्गीकरण के आधार पर जमाराशि/अग्रिम के रूप में माना जाता है ।

14. खंड रिपोर्टिंग:

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में, व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

15. बैंक, आरबीआई परिपत्र FIDD-CO-Plan-BC-23/04-09-01/2015-16 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के अनुसार, पीएसएलसी को विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेन–देन में जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। पीएसएलसी के क्रय के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं:

क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमा शेष, बैंक के पास जमा शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

ख) रिवर्स रेपो में शेष राशि आरबीआई द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट की जाती है (अर्थात, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के तहत, जैसा लागू हो)। बैंक द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत रखी गई शेष राशि भी इसी तरह रिपोर्ट की जाती है।

अनुसूची 18: लेखों से संबन्धित टिप्पणियां (एकल) – 31.03.2026

1. विनियामक पूंजी

1.क. विनियामक पूंजी की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	1,22,808.70	1,02,015.99
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	13,790.71	14,218.91
iii)	टियर 1 पूंजी (i+ii)	1,36,599.41	1,16,234.90
iv)	टियर 2 पूंजी	23,297.65	24,520.01
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	1,59,897.06	1,40,754.91
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां(आरडब्ल्यूए)	9,01,547.10	8,27,667.51
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	13.62%	12.33%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	15.15%	14.05%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.59%	2.96%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियां अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.74%	17.01%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.41%	6.01%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	70.08%	70.08%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	96.39 (कुल जुटाई गई पूंजी ₹5,000 करोड़)
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें :	-	शून्य
	क) बासेल III अनुपालक सतत गैर–संचयी वरीयता शेयर	-	शून्य
	ख) बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत	-	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें बासेल III अनुरूप:	-	3,000.00
	क) टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत	-	3,000.00
	ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर	-	शून्य
	ग) प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर	-	शून्य
	घ) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर	-	शून्य

नोट–1: आरबीआई ने परिपत्र संख्या DOR-CAP-REC-70/21.01.002/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025, के माध्यम से बैंकों को सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

नोट–2: आरबीआई ने परिपत्र संख्या DOR-CRE-REC-333/07.03.001/2025-26, दिनांक 4 दिसंबर, 2025 के अनुसार, पात्र पूंजी आधार का अर्थ है टियर 1 पूंजी की प्रभावी राशि।

1. ख. आरक्षित निधियों से आहरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अरक्षित निधि	आहरित राशि		प्रयोजन
		चालू वर्ष	गत वर्ष	
1.	एक्सचेंज उतार–चढ़ाव रिजर्व	4.83	2.22	विदेशी आस्तियों और देयतयों का अंतरण
2.	निवेश रिजर्व	0.00	386.35	-

2. आस्ति देयता प्रबंधन

2.क. आस्तियों और देयताओं की कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता स्वरूप

वर्तमान वित्त वर्ष 2025–26 **(₹ करोड़ में)**

परिपक्वता अवधि	जमाराशि	अग्रिम	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
दिन 1	18,398.00	4,459.49	-	15.33	13,139.40	1,382.26
2 से 7 दिन	40,475.00	8,839.69	1,048.24	4,669.78	9,385.72	6,185.68
8 से 14 दिन	26,069.00	20,192.85	3,084.96	-	6,860.78	6,266.40
15 से 30 दिन	44,851.00	67,839.41	3,961.49	13,152.00	11,962.91	13,140.41
31 दिन से 2 माह तक	55,072.00	66,517.82	8,878.63	853.52	13,442.19	9,547.71
2 माह से अधिक और 3 माह तक	63,459.00	58,704.23	4,068.32	485.87	7,806.21	7,933.25
3 माह से अधिक और 6 माह तक	1,26,178.00	78,186.54	9,115.26	1,866.81	14,871.79	16,033.60
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	2,38,793.00	97,076.39	16,670.53	16,327.97	15,215.40	17,836.50
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,86,663.00	4,71,092.10	68,262.74	12,597.71	27,790.07	11,139.47
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	4,72,951.00	1,38,334.77	101,049.61	1,598.49	17,462.26	188.75
5 वर्ष से अधिक	4,38,217.00	2,14,049.01	281,242.62	30,738.91	3,407.17	3,360.04
कुल	**17,11,126.00**	**12,25,292.30**	**497,382.40**	**82,314.32**	**141,343.90**	**93,014.07**

गत वित्त वर्ष 2024–25 **(₹ करोड़ में)**

परिपक्वता अवधि	जमाराशि	अग्रिम	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं*
दिन 1	19,966.21	3,947.30	-	0.57	12,690.29	1,519.33
2 से 7 दिन	40,470.55	30,398.33	1,449.58	33,767.65	10,674.02	3,483.05
8 से 14 दिन	24,437.41	21,203.09	2,141.95	99.38	5,368.52	4,506.41
15 से 30 दिन	34,351.71	38,156.20	3,760.44	2,581.35	10,818.88	14,113.90
31 दिन से 2 माह तक	56,447.79	53,121.68	9,575.06	954.19	8,869.05	10,056.21
2 माह से अधिक और 3 माह तक	57,287.65	78,045.50	4,130.08	693.23	8,341.90	7,455.51
3 माह से अधिक और 6 माह तक	93,834.64	84,038.86	11,098.10	2,108.64	16,059.63	19,434.38
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	2,19,771.22	87,859.70	17,459.74	2,733.96	12,032.30	5,154.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,79,534.98	3,63,463.01	56,183.86	4,725.18	15,674.57	5,200.05
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	4,39,506.46	1,16,556.79	83,254.09	2,379.46	10,608.12	993.63
5 वर्ष से अधिक	4,01,014.66	2,00,684.11	313,623.35	33,733.11	2,727.55	2,758.63
कुल	**15,66,623.28**	**10,77,474.57**	**502,676.25**	**83,776.72**	**1,13,864.83**	**74,675.84**

31.03.2025 के आंकड़े पुनः दोहराए गए हैं।

2.ख. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने 1 जनवरी 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है। एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भार रहित उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए) बनाये रखें, जिन्हें चलनिधि दवाबग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक हैं:

i. उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (एचक्यूएलए) – अंश (द न्यूमरेटर)।

ii. कुल निवल नकदी प्रवाहः 30 दिनों के लिए दबाव परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाकर कुल अनुमानित नकदी का आगमन (इनफ्लो)– हर (द डिनोमिनेटर)।

एलसीआर की परिभाषा

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक(एचक्यूएलए)	≥ 100% (01.04.2021 से प्रभावी)
अगले 30 दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन	

नीचे दी गई समय–सीमा के साथ, निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यक स्तर सहित एलसीआर की आवश्यकता बैंकों पर बाध्यकारी हो गई है:

	1 जनवरी, 2015	1 जनवरी, 2016	1 जनवरी, 2017	1 जनवरी, 2018	1 जनवरी, 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वित्त वर्ष 2025–26 की चतुर्थ तिमाही के लिए, 100% की विनियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 125.76% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य घटक, पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से आधारभूत निधियां प्राप्त की जा सके। बैंक के कुल जमा पोर्टफोलियों में खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहकों का योगदान लगभग 62.78% हैं, जो दिनांक 31.03.2026 को 5/10% का लो रन–ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्ति की संरचना (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 की आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 की आस्तियों को उनकी विपणन क्षमता और मूल्य अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर 2ए और स्तर 2बी की आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर–1 आस्तियां वे आस्तियां हैं जो अत्यधिक तरल हैं। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए, स्तर–1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सीआरआर, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी सोवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त, विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, एमएसएफ व एफएएलएलसीआर जिनका मूल्य ₹ 3,38,685.50 करोड़ (दैनिक डाटा बिन्दुओं के साधारण औसत पर आधारित) है ।

स्तर–2क और 2ख वे आस्तियां हैं जो न्यूनतम तरल हैं, और जिनकी भारित राशि ₹ 6,385.20 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसतन योगदान%
स्तर 1 आस्तियां	
हाथ में नकदी	3.15%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	0.59%
आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	11.53%

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसतन योगदान%
एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ, (वर्तमान में एनडीटीएल के 2 प्रतिशत की सीमा तक)	9.09%
बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% जोखिम–भार वाली विदेशी स्वायतों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	1.11%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा – एफ़एएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16% की सीमा तक)	72.69%
कुल स्तर 1 आस्तियां	98.15%
कुल स्तर 2क आस्तियां	1.78%
कुल स्तर 2ख आस्तियां	0.07%
एचक्यूएलए का कुल स्टॉक	100%

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

इस मीट्रिक में निधियों के वे स्रोत शामिल हैं, जिनका आहरण चलनिधियों को बढ़ा सकता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत से अपेक्षित इसके निधियन की निगरानी द्वारा बैंक के निधियन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद" को एकल प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षी से जुड़े या संबद्ध समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

31.03.2026 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का 31 मार्च, 2026 तक बैंक की कुल जमा राशि का 4.45% हैं। महत्वपूर्ण उत्पाद/साधन में बचत निधि, चालू जमाराशि और स्थायी मियादी जमाराशि शामिल है, जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम सृजित नहीं कर सकता है।

व्युत्पन्न एक्सपोजर

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्सपोजर है, जो कि चलनिधि तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही डालता है ।

मुद्रा विसंगति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, मुद्रा "महत्वपूर्ण" मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुल देयता बैंक की कुल देयता का 5% या इससे अधिक होती हैं। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 15.67%) जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्य प्रवाह पर प्रभाव आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए प्रभाव बहुत ही कम है।

समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और पारस्परिकता के केंद्रीकरण का स्तर

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने एक समूह जोखिम प्रबंधन दर्शन और नीति बनाई है, जो उसकी सभी समूह संस्थाओं के लिए एक मार्गदर्शक ढाँचे का काम करती है। यह नीति इस बात के केंद्र में है कि बैंक पूरे समूह में जोखिमों का प्रबंधन कैसे करता है।

समूह स्तर पर, पीएनबी भुगतान दायित्वों में चूक के प्रति ज़ीरो–टॉलरेंस की नीति अपनाता है। इस प्रतिबद्ध ता को बनाए रखने के लिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास पर्याप्त तरलता बफर हो, जो संभावित तरलता संकटों का सामना करने में सक्षम हो।

पीएनबी अपनी निर्धारित जोखिम क्षमता के अनुरूप, बैंक और अपनी सहायक कंपनियों को मिलाकर, समेकित स्तर पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) दोनों को बनाए रखकर विनियामक मानकों का भी पालन करता है।

हालाँकि, समूह की हर संस्था अपनी तरलता का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी पीएनबी ने पूरे समूह के लिए एक आकस्मिक निधियन योजना लागू की है। यह योजना वित्तीय संकट के समय पूरे समूह की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है, ताकि समन्वित सहायता और सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके।

चलनिधि कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2026 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2025को समाप्त तिमाही		जून 2025को समाप्त तिमाही		मार्च 2025को समाप्त तिमाही	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित		68 डेटाप्वाइंट		73 डेटाप्वाइंट		72 डेटाप्वाइंट		66 डेटाप्वाइंट		69 डेटाप्वाइंट	
1.	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		3,45,065.88		3,47,215.76		3,82,517.62		3,86,062.63		3,53,200.10
नकद बहिर्वाह		नकदी का बहिर्गमन									
2.	छोटे कारोबारी ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा जिनमें से:	1,056,078.94	99,993.72	10,34,196.89	97,837.09	10,14,192.39	95,995.00	9,86,746.24	93,331.77	9,70,183.69	91,824.73
i)	स्थिर जमा	1,12,399.80	5,620.53	1,11,650.77	5,582.58	1,08,422.15	5,420.80	1,06,857.06	5,342.85	1,03,872.82	5,193.64
ii)	कम स्थिर जमा	9,43,679.15	94,373.19	9,22,546.12	92,254.51	9,05,770.24	90,574.20	8,79,889.18	87,988.92	8,66,310.87	86,631.09
3.	असुरक्षित थोक निधि, जिनमें से:	378,793.05	222,047.70	3,74,538.59	2,13,683.45	3,65,431.54	2,12,882.11	3,55,793.14	2,07,108.44	3,57,611.47	2,16,653.24
i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	378,793.05	222,047.70	3,74,538.59	2,13,683.45	3,65,431.54	2,12,882.11	3,55,793.14	2,07,108.44	3,57,611.47	2,16,653.24
iii)	असुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	सुरक्षित थोक वित्तपोषण		1,206.04		445.80		152.14		141.49		-
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	127,938.64	14,428.15	1,22,354.05	16,558.22	1,07,988.17	15,719.82	1,09,372.49	15,856.31	1,05,959.42	14,700.35
i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii)	ऋण एवं चलनिधि की सुविधाएं	127,938.64	14,428.15	1,22,354.05	16,558.22	1,07,988.17	15,719.82	1,09,372.49	15,856.31	1,05,959.42	14,700.35
6.	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	19,752.40	19,847.32	20,278.48	20,420.98	20,876.87	21,011.28	21,140.65	21,140.65	17,163.66	17,163.66
7.	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	1,66,040.51	6,417.69	1,56,770.63	6,035.00	1,40,589.88	5,311.69	1,36,766.07	5,171.08	1,49,087.84	5,817.42
8.	कुल नकदी बहिर्गमन		3,63,941.22		3,54,980.54		3,51,072.03		3,42,749.75		3,46,159.39

	एलसीआर घटक	मार्च 2026 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2025को समाप्त तिमाही		जून 2025को समाप्त तिमाही		मार्च 2025को समाप्त तिमाही	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
नकद अंतर्वाह											
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रिवर्स रिपो)	2,975.77	-	966.59	-	6,921.17	-	9,028.36	-	8,321.23	-
10.	**पूर्णतः प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह**	1,08,822.58	79,275.23	1,11,201.32	80,926.99	99,553.68	70,873.73	97,728.71	67,923.03	1,01,825.61	72,024.07
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह	21,833.64	10,284.43	16,288.91	7,455.67	25,163.83	10,201.02	27,239.28	13,478.11	16,344.96	8,638.14
12.	कुल नकदी अंतर्वाह	**1,33,631.99**	**89,559.66**	**1,28,456.82**	**88,382.66**	**1,31,638.68**	**81,074.75**	**1,33,996.35**	**81,401.14**	**1,26,491.80**	**80,662.21**
कुल समायोजित मूल्य											
13.	**कुल एचक्यूएलए**		345,065.88		3,47,215.76		3,82,517.62		3,86,062.63		**3,53,200.10**
14.	कुल निवल नकद बहिर्वाह		274,381.56		2,66,597.88		2,69,997.28		2,61,348.61		**2,65,497.18**
15.	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		125.76%		130.24%		141.67%		147.72%		**133.03%**

**पिछली तिमाही की तुलना में दैनिक प्रेक्षणों का सामान्य औसत।*

2.ग. निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासेल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बैंक की चलनिधि प्रोफ़ाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले एलसीआर दिशा–निर्देश DOR.LRG. No.82/13–10–001/2025–26, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के माध्यम से जारी किए गए हैं। **दूसरी ओर एनएसएफ़आर दिशा–निर्देश भविष्य के वित्तपोषण दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्तपोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घ अवधि के दौरान वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं।**

भारतीय संदर्भ में, एनएसएफ़आर के लिए दिशा–निर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन" (एएसएफ़) को पूंजी और देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफ़आर द्वारा निर्धारित किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधियन ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ़) की राशि उस संस्था द्व ारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ–साथ उसके इसकी तुलनपत्र (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है। विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (अर्थात, जमाराशि, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्ध ताओं, व्युत्पन्न–संबंधित एक्सपोजर, और उसी अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से निकलने वाले अंतर्वाह के साथ ऑफसेट के लिए दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन–ऑफ कारक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकल बैंक और समूह के लिए आरबीआई दिशानिर्देश में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता जो 1 अक्टूबर, 2021 से 100% प्रभावी है।

पीएनबी ने 31 मार्च, 2026 को समेकित आधार पर ₹11,88,851.22 करोड़ की आरएसएफ आवश्यकता के विरुद्ध ₹14,74,282.00 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 124.01% था।

उपलब्ध स्थिर निधियन(एएसएफ़) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियों के अनुसार कुल नियामक पूंजी से जमा द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़) के तहत, प्राथमिक संचालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित प्रदर्शन कर रहे हैं ।

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित)										
	एनएसएफआर प्रकटीकरण	31.03.2026					31.12.2025				
	एनएसएफआर घटक	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य
एएसएफ मद											
1-	पूंजी : (2+3)	1,40,650	-	3,971	30,124	1,74,745	1,28,025	-	2,000	32,256	1,62,281
2-	विनियामक पूंजी	1,40,650	-	3,971	24,635	1,69,256	1,28,025	-	2,000	26,606	1,56,631
3-	अन्य पूंजी लिखत	-	-	-	5,489	5,489	-	-	-	5,650	5,650
4-	छोटे कारोबारी के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6)	5,29,362	2,47,392	3,62,221	279	10,31,469	5,14,489	2,74,215	3,27,793	279	10,11,203
5-	स्थिर जमा	84,636	19,383	18,255	52	1,16,213	84,109	20,888	16,531	95	1,15,546
6-	कम स्थिर जमा	4,44,725	2,28,008	3,43,966	226	9,15,256	4,30,380	2,53,327	3,11,262	184	8,95,657
7-	थोक निधियन : (8+9)	76,128	1,70,081	2,19,262	36,042	2,67,987	73,280	2,15,526	1,30,924	52,343	2,62,208
8-	परिचालन जमा	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
9-	अन्य थोक निधियन	76,128	1,70,077	2,19,262	36,042	2,67,986	73,280	2,15,526	1,30,924	52,343	2,62,208
10-	अन्य देयताएं : (11+12)	94,280	1,07,110	27,162	81	81	1,01,719	1,45,503	22	1,919	1,921
11-	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0	0	0			-	-	18	
12-	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	94,280	1,07,110	27,162	81	81	1,01,719	1,45,503	22	1,901	1,921
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**14,74,282**					**14,37,613**
14	कुल एनएस'एफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					20,086					18,919
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	13,146	40	-	-	6,593	9,013	80	-	-	4,547
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन : (17+18+19+21+23)	16,773	3,38,346	1,14,281	9,40,429	9,86,452	15,192	3,08,435	1,23,591	9,35,034	9,58,300

(₹ करोड़ में)

निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित)											
एनएसएफआर प्रकटीकरण		31.03.2026					31.12.2025				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
	एनएसएफआर घटक	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य
17	स्तर I एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	11,859	519	-	-	1,238	663	91	363	-	257
18	गैर–स्तर I एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण	-	87,200	41,584	1,54,828	1,88,700	-	96,715	35,692	1,46,042	1,78,704
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसायों के ग्राहकों को ऋण, तथा संप्रभु संस्थाओं, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण प्रदान करना; जिनमें से:	-	2,08,648	61,259	5,95,003	6,18,675	-	1,77,583	78,611	5,96,417	5,97,600
20	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	1,22,060	13,339	1,12,230	1,40,649	-	1,05,111	46,782	1,89,801	1,99,224
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से :	-	28,674	3,399	97,725	84,049	-	31,171	5,763	1,02,036	89,413
22	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	10,531	2,444	73,222	54,085	-	12,736	2,926	78,921	59,130
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज – ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	4,914	13,305	8,039	92,873	93,791	14,530	2,874	3,162	90,539	92,327
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1,30,695	1,455	561	30,699	1,61,879	1,31,096	1,434	540	32,982	1,65,918
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गयी संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	10,154	-	-	50	8,673.79	837	-	-	50	754
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	-	29	-	49	78	-	5	-	-	5
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	20	20	-	-	-	28	28
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	1,20,541	1,426	561	30,579	1,53,107	1,30,259	1,429	540	32,904	1,65,131
30	तुलन पत्रेत्तर मद	-	47,497	22,974	2,45,123	13,841	-	48,299	18,876	2,44,205	13,718
31	**कुल आरएसएफ**					11,88,851.22					11,61,402
32	**निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)**					124.01%					123.78%

निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित)											
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत		31.09.2025					31.06.2025				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
	एनएसएफआर घटक	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य
एएसएफ मद											
1.	पूंजी : (2+3)	1,25,418	-	2,495	33,655	1,61,568	1,26,180	0	495	36,393	1,63,069
2.	विनियामक पूंजी	1,25,418	-	2,495	28,406	1,56,319	1,26,180	0	495	31,400	1,58,075
3.	अन्य पूंजी लिखत	-	-	-	5,249	5,249	0	0	0	4,993	4,993
4.	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा : (5+6)	5,05,114	2,65,904	3,23,437	553	9,91,415	4,90,056	2,22,049	3,55,056	679	9,66,822
5.	स्थिर जमा	79,832	17,996	19,234	130	1,11,339	76,943	17,869	19,158	195	1,08,467
6.	कम स्थिर जमा	4,25,282	2,47,908	3,04,203	423	8,80,076	4,13,113	2,04,180	3,35,898	483	8,58,355
7.	थोक वित्तपोषण : (8+9)	75,031	2,10,983	1,32,370	35,572	2,43,764	74,498	1,71,686	1,60,332	48,030	2,51,288
8.	परिचालन जमा	-	7	-	-	3	0	7	0	0	4
9.	अन्य थोक निधियन	73,031	2,10,976	1,32,370	35,572	2,43,761	74,498	1,71,678	1,60,332	48,030	2,51,284
10.	अन्य देयताएं : (11+12)	61,991	1,54,695	427	14,744	14,723	45,534	1,61,243	1,599	292	272
11.	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		-	-	21			0	0	20	
12.	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	61,991	1,54,695	427	14,723	14,723	45,534	1,61,243	1,599	272	272
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**14,11,470**					**13,81,451**
14	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां					19,677					20,764
15	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा : (5+6)	10,673	37	-	-	5,355	8,278	111	0	0	4,194
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन : (17+18+19+21+23)	4,083	3,07,118	1,11,825	8,98,788	9,11,899	10,215	2,92,765	97,257	8,80,401	8,87,263
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	-	900	358	-	269	0	1648	0	0	165
18	गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण	-	91,430	27,179	1,30,898	1,58,202	0	91,390	26,670	1,27,063	1,54,106
19	गैर–वित्तीय कोर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केन्द्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से :	-	1,73,755	75,799	5,79,259	5,80,032	0	1,54,573	63,072	5,64,872	5,52,429
20	ऋण जोखिम के लिए बसेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	99,678	44,256	1,85,575	1,92,590	0	91,658	31,076	1,82,674	1,80,105

निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित)											
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत		31.09.2025					31.06.2025				
एनएसएफआर घटक		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर–भारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1वर्ष	भारित मूल्य
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से	-	33,461	3,487	96,948	85,706	0	37,111	2,926	92,656	84,126
22	ऋण जोखिम के लिए बसेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	22,160	3,095	75,864	61,939	0	23,806	2,551	73,255	60,794
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है	4,083	7,571	5,001	91,684	87,688	10,215	8,044	4,588	95,809	96,437
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1,15,609	1,610	659	29,604	1,47,358	83,851	919	1,291	30,501	1,16,440
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारम्भिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गयी संपत्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	775	-	-	50	702	806	0	0	0	685
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	-	-	-	-	-	0	1	0	0	1
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	35	35	0	0	0	43	43
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	1,14,834	1,610	659	29,518	1,46,621	83,044	918	1,291	30,458	1,15,710
30	तुलन पत्रेत्तर मद	-	48,360	15,121	1,79,512	10,411	0	46,329	16,935	1,65,670	9,759
31	कुल आरएसएफ					10,94,699					10,38,419
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					128.94%					133.03%

3. निवेश

3. क. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(₹ करोड़ में)

चालू वित्तीय वर्ष 31.03.2026							
	एचटीएम		एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल		सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	
	लागत मूल्य	उचित मूल्य		एचएफ़टी	गैर–एचएफ़टी	लागत मूल्य	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	344,281.42	336,885.08	60,130.26	1,806.86	-	-	-
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	-	-	2,192.54	2,667.41	6,727.24		
(iv) ऋणपत्र और बांड	2,244.15	2,305.41	40,888.45	846.15	3,913.81		
(v) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम						2,825.20	8,556.20
(vi) अन्य	-	-	9,921.85	5,277.88	2,666.86		
कुल	**346,525.57**	**339,190.49**	**113,133.10**	**10,598.30**	**13,307.91**	**2,825.20**	**8,556.20**
घटाएं: हानि/एनपीआई के प्रावधान	-	-	243.72	1.20	2,230.21	123.68	-
निवल	**346,525.57**	**339,190.49**	**112,889.37**	**10,597.10**	**11,077.70**	**2,701.52**	**8,556.20**
II. भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	-	-	7,959.15	-	-		
(ii) सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम						2,493.72	3,216.07
(iii) अन्य निवेश	-	-	537.23	-	2.21		
कुल	**-**	**-**	**8,496.38**	**-**	**2.21**	**2,493.72**	**3,216.07**
घटाएं मूल्यहास/एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	671.73	-
निवल	**-**	**-**	**8,496.38**	**-**	**2.21**	**1,821.99**	**3,216.07**
कुल निवेश (I+II)	**346,525.57**	**339,190.49**	**121,385.75**	**10,597.10**	**11,079.91**	**4,523.51**	**11,772.27**

नोट: 31 मार्च 2026 तक रेपो, ट्रेप्स, बकाया और प्रतिभूति निपटान के एवज में ₹ 99,854.25 करोड़ के अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को RBI/CCIL/NSCCL/ICCL/MCX/SHCIL के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है। जिसके विरुद्ध सीसीआईएल के पास मार्जिन आवश्यकताओं और आरबीआई के साथ एलएएफ़ को पूरा करने के लिए ₹20,270.017 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों का उपयोग किया गया है।

(₹ करोड़ में)

गत वित्त वर्ष 31.03.2025							
	एचटीएम		एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल		सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	
	लागत मूल्य	उचित मूल्य		एचएफ़टी	गैर–एचएफ़टी	लागत मूल्य	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	346,015.32	348,750.60	71,315.32	2,297.55	-	-	-
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	-	-	663.07	2,714.40	5,730.92		
(iv) ऋणपत्र और बॉण्ड	2,539.11	2,618.34	30,499.34	1,929.64	5,281.08		

गत वित्त वर्ष 31.03.2025							
	एचटीएम		एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल		सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	
	लागत मूल्य	उचित मूल्य		एचएफ़टी	गैर–एचएफ़टी	लागत मूल्य	उचित मूल्य
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम						2,982.64	9,261.72
(vi) अन्य	-	-	13,299.08	3,111.70	1,734.26		
कुल	**348,554.43**	**351,368.94**	**115,776.81**	**10,053.29**	**12,746.26**	**2,982.64**	**9,261.72**
घटाएं मूल्यहास/एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	332.18	-	3,423.12	869.03	-
निवल	**348,554.43**	**351,368.94**	**115,444.63**	**10,053.29**	**9,323.14**	**2,113.61**	**9,261.72**
II- भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	-	-	9,305.49	-	-		
(ii) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम						2,560.28	2,921.34
(iii) अन्य निवेश	-	-	695.13	-	1.90		
कुल	-	-	**10,000.63**	-	**1.90**	**2,560.28**	**2,921.34**
घटाएं मूल्यहास/एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	740.66	-
निवल	-	-	**10,000.63**	-	**1.90**	**1,819.62**	**2,921.34**
कुल निवेश (I+II)	**348,554.43**	**351,368.94**	**125,445.26**	**10,053.29**	**9,325.04**	**3,933.23**	**12,183.06**

3.ख. तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर मापा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्यांकन स्तर

(₹ करोड़ में)

वर्तमान वित्त वर्ष 31.03.2026								
	एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश								
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	60,130.26	-	-	60,130.26	1,806.86	-	-	1,806.86
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	2,192.54	-	-	2,192.54	2,667.41	1,516.32	5,210.93	9,394.66
(iv) ऋणपत्र और बांड	37,889.97	2,998.48	-	40,888.45	1,531.79	3,228.17	-	4,759.96
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) अन्य	9,921.85	-	-	9,921.85	5,698.36	-	2,246.37	7,944.73
कुल	**110,134.62**	**2,998.48**	-	**113,133.10**	**11,704.42**	**4,744.49**	**7,457.30**	**23,906.21**

वर्तमान वित्त वर्ष 31.03.2026								
	एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
II. भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	7,959.15	-	-	7,959.15	-	-	-	-
(ii) सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य निवेश	537.23	-	-	537.23	-	-	2.21	2.21
कुल	**8,496.38**	**-**	**-**	**8,496.38**	**-**	**-**	**2.21**	**2.21**
कुल निवेश (I+II)	**118,631.00**	**2,998.48**	-	**121,629.48**	**11,704.42**	**4,744.49**	**7,459.51**	**23,908.42**

(₹ करोड़ में)

गत वित्त वर्ष 31.03.2025								
	एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश								
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	71,315.32	-	-	71,315.32	2,297.55	-	-	2,297.55
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	663.07	-	-	663.07	2,742.50	980.44	4,722.38	8,445.32
(iv) ऋणपत्र और बॉण्ड	27,369.08	3,130.26	-	30,499.34	3,269.82	3,940.90	-	7,210.72
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनिया और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) अन्य	13,299.09	-	-	13,299.09	3,323.82	-	1,522.14	4,845.96
कुल	**112,646.56**	**3,130.26**	-	**115,776.82**	**11,633.69**	**4,921.34**	**6,244.52**	**22,799.55**
II. भारत के बाहर निवेश								
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	9,305.49	-	-	9,305.49	-	-	-	-
(ii) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम								
(iii) अन्य निवेश	695.13	-	-	695.13	-	-	1.90	1.90
कुल	**10,000.62**	**-**	**-**	**10,000.62**	**-**	**-**	**1.90**	**1.90**
कुल निवेश (I+II)	**122,647.18**	**3,130.26**	-	**125,777.45**	**11,633.69**	**4,921.34**	**6,246.42**	**22,801.45**

3.ग. एएफएस–रिजर्व और लाभ – हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
एएफएस–रिजर्व में मान्यता प्राप्त	शून्य	लागू नहीं
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त	1,623.53	

3घ. एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण

किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का बही मूल्य, एचटीएम पोर्टफोलियो के आरंभिक बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा से अधिक की जाने वाली किसी भी बिक्री के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ऊपर उल्लिखित 5% की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे–

I. लेखांकन वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों का एकमुश्त स्थानांतरण।

II. आरबीआई द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में की गई कटौती के परिणामस्वरूप, एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे की गई बिक्री।

III. आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन संचालन (लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस) जैसे कि खुले बाजार परिचालन (ओपन मार्केट ऑपरेशंस) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री।

IV. भारत सरकार द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशंस (पुनर्खरीद या अदला–बदली संचालन) के तहत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

V. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशंस के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।

VI. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री

(₹ करोड़ में)

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क	एचटीएम में प्रतिभूतियों का शुरुआती बही मूल्य	348,554.43	311,275.95
ख	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का बही मूल्य	93,636.18	45,783.92
ग	घटाएं: नियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का बही मूल्य	76,377.72	30,306.92
घ	बेची गई प्रतिभूतियों का वास्तविक बही मूल्य (घ = ख–ग)	17,258.46	15,477.00
ङ	एचटीएम (ङ = घ÷क) में प्रतिभूतियों के शुरुआती बही मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां	4.95%	4.97%
च	लाभ पर बेची गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में अंतरित राशि	-	-

नोट: 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के दौरान, 28 नवंबर, 2025 के आरबीआई निर्देश संख्या DOR-MRG-REC-No-81/00–00–01/2025–26 के अनुसार अनुमत अपवर्जनों को घटाने के बाद एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री का कुल मूल्य, 01.04.2025 तक एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है।

3.ड. निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रतिभूति के प्रकार	पुनर्वर्गीकरण पूर्व बही मूल्य	पुनर्वर्गीकरण पश्चात बही मूल्य	वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त लाभ (पुनर्वर्गीकरण के कारण)
1	ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड	इक्विटी शेयर	32.50 (एफ़वीटीपीएल श्रेणी के तहत)	32.50 (पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर एचएफटी श्रेणी के तहत)	शून्य
2	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	इक्विटी शेयर	123.50 (एसबीजेवीएएस श्रेणी के तहत)	1,828.41 (पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर एएफएस श्रेणी के तहत)	शून्य*

**शेष निवेश को एएफ़एस श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जो लाभ–हानि खाते के माध्यम से जाए बिना, एएफ़एस रिज़र्व के माध्यम से एमटीएम (मार्क–टू–मार्केट) के अधीन है।*

3.च. मूल्यह्रास और निवेश अस्थिर रिजर्व प्रावधानों का उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का उतार चढ़ाव		
क) प्रारंभिक शेष	**5,364.99**	**8,683.35**
ख) घटाएं: परिवर्तन प्रभाव	-	3,647.21
ग) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	240.91
घ) जोड़ें: पुनर्गठन के कारण आनुपातिक प्रावधान को एनपीआई प्रावधान में स्थानांतरित कर दिया गया	0.00	0.00
ङ.) घटाएं: वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों के लिए बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलिखित राशि	1,631.50	0.00
च) घटाएं: बेची/पुनर्गठित/बट्टे खाते में डाली गयी प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्रावधान	462.94	(87.94)
छ) अंतिम शेष	**3,270.55**	**5,364.99**
ii) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि की गतिविधि		
विवरण	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
क) प्रारंभिक शेष	**3,313.36**	**1,877.35**
ख) जोड़ें लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरित राशि	830.19	1,049.66
ग) जोड़ें निवेश रिजर्व से अंतरित	0.00	386.35
घ) घटाएं: लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में अंतरित राशि	0.00	0.00
ङ) घटाएं: गिरावट	0.00	0.00
च) अंतिम शेष	**4,143.55**	**3,313.36**
iii) एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी (निवल) में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	**2.90%**	**2.29%**

3.छ) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

3.छ.i अनर्जक गैर–एसएलआर निवेशे

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**5,602.11**	**6,660.40**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,032.30	109.86
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	1,592.65	1,168.15
अंतिम शेष	**5,041.76**	**5,602.11**
कुल धारित प्रावधान	**5,041.76**	**5,602.11**

3.छ.ii. गैर–एसएलआर निवेश की जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'बिना रेटिंग की' प्रतिभूतियों की मात्रा		'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
क)	पीएसयू	21,848.07	14,940.51	21,479.82	14,432.91	771.18	948.35	0.00	0.00	636.84	1,561.90
ख)	एफआई	13,704.16	11,549.29	13,515.59	11,451.35	23.40	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ग)	बैंक	19,574.40	22,751.06	18,608.49	21,696.08	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ)	निजी कॉर्पोरेट	10,945.76	9,164.62	8,250.33	8,381.15	3,807.20	3,731.57	0.00	0.00	0.00	0.00
ङ)	सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम	3,743.97	3,959.93	3,743.97	3,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'बिना रेटिंग की' प्रतिभूतियों की मात्रा		'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
च)	अन्य*	76,741.50	76,444.27	13,116.49	11,010.75	26.48	35.23	0.00	0.00	0.00	180.00
छ)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(3,270.55)	(5,364.99)	(2,917.72)	(5,009.61)	(1,780.69)	(2,796.37)	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**143,287.31**	**1,33,444.69**	**75,796.97**	**65,922.56**	**2,870.30**	**1,942.28**	**0.00**	**0.00**	**636.84**	**1,741.90**

**अन्य' में ₹ 55,394.01 करोड़ की विशेष सरकारी प्रतिभूतियाँ और ₹ 7,959.15 करोड़ की अमेरिकी ट्रेजरी शामिल हैं, जिन्हें अनुसूची 8 में 'सरकारी प्रतिभूतियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है।*

नोट– उपर्युक्त कॉलम में 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकतीं।

3.ज. रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

चालू वित्त वर्ष 31.03.2026 (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में) **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2026 के अनुसार बकाया	
	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	6,511.95	6,766.34	519.15	535.95	661.00	669.78
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	21,477.22	22,416.81	2,116.86	2,157.35	1,270.24	1,271.18
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

गत वित्त वर्ष 31.03.2025 (बाजार मूल्य एवं अंकित मूल्य के संदर्भ में) **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2025 के अनुसार बकाया	
	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	4,910.24	4,981.14	462.63	478.76	0.00	0.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2025 के अनुसार बकाया	
	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	32,141.48	33,162.03	2,734.90	2,797.09	12,452.98	12,598.45
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. झ. सरकारी प्रतिभूतियों के ऋण से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वित्त वर्ष 31.03.2026 **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन–देन की कुल मात्रा	31 मार्च 2026 के अनुसार बकाया
जीएसएल लेन–देन के माध्यम से ऋण दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गत वित्त वर्ष 31.03.2025 **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन–देन की कुल मात्रा	31 मार्च 2025 के अनुसार बकाया
जीएसएल लेन–देन के माध्यम से ऋण दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेन–देन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. आस्ति गुणवत्ता

4.क अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण:

चालू वित्त वर्ष 31.03.2026 (₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	10,72,555.49	5,558.59	21,740.16	16,782.85	44,081.60	11,16,637.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					6,444.68	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					13,402.16	
अंतिम शेष	**12,21,434.91**	**5,902.08**	**19,690.04**	**11,532.00**	**37,124.12**	**12,58,559.03**
निम्न के कारण एनपीए में कमी:						
i) उन्नयन					1,979.36	
ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर)					3,726.94	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					6,334.54	
iv) ऊपर (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना					1,361.31	
प्रावधान (उतार–चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारम्भिक शेष	-	1,158.11	20,593.76	16,645.24	38,397.11	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					5,133.40	
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					11,963.10	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	-	1,592.16	18,547.46	11,427.80	31,567.41	
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		4,119.51	33.43	137.61	4,290.55	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					2,186.05	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					2,867.04	
अंतिम शेष		2,623.71	955.16	30.70	3,609.56	

गत वित्त वर्ष 2024–25 (₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	9,26,981.65	4,875.91	39,550.75	11,916.39	56,343.05	9,83,324.70
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					6,761.25	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					19,022.70	
अंतिम शेष	**10,72,555.49**	**5,558.59**	**21,740.16**	**16,782.85**	**44,081.60**	**11,16,637.09**
निम्न के कारण सकल एनपीए में कमी:						
i) उन्नयन					1,858.97	
ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर)					5,005.16	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					9,992.70	
iv) ऊपर (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना					2,165.88	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारम्भिक शेष	7,768.19	1,934.27	35,048.10	11,731.08	48,713.45	56,481.64
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					7,469.83	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					17,786.17	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	7,543.39	1,158.11	20,593.76	16,645.24	38,397.11	45,940.50
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		2,941.65	3,671.81	185.31	6,798.77	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					3,192.07	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					5,700.29	
अंतिम शेष		4,119.51	33.43	137.61	4,290.55	

अस्थायी प्रावधानः

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वित्त वर्ष	गत वित्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**750.00**	**150.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	1,295.00	600.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि*	0.00	0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष	**2,045.00**	**750.00**

** ₹1 ,685.00 करोड़ को निवल एनपीए की गणना में कटौती के रूप में माना गया है और ₹ 360.00 करोड़ को टियर–II पूंजी के हिस्से के रूप में गिना गया है।*

तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूलीः

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वित्त वर्ष	गत वित्त वर्ष
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	**90,887.30**	**91,165.75**
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना	6,842.98	10,205.78
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली	8,687.78	10,484.23
अंतिम शेष	**89,042.50**	**90,887.30**

अनुपातः

विवरण	31.3.2026 के अनुसार	31.3.2025 के अनुसार
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	2.95%	3.95%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.29%	0.40%
प्रावधान कवरेज अनुपात	97.14%	96.82%

4.ख. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीएः

(₹ करोड में)

क्र.सं	क्षेत्र	31.03.2026 के अनुसार			31.03.2025 के अनुसार		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,58,915.49	18,156.03	11.42%	1,36,815.63	19,548.82	14.29%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिम	73,408.03	5,389.36	7.34%	56,057.93	5,795.31	10.34%
3	सेवाएं	1,21,892.88	11,244.95	9.23%	1,07,055.13	13,176.33	12.31%
4	व्यक्तिगत ऋण	51,189.27	949.85	1.86%	30,981.32	1,263.62	4.08%
	जिसमे से						
i.	शिक्षा ऋण	5,593.66	386.29	6.91%	5,874.42	426.22	7.26%
ii.	आवास ऋण	44,076.28	559.39	1.27%	24,785.91	834.54	3.37%
	उप जोड़ (क)	**4,05,405.67**	**35,740.19**	**8.82%**	**3,30,910.01**	**39,784.08**	**12.02%**
ख	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	41,003.63	7.53	0.02%	43,809.49	264.09	0.60%
2	उद्योग	1,37,790.66	85.43	0.06%	1,35,535.83	1,748.19	1.29%
	जिसमे से						
	i. बिजली उत्पादन	22,117.49	0.00	0.00%	20,715.31	949.19	4.58%
	ii. सड़कें और पुल	36,918.88	49.21	0.13%	33,768.65	91.08	0.27%
3	सेवाएं	4,44,769.56	180.08	0.04%	3,77,999.59	238.00	0.06%
	एनबीएफसीएस	1,68,484.09	0.00	0.00%	1,42,455.46	0.07	0.00%
4	व्यक्तिगत ऋण	2,29,589.51	1,110.89	0.48%	2,28,382.17	2,047.25	0.90%
	जिसमे से						
	i. आवास ऋण	1,10,535.24	325.07	0.29%	1,31,611.56	852.58	0.65%
	ii. बंधक ऋण	26,383.54	192.08	0.73%	25,860.86	379.02	1.47%
	iii. वाहन/ऑटो ऋण	38,197.20	106.95	0.28%	28,751.77	219.10	0.76%
	उप जोड़ (ख)	**8,53,153.36**	**1,383.93**	**0.16%**	**7,85,727.08**	**4,297.52**	**0.55%**
	कुल (क+ख)	**12,58,559.03**	**37,124.12**	**2.95%**	**11,16,637.09**	**44,081.60**	**3.95%**

4. ग. विदेशी आस्तियां, एनपीए एवं राजस्वः

(₹ करोड में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	कुल आस्तियां	1,19,642.95	93,091.99
2.	कुल एनपीए	1,907.84	1,734.48
3.	कुल राजस्व	4,727.56	4,606.49

4.घ. समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण

4.घ.i. आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025–26 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजना से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	-	-	3	320.10
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि	-	-	शून्य	शून्य
पुनर्गठन आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि	-	-	3	320.10
अवधि के दौरान पुनर्गठन पर इक्विटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अर्जन	1	765.10	1	इक्विटी – शून्य एनसीडी – 10.44

4.घ.ii. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.84/21.04.048/2025–26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, बैंकिंग एक्सपोज़र ₹ 1500.00 करोड़ और उससे अधिक है:

चालू वर्ष 31.03.2026 – बैंक के पास दिनांक 31.03.2026 तक 15 उधारकर्ताओं के लिए ₹2,429.77 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (एफबी+एनएफबी)	31.03.2026 तक ऋण एनपीए की राशि (क) से बाहर (एफबी+एनएफबी)	31.03.2026 तक ऋण एनपीए की राशि (ख) से बाहर (एफ़बी)	31.03.2026 तक मानक ऋणों की राशि (क) में से)	31.12.2025 तक रखा गया कुल अतिरिक्त प्रावधान	31.03.2026 को समाप्त तिमाही के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) किया गया	31.03.2026 तक धारित प्रावधान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)
6,992.30	1,467.96	0.00	5,524.34	2,106.26	323.51	2,429.77

गत वर्ष 31.03.2025 – दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास 14 उधारकर्ताओं के लिए 1,763.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (एफबी+एनएफबी)	31.03.2025 तक ऋण एनपीए की राशि (क) से बाहर (एफबी+एनएफबी)	31.03.2025 तक ऋण एनपीए की राशि (ख) से बाहर (एफ़बी)	31.03.2025 तक मानक ऋणों की राशि (क) में से)	31.12.2024 तक रखा गया कुल अतिरिक्त प्रावधान	समाप्त तिमाही के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) किया गया	31.03.2025 तक धारित प्रावधान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)
7,144.32	1,605.99	0.00	5,538.33	992.43	770.59	1,763.02

4.ड. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निर्देश – प्रस्तुति और प्रकटीकरण संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं..86/21.04.018/2025–26 दिनांक नवंबर 28, 2025 के अनुसार, यदि आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5% से अधिक है और/या आरबीआई द्वारा इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए , संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5% से अधिक हैं, तो बैंकों को आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

आरबीआई द्वारा उपरोक्त पहलू पर किसी भी विचलन का आकलन नहीं किया गया है, इसलिए वित्त वर्ष 2024–25 के लिए आरबीएआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

(गत वर्ष आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2021–22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं. 45/21.04.018/2021–22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (25 अक्टूबर, 2023 तक अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

4.च. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 78./21.04.048/2025–26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण (अन्य संस्थाओं से/को अंतरित और अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि, जो चूक /दबाव (एसएमए और एनपीए) में नहीं है

4.च.i. ऋण जो चूक में नहीं, हस्तांतरित किए गए (समनुदेशन/ नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से):

समनुदेशन/ नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से हस्तांतरित ऐसे ऋण जो चूक की श्रेणी में नहीं हैं चालू वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26) और गत वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) के लिए शून्य है।

4.च.ii. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

चालू वित्त वर्ष 2025–26

(₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरी के लिए	अन्य हस्तांतरी के लिए
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

गत वित्त वर्ष (2024–25)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरी के लिए	अन्य हस्तांतरी के लिए
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

4.च.iii. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

चालू वित्त वर्ष (2025–26)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरी के लिए	अन्य हस्तांतरी के लिए
खातों की संख्या	20	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	2,517.92	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	0.00	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (स्थानांतरण के समय)	29.49	शून्य	शून्य

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरी के लिए	अन्य हस्तांतरी के लिए
कुल प्रतिफल	1,447.58	शून्य	शून्य
गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	204.33	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	1,418.09	शून्य	शून्य

गत वित्त वर्ष (2024–25)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरी के लिए	अन्य हस्तांतरी के लिए
खातों की संख्या	7	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	1,201.71	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (स्थानांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	863.05	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	145.68	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	733.60	शून्य	शून्य

4.च.iv. अधिग्रहीत किए गए व्यतिक्रमित ऋण (असाइनमेंट/नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से):

समनुदेशन के माध्यम से:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
ऋण की राशि	9,615.07	22,338.66
भारित औसत परिपक्वता (माह में)	138.51	147.99
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	21.62	24.38
लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा (प्रवर्तक द्वारा)	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	299.97%	215.82%
वर्गीकृत ऋणों का वर्ग वार वितरण	NA	NA

नोट – चालू वित्त वर्ष (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) और गत वित्त वर्ष (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) के दौरान नवीयन एवं ऋण सहभागिता के माध्यम से अधिग्रहीत किए गए व्यतिक्रमित ऋण शून्य हैं।

4.च.v. प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26) और पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) के लिए प्राप्त दबावग्रस्त ऋण (एसएमए के रूप में वर्गीकृत) शून्य है।

4.च.vi. प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26) और पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) के लिए प्राप्त दबावग्रस्त ऋण (एनपीए के रूप में वर्गीकृत) शून्य है।

4.च.vii. दिनांक 31.03.2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में आयोजित एसआर का वितरण:

(₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	अंकित मूल्य	वहन मूल्य
आरआर 1+	10.11	22.47
आरआर 1	968.24	1116.99
आरआर 2	115.48	70.78
आरआर 3	11.98	0.00
आरआर 4	0.00	0.00
आरआर 5	0.00	0.00
अरेटेड/रेटिंग वापस ली गई	2781.40	1125.48
कुल	**3887.21**	**2335.72**

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होती।

मास्टर निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2025" के अनुसार, एसआर में किए गए संपूर्ण निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा गारंटीत एसआर के संशोधित मानदंडों के अनुसार, ऐसे एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा प्रदान किए गए एनएवी को ध्यान में रखकर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 तक मानक एसआर के मौजूदा बही मूल्य को इन निवेशों के विरुद्ध बनाए रखे गए 100% प्रावधान के साथ समायोजित कर दिया गया था। इस प्रकार, दिनांक 01.04.2024 से एसआर निवेशों का वहन मूल्य शून्य है।

8 वर्ष पूरे होने के बाद एनपीआई के रूप में वर्गीकृत एसआर के मामले में मानक एसआर की तरह प्रावधान को समायोजित नहीं किया गया है, हालांकि ऐसे एसआर के विरुद्ध 100% प्रावधान बनाए रखा गया है। तदनुसार, एनपीआई एसआर के वहन मूल्य के विरुद्ध ₹ 388.39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

4. च.viii. दिनांक 31.03.2026 तक प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर		5 वर्षों से अधिक समय पूर्व जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर		8 वर्षों से अधिक वर्ष पूर्व जारी किए गए एसआर	
		अंकित मूल्य	वहन मूल्य	अंकित मूल्य	वहन मूल्य	अंकित मूल्य	वहन मूल्य
क)	उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	1,880.16	1,947.33	51.58	0.00	1,955.48	388.39
	(क) के प्रति किया गया प्रावधान	-	(0.00)	-	(0.00)	-	(388.39)
ख)	उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	-	-	-	-	-	-
	(ख) के प्रति किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कुल (क) + (ख)		**1,880.16**	**1,947.33**	**51.58**	**0.00**	**1,955.48**	**388.39**

31.03.2025 तक प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर		5 वर्षों से अधिक समय पूर्व जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर		8 वर्षों से अधिक वर्ष पूर्व जारी किए गए एसआर	
		अंकित मूल्य	वहन मूल्य	अंकित मूल्य	वहन मूल्य	अंकित मूल्य	वहन मूल्य
क)	उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	1,346.74	1,325.39	575.91	0.00	1,675.94	394.34
	(क) के प्रति किया गया प्रावधान	-	(0.00)	-	(0.00)	-	(394.34)
ख)	उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	-	-	-	-	-	-
	(ख) के प्रति किया गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कुल (क) + (ख)		**1,346.74**	**1,325.39**	**575.91**	**0.00**	**1,675.94**	**394.34**

4.छ. सह–ऋण व्यवस्थाओं (सीएलए) पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सीएलए की मात्रा	838.54	640.99
2	भारित औसत ब्याज दर @	लागू नहीं	लागू नहीं
3	भुगतान की गई शुल्क	2.43	4.73
4	वे व्यापक क्षेत्र (ब्रॉड सेक्टर्स) जिनमें सह–ऋण व्यवस्थाएं (सीएलए) की गईं	एमएसएमई और रिटेल	एमएसएमई और रिटेल
5	**सीएलए के तहत ऋणों का प्रदर्शन**		
	कुल संवितरित ऋण	1304.19	919.22
	बकाया	838.54	640.99
	जिसमें से मानक:	811.88	626.75
	एनपीए:	26.66	14.24
6	डिफॉल्ट लॉस गारंटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं

**भुगतान की गई शुल्क, एनबीएफसी को भुगतान की गई सकल शुल्क है।*

@भारित औसत ब्याज दर को आरबीआई द्वारा दिनांक 28.11.2025 को जारी "वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण (निदेश), 2025" के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 01.01.2026 से प्रभावी है। यह प्रभावी तिथि के बाद किए गए सीएलए समझौतों पर लागू होता है। हालांकि, बैंक ने दिनांक 01.01.2026 की प्रभावी तिथि से कोई नया गठजोड़ नहीं किया है, इसलिए यह लागू नहीं है।

4.ज. धोखाधड़ी की रिपोर्ट और किया गया प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (31.03.2026)				गत वर्ष (31.03.2025)			
	उधार धोखाधड़ी	गैर उधार धोखाधड़ी	डिजिटल धोखाधड़ी'	कुल	उधार धोखाधड़ी	गैर उधार धोखाधड़ी	डिजिटल धोखाधड़ी	कुल
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	445	99	0*	**544**	84	90	2,746	**2920**
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में)	10,472.65	78.99	0.00	**10,551.64**	4,358.05	51.61	6.34	**4,416.00**
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	4,681.45	66.98	0.00	**4,748.43**	2,326.03	49.16	0.00	**2,375.19**
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से आहरित किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	-	-	-	-

**आरबीआई द्वारा दिनांक 15.07.2024 को जारी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश सं. DOS-CO-FMG-SEC-No-5/23.04.001/2024–25 के अनुसार, सीआईएमएस पोर्टल के माध्यम से आरबीआई को ग्राहक देयता डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग बंद कर दी गई है।*

नोट–

1. *कुल 445 उधारकर्ता धोखाधड़ी के मामलों में से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पक्षों को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27.03.2023 को दिए गए निर्णय के आलोक में, धोखाधड़ी के रूप में निष्क्रिय किए जाने के बाद ₹7,123.91 करोड़ की कुल राशि वाले 108 मामलों को आरबीआई को पुनः रिपोर्ट किया गया।*
2. *गैर–ऋणकर्ता धोखाधड़ी की राशि और प्रावधान के बीच का अंतर ₹12.01 करोड़ की वसूली गई राशि के कारण है।*

4.झ. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019–20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी /4/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2026 तक
पुनर्गठित खातों की संख्या	1608
राशि (₹ करोड़ में)	323.89
विनियामक दर पर प्रावधान	16.19
उच्च दर पर रखा गया प्रावधान (₹ करोड़ में)	24.37
विनियामक से अधिक अतिरिक्त प्रावधान	8.18

4.ञ. आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2020–21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021–22/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021–22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिए गए है:

विवरण	31.03.2026 तक
पुनर्गठित खातों की संख्या	9334
राशि (₹ करोड़ में)	1,157.36
विनियामक दर पर प्रावधान	115.74
उच्च दर पर रखा गया प्रावधान (₹ करोड़ में)	144.67
विनियामक से अधिक अतिरिक्त प्रावधान	28.93

4.ट. आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2020–21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी /3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021–22/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021–22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए समाधान रूपरेखा के अंतर्गत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	(क) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – 30.09.2025 (क) के अनुसार स्थिति	(ख) (क) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया	(ग) (क) का, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(घ) (क) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	(ड.) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – 31.03.2026 को स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	325.49	3.95	0.00	22.52	308.86
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1,107.52	0.00	0.00	479.68	812.82
*जिनमें से एमएसएमई	424.65	0.00	0.00	303.17	147.03
अन्य	2.76	0.00	0.00	0.33	2.56
कुल ओटीआर 1.0	**1,435.77**	**3.95**	**0.00**	**502.53**	**1,124.24**
व्यक्तिगत ऋण	3,093.74	60.65	0.00	284.96	2,912.56
कारोबार ऋण	157.17	2.91	0.00	47.34	161.74
छोटा कारोबार	323.43	0.38	0.00	54.07	303.45
कुल ओटीआर 2.0	**3,574.34**	**63.94**	**0.00**	**386.37**	**3,377.75**
कुल योग	**5,010.11**	**67.89**	**0.00**	**888.90**	**4,501.99**

4.ट. परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण:

क्र. सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते	1819	34,065.51
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते	301	1,886.43
3	कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते, जहाँ तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है।	381	5,237.11
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते (1+2–3)	1739	30,714.83
5	कुल '4' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में ऐसी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल या विस्तारित डीसीसीओ का विस्तार, जो भी मामला हो, शामिल है।	352	2,398.10
5.1	कुल '5' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है।	352	2,398.10
5.2	कुल '5' खातों में से – वे खाते जिनमें समाधान योजना लागू की जा रही है	0	0.00
5.3	कुल '5' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।	0	0.00
6	कुल '5' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण ऐसी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल या विस्तारित डीसीसीओ का विस्तार, जो भी स्थिति हो, शामिल है।	0	0.00
7	कुल '5' खातों में से – वह खाता जिसके संबंध में मूल या विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि, जो भी स्थिति हो, को वित्तपोषित किया गया था।	0	0.00
7.1	कुल '7' खातों में से – वे खाते जहाँ वित्तीय लेखाबंदी के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और जिसका निरंतर नवीकरण किया गया।	0	0.00
7.2	कुल '7' खातों में से – वे खाते जहाँ एसबीसीएफ पूर्व–स्वीकृत नहीं था या जिसका निरंतर नवीकरण नहीं किया गया था।	0	0.00
8	कुल '4' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में ऐसी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल या विस्तारित डीसीसीओ का विस्तार, जो भी स्थिति हो, शामिल नहीं है।	0	0.00
8.1	कुल '8' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना को क्रियान्वित कर दिया गया	0	0.00
8.2	कुल '8' खातों में से – वे खाते जिनमें समाधान योजना लागू की जा रही है।	0	0.00
8.3	कुल '8' खातों में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही	0	0.00

5. एक्सपोजर्स

5.क. रियल एस्टेट क्षेत्र को एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
I-	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर (i+ii+iii)**	**1,98,140.22**	**2,00,754.75**
	i. आवासीय बंधक (क + ख) (आवासीय संपत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जाएगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण)	**1,76,085.06**	**1,76,046.39**
	क. प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण	47,175.00	26,115.12
	ख. अन्य आवासीय बंधक	1,28,910.06	1,49,931.27
	ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट (ए + बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोडाउन स्पेस, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि।) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण	**22,055.16**	**24,708.36**
	क) निधि आधारित	21,363.50	24,015.99
	ख) गैर–निधि आधारित	691.66	692.37
	iii. बंधक–समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश (क + ख)	**0.00**	**0.00**
	क) आवासीय	-	-
	ख) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	-	-
II-	**अप्रत्यक्ष एक्सपोजर (i + ii)**	**83,277.22**	**63,422.31**
	i. विदेशी कार्यालयों सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) हेतु निधि आधारित और गैर–निधि आधारित एक्सपोजर।	72,098.00	56,063.74
	ii. बैंक द्वारा आवास कम्पनियों और निगमों में किया गया निवेश	11,179.22	7,358.57
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर (I + II)		**2,81,417.44**	**2,64,177.06**

5.ख. पूंजी बाजार को एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों, तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं हैं;	5,940.66	3,778.00
ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंध पत्रों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना अग्रिम;	0.76	0.83
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो;	Nil	Nil
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात जहां परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय ऋण पत्रों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती हैं;	222.59	203.38
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा असुरक्षित अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	970.00	120.00

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
vi)	संसाधनों को जुटाने की संभावना में नयी कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्ड / ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण;	शून्य	शून्य
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के प्रति कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त;	शून्य	शून्य
x)	वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	299.04	158.14
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर		**7,433.05**	**4,260.35**

5.ग. जोखिम श्रेणी–वार देश संबंधी एक्सपोजरः

दिनांक 31.03.2026 तक कुल निवल निधिक एक्सपोजर ₹ 64,835.40 करोड़ है। दिनांक 31.12.2025 को बैंक की कुल आस्ति ₹19,30,213.00 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹ 19,302.13 करोड़ है। दिनांक 31.12.2025 तक बैंक का यूएसए के प्रति एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक है। इसलिए, दिनांक 31.03.2026 के अनुसार देश जोखिम एक्सपोजर के संबंध में ₹ 25.16 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।

पिछली अवधिः दिनांक 31.03.2025 तक कुल निवल निधिक एक्सपोजर ₹ 57,726.95 करोड़ था। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल संपत्ति ₹ 17,62,410.00 करोड़ थी, कुल संपत्ति का 1% हिस्सा ₹ 17,624.10 करोड़ है। दिनांक 31.12.2024 तक बैंक का यूएसए के प्रति एक्सपोजर, बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक था। इसलिए, दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार देश जोखिम एक्सपोजर के संबंध में ₹ 25.33 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।)

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	ईसीजीसी रेटिंग	31.03.2026 तक के अनुसार		31.03.2025 तक के अनुसार	
		निवल निधिक एक्सपोजर	धारित प्रावधान	निवल निधिक एक्सपोजर	धारित प्रावधान
नगण्य	ए1	43,175.38	25.16	35,773.45	25.33
कम	ए2	21,141.17	0.00	21,151.42	0.00
सामान्य से कम	बी1	397.12	0.00	566.81	0.00
सामान्य	बी2	116.66	0.00	224.02	0.00
सामान्य से उच्च	सी1	4.60	0.00	8.08	0.00
उच्च	सी2	0.47	0.00	3.12	0.00
अति उच्च	डी	0.00	0.00	0.05	0.00
कुल		**64,835.40**	**25.16**	**57,726.95**	**25.33**

5.घ. असुरक्षित अग्रिमः

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	2,86,063.54	2,41,268.11
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है।	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00

5.ङ. फैक्टरिंग एक्सपोजर (टीआरईडीएस के अंतर्गत):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
बकाया शेष राशि	5,524.41	1,621.79

5.च. इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजरः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	13,656.15	10,304.24
शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	13,656.15	10,304.24
उधारकर्ता / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.80%	0.70%
इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर और विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो पर सीमाओं के उल्लंघन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

5.छ. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरः

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन करने के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति 2025–26 में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वर्तमान ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया है:

"आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक तिमाही के अंत में उधारकर्ताओं की बहियों में मुद्रावार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व वार्षिक आय ईबीआईडी के साथ करता है। वृद्धिशील प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान के ऊपर कुल ऋण एक्सपोजर पर 0 से 80 बीपीएस तक) और पूंजी की आवश्यकता संभावित हानि (विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, उधारकर्ताओं को उनके बहियों में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के कारण जिनका सामना करना पड़ सकता है। बैंक अलग प्रभार रखता है और ऐसे एक्सपोजर के लिए जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकता है, उनके प्रावधान की आवश्यकता होती है। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण भी किया जाएगा।"

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम के मद में धारित प्रावधान और पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
वृद्धिशील प्रावधान (घरेलू)	224.29	230.28
वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी)	3.79	6.84
कुल वृद्धिशील प्रावधान	**228.08**	**237.12**
जोखिम भारित आस्तियाँ(आरडब्ल्यूए) (घरेलू)	2,085.82	2,763.15
जोखिम भारित आस्तियाँ(आरडब्ल्यूए) (विदेशी)	237.08	213.69
कुल जोखिम–भारित आस्तियां	**2,322.90**	**2,976.84**
आरडब्ल्यूए आस्तियों के लिए धारित वृद्धिशील पूंजी (@11.50%)	267.13	342.34

बैंक ने आरबीआई निदेश RBI/DOR/2025–26/157 DOR-CRE-REC-76/07–02–001/2025–26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के संदर्भ में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए देयता का अनुमान लगाया है, और 31.03.2026 को ₹ 228.08 करोड़ (पिछले वर्ष – 31.03.2025 तक ₹237.12 करोड़) का प्रावधान किया है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण

6.क. जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	73,394.40	53,440.86
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.45%	3.41%

6.ख. अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	2,05,065.35	1,90,348.02
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	12.63%	13.60%

6.ग. एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	2,94,276.11	2,64,435.81
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत।	17.23%	18.04%

6.डी. अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	996.75	2,859.40
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत।	2.68%	6.49%

7. व्युत्पन्न

7.क. व्युत्पन्न पोर्टफोलियो का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 को समाप्त वर्तमान वित्त वर्ष			31.03.2025 को समाप्त गत वित्त वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर व्युत्पन्न						
एमटीएम – आस्ति*	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – देयता*	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल लाभ/हानि **	0.0206	0.00	0.00	(0.17)	0.00	0.00
विनिमय दर व्युत्पन्न						
एमटीएम – आस्ति*	0.00	7,435.22	0.00	0.00	3,535.58	0.00
एमटीएम – देयता*	19.17	8,203.55	0.00	0.00	3,272.36	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल लाभ/हानि **	4.48	111.25	0.00	0.32	54.26	0.00
ऋण जोखिम व्युत्पन्न						
एमटीएम – आस्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य व्युत्पन्न (स्पष्ट करें)						
एमटीएम – आस्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**एमटीएम – अवधि के अंत में आस्ति/देयताएं*

***रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ–हानि खाते में दर्ज/मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि*

7.ख. फॉरवर्ड दर समझौता / ब्याज दर की अदला–बदली (स्वैप)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
i.	अदलाबदली करारों का कल्पित सिद्धांत	7,752.94	895.37
ii.	यदि काउंटर पार्टियां समझौतों के तहत अपने अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान	208.67	903.93
iii.	अदलाबदली में शामिल होने वाले बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv.	अदलाबदली के करना उत्पन्न ऋण जोखिम +	0.00	0.00
v.	अदलाबदली बही का उचित मूल्य /	5.46	0.00

**उपरोक्त व्यापार सीसीआईएल के साथ 7631.75 करोड़ रुपये के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप सौदे हैं। कुल 1001 सौदे हैं, जिनमें से 508 सौदों के लिए, भुगतान निश्चित अनुबंध दर पर किया जाता है और फ्लोटिंग दर पर प्राप्त किया जाता है और शेष 493 सौदों में, भुगतान फ्लोटिंग रेट पर किया जाता है और निश्चित अनुबंध दर पर प्राप्त किया जाता है।*

+ संकेन्द्रण के उदाहरण, विशेष उद्योगों में, एक्सपोजर या उच्च क्षमता वाली कंपनियों के साथ अदला–बदली हो सकते हैं।

/ ये सभी स्वैप सौदे ट्रेडिंग स्वैप हैं और उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट मूल्य है।

7.ग. विनिमय ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
i.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) क) ब्याज दर स्वैप	शून्य	शून्य
ii.	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानिक मूल राशि (लिखत वार) क) ब्याज दर वायदा		
iii.	बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	NIL	NIL
iv.	एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की अनुमानिक मूल राशि का बकाया बाजार भाव पर अंकित मूल्य(मार्क–टू–मार्केट) जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		

7.घ. व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

7.घ.i. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र मदों की बचाव–व्यवस्था तथा कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों का उपयोग करता है। व्युत्पन्नी परिचालन का जोखिम प्रबंधन एक वरिष्ठ कार्यपालक के नेतृत्व में होता है, जो अनुक्रमिक कार्यों से स्वतंत्र, शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। कारोबार की स्थिति को दैनिक आधार पर अंकित किया जाता है।

व्युत्पन्नी नीति को एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम का मापन शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बचाव–व्यवस्था वाले लेन–देन किए जाते हैं। जोखिमों की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है। बचाव–व्यवस्था के लिए नीति और उसकी निगरानी के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

बचाव–व्यवस्था और गैर– बचाव–व्यवस्था लेन–देन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है, जिसमें आय, प्रीमियम और छूट की पहचान शामिल है।

बकाया अनुबंधों, प्रावधानीकारण, संपार्श्विक का मूल्यांकन एवं ऋण जोखिम का न्यूनीकरण किया जा रहा है।

7.घ.ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
			मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
क.	व्युत्पन्न (अनुमानित मूलधन राशि)					
	i. बचाव–व्यवस्था के लिए		121.19	0.00	895.37	0.00
	ii. कारोबार के लिए		3,62,738.65	7,631.75	5,49,486.83	0.00
ख.	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित					
	i. बचाव–व्यवस्था					
	क. आस्ति (+)		0.00	0.00	8.56	0.00
	ख. देयता (–)		(3.31)	0.00	(2.15)	0.00
	ii. कारोबार					
	क. आस्ति (+)		7,435.22	84.17	3,527.02	0.00
	ख. देयता (–)		8,226.03	(78.71)	3,274.51	0.00
ग.	ऋण एक्सपोजर (1)		11,631.84	122.86	14,550.19	0.00
घ.	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)					
	i. हेजिंग व्युत्पन्न पर		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. कारोबार व्युत्पन्न पर		0.00	6.35	0.00	0.00
ड.	वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम और न्यूनतम 100* PV01					
	i. बचाव–व्यवस्था पर	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
		न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. कारोबार पर	अधिकतम	0.00	36.64	0.00	0.07
		न्यूनतम	0.00	0.02	0.00	0.00

(1) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के ऋण एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है।

7. ड. ऋण चूक अदला–बदली

चूंकि बैंक ऋण चूक अदला–बदली(क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किसी स्वामित्व वाले मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा है, एवं यह काउंटर अनुबंध (ओटीसी) पर आधारित है, जिसमें बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार, वर्तमान एवं पिछले वर्ष के आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी)		गैर–एसटीसी लेन–देन	
			31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन–देन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी को रिपोर्ट किया जाना है)		-	-	-	-
2.	एस.पी.ई. की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		-	-	-	-
3.	तुलन पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि		-	-	-	-
	क) तुलनपत्रेतर में न आने वाले एक्सपोजर	प्रथम हानि	-	-	-	-
		अन्य	शून्य			-
	ख) तुलन पत्र पर एक्सपोजर	प्रथम हानि				-
		अन्य				-
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन–देन के लिए जोखिम की राशि					-
	क) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर			-		-
	i) स्व–प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	प्रथम हानि	-	-	-	-
		अन्य	-		-	
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	प्रथम हानि	-	-	-	-
		अन्य	-		-	
	ख) तुलन पत्र पर एक्सपोजर		-	-	-	
	i) स्व–प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	प्रथम हानि		-		-
		अन्य		-		
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	प्रथम हानि		-		-
		अन्य		-		

क्र. सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी)		गैर–एसटीसी लेन–देन	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल तथा प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि।	-	-	-	-
6.	चलनिधि सहयोग, पोस्ट–सिक्योरिटाइजेशन असेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	-	-	-	-
7.	प्रदान की गई सुविधा का कार्य–निष्पादन, कृपया प्रत्येक सुविधा जैसे ऋणवृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (क) भुगतान की गई राशि (ख) प्राप्त चुकौती (क) (ग) बकाया राशि	शून्य			-
8.	विगत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	-	-	-	-
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि एवं संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	-	-	-	-
10.	निवेशक शिकायतें (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और (क) (ख) लंबित शिकायतें	-	-	-	-

9. तुलनपत्रेतर एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है):

(₹ करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
-	-	-	-	-

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
डीईए कोष में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	6,555.34	5,470.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए कोष में अंतरित राशि	1,138.51	1,173.04

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
घटाएँ: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए कोष द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	330.63	88.25
डीईए कोष में अंतरित राशियों का अंतिम शेष*	7,363.22	6,555.34

**यह राशि आकस्मिक देयताओं – अन्य मदों के रूप में दिखाई जाएगी जिनके लिए बैंक 31.03.2026 को वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।*

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

11.क. बैंक को एटीएम शिकायतों सहित ग्राहकों एवं लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों संबंधी संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	अवधि के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	28,855	32,351
2.	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5,74,498	11,39,830
3.	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	5,96,022	11,43,326
	1.2.3.3.1. जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की सख्या	2,48,813	5,15,885
4.	अवधि के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	7,331	28,855

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त होने वाली अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.	बैंकों को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	7,272	7,880
5.1.	5 में से लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या।	2,920	3,209
5.2.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	4,350	4,670
5.3.	5 में से, बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा न निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	2	1
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए निर्णयों की संख्या (अपील के अलावा)	0	0

नोट:

1. अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्ववर्ती बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों को संदर्भित करती हैं एवं योजना के दायरे में आती है।

11.ख. बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार*

वर्तमान वित्त वर्ष (2025–26)

शिकायतों का आधार, (अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	गत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,806	2,11,282	(44.92)	1,288	49
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	3,386	1,67,970	(58.44)	1,147	113
खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई	254	16,981	(27.41)	29	1
ऋण एवं अग्रिम	364	9,009	(16.07)	61	3
पूर्व सूचना के बिना शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क / फोरक्लोज़र शुल्क	148	5,515	(22.72)	12	0
अन्य	22,897	1,63,741	(47.32)	4,794	1,282
कुल	**28,855**	**5,74,498**	**(49.60)**	**7,331**	**1,448**

गत वित्त वर्ष (2024–25)

शिकायतों का आधार, (अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	गत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	12,262	4,04,168	(17.46)	3,386	589
एटीएम/डेबिट कार्ड	5,054	3,83,578	21.04	1,806	195
खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई	458	23,394	8.40	254	21
ऋण एवं अग्रिम	332	10,734	24.90	364	50
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	225	7,444	(48.77)	107	4
अन्य	14,020	3,10,512	11.32	22,938	8,175
कुल	**32,351**	**11,39,830**	**0.85**	**28,855**	**9,034**

*** 27 जनवरी, 2021 के परिपत्र CEPD.CO.PRD.Cir.No. 01/13.01.013/2020–21 के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार 'बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना'।*

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

12क. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

चालू वर्ष (31.03.2026 को समाप्त वित्त वर्ष)	गत वर्ष (31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष)
आरबीआई द्वारा दिनांक 17.04.2025 के अपने आदेश के अंतर्गत 'बैंकों में ग्राहक सेवाओं' पर जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बैंक पर ₹29.60 लाख (उनतीस लाख साठ हज़ार रुपये) का विनियामक जुर्माना लगाया गया है।	आरबीआई द्वारा दिनांक 03.07.2024 के आदेश द्वारा बैंक पर ₹131. 80 लाख (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हज़ार रुपये) का विनियामक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 'ऋण एवं अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' से जुड़े RBI के कुछ निर्देशों और 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश 2016' से जुड़े रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

12.ख. भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12.ग. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल बाउंसिंग के लिए) के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12.ड. रिवर्स रेपो लेन–देन के अंतर्गत चूक से संबंधित प्रकटीकरण:

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
उदाहरणों की संख्या	शून्य	शून्य
आरबीआई को भुगतान की गई जुर्माने की राशि (₹ में)	शून्य	शून्य

13. पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पारिश्रमिक संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

नाम	पद का नाम	चालू वर्ष	गत वर्ष
श्री अशोक चंद्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.52	0.09
श्री एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	0.69	0.60
श्री बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक	0.67	0.48
श्री डी. सुरेन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	0.47	0.01
श्री अमित श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	0.17	-
श्री अतुल कुमार गोयल	पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.16	0.58
श्री विजय दुबे	पूर्व कार्यपालक निदेशक	-	0.08
श्री कल्याण कुमार	पूर्व कार्यपालक निदेशक	1.23	0.61
श्री बिनोद कुमार	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.17	0.51
कुल		**4.08**	**2.96**

14. अन्य प्रकटीकरण

14.क. कारोबार अनुपात

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.76%	7.13%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.99%	0.96%
जमा की लागत	5.16%	5.23%
निवल ब्याज मार्जिन	2.57%	2.93%
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.55%	1.57%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.89%	0.97%
प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	29.20	26.86
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.18	0.17

14.ख. बैंकएश्योरेंस कारोबार

बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस कारोबार के संबंध में अर्जित शुल्क / ब्रोकरेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i. जीवन बीमा कारोबार	333.60	358.45
ii. गैर–जीवन बीमा कारोबार	94.49	113.86
iii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	7.55	5.12
iv. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	3.03	2.57
कुल	**438.67**	**480.00**

14ग. विपणन और वितरण

बैंक द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के अतिरिक्त) के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i. म्यूचुअल फंड कारोबार	12.33	11.27
ii. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	17.20	13.96
iii. आधार पर आय / कमीशन	1.18	0.91
iv. पेंशन	92.60	101.94
v. कर एवं अन्य	20.08	40.93
vi. सरकारी जमा योजना	17.33	17.02
vii. मुद्रा तिजोरी	2.69	2.10
कुल	**163.41**	**188.13**

14.घ. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण–पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसएलसी के प्रकार	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
1.	कृषि	15,000.00	0.00	10,000.00	5,500
2.	छोटे एवं सीमांत किसान	28,000.00	1000.00	25,356.00	0.00
3.	सुक्ष्म उद्यम	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4.	सामान्य	0.00	0.00	18,000.00	0.00
कुल		**61,000.00**	**1000.00**	**58,356.00**	**5,500**
खरीदे गए पीएसएलसी के लिए भुगतान किया गया शुल्क (जीएसटी के अतिरिक्त)		**968.44**	**7.08**	**512.17**	**36.80**

14.ड. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	गत वर्ष
i. एनपीआई / क्षति के लिए प्रावधान	(1,233.26)	(11.65)
ii. एनपीए के लिए प्रावधान	2,004.30	1,896.83

लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	गत वर्ष
iii. आयकर के लिए किया गया प्रावधान	9,845.71	8,525.87
– वर्तमान कर	1,516.06	6,927.81
– आस्थगित कर	8,329.65	1,598.06
iv. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	142.94	(225.28)
v. अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ (विरण सहित)	1625.95	14.70
– एफआईटीएल सहित मानक पुनर्रचित	19.11	(77.82)
– अन्य	1,606.84	92.52
कुल	**12,385.64**	**10,200.47**

14.च. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	2,113.02	1,871.34
ii.	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

14.छ. हरित जमाराशियों से एकत्रित की गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो–स्तर की जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष	संचयी* 31.03.2026 तक	संचयी* 31.03.2025 तक
एकत्रित की गई कुल हरित जमा (क)	609.96	394.31	1,004.27	394.31
हरित जमा निधि का उपयोग**				
1. नवीकरणीय ऊर्जा	608.61	123.07	731.68	123.07
2. ऊर्जा दक्षता	0.00	0.00	0.00	0.00
3. स्वच्छ परिवहन	1.35	271.24	272.59	271.24
4. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0.00	0.00	0.00
5. सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00
6. प्रदूषण निवारण और नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	0.00
7. हरित भवन	0.00	0.00	0.00	0.00
8. जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00
9. स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
आवंटित कुल हरित जमा निधि (ख = 1 से 9 का योग)	609.96	394.31	1,004.27	394.31
* आवंटित नहीं की गई हरित जमा निधि की राशि (ग = क–ख)	0.00	0.00	0.00	0.00
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन विवरण जो पात्र हरित गतिविधियों/ प्रोजेक्ट/ परियोजनाओं के आवंटन के लिए लबित है।	0.00	0.00	0.00	0.00

** इसमें संचयी राशि शामिल है क्योंकि आरई ने हरित जमा की पेशकश प्रारम्भ की है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से हरित जमा जुटाना शुरू कर दिया है, तो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणियों में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक जुटाए गए और आवंटित जमा का विवरण शामिल होगा द्य इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान अर्जित की गई हरित जमा की वास्तविक राशि और ऐसे निधियों के उपयोग का विवरण इस प्रकटीकरण के अंतर्गत दिया जाएगा।*

***प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, आरई प्रत्येक उप–क्षेत्र को आवंटित निधि के आधार पर उप–श्रेणियां प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, "नवीकरणीय ऊर्जा" के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप–श्रेणियां।*

15. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण

15.क. लेखामानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीति में परिवर्तन

वर्तमान एवं गत वर्ष के दौरान लेखामानक 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई भी पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

इस तिमाही के वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में किए गए परिवर्तनों का, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई नीतियों की तुलना में, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

इन दिशानिर्देशों के प्रभाव की सीमा तक, पिछली संबंधित अवधियों/वर्ष के आंकड़े वर्तमान अवधि के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

15.ख. लेखामानक 9 – राजस्व मान्यता

आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (गत वर्षः आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है)।

15.ग. लेखामानक 10 – संपत्तियां, संयंत्र और उपकरण

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों हेतु चालू वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरणः

(₹ करोड़ में)

आस्ति का वर्ग	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	207.12	147.34
अन्य अचल आस्तियां	853.06	676.75
पट्टे पर दी गई आस्तियां	0.00	0.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	211.50	123.48
कुल	**1271.68**	**947.57**

15.घ. लेखामानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

विनिमय रिजर्व में उतार–चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक शेष	257.93	238.88
लाभ एवं हानि खाते में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	19.58	1.96
वर्ष के दौरान आस्तियों एवं देयताओं के अंतरण के कारण वृद्धि/कटौती	101.67	17.09
अंतिम शेष	**379.18**	**257.93**

15.ङ. लेखामानक 15 – कर्मचारी लाभ

एएस–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण – लेखांकन नीति के अनुरूप और लेखामानक–15(आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

15.ड.i. परिभाषित लाभ योजनाएँ

तालिका I – प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन अनुमानो का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
छूट दर	7.36%	6.79%	7.33%	6.78%	7.33%	6.78%
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.36%	6.79%	7.33%	6.78%	7.33%	6.78%
वेतन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

तालिका II – दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,210.33	51,990.77	4,086.34	3,901.43	4,450.75	3,923.67
जोड़ें: ब्याज लागत	3,707.73	3,653.00	253.12	255.49	262.38	240.68
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	457.27	446.11	248.53	221.41	536.99	488.55
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर हानि (शेष आंकड़ा)	1,079.64	4,763.73	392.67	269.52	(345.66)	105.24
घटाएँ: प्रदत्त लाभ	4,639.97	4,643.28	442.71	561.51	274.78	307.39
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**56,815.00**	**56,210.33**	**4,537.95**	**4,086.34**	**4,629.68**	**4,450.75**

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	55,515.39	50,876.65	3,957.17	3,860.18	4,448.10	3,919.56
जोड़ें: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3,660.54	3,572.22	251.87	260.49	278.76	257.97
जोड़ें: बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान	2,819.05	4,959.74	377.42	343.75	207.40	508.36
जोड़ें बीमांकिक (हानि) / योजना आस्तियों पर लाभ (संतुलनकारी आंकड़ा)	515.85	750.06	46.80	54.26	81.96	69.60
घटाएँ: प्रदत्त लाभ	4,639.97	4,643.28	442.71	561.51	274.78	307.39
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**57,870.86**	**55,515.39**	**4,190.55**	**3,957.17**	**4,741.44**	**4,448.10**

तालिका IV – योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	3,660.54	3,572.22	251.87	260.49	278.76	257.97
जोड़ें: बीमांकिक (हानि) / योजना आस्तियों पर लाभ	515.85	750.06	46.80	54.26	81.96	69.60
योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न	**4,176.39**	**4,322.08**	**298.67**	**314.75**	**360.72**	**327.57**

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/मान्यता प्राप्त हानि

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,079.64	4,763.73	392.67	269.52	(345.66)	105.24
अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(515.85)	(750.06)	(46.80)	(54.26)	(81.96)	(69.60)
अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	563.79	4013.67	345.87	215.26	(427.62)	35.64
वर्ष में मान्य बीमांकिक (लाभ) / हानि	**563.79**	**4013.67**	**345.87**	**215.26**	**(427.62)**	**35.64**
वर्ष के अंत में अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-

तालिका VI – तुलन पत्र मे मान्य राशि

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
नियत लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,815.00	56,210.33	4,537.95	4,086.34	4,629.68	4,450.75
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	57,870.86	55,515.39	4,190.55	3,957.17	4,741.44	4,448.10
घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(1,055.86)	694.94	347.40	129.17	(111.76)	2.65
घाटा / (अधिशेष)	**(1,055.86)**	**694.94**	**347.40**	**129.17**	**(111.76)**	**2.65**
शुद्ध देयता/ (आस्ति)	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में राशियाँ	(1,055.86)	694.94	347.40	129.17	(111.76)	2.65
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त आस्तियां (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	**(1,055.86)**	**694.94**	**347.40**	**129.17**	**(111.76)**	**2.65**
शुद्ध देयता/ (आस्ति)	-	-	-	-	-	-
एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित ऋणात्मक राशि	-	-	-	-	-	-
भावी अंशदानों मे कटौती और उपलब्ध भावी कटौती का वर्तमान मूल्य	-	-	-	-	-	-

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
चालू सेवा लागत	457.27	446.11	248.53	221.41	536.99	488.55
जोड़ें: ब्याज लागत	3,707.73	3,653.00	253.12	255.49	262.38	240.68
घटाएँ: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(3,660.54)	(3,572.22)	(251.87)	(260.49)	(278.76)	(257.97)
जोड़ें: वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	563.79	4,013.67	345.87	215.26	(427.62)	35.64
जोड़ें: पिछली सेवा लागत–मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**1,068.25**	**4,540.56**	**595.65**	**431.67**	**92.99**	**506.90**

तालिका VIII – तुलन पत्र में निर्धारित की जाने वाली शुद्ध देयता में संचलन

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
प्रारंभिक शुद्ध देयता	694.94	1,114.12	129.17	41.25	2.65	4.11
जोड़ें: व्यय	1,068.25	4,540.56	595.66	431.67	92.99	506.90
घटाएं: प्रदत अंशदान	(2,819.05)	(4,959.74)	(377.42)	(343.75)	(207.40)	(508.36)
घटाएं: कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शुद्ध देयता (आस्ति) (चालू अवधि में तुलन पत्र में निर्धारित देयता)	**(1,055.86)**	**694.94**	**347.40**	**129.17**	**(111.76)**	**2.65**

तालिका IX – चालू अवधि के लिए राशि

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,815.00	56,210.33	4,537.95	4,086.34	4,629.68	4,450.75
घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य	57,870.86	55,515.39	4,190.55	3,957.17	4,741.44	4,448.10
अधिशेष / (घाटा)	1,055.86	(694.94)	(347.40)	(129.17)	111.76	(2.65)
योजना देयताओ में	836.81	2,299.69	661.00	114.23	(257.18)	(55.61)
आनुभविक समायोजन – हानि / (लाभ)						
योजना आस्तियों में समायोजन (हानि) / लाभ	515.85	750.06	46.80	54.26	81.96	69.60

तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	1.14%	2.08%	2.04%	3.64%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	8.93%	9.39%	8.98%	9.51%	0.00%	0.00%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बॉण्ड	4.17%	4.66%	2.94%	3.24%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड निवेश	0.11%	0.19%	0.12%	0.22%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना / एफडीआर	0.03%	2.26%	0.02%	1.64%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	84.62%	78.11%	84.92%	79.12%	100.00%	100.00%
अन्य जमा राशियां, उपार्जित आदि	1.00%	3.31%	0.98%	2.63%	0.00%	0.00%
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के योगदान का श्रेष्ठतम अनुमान

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2027	31.03.2026	31.03.2027	31.03.2026	31.03.2027	31.03.2026
आगामी वर्ष के दौरान बैंक के श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	990.00	2,090.00	320.00	260.00	430.00	420.00

तालिका XII – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (गैर–निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी और अन्य छुट्टियां (गैर–निधिक)		छुट्टी किराया रियायत (गैर–निधिक)		सिल्वर जुबली बोनस (गैर–निधिक)	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,379.85	1,320.85	87.96	87.87	25.50	25.26
संक्रमणशील देयता का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
संक्रमणशील देयता का इतिशेष	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में निर्धारित देयता	**1,379.85**	**1,320.85**	**87.96**	**87.87**	**25.50**	**25.26**

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गई है।
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन से संबंधित योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ 7.36% होगा और उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए 7.33% प्रति वर्ष होगा।
वेतन वृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है
पलायन दर	सम्बंधित गत अनुभव और स्वैछिक निकासी से सम्बंधित अपेक्षित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% निर्धारित की गई है।

15.ड.ii. परिभाषित अंशदान योजनाएँ

अंशदान का विवरण निम्नानुसार है: –

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹ 1701.49	अंशदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹ 1551.89	

15. च. लेखामानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंडवार पहचान

क. प्राथमिक (कारोबार खंड): बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं।

i. **कोष:** कोष खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में कारोबार शामिल है। कोष खंड का राजस्व मुख्य रूप से शुल्क और कारोबार संचालन से होने वाले लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय से मिलकर बनता है।

ii. **रिटेल बैंकिंग** : आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, खुदरा बैंकिंग में वे जोखिम सम्मिलित होंगे जो आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक – पूँजी पर्याप्तता पर प्रूडेंशियल मानदंड) निदेश, 2025 में खुदरा जोखिमों हेतु निर्धारित अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रैन्युलैरिटी एवं व्यक्तिगत जोखिमों के कम मूल्य के चार मानदंडों को पूरा करते हैं। व्यक्तिगत आवास ऋण भी इस उद्देश्य के लिए खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा होंगे।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखामानक 17, खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग खंड को खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत एक उप–खंड के रूप में चिन्हित किया गया है। 31 मार्च, 2026 तक, बैंक की 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) परिचालन में हैं और खुदरा बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकट की गई खंड संबंधी जानकारी उक्त डीबीयू से संबंधित है।

iii. निगमित/थोक बैंकिंग में वे सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो 'खुदरा बैंकिंग' के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन:** खंड उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ख. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i. **घरेलू परिचालन** – भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय।

ii. **विदेशी परिचालन** – भारत के बाहर परिचालन वाली शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन वाली अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. आवंटन का आधार:

i. ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

ii. प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार न ठहराए जाने वाले व्ययों को थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किया जाता है।

iii. विशेष खंड की आस्तियां और देनदारियों के आधार पर की जाती है ।

iv. बैंक की कुछ सामान्य परिसंपत्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

खंड जानकारी

भाग क कारोबार खंड (स्टैंडअलोन)

चालू वित्त वर्ष (2025–26) (₹ करोड़ में)

कारोबार खंड	कोष	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग			अन्य रिटेल बैंकिंग	कुल
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य रिटेल बैंकिंग	कुल		
राजस्व	43,229.46	56,156.75	0.56	43,706.85	43,707.41	3,923.54	1,47,017.16
परिणाम	11,128.32	12,131.14	(7.77)	9,568.42	9,560.65	1,000.49	33,820.60
अनावंटित व्यय							7,070.90
परिचालन लाभ*							26,749.70
कर का प्रावधान							9,845.71
असाधारण मदें							-
निवल लाभ							16,903.99
अन्य सूचना							
आस्तियां	5,29,235.72	8,55,925.20	9.70	5,02,455.49	5,02,465.19	64,789.01	19,52,415.12
अनावंटित आस्तियां							33,477.35
कुल आस्तियां							19,85,892.47
खंड देयताएं	4,98,705.87	8,06,549.73	48.24	4,73,431.41	4,73,479.65	61,051.55	18,39,786.80
अनावंटित देयताएं							3,455.93
कुल देयताएं							18,43,242.73
विनियोजित पूँजी	30,529.85	49,375.47	(38.54)	29,024.08	28,985.54	3,737.46	1,12,628.32
अनावंटित विनियोजित पूँजी							30,021.42
कुल विनियोजित पूँजी							1,42,649.74

** परिचालन लाभ कर के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों की कटौती के पश्चात है।*

गत वित्तीय वर्ष (2024–25) (₹ करोड़ में)

कारोबार खंड	कोष	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग			अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य रिटेल बैंकिंग	कुल		
राजस्व	38,594.12	58,222.41	0.33	37,963.83	37,964.16	3,289.41	1,38,070.10
परिणाम	9,831.94	11,612.80	(7.39)	8,250.74	8,243.35	1,330.89	31,018.98
अनावंटित व्यय							5,862.91
परिचालन लाभ							25,156.07
कर का प्रावधान							8,525.87
असामान्य मदें							0.00
शुद्ध लाभ							16,630.20
अन्य सूचना							
खंड आस्तियां	5,25,192.88	7,74,267.31	2.48	4,31,876.27	4,31,878.75	45,726.45	17,77,065.39
अनावंटित आस्तियां							41,105.34
कुल संपत्ति							18,18,170.73
खंड देयताएं	4,98,714.05	7,35,230.80	34.05	4,10,070.52	4,10,104.57	43,421.03	16,87,470.45
अनावंटित देयताएं							3,338.03
कुल देयताएं							16,90,808.48
विनियोजित पूँजी	26,478.83	39,036.51	(31.57)	21,805.75	21,774.18	2,305.42	89,594.94
अनावंटित विनियोजित पूँजी							37,767.31
कुल विनियोजित पूँजी							1,27,362.25

भाग ख भौगोलिक खंड (स्टैंडअलोन)

चालू वित्त वर्ष (2025–26) (₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल
आय	1,42,305.77	4,711.39	1,47,017.16
आस्ति	18,69,058.37	1,16,834.10	19,85,892.47

गत वित्त वर्ष (2024–25) (₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल
आय	1,33,510.24	4,559.86	1,38,070.10
आस्ति	17,25,078.74	93,091.99	18,18,170.73

टिप्पणियाँ:

1. *खंड देयताओं को उनकी संबंधित खंड आस्तियां के अनुपात में वितरित किया गया हैं।*
2. *जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।*

15. छ. लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक – 18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण:

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध:

क. प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):

i. श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ii. श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक (21.10.2021 से 30.09.2025 तक)

iii. श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक

iv. श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक

v. श्री डी. सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक

vi. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

ख. सहायक कंपनी :

i. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

ii. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड

iii. पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड

iv. पीएनबी इंटरनैशनल लिमिटेड, यू.के.

v. ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

ग. सहयोगी:

i. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

iii. एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

iv. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना'

v. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

vi. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

vii. हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

viii. असम ग्रामीण बैंक, गुवाहाटी

ix पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, कोलकाता'

x मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फ़ाल

xi त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

xii जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान

^^राजपत्र अधिसूचना संख्या 1604 दिनांक 05.04.2025 के अनुसार, चौथे चरण के समामेलन के तहत, 01.05.2025 से प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में कर दिया गया है, जबकि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (जो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित था) का विलय दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ करके 'बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है तथा पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (यूको बैंक द्वारा प्रायोजित) और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) का विलय बंगीय ग्रामीण विकास बैंक के साथ करके पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है।

**एएफआर (एजेंसी फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कजाकिस्तान) ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो कि वर्तमान में परिसमापन के अधीन है।*

नोट– केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 17.10.2025 से बैंक की सहयोगी नहीं रही है, क्योंकि ओएफएस–आईपीओ (OFS-IPO) के माध्यम से शेयरों की बिक्री के बाद कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 23% से घटकर 13% हो गई है।

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन:

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल
वर्ष के दौरान	वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2024–25		
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशियां	841.57	0.00	841.57	922.67	0.00	922.67
अग्रिम#	7,392.29	0.00	7,392.29	5,149.99	0.00	5,149.99

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल
वर्ष के दौरान	**वित्तीय वर्ष 2025–26**			**वित्तीय वर्ष 2024–25**		
जमाराशियों का नियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल आस्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल आस्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदान की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	1,121.13	0.00	1,121.13	1,121.13	0.00	1,121.13
अन्य आस्तियां	90.89	0.00	90.89	86.34	0.00	86.34
गैर–निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी / बीजी)*	43.90	0.00	43.90	48.82	0.00	48.82
अधिकतम बकाया	**वित्तीय वर्ष 2025-26**			**वित्तीय वर्ष 2024-25**		
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशियां	1,110.81	0.00	1,110.81	894.89	0.00	894.89
अग्रिम	7,392.29	0.00	7,392.29	5,149.99	0.00	5,149.99
जमाराशियों का नियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i) बैंक शेष (चालू खाता / अल्पावधि जमा सहित)''	16.28	0.00	16.28	83.47	0.00	83.47
प्राप्त की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदान की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	1,121.13	0.00	1,121.13	1,121.13	0.00	1,121.13
पंजाब नैशनल बैंक को असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटिंग प्राप्त, प्रतिदेय, कर–योग्य, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	92.12	0.00	92.12	97.79	0.00	97.79
गैर–निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी / बीजी)*	43.61	0.00	43.61	48.82	0.00	48.82
वर्ष के दौरान	**वित्तीय वर्ष 2025-26**			**वित्तीय वर्ष 2024-25**		
प्रदत्त ब्याज	3.07	0.00	3.07	1.83	0.00	1.83
लाभांश के रूप में अर्जित आय	21.06	0.00	21.06	7.00	0.00	7.00
अन्य आय	414.72	0.00	414.72	410.79	0.00	410.79

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केएमपी	कुल
वर्ष के दौरान	**वित्तीय वर्ष 2025–26**			**वित्तीय वर्ष 2024–25**		
प्राप्त ब्याज	609.44	0.00	609.44	553.38	0.00	553.38
अन्य व्यय	2.62	0.00	2.62	38.76	0.00	38.76
भूमि / भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेशों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रबंधन अनुबंध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाएं प्रदान करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाएं प्राप्त करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य लेनदेन	10,834.83	0.00	10,834.83	7,167.27	0.00	7,167.27
i. पीएनबीएचएफएल से ऋणों के समनुदेशन पर प्राप्त मूलधन	515.33	0.00	515.33	575.63	0.00	575.63
ii. पीएनबी द्वारा दिया गया सावधि ऋण*	2,950.00	0.00	2,950.00	4,525.00	0.00	4,525.00
iii. पीएनबीएचएफएल द्वारा चुकाया गया सावधि ऋण*	2,221.45	0.00	2,221.45	2,066.64	0.00	2,066.64
iv. जुटाई गई ईसीबी	1,118.05	0.00	1,118.05	0.00	0.00	0.00
v. पीएनबी में की गई सावधि जमा	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00
vi. पीएनबी द्वारा रिडीम की गई सावधि जमा	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00

पीएनबी से प्राप्त और प्राप्त की गई आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए यूआईडीएआई को प्रदान की गई ₹ 0.25 करोड़ की बैंक गारंटी को ऋण सुविधा नहीं माना गया है। बैंक गारंटी की वैधता को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए (23 अगस्त 2030 तक) बढ़ा दिया गया है।

पीएनबी से प्राप्त और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के एवज में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई गई ₹ 0.04 करोड़ की बैंक गारंटी को ऋण सुविधा नहीं माना गया है। यह बैंक गारंटी 24 जनवरी 2032 तक वैध है और दावा अवधि वैधता इसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात छह माह की होगी।

पीएनबी मेटलाइफ के बहीखाते के अनुसार बैंक शेष

पीएनबीएचएफएल की टिप्पणियाँ

#बकाया राशि में 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, जिसे पंजाब नैशनल बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार में एचएसबीसी बैंक से खरीदा गया है।

^₹ 1200 करोड़ (अर्थात इस अवधि के दौरान ₹ 1,200 करोड़ पर केवल एक बार ही विचार किया गया है) की स्वीकृति के एवज में लिए गए और चुकाए गए एसटीएल के रोलओवर से संबंधित लेनदेन को छोड़कर।

टिप्पणियां

1. सहायक कंपनियों और कुछ सहयोगियों के साथ किए गये लेन–देन के लेखामानक–18 'संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण' के पैरा–9 का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य–नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्षो के साथ अपने लेन–देन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने की छूट देता है, जो राज्य–नियंत्रित भी हैं।
2. इसके अतिरिक्त, लेखामानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन–देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों के रिश्तेदारों के साथ किए गए लेन–देन भी शामिल हैं।
3. रिपोर्ट की गई राशियां प्रावधान, यदि कोई हो, को घटाकर हैं।
4. पिछले वर्ष से संबंधित आँकड़े जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

15.ज. लेखामानक 19 – पट्टा

15.ज.i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होता है, जिसे बैंक के विकल्प पर सामान्यतः प्रत्येक तीसरे/पांचवें वर्ष के अंत में नवीकृत किया जाता है।

15.ज.ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2026 के अनुसार गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (31.03.2025 की गत अवधि के अनुसार : शून्य)।

15.ज.iii. 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए स्ट्रेट–लाइन मेथड के आधार पर ₹ 24.41 करोड़ का लीज़ इक्वलाइज़ेशन रिज़र्व बनाया है, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त विगत वर्ष के लिए ₹ 24.41 करोड़ था।

15.ज.iv. परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
पट्टे/किराए पर लिए गए परिसरों की संख्या	14,791	14,909
राशि (₹ करोड़ में)	929.05	868.27

15.झ. लेखामानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
क.	ईपीएस – बेसिक / डाइल्यूटेड (₹) (गैर–वार्षिकीकृत)	14.71	14.77
ख.	कर पश्चात अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ/(हानि) (₹ हजारों में)	16,90,39,895	16,63,02,012
ग.	शेयर का अंकित मूल्य (₹)	2.00	2.00
घ.	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11,49,29,43,268	11,25,66,00,638

15.ञ. लेखामानक 22 – आय पर करों का लेखांकन

15.ञ.i. बैंक ने लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी है। जिसके प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)		
छुट्टी नकदीकरण एवं अन्य के लिए प्रावधान	377.14	475.03
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	13,647.98	22,004.87
एएफएस आरक्षित निधि	233.57	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	220.15	345.96
अन्य आकस्मिकताएं	223.47	299.68
कुल	14,702.31	23,125.54
आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि	1,654.92	1,982.07
एएफएस आरक्षित निधि	-	203.87
कुल	1,654.92	2,185.94
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	13,047.39	20,939.60

चालू वर्षः 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते में ₹ 8,329.65 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्तियों को डेबिट किया गया है। (गत वर्षः ₹ 1,598.06 करोड़ डेबिट किया गया था)।

चालू वर्षः 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एएफएस आरक्षित निधि में ₹ 233.57 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को क्रेडिट किया गया है। (गत वर्षः ₹ 203.87 करोड़)

15.ञ.ii. वर्तमान करः 31.03.2026 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 1,516.05 करोड़ डेबिट किए हैं। (31.03.2024 को समाप्त गत वित्त वर्षः डेबिट ₹ 6,927.80 करोड़)। तदनुसार, वर्तमान कर और आस्थगित कर के मद में लाभ–हानि खाते में प्रभारित कुल कर व्यय ₹ 9,845.70 करोड़ है

15.ञ.iii. 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 (वर्ष 2026–27) से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत निम्नतर कर व्यवस्था के विकल्प को चुनने का निर्णय लिया। तदनुसार, नई व्यवस्था के अनुसार लागू कर दर के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों पुनर्मूल्यांकन किया गया, साथ ही आयकर के कुछ ऐसे प्रावधानों को भी समाप्त किया गया जिनकी अब आवश्यकता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप लाभ–हानि खाते में ₹ 3,324.24 करोड़ का एकमुश्त प्रभार लगा। 31.03.2026 को समाप्त छमाही के लिए कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अनुसार लागू दरों पर किया गया है।

15.ञ.iv. "अन्य आस्तियां" के अंतर्गत दिखाई देने वाले अग्रिम भुगतान किए गए कर/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न कर निर्धारण वर्षों की कर मांगों के संबंध में विभाग द्वारा समायोजित की गई या बैंक द्वारा भुगतान की गई विवादित राशि शामिल है।

15.ञ.v 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक ₹ 10,647.16 करोड़ की विवादित आयकर मांगों (31.03.2025 को समाप्त गत वित्तीय वर्ष–₹ 11,413.24 करोड़) के संबंध में किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गई है, क्योंकि बैंक के विचार में, जो कि विशेषज्ञ की राय और/या समान मुद्दों पर बैंक की अपनी अपीलों में आए निर्णयों द्वारा समर्थित है, आयकर विभाग द्वारा की गई वृद्धियां और अस्वीकृतियां स्थायी नहीं हैं।

15.ञ.vi चालू कर व्यय और आस्थगित कर व्यय क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 22– "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। भारत में चालू कर की गणना विदेशी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के पश्चात आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

15.ट. लेखामानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में, सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन

चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश प्रकृति में सहभागी हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति है, इसलिए ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

(गत वर्षः चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश प्रकृति में सहभागी हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति है, इसलिए ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है)।

15.ठ. लेखामानक 24 – परिचालन बंद करना

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा के किसी भी परिचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं में कमी आई हो या आस्तियों की प्राप्ति हुई हो, और किसी भी परिचालन को पूर्णतः बंद करने का ऐसा कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त प्रभाव पड़ता हो

(गत वर्षः पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) के दौरान, , बैंक ने अपनी किसी भी शाखा के किसी भी परिचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं में कमी आई हो या आस्तियों की प्राप्ति हुई हो, और किसी भी परिचालन को पूर्णतः बंद करने का ऐसा कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त प्रभाव पड़ता हो)।

15.ड. लेखामानक 26 – अमूर्त आस्तियां

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों की संख्या)	प्रयुक्त परिशोधन दरें	परिशोधन पद्धति
सॉफ़्टवेयर	03	33-33%	स्ट्रेट लाइन प्रणाली

अमूर्त आस्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.25 तक	वृद्धि	अन्य समायोजन	पुनर्वर्गीकरण / हटाना	31.03.2026 तक	01.04.2025 तक	उस वर्ष के लिए	पुनर्वर्गीकरण / हटाना	31.03.2026 तक	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
सॉफ़्टवेयर	1,644.75	395.55	0.24	0.67	2,041.21	1,286.46	211.50	0.55	**1,498.51**	**542.70**	**358.53**
अन्य											
यदि कोई हो तो कृपया बताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल											
वित्त वर्ष 2024–25	1,368.44	276.31	0.00	0.00	1,644.75	1,164.46	123.48	-1.48	1,286.46	358.29	

15.ढ. लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में, दिनांक 31.03.2026 तक इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी भौतिक सीमा तक तक ₹17.92 करोड़ हानि हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।

(गत अवधि: बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आस्तियों का है, जिन पर लेखामानक28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2025 तक इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी सीमा तक कोई हानि नही हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।)

15.ण. लेखामानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.ण.i देयताओं के लिए प्रावधानों का उतार–चढ़ाव (₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	वेतन बकाया	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	वेतन बकाया	विधिक मामले / आकस्मिकताएं
प्रारंभिक शेष	**150.00**	**145.71**	**150.00**	**119.65**
छमाही के दौरान वृद्धि / प्रदान की गई	-	52.40	0.00	54.66
छमाही के दौरान प्रयुक्त / वापस की गई राशियां	-	10.52	0.00	28.60
अंतिम शेष	**150.00**	**187.61**	**150.00**	**145.71**
बहिर्वाह का समय / अनिश्चितताएं	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह

15.ण.ii. आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 का संदर्भ लें

क्रम संख्या (I), (II), (III), (IV), (V) एवं (VI) में ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय / मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर समझौते के परिणाम, अपीलों के निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण और संबंधित पक्षों द्वारा मांग उठाने पर निर्भर हैं।

अन्य प्रकटीकरण

16. ऋण जोखिमों के संबंध में बैंक का प्रकटीकरण, जहां व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित वृहद जोखिम (एलई) फ्रेमवर्क के अनुसार विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएं पार हो गई हों:

ऐसे खातों का विवरण जहां बैंक ने बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार किसी भी व्यक्तिगत (बैंक की टियर–1 पूंजी का निर्धारित अधिकतम सीमा 20%) और समूह खातों (बैंक की टियर–1 पूंजी का निर्धारित अधिकतम सीमा 25%) के संबंध में एलई फ्रेमवर्क के लिए टियर – 1 पूंजी ₹ 1,16,234.90 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 1,01,866.30 करोड़) के आधार पर विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार कर लिया है।

चालू वित्त वर्ष 31.03.2026

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित अधिकतम सीमा (टियर 1 पूंजी का 20%)	31.03.2026 के अनुसार जोखिम	31.03.2026 तक टियर 1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	31.03.2026 के अनुसार बकाया	31.03.2026 तक टियर –1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
क.	**वैयक्तिक**					
1.	सिडबी	23,246.98	24,458.47	21.04%*	24,458.47	21.04%
2.	नाबार्ड	23,246.98	27,594.36	23.74%~	27,594.36	23.74%
ख.	**समूह**					
1.	-	-	-	-	-	-

गत वित्त वर्ष 31.03.2025

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित अधिकतम सीमा (टियर 1 पूंजी का 20%)	31.03.2025 के अनुसार जोखिम	31.03.2025 तक टियर 1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	31.03.2025 के अनुसार बकाया	31.03.2026 तक टियर –1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
क.	**वैयक्तिक**					
1.	सिडबी	20,373.26	24,340.17	23.89%	24,340.16	23.89%
2.	नाबार्ड	20,373.26	24,151.72	23.71%	24,151.72	23.71%
ख.	**समूह**					
1.	-					

दिनांक 03.06.2019 के आरबीआई परिपत्र द्वारा बैंक के बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत एकल प्रतिपक्ष की 20% की सीमा के अतिरिक्त 5% की छूट) दी गई है। बोर्ड ने 28.03.2017 को आयोजित अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया है कि बैंक असाधारण परिस्थितियों में वृहद जोखिम के रूप में वर्गीकृत एकल प्रतिपक्ष के लिए जोखिम सीमा को 20% की सीमा से 5% और अधिक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

** बोर्ड द्वारा दिनांक 16.11.2023 को आयोजित बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।*

~ बोर्ड द्वारा दिनांक 27.02.2024 को आयोजित बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों के सभी जोखिम (छूट प्राप्त जोखिम के अतिरिक्त) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

17. प्रकटीकरण: आश्वासन पत्र (एलओसी)

17.क. आरआरबी के संबंध में

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएलआई) के रूप में सक्षम बनाने के लिए मणिपुर रूरल बैंक (एमआरबी) और बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) की ओर से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेन्स एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में आश्वासन पत्र जारी किए हैं।

एमआरबी की वित्तीय स्थिति और पीएनबी द्वारा जारी आश्वासन पत्र के आधार पर, मुद्रा ने एमआरबी के लिए ₹3.25 करोड़ की पुनर्वित्त सीमा निर्धारित की है। हालांकि, एमआरबी ने अप्रैल से मार्च 2026 की अवधि के दौरान किसी भी पुनर्वित्त का लाभ नहीं उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के दौरान मुद्रा लिमिटेड द्वारा बीजीबी के लिए कोई पुनर्वित्त सीमा तय नहीं की गई थी।

17.ख. सहायक कंपनियां और अन्य सहयोगी कंपनियां के संबंध में:

बैंक ने यूनाइटेड किंगडम के नियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) को एक आश्वासन पत्र जारी किया है, जिसमें यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी, पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर सके।

उक्त आश्वासन पत्र को हमारे बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 15.03.2022 को हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल के संबंध में पीआरए के पक्ष में नवीनीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह नवीनीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देशानुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, एलओसी के प्रभाव का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2026 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार बैंक को किसी भी वित्तीय दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना की उम्मीद नहीं है। अतः, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इस एलओसी के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक ने समूह इकाइयों (सहायक कंपनियों और सहयोगियों) को कोई अन्य आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

18. प्रकटीकरण: वचन पत्र (एलओयू)

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियमन 3 (3) के तहत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए एक वचन पत्र प्रदान किया है कि:

– "बैंक समर्थन और सहायता (जब भी आवश्यक हो, तरलता सहित) प्रदान करेगा तथा बैंकिंग इकाई को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो सकता है।"

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है तथा आश्वासन पत्र के अंतर्गत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

19. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट

पीएनबी क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से खरीददारी करने पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रदान किए जाते हैं। कार्डधारक द्वारा मर्चेंट प्रतिष्ठान पर क्रेडिट कार्ड के उपयोग के समय रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट किए जाते हैं। कार्डधारक संचित रिवॉर्ड पॉइंट को रीडिम कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट के कारण देय राशि को दैनिक आधार पर लाभ–हानि खाते में डेबिट किया जाता है और विविध प्रावधान खाते में जमा किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड के बकाया रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्थिति और उस पर प्रावधान:

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया रिवॉर्ड पॉइंट्स शेष	96,21,59,938	1,09,16,08,838
इन पॉइंट्स के लिए प्रावधान (₹ करोड़ में)*	8.42	8.65

'क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 1 पॉइंट के लिए ₹ 0.25 का प्रावधान निर्धारित किया गया है। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के ट्रेंड एनालिसिस पर नवीनतम एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार, संचित रिवॉर्ड पॉइंट्स के 35% (पिछली अवधि में 31.69%) पर रिडेम्पशन प्रावधान किया गया है।

20. गैर–बैंकिंग आस्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
सम्पत्तियों की संख्या	12	12
बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	24.67	24.67

21. रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के अंतर्गत उधार दी गई या प्राप्त की गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ

31.03.2026 को समाप्त चालू वित्त वर्ष और 31.03.2025 को समाप्त गत वित्त वर्ष के दौरान रेपो या रिवर्स रेपो के अंतर्गत कोई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ उधार या अधिग्रहित नहीं की गई।

22. आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक ने ब्लॉक खाता बनाने के लिए 5 साल से अधिक अवधि से लंबित अंतर शाखा ऋण प्रविष्टियों की राशि की गणना की है । तदनुसार, ₹ 614.00 करोड़ (पिछली अवधि ₹ शून्य करोड़) की राशि (तत्कालीन समायोजन के बाद निवल भाग को अनुसूची–5 में "अन्य देयताएं–अन्य" के अंतर्गत शामिल किया गया है)।

23. परिसरों में 12 संपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्य ₹3.72 करोड़ (लागत) और मूल्यह्रास राशि ₹2.40 करोड़ है, जो स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण होना अभी शेष हैं।

गत अवधि (31.12.2025): परिसर में 10 संपत्तियां शामिल थी जिनकी लागत ₹ 3.72 करोड़ रुपये (लागत) और ₹ 2.40 करोड़ रुपये मूल्यह्रास राशि वाली संपत्तियां शामिल हैं, जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण होना शेष हैं।

24. परिसरों में 31.03.2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹ 443.71 करोड़ का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (31.03.2025 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 295.62 करोड़)।

25. मार्च 2026 (वित्त वर्ष 2025–26) को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ है, इसलिए मार्च 2026 (वित्त वर्ष 2025–26) को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज लागू नहीं होगा।

26. 31.03.2026 (01.04.2025 से 31.03.2026) को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (अनुसूची 10 का अंश बनकर) किया है। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष राशि ₹ 2507.59 करोड़ है। (पिछले वर्ष मार्च 2025– शून्य) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

27. 31.03.2026 तक मूल्यवर्धन/मूल्यह्रास के पश्चात अचल संपत्तियों की मूल लागत ₹ 1746.30 करोड़ है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित राशि ₹ 10634.54 करोड़ रुपये है।

28. 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकन वाले हिस्से पर मूल्यह्रास ₹ 178.83 करोड़ है (31.03.2025 को समाप्त पिछली तिमाही में ₹ 100.09 करोड़) है।

29. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत खातों के लिए आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016–17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची–1) और पत्र संख्या डीबीआर.बीपी.1908/21.04.048/2017–18 दिनांक 28 अगस्त 2017 (आरबीआई सूची–2) के अनुसार, जहां बैंक का एक्सपोजर है, बैंक के पास 31.03.2026 तक कुल ₹ 6,774.86 करोड़ का प्रावधान है (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों के लिए कुल प्रावधान 100% है)। (पिछली अवधि: ₹ 6,749.62 करोड़ (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान 31.03.2025 तक 100% है) ।

30. 31 मार्च 2026 तक, बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में 01 अप्रैल 2025 के आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार कोविड 19 समाधान रूपरेखा 1.0 और 2.0 के तहत पुनर्गठित मानक खातों पर निर्धारित 5% और 10% की दर से उच्च दर पर जोखिम के मूल और इन क्षेत्रों में दबाव के आधार पर बैंक के निति अनुसार 107.24 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा हैं। (गत वित्त वर्ष के अंत में 134.19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान बकाया था।)

31. निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.00 (150.00%) का लाभांश देने की सिफारिश की है।

32. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31.03.2026 लेखा परीक्षित	वर्ष समाप्ति 31.03.2025 लेखा परीक्षित
क.	**परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह**			
(I)	**कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)**	(i)	**26749,69,62**	**25156,06,67**
(II)	**निम्नलिखित के लिए समायोजनः**			
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1271,68,29	947,57,49
	अचल आस्तियों (निवल)की बिक्री से लाभ/हानि		-7,19,10	-4,06,01
	निवेश (निवल)पर मूल्यह्रास/(रिलीज़)		-1017,50,82	-1167,52,75
	बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज		2845,42,20	3108,58,56
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		2004,29,71	1896,83,44
	मानक आस्तियों पर प्रावधान		162,04,46	-303,10,52
	अन्य प्रावधान (निवल)		1606,85,26	92,52,38
	सहायक/अन्य से लाभांश		-91,84,84	-40,70,00
	एएफएस में रखे गए इक्विटी निवेश की बिक्री से लाभ		0	45,87
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश से आय		0	0
	एसबीजेवीएएस में रखे गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		-948,33,11	0
	उप जोड़	(ii)	**5825,42,05**	**4530,58,46**
(III)	**निम्नलिखित के लिए समायोजनः**			
	निवेश में ह्रास/(वृद्धि)		4594,89,67	-73347,29,24
	अग्रिम में ह्रास/(वृद्धि)		-149325,77,36	-144397,65,39
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)		-17223,28,93	-19426,56,42
	जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास)		144503,04,81	196910,47,75
	उधार में वृद्धि/(ह्रास)		4026,60,90	34696,86,18
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)		7005,45,78	3178,83,23
	उप जोड़	(iii)	**-6419,05,13**	**-2385,33,89**
	परिचालनों से निर्मित नकदी	(i+ii+iii)	**26156,06,54**	**27301,31,24**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर)		146,01,06	-5029,07,80
	परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(क)	**26302,07,60**	**22272,23,44**

(₹ 000 छोड़ दिया गया है)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31.03.2026 लेखा परीक्षित	वर्ष समाप्ति 31.03.2025 लेखा परीक्षित
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	अचल आस्तियों की खरीद		-1576,32,26	-1590,92,23
	अचल आस्तियों की बिक्री		21,39,79	15,91,95
	सहायक/अन्य से प्राप्त लाभांश		91,84,84	40,70,00
	सहायक/अन्य में निवेश (निवल)		47,54,68	0
	निवेश कार्यकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ख)	**-1415,52,95**	**-1534,30,28**
ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	इक्विटी शेयरों के निर्गमन से प्राप्त राशि, जिसमें शेयर प्रीमियम शामिल है (निर्गमन व्यय घटाने के बाद)		0	4987,56,71
	बॉन्ड का निर्गमन/(मोचन) (निवल)		-5489,00,00	-1350,00,00
	बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज		-2845,42,20	-3108,58,56
	प्रदत्त लाभांश		-3324,89,66	-1651,65,23
	वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ग)	**-11659,31,86**	**-1122,67,08**
		(क+ख+ग)	**13227,22,79**	**19615,26,08**
घ	**नकदी तथा नकदी तुल्यों से निवल परिवर्तन**			
	वर्ष के आरंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य			
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		64304,60,79	65032,91,16
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि		84415,23,38	64071,66,93
			148719,84,17	**129104,58,09**
	वर्ष के समापन में नकद तथा नकद तुल्य			
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		60855,52,03	64304,60,79
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि		101091,54,93	84415,23,38
			161947,06,96	**148719,84,17**

टिप्पणियाँ:

1. नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
2. प्रत्यक्ष करों का भुगतान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से निर्मित माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।
3. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
4. नकदी तथा नकदी तुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है।

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

डी. सुरेन्द्रन
कार्यपालक निदेशक

विभु प्रसाद महापात्र
कार्यपालक निदेशक

एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला
निदेशक

अंबरीष ओझा
निदेशक

उमा शंकर
निदेशक

डी. आनंदन
निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 119250W

कृते एनके भार्गव एंड केपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 000429N

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 000425N

कृते पीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 313085E

सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 137970)

सनदी लेखाकार एनके भार्गव
भागीदार
(सदस्य सं. 080624)

सनदी लेखाकार राजन उप्पल
भागीदार
(सदस्य सं. 097379)

सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास
भागीदार
(सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली



विकसित भारत
के निर्माण
में सहयोग

समेकित वित्तीय विवरण



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
पंजाब नैशनल बैंक के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2026 को पंजाब नैशनल बैंक (बैंक), इसकी समनुषंगियों (मूल और इसकी समनुषंगियों को एक साथ ''समूह'' कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण, लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 5 मई 2026 के माध्यम से हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां,

ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 03 समनुषंगी और 4 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां और,

iii. 02 समनुषंगी और 7 सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित लेखे।

2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं समनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई समनुषंगियों / सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

क. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणियों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके,

ख. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित लाभ और हानि लेखा, सही लाभ शेष दर्शाता है, तथा

ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र है. और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं. वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपर्युक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं. जो हमारे पेशेवर निर्णय हैं 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर–निष्पादित अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें.) बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिमों की हिस्सेदारी 60.88 प्रतिशत है। अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है। विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और समेकित वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	अग्रिम के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आईआरएसी मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा नमूना आधार पर आस्तियों के वर्गीकरण और उसके प्रावधान के संबंध में बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया: • अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की नमूना जांच के आधार पर जांच की गई, ताकि मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके तथा इन अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में बैंक और आरबीआई निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न लेखापरीक्षाओं की टिप्पणियों के अनुपालन का पता लगाया जा सके। • तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक की पहचान करने और इसके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। • हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, हमने अग्रिम खातों के दस्तावेजीकरण, परिचालन/निष्पादन और निगरानी की समीक्षा की है, ताकि किसी भी अग्रिम खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या दुर्बलता का पता लगाया जा सके, जिसमें आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन में नमूना आधार पर वर्गीकरण की जांच शामिल है। इसके लिए हमने अन्य वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है, जिनके साथ हमने विशिष्ट पत्राचार भी किया है। • 'एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। तदनुसार, हमने एनपीए की पहचान और आय के अनुरूप प्रतिवर्तन तथा प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। • बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे निगरानी तंत्रों के अस्तित्व और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए क्रेडिट लेखा परीक्षण, निरीक्षण लेखा परीक्षण, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षण, नियामक लेखा परीक्षण की रिपोर्टों की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की गई।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान तथा प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 8 का संदर्भ ले) बैंक की कुल संपत्ति में निवेश की हिस्सेदारी 25.74 प्रतिशत है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों /निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। नमूने का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल थीं। • हमने एनपीआई की पहचान, और आय के तदनुरूपी रिवर्सल और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। • हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेशों के वर्गीकरण के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को समझा और उसकी समीक्षा की। • हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान की पुनर्गणना की।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलनः आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण। नियामकों आदि का अन्य अनुपालन, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: – • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणियों को निकालना। • बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोटों की समीक्षा करना। • सीबीएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसएएससीएल एप्लीकेशन (आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा भी शामिल है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ (लेखांकन नीति संख्या 12 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 का संदर्भ लें) हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहेः– प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा गया, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहेः–** • लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसी डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों; • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों /न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है। • महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

अन्य मामले

5. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

तीन समनुषंगी अर्थात (i) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान (ii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, और (iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 तक ₹ 30,381.33 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 1,942.69 करोड़ का कुल राजस्व और कर पश्चात कुल निवल लाभ/(हानि) में समूह के ₹ 166.00 करोड़ का हिस्सा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इनसे संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और हमारा अभिमत पूर्ण रूप से उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

चार(4) घरेलू सहयोगी कंपनियाँ जिनके वित्तीय परिणाम/विवरण में कर पश्चात निवल लाभ में समूह का हिस्सा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 792.60 करोड़ जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों में माना गया है, इनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत पूर्ण रूप से उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

6. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम/ विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

दो(02) समनुषंगी अर्थात (i) पंजाब नैशनल बैंक (अंतर्राष्ट्रीय) लिमिटेड और (ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 तक ₹ 13,800.71 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 788.19 करोड़ का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात ₹ 110.00 करोड़ के कुल निवल लाभ में हिस्सेदारी को दर्शाती हैं, जिसे बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

एक(01) विदेशी सहयोगी कंपनी जिसके वित्तीय परिणाम/विवरण में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 59.30 करोड़ के कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों में माना गया है; इसके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है।

छह(06) घरेलू सहयोगी कंपनियाँ जिनके वित्तीय परिणाम/विवरण में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 520.53 करोड़ के कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों में माना गया है; इनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है।

हमारे अभिमत में और निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में इस विवरण पर हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

7. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट(किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षण से प्राप्त जानकारी वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि यह प्रतिपादित किया जाए कि उसमें कोई तथ्य गलत विवरण है, तो हमारे लिये उस मामले को अभिशासन के प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

8. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शातें हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु, उचित लेखा नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि, ये उचित एवं विवेकपूर्ण हैं; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण; जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है; जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि करता है तथा या तो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, समूह संस्थाओं और उसके सहायक कंपनियो और संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

समूह की संस्थाओं और उसके सहायक कंपनियो तथा संयुक्त उद्यमों का वह निदेशक मंडल संबंधित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानको के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो। धोखाधडी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सुजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से इसे सही विवरणी माना जाता है। तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है।

लेखामानको के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हमः

- समेकित वित्तीय विवरणियों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों. उन जोखिमों के

प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है. क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित है, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या मूल कंपनी के पास वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी विवरण में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है. तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणियों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं के समेकित वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है. ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

  वास्तविकता वित्तीय विवरणियों में त्रुटिपूर्ण विवरणियों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

  हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं. लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

  हम अभिशासन प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं जो हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

  अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकत्ताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त 8 से 9 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है:

ख. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और

ग. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटनों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

12. आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के अनुवर्ती पत्र के साथ पठित, 17 मार्च 2020 के पत्र क्रमांक डीओएस. एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019–20 द्वारा यथा अपेक्षित, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

क. हमारे अभिमत में. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।

ख. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है. अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ. खातों के रखरखाव और बैंक से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ङ. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं।

ख. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

ग. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं

और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

घ. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 119250W

सनदी लेखाकार अखिल जैन
भागीदार
(सदस्य सं. 137970)
यूडीआईएनः 26137970REBCMO7417

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
भागीदार
(सदस्य सं. 080624)
यूडीआईएनः 26080624KQOBJA5334

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000425N

सनदी लेखाकार राजन उप्पल
भागीदार
(सदस्य सं. 097379)
यूडीआईएनः 26097379DGTWLY5752

कृते पीए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 313085E

सनदी लेखाकार ब्रज नंद दास
भागीदार
(सदस्य सं. 062142)
यूडीआईएनः 26062142OLSQKZ6197

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05 मई, 2026

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च 2026 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	**1**	2298.59	2298.59
आरक्षित निधियां और अधिशेष	**2**	147673.63	130839.37
अल्पांश हित	**2A**	689.53	628.43
जमाराशियाँ	**3**	1724795.42	1577019.88
उधार	**4**	107558.40	105806.55
अन्य देयताएं और प्रावधान	**5**	50315.38	40950.81
कुल		**2033330.95**	**1857543.63**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	**6**	60882.17	64389.22
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	**7**	103239.81	86370.36
निवेश	**8**	523514.52	524840.31
अग्रिम	**9**	1237980.05	1086273.14
अचल आस्तियां	**10**	15625.36	13083.30
अन्य आस्तियां	**11**	92089.04	82587.30
समेकन पर गुडविल		0.00	0.00
कुल		**2033330.95**	**1857543.63**
आकस्मिक देयताएं	**12**	489063.24	654196.64
वसूली के लिए बिल		35566.16	39512.92
प्रमुख लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	**18**		
अनुसूची 1 से 18 तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं			

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव	डी. सुरेन्द्रन	विभु प्रसाद महापात्र	एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला	अंबरीष ओझा	उमा शंकर	डी. आनंदन
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी	कृते एनके भार्गव एंड केपनी	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी	कृते पीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 119250W	एफ़आरएन : 000429N	एफ़आरएन : 000425N	एफ़आरएन : 313085E
सनदी लेखाकार अखिल जैन	सनदी लेखाकार एनके भार्गव	सनदी लेखाकार राजन उप्पल	सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 137970)	(सदस्य सं. 080624)	(सदस्य सं. 097379)	(सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ व हानि खाता

(₹ करोड़ में)

	विवरण	अनुसूची	31.03.2026 को समाप्त अवधि	31.03.2025 को समाप्त अवधि
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	130772.09	124009.85
	अन्य आय	14	18691.21	16446.96
	कुल		**149463.30**	**140456.81**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	88069.40	80703.84
	परिचालन व्यय	16	31828.96	32550.46
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		12469.17	9762.88
	कुल		**132367.53**	**123017.18**
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का अंश (निवल)	17	1370.93	1112.98
	अल्पांश हित कटौती से पूर्व वर्ष के लिए समेकित लाभ / (हानि)		18466.70	18552.61
	घटाएं: अल्पांश हित		74.01	72.32
	समूह के लिए स्रोतजन्य अवधि हेतु समेकित लाभ / (हानि)		**18392.69**	**18480.29**
	जोड़ें: समूह के लिए स्रोतजन्य समेकित लाभ / (हानि)		5695.55	3971.57
	घटाएं: समायोजन		(159.47)	0.00
	कुल		**23928.77**	**22451.86**
III.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण		4259.64	4192.07
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण		1598.54	474.20
	निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण		830.19	1049.66
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		6079.76	6007.43
	आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण		925.00	1700.00
	प्रस्तावित लाभांश		3447.88	3332.95
	समेकित तुलन पत्र में अंतरित की गई शेष राशि		6787.76	5695.55
			23928.77	**22451.86**
	प्रति शेयर आय (रु. में) (मूल / डाइल्यूटेड)		**16.00**	**16.42**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियाँ	18		

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव	डी. सुरेन्द्रन	विभु प्रसाद महापात्र	एम परमशिवम
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला	अंबरीष ओझा	उमा शंकर	डी. आनंदन
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी	कृते एनके भार्गव एंड केपनी	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी	कृते पीए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 119250W	एफ़आरएन : 000429N	एफ़आरएन : 000425N	एफ़आरएन : 313085E
सनदी लेखाकार अखिल जैन	सनदी लेखाकार एनके भार्गव	सनदी लेखाकार राजन उप्पल	सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 137970)	(सदस्य सं. 080624)	(सदस्य सं. 097379)	(सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक – समेकित लेखों की अनुसूचियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
अनुसूची 1 – पूंजी					
प्राधिकृत पूंजी					
प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 के इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1500,00,00,000 के इक्विटी शेयर)		3000.00		3000.00	
निर्गत पूंजी					
प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर)		2298.59		2298.59	
प्रदत्त पूंजी					
प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर)		2298.59		2298.59	
(उपर्युक्त में प्रत्येक ₹ 2 के केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 805,41,25,685 (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) शामिल हैं					
कुल			**2298.59**		**2298.59**
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष					
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियां**				
	प्रारंभिक शेष	22435.97		18243.90	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	4259.63	**26695.60**	4192.07	**22435.97**
II.	**पूंजीगत आरक्षित निधियां**				
क)	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां**				
	प्रारंभिक शेष	8308.44		8305.63	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	2232.94		103.13	
	वर्ष के दौरान कटौती	0.00		0.00	
	घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	178.05		100.32	
	(संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास)		**10363.33**		**8308.44**
ख)	**अन्य**				
	(₹ 9268.29 करोड़ के समामेलन आरक्षित निधि सहित)				
	प्रारंभिक शेष	17202.45		16727.79	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1598.54	**18800.99**	474.66	**17202.45**
II क	**समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि (निवल)**		**74.21**		**74.21**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	प्रारंभिक शेष	50929.71		46038.53	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	**50929.71**	4891.18	**50929.71**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
IV	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां				
क)	**निवेश आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	0.00		386.35	
	अवधि के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	घटाएं: निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित	0.00		386.35	
	घटाएं: लाभ हानि खाता में अंतरित	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
ख)	**निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	3360.02		1924.01	
	जोड़ें: निवेश आरक्षित निधि से अंतरित	0.00		386.35	
	अवधि के दौरान वृद्धि	830.19	**4190.21**	1049.66	**3360.02**
ग़)	**अन्य आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	15738.70		7615.32	
	अवधि के दौरान वृद्धि	6079.76		8023.06	
	जोड़ें: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से अंतरित (निवल)	178.05		100.32	
	घटाएं: अवधि के दौरान निकासी	0.00		0.00	
	जोड़ें/घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	59.15	**22055.66**	0.00	**15738.70**
घ)	**विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	998.99		877.00	
	जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि	126.08		21.27	
	जोड़ें/घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	156.01	**1281.08**	100.72	**998.99**
ड.)	**एएफएस – आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	379.55		0.00	
	जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि	(525.25)		379.55	
	जोड़ें/घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	0.00	**(145.70)**	0.00	**379.55**
च)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि**				
	प्रारंभिक शेष	5715.78		4020.22	
	जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि	925.00	**6640.78**	1695.56	**5715.78**
V.	**लाभ और हानि खाते में शेष राशि**		**6787.76**		**5695.55**
	कुल (I, II, III, IV और V)		**147673.63**		**130839.37**
	अनुसूची 2क – अल्पांश हित				
	उस तिथि को अल्पांश हित जब मूल सहायक संस्था का संबंध अस्तित्व में आया		149.25		149.25
	परवर्ती वृद्धि/कमी		540.28		479.18
	तुलन पत्र की तिथि पर अल्पांश हित		**689.53**		**628.43**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
	अनुसूची 3 – जमाराशियाँ				
क.I.	**मांग जमाराशियाँ**				
(i)	बैंकों से	3291.38		3419.92	
(ii)	अन्य से	77414.06	**80705.44**	73043.95	**76463.87**
II	**बचत बैंक जमाराशियाँ**		**531356.80**		**499398.01**
III	**सावधि जमाराशियाँ**				
(i)	बैंकों से	120602.68		96150.70	
(ii)	अन्य से	992130.50	**1112733.18**	905007.30	**1001158.00**
	कुल (I, II और III)		**1724795.42**		**1577019.88**
ख.(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		1648669.21		1511017.80
(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		76126.21		66002.08
	कुल (i, ii)		**1724795.42**		**1577019.88**
	अनुसूची 4 – उधार				
I.	**भारत में उधार राशियाँ**				
(i)	भारतीय रिजर्व बैंक से		21290.17		33807.48
(ii)	अन्य बैंकों से		4192.91		3455.51
(iii)	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से		27903.20		19733.19
(iv)	बॉण्ड (टियर–I, टियर–II, अधीनस्थ ऋण सहित)		29236.90		34725.90
(v)	दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड एवं अन्य बॉण्ड		2950.00		2950.00
II.	**भारत के बाहर उधार राशियाँ**		21985.22		11134.47
	कुल (I और II)		**107558.40**		**105806.55**
	उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियाँ		**45400.79**		**53643.08**
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान				
I.	देय बिल		3091.54		4430.52
II.	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)		52.69		76.53
III.	उपचित ब्याज		4108.81		4740.24
IV.	अन्य (प्रावधानों सहित)		43062.34		31703.52
	I, II, III और IV का योग		**50315.38**		**40950.81**
	अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष				
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		3476.67		3234.95
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि				
(i)	चालू खाते में	44611.50		59463.27	
(ii)	अन्य खातों में	12794.00	57405.50	1691.00	61154.27
	कुल (I और II)		**60882.17**		**64389.22**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
	अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि				
I.	**भारत में**				
(i)	बैंकों में शेष राशि				
(a)	चालू खातों में	29.40		869.13	
(b)	अन्य जमा खातों में	28693.62	**28723.02**	19628.70	**20497.83**
(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि				
(a)	बैंकों के पास	0.00		0.00	
(b)	अन्य संस्थाओं के पास	11959.05	**11959.05**	16247.77	**16247.77**
	कुल (i और ii)		**40682.07**		**36745.60**
II.	**भारत से बाहर**				
(i)	चालू खातों में	14988.50		14477.44	
(ii)	अन्य जमा खातों में	47569.24		35044.75	
(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	0.00		102.57	
	कुल (i, ii और iii)		**62557.74**		**49624.76**
	कुल योग (I और II)		**103239.81**		**86370.36**
	अनुसूची 8 – निवेश				
I.	**भारत में निवेश**				
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	425088.21		440175.17	
(ii)	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0.00		0.00	
(iii)	शेयर	10046.53		7198.88	
(iv)	डिबेंचर और बॉण्ड	51112.68		41146.88	
(v)	सहयोगी संस्थाएं	7978.38		6186.23	
(vi)	अन्य	19108.88		18800.09	
	(म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण–पत्र आदि)				
	I का कुल		**513334.68**		**513507.25**
II.	**भारत से बाहर निवेश**				
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	8535.09		9785.09	
(ii)	सहयोगी संस्थाएं	355.13		415.87	
(iii)	अन्य निवेश	1289.62		1132.10	
	II का कुल		**10179.84**		**11333.06**
III.	**भारत में निवेश**				
(i)	निवेश का सकल मूल्य	516062.97		518088.38	

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
(ii)	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग	2728.29	4581.13
(iii)	निवल निवेश	**513334.68**	**513507.25**
IV.	**भारत से बाहर निवेश**		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	10851.57	12073.72
(ii)	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग	671.73	740.66
(iii)	निवल निवेश	**10179.84**	**11333.06**
	(I), (II) का कुल योग	**523514.52**	**524840.31**
	अनुसूची 9 – अग्रिम		
क i)	खरीदे गए और भुनाए गए बिल	9364.74	5985.24
ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	497979.51	448834.72
iii)	सावधि ऋण	730635.80	631453.18
	कुल (i, ii और iii)	**1237980.05**	**1086273.14**
ख i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर दिए गये अग्रिम सहित)	931376.29	819487.15
ii)	बैंक/सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत	20404.87	25370.92
iii)	अप्रतिभूत	286198.89	241415.07
	कुल (i, ii और iii)	**1237980.05**	**1086273.14**
ग(I)	**भारत में अग्रिम**		
i)	प्राथमिकता क्षेत्र	375029.51	293804.35
ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	211302.00	189063.19
iii)	बैंक	1045.76	0.00
iv)	अन्य	572787.78	544207.96
	कुल (i, ii, iii और iv)	**1160165.05**	**1027075.50**
ग (II)	**भारत के बाहर अग्रिम**		
i)	बैंकों से प्राप्य	29196.74	26197.46
ii)	अन्य से प्राप्य		
(a)	खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1175.70	1740.74
(b)	सामूहिक ऋण	17646.21	12814.80

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
(c)	अन्य		29796.35		18444.64
	कुल (i और ii)		**77815.00**		**59197.64**
	ग (I) और ग (II) का कुल योग		**1237980.05**		**1086273.14**
	अनुसूची 10 – अचल आस्तियां				
I.	**परिसर**				
	गत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	11319.35		12220.64	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	145.93		226.38	
	वर्ष के दौरान कटौती	385.97		1230.80	
	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में वृद्धि	2232.95		103.13	
	अब तक मूल्यहास	774.74	**12537.52**	950.75	**10368.60**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)**				
	गत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	10346.21		10802.73	
	विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन	0.00		0.00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1077.74		1098.48	
	वर्ष के दौरान कटौती	1654.30		1555.00	
	अब तक मूल्यह्रास	7228.66	**2540.99**	7990.85	**2355.36**
II क.	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**				
	गत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	25.78		25.33	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00		0.00	
	वर्ष के दौरान कटौती	0.00		0.00	
	अब तक मूल्यहास	25.76	**0.02**	25.31	**0.02**
II ख.	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**				
	गत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	1671.75		1395.18	
	विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन	0.00		0.00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	400.92		276.55	

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 के अनुसार		31.03.2025 के अनुसार	
	वर्ष के दौरान कटौती	0.00		0.00	
	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	0.00		0.02	
	अब तक परिशोधित	1525.84	**546.83**	1312.43	**359.32**
	I, II, IIक, IIख का योग		**15625.36**		**13083.30**
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां				
I.	अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)		0.00		0.00
II.	उपचित ब्याज		20557.60		18984.10
III.	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर		7301.29		9372.64
IV.	लेखन सामग्री और स्टाम्प		6.17		6.65
V.	दावों के निपटान से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियां		24.66		24.67
VI.	आस्थगित कर आस्ति (निवल)		13265.09		21148.30
VII.	अन्य		50934.23		33050.94
	I, II, III, IV, V, VI और VII का योग		**92089.04**		**82587.30**
	अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं				
I. i)	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है		867.64		846.88
I. ii)	अपील, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर और ब्याज कर मांग		11619.34		12028.88
II.	आंशिक रुप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		176.26		179.60
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		371503.08		552244.19
IV.	ग्राहकों की ओर से प्रदान की गयी गारंटियां :				
(क)	भारत में		72789.16		60692.58
(ख)	भारत के बाहर		3962.07		3761.41
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		20777.24		17877.30
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है		7368.45		6565.80
	कुल (I, II, III, IV, V और VI)		**489063.24**		**654196.64**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त अवधि		31.03.2025 को समाप्त अवधि	
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज				
I.	अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट		89546.89		86756.64
II.	निवेश पर आय (लाभांश सहित)		34836.20		32240.67
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अन्य अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज		4310.85		3519.13
IV.	अन्य		2078.15		1493.41
	कुल (I, II, III और IV)		**130772.09**		**124009.85**
	अनुसूची 14 – अन्य आय				
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली		4640.36		4596.22
II.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ	7.44		4.43	
	घटाएं: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	0.25	7.19	0.36	4.07
III.	शेयर से लाभांश आय		0.00		0.00
III.	विनिमय लेन–देन पर लाभ	4291.61		438.38	
	घटाएं: विनिमय लेन–देन पर हानि	3653.18	638.43	49.14	389.24
IV.	निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल)	4985.86		2981.36	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	213.57	4772.29	86.55	2894.81
V.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	1363.62		1602.41	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	1694.48	(330.86)	446.36	1156.05
VI.	विविध आय		8963.80		7406.57
	कुल (I, II, III, IV, V और VI)		**18691.21**		**16446.96**
	अनुसूची 15 – व्ययित ब्याज				
I.	जमाराशियों पर ब्याज		82233.54		74547.00
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर –बैंक उधारों पर ब्याज		1547.84		1734.49
III.	अन्य		4288.02		4422.35
	कुल (I, II और III)		**88069.40**		**80703.84**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 को समाप्त अवधि		31.03.2025 को समाप्त अवधि	
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय				
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		18992.28		21548.69
II.	किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था		1461.08		1410.94
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री		165.08		173.81
IV.	विज्ञापन और प्रचार		147.16		124.27
V.(क)	पट्टे पर दी गई आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1281.20		957.51	
(ख)	पट्टे पर दी गई आस्तियों का मूल्यहास	0.00	1281.20	0.00	957.51
VI.	निदेशकों के फीस, भत्ते और व्यय		3.33		3.60
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)		72.46		61.34
VIII.	विधिक प्रभार		111.25		131.50
IX.	डाक, तार, टेलीफोन आदि		323.17		334.22
X.	मरम्मत और रखरखाव		1086.13		877.82
XI.	बीमा		2178.99		1901.11
XII.	अन्य व्यय		6006.83		5025.65
	I से XII का कुल योग		**31828.96**		**32550.46**
	अनुसूची 17 – सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा				
(क)	भारत में सहयोगी संस्थाओं मे आय का हिस्सा		1311.63		1057.69
(ख)	भारत के बाहर सहयोगी संस्थाओं में आय का हिस्सा		59.30		55.29
	(क और ख) का योग		**1370.93**		**1112.98**

अनुसूची 18: समेकित वित्तीय विवरण 31.03.2026

वित्त वर्ष 2025–26 हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत के आधार पर तैयार की गई है तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखामानक(एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल है।

विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त का पालन किया गया है ।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई गई प्रथाओं के अनुरूप है, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों।

अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक पूर्ण और तर्कसंगत है।

भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हुए है।

लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार के संशोधन को वर्तमान एवं भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

2. समेकन प्रक्रियाएं:

सहायक कंपनियाँ

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

ii) पीएनबी इनवेस्टमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

iii) पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज़ लिमिटेड

iv) पंजाब नैशनल बैंक (इन्टरनेशनल) लिमिटेड, यूके

v) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

सहयोगी कंपनियां:

i) पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

iii) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

iv) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

v) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

vi) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

vii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

viii) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल

ix) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

x) बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

xi) पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, कोलकाता

**** बैंक की एक सहयोगी कंपनी, जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी कजाकिस्तान, जिसमें बैंक की 41.64% शेयरधारिता है, परिसमापन की प्रक्रिया में है।***

नोट– दिनांक 17.10.2025 से केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बैंक की सहयोगी कंपनी नहीं है, क्योंकि एक ओएफएस –आईपीओ के माध्यम से शेयरों की बिक्री के पश्चात कंपनी में बैंक की शेयरधारिता 23% से घटकर 13% हो गई है।

समूह के समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें उपर्युक्त विवरण के अनुसार 5 सहायक और 11 सहयोगी कंपनियां शामिल हैं) निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

i. पंजाब नैशनल बैंक (मूल बैंक/बैंक) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii. एएस 21 के अनुसार, सहायक कंपनियों की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों को मूल कंपनी की संबंधित मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति एकत्रीकरण, जिसमें समूह के भीतर महत्वपूर्ण शेष/लेनदेन, अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात तथा जहां भी आवश्यक हो, इन सहायक कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित/प्रमाणित, एक समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात तैयार किए गए हैं। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक के समान रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2026 तक तैयार किए जाते हैं।

iii. विदेशी सहायक कंपनियों का विदेशी मुद्रा रूपान्तरण निम्नानुसार किया गया है:

(i) आय और व्यय – अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत दरों पर।

(ii) आस्तियां एवं देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर। परिणामी विदेशी मुद्रा रूपान्तरण अंतर, चाहे लाभ हो या हानि, को रिजर्व और अधिशेष – विदेशी मुद्रा रूपान्तरण रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है।

जहां मताधिकार शक्ति में समूह का 20% या इससे अधिक अंश है, वहां सहयोगी कम्पनियों में निवेश, को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक–23 के अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया गया है।

2.2 सहायक कंपनियों समूह की में निवेश की लागत में अंतर और सहायक कंपनियों की इक्विटी में समूह के हिस्से को साख/पूंजी आरक्षित निधि के रूप में माना गया है।

2.3 समेकित सहायक कंपनियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सहायक कंपनी में निवेश किए जाने की तिथि पर अल्पांश को देय इक्विटी की राशि; तथा

ख. मूल–बैंक–समनुषंगी के मध्य समन्वय होने की तिथि से इक्विटी में होने वाले उतार–चढ़ाव का अल्पसंख्यक हिस्सा

मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 आय/व्यय (पैरा 3.2 व 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को समान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को शामिल करते हुए गैर–अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियामकों (इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात किया गया है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन की विधि निम्नानुसार होगी:

क. एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन (वसूली कार्रवाई की विधि/स्थिति/चरण पर विचार किये बिना) निम्न प्राथमिकता के क्रम में विनियमित किया जाएगा:

i. वसूली हेतु किए गए व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में दर्ज किया गया);

ii. इसके बाद ब्याज अनियमितताओं उपचित ब्याज हेतु समायोजित।

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात खाते में बकाया एनपीए।

iv. दंडात्मक शुल्क

ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एकाधिक खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर, सिस्टम उसी खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक

शुल्क के लिए वसूली को विनियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक शुल्क के लिए विनियोजित की जाती है।

ख. हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से राइट ऑफ (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/सीजीएफएमयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, व्यय/वसूली के लिए किए गए जेब से किए गए खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए), ब्याज और दंडात्मक शुल्क के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

ग. वाद दायर /डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार की जाती है:

i. संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में बताया गया है।

उपर्युक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति/बोर्ड द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूचुअल फंड कारोबार, साख पत्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), समूह संस्थाओं और अन्य समान आय जैसे प्रबंधन सेवा समझौते (एमएसए) शुल्क से प्राप्त रॉयल्टी, विनिमय, लॉकर किराए, 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय और म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को वसूली पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर लेखांकन में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है।

3.6 वाद दायर खातों के मामले में संबंधित विधिक और अन्य खर्चे लाभ–हानि लेखे में प्रभारित किए जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर की वापसी पर प्राप्त ब्याज से होने वाली आय का लेखांकन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आदेश पारित किये जाने वाले वर्ष में किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19(पट्टे) के अनुसार लाभ–हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर बकाया रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रावधान बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

3.10 मियादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 बैंक कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों के लिए उपचय के आधार पर लाभांश आय को मान्यता देता है, बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो। एएफएस के अंतर्गत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को भी लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

4. निवेश:

4.1 जैसे ही समझौता हो जाता है (चाहे निपटान हुआ हो या नहीं) आवश्यक वाउचर पास कर दिए जाते हैं। इक्विटी समझौते के लिए, समझौते के दिन लेन–देन वाउचर पास किए जाते हैं और अन्य समझौतों के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर समझौते के दिन पास किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियों में लेनदेन वाउचर निपटान के दिन ही पास किए जाते हैं।

4.1 निवेशों को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए– अनुसूची 8– निवेश) में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (निजी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या उस समय तय की जाती है।

क. एचटीएम: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति, अर्थात वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') होता है।

ख. एएफएस: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) किसी ऐसे उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करके तथा प्रतिभूतियों के विक्रय दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

(iii) इक्विटी शेयर जहां, प्रारंभिक मान्यता पर, एएफएस में वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है

(iv) एएफएस प्रतिभूतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए निर्धारित की गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का उद्देश्य परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले विक्रय के संबंध में लचीला है।

ग. एफवीटीपीएल: जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए अपात्र हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) इक्विटी शेयर, (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयरों के अलावा एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत है।

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

(iv) बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार–चढ़ाव से जुड़ा होता है।

एचएफटी: एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी नाम से एक अलग उप–श्रेणी बनाई गई है और इसमें निम्नलिखित सभी लिखत शामिल हैं दृ

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- अल्पकालिक मूल्यों के उतार–चढ़ाव से लाभ उठाना;
- मध्यस्थता लाभ को लॉक करना; या
- उपर्युक्त लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की बचाव व्यवस्था।
- ऐसे लिखत जो बैंकिंग बही में निवल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को बढ़ावा देंगे।
- कोई भी वित्तीय साधन जब उसे बेचने या प्रतिरक्षा के विरुद्ध कोई विधिक बाधा न हो।

4.4 सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओ और संयुक्त उपक्रमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओ और संयुक्त उपक्रमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है।

4.5 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के मामले में, लेखांकन विधि निम्न तालिका में दी गई है:

क्र सं.	से	तक	लेखांकन विधि
क.	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस–रिजर्व माना जाता है।
ख.		एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
ग.	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस–रिजर्व में पहले से मान्य संचयी लाभ/हानि को वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य पर पहुँचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
घ.		एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। एएफएस रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को वापस ले लिया गया है और लाभ और हानि खाते में मद (III) 'अनुसूची 14 के अंतर्गत निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभः 'अन्य आय' के तहत मान्यता दी गई है।
ङ.	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली वहन राशि अपरिवर्तित रहती है।
च.		एएफएस	

पुनर्वर्गीकरण भावी रूप से पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू किया जाता है तथा पुनर्वर्गीकरण समायोजनों सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण, यदि मामला जारी रहता है, तो वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकटीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में

(क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

(ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज, अर्थात् खंडित अवधि का ब्याज, अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है तथा उसकी गणना अर्जित ब्याज के रूप में की जाती है, देय के रूप में नहीं।

(ग) सभी श्रेणियों के निवेशों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

(घ) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न बताएं कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। अन्य मामलों में, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि आय वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी भी दिन 1 लाभ/हानि को अनुसूची 14 उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय' के अंतर्गत के लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

ii. स्तर 3 निवेश से उत्पन्न किसी भी 1 दिन की हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

iii. लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिन 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण साधनों के मामले में, 1 दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधे आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि गैर–उद्धृत इक्विटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य नहीं हो जाती

4.7 आरबीआई/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

I. <u>परिपक्वता तक धारित</u>

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर धारित किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर अंकित नहीं किया जाता है।

II. <u>एएफएस</u>

एएफएस में धारित की गई प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निष्पादित निवेशों (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से भेजे बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

III. <u>एफवीटीपीएल</u>

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है। उपरोक्त में से, एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी उप–श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, तथा एफवीटीपीएल के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है

IV. <u>सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश</u>

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाते हैं। सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उपक्रमों में निवेश की क्षति का मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो अधिक बार भी किया जाता है। हानि की स्थिति में, निवेश का मूल्यांकन एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जाता है तथा हानि के लिए प्रावधान लाभ–हानि खाते से किया जाता है। यदि हानि में कमी आती है, तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से रिवर्स किया जा सकता है।

V. <u>परिशोधन/अभिवृद्धि</u>

एचटीएम/एएफएस/एफवीटीपीएल/सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उपक्रम श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' तथा कोंट्रा से 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में के अंतर्गत दर्शाई गई है। निवेश के परिशोधन और अभिवृद्धि के लिए बैंक 'स्ट्रेट लाइन पद्धति' का पालन करना जारी रखता है।

निवेश का उचित मूल्य:

उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरणों में निरंतरता और तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए, निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है:

स्तर 1 – वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट वे इनपुट हैं जो समान साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं, जिसमें एक बैंक मापन तिथि पर एक्सेस कर सकता है। किसी साधन के मूल्यांकन के संदर्भ में, एक ऐसे मूल्यांकन को दर्शाया गया है जो मुख्य रूप से स्तर 1 इनपुट पर आधारित है और जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट शामिल नहीं है।

स्तर 2 – वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग

किए जाने वाले इनपुट, वे इनपुट हैं (लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अतिरिक्त) जो आस्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं। किसी साधन के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक ऐसे मूल्यांकन को दर्शाता है जो लेवल 1 और लेवल 2 इनपुट पर आधारित है और जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण लेवल 3 इनपुट शामिल नहीं है।

स्तर 3 – वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट गैर–अवलोकनीय इनपुट हैं। किसी साधन के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह एक ऐसे मूल्यांकन को दर्शाता है जिसमें कोई महत्वपूर्ण लेवल 3 इनपुट शामिल होता है।

निवेश की प्रारंभिक पहचान और आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है:

(क)	उद्धृत प्रतिभूतियां	उद्धृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य हैं। जिन प्रतिभूतियों के मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर ट्रेड/कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्यों पर आधारित होता है।
(ख)	गैर उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां	(i) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है। (ii) गैर उद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाता है। (iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाता है, तथा उन्हें एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है।
(ग)	गैर उद्धृत गैर–एसएलआर प्रतिभूतियां	गैर उद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकनएफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप लागू करके किया जाता है।
(घ)	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बॉण्ड	(i) उदय बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। (ii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार गारंटीकृत बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। (iii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। (iv) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।
(ड़)	विशेष प्रतिभूतियां	भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां, जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक पर किया जाता है।
(च)	ज़ीरो कूपन बॉण्ड (ज़ेडसीबी)	बाजार मूल्य के अभाव में, ज़ेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर ज़ेडसीबी को अंकित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जाती है।
(छ)	अधिमानी शेयर	उद्धृतः यदि मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले विनिमय पर कारोबार किया जाता है, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं लिया जाता है जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था। गैर उद्धृतः एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप के साथ वाईटीएम आधार पर, ऐसे अधिमान शेयरों के मोचन मूल्य की अधिकतम सीमा के अधीन।
(ज)	इक्विटी शेयर	उन इक्विटी शेयरों के लिए जिन्हें अनकदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उनके ब्रेक–अप मूल्य को उचित मूल्य माना गया है ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) और यह कंपनी के नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र से पता लगाया गया है। यदि नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1 होगा।
(झ)	म्यूचुअल फंड यूनिट्स (एमएफ यूनिट्स)	(क) उद्धृत एमएफ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्व ारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है। (ख) लॉक–इन अवधि वाले फंडों के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक–इन अवधि के अंत की लागत पर किया जाता है।
(ञ)	सीडी/सीपी	जमा प्रमाणपत्र या वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।
(ट)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी सुरक्षा रसीदें (एसआर) और अन्य लिखत	एआरसी (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीदें) / अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को समय– समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके मूल्यांकित किया जाएगा। यदि बैंक एआरसी को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करता है, बैंक निरंतर आधार पर निवेश को बहीखातों में दर्ज करता है, हस्तांतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनएवी और एनबीवी के आधार पर एसआर के मोचन मूल्य के निचले स्तर पर इसके हस्तांतरण या प्राप्ति तक। यदि अंतरणकर्ता (बैंक) द्वारा हस्तांतरित ऋणों के लिए जारी किए गए एसआर में अंतरित आस्ति के प्रति जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बहियों में एसआर का मूल्य निम्न से कम होगा: i) ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी); तथा ii) यदि ऋण बैंक की बहियों में जारी रहता तो एसआर का अंकित मूल्य लागू काल्पनिक प्रावधान दर से कम हो जाता। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों का मूल्यांकन एआरसी द्व ारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके तिमाही आधार पर किया जाता है। हालाँकि, सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद जो भी पहले हो, बकाया प्रतिभूति रसीदों, का मूल्य ₹1 होगा।
(ठ)	वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश	यदि सूचीबद्ध हो, तो बाजारमूल्य के अनुसार एआईएफ के अनकोटेड लिखतों का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा प्रकट किए गए एनएवी पर किया जाता है। एआईएफ के गैर उद्धृत लिखत का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाता है। जहां एआईएफ अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका खुलासा करने में विफल रहता है, वहां उसकी इकाइयों का मूल्य ₹ 1 माना जाता है।
(ड)	वेंचर कैपिटल फंड	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर।
(ड)	वेंचर कैपिटल फंड	मूल्य ह्रास को घटाकर रखाव लागत पर।

4.8 जब मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड आदि में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे लिखतों को प्रारंभिक मान्यता के समय एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लिखतों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान ही होता है, तथा प्रावधान प्रासंगिक मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

4.9 निवेशों की बिक्री/परिपक्वता पर लेखांकन उपचार:

I. <u>एचटीएम:</u> एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: के मद II 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा रही है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि में से करों को घटा कर यह राशि सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

II. <u>एएफएस:</u>

क. प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि एएफएस–रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है।

ख. एएफएस श्रेणी में ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस–रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से

अंतरित कर दिया जाता है और अनुसूची 14–अन्य आय के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर मद ॥ लाभ के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

III. एफवीटीपीएल: बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एचएफटी प्रतिभूतियों सहित लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीधे मान्यता दी जाती है।

IV. सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम: किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में स्थानांतरित की जाने वाली निवल राशि होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अन्य सभी दिशानिर्देशों तथा बाद के अन्य दिशानिर्देशों / स्पष्टीकरणों का पालन किया जाता है।

4.10 पुनर्खरीद व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय की गई प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर लेखांकन में लिया जाता है।

4.11 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ और हानि के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी इकाई द्वारा जारी किसी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीई के रूप में और इसके विलोमतः माना जाएगा। हालांकि, एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, वहां तदनुरुपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बाण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर राशि के रूप में किया जाता है:

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से तुरंत पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; तथा

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास ।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को बदल दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से आरंभ हो जाएगी।

किसी कंपनी के गैर उद्धृत शेयरों में निवेश के मामले में, जिनका मूल्य नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी है, उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गणना की जाती है। लेखापरीक्षित तुलन–पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों के लिए प्रावधान निम्नानुसार प्रबंधित किए जाते हैं:

- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी लाभ होता है, तो इन लाभों की राशि तक एएफएस–रिजर्व पर प्रभार लगाकर आवश्यक प्रावधान बनाया जा सकता है।
- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी घाटा होता है, तो इन घाटे को एएफएस–रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

4.12 रेपो या रिवर्स रेपो लेन–देन के अंतर्गत पुनर्खरीद या पुनर्विक्रय के समझौते के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, जिनमें आरबीआई के साथ तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, को उधार या उधार के रूप में दर्ज किया जाएगा। रेपो समझौतों के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत रहती हैं, जबकि रिवर्स रेपो समझौतों के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित लागतों और राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय या आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

4.13 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन–देन अथवा व्यापार अथवा हेजिंग के प्रयोजन से किए गए हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यन किया गया है:

हेज स्वैप्स

ब्याज दर जो हेज ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की अदला–बदली करती है, को उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित स्वैप को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानियों की अदला बदली को बकाया संविदात्मक अवधि अथवा आस्ति/देयताओं की शेष अवधि में से कम निर्धारित किया जाता है।

ट्रेडिंग स्वैप

व्यापारिक स्वैप का लेन–देन वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) विनिमय द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.14 विदेशी मुद्रा विकल्प:

अन्य बैंक के साथ बैक–टू–बैक अनुबंध के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं हैं, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को दायित्व के रूप में रखा जाता है तथा परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान:

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

क. अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख. अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर उल्लेखित है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानकों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे गए ऋण और अग्रिम, जो वसूली के रिकॉर्ड के अतिरिक्त अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिन्हित हैं, किंतु जो आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक हैं, मेजबान देश में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार माना गया है:

(क) एआरसी में अंतरण लेन–देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें अंतरण हुआ है। जब अंतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है तो बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए काउंटरसाइक्लिकल या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है।

दूसरी ओर, जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ व हानि लेखे में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्ति कर देंगे और केवल जब प्रारंभिक प्रतिफल और / या मोचन प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू सर्टिफिकेट

(पीटीसी) / एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित है जहां तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो जाती है।

RBI/DOR/2025-26/159DOR-STR-REC-No-78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2026 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के संबंध में एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से, ऐसे एसआर के मूल्यांकन से संबंधित विवेकपूर्ण व्यवहार इस प्रकार है कि यदि किसी ऋण को शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रावधान अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है, यदि बिक्री विचार में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं। हालांकि, एसआर के रूप में गैर–नकद घटक को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

(ख) एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरण लेन–देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंडः

(i) जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरित करता है, तो सम्पूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर उसे बहियों से हटा दिया जाता है।

(ii) यदि एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में डेबिट किया जाता है जिसमें अंतरण हुआ है।

(iii) यदि बिक्री प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान वापस ले लिया जाता है।

(ग) ज्ञापन बकाया के अतिरिक्त प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में आनुपातिक रूप से जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/ सावधि ऋण पर आय ब्याज, आदि।

यदि अतिरिक्त राशि बाद में, उदाहरणार्थ डी.आर.टी./न्यायालय के आदेश या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण वापस की जानी हो, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी शीर्ष को डेबिट किया जाता है।

5.4 पुनर्गठित आस्तियां :

अग्रिमों के पुनर्रचना/पुनः निर्धारण के मामले में आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक को कुल जोखिम के 5% पर की जाती है।

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए की गणना के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते में ऋणों पर वसूल की गई राशि तथा प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्षों में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इस लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

5.7 किसी देश में एक्सपोजर के लिए प्रावधानः

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, किसी देश के एक्सपोज़रों (स्वदेश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में अर्थात्, अर्थात्, नगण्य, निम्न, मध्यम–निम्न, मध्यम, मध्यम–उच्च, उच्च और अति उच्च; तथा मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश एक्सपोज़र पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान – अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.8 भारतीय कंपनियों की सहायक संस्थाओं के सभी एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति बनाने के विरूद्ध 2% का अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्सपोज़र पर लागू देश जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढ़ांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और विनियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोज़र हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI Cir. No. RBI/ 2015.16/279 DBR.IBD.BC No. 68/23.37.001/2015-16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

5.9 अस्थायी प्रावधानः

बैंक के पास अस्थायी प्रावधान के सृजन और उपयोग के लिए एक नीति है । इस प्रकार बनाए गए अस्थायी प्रावधान का उपयोग केवल बैंक के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बाद नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जा सकता है। अस्थायी प्रावधान को अग्रिमों से इस सीमा तक घटाया जाता है कि इसे टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयत्र और उपकरण को उनकी परंपरागत लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन को घटाकर दर्शाया जाता है, जहाँ भी लागू हो; उन परिसरों को छोड़कर, जिनका बैंक की नीति के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली मूल्य–वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण बढ़ने वाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को उसमें से घटाकर सामान्य आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च किए गए पेशेवर शुल्क सम्मिलित हैं। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यह्रासः

क. आस्तियों (भूमि सहित, जहां कीमत पृथक नहीं की जा सकती) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कंप्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी–रेखा पद्धति से की जाती है।

ख. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है:

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति (फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज़)	
भूमि	शून्य
निर्माण लागत पर प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास पर जहां भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित की जा सकती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता है	2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष अवधि जो भी कम हो)
बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि , जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य

विवरण	मूल्यह्रास की दर
पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख हो	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड भूमि और पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2-50%
पट्टे की भूमि पर निर्मित जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसर को छोड़कर अचल आस्तियां	
फर्नीचर और फिक्सचर– स्टील की वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्सचर–लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर कारें और साइकिलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड, आदि, सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर सहित)	33.33%
सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर को छोड़कर)	33.33%
एक्सरसाइज साईकिल	10.00%
कार्यालय अचल संपत्तियों की वे वस्तुएं जिनकी कीमत रुपये 25,000/– से कम है और/या जिनकी उपयोगी अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम है, उन्हें व्यय के रूप में माना जाता है (कर्मचारियों और रुपये 1,500/– से अधिक की लागत वाली वस्तुओं को छोड़कर, जिन्हें अलग से उपयोग किया जा सकता है) रुपये 1,500/– से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति का क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है।	
रु. 25,000/– तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत को राजस्व प्रभारित किया जाता है।	

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य आस्तियों में नए परिवर्धन पर जिन आस्तियों को उपजोड़ में लाया जा रहा है मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है, अर्थात् मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

घ. वर्ष के समापन में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत को तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यह्रास भवनों पर लागू समग्र लागत दर पर प्रदान किया जाता है।

ड. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्ष (वर्षों) में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों का ह्रासः

आस्तियों की वहन लागत की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है, यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो किसी आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर हानि को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो कि धन के समय मूल्य और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

ह्रास के पश्चात, यदि कोई हो, मूल्यह्रास आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन लागत पर प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालाँकि, वहन मूल्य को उत्क्रमण के बाद वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो कि सामान्य मूल्यह्रास चार्ज करने से प्रबल होता अगर कोई हानि नहीं होती ।

दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर–बैंकिंग आस्तियों के संबंध में यदि कोई हानि होती है, तो उसे लाभ–हानि विवरण में तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा गैर–बैंकिंग आस्तियों के अग्रणीत मूल्य को समायोजित किया जाता है।

8. रोजगार लाभः

भविष्य निधिः

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

उपदानः

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

पेंशनः

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

बैंक उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण किया है। उनके लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित किया है। इस योजना के अनुसार, इसके अंतर्गत आने वाले पात्र कर्मचारी बैंक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% के योगदान के साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते हैं। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन योगदान राशियों को रोककर (सुरक्षित) रखा जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर , समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितिः

संचयन मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जैसे विशेषाधिकार अवकाश (पीएल – सेवानिवृत्ति) और बीमारी अवकाश (अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश सहित) प्रदान की जाती है। विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) नकदीकरण का भुगतान सीधे बैंक व्यय खाते से किया जा रहा है।

अन्य कर्मचारी लाभः

अन्य कर्मचारी लाभ, जैसे अवकाश किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड, इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

विदेशी शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू विधि के अनुसार मूल्यांकित और रेखांकित किए गए हैं।

कर्मचारी लाभों के लिए सुपरिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि का रूपांतरणः

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन–देन का लेखा–जोखा एएस 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार किया जाता है।

9.1 फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़ईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि पर सभी मौद्रिक आस्तियों और देयतायों, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों को प्रचलित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये के समतुल्य रूपांतरित किए जाते हैं।

9.2 अचल आस्तियों के अतिरिक्त गैर–मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती है, लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती है।

9.3 बकाया फॉरन एक्सचेंज स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टस को एफ़ईडीएआई द्वारा अधिसूचित दरों पर तुलन पत्र की तिथि के अनुसार रूपांतरित किया जाता है और रूपांतरण पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

बकाया फंडिंग स्वैप जो तुलन पत्र की तिथि पर एफ़ईडीएआई पुनर्मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के दायरे से बाहर है। ऐसे फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के आरंभ में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय की मदों को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, उन दरों से भिन्न होते हैं, जिन पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था, आय या व्यय के रूप में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनकी पहचान की जाती है।

मुद्रा फ़्यूचर्स ट्रेड में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि, दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ निपटाए जाते हैं एवं ऐसे लाभ/हानि की लाभ व हानि खाते में पहचान की जाती है।

9.5 भारत से बाहर के कार्यालय / विदेश स्थित बैंकिंग इकाईयाँ:

(i) विदेशी शाखाओं एवं विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के परिचालन को ' गैर–समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) 'समाकलन विदेशी परिचालनों और गैर–समाकलन विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेन–देन का लेखा एस–11 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iii) विनिमय उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप गैर–समाकलन विदेशी परिचालनों का लाभ/हानि में विनिमय उतार–चढ़ाव रिज़र्व में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा उपगत चालू कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। चालू कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 – 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, जो संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयतायों में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और घाटे को अग्रेषित करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तिथि में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के विस्समति पर आधारित होता है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित/वास्तव में निश्चित हो।

11. प्रति शेयर आय:

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। मूल आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय उस संभावित डाइल्यूटेड को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया हो या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ:

भारतीय सनदी लेखागार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है, जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता मुद्रा के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले जो यद्यपि बैंक के विरुद्ध दायर किए गए हैं, किंतु जिनमें बैंक पर किसी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना नगण्य है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियाँ को नहीं लिया जाता है।

13. बुलियन ट्राजेक्शन:

बैंक अपने ग्राहकों को विक्रय के लिए खेप के आधार पर कीमती धातु की छ्दोन सहित बुलियन का आयात करता है । आयात विशेषतः बैंक–टू आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्राजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है।

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक जमा भी स्वीकार करता है और स्वर्ण भी उधार देता है, व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त/ब्याज के साथ ब्याज आय / आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि/ अग्रिम की तरह माना जाता है।

14. खंडवार रिपोर्टिंग:

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक17 के अनुपालन में, व्यवसाय खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र FIDD. CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015–16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय कर या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेन–देन आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं:

क. भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष, बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

ख. आरबीआई द्वारा(अर्थात, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के अंतर्गत, जैसा लागू हो) प्रदान किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार रिवर्स रेपो में शेष राशि रिपोर्ट की जाती है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट की जाता है।

लेखों से संबन्धित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय 05 सहायक एवं 11 सहयोगी कंपनियों (जो मूल कंपनी पंजाब नैशनल बैंक के साथ मिलकर समूह का गठन करती हैं) पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(%में)

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमन देश	वोटिंग पावर के रूप में धारित %	
			31.03.2026	31.03.2025
1.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड[1]	भारत	**74.07**	**74.07**
2.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड[1]	भारत	**100.00**	**100.00**
3.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड[1]	भारत	**100.00**	**100.00**
4.	पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड.यूके	यूनाइटेड किंगडम	**100.00**	**100.00**
5.	डुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान[1]	भूटान	**51.00**	**51.00**

1 कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन हैं।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित सहयोगी निम्नानुसार हैं

(%में)

क्रम सं.	सहयोगी	निगमन देश	स्वामित्व का प्रतिशत अनुपात	
			31.03.2026	31.03.2025
1	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	**30.00**	**30.00**
2	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**	भारत	**28.04**	**28.10**
3	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	नेपाल	**20.02**	**20.02**
4	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	भारत	**35.00**	-
5	बिहार ग्रामीण बैंक,पटना	भारत	**35.00**	-
6	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी.	भारत	**35.00**	**35.00**
7	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	भारत	**35.00**	**35.00**
8	हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक^	भारत	**35.00**	**35.00**
19	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल	भारत	**35.00**	**35.00**
10	पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, कोलकाता	भारत	**35.00**	-
11	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	भारत	**35.00**	**35.00**
12	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद^	भारत	-	**35.00**
13	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना^	भारत	-	**35.00**
14	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	भारत	-	**35.00**
15	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद^	भारत	-	**35.00**
16	जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान*	कजाकिस्तान	-	**41.64**
17	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	-	**23.00**

^चरण प्ट के समामेलन पर राजपत्र अधिसूचना संख्या 1604 दिनांक 05.04.2025 के अनुसरण में, दिनांक 01.05.2025 से प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलन कर दिया गया है; जबकि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (पूर्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन करके 'बिहार ग्रामीण बैंक' का गठन किया गया है; और पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (यूको बैंक द्वारा प्रायोजित) तथा उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) का बंगीय ग्रामीण विकास बैंक के साथ समामेलन करके 'पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक' का गठन किया गया है।

** एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने दिनांक 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह परिसमापन के अधीन है।*

*** ईएसओपी के कारण स्वामित्व में कमी।*

नोट– केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिनांक 17.10.2025 से बैंक की सहयोगी कंपनी नहीं है, क्योंकि ओएफएस–आईपीओ के माध्यम से शेयरों की बिक्री के बाद कंपनी में बैंक की शेयरधारिता 23% से घटकर 13% हो गई है।

3.1 आरक्षित पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
समेकन पर पूंजी रिजर्व (निवल)	74.21	74.21

3.2 टियर I और टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए स्थायी बॉण्ड/गौण ऋण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i)	वर्ष समापन के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से:	0.00	0.00
	क) बेसल III अनुपालक स्थायी गैर–संचयी वरीयता शेयर	0.00	0.00
	ख) बेसल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत	0.00	0.00
ii)	छमाही के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से बेसल III अनुपालक राशि:	0.00	3,000.00
	क) टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत	0.00	3,000.00
	ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर	0.00	0.00
	ग) प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर	0.00	0.00
	घ) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर	0.00	0.00

3.3 बैंक समूह का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III के अनुसार) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i)	कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल (सीईटी 1) (कटौतियों का निवल)	1,25,865.79	1,04,470.46
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	14,090.07	14,517.99
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	1,39,955.86	1,18,988.45
iv)	टियर 2 पूंजी	23,595.32	24,883.87
v)	**कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)**	**1,63,551.18**	**1,43,872.32**
vi)	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)**	**9,21,006.82**	**8,43,641.55**
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	13.67%	12.38%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	15.20%	14.10%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.56%	2.95%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.76%	17.05%
xi)	लीवरेज का अनुपात	6.42%	6.03%

आरबीआई ने 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र संख्या DOR-CAP-REC-704/21.06.002/2025–26 के माध्यम से बैंकों को पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति को सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में मानने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

4. लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

4.1 लेखामानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चालू एवं गत वर्ष के दौरान लेखामानक 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई भी पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिण ामों की तैयारी के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई गई नीतियों की तुलना में है।

इन दिशानिर्देशों के प्रभाव की सीमा तक, पूर्ववर्ती अवधियों/वर्षों के आंकड़े वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय नहीं हैं।

4.2 लेखामानक 9 – राजस्व पहचान

आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (गत वर्षः आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना गया है)।

4.3 लेखामानक 10 – संपत्तियां, संयंत्र और उपकरण।

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियां के लिए अवधि के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण (आस्तियों का वर्ग)	31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष
परिसर	207.22	147.50
अन्य अचल आस्तियां	860.77	684.70
पट्टाकृत आस्तियां	0.32	0.01
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	212.89	125.30
कुल	**1,281.20**	**957.51**

4.4 लेखामानक 11– विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावः

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव रिज़र्व का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष
प्रारंभिक शेष	998.98	877.00
लाभ एवं हानि खाते में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	126.07	1.96
वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियां एवं देनदारियों के अंतरण के कारण वृद्धि/कटौती	156.03	120.03
जमा शेष	**1,281.08**	**998.99**

4.5 लेखामानक 15 (संशोधित) – कर्मचारी लाभः

4.5.i परिभाषित लाभ योजनाएं

तालिका I – प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक मान्यताएं	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
बट्टा दर	7.36%	6.79%	7.33%	6.78%	7.33%	6.78%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	7.36%	6.79%	7.33%	6.78%	7.33%	6.78%
वेतन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

तालिका II – दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,210.33	51,990.93	4,094.20	4,208.18	4,452.50	4,036.42
जोड़ें ब्याज लागत	3,707.73	3,653.00	253.33	276.79	262.43	244.55
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	457.27	446.11	249.26	250.13	538.53	634.00
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.56	0.00	0.42	0.00
घटाएं: प्रदत्त लाभ	4,639.97	4,643.28	442.29	536.57	273.73	188.53
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि (मिलान आंकड़े)	1079.64	4,763.73	392.29	260.59	(347.13)	58.26
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**56,815.00**	**56,210.33**	**4,541.93**	**4,409.23**	**4,632.13**	**4,546.99**

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	55,515.39	50,876.65	3,960.90	4,216.27	4,448.10	3,919.56
जोड़ें: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	3,660.54	3,572.22	252.16	286.72	278.76	257.97
जोड़ें: बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान	2,819.05	4,959.74	377.64	359.13	207.40	508.36
घटाएं: प्रदत्त लाभ	515.85	4,643.28	46.56	536.98	81.96	307.39
बीमांकिक (हानि) योजना आस्तियों पर / लाभ (मिलान आंकड़े)	4,639.97	750.06	442.71	54.26	274.78	69.60
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**57,870.86**	**55,515.39**	**4,194.55**	**4,330.35**	**4,741.44**	**4,448.10**

तालिका IV – योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3,660.54	3,572.22	251.87	260.49	278.76	257.97
जोड़ें: बीमांकिक (हानि) योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ	515.85	750.06	46.80	54.26	81.96	69.60
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**4,176.39**	**4,322.28**	**298.67**	**314.75**	**360.72**	**327.57**

तालिका V – निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि निर्धारित

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि – दायित्व	1,079.64	4,763.73	392.39	259.79	(345.40)	152.99
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि – योजनागत अस्तियां	(515.85)	(750.06)	(46.80)	(55.08)	(81.96)	(69.60)
अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	563.79	4,013.67	345.59	204.71	(427.36)	83.39
वर्ष में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि	**563.79**	**4,013.67**	**345.59**	**204.71**	**(427.36)**	**83.39**
वर्ष के अंत में गैर–निर्धारित बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका VI – तुलन पत्र में निर्धारित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,815.00	56,210.33	4,541.62	4,404.61	4,631.03	4,546.44
घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य	57,870.86	55,515.39	4,194.55	4,330.35	4,741.44	4,448.10
घाटा / (अधिशेष)	(1,055.86)	694.94	347.08	184.19	(112.05)	2.40
शुद्ध देयता/ (आस्ति)	(1,055.86)	694.94	347.08	129.11	(111.76)	2.73
तुलन पत्र में राशियाँ	0.00	0.00	0.00	55.08	1.06	95.27
तुलन पत्र में निर्धारित देयता	(1,055.86)	694.94	347.08	129.17	(110.70)	2.65
तुलन पत्र में निर्धारित आस्तियां (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध देयता/ (आस्ति)	**(1,055.86)**	**694.94**	**347.08**	**184.25**	**(110.41)**	**97.92**
एस–15 (आर) के पैराग्राफ 55 के तहत निर्धारित ऋणात्मक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपलब्ध धन वापसी का वर्तमान मूल्य और भावी अंशदान में कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एएस–15 (आर) के पैराग्राफ 59 (बी) के अनुसार निर्धारित आस्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तालिका VII – लाभ और हानि लेखे में निर्धारित व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
वर्तमान सेवा लागत	457.27	446.11	248.90	248.84	538.53	634.25
जोड़ें : ब्याज लागत	3,707.73	3,653.00	253.33	276.58	262.43	244.52
घटाएँ: योजना आस्ति पर संभावित प्रतिलाभ	(3,660.54)	(3,572.22)	(252.16)	(284.98)	(278.76)	(257.97)
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्धारित शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	563.79	4,013.67	345.59	204.70	(427.96)	(12.18)
जोड़ें: विगत सेवा लागत दृ निर्धारित (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	-	0.00	0.37	0.00	-	0.00
लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय	1,068.25	4,540.56	596.04	446.39	94.24	609.26

तालिका VIII – तुलन पत्र में निर्धारित की जाने वाली निवल देयता में उतार–चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
प्रारंभिक निवल देयता	694.94	1,114.12	129.34	41.42	2.90	4.40
जोड़ें: व्यय	1,068.25	4,540.56	595.77	431.75	93.03	507.18
घटाएँ: प्रदत्त अंशदान	(2,819.05)	(4,959.74)	(377.42)	(343.83)	(207.40)	(508.36)
घटाएँ: कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभ	-	0.00	-	(0.08)	-	(0.05)
अंतिम निवल देयता/(आस्ति) चालू अवधि में तुलन पत्र में निर्धारित देयता)	(1,055.86)	694.94	347.57	129.34	(111.47)	3.07

तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	56,815.00	56,210.33	4,538.11	4,086.51	4,629.97	4,451.17
घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य	57,870.86	55,515.39	4,190.55	3,957.17	4,741.44	4,448.10
अधिशेष /(घाटा)	1,055.86	(694.94)	(347.24)	(129.34)	112.05	(3.07)
योजना देयताओं में अनुभव समायोजन – हानि/(लाभ)	836.81	2,299.69	661.00	114.23	(257.18)	(55.49)
योजना आस्तियों में अनुभाविक समायोजन (हानि) / लाभ	515.85	750.06	46.80	54.26	81.96	69.60

तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.14%	2.08%	2.04%	3.64%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	8.93%	9.39%	8.98%	9.51%	0.00%	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉण्ड	4.17%	4.66%	2.94%	3.24%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड निवेश	0.11%	0.19%	0.12%	0.22%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना/एफ.डी.आर.	0.03%	2.26%	0.02%	1.64%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	84.62%	78.11%	84.92%	79.12%	100.00%	100.00%
अन्य जमा, उपचय आदि।	1.00%	3.31%	0.98%	2.63%	0.00%	0.00%
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान (₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2027	31.03.2026	31.03.2027	31.03.2026	31.03.2027	31.03.2026
आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान	990.00	2,090.00	320.00	260.06	430.00	420.08

तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर–निधिक) (₹ करोड़ में)

विवरण	अस्वस्थता अवकाश और अन्य अवकाश (अवैतनिक)		यात्रा अवकाश रियायत (अवैतनिक)		रजत जयंती बोनश (अवैतनिक)	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,379.96	1,320.85	87.96	87.87	25.50	25.26
संक्रमणशील देयता का प्रारंभिक शेष	-	0.00	-	0.00	-	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणशील देयता	-	0.00	-	0.00	-	0.00
संक्रमणशील देयता का अंतिम शेष	-	0.00	-	0.00	-	0.00
तुलन पत्र में निर्धारित देयता	1,379.96	1,320.85	87.96	87.87	25.50	25.26

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है।
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन से संबंधित योजना आस्ति पर रिटर्न 7.36% होगा और उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि पर 7.33% प्रति वर्ष होगा।
वेतनवृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है।
पलायन दर	गत अनुभव और स्वैच्छिक निकासी से संबंधित अपेक्षित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन की दर 1% निर्धारित की गई है।

4.5.ii परिभाषित अंशदान योजनाएं (मूल कंपनी):

"बैंक ने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (प्रोटीन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1701.49	अंशदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है।
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1,551.89	

4.6 लेखामानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंड पहचान

I. प्राथमिक (कारोबार खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: –

i. **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग संचालन से मिलने वाली फीस और होने वाले लाभ या हानि, तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल होती है।

ii. **रिटेल बैंकिंग:** भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, रिटेल बैंकिंग में वे गतिविधियां शामिल होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 में रिटेल गतिविधियों के लिए निर्धारित चार मानदंडों–अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रैनुलैरिटी और व्यक्तिगत एक्सपोज़र के कम मूल्य–को पूरा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत आवास ऋण भी रिटेल बैंकिंग खंड का हिस्सा होंगे।

आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार जारी लेखामानक 17, खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग खंड को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में चिन्हित किया गया है। 31 मार्च, 2026 तक, बैंक की 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) परिचालन में हैं और रिटेल बैंकिंग परिचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकट की गई खंड जानकारी उक्त डीबीयू से संबंधित है।

iii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग में वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो 'खुदरा बैंकिंग' के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन:** जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड):

i. घरेलू परिचालन – भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय।

ii. विदेशी परिचालन – भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय और भारत में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंकिंग इकाइयां।

III. आवंटन का आधार:

i. ब्याज आय को आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

ii. थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं होने वाले व्यय आवंटित किए जाते हैं।

iii. प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

iv. बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए आबंटित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर आबंटित माना जाता है।

खंड जानकारी

भाग ए – कारोबार खंड (समेकित)

चालू वित्तीय वर्ष (2025–26) **(₹ करोड़ में)**

कारोबार खंड	कोष	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग			अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य रिटेल बैंकिंग	कुल		
राजस्व	44,781.17	56,734.27	0.56	44,014.40	44,014.96	3,932.90	1,49,463.30
परिणाम	11,371.16	12,386.64	(7.77)	9,495.61	9,487.84	987.39	34,233.03
अनावंटित व्यय							7,151.37
परिचालन लाभ							27,081.66
कर का प्रावधान							9,985.89
असामान्य मदें							-
सहायक कंपनियों में अर्जितांश (निवल)							1,370.93
अल्पांश हितलाभ							74.01
निवल लाभ							18,392.69
अन्य जानकारी							
आस्ति खंड	5,62,319.72	8,64,796.20	9.70	5,06,436.78	5,06,446.48	66,285.68	19,99,848.08
अनावंटित आस्तियां							33,482.87
कुल आस्तियां							20,33,330.95
खंड देयताएं	5,23,224.87	8,13,745.08	48.24	4,81,091.19	4,81,139.43	61,103.89	18,79,213.27
अनावंटित देयताएं							4,145.46
कुल देयताएं							18,83,358.73
नियोजित पूंजी	39,094.85	51,051.12	(38.54)	25,345.59	25,307.05	5,181.79	1,20,634.81
अनावंटित नियोजित पूंजी							29,337.41
कुल नियोजित पूंजी							1,49,972.22

**परिचालन लाभ, कर के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों की कटौती के बाद का लाभ है।*

गत वित्तीय वर्ष (2024–25)

(₹ करोड़ में)

कारोबार खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग			अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
			डिजिटल बैंकिंग	अन्य रिटेल बैंकिंग	कुल		
आय	40,267.60	58,597.99	0.33	38,305.71	38,306.04	3,285.18	1,40,456.81
परिणाम	10,523.92	11,794.05	(7.39)	8,301.10	8,293.71	1,303.77	31,915.45
अनाबंटित व्यय							5,862.91
परिचालन लाभ							26,052.54
कर का प्रावधान							8,612.91
असामान्य मदें							0.00
एसोसिएट्स में अर्जितांश (निवल)							1,112.98
अल्पांश हितलाभ							72.32
निवल लाभ							18,480.29
अन्य जानकारी							
आस्ति खंड	5,54,020.24	7,79,293.44	2.48	4,35,672.82	4,35,675.30	47,449.31	18,16,438.29
अनाबंटित आस्तियां							41,105.34
कुल आस्तियां							18,57,543.63
खंड देयताएं	5,20,477.50	7,40,989.10	34.05	4,15,294.54	4,15,328.59	43,584.47	17,20,379.66
अनाबंटित देयताएं							4,026.01
कुल देयताएं							17,24,405.67
नियोजित पूंजी	33,542.74	38,304.34	(31.57)	20,378.28	20,346.71	3,864.84	96,058.63
अनाबंटित नियोजित पूंजी							37,079.33
कुल नियोजित पूंजी							1,33,137.96

भाग बी – भौगोलिक खंड (समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
राजस्व	1,43,805.61	1,35,041.77	5,657.69	5,415.04	1,49,463.30	1,40,456.81
आस्तियां	18,99,562.73	17,51,008.22	1,33,768.22	1,06,535.41	20,33,330.95	18,57,543.63

टिप्पणियाँ :

1. खंड देयताएं उनकी संबंधित आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।

2. जहां भी आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

4.6 आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण: (मूल कंपनी)

1. संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध:

क. प्रबंधन के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):

i. श्री अशोक चंद्र,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ii. श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 21.10.2021 से 30.09.2025 तक)

iii. श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक

iv. श्री बिभू प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक

v. श्री डी. सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक

vi. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक

ख. सहायक:

i. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

ii. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

iii. पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज़ लिमिटेड

iv. पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके

v. ड्रूक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

ग. सहयोगी:

i. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

iii. एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

iv. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना'

v. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

vi. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

vii. हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

viii. असम ग्रामीण बैंक, गुवाहाटी

ix. पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, कोलकाता'

x. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल

xi त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

xii. जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान*

^^चरण IV समामेलन पर दिनांक 05.04.2025 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1604 के अनुसरण में, दिनांक 01.05.2025 से, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलन कर दिया गया है, जबकि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (जो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित था) का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन करके 'बिहार ग्रामीण बैंक' का गठन किया गया है तथा पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (यूको बैंक द्वारा प्रायोजित) और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) का बंगीय ग्रामीण विकास बैंक के साथ समामेलन करके 'वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक' का गठन किया गया है।

**वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी (एएफ़आर), कजाकिस्तान ने जेएससी टेंगड़ी बैंक का लाइसेंस दिनांक 18.09.2020 से रद्द कर दिया है, जो कि परिसमापन के अधीन है*

नोट– ओएफएस–आईपीओ के माध्यम से शेयरों के विक्रय के परिणामस्वरूप कंपनी में बैंक की शेयरधारिता 23% से घटकर 13% होने के कारण केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिनांक 17.10.2025 से बैंक की सहयोगी कंपनी नहीं रही है।

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन:

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केपीएम	कुल	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केपीएम	कुल
बकाया	**31.03.2026 तक के अनुसार**			**31.03.2025 तक के अनुसार**		
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशि	841.57	0.00	841.57	922.67	0.00	922.67
अग्रिम #	7,392.29	0.00	7,392.29	5,149.99	0.00	5,149.99
जमा राशियों का निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त पट्टा / किराया–क्रय व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थिर संपत्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थिर संपत्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त पट्टा / किराया–क्रय व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशि	1,121.13	0.00	1,121.13	1,121.13	0.00	1,121.13
अन्य देयताएं	90.89	0.00	90.89	86.34	0.00	86.34
गैर निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी / बीजी)*	43.90	0.00	43.90	48.82	0.00	48.82
के दौरान अधिकतम बकाया	**वित्त वर्ष 2025–26**			**वित्त वर्ष 2024–25**		
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशि	1,110.81	0.00	1,110.81	894.89	0.00	894.89
अग्रिम	7,392.29	0.00	7,392.29	5,149.99	0.00	5,149.99
जमाओं का नियोज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i) बैंक शेष (चालू खाता / अल्पकालिक जमा सहित)**	16.28	0.00	16.28	83.47	0.00	83.47
उपयोग की गई पट्टा / किराया–क्रय व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त पट्टा / किराया–क्रय व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	1,121.13	0.00	1,121.13	1,121.13	0.00	1,121.13
पंजाब नेशनल बैंक को जारी असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, विमोच्य (रिडीमेबल), कर–योग्य, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	92.12	0.00	92.12	97.79	0.00	97.79
गैर निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी / बीजी)*	43.61	0.00	43.61	48.82	0.00	48.82

विवरण	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केपीएम	कुल	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	केपीएम	कुल
वर्ष के दौरान	**वित्त वर्ष 2025–26**			**वित्त वर्ष 2024–25**		
दत्त ब्याज	3.07	0.00	3.07	1.83	0.00	1.83
लाभांश के माध्यम से अर्जित आय	21.06	0.00	21.06	7.00	0.00	7.00
अन्य आय	414.72	0.00	414.72	410.79	0.00	410.79
प्राप्त ब्याज	609.44	0.00	609.44	553.38	0.00	553.38
अन्य व्यय	2.62	0.00	2.62	38.76	0.00	38.76
भूमि / भवन और अन्य आस्तियाओं की बिक्री पर लाभ / (हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रबंधन अनुबंध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदान की गई सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाओं की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य लेनदेन	10,834.83	0.00	10,834.83	7,167.27	0.00	7,167.27
पीएनबीएचएफएल के ऋणों के समनुदेशन पर प्राप्त मूलधन	515.33	0.00	515.33	575.63	0.00	575.63
ii) पीएनबी द्वारा प्रदत्त सावधि ऋण^	2,950.00	0.00	2,950.00	4,525.00	0.00	4,525.00
iii) पीएनबीएचएफएल द्वारा मियादी ऋण का पुनर्भुगतान^	2,221.45	0.00	2,221.45	2,066.64	0.00	2,066.64
iv) ईसीबी द्वारा सृजित	1,118.05	0.00	1,118.05	0.00	0.00	0.00
v) पीएनबी में की गई सावधि जमा	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00
vi) पीएनबी द्वारा भुनाई गई सावधि जमा	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00

**आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठाने हेतु पीएनबी से प्राप्त और यूआईडीएआई को प्रदान की गई गई ₹ 0.25 करोड़ की बैंक गारंटी को ऋण सुविधा नहीं माना गया है। बैंक गारंटी की वैधता अतिरिक्त 3 वर्ष की अवधि के लिए (23 अगस्त 2030 तक) बढ़ा दी गई है।*

गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के एवज में पीएनबी से प्राप्त और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को दी गई ₹ 0.04 करोड़ की बैंक गारंटी को क्रेडिट सुविधा नहीं माना गया है। बैंक गारंटी 24 जनवरी, 2032 तक वैध है और दावा अवधि वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात छह माह की होगी।

*** पीएनबी मेटलाइफ की खाता बहियों के अनुसार बैंक शेष*

पीएनबीएचएफएल से प्राप्त टिप्पणियां

 # बकाया शेष के अंतर्गत 35 मिलियन अमरीकी डालर हैं, जिसका क्रय पंजाब नैशनल बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार में एचएसबीसी बैंक से किया गया है।

^ ₹ 1200 करोड़ की संस्वीकृति के एवज में प्राप्त और चुकाए गए एसटीएल के नवीकरण से संबंधित लेनदेन के अतिरिक्त (अर्थात इस अवधि के दौरान ₹ 1,200 करोड़ को केवल एक बार माना गया है)।

जहां भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं तथा जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः व्यवस्थित / पुनःवर्गीकृत किया गया है।

4.8. लेखा मानक 19 – पट्टा (मूल कंपनी)

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते है, जिसे बैंक के विकल्प पर सामान्यतः प्रत्येक तीसरे / पांचवें वर्ष के अंत में नवीकृत किया जाता है।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2026 तक गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (31.03.2025 तक पिछली अवधिः शून्य)।

iii. बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पर ₹29.74 करोड़ का लीज़ इक्वलाइज़ेशन रिज़र्व बनाया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त गत वर्ष यह ₹24.41 करोड़ था।

iv. परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार हैः

विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
पट्टे / किराए पर लिए गए परिसरों की संख्या	14,791	14,909
राशि (₹करोड़ में)	929.05	868.27

4.9 लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

क्र.	विवरण	31.03.2026 के अनुसार	31.03.2025 के अनुसार
क.	ईपीएस – बेसिक / डायल्यूरेटेड (₹)	16.00	16.42
ख.	कर क पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)	18,392.69	18,480.29
ग.	शेयर का अंकित मूल्य (₹)	2.00	2.00
घ.	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11,49,29,43,268	11,25,66,00,638

4.10 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
आस्थगित कर आस्तियां		
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	13,859.71	22,005.03
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	377.56	475.38
एएफएस आरक्षित निधि	233.57	0.67
पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान	0.24	0.06
कर योग्य हानि (आगे ले जाई गई)	0.00	212.51
निगमन–पूर्व व्यय	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	221.33	1.58
अन्य आकस्मिकताएं	227.61	302.45
कुल	**14,920.02**	**22,997.68**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	(345.95)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (अपपप) के तहत कटौती	1,654.92	1,982.07
एएफएस आरक्षित निधि	0.00	204.54
अन्य	0.00	8.72
कुल	**1,654.92**	**1,849.38**
आस्थगित कर आस्तियां / (देयता) – निवल	**13,265.09**	**21,148.30**

नोटः "दिनांक 31 मार्च 2026 तक, बैंक की सहायक कंपनी, पीएनबीआईएल ने समेकित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आईजीएएपी वित्तीय विवरणों में ऋण हानि प्रावधानों से संबंधित अस्थायी समय अंतराल पर ₹211.45 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को मान्यता दी है। इस डीटीए को विगत अवधियों में मान्यता नहीं दी गई थी और ओईसीडी पिलर टू टैक्स ढांचे को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान मान्यता दी गई है।"

4.11 लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में, दिनांक 31.03.2026 तक इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी भौतिक सीमा तक तक ₹17.92 करोड़ हानि हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।

(विगत अवधि: बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आस्तियों का है, जिन पर लेखामानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2025 तक इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी सीमा तक कोई हानि नही हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।)

4.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

i. देयताओं के लिए प्रावधानों का उतार–चढ़ाव

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	वेतन बकाया	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	वेतन बकाया	विधिक मामले / आकस्मिकताएं
प्रारंभिक शेष	150.00	145.71	150.00	119.65
छमाही के दौरान वृद्धि / प्रदान की गई	0.00	52.40	0.00	54.65
छमाही के दौरान प्रयुक्त/वापस की गई राशियां	0.00	10.52	0.00	28.60
अंतिम शेष	**150.00**	**187.61**	**150.00**	**145.70**
बहिर्वाह का समय/अनिश्चितताएं	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह

ii लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित "प्रावधान और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
i. एनपीआई / ह्रास के लिए प्रावधान	(1,233.26)	(11.65)
ii. एनपीए के लिए प्रावधान	588.88	1,154.85
iii. एनपीए के लिए अस्थायी प्रावधान (आरबीआई प्रावधान मानदंडों के अतिरिक्त)	1,295.00	600.00
iv. आयकर के लिए प्रावधान	9,985.90	8,612.91
v. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	137.78	(209.36)
vi. अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	1,694.88	(383.87)
कुल	**12,469.18**	**9,762.88**

4.13 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 का संदर्भ लें

ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय/मध्यस्थता/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणाम, अपीलों के निपटान, तथा मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण तथा संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढ़ाने पर निर्भर होती हैं।

4.14 अस्थायी प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष
प्रारंभिक शेष	**750.00**	**150.00**
वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	1,295.00	600.00
वर्ष के दौरान आहरण का उद्देश्य और राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	**2,045.00**	**750.00**

4.15. प्रकटीकरण: आश्वासन पत्र (एलओसी)

क. आरआरबी के संबंध में

31.03.2026 तक, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) और बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) की ओर से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में आश्वासन पत्र जारी किए हैं, ताकि इन प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋण प्रदाता संस्थान (एमएलआई) बनने में सक्षम बनाया जा सके।

एमआरबी की वित्तीय स्थिति और पीएनबी द्वारा जारी आश्वासन पत्र के आधार पर, मुद्रा ने एमआरबी के लिए ₹ 3.25 करोड़ की पुनर्वित्त सीमा निर्धारित की है। हालांकि, एमआरबी ने अप्रैल से मार्च 2026 की अवधि के दौरान किसी भी पुनर्वित्त का लाभ नहीं उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के दौरान मुद्रा लिमिटेड द्वारा बीजीबी के लिए कोई पुनर्वित्त सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

ख. सहायक और अन्य सहयोगी कंपनियां के संबंध में:

बैंक ने यूनाइटेड किंगडम के विनियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) को एक आश्वासन पत्र जारी किया है, जिसमें यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी, पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूर्ण कर सके।

हमारे बोर्ड से हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल के संबंध में पीआरए के पक्ष में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उक्त आश्वासन पत्र को 15.03.2022 को नवीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नवीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देशानुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की 28.02.2026 को आयोजित बैठक में एलओसी के प्रभाव के वार्षिक मूल्यांकन को अनुमोदित किया गया, जिसके अनुसार बैंक को वित्तीय दायित्व के किसी भी क्रिस्टलीकरण की उम्मीद नहीं है। इसलिए, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इस एलओसी के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक ने समूह इकाइयों (सहायक और सहयोगी कंपनियां) को कोई भी आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

4.16. प्रकटीकरण: वचन पत्र

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियम 3(3) के तहत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए एक वचन पत्र प्रदान किया है कि:

– "बैंक समर्थन और सहायता (तरलता सहित, जब भी आवश्यक हो) प्रदान करेगा तथा बैंकिंग इकाई को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो सकता है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है तथा आश्वासन पत्र के अंतर्गत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

4.17 समेकित वित्तीय परिणाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' पर लेखा मानक 21, 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' पर लेखा मानक 23 और 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखा मानक 27 तथा आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4.18. धोखाधड़ी वाले खाते

विवरण	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26)				गत वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25)			
	उधार धोखाधड़ी	गैर उधार धोखाधड़ी	डिजिटल धोखाधड़ी	कुल	उधार धोखाधड़ी	गैर उधार धोखाधड़ी	डिजिटल धोखाधड़ी	कुल
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	445	99	0*	**544**	84	90	2,746	**2,920**
धोखाधड़ी की राशि (₹ करोड़ में)	10,472.65	78.99	0.00	**10,551.64**	4,358.05	51.61	6.34	**4,416.00**
ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि (₹ करोड़ में)	4,681.45	66.98	0.00	**4,748.43**	2,326.03	49.16*	0.00	**2,375.19**
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट की गई अपरिशोधित प्रावधान राशि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	-	-	-	-

**आरबीआई द्वारा 15.07.2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जारी मास्टर निर्देश संख्याः DOS-CO-FMG-SEC-No.5/23.04.001/2024–25 के अनुसार, सीआईएमएस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक देयता डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में आरबीआई को रिपोर्ट करना बंद कर दिया है।*

नोट–

1. *उधारकर्ताओं से जुड़े कुल 445 धोखाधड़ी के मामलों में से, ₹ 7,123.91 करोड़ की कुल राशि वाले 108 मामलों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2023 को दिए गए निर्णय के आलोक में धोखाधड़ी को निष्क्रिय करने के उपरांत आरबीआई को पुनः रिपोर्ट किया गया है, ताकि संबंधित पक्षों को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रदान किया जा सके।*
2. *गैर–उधार धोखाधड़ी की राशि और प्रावधान में ₹ 12.01 करोड़ का अंतर वसूली गई राशि के कारण है।*

5.1 विगत अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण		वर्ष समाप्त 31.03.2026 (लेखा परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2025 (लेखा परीक्षित)
क.	**परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह**			
(I)	**कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)**	(i)	**28,378.59**	**27,093.20**
(II)	**निम्नलिखित के लिए समायोजनः**			
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1,281.20	957.51
	अचल आस्तियों (निवल)की बिक्री से लाभ/हानि		(7.19)	(4.07)
	निवेश (निवल)पर मूल्यह्रास/(रिलीज़)		(833.47)	(1,566.60)
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		1,883.87	1,754.85
	मानक आस्तियों पर प्रावधान		156.89	(287.18)
	अन्य प्रावधान (निवल)		1,606.85	93.03
	एसोसिट्स में उपार्जन का शेयर		(1,370.93)	(1,108.61)
	एएफएस में रखे गए इक्विटी निवेश की बिक्री से लाभ		0.00	0.46
	बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज		2,911.22	3,116.33
	एसबीजेवीएएस में रखे गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(925.15)	0.00
	उप जोड़	**(ii)**	**4,703.29**	**2,955.70**
(III)	**निम्नलिखित के लिए समायोजनः**			
	निवेश में ह्रास/(वृद्धि)		2,796.53	(73,272.05)
	अग्रिम में ह्रास/(वृद्धि)		(1,53,094.53)	(1,46,653.63)
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)		(19,115.08)	(19,346.67)
	जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास)		1,47,775.54	1,97,794.65
	उधार में वृद्धि/(ह्रास)		7,240.83	34,646.44
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)		6,981.59	3,974.17
	उप जोड़	**(iii)**	**(7,415.12)**	**(2,857.09)**
	परिचालनों से निर्मित नकदी	**(i+ii+iii)**	**25,666.76**	**27,191.81**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर)		(31.35)	(5,116.53)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**(क)**	**25,635.41**	**22,075.28**

(₹ करोड़ में)

	विवरण		वर्ष समाप्त 31.03.2026 (लेखा परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2025 (लेखा परीक्षित)
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	अचल आस्तियों की खरीद		(1,624.58)	(1,601.41)
	अचल आस्तियों की बिक्री		41.50	15.64
	सहायक/जेवी/आरआरबी में निवेश (निवल)		974.08	8.15
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(ख)**	**(609.00)**	**(1,577.63)**
ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	इक्विटी शेयरों के निर्गमन से प्राप्त राशि, जिसमें शेयर प्रीमियम शामिल है (निर्गमन व्यय घटाकर)		0.00	4,987.57
	बॉण्ड का निर्गमन/(मोचन) (निवल)		(5,489.00)	(1,425.50)
	प्रदत्त लाभांश		(3,324.90)	(1,651.65)
	बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज		(2,911.22)	(3,116.33)
	अल्पांश ब्याज में वृद्धि/(ह्रास)		61.11	67.65
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी	**(ग)**	**(11,664.01)**	**(1,138.26)**
घ	**नकदी तथा नकदी तुल्यों से निवल परिवर्तन**	**(क+ख+ग)**	**13,362.40**	**19,359.39**
	अवधि के आरंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य			
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		64,389.22	65,325.13
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि		86,370.36	66,075.06
			1,50,759.58	**1,31,400.19**
	अवधि के समापन में नकद तथा नकद तुल्य			
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		60,882.17	64,389.22
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि		1,03,239.81	86,370.36
			1,64,121.98	**1,50,759.58**

टिप्पणियाँ:

1 *नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।*

2 *प्रत्यक्ष करों का भुगतान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से निर्मित माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।*

3 *वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।*

4 *नकदी तथा नकदी तुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है।*

रमन ग्रोवर
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ

अमित कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	डी. सुरेन्द्रन कार्यपालक निदेशक	विभु प्रसाद महापात्र कार्यपालक निदेशक	एम परमशिवम कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वंदना भागवतुला निदेशक	अंबरीष ओझा निदेशक	उमा शंकर निदेशक	डी. आनंदन निदेशक

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 119250W	कृते एनके भार्गव एंड केपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 000429N	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 000425N	कृते पीए एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ़आरएन : 313085E
सनदी लेखाकार अखिल जैन भागीदार (सदस्य सं. 137970)	सनदी लेखाकार एनके भार्गव भागीदार (सदस्य सं. 080624)	सनदी लेखाकार राजन उप्पल भागीदार (सदस्य सं. 097379)	सनदी लेखाकार ब्रज नन्द दास भागीदार (सदस्य सं. 062142)

दिनांक : 05 मई, 2026
स्थान : नई दिल्ली



विकास के सूत्रधार

हमारी प्रगति यात्रा को प्रशस्त करने वाले लीडर्स को नमन

(अशोक चंद्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी





पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

प्लॉट संख्या 04, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, भारत

हमें फॉलो करें: www.pnbindia.in